Thursday, 22 July, 1982

# लोक सभा वाद-विवाद

# का

# हिन्दी संस्करण

[ नौवां सत्र ]

(खंड 29 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

# विषय सूची

अंक 10, गुरुवार, 22, जुलाई 1982/31 आषाढ़, 1904 (शक)


| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर : | | 1—17 |
| * तारांकित प्रश्न संख्या : 203 और 205 से 208 | | |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर : | | 18—208 |
| तारांकित प्रश्न संख्या : 204 और 209 से 223 | | 18—28 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या : 2209 से 2278, 2280 से 2323 और 2325 से 2438 | ... | 28—208 |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | .... | 210—214 तथा 263 |
| राज्य सभा से संदेश | | 214 |
| मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पास किये गए रूप में | | |
| अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) 1982-83-विवरण प्रस्तुत किया गया | .... | 215 |
| सभा का कार्य | ... | 215—221 |
| लेबनान की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर चर्चा | ... | 221-263 तथा 305-316 |
| श्री इन्द्रजीत गुप्त | ... | 221—231 |
| श्री एडुआर्डो फैलीरो | | 231—235 |
| श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती | ... | 235—239 |
| श्री रघुनन्दन लाल भाटिया | ... | 239—241 |
| श्री अटल बिहारी वाजपेयी | ... | 241—247 |
| श्री चन्द्रशेखर सिंह | ... | 247—250 |
| श्री रामविलास पासवान | ... | 250—251 |
| श्री गिरधारी लाल डोगरा | .... | 251—254 |
| श्री रतनसिंह राजदा | ... | 254—257 |


* किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी [सद]स्य ने पूछा था।

| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| श्री जयपाल सिंह कश्यप | ... | 257—258 |
| श्री वृद्धि चन्द्र जैन | ... | 258—259 |
| श्री चन्द्रजीत यादव | ... | 259—263 |
| श्री रामसिंह यादव | ... | 305—306 |
| श्री चित्त बसु | ... | 306—308 |
| श्री पी० वी० नरसिंह राव | ... | 308—316 |
| **केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते की एक और किस्त देने तथा कुटुम्ब पेंशन भोगियों सहित पेंशन भोगियों को राहत देने के बारे में वक्तव्य** | ... | 263—264 |
| श्री प्रणव मुखर्जी | | |
| **गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति** | ... | 264 |
| पैंतालिसवां प्रतिवेदन | | |
| **विधेयक पुरःस्थापित** | ... | 264—271 |
| (एक) राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक (धारा 5 का संशोधन) | ... | 264—265 |
| श्री के० राममूर्ति | | |
| (दो) किसान और कृषि कर्मकार प्रसुविधा निधि विधेयक | ... | 265 |
| श्री के० राममूर्ति | | |
| (तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 75 और 164 का संशोधन) | ... | 265—268 |
| प्रो० मधु दण्डवते | | |
| (चार) फसल बीमा निगम विधेयक | ... | 269 |
| प्रो० मधु दण्डवते | | |
| (पांच) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक (धारा 2 आदि का संशोधन) | ... | 269 |
| प्रो० मधु दण्डवते | | |
| (छः) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (नई धारा 10 ख आदि का अन्तःस्थापन) | ... | 269—270 |
| प्रो० मधु दण्डवते | | |

| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| (सात) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 102, आदि का संशोधन) | ... | 270 |
| श्रीमति प्रमिला दंडवते | | |
| (आठ) सामाजिक न्याय तथा सेवाओं में पदों और शिक्षा संस्थाओं में स्थानों का आरक्षण विधेयक | ... | 270 |
| प्रो० अजित कुमार मेहता | | |
| (नौ) मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) विधेयक | ... | 270—271 |
| श्री चित्त बसु | | |
| **भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक** | | **271—282** |
| (धारा 26 का संशोधन)—वापस लिया गया | | |
| विचार करने का प्रस्ताव— | | |
| श्री सी० एम० स्टीफन | ... | 271—281 |
| श्री अटल बिहारी वाजपेयी | | 280—282 |
| **कृषि जन्य वस्तुयें समर्थन मूल्य विधेयक** | .... | **282 - 304** |
| विचार करने का प्रस्ताव | | |
| श्री के० लकप्पा | ... | 282—288 |
| श्री चंद्रपाल शैलानी | ... | 288—290 |
| श्री रणवीर सिंह | ... | 290—291 |
| श्री कमला मिश्र मधुकर | ... | 291—293 |
| श्री हरीश रावत | .... | 294—295 |
| श्री हरिकेष बहादुर | .... | 295—298 |
| श्री मूलचन्द डागा | .... | 298—300 |
| श्री दिलीपसिंह भूरिया | .... | 300—302 |
| श्री बालासाहिब विखे पाटिल | ... | 302—304 |
| श्री सुन्दर सिंह | ... | 304 |
| **सदस्य द्वारा त्यागपत्र** | ... | **304** |
| (श्री जैल सिंह) | | |

# लोक सभा

गुरुवार, 22 जुलाई, 1982/31 आषाढ़, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### पूर्वोत्तर मीटर गेज लाइन पर रेलगाड़ियों का विलम्ब से चलना

*203. श्री राम लाल राही, श्रीमती ऊषा वर्मा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि प्रशासन की निष्क्रियता और उदासीनता के कारण पूर्वोत्तर रेलवे में लखनऊ-काठगोदाम, लखनऊ-गोरखपुर और सीतापुर, बुदवेल ब्रांच लाइनों पर रेलगाड़ियां निरंतर बहुत विलम्ब से चल रही हैं जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि रेलगाड़ियां इतनी देर से न चलें ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) प्रशासन की निष्क्रियता और उदासीनता के कारण उक्त खंडों पर गाड़ियां निरन्तर विलम्ब से नहीं चल रही हैं। बहरहाल, यह सत्य है कि इन खण्डों पर कानून एवं व्यवस्था सम्बन्धी समस्याओं, जैसे शरारती तत्वों की गतिविधियों, खतरे की जंजीर खींचे जाने, होस पाइप अलग कर दिये जाने के कारण एवं भाप रेल इंजनों की खराबी और कोयले की खराब किस्म के कारण, गाड़ियों की समय-पाबन्दी संतोषजनक नहीं रही है।

(ख) क्षेत्रीय और मंडल स्तर पर निकट से नजर रखकर, इन खंडों पर गाड़ियों की समय पाबन्दी सुधारने के लिए रेल प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है। परिहार्य रुकौनी के सभी मामलों पर कार्रवाई की जाती है। खतरे की जंजीर खींचने और शरारती तत्वों की अन्य गतिविधियों को कम करने में सहायता देने के लिए राज्य सरकार के साथ निकट सम्पर्क भी बनाये रखा जा रहा है।

श्री रामलाल राही : अध्यक्ष महोदय, 1980 से लेकर इस सरकार को चलते लगभग ढाई साल हो रहे हैं। तीन मन्त्री रेल मन्त्रालय को सम्भाल चुके हैं और निष्फल हो गए हैं। न तो रेलों में अपराध रुके हैं और न ही एक्सिडेंट रुक पाए हैं। शायद ही कोई गाड़ी हो, जो समय पर

चलती हो। मैंने सवाल किया था कि क्या प्रशासन की निष्क्रियता और उदासीनता के कारण रेल गाड़ियां विलम्ब से चल रहीं हैं। मन्त्री महोदय ने उससे साफ इन्कार कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि जवाब में "नहीं" शब्द भूल से लिखा गया है।

**अध्यक्ष महोदय** : अब आप उसको सुधार दीजिए। आप सवाल कीजिए।

**श्री रामलाल राही** : नीचे मन्त्री महोदय ने एक्सेप्ट किया है कि शरारती तत्वों की गतिविधियां,, खतरे की जंजीर खींचे जाने, भाप के इंजिनों की खराबी और कोयले की खराबी आदि आदि कारण हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे में एक लखनऊ-गोरखपुर रेलवे लाइन है, दूसरी लखनऊ-बरेली है, और मैलानी और काठगोदाम की लाइनें हैं। एक लाइन गोरखपुर से लखनऊ मीटरगेज थी। वह ब्राडगेज में कनवर्ट हो गई है।

**अध्यक्ष महोदय** : आप सवाल कीजिए।

**श्री रामलाल राही** : लखनऊ-बरेली लाइन पर 51 अप और 52-डाउन गाड़ियां लखनऊ और बरेली के बीच चलती हैं। 61-अप और 62-डाउन लखनऊ और मैलानी के बीच चलती हैं। 159 और 160 पहले सीतापुर और मैलानी के बीच चलती थीं। अब उन्हें एक तरफ लखनऊ तक और दूसरी तरफ दुधवा तक बढ़ा दिया गया है।

**अध्यक्ष महोदय** : यह सब पूछने का फायदा क्या है? आप सवाल कीजिए।

**श्री रामलाल राही** : इस लाइन पर अरसे से एक डीजल कार चलाई जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन गाड़ियों में से कोई गाड़ी एक महीने के अन्दर समय से चली है। अगर कोई गाड़ी समय से चली हो, अलावा एक गाड़ी के 7-अप और 8-डाउन के, जो मेल गाड़ी है और काठगोदाम तक चलती है...

**अध्यक्ष महोदय** : आप सवाल पूछिए। आप बेकार समय बर्बाद कर रहे हैं।

**श्री रामलाल राही** : मैं सवाल ही कर रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : आपने बीस गाड़ियां गिनाई हैं। आपका सवाल तो यह है कि क्या कोई गाड़ी समय पर चली है।

**श्री रामलाल राही** : क्या एक भी गाड़ी समय पर चली है, अगर नहीं, तो माननीय मन्त्री ने यह जो एक्सेप्ट किया है कि कोयले की खराबी और जंजीर खींचे जाने के कारण गाड़ियां समय पर नहीं चल रही हैं, क्या उसमें कोई सुधार लाने की कोशिश की गई है। क्या वह यह भी आश्वासन देंगे कि...

**अध्यक्ष महोदय** : आप बेकार समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

**श्री रामलाल राही** : क्या भविष्य में गाड़ियां समय पर चलेंगी ?

**अध्यक्ष महोदय** : आपने सारा मन्तव्य ही खत्म कर दिया है।

**श्री रामलाल राही** : मान्यवर, इन कारणों से ही ट्रेन्ज समय पर नहीं चल पाईं। हमने यह भी कुबूल किया है कि गलत कोयले की सप्लाई और लोकोमोटिव्ज की फेल्युर भी इसके कारण हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : आपने देख लिया कि कोयले के मन्त्री यहां पर नहीं हैं।

**श्री मल्लिकार्जुन** : इसमें एक बहुत बड़ा कारण यह है कि समस्तीपुर-बाराबंकी छोटी

लाइन के बड़ी लाइन में परिवर्तन के कारण, जो लोको शेड्ज में हम एक दिन पहले ले जा सकते थे, आज उसमें कुछ दिक्कत हो रही है। इन सैक्शनों पर इन कारणों से गाड़ियां समय पर नहीं चलती हैं, जैसे लखनऊ-मैलानी, लखनऊ-बरेली, लखनऊ, काठगोदाम में। सरकार इन कठिनाइयों को जल्दी हल करना चाहती है बड़े अफसरों को इन लाइनों पर भेज कर इन कठिनाइयों को दूर करने का पूरा यत्न किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में रेलों को समय पर पहुंचाना सम्भव होगा और यात्रियों को दिक्कत नहीं होगी।

**श्री रामलाल राही** : मन्त्री महोदय को संभवत: यह जानकारी होगी कि पहले मीटरगेज पर एक डीजल कार लखनऊ से सीतापुर चलती थी, जो कि मेल ट्रेन थी। एक मैलानी एक्सप्रैस कहलाती है। इन दोनों गाड़ियों पर किराया मेल ट्रेन का लिया जाता है।

लेकिन अब यह हर स्टेशन पर रुकती है। जब यह मेल ट्रेन करके चलाई जाती थी, तो उस समय सारे यात्रियों को सुविधा थी। जो जल्दी जाना चाहता था या समय बचाना चाहता था उसके लिये सुविधा थी। अब इनको हर स्टेशन पर रोका जा रहा है और किराया वही मेल ट्रेन का लिया जा रहा है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस किराये में भी आप सुधार करेंगे? पहले जो मेल ट्रेन चलती थी, क्या अब पैसेन्जर ट्रेन की तरह चलने वाली ट्रेन के समय में सुधार करेंगे और उसे मेल ट्रेन में कन्वर्ट करेंगे?

**श्री मल्लिकार्जुन** : इस तरह का कोई सोच-विचार इस समय सरकार के सामने नहीं है।

**श्रीमती ऊषा वर्मा** : मैंने कई बार कहा कि इस ट्रेन पर कोई भी सुधार नहीं हुआ है। मैलानी स्टेशन पर जो वर्कशाप बना हुआ है। उसकी जांच करने के सम्बन्ध में मैंने एक सुझाव दिया था, मैं जानना चाहती हूं कि उस सम्बन्ध में आपने क्या कार्यवाही की है?

**श्री मल्लिकार्जुन** : वर्कशाप से इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है।

**श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : अध्यक्ष महोदय, जो जवाब दिया गया है कि शरारती तत्वों ने चेन खींच दी, इस नाते ट्रेन लेट चल रही है, यह रेलवे बोर्ड का साधारण-सा नुस्खा है कि यह बता दिया जाये तो सारे सवाल खत्म हो जायें। वास्तविकता यह नहीं है।

रेलवे की कंसल्टेटिव कमेटी में मांग की गई थी कि एन० ई० रेलवे को नये इंजन और नई बोगियां दी जायें, लेकिन इस बारे में अभी तक कुछ नहीं हुआ। पूर्वोत्तर रेलवे के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मैं मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि अप्रैल, मई और जून में गोरखपुर, लखनऊ प्रखंड में जो ट्रेनें चली हैं, वह कितने प्रतिशत समय से चली हैं और जो समय से नहीं चलीं उनका कारण क्या है?

क्या यह सच नहीं है कि पूर्वोत्तर रेलवे में जो भी इंजन और बोगियां हैं, वह पुराने हैं? क्या मन्त्री जी इसका स्पष्ट उत्तर देंगे?

**श्री मल्लिकार्जुन** : माननीय सदस्य का यह सवाल जो सौतेली मां की तरह देखने का है, वह गलत है। जैसा माननीय सदस्य ने बताया पूर्वोत्तर रेलवे में कुछ इंजन व कुछ कोचेज ठीक नहीं हैं, यह यथार्थ है। इस विषय में सरकार सोचेगी। अभी ४ डीजल इंजन मीटर गेज के लिये दिये गये हैं। कोचेज का प्रबन्ध करने का विचार है।

अध्यक्ष महोदय : पूरा प्रबन्ध करके चलवायें।

**बम्बई-नई दिल्ली और इंदौर-नई दिल्ली के यात्रियों को यात्रा सुविधायें**

* 205. **श्री सत्यनारायण जटिया :**

क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के अन्तर्गत बम्बई-नई दिल्ली और इंदौर-नई दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को रेल यात्रा के लिए अधिक सुविधायें दी गई हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या वर्ष 1982-83 के दौरान अधिक सुविधायें देने के कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (घ) : 1982-83 में अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, तथापि प्रयास सदा यह किया जाता है कि कुल मिलाकर रेलों पर रेल यात्रा सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार किया जाये। इस दिशा में एक प्रमुख कदम यह उठाया गया है कि बम्बई और दिल्ली के बीच राजधानी एक्सप्रेस को दो इंजनों से चलाया जाता है। इसी प्रकार, परीक्षण पूरे हो जाने के बाद जब कलकत्ता और दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस के लिए बनाया गया नया बिजली रेल इंजन नियमित रूप से चलने लगेगा, तब इस गाड़ी में डिब्बों की संख्या बढ़ाना संभव हो जायेगा। इस रेल इंजन की क्षमता उतनी ही होगी जितनी बम्बई और दिल्ली के बीच गैर विद्युतीकृत मार्ग पर दो डीजल रेल इंजनों की है। इन्दौर और दिल्ली के बीच बिना यानान्तरण किये यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए, इन दोनों शहरों के बीच स्लिप कोचों की व्यवस्था की गयी है। भारत में विभिन्न शहरों के बीच बहुत से स्लिप कोच चल हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आप राजधानी की गति से दौड़ रहे हों।

**श्री सत्य नारायण जटिया** : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है कि राजधानी एक्सप्रेस में दो इंजन लगाकर उसकी क्षमता बढ़ा दी जाती है, लेकिन राजधानी एक्सप्रेस से सामान्य लोगों को यात्रा की सुविधा प्रायः नहीं हो सकती है। सामान्य गाड़ी दिल्ली बम्बई के बीच में देहरादून एक्सप्रेस जो चलती है, क्या मंत्री महोदय उसमें दो इंजन लगाकर यात्रियों की सुविधा को बढ़ायेंगे ?

इन्दौर मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा नगर है और वहां से यात्रा की सुविधा बढ़ाना जरूरी है।

इस के पूर्व जो रेल मंत्री रहे हैं उन्होंने घोषणा भी की थी कि इन्दौर से दिल्ली के बीच में वह रेलगाड़ी चलाने वाले हैं।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या देहरादून एक्सप्रेस में दो इंजन लगा कर उसकी क्षमता बढ़ाने का

कार्य करेंगे और जैसा कि भूतपूर्व रेल मंत्री ने घोषणा की थी, इन्दौर से दिल्ली के बीच में नयी रेलगाड़ी चलाकर उसको कार्यान्वित करेंगे ?

**रेल मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : देहरादून एक्सप्रेस को डबल हेडेड करना मुश्किल है। फिलहाल दो कोचेज की सुविधा इन्दौर से दिल्ली तक और इन्दौर से बम्बई तक दी गई है। लेकिन इस प्रकरण पर विचार किया जा रहा है और जो अक्तूबर से नया टाइम टेबल बदलेगा उस में देहरादून एक्सप्रेस को और बड़ी गाड़ी बढ़ाकर आधी ट्रेन दिल्ली की तरफ चलायी जाय और आधी ट्रेन बम्बई की तरफ चलायी जाय, इस प्रकार का करने का विचार है। मैं समझता हूं कि यह हो जाने से काफी सुविधा बढ़ जायगी।

**श्री सत्यनारायण जटिया** : मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो यह रेल सुविधा बम्बई और दिल्ली के बीच में है उस को और बढ़ाया जाय। आपको पता होगा कि गुना और उज्जैन के बीच में एक यात्री गाड़ी चलती है, इस को यदि नागदा तक एक्सटेंड कर दिया जाय तो यात्रियों को नागदा तक आने जाने की सुविधा हो जायगी। तो क्या आप गुना उज्जैन गाड़ी को नागदा तक बढ़ाएंगे ?

**श्री प्रकाश चन्द्र सेठी** : यह सुझाव दो तीन जगहों से आया है और इस पर विचार किया जा रहा है।

**श्री दिलीप सिंह भूरिया** : इन्दौर-रतलाम जो—अहमदाबाद से सर्वोदय एक्सप्रेस चलती उस में दिल्ली आने के लिए तो कोटा है लेकिन वापस जाने के लिए दिल्ली रतलाम का कोटा नहीं है। दूसरी बात जो सांची एक्सप्रेस इन्दौर-दिल्ली के बीच में चलाने के लिए पहले मन्त्री महोदय घोषणा की थी वह कब तक शुरू हो जायगी ताकि इन्दौर के लोगों को यात्रा करने की सुविधा मिले ? इसके अलावा एक जो अवधेस एक्सप्रेस कोटा तक आकर रुकती है उस को बड़ौदा तक बढ़ाने की बात कब तक हो जायगी क्योंकि कि इस ट्रेन पर काफी आदिवासी लोग कोटा में मजदूरी करने आते हैं, तो सबसे गरीब और कमजोर लोगों को असुविधा होती है, इसलिए इस ट्रैक पर मन्त्री महोदय कब तक गाड़ी बढ़ाने जा रहे हैं, यह मैं जानना चाहता हूं।

**श्री मल्लिकार्जुन** : फिलहाल कोटा से बड़ौदा तक बढ़ाना मुश्किल है क्योंकि लाइन कैपेसिटी की समस्या है। अब रहा सर्वोदय एक्सप्रेस कांसवाल, उस में इन्दौर से रिजर्वेशन 3 सी टू टायर का है और 35 सेकेंड क्लास बर्थ के रिजर्वेशन का प्रबन्ध है। अब यहां से रतलाम लिए वापस जाने का जो नहीं है उस के बारे में हम सोच रहे हैं कि कितना उसके लि किया जाय।

**श्री राम नगीना मिश्र** : यह तो खुशी है कि बम्बई से दिल्ली-इन्दौर के लिए विशेष सुविधा दी है। किन्तु हमने यहां पर पहले भी निवेदन किया था और सदन में मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि पटना से गोरखपुर होते हुए दिल्ली तक जाने के लिए एक डायरेक्ट ट्रेन वह दें तो क्या मंत्री जी निकट भविष्य में पटना से गोरखपुर होते हुए दिल्ली के लिए कोई ऐसी चलाएंगे ?

**श्री मल्लिकार्जुन** : मान्यवर, भारत के अन्य भागों के बारे में इस समय मैं समाधान दे सकता हूं और इस का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : दो साल से आप ने ट्रेन चलाने की बात नहीं की है ।

आपने हम से भी वायदा किया था कि फीरोजपुर के लिए डबल इंजन लगा देंगे, वह अभी तक नहीं लगाया है । (व्यवधान)

**तीसरे विश्व की लोकतांत्रिक शक्तियों को अमरीका द्वारा वित्तीय सहायता दिया जाना**

*206. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** } : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
**श्री एस० एम० कृष्ण** }

(क) क्या उनका ध्यान ऐसी प्रेस रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है कि अमरीकी प्रशासन विकासशील देशों में लोकतन्त्र को बढ़ावा देने के लिए तीसरे विश्व में राजनीति दलों, श्रम-संघों और प्रेस को धन देने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव)** : (क) जी हां।

(ख) ऐसा प्रतीत होता है कि इन रिपोर्टों में उल्लिखित सहायता दिये जाने का प्रश्न अभी अमरीकी सरकार में विचार-विमर्श और रूपरेखा तैयार करने तक ही सीमित है। भारत में सभी प्रकार की विदेशी वित्तीय सहायता, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम द्वारा नियंत्रित होती है । इस अधिनियम में यह व्यवस्था है कि "किसी भी प्रकार का विदेशी अंशदान निम्नलिखित द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाएगा ।

(क) चुनाव के लिए उम्मीदवार द्वारा,

(ख) किसी भी पंजीकृत समाचार पत्र के संवाददाता, स्तंभ-लेखक, व्यंग्य-चित्रकार, सम्पादक, मालिक, मुद्रक अथवा प्रकाशक द्वारा,

(ग) सरकारी कर्मचारी अथवा किसी निगम के कर्मचारी द्वारा,

(घ) विधान मंडल के किसी सदस्य द्वारा,

(ङ) राजनीतिक दल अथवा उसके पदाधिकारियों द्वारा । "इसके अतिरिक्त इसमें यह भी व्यवस्था है कि" राजनीतिक दल न होने पर भी राजनीतिक प्रकृति का कोई संगठन केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई विदेशी अंशदान नहीं ले सकता ।

इस संदर्भ में आने वाली किसी स्थिति का सामना करने के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं। लेकिन सरकार इस बारे में भावी गतिविधियों पर निरन्तर निगाह रखेगी —विशेष रूप से यदि कोई ऐसी गतिविधि हो, जिसका भारत पर प्रभाव पड़े ।

**श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** :—अध्यक्ष महोदय, आप इस बारे में मुझसे सहमत होंगे कि यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह वक्तव्य अमरीकी प्रशासन के शीर्ष नेता ने दिया है और यह नीति किसी देश के राजनीतिक मामलों में खुले हस्तक्षेप की नीति है ।

मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है और अमरीका की यह स्पष्ट घोषणा है कि वे अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये

राजनीतिक दलों को तथा अन्य ट्रेड यूनियनों के लिये धन की व्यवस्था करेंगे। इस परिस्थिति में क्या भारत सरकार को खामोश बैठे रहना चाहिये क्योंकि यह किसी देश के अपने अंतर्गत मामलों में खुला हस्तक्षेप है ? इस प्रकार की नीति सम्बन्धी घोषणा अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र संघ की परम्पराओं के विरुद्ध है क्योंकि प्रत्येक सरकार को दूसरे देश को प्रभुसत्ता-सम्पन्न मानना पड़ता है ? यहाँ अमरीका खुले तौर पर यह घोषणा करता है कि वह दूसरे देशों के अन्तरिक मामलों में और राजनीतिक मामलों में दखलंदाजी करेगा इसलिये, मेरा प्रश्न यह है कि : क्या भारत सरकार को अमरीका द्वारा घोषित की गई इस नीति के विरुद्ध कोई विरोध नहीं प्रकट करना चाहिये ?

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** :—मैंने इस विषय में जो कानून है उसका उल्लेख कर दिया है। मैंने सदन को बता दिया है कि इस समय जो प्रावधान हैं हमारे विचार से वे किसी स्थिति से निपटने के लिये पर्याप्त हैं। मैंने यह भी बताया है कि यदि कुछ और भी लिये जाने की आवश्यकता पड़ेगी और यदि भारतीय संदर्भ में कुछ और पेचीदगियां पैदा होंगी तो हम उनका भी ध्यान रखेंगे। मेरा ख्याल है इस समय यही काफी होगा और इससे आगे कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** :—अध्यक्ष महोदय, क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूँ कि क्या अमरीका द्वारा कुछ राजनीतिक संगठनों को कोई चंदा दिये जाने के बारे में कोई सूचना है ?

(व्यवधान)

यदि यह सी० पी० आई० (एम०) है तो इसकी जांच की जाये, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हम तो खुले तौर पर कहते हैं कि हम कोई चन्दा नहीं लेते। लेकिन क्या यह भी सच है कि एक खास राजनीतिक दल ने अमरीका से पैसा लिया है ? वह कौन सा दल है और क्या हमने इसके लिये सरकार से पहले अनुमति प्राप्त की थी ? क्योंकि यह मि० मोमनीदास की पुस्तक में लिखा हुआ है।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** :—यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। प्रश्न यह है कि अमरीका क्या करने का विचार कर रहा है। मैंने उसका स्पष्ट उत्तर दे दिया है।

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** :—महोदय, आपने यह कहा है······

**अध्यक्ष महोदय** :—यहीं, जी नहीं, इसकी अनुमति नहीं है। श्री मायातेवर।

**श्री के० मायातेवर** :—अध्यक्ष महोदय, अमरीकी सरकार.........................

(व्यवधान)

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** :—आप केवल उन्हीं पार्टियों से पूछ रहे हैं जो पैसा ले रही हैं।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** :—क्या मैं कोई मध्यस्थ हूं ?

**एक माननीय सदस्य** :—आपको उनसे पूछना चाहिये जिन्होंने पैसा ले लिया है।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** :—जैसे सी० पी० आई० (एम) डी० एम० के० और—

**श्री के० मायातेवर** :—अध्यक्ष महोदय, डी० एम० के० तो भारत के किसी भी राज्य में और देश के आन्तरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप के बिल्कुल विरुद्ध है।

यह बात डा० स्वामी और उनकी कम्पनी को स्पष्ट रूप से पता है।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** :—मेरी कम्पनी ? (व्यवधान)

**श्री के० मायातेवर** : मेरा मतलब है, वह राजनीतिक गुट जिससे वह सम्बन्धित हैं। महोदय, अमरीका की जी० आई० ए० और—

**अध्यक्ष महोदय** : - क्या कम्पनी के निदेशक के रूप में या संसद सदस्य के रूप में ?

**श्री के० मायातेवर** : – हमें जांच करनी चाहिये। विदेशी सहायता के नाम पर अमरीकी धन से सी० आई० ए० अनेकों देशों की आंतरिक राजनीति में बहुत अधिक हस्तक्षेप कर रहा है। सच तो यह है कि ऐसे अनेक देशों की सरकारों को जिन्हें हम लोकतन्त्री समझते थे इन हस्तक्षेपों द्वारा उखड़ फेंका गया है।

जहां तक हमारे देश भारत का सम्बन्ध है, यह कहा जा सकता है कि यहां अनेकों धार्मिक संस्थायें हैं। साम्प्रदायिक संगठन हैं। ऐसी अनेकों तथाकथित सामाजिक संस्थायें हैं जो अनेकों लोगों और सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक संगठनों द्वारा चलाई जाती हैं। मैं मंन्त्री, महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार ऐसी साम्प्रदायिक, सामाजिक या धार्मिक संगठनों को अमरीका सरकार से इस प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करने की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या अन्तर्निहित अनुमति दे रही है ?

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** :—यह प्रश्न अमरीकी प्रशासन के कुछ खास इरादों से सम्बन्धित है जैसा कि शायद राष्ट्रपति रीगन ने ब्रिटेन की संसदों के समक्ष अपने भाषण में बताया है। मैं वक्तव्य के उस अंश को पढ़ता हूं जो इस प्रश्न से सम्बन्धित है।

> "पिछली कई दशाब्दियों से पश्चिमी योरूप के तथा अन्य सामाजिक डेमोक्रेटों, क्रिश्चियन डेमोक्रेटों और लीडरों ने शान्तिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिये भाईचारे सम्बन्धी, राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं को खुली सहायता प्रदान की है। यह कहना उचित होगा कि शक्तिशाली नवीन लोकतन्त्र के लिये जर्मन जनवादी गणतन्त्र की बुनियादें राजनीतिक इस दिशा में प्रमुख शक्ति के रूप में सिद्ध हुई हैं।"
>
> उन्होंने यह भी कहा है :—
>
> हम अमरीकावासी अब यह चाहते हैं कि और भी नये कदम उठाये जायें क्योंकि हमारे कितने ही सहयोगियों ने इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ऐसे ही कदम उठा लिये हैं। नेशनल रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी अर्गेनाइजेशन के चेयरमैन और अन्य नेता गण यह निर्धारित करने के लिये द्विविभाजित अमरीकी राजनीतिक नींद का अध्ययन कर रहे हैं कि लोकतन्त्र की प्रगति के लिये दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होते हुये विश्वव्यापी आन्दोलन में अमरीका, एक राष्ट्र के रूप में, किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा सहयोगी हो सकता है। उन्हें दोनों ही दलों के संसदीय नेताओं (कांग्रेस लीडरों) का तथा हमारे समाज के व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग और अन्य प्रमुख संस्थाओं के प्रतिनिधयों का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा।

इस प्रकार से भविष्य के लिये उनके इरादों का यह स्पष्ट प्रस्तुतीकरण है। राष्ट्रपति रीगन ने यह भी कहा है "जो कुछ अन्य देशों द्वारा किया जा चुका है।" यह स्थिति है।

**श्री सन्तोष मोहन देव** :—मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र का हूँ। वहां पर विदेशी धन से भारी गड़-बड़ की जा रही है। धन का एक स्रोत आधुनिक पुनःशस्त्रीकरण संघ है जिसका मुख्यालय अमरीका में है। एक दूसरा स्रोत है, श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती मुझसे अवश्य सहमत होंगे, सी० पी० आई और सी० पी० आई० (एम) कार्यालयों के माध्यम से वितरित की जाने वाली सस्ती पुस्तकें। यह पैसा उनके पास उस समय आता है जब वे अपने अपने लोगों में काम कर रहे होते हैं। मैं इस बात को जानता हूँ। चाहे वे इससे इन्कार करें। 10 रुपये के मूल्य की एक पुस्तक सिर्फ 1 रुपये में बेची जाती है। इस प्रकार से देश में यह पैसा लगाया जाता है। हाल ही में सरकार ने कुछ पार्टियों पर प्रतिबन्ध लगाया है। मैं नहीं समझता कि वामपंथी पार्टियों को यह विदेशी पैसा लेने से क्यों नहीं रोका गया है। मैं मंत्री महोदय से वामपंथी युवा दलों को इस प्रतिबन्ध से अलग रखने के कारणों के बारे में जानना चाहता हूँ। (व्यवधान) । उत्तेजित मत होइये।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार इस विदेशी धन को रोकने के लिये क्या उपाय कर रही है। हर समय हम अपने गृह मन्त्री को भी यही कहते हुए सुनते हैं, कि इसके पीछे कोई अदृश्य हाथ है। उन्हें यह हाथ नहीं दिखाई देता लेकिन हम इन हाथों को देखते हैं। क्या आप भी इन हाथों को देख सकते हैं और इन्हें रोक सकते हैं ?

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : सब लोग जानते हैं कि कानून सभी के लिये एक समान है। इस कानून में कोई अपवाद नहीं है। इसके उपबंध पूरी तरह प्रभावी हैं। अब इन उपबन्धों के कार्यान्वियन का प्रश्न तो तभी उठेगा जब कि कोई ठोस मामला सामने आयेगा। मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि ऐसे कितने मामले सामने आये हैं। लेकिन मेरा मंत्रालय उन मामलों पर कार्यवाही नहीं करता है। इसलिए, मैं पूरक प्रश्न का उत्तर देने में अपने आप को अक्षम महसूस कर रहा हूं।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : महोदय, मैं इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि मन्त्री जी ने विदेशी सहायता विनियमन अधिनियम 1976 का उल्लेख किया है, उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार की जानकारी में ऐसी कोई घटना है जब कि आज तक किसी राजनीतिक दल ने अमरीका से या किसी अन्य देश से धन प्राप्त किया हो।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : मैं बिना जांच किये कुछ नहीं बता सकता। परन्तु मेरी जान-कारी में ऐसी कोई घटना नहीं है।

**श्री हरिकेश बहादुर** : एक और बहुत ही गम्भीर बात है। तथ्य यह है कि भूतपूर्व अमरीकी राजदूत ने एक पुस्तक में यह लिखा है कि कुछ वर्षों पूर्व देश के एक राजनीतिक नेता ने अमरीका से धन लिया था। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या भारत सरकार भूतपूर्व अमरीकी राजदूत श्री मोमनी हान की पुस्तक में लिखी इस विशेष बात का स्पष्टीकरण देगी और तथ्यों का पता लगाने के लिए कोई जाँच की जायेगी ? क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी ?

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : मेरा ख्याल है कि इस मामले पर दोनों ही सदनों में काफी चर्चा हो चुकी है। मैं तो केवल यह कहूंगा कि यह पूरक प्रश्न चर्चित प्रश्न से बिल्कुल संबंधित नहीं है।

भारतीय नौवहन निगम द्वारा दो बी० एल० सी० सी० तेलपोतों की खरीद

*207. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवहन भाड़ा बाजार में व्याप्त विश्व-व्यापी मंदी को ध्यान में रखते हुए भारत नये तथा पुराने जहाजों की घटी दरों पर खरीदने का लाभ उठा रहा है :

(ख) यदि हां, तो भारतीय नौवहन निगम द्वारा दो बी एल सी सी तेल-पोत जिनमें से प्रत्येक 2,75,000 टन का है, 450 लाख डालर के मूल्य पर खरीदे जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) क्या यह सच है कि तेल-पोत कांडला पत्तन के सिवाय भारत के किसी अन्य पत्तन पर नहीं आ सकते और उनका उपयोग भारी घाटे में रह कर केवल भंडारण कार्यों के लिए किया जा रहा है ;

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) किसी भी नौवहन कंपनी के लिए जहाजों की खरीद उसका व्यवसायिक निर्णय होता है चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में। सरकार जहाजों की खरीद के प्रस्तावों को गुण-दोष के आधार पर यथासंभव शीघ्रता-पूर्वक अनुमोदित कर रही है।

(ख) नौवहन के क्षेत्र में मंदी की चालू अवधि में भारतीय नौवहन निगम ने कोई भी भारी तेलवाही जहाज नहीं खरीदा है। इसने 1975 और 1976 में भारी तेलवाही दो जहाज खरीदे थे जिनमें से प्रत्येक जहाज 2,7600 डी डब्ल्यू टी का था। प्रत्येक जहाज की कीमत 41 मिलियन अमेरिकी डालर (45 मिलियन अमेरिकी डालर) थी। इनके लिए अप्रैल 1973 में आर्डर दिये गये थे जब सभी क्षेत्रों में भाड़ा बाजार की स्थिति अच्छी थी।

(ग) भारी तेलवाही जहाज कांडला के पास वाडीनरग में ही तेल उतार सकते हैं इसका कारण यह है कि यहां मथुरा और कोयली रिफाइनिरियों की आवश्यकताओं को पाइप लाइनों द्वारा पूरी करने के लिए विशाल आकार वाले इन टैंकरों को खड़ा करने के लिए सिंगल ब्याय पूरिंग की विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। भारतीय तेल उद्योग ने अभी हाल में ही बम्बई के पास अधिक तेल के उत्पादन होने के कारण इन कच्चे तेलवाही जहाजों का स्टोरेज टैंकर के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया है। इस व्यवस्था में बहुत थोड़ी आर्थिक क्षति होती है। अगर इन जहाजों का इस्तेमाल इस तरह नहीं किया जाता तब. आर्थिक क्षति कहीं अधिक होती।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीमान् मुझे समाचार-पत्रों से ज्ञात हुआ है कि मंत्री महोदय ने स्वयं भारतीय नौवहन निगम और मुगल लाइन्स, दोनों सरकारी क्षेत्र की कंपनियों से कहा है कि वे नौवहन बाजार में व्याप्त मंदी का लाभ उठायें और दो महीने के भीतर जहाज खरीदने के लिए आर्डर दे दें। मेरा प्रश्न था कि क्या नौवहन भाड़ा बाजार में व्याप्त विश्व-व्यापी मंदी को ध्यान में रखते हुए भारत नये तथा पुराने जहाजों को घटी दरों पर खरीदने का लाभ उठा रहा है। मैंने देखा कि उन्होंने सरकारी क्षेत्र की इन दो कंपनियों की भी वर्तमान स्थिति का फायदा उठाने के लिए कहा है लेकिन मेरे प्रश्न के भाग (क) के लिए दिया गया उनका उत्तर बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। मन्त्री महोदय कहते हैं कि कोई भी सरकारी क्षेत्र की या निजी क्षेत्र की कंपनी, यह

न्यूनाधिक कंपनी पर निर्भर करता है, जैसा चाहे कर सकती है। मेरा प्रश्न यह नहीं है। मेरा मेरा प्रश्न यह है कि भारत सरकार, जो विदेशी मुद्रा की कमी से त्रस्त है और जिसको विदेशी व्यापार में भारी घाटा उठाना पड़ रहा है, क्या वे सरकार के रूप में, इस स्थिति का पूरा-पूरा लाभ उठा रहे हैं।

ऐसा ही कहा जाता है। पता नहीं आंकड़े सही हैं या नहीं। लेकिन कहा यही जा रहा है।

जो जहाज 21 करोड़ रुपये में मिलते थे अब 18 करोड़ रुपये में मिल रहे हैं। कई पार्टियों ने जिन्होंने जहाजों के लिए अनुबंध किया था वे अब कुछ बट्टे पर इन जहाजों को देने को तैयार हैं।

अब तो मालवाहक, जिनका जिक्र मैंने अपने प्रश्न में किया है, भारी तेलवाही जहाज 17 मिलियन डालर में उपलब्ध बताये जाते हैं। जब कि हमने प्रत्येक को 45 मिलियन डालर के मूल्य पर खरीदा है।

मैं यह पूछ रहा हूं कि क्योंकि हमारे पास नौवहन स्थान काम है इसलिए हमें अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए मुख्यतः विदेशी जहाजों पर निर्भर रहना पड़ता है।

वर्तमान योजना के अनुसार ऐसी स्थिति की बिल्कुल भी कल्पना नहीं की गई थी। योजना में कुछ धन उपलब्ध कराया गया है जिससे तेजी की अवधि में पुराने या नये जहाज खरीदे जा सकते हैं।

अब मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में सरकार की नीति क्या है। अभी काफी विदेशी मुद्रा बचाने का अवसर है और कुछ टन भार ग्रहण करने का अवसर है जिसकी हमें बड़ी आवश्यकता है ? मंत्री महोदय इसके बारे में क्या कर रहे हैं ? इसका स्पष्ट उत्तर दें।

**श्री वीरेन्द्र पाटिल** : यह सच है कि मुगल लाइन्स तथा भारतीय नौवहन निगम के पदाधिकारियों के साथ मेरी चर्चा हुई थी। चर्चा के दौरान मैंने उनसे कहा था कि वे जहाज प्राप्त करने के लिए शीघ्र प्रस्ताव भेजें। उन्होंने शीघ्र प्रस्ताव करने का वायदा किया था और अपने प्रस्ताव मन्त्रालय को यथाशीघ्र भिजवाने के लिए कहा था।

जहां तक टनभार ग्रहण करने का संबंध है, छठी योजना के दौरान, 3.4 मिलियन टन (कुल) और 2.5 मिलियन टन (निवल) टन भार ग्रहण करने की योजना है। 3.4 मिलियन टन में से सरकारी क्षेत्र के लिए 1.87 मिलियन टन जी० आर० टी० और निजी क्षेत्र के लिए 1.53 मिलियन टन निर्धारित किया गया है। जहाँ तक छठी योजना के दौरान टन भार ग्रहण करने का संबंध है यही योजना है। जहां तक सरकारी क्षेत्र का संबंध है उन्हें 1985-86 तक वर्तमान टन भार में 1.87 मिलियन टन जी० आर० टी० जोड़ना है। इसीलिए हमने भारतीय नौवहन निगम और मुगल लाइन्स से कहा है कि वे अपने प्रस्ताव शीघ्र भेजें और टन भार ग्रहण करने के लिए उन्हें मन्त्रालय से संपर्क करना चाहिए।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : निजी क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं बताया गया है।

**श्री वीरेन्द्र पाटिल** : निजि क्षेत्र के लिए 1.53 मिलियन टन जी० आर० टी० आरक्षित है और अब तक नौवहन विकास निजि समिति द्वारा निजि क्षेत्र के लिए अनुमोदित टनभार 1.30 मिलियन टन है। 1-4-80 से 28-2-82 तक नौवहन विकास निजि समिती द्वारा अनुमोदित कुल टन भार 1.70 मिलियन टन है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मेरे प्रश्न के मुख्य मुद्दे का उत्तर नहीं दिया जा रहा है। निजी क्षेत्र को नौवहन कंपनियां भी नौवहन विकास निधि में से भारी मात्रा में धन प्राप्त करने के लिए सरकार को आवेदन कर रहे हैं। यह धन राशि उन्हें जहाज खरीदने के लिए दी जाती है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्योंकि अब कीमतें मंदी चल रही हैं और जहाज सस्ते खरीदे जा सकते हैं सरकारी क्षेत्र के अलावा, क्या निजी क्षेत्र से भी सरकार ऐसा कुछ कह रही है कि उन्हें नौवहन विधान विधि में से जितना चाहे धन नहीं दिया जा सकता, और यह कि उन्हें भी पुराने या जहाज खरीदने होंगे जो अब उपलब्ध हैं, और उसी के अनुसार नौवहन विधान तिथि से धन राशि दी जाएगी ? इसके बारे में मन्त्री महोदय कुछ नहीं बता रहे हैं।

**श्री वीरेन्द्र पाटिल** : मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि निजी क्षेत्र के लिए कुछ टन भार निश्चित है और इसी के अनुसार हमें प्रस्ताव मिल रहे हैं। ये प्रस्ताव पहले नौवहन विकास निधि समिति को प्राप्त होते हैं। कीमतों के औचित्य तथा अन्य बातों के संबंध में नौवहन विकास निधि समिति प्रत्येक मामले को सरकार को भेजने से पहले उसकी जांच करेगी। जब नौवहन विकास निधि समिति की सिफारिशें मंत्रालय में आती है तब मंत्रालय में भी उन पर वित्त मंत्रालय की सलाह से कार्रवाई की जाती है और तदनुसार आदेश जारी किये जाते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि निजी क्षेत्र की नौवहन कंपनियां नौवहन उद्योग में इस समय व्याप्त मंदी का अधिकतम लाभ उठा रही हैं।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : जिस समय ये दो भारी तेलवाही जहाज खरीदे गए थे क्या उस समय यह ज्ञान था कि ये जहाज हमारे किसी भी भारतीय पत्तन में प्रवेश नहीं कर सकेंगे और उन्हें बीच धार में ही बांधे रखना पड़ेगा और केवल भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यदि यह ज्ञात था तो इतनी भारी भारी रकम देकर इन्हें खरीदने का क्या औचित्य था ? 45 करोड़ रुपये की हानि हुई है।

**श्री वीरेन्द्र पाटिल** : जहां तक इन दो भारी तेलवाही जहाजों का सम्बन्ध है इनके क्रयादेश अप्रैल, १९७३ में दिये गए थे। उस समय मन्दी नहीं थी बल्कि तेजी थी। दुर्भाग्यवश, जब तक ये जहाज भारतीय नौवहन निगम को प्राप्त हुए तब तक नौवहन उद्योग में मन्दी आ गई थी।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि यदि ये जहाज इतने बड़े हैं कि पत्तनों में प्रवेश नहीं कर सकते तो इन्हें खरीदने का क्या औचित्य था। क्या इस बात को उस समय ध्यान में रखा गया था या नहीं ?

**श्री वीरेन्द्र पाटिल** : ये दो भारी तेलवाही जहाज पैट्रोलियम मन्त्रालय के परामर्श से खरीदे गए थे ? पैट्रोलियम मंत्रालय ने कहा था कि १९८१-८२ तक उनकी मांग १४ मिलियन टन की हो

जाएगी। उन्होंने इन जहाजों के खरीदने का क्रयादेश देने से पहले अपनी मांग बता दी थी। इसीलिए, अपने उत्तर में मैंने कहा है कि ये दो भारी तेलवाही जहाज केवल कोमाली और मथुरा तेल शोधक कारखानों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए खरीदे गए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि कोमाली तेल शोधक कारखाने के विस्तार और मथुरा तेलशोधक कारखाना चालू होने में रीफेंजिग की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसीलिए इन दोनों जहाजों को काम में नहीं लिया जा सका था।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान पत्तनों में इन जहाजों का उपयोग किया जा सकता है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं पहले ही अपने उत्तर में स्पष्ट कर चुका हूँ कि दो जहाज वाडीनार में खड़े होते हैं। वहां सिंगल ब्वाय मूरिंग की व्यवस्था है। वहां से वे सीधे माल उतारते हैं। इनमें कच्चा तेल लाया जाता है। अब वे मथुरा और कोमाली तेल शोधक कारखानों के लिए खाड़ी के देशों से वाड़िनार तक साफ तेल लाते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इन जहाजों की खरीद का अनुबंध करते समय यह विचार किया गया था कि वे भारतीय पत्तनों में प्रवेश कर सकते हैं या नहीं। मैं माननीय मन्त्री से 'हां' या 'नहीं' में उत्तर चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कहा है (हां)

श्री इन्द्रजीत गुप्त: कोमाली हमारे पत्तनों में से नहीं है। कोमाली लाइटनिंग ब्वाय है जो समुद्र में पत्तन के बाहर है। मैंने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि इन दो जहाजों के लिए क्रयादेश देने से पूर्व भारतीय नौवहन निगम से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव पर पैट्रोलियम मंत्रालय के परामर्श से कार्रवाई की गई थी। हमने यह जानना चाहा था कि पैट्रोलियम मन्त्रालय की अनुमानित आवश्यकता क्या थी। पैट्रोलियम मन्त्रालय द्वारा वर्ष 1978-79 के लिए जितनी आवश्यकता का अनुमान लगाया था वह 10 मिलियन टन अतिरिक्त थी। इसलिए, उन्होंने सिफारिश की थी कि कोमाली तथा मथुरा तेलशोधक कारखानों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये दो जहाज आवश्यक थे। सरकार ने पैट्रोलियम मन्त्रालय के परामर्श से ही निर्णय किया था और भारतीय नौवहन निगम को इनकी अधिप्राप्ति की अनुमति दी थी। जब ये दोनों कारखाने चालू हुए थे उस समय वे दुर्भाग्यवश तेल प्राप्त करने की स्थिति में नहीं थे हालांकि ये जहाज खाड़ी के देशों से हमारे देश में तेल लाने की स्थिति में थे। दुर्भाग्यवश, कोमाली तेलशोधक विस्तार और मथुरा तेलशोधक कारखानों के चालू होने में विलम्ब के कारण इन दोनों भारी तेलवाही जहाज को हमारे देश में इस्तेमाल नहीं किया जा सका।

## कैपिटेशन फीस

* 208. श्री हरिनाथ मिश्र : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों में कैपिटेशन फीस वसूल करने की प्रथा अभी भी प्रचलित है :

(ख) क्या प्रवेश के लिए 'कैपिटेशन फीस' वसूल करने की अवांछनीयता के बारे में सरकार द्वारा दी गई सलाह के बावजूद यह प्रथा अभी भी जारी है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी अनुचित प्रथा के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) :**
(क) जी, हां। कुछ तकनीकी संस्थाएं दाखिले के लिए प्रति व्यक्ति शुल्क ले रही हैं।

(ख) और (ग) : केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों से व्यावसायिक कालेजों में प्रति छात्र शुल्क लेने की पद्धति को समाप्त करने के लिए, अनुरोध किया था। सभी राज्य सरकारों ने इस सुझाव का स्वागत किया है। तथापि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और बिहार राज्य सरकारें, जहां बताया जाता है कि ऐसी संस्थाएं विद्यमान हैं, कुछ कानूनी और अन्य कठिनाइयों के कारण इस पद्धति को अभी समाप्त नहीं कर सकी हैं। सरकार का एक ऐसी सांविधिक प्रक्रिया को बनाये रखने के लिए जो अन्य बातों के साथ-साथ प्रति व्यक्ति शुल्क वसूल किए जाने की प्रथा को समाप्त कर सके, एक विधेक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

**श्री हरिनाथ मिश्र :** हम सभी इस बात से अवगत हैं कि हमारी प्रधान मन्त्री ने 29 अप्रैल, 1981 को देश के सभी मुख्यमन्त्रियों को पत्र लिखकर कुछ अन्य प्राइवेट मेडिकल कालेजों द्वारा कैपिटेशन फीस वसूल करने की प्रणाली की निन्दा की है। बाद के पिछले वर्ष जून में शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन करते समय भी उन्होंने देश में विचित्र शैक्षिक संस्थानों द्वारा केपिटेशन फीस वसूल करने की प्रणाली की निन्दा की थी। परन्तु दुर्भाग्यवश जैसाकि मंत्री महोदय द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है, कुछेक राज्य, विशेषरूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा बिहार, प्रधान मंत्री के अनुदेश का पालन करने के स्थान पर कुछ न कुछ बहाने बनाकर अनुदेश के उद्देश्य को ही समाप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। मन्त्री महोदया ने कृपापूर्वक हमें यह आश्वासन दिया है कि वह सभा में एक उपयुक्त विधेयक प्रस्तुत करेंगी। मुझे पता है कि ऐसा ही आश्वासन 1976 में तत्कालीन शिक्षा मन्त्री श्री नुरूल हसन द्वारा दिया गया था। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि विषय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए क्या इस प्रकार के विधेयक को यदि वर्तमान सत्र के दौरान नहीं, तो कम से कम संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पुरः स्थापित करने का उनका विचार है ?

**श्रीमती शीला कौल :** भारत सरकार तकनीकी संस्थानों द्वारा शिक्षा के उद्देश्य से कैपिटेशन फीस वसूल किये जाने की इस प्रणाली के पूर्णतया विरुद्ध है तथा सरकार के अनुसार प्रवेश नीति अपनाये जाते समय समाज के कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिये कानून द्वारा निर्धारित सूचित वर्गीकरण तथा केवल योग्यता के आधार पर ही प्रवेश मिलना चाहिये। सरकार कैपिटेशन फीस वसूल करने सम्बन्धी ऐसी नीति के विरुद्ध है।

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि कर्नाटक में 33 इंजीनियरी कालेज, बिहार में दस तथा आंध्र प्रदेश में 13...।

**एक माननीय सदस्य** : मेडिकल कालेजों की संख्या कितनी है ?

**श्रीमती शीला कौल** : जहां तक मेडिकल कालेजों का संबंध है, आध्र में एक मेडिकल कालेज है तथा कर्नाटक में सात कालेज हैं, जिनमें से चार मान्यता प्राप्त हैं तथा शेष तीन मान्यता प्राप्त कालेज नहीं है।

परन्तु मैं केवल इंजीनियरी कालेजों का ही उल्लेख कर रही हूं। जैसाकि मैं कह चुकी हूं, हम कैपिटेशन फीस वसूलने सम्बन्धी इस प्रणाली से अत्यन्त चिंतित हैं। माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि यदि इस सत्र में नहीं, तो क्या आगामी सत्र में हमारा एक विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है ? इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करने की हम हर संभव कोशिश करेंगे।

**श्री हरिनाथ मिश्र** : पिछले वर्ष तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री श्री लास्कर ने बताया था कि कुछ मेडिकल कालेजों में 50 हजार रु० से 2·25 लाख रु० तक की कैपिटेशन फीस वसूल की जाती है। कर्नाटक के मुख्य मन्त्री को लिखे पत्र में हमारे एक माननीय सदस्य श्री शमन्ना ने कहा है कि कर्नाटक में प्रवेश के लिये अनेक मेडिकल कालेजों में 1·6 लाख रु० से 3 लाख रु० तक तथा इंजीनियरी कालेजों में 10 हजार रु० से 50 हजार रु० तक की कैपिटेशन फीस वसूल की जाती है। कुछ स्पष्ट कारणों से मैं बिहार की घटनाओं के विषय में कुछ नहीं कह रहा हूं।

**श्री रामविलास पासवान** : क्यों नहीं बताइयेगा ?

**अध्यक्ष महोदय** : वह आपके लिये छोड़ रहे हैं।

**श्री हरिनाथ मिश्र** : इसके कारण स्पष्ट हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि कैपिटेशन फीस वसूल करने वाले कुछ संगठनों में संचालक मुख्यतः पैसा पैदा करने में लगे रहते हैं ..

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

**श्री हरिनाथ मिश्र** : ...समाज सेवा के नाम पर। क्या सरकार कैपिटेशन फीस वसूल करने वाले अन्य संस्थानों के लेखाओं की लेखा परीक्षा करवाने का विचार रखती है ताकि दोषी व्यक्तियों अथवा सम्बन्धित संस्थानों का पता लगाया जा सके तथा उनके दोषी पाये जाने पर उन्हें दण्ड दिया जा सके।

**श्रीमती शीला कौल** : माननीय सदस्य ने मेडिकल कालेजों के बारे में कुछ जानकारी मांगी है। मुझे खेद है कि मुझे मेडिकल कालेजों के बारे में स्थिति की जानकारी नहीं है। परन्तु मैं इंजीनियरी कालेजों के विषय में अवश्य आपको जानकारी दे सकती हूं। कर्नाटक में 33 इंजीनियरी कालेज हैं तथा हमारी जानकारी के अनुसार वे कर्नाटक के प्रत्येक विद्यार्थी से 6000 रु० तथा कर्नाटक से बाहर के विद्यार्थी से 12 हजार रु० वसूल करते हैं। कर्नाटक के बारे में इस प्रकार के आरोप हैं......।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : यह राशि तो आपने सफेद धन के बारे में बताई है। आप काले धन की राशि के बारे में भी बताने का कष्ट करें।

**श्रीमती शीला कौल** : मुझे उसकी जानकारी नहीं है।

अब जहां तक लेखाओं की लेखा-परीक्षा कराने का संबंध है, जैसाकि मैं कह चुकी हूं, ये

कालेज निजी व्यक्तियों के स्वामित्वाधीन हैं तथा वे कहते हैं यह राशि भवन निर्माण पेशगी, ट्यूशन फीस आदि के लिये ली जाती है तथा मुझे विश्वास है कि मान्यता प्राप्त कालेजों द्वारा जो कैपिटेशन फीस ली जाती है, वे उन कालेजों के नियमों के अनुसार ली जाती है तथा उनकी लेखापरीक्षा भी की जाती है ।

**श्री के० लकप्पा** : मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ तथा आशा करता हूँ कि माननीय अध्यक्ष महोदय भी कर्नाटक के बारे में कहे गये टिप्पणों से सहमत नहीं होंगे ।

कर्नाटक एक आदर्श राज्य है...(**व्यवधान**) जहां तक शिक्षा प्रणाली का सम्बन्ध है, वह ज्ञान का गढ़ है । वह एक आदर्श राज्य है ।

कैपिटेशन फीस तथा मेडिकल एवं इंजीनियरी कालेजों के गैर योजनाबद्ध विकास सम्बन्ध में......।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपना प्रश्न पूछिये ।

**श्री के० लकप्पा** : चूंकि हम शिक्षा के लिये आधारभूत ढांचे तथा समस्त सुविधाओं की व्यवस्था कर चुके हैं, मैं जानना चाहता हूं...मैं इस बात से सहमत हूँ कि छोटी से छोटी राशि कैपिटेशन फीस वसूल करने को समाप्त किया जाना चाहिये । कैपिटेशन फीस पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी विधान पर निर्णय लेने से पूर्व क्या मन्त्रालय संस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाने वाली विकास निधि तथा अन्य सुविधाओं पर विचार करेगा ताकि इन्हें सुचारू रूप से चलाया जा सके तथा सभी विद्यार्थियों को बिना किसी भेदभाव के प्रवेश दिया जा सके ।

**श्रीमती शीला कौल** : महोदय, विकास निधि तथा इस प्रकार की अन्य सुविधाएं विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से दी जाती हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यदि निरीक्षण के बाद इनकी उपयोगिता को महसूस करता है, तो वह इन संस्थानों को निधियों का आवंटन करता है ।

**श्री राम विलास पासवान** : मन्त्री महोदय ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया था...मेरा कहना यह है कि जब आप बिल्ली को दही का रखवाला बना देंगे तो वह दही को खा जायेगी, दही की रखवाली कौन करेगा ? बिहार का आपने बताया है, मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में 4 इस तरह के इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं—एक जगन्नाथ मिश्रा इंस्टीट्यूशन आफ टैक्नोलाजी है, एक जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट है, एक संजय गांधी पोलिटेक्नीक मधुबनी है,...(**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : आप नाम क्यों लेते हैं ?

**श्री राम विलास पासवान** : एक वजय गांधी पोलीटैक्नीक धारवाड़ है । क्या यह सही नहीं है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट चल रहे हैं और कैपीटेशन फीस ली जा रही है ? जब मुख्यमन्त्री कैपीटेशन फीस ले कर स्कूल चलायें, गुंडुराव इस तरह चलायेंगे तो सरकार क्या कर रही है, केन्द्रीय सरकार इस पर क्या एक्शन ले रही है । जो व्यक्ति चाहे मुख्यमन्त्री ही हो, देश को लूट रहा है,

खिलवाड़ कर रहा है, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ? इसके लिये कब तक एक बिल मन्त्री महोदय सदन में ला रहे हैं ।

**श्रीमती शीला कौल** : महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा है कि यह अनुरोध प्रधानमन्त्री द्वारा किया गया था (व्यवधान) ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप सीधे जवाब दे दीजिए, कब बिल ला रही हैं ।

**श्री राम विलास पासवान** : मैंने जो एलीगेशन लगाया है, वह सही है या गलत है, कब तक आप कार्यवाही करने जा रही हैं ?

**श्रीमती शीला कौल** : महोदय, बिहार सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है तथा उसके द्वारा दस कालेज बन्द कर दिये गये हैं ।

**श्री राम विलास पासवान** : यह सरासर गलत है । महोदया, मैं आपको इस बात की चुनौती देता हूं ।

**श्रीमती शीला कौल** : अगर माननीय सदस्य थोड़ा पेंशेंस रखें, मेरा फिकरा पूरा हो जाये तो ठीक है ।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : उसको सुनने में कोई इन्टरेस्टेड नहीं है ।

**श्रीमती शीला कौल** : आप सही फरमा रहे हैं ।

जो इंजनियरिंग कालेज खुले थे, उनमें सरकार ने 3 प्राईवेट इंजीनियरिंग कालेज को बन्द कर दिया है । जो 7 इंस्टीटूयट हैं, उनके बारे में पटना हाई कोर्ट में इन लोगों ने कन्टैस्ट किया है । वहां के लोग इन्टरेस्टेड हैं कि ऐसे ही चले । (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : हाई-कोर्ट से स्टे ले आये हैं ।

**श्रीमती शीला कौल** : वह कहते यह हैं कि हम तो पहले से ही थे, आप अब आर्डिनेन्स लाये हैं इसलिये हमारे ऊपर यह चालू नहीं होता है । इसलिये हाई-कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया है ।

**श्री टी० आर० शमन्ना** : महोदय, श्री लकप्पा ने कहा है कि कर्नाटक एक आदर्श राज्य है । वे श्री गुन्डु राव के अच्छे मित्र हैं । महोदय, मैं इसके लिये कुछ भी देने को तैयार हूं । (व्यवधान)

**श्री के० लकप्पा** : भारत सरकार की इस प्रकार की कोई निधि नहीं है ।

**श्री टी० आर० शमन्ना** : महोदय, मैं 20 हजार रु० की दर से इंजीनियरी कालेज के लिये 100 सीटें खरीदने को तैयार हूं । क्या वे मुझे प्रवेश दिलाने को तैयार हैं ?

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप यह कहना चाहते हैं कि उन्हें खुले रूप से बोली देनी चाहिये ?

**श्री टी० आर० शमन्ना** : मैं आप से स्पष्ट बताना चाहता हूं कि मैंने मैडिकल कालेज के लिये डेढ़ लाख रु० तथा इंजीनियरी कालेज के लिये 15 हजार रु० दिये हैं । यदि एक संसद सदस्य को इतना अधिक धन देना पड़ता है तो निर्धन विद्यार्थियों की क्या स्थिति होगी । (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : अब प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय विधेयक का पेश किया जाना

*204. श्री जैनुल बशर : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय विधेयक को संसद में कब तक पुर:स्थापित करने का है; और

(ख) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों को दी जाने वाली सुविधाएं भी अन्य बातों के साथ-साथ उक्त प्रस्तावित विधेयक के अन्तर्गत आएंगी ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यकरण की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की है। सरकार का यह विचार है कि विद्यमान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम में कोई व्यापक संशोधन किए जाने से पहले इस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जानी चाहिए।

(ख) समिति का निर्णय प्राप्त हो जाने पर ही इन कालेजों के भविष्य पर विचार किया जा सकता है।

### कलकत्ता में भूमिगत और सर्क्युलर रेलवे की सुविधा

*209. श्री नीरेन घोष : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता में भूमिगत और सर्क्युलर रेल सुविधाओं की संभावना की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) क्या विश्व के कुछ देशों में इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) जी हां।

### विवरण

योजना आयोग के महानगर परिवहन दल ने 1969 में दमदम से प्रिंसेप घाट तक एक उपनगरीय विसर्जन लाइन बनाने की सिफारिश की थी। इसे कभी-कभी सर्क्युलर रेलवे की संज्ञा दी जाती है। इस उपनगरीय विसर्जन लाइन से यह लाभ होने की आशा थी कि कलकत्ता के उत्तरी उपदगरों के दैनिक यात्री एक ट्रांसपोर्ट से दूसरी ट्रांसपोर्ट में गये बिना केन्द्रीय व्यापारिक जिले में पहुंच सकते हैं।

महानगर परिवहन परियोजना (रेलें) संगठन, कलकत्ता के सोवियत परामर्शदाताओं सहित विशेषज्ञों द्वारा अनेक बार प्रस्तावित उपनगरीय विसर्जन लाइन की जांच की गयी। सोवियत परा-

मर्शदाता इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि ऐसा करना न तो व्यवहारिक है और न ही वांछनीय। उन्होंने महसूस किया कि इस लाइन से अन्त:नगरीय दैनिक यात्रियों को, यातायात की दृष्टि से जिनकी संख्या काफी अधिक है, लाभ नहीं होगा। इसके बजाय, केन्द्रीय व्यापारिक जिले में इससे कठिनाइयां ही बढ़ेंगी।

### त्रिवेन्द्रम-एर्णाकुलम लाइन का विद्युतीकरण

*210. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या त्रिवेन्द्रम-एर्णाकुलम लाइन का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

(ग) क्या यह सच है कि त्रिवेन्द्रम-एर्णाकुलम लाइन पर यातायात सबसे घना है और केरल सरकार ने सस्ती दर पर विद्युतीकरण करने की पेशकश की है ; और

(घ) यदि हां, तो अब तक विद्युतीकरण शुरू न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

### रेल कर्मचारियों के लिये संवर्ग नीति को पुनः बनाया जाना

* 211. श्री रामावतार शास्त्री
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1982 में रेल प्रशासन ने यह घोषणा की थी कि रेल कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के लिए संवर्ग नीति फिर से बनायी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न श्रेणियों में संवर्गों के पुन: बनाये जाने से सम्बन्धित नीति का ब्यौरा क्या है ; और

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

### ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि-दर

* 212. श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म-दर बहुत अधिक है;

(ख) देश में गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े क्या हैं; और

(ग) छोटे परिवार का सिद्धान्त स्वीकार करने हेतु ग्रामीण जनता को प्रेरित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) शहरी क्षेत्रों की शतुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजनन-दर अधिक है।

(ख) जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े एक जनगणना के बीच के समय की जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़ों के आधार पर संकलित किये जाते हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं।

(ग) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

**विवरण**

इस सम्बन्ध में नीति की मुख्य- मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(क) "छोटे परिवार के सिद्धान्त की पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर अपनाने की बात को बढ़ावा देना जारी रखा जाएगा।

(ख) बहु-प्रचार साधनों और वैयक्तिक सम्पर्क के प्रभावशाली तरीके द्वारा छोटे परिवार की धारणा के सम्बन्ध में जागरूकता और जानकारी देने के लिए गहन प्रयास किए जाएंगे।

(ग) प्रत्येक दम्पत्ति को उसके मन-भाता तरीको चुनने की छूट दी जाएगी।

(घ) परिवार कल्याण की सेवाएं और सामग्री लोगों को घरों के यथासंभव निकट प्रदान की जाएगी।

(ङ) यह कार्यक्रम स्वास्थ्य परिचय और सामाजिक- आर्थिक विकास प्रयत्नों का एक अभिन्न अंग बना रहेगा।

(च) महिला साक्षरता की सुविधाओं और इसको तेजी से बढ़ाने के प्रयासों को तेज किया जाएगा और उसका विस्तार किया जाएगा।

(छ) स्कूलों तथा कालिजों में तथा बाहर युवाओं को जनसंख्या सम्बन्धी शिक्षा की जानकारी दी जाएगी। यह जनसंख्या शिक्षा सरकारी विभागों/एजेंजियों तथा संगठित क्षेत्रों द्वारा आयोजित सभी कार्यकर्ता शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम में आरम्भ की जाएगी।

(ज) सभी स्तरों पर लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों, निम्नतम स्तर पर ग्रामीण संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों आदि को इस कार्यक्रम के साथ घनिष्ठ रूप से जोड़ा जाएगा और उन्हें पूरा-पूरा प्रोत्साहन और सहयोग दिया जाएगा।

(झ) लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु सम्बन्धी कानून जो प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाएगा।

(ञ) चूंकि कुछ राज्य संघ शासित क्षेत्र दूसरे राज्यों से आगे निकल गए हैं तथा राज्यों के बीच भिन्नताएं हैं, इसलिए राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि जैसे राज्यों पर विशेष ध्यान देने के लिये एक विशेष क्षेत्र के लिए विशेष उपाय का रास्ता अपनाया जायेगा।

## क्षेत्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान केन्द्र

*213. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने कुछ और क्षेत्रीय स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रों की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो निकट भविष्य में ऐसे कितने क्षेत्रीय स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) ये स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र किन स्थानों पर खोलने का विचार है;

(घ) क्या ऐसा कोई अनुसन्धान केन्द्र भुवनेश्वर में खोलने का विचार है; और

(ङ) इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री : (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद् ने क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र खोलने का निर्णय किया है ।

(ख) सात

(ग) (1) भुवनेश्वर

(2) पटना

(3) पोर्ट ब्लेयर और

निम्नलिखित क्षेत्रों में उपयुक्त स्थानों पर

(4) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र,

(5) मध्य प्रदेश,

(6) कर्नाटक,

(7) जम्मू व कश्मीर

(घ) जी, हां ।

(ङ) केन्द्र की स्थापना के लिये जमीन ले ली गई है और भवन निर्माण सम्बन्धी कार्रवाई की जा रही है । केन्द्र के प्रभारी-अधिकारी के रूप में काम करने के लिए एक विशेषज्ञ का चयन भी कर लिया गया है ।

## खुला विद्यालय प्रणाली लागू करना

* 214. श्री उत्तम राठौर : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में खुला विद्यालय प्रणाली लागू करने का है;

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) किन तरीकों से तथा किन क्षेत्रों में यह प्रणाली लागू की जाएगी ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :** (क) से (ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा स्थापित खुला विद्यालय ने 1981-82 में शिक्षार्थियों को दाखिल करना शुरू कर दिया था। खुला विद्यालय दिल्ली में स्थित है; किन्तु देश के किसी भाग से अथवा विदेश के पात्र व्यक्तियों को शिक्षार्थियों के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 14 वर्ष से अधिक आयु का हो और जो पढ़ और लिख सकता हो, दाखिले के लिए पात्र है।

2. खुला विद्यालय दूरवर्ती अध्ययन तकनीक अपना कर औपचारिक स्कूल शिक्षा में गैर-औपचारिक पद्धति शुरू करता है। विद्यालय स्वतः पूर्ण और स्वः अनुदेशात्मक पाठों के रूप में विविध अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराता है। विद्यालय का देश के ऐसे विभिन्न भागों में संसाधन एवं अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है जहां शिक्षार्थी अधिक संख्या में हों और अंशकालिक आधार पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन में उनकी सहायता की जा सके। इन केन्द्रों में कैसेटों, विशेष चार्टों, मानचित्रों इत्यादि जैसे श्रव्य-दृष्य साधन भी उपलब्ध होंगे। शिक्षार्थी इन केन्द्रों से शिक्षण सामग्री उधार पर ले सकेंगे। बाद में खुला विद्यालय का रेडियो, दूरदर्शन माध्यमों का भी उपयोग करने का प्रस्ताव है।

3. किसी पत्राचार पाठ्क्रम की तरह इस पद्धति में भी शिक्षार्थी अपने-अपने स्थानों पर और अपने समय में अध्ययन कर सकता है। लेकिन खुला विद्यालय-इस अर्थ में पत्राचार पाठ्यक्रम से भिन्न है कि शिक्षार्थी को विषयों की दी गई सूची में से विषयों को चुनने की स्वतन्त्रता है; विषयों के मेल का सख्ती से निर्धारण नहीं किया जाता। इसके अलावा शिक्षार्थी के पास हर विषय के अंकों को इकट्ठा करने का विकल्प है, शिक्षार्थी के लिए विषयों के किसी भी समूह को एक ही समय में उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं है। पांच वर्ष की अवधि के अन्दर पांच विषयों में अंकों का संचयन शिक्षार्थी को केन्द्रीय बोर्ड का माध्यमिक स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र पाने का हकदार बनाएगा।

### बम्बई में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास

***215 श्री चन्द्रपाल शैलानी :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने बम्बई में अपना वाणिज्य दूतावास स्थापित करने का निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो वह कब तक कार्य करने लगेगा ?

**विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) :** (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान सरकार बम्बई में अपना कोंसलावास शीघ्र स्थापित करने के बारे में आवश्यक कदम उठा रही है।

भारतीय पोत मालिकों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श

*216. श्री ग्रार० एन० राकेश : क्या नौवहन ग्रौर परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में नौवहन और परिवहन मंत्रालय और भारतीय पोत मालिकों के प्रतिनिधियों के बीच हुए विचार विमर्श का क्या परिणाम निकला है ;

(ख) विचार विमर्श के दौरान प्रतिनिधि मण्डल ने कौन से प्रस्ताव रखे थे जिन्हें सरकार ने कार्यान्वित करने के लिए स्वीकार कर लिया है और वे प्रस्ताव कौन से थे जिन्हें सरकार ने अस्वीकार कर दिया है ; और

(ग) उन प्रस्तावों को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

नौवहन ग्रौर परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) इंडियन नेशनल शिप ओनर्स एसोशियेशन के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर सरकार विचार कर रही है।

(ग) प्रश्न नहीं होता ।

कोयले की ढुलाई

*217. श्री नरसिंह मकवाना : क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान रेलवे द्वारा कोयले के कितने वैगनों की ढुलाई की गई और गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उनकी संख्या कम है या अधिक ;

(ख) नियमित खपत के स्थानों तक कोयला पहुंचाने के लिए क्या प्रबन्ध किया गया है ; और

(ग) वर्तमान प्रबन्ध में सुधार की आवश्यकता को देखते हुए ऐसा प्रबन्ध कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय ग्रौर कार्य विभाग उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1981 और 1982 के पहले 6 महीनों के दौरान कोयले से लदे चौपहिए माल डिब्बों की दैनिक औसत संख्या और प्रतिशत वृद्धि नीचे दी गयी है :

| महीना | 1982 | 1981 | 1981 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि |
|---|---|---|---|
| जनवरी | 10,969 | 9,643 | + 13.7 |
| फरवरी | 11,256 | 10,063 | + 11.9 |
| मार्च | 11,080 | 10,265 | + 7.9 |
| अप्रैल | 10,863 | 9,951 | + 9.2 |
| मई | 10,460 | 9,115 | + 14.8 |
| जून | 10,619 | 9,384 | + 13.2 |
| छः महीने के लिए | 10,874 | 9,737 | + 11.7 |

इस प्रकार, 1982 के पहले 6 महीनों के दौरान कोयले के माल डिब्बों के लदान में 1981 के पहले 6 महीनों की दनुरूपी अवधि की तुलना में 11 प्रतिशत का सुधार हुआ है। यह लदान का सर्वोच्च रिकार्ड है।

(ख) और (ग) इस्पात संयंत्र, बिजली घर, सीमेंट संयंत्र, रेल, कपड़ा मिल जैसे विभिन्न उपभोक्ताओं और अन्य उपभोक्ताओं की कोयला खान साइडिंगों, कोक भट्टी संयंत्रों आदि से उपभोक्ता की मासिक आवश्यकताओं के आधार पर पूरे रेकों या फुटकर में कोयला/कोक का लदान करने की अनुमति दी जाती है। कोयला क्षेत्र द्वारा ढोये जाने वाले सभी कोयले की रेलें ढुलाई कर रही हैं। लदाई और उतराई की व्यवस्थाओं और लाइन क्षमता की अग्रिम योजना बना दी जाती है और इसमें वृद्धि की जाती है, जब कभी ऐसे यातायात का पूर्वानुमान लग जाता है। जिन्हें ढुलाई करना विशिष्ट मार्गों की क्षमता से बाहर है।

## सुदामडीह में दुर्घटना

*218. श्री ए० के० राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान सुदामडीह (धनबाद) में हुई दुर्घटना की ओर आकर्षित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की रेलवे साइडिंग के साथ नाले का निर्माण करते हुए 15-6-1982 को ठेकेदार के सात मजदूरों की मृत्यु हो गयी थी, और

(ख) यदि हाँ, तो इसके विस्तृत तथ्य क्या हैं और उस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मकिलार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) दक्षिण पूर्व रेलवे सुदामडीह में बी० सी० सी० एल० के लिए निक्षेप कार्य के रूप में मिट्टी बिछाने, दीवार बनाने तथा साइड में नालियां बनाने का कार्य कर रही है। जब ठेकेदार मैसर्स अलाइड कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा कार्य निष्पादित किये जाने के दौरान, जिधर से मिट्टी काटी जा रही थी, उस ओर 15-6-82 को लगभग 18.30 बजे लगभग 25 फुट की लम्बाई में मिट्टी खिसक गयी और ठेकेदार के 17 मजदूर उसमें दब गये। सात मजदूरों की मृत्यु हो गयी, चार गम्भीर रूप से घायल हुए तथा 6 अन्य मजदूरों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी। रेलवे ने प्रत्येक मृतक के निकट सम्बन्धी को 1000-1000 रुपये तथा गम्भीर रूप से घायल 4 मजदूरों को 750-750 रु० का भुगतान किया है। इसके अलावा 7 मृतकों के निकट सम्बन्धियों को मुआवजे के रूप में भुगतान करने के लिए आयुक्त कर्मकार क्षतिपूर्ति, धनबाद के पास 29-6-82 को 1,27,400 रुपये की राशि भी जमा करा दी गयी है। इसके अलवा, सिविल प्राधिकारियों ने भी मृतकों के निकट सम्बन्धियों को अनुग्रह राशि के रूप में 1000-1000 रुपये का भुगतान किया है।

रेल प्रशासन ने तीन कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तथ्यनिर्धारण जाँच करने का आदेश दिया है। जांच समिति, अपनी 25-6-82 को रिपोर्ट में इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि कोयले की परत में छुपे दोष के कारण मिट्टी अचानक खिसक गयी और इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सका।

### देव-सोमनाथ मन्दिर पर अनुसंधान

*219. श्री भीखाभाई : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान ने डूंगरपुर जिले में स्थित देव-सोमनाथ मन्दिर के बारे में निर्माण संबंधी/पुरातत्व संबंधी अथवा किसी अन्य प्रकार का कोई अध्ययन किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस मन्दिर के निर्माण में सीमेंट या चूने का प्रयोग नहीं किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो आज तक यह ढांचा कैसे स्थिर है ;

(घ) क्या सरकार किसी धर्मार्थ संस्था को इस मन्दिर का पुनरुद्धार करने की अनुमति देगी ; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी क्या प्रक्रिया है ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) जी हां । प्रश्नगत मंदिर का निर्माण शुष्क चिनाई के द्वारा हुआ है, इसके बंधनों को स्थिर करने के लिए किसी अन्य प्रकार का मसाला प्रयुक्त नहीं हुआ है । पत्थर के बड़े-बड़े प्रस्तर खंडों को समान और अनुप्रस्थ रूप से एक दूसरे के ऊपर बैठाकर लोहे के सिकंजों और मेखों की सहायता से उनके भार और संतुलन की दृष्टि से यथास्थिति में रखा गया है । संपूर्ण भारत में लगभग 13वीं शताब्दी ई० तक के पत्थर के मंदिरों में यह एक सामान्य रचनात्मक विशेषता थी ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

### ताज महल पर रेल इंजन के धूयें का प्रभाव

*220. श्री सज्जन कुमार
श्री दयाराम शाक्य } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल के इंजनों के धूएं के कारण ताज महल का रंग फीका पड़ता जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कोयला इन्जनों के स्थान पर डीजल इन्जन चलाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि आगरा होकर जाने वाली रेलगाड़ियों का कोई हानिकारक प्रभाव ताज महल पर न पड़े ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आगरा क्षेत्र में बड़े आमान के भाप इंजनों के बदले डब्ल्यू डी एस 4 और डब्ल्यू डी एस 6 डीजल शंटिंग इंजनों का उपयोग किया जा रहा है। मीटर आमान पर, अपेक्षित 5 भाप इंजनों को कोल फार्यारिंग से आयल फार्यारिंग में बदल दिया गया है और उन्हें उपयोग में लाया जा रहा है।

### रूपसा-बांगरीपोसी रेल लाइन का बड़ी लाइन में बदल जाना

*221. श्री चिन्तामणि जैना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेल में रूपसा-बांगरीपोसी-सकरी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और उक्त रेल को लाइन बदलने के बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) सर्वेक्षण रिपोर्ट दिसम्बर, 1981 में प्राप्त हुई थी और उसकी जांच कर ली गयी है। चूंकि यह परियोजना वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम नहीं रहेगी, इसलिए इसे आरम्भ किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

### दुर्घटना की संभावना वाले राष्ट्रीय राज मार्गों के भाग

* 222. श्री सूरज भान
श्री अटल बिहारी वाजपेयी } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के उन 20 भागों का ब्यौरा क्या है जो दुर्घटना की अधिकतम संभावना वाले हैं और इन भागों पर क्या सुरक्षात्मक कदम उठाये गए हैं ;

(ख) जी० टी० रोड के दिल्ली अम्बाला सेक्शन पर कौन से विशिष्ट सुरक्षात्मक कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) जी० टी० रोड के दिल्ली अम्बाला सैक्शन पर एक महीने से औसतन कितनी दुर्घटनायें होती हैं और जान और माल की कितनी क्षति होती है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) से (ग) जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार केवल उन्हीं के विकास और रख-रखाव के लिए ही उत्तरदायी है। सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित समस्त कार्य राज्यों के पुलिस विभागों के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि सरकार निरन्तर राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार कार्य (जैसे— सड़क के मोड़ों को सुधारना, सड़क को चौड़ा करना, फर्श को मजबूत बनाना, बाईपास की व्यवस्था करना, चौराहों का सुधार करना और ट्रकों के पार्किंग और आराम गृहों की व्यवस्था जिसमें सुरक्षा कार्य भी शामिल हैं)। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के रूप में लगातार करती रहती है तो भी सड़क दुर्घटनाओं के कई अन्य कारण भी होते

हैं जैसे ड्राइवर का व्यवहार, गाड़ी की दशा, वातावरण आदि ये कारण समय-समय पर बदलते रहते हैं। जिन खंडों में अक्सर दुर्घटनाएं हो सकती हैं उनकी स्थिति अलग अलग निश्चित करना संभव नहीं है।

दिल्ली से अम्बाला के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (212 किलोमीटर) में पहले ही से दो लेनों की व्यवस्था है और यह खंड यातायात के लिए अच्छी दशा में है। उपलब्ध साधनों से इस खंड को चार लेनों में चौड़ा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में उस मार्ग में 15.5 किलोमीटर के खंड में पहले ही से 4 लेने बनी हुई हैं और 14 किलोमीटर लम्बे एक और खंड में अक्टूबर 1982 तक चार लेनों के बनकर तैयार हो जाने की संभावना है इससे दिल्ली में पड़ने वाला भाग पूरा हो जाएगा। हरियाणा में, 21 किलोमीटर लम्बे खंड को 4 लेनों में बनाने का काम चल रहा है और इसके जून, 1983 तक पूरा हो जाने की संभावना है। शेष भागों में 4 लेनों के बनाने का काम साधनों के उपलब्ध होने और विभिन्न अन्य कार्यों की प्राथमिकता पर निर्भर करता है जिसमें कुछ समय लगेगा।

### संस्कृत भाषा का प्रचार

* 223. डा० वसंत कुमार पंडित : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा संस्कृत के प्रचार तथा विकास के बारे में 1980-1981 तथा 1982 में (जून के अंत तक) किए गए कार्य की नई विशेष उपलब्धियां क्या थीं; और

(ख) उपरोक्त अवधि में संस्कृत की कितनी नई पुस्तकें प्रकाशित की गईं, कितनी नई आदर्श संस्कृत पाठशालाएं स्थापित की गईं, कितनी अखिल भारतीय संस्कृत शिक्षा प्रतियोगिताएं तथा वैदिक सम्मेलन आयोजित किए गए ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुगन) : (क) और (ख) स्नातकोत्तर और अनुसन्धान स्तर पर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, तथा इसके छः संघटक केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ लगातार प्रगति करते रहे और संदर्भाधीन तीन वर्षों के दौरान संस्थान की विभिन्न परीक्षाओं के लिए 2150,1873,2534 छात्र दाखिल किये तथा विद्यावारिधि के लिए पंजीकृत किये गये 221 छात्रों में से 37 छात्रों ने अपने शोध निबन्ध प्रस्तुत किए हैं और इस अवधि के दौरान 37 डिग्रियां प्रदान की गईं। इलाहाबाद स्थित केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ ने प्राइवेट स्रोतों से 1980 के दौरान 1900 प्राचीन पाण्डुलिपियां तथा 1981 के दौरान 4160 तथा 1982 के दौरान 8,000 पाण्डुलिपियां प्राप्त की। 1 अप्रैल, 1982 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से जून, 1982 तक के दौरान 3,640 और पाण्डुलिपियां प्राप्त की गई हैं।

इस अवधि के दौरान संस्थान और विद्यापीठों ने मिलकर चालीस प्रकाशन प्रकाशित किये।

विख्यात वयोवृद्ध अध्येताओं की सहायता से शास्त्रों के गहन अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए 1981 में शास्त्र चूडामणि नामक एक नई योजना शुरू की गई थी। यह योजना पहली बार, सारे देश के विभिन्न परम्परागत संस्थाओं से सम्बद्ध 102 अध्येताओं को नियुक्त करके

मंत्रालय में शुरू की गई थी। इसमें विभिन्न शास्त्रों के उच्च पाठों में युवा अध्यापकों और स्नातकोत्तर छात्रों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था है। इसी प्रकार की योजना संस्थान के विद्यापीठों में शुरू की गई है, जहां प्रत्येक विद्यापीठ में तीन से पांच अध्येताओं की व्यवस्था की जाती है।

मंत्रालय की स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को वित्तीय सहायता देने की योजना के अन्तर्गत सामान्य संस्कृत अध्ययन को लोकप्रिय बनाने तथा विकसित करने के क्षेत्र भारत सरकार ने तीन अखिल भारतीय संस्कृत वक्तृता प्रतियोगिताएं तथा इस अवधि के दौरान गोकरना (कर्नाटक) गुरुवयूर (केरल) तथा जयपुर (राजस्थान) में तीन अखिल भारतीय वैदिक अभिसम्मेलन प्रायोजित और आयोजित किये। इसके अलावा, सरकार ने ऐसी वक्तृता प्रतियोगिताएं तथा वैदिक सेमिनार आयोजित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता भी प्रदान की। इनमें से बहुत महत्वपूर्ण है, नई दिल्ली में नवम्बर, 1981 में संस्कृत संस्कृति और श्रेण्य कला संकाराअकादमी द्वारा आयोजित वैदिक छात्र अभिसम्मेलन।

वैदिक अध्ययन की मौखिक परम्परा के लिए विशेष प्रोत्साहन देने की योजना के अन्तर्गत संदर्भाधीन अवधि के दौरान विद्यमान चार इकाइयां जोड़ी गईं, एक आन्ध्र प्रदेश में और दूसरी तमिलनाडु में।

### रेल रिजर्वेशन रेकेट इन फुल स्विंग' शीर्षक समाचार

2209. **श्री सतन कुमार मंडल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 6 मई, 1982 के 'नेशनल हेराल्ड', नई दिल्ली में 'रेल रिजर्वेशन रेकेट इन फुल स्विंग' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) दिल्ली/नई दिल्ली/हजरत निजामुद्दीन स्टेशनों से चलने वाली विभिन्न एक्सप्रेस और सुपर फास्ट एक्सप्रेस गाड़ियों में उत्तर रेलवे मुख्यालय बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली को आवंटित सीटों शायिकाओं की संख्या कितनी है और इस कोटे को देने का कार्य किस प्राधिकारी को सौंपा गया है ;

(घ) क्या उन्हें बड़ौदा हाउस में चल रहे घोटाले की जानकारी है जहां कोटा देने वाले अधिकारी की मिलीभगत से ट्रेवल एजेंसियों, बड़े व्यापार ग्रहों के प्रतिनिधि तथा अन्य दलाल किन्हीं झूठे अथवा मन घड़न्त कारणों के आधार पर सीटों को हथिया लेते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो राजधानी में समूचे आरक्षण ढांचे में सुधार लाने के लिए उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) जी हां, अनधिकृत परिचालकों तथा समाज विरोधी तत्वों द्वारा गाड़ियों में स्थान हथियाने और बाद में उसे जरूरतमन्द यात्रियों को लाभ पर बेचने के कुछ मामलों की रिपोर्ट मिली है। इस कदाचार को समाप्त करने के लिए बहुत से उपाय किये गये हैं जिनमें अनधिकृत यात्रा एजेंटों के परिसरों में छापे मारना, जाली आरक्षणों में संलग्न दलालों तथा असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करना, आरक्षण मांगों की सदाशयता का पता लगाने के लिए घर-घर जाकर जांच करना और जवाबी पत्र

डालना और वास्तव में यात्रा करने वाले यात्री मांग पर्चियों में दिये गये ब्यौरे की पूर्वता के अनुसार यात्रा कर रहे, इस बात की छानबीन करने के लिए गाड़ियों पर जांच करना शामिल है। मई, 1982 में भारतीय रेल (संशोधन) अधिनियम 1982 बनाकर एक प्रमुख कदम उठाया गया है जिसमें अनधिकृत रूप से रेल टिकटें/आरक्षण प्राप्त करने और उन्हें आगे देने के धंधे में लगे किसी भी व्यक्ति और इस अपराध को उकसाने या उकसाने का प्रयास करने वाले किसी व्यक्ति को 3 वर्ष तक की कैद और एक हजार रुपये तक जुर्माना करने की कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। बहरहाल, उच्चतम न्यायालय द्वारा फिलहाल इस संशोधन का प्रचलन रोक दिया गया है।

(ग) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों, पत्रकारों आदि जैसे उच्च अधिकारियों के अत्यावश्यक मांग पत्रों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में सीमित संख्या में शायिकाओं/सीटों की व्यवस्था करना, उच्च अधिकारी कोटा माना (निर्धारित किया) गया है। आपात स्थिति के मामले में सहायता खोजने वाले सदाशयी यात्रियों को भी इस कोटे के अन्तर्गत स्थान दिया जाता है। दिल्ली/नयी दिल्ली/निजामुद्दीन से अनेक दिशाओं के विभिन्न स्टेशनों की समग्र 65 गाड़ियों में उच्च अधिकारी कोटा के रूप में कुल मिला कर लगभग पहला दर्जा वातानुकूलित की 58, पहले दर्जे की 291, वातानुकूलित 2 टियर की 248, दूसरे दर्जे शयनयान को 672 और कुर्सीयान की 225 सीटों की अलग से व्यवस्था की गयी है। अतिरिक्त मुख्य वाणिज्य अधीक्षक (सामान्य) उत्तर रेलवे द्वारा यह कोटा नियन्त्रित किया जाता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

## लीबिया में सड़कें बनाने का ठेका

2210. **श्री निहाल सिंह :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लीबिया में अजेदाबिया सेतुबुक सड़क और फेरियात डेरी सड़क के निर्माण के लिए भारतीय सड़क निर्माण निगम को मिले ठेके का कार्यान्वयन करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति किस ढंग से की जाएगी ; और

(ख) उक्त कम्पनी द्वारा निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायगा और इस कार्य को पूरा करने की अवधि क्या है ?

**नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) :** (क) इंडियन रोड कंसट्रक्शन कारपोरेशन को अपनी परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिये आवश्यक कर्मचारियों को मुख्यत: सीमा सड़क संगठन, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग व अन्य केन्द्रीय विभागों से प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया करता है जिसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भी शामिल हैं। यही विधि लीबिया में अजेदाबिया-टोब्रुक रोड और घेरियट दर्जे रोड परियोजना के मामले में भी अपनायी गई है।

(ख) स्थिति निम्नलिखित है :—

| परियोजना | शुरू होने की तिथि | पूरा होने का निर्धारित लक्ष्य |
|---|---|---|
| अजेदाविया-टाबुक रोड | 15.7.1981 | 14.3.1986 |
| घेरियट दर्जं रोड | 19.5.1981 | 2.12.1984 |

**डी० आर० एम० कार्यालय, मुरादाबाद में लिपिकों को स्थायी करना**

2211. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या रेल मन्त्री डी० आर० एम० कार्यालय, मुरादाबाद में लिपिकों की वरीयता सूची के बारे में 22 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9031 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या उत्तर रेलवे के डी० आर० एम० कार्यालय, मुरादाबाद में लिपिकों को केवल अस्थायी रूप से स्थायी किया गया है जबकि उनकी पांच वर्ष से भी अधिक सेवा हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या वहां स्थायी रिक्त पदों के बावजूद स्थायीकरण केवल स्थायी रूप से किया गया है ; और

(घ) स्थायीकरण रूप से कब किये जायेंगे ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (घ) सम्बन्धित कर्मचारियों को आरम्भ में अन्तिम रूप से स्थायी किया गया था क्योंकि इन कर्मचारियों को अन्तिम रूप से स्थायी किये जाने से पहले कुछ प्रशासनिक कार्यविधि सम्बंधी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ी । अंतिम रूप से स्थायी किये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

**विदेशी दूतावासों द्वारा अधिक शक्ति वाले ट्रांसमीटरों का प्रयोग**

2212. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार अपनी विभिन्न राजधानियों के साथ परस्पर संचार के लिये अधिक शक्ति वाले ट्रांसमीटरों और रिसीवरों का प्रयोग कर रहे प्रायः सभी दूतावासों और हाई कमीशनों की गतिविधियों के विरुद्ध क्या कदम उठाने का है ?

**विदेश मंत्री : (श्री पी० वी० नरसिंह राव)** : राजनयिक सम्बन्ध (वियना अभिसमय) अधिनियम, 1972 के अनुच्छेद 27 में यह बताया गया है कि राजनयिक मिशन प्राप्तकर्त्ता राज्य की सहमति से वायरलैस ट्रान्समीटर स्थापित करके उनका प्रयोग कर सकते हैं । भारत सरकार यथोचित सोच विचार के बाद इसके लिए अनुमति प्रदान करती है बशर्ते कि सम्बद्ध देश स्थित भारतीय मिशन को भी उक्त सुविधा उपलब्ध हो । संचार मन्त्रालय इस प्रकार के वायरलैस ट्रान्समीटरों के प्रयोग के लिए तकनीकी कार्य-पद्धति निर्धारित करता है और उनके कार्यों का मूल्यांकन करता है ।

## राष्ट्रीय और जोनल परमिट

2213. श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय और जोनल परमिटों के आवंटन की समीक्षा के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ख) राज्यों को राष्ट्रीय और जोनल परमिटों के आंवटन का पूरा उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) अक्टूबर, 1980 में राष्ट्रीय परमिटों की संख्या बढ़ाकर 16,600 कर दी गई। राज्य सरकारों संघ क्षेत्र प्रशासनों से उपलब्ध सूचना के अनुसार 13,000 राष्ट्रीय परमिट पहले ही बांटे जा चुके हैं और शेष के आवंटन पर कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार क्षेत्र-1 के लिए 22,196 परमिटों में से 12,300 से अधिक परमिट आवंटित किये जा चुके हैं और शेष के आवंटन के लिए कार्रवाई की जा रही है।

31. 5.1982 को राज्यों/संघ क्षेत्र प्रशासनों के परिवहन मंत्रियों की बैठक में योग्य आवेदकों को राष्ट्रीय परमिटों/क्षेत्रीय परमिटों के तेजी से आवंटन का निर्णय लिया गया ।

## 'दक्षिण रेलवे एम्प्लाइज सी. आई. टी. यू. नागरकोनईल शाखा से प्राप्त अभ्यावेदन

2214. श्री ई० बाला नन्दन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण रेलवे एम्प्लाइज' सी. आई. टी. यू., नागरकोईल शाखा से दिनांक 30 अप्रैल, 1982 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें यूनियन द्वारा उठाई गई मुख्य बातें क्या हैं,

(ग) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) (1) तिरुनेलवेलिकेप-तिरुवनन्तपुरम खंड में जिन लगभग 175 नैमित्तिक श्रमिकों की छंटनी का प्रस्ताव किया गया है उन्हें केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा स्थगन आदेश की मंजूरी मिल गयी है और वे कार्य कर रहे हैं।

(II) इस समय नागरकोइल-तिरुनेलवेलि लाइन में प्रबन्धकों 4 द्वारा वर्ष की लगातार सेवा वाले लगभग 150 का मगारों की छंटनी का प्रस्ताव किया गया है।

(III) प्रबन्धकों ने केप-तिरुवनन्तपुरम लाइन में 150 नैमित्तिक श्रमिकों की भर्ती को अधिसूचित किया है जो केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए उचित नहीं है।

(ग) जिन नैमित्तिक श्रमिकों ने अपनी प्रस्तावित छंटनी के विरुद्ध केरल उच्च न्यायालय

से स्थगन आदेश प्राप्त किये हैं वे कार्य कर रहे हैं लेकिन इस निर्णय के विरुद्ध की गयी अपील पर अभी निर्णय दिया जाना है।

(II) नागरकोइल-तिरुनेलवेलि लाइन में कार्य कर रहे 150 कामगारों की छंटनी का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(III) केप-तिरुवनन्तपुरम लाइन के लिए नैमित्तिक श्रमिकों की भर्ती की कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**हाजीपुर में आरक्षण की सुविधाएं**

2215. **श्री राम विलास पासवान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, वाराणसी, गौहाटी और कलकत्ता जाने वाली उन रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं जिनके लिए पूर्वोत्तर रेलवे के हाजीपुर जंक्शन पर आरक्षण कराने की सुविधाएं उपलब्ध हैं,

(ख) क्या सरकार हाजीपुर जंक्शन पर सभी रेल गाड़ियों में आरक्षण कराने की सुविधाएं प्रदान करेगी ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (ग) हाजीपुर-जंक्शन पर स्थान आरक्षण की व्यवस्था पहले से ही है ।

**नेपाल में सीमेंन्ट संयन्त्र की स्थापना**

2216. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या विदेश मंत्री नेपाल में सीमेंट उद्योग शुरू करने के लिये करार के बारे में 1 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6273 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी आर्थिक संभाव्यता प्रतिवेदन इस बीच पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य के लिये समय-सूची सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या विलम्ब भारत की ओर से हो रहा है;

(घ) क्या नेपाल ने काफी अर्से पहले प्रस्तावित सीमेंट संयन्त्र के लिये स्थल के रूप में लक्ष्मीपुर का प्रस्ताव किया था, और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है ।

**विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव)** : (क) से (ग) : इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने 1979 में एक तकनीकी एवं आर्थिक सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार की थी । लेकिन आगत तथा निर्गत के मल्यों में परिवर्तन और कच्चे माल की उपलब्धता के बारे में अतिरिक्त सूचनाओं की आवश्ययकता को ध्यान में रखते हुए इसका पुर्नमूल्यांकन अपेक्षित है । यह पुर्नमूल्यांकन निकट भविष्य में किया जाएगा ।

(घ) और (ङ) सीमेंट संयन्त्र के लिए कई वैकल्पिक स्थलों के बारे में प्रस्ताव किए गए है जिसमें लक्ष्मीपुर भी शामिल है। स्थल का अन्तिम चयन अभी अभी किया जाना है।

नालन्दा विश्वविद्यालय

2217. श्री विजय कुमार यादव : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नालन्दा जिले (बिहार) में नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर और पावपुरी विश्व में अपनी प्राचीन शिक्षा और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने प्राचीन ख्याति को पुनरुजीवित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालयों में राज्यमंत्री (श्रीमती शीला कौल) :

(क) और (ख) पुरातत्वीय उपलब्धियों के अनुसार यद्यपि राजगीर और पावनपुरी शिक्षा केन्द्र के रूप में विख्यात नहीं रहे हैं, परन्तु 6ठी और 12वीं ईसवी सन् के बीच नालन्दा बौद्धियों का शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केन्द्र था।

बिहार सरकार ने पालि, प्राकृत, संस्कृत आदि में उच्च अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नव नालन्दा महावीर की स्थापना की है।

रेल पटरियों और लकड़ी के स्लीपरों की कमी

2218. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिछाई जाने वाली नई दोहरी रेल लाइनों, गेज परिवर्तन और रेलपथ के नवीकरण के लिए पटरियों की कमी हो गई है ;

(ख) पटरियों की प्रतिवर्ष वास्तविक आवश्यकता कितनी है ;

(ग) इन वस्तुओं की देश में उपलब्धता क्या है ;

(घ) लकड़ी के स्लीपरों की उपलब्धता की स्थिति क्या है ; और

(ङ) लकड़ी के स्लीपरों और पटरियों की कमी को किस तरह पूरा किये जाने का विचार है और उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पटरियों के आयात हेतु कितने धन की आवश्यकता है तथा धनराशि एकत्र करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) 3.35 लाख टन प्रति वर्ष।

(बड़ी लाइन — 3 लाख टन

मीटर लाइन — 0.35 लाख टन)

(ग) 1.95 लाख टन प्रति वर्ष।

(घ) स्लीपर वर्ष 1980-81 के दौरान खरीदे गये लकड़ी के स्लीपरों की मात्रा तथा स्लीपर वर्ष 1981-82 के लिए किये गये वायदों का विवरण इस प्रकार है :—

(आंकड़े हजार में)

| | ब० ला० | मी० ला० | छो०ला० | विशेष |
|---|---|---|---|---|
| | अदद | अदद | अदद | क्यूबिक मी० |
| स्लीपर वर्ष 1980-81 (1-11-80 से 31-10-81 तक) के दौरान सप्लाई | 1814 | 1629 | 205 | 64 |
| स्लीपर वर्ष 1981-82 (1-11-81 से 31-10-82 तक) के लिए किया गया वायदा | 2104 | 1756 | 301 | 88 |

(ङ) योजना आयोग को अतिरिक्त धन के लिए अनुरोध किया गया है और पर्याप्त धन उपलब्ध हो जाने पर आयात करके पटरियों की कमी पूरी की जायेगी।

1.40 लाख टन पटरियों का आयात करने पर लगभग 60 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

लकड़ी के स्लीपरों की कमी को पूरा करने के लिए देश के भीतर कंक्रीट के स्लीपरों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास किये जा रहे हैं।

**नेत्र उपकरणों की कमी**

2219. **श्रीमती संयोगिता राणे :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में नेत्र-उपकरणों की कमी की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में नेत्र उपकरणों की वार्षिक आवश्यकता कितनी है और उसे पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री : (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) :**

(क) जी, हां।

(ख) यह अनुमान लगाया गया है कि दृष्टिहीनता नियन्त्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अधीन सुलभ कराई जाने वाली सेवाओं के लिए अगले चार वर्षों में कुल मिलाकर लगभग 6,000 नेत्र विज्ञान सहायकों की जरूरत होगी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए मेडिकल कालेजों में 20 प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किए गए हैं ताकि नेत्र-विज्ञान सहायकों को प्रशिक्षित किया जा सके।

1982 के अन्त तक और 17 स्कूलों के खोले जाने का प्रस्ताव है। 1984 से इन प्रशिक्षण स्कूलों से प्रतिवर्ष लगभग 1100 नेत्र विज्ञान सहायक प्रशिक्षित होकर निकलेंगे।

**विद्यालयों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पाइलट परियोजना स्थापित करना**

2220. **श्री बाला सहिब विखे पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार प्राथमिक कक्षाओं के 3,00,000 बच्चों के लिए विद्यालयों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु एक पाइलट परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो चयन किए गए विद्यालयों के नाम और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए निर्धारित बच्चों का, राज्यवार, ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह एक केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना होगी, और यदि हां, तो किसके द्वारा और किस प्रकार उसे कार्यान्वित किया जाएगा;

(घ) इस परियोजना की, राज्यवार, अनुमानित लागत और कितना आवंटन होगा; और

(ङ) प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में विभिन्न प्रकार की कमियों को इस परियोजना द्वारा किस प्रकार से दूर किए जाने की संभावना है, और इस योजना का ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** :

(क) भारत सरकार ने प्राथमिक स्कूलों के लगभग 2,50,000 बच्चों को कवर करने के लिए एक पाइलट परियोजना शुरू की हैं।

(ख) इस परियोजना में 17 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों के 25 जिलों के 25 ब्लाकों के सभी श्रेणियों के मान्यता प्राप्त स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं के सभी बच्चों को कवर किया जाएगा। ब्लाकों का चयन सम्बन्धित राज्योंसंघ शासित क्षेत्रों की सरकारों द्वारा किया गया है। इन ब्लाकों की सूची विवरण में दी गई है।

(ग) यह योजना राज्य सरकारों के जरिये लागू की जाएगी।

(घ) इस परियोजना का अनुमानित वित्तीय परिव्यय लगभग 30.65 लाख रु० होगा। प्रत्येक राज्य को कितना-कितना धन आबंटित किया जायेगा, उसका अभी हिसाब लगाया जाना है।

(ङ) सभी बच्चों और उनके अध्यापकों की प्रारम्भिक जांच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और ग्रामीण एलोपैथिक औषधालयों के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा की जाएगी। अध्यापकों को छात्रों के सामान्य स्वास्थ्य की जांच करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। जिन विद्यार्थियों के स्वास्थ्य में खराबी पाई जायेगी, उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भेजा जाएगा। जो बच्चे गंभीर एवं जीव रोगों से ग्रसित होंगे, उन्हें जिला अस्पतालों तथा स्पेशियलाइज्ड एजेन्सियों में भेजा जाएगा।

## विवरण

### स्कूल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम की गहन पाइलट परियोजना

### ब्लाकों की सूची

| क्र० सं० | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | | जिला | ब्लाक | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | | श्रीकाकुलम | सीतमपेटा (आई सी डी एस) | |
| 2. | असम | | उत्तरी कछार | जटिंगा | ,, |
| 3. | बिहार | (1) | पलामू | गारू | ,, |
| | | (2) | संथालपरगना | बोरी जोरे | ,, |
| .4 | हरियाणा | | मोहिन्दरगढ़ | बावल | ,, |
| 5. | जम्मू और कश्मीर | | बरामूला | उड़ी | ,, |
| 6. | महाराष्ट्र | (1) | नानदेड | किनवात | ,, |
| | | (2) | उस्मानाबाद | उदगीर | ,, |
| 7. | मध्य प्रदेश | (1) | रायगढ़ | मनोरा | ,, |
| | | (2) | बिलासपुर | मरवाह | ,, |
| 8. | मणिपुर | | मणिपुर (पूर्व) | उबरूल | ,, |
| 9. | मेघालय | | पश्चिमगारो हिल्स | रोंगरम | ,, |
| 10. | नागालैंड | | तुएनसांज | शामटोर | ,, |
| 11. | उड़ीसा | (1) | अंजम | खालीकोटे | ,, |
| | | (2) | कालाहांडी | प्रा०स्वा० केन्द्र बिस्वन्त पुर लोभी गढ़ ब्लाक | ,, |
| 12. | राजस्थान | | डुंगापुर | सागवाड़ा | ,, |
| 13. | सिक्किम | | गंगटोक | रोंगपो | ,, |
| 14. | तमिलनाडु | | दक्षिण अरकाट | कवीरापलयम | ,, |
| 15. | त्रिपुरा | | उत्तर त्रिपुरा | कन्चनपुर | ,, |
| 16.. | उत्तर प्रदेश | (1) | बस्ती | कप्तानगंज | ,, |
| | | (2) | गोंडा | मनकपुर | ,, |
| 17. | पश्चिमी बंगाल | | पुरूलिया | मानबाजार | ,, |
| 18. | अंडमार व निकोबार द्वीप समूह | | निकोबार | कटोहल | ,, |
| 19. | अरुणाचल प्रदेश . | | सियांग | बामला बाग | ,, |
| 20. | मिजोरम | | चितनी पुई | तावंजलई | ,, |

**सेवा निवृत्त नाविकों और विधवाओं को अनुग्रह-पूर्वक दी जाने वाली आर्थिक सहायता का भुगतान न किया जाना**

2221. **श्री मोहम्द इस्माइल :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के सेवा निवृत्त नाविकों और मृतक नाविकों की विधवाओं को अनुग्रह-पूर्वक दी जाने वाली आर्थिक सहायता का भुगतान न करने के सम्बन्ध में फारवर्डसीमेन्स यूनियन आफ इंडिया (सीटू) कलकत्ता का दिनांक 24 मई, 1982 का कोई पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त पत्र पर कोई कार्यवाही की है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी हां, मामले की छानबीन की गई है। नाविक कल्याण निधि समिति जो एक स्वायत निकाय है, को 31.5.82 को फारवर्ड सीमेन्स यूनियन आफ इंडिया का पत्र दिनांक 24.5.1982 प्राप्त हुआ है जिसमें 38 प्रार्थियों की सूची है जिन्हें मासिक अनुग्रहपूर्वक दी जाने वाली आर्थिक सहायता नहीं मिली है। समिति ने फारवर्ड सीमेन्स यूनियन आफ इंडिया कलकत्ता को पत्र दिनांक 7.6.82 द्वारा सूचित किया है कि उनके द्वारा सूचीबद्ध 38 प्रार्थियों में से 34 प्रार्थियों को पहले से ही भुगतान करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है और उन लोगों को समिति की बैंकर द्वारा नियमित रूप से आर्थिक सहायता दी जा रही है। फारवर्ड सीमेन्स यूनियन आफ इंडिया की सूची में क्रम संख्या 14 पर श्रीमति अखिला खातून, श्रीमती मुबारक अली मासिक सहायता पाने की अधिकारी नहीं है क्योंकि स्वर्गीय नाविक विदेश जाने वाले नाविक के रूप में पंजीकृत नहीं था। फारवर्ड सीमेन्ट यूनियन आफ इंडिया की सूची में क्रम संख्या 21 पर प्रार्थी, जो स्वर्गीय नाविक के पिता हैं प्रायः हकदार नहीं होते हैं, यदि नाविक शादीशुदा है और उसके विधवा और/या छोटे बच्चे जीवित हैं। प्रार्थी से कहा गया है कि वे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि नाविक की शादी नहीं हुई थी। लेकिन उसका उत्तर अभी तक नहीं मिला है। शेष फारवर्ड सीमेन्स यूनियन आफ इंडिया की सूची में संख्या 16 और 29 का प्रार्थना पत्र समिति को नहीं मिला है और खाली प्रार्थना पत्र के फार्म नाविक कल्याण निधि समिति द्वारा फारवर्ड सीमेन्स यूनियन आफ इंडिया को प्रार्थियों को इन फार्मों को पूरा करने के लिए भेजा गया है। ये फार्म अभी तक समिति को नहीं मिले हैं।

(घ) प्रश्न नहीं होता है।

**बज-बज नमखाना लाइन**

2222. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बज-बज से नमखाना (सुन्दरबन) रेल लाइन के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है, और

(ख) यदि अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है, तो विलम्ब के कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) लक्ष्मीकान्तपुर से कुल्पी तक एक लाइन सहित बज-बज से नीमखाना बड़े आमान की एक नई लाइन का निर्माण एक अनुमोदित निर्माण कार्य है। इस परियोजना की औपचारिक स्वीकृति देने के लिए योजना आयोग से पत्र व्यवहार किया गया है और उसकी प्रतीक्षा की जा रही है। योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात ही यह निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा।

**रेलवे लाइसेंसेज केटरिंग इम्प्लाइज यूनियन, डिन्डीगुल की मांगें**

2223. श्री समर मुखर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे लाइसेंसेज केटरिंग इम्प्लाइज यूनियन, डिन्डीगुल से 8 मई, 1982 का कोई पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो यूनियन द्वारा उठाई गई मांगें क्या हैं;

(ग) खान-पान विभाग के कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही आरम्भ की गई है; और

(घ) यदि सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) दिनांक 8-3-198 को रेलवे लाइसेंस्ड् कैटरिंग इम्पलाइज यूनियन डिन्डीगुल से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें डिन्डीगुल के वर्तमान खानपान/वेंडिंग ठेकेदारों, सर्वश्री जी० राजू नायडू और जी० के० राधाकृष्णन के विरुद्ध कर्मचारियों को वर्दियां, पुलिस/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पहचान पत्र आदि सप्लाई न करने और यूनियन और ठेकेदार श्री जी० के० राधाकृष्णन के बीच हुए करार को क्रियान्वित न करने के बारे में लिखा था। शिकायतों की जांच की गई थी और यह पता चला था कि ठेकेदार ठेके सम्बन्धी अपनी बाध्यताओं का समुचित रूप से पालन कर रहे हैं और कर्मचारियों के पास पुलिस/स्वास्थ्य प्रमाणपत्र वर्दियां आदि उपलब्ध हैं।

**परिवार नियोजन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता**

2224. श्री मोहन लाल पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए वर्ष 1981-82 के लिए राज्यवार कुल कितनी राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में दी गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा कार्यक्रम पर कुल कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या वर्ष 1981-82 के दौरान यू० एन० ओ० आदि जैसी अन्य एजेंसियों द्वारा कोई वित्तीय सहायता दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसे कैसे खर्च किया गया; और

(ङ) वर्ष 1982-83 के लिए इस कार्यक्रम हेतु कितनी राशि निश्चित की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) और (ख) 1981-82 दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए राज्यों को दी गई सहायता तथा उनके द्वारा किए गए व्यय का ब्योरा विवरण I में है।

(ग) हां।

(घ) विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा दी गई सहायता का ब्योरा विवरण-II में दिया गया है। प्राप्त सहायता का उपयोग उसमें उल्लिखित योजना के कार्यान्वयन के लिए किया गया था।

(ङ) 245 करोड़ रुपये।

1981-82 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए की गई नियत राशि नकद तथा सामग्री के रूप में दी गई सहायता और विभागीय व्यय के आंकड़ों (जैसा कि राज्य सरकारों द्वारा सूचित किया गया है) का विवरण।

(रुपये लाखों में)

| क्रम सं० | राज्य | नियतन 1981-82 | दी गई केन्द्रीय सहायता | | विभागीय व्यय के आंकड़े (अनन्तिम) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | नकद | सामग्री के रूप में दी गई सहायता का मूल्य | |
| 1. | 2. | 3. | | 5. | 6. |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 1207.62 | 1290.80 | 83.92 | 1584.43 |
| 2. | असम | 206.88 | 215.26 | 20.58 | 216.39 |
| 3. | बिहार | 1010.76 | 1078.16 | 40.81 | आर०एन०आर० |
| 4. | गुजरात | 823.92 | 1152.61 | 81.53 | आर०एन०आर० |
| 5. | हरियाणा | 291.77 | 266.64 | 35.83 | 264.62 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 177.43 | 409.39 | 12.02 | 427.13 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 125.61 | 118.47 | 11.34 | आर०एन०आर० |
| 8. | कर्नाटक | 595.69 | 720.54 | 58.61 | 822.08 |

(जारी......)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | केरल | 477.16 | 580.15 | 27.27 | आर०एन०आर० |
| 10. | मध्य प्रदेश | 920.37 | 951.78 | 58.78 | आर०एन०आर० |
| 11. | महाराष्ट्र | 1116.60 | 1439.56 | 114.90 | 1846.76 |
| 12. | मणीपुर | 54.59 | 60.31 | 1.96 | 67.97 |
| 13. | मेघालय | 28.02 | 31.26 | 2.63 | 37.28 |
| 14. | नागालैण्ड | 19.41 | 7.41 | 1.41 | 6.38 |
| 15. | उड़ीसा | 755.23 | 1252.42 | 38.98 | 688.70× |
| 16. | पंजाब | 379.35 | 432.02 | 30.82 | 382.43 |
| 17. | राजस्थान | 680.90 | 781.02 | 40.93 | आर०एन०आर० |
| 18. | सिक्किम | 16.14 | 16.02 | 0.88 | आर०एन०आर० |
| 19. | तमिलनाडु | 958.51 | 866.48 | 41.81 | आर०एन०आर० |
| 20. | त्रिपुरा | 36.97 | 26.47 | 2.33 | 23.49 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 1901.89 | 2017.35 | 187.79 | आ०एन०आर० |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 741.97 | 807.90 | 56.40 | आर०एन०आर० |
| | योग: | 12426.79 | 14522.02 | 953.53 | 6367.66×× |

आर० एन० आर० : रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई

×: क्षेत्रीय परियोजना के व्यय को निकाल कर

××: अधूरा

## विवरण—II

1981-82 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय और विदेशी एजेंसियों से प्राप्त तथा प्राप्त होने वाली सहायता का ब्योरा

(रुपये लाखों में)

| एजेन्सी का नाम | प्रयोजन | सहायता प्राप्त/प्राप्त होने वाली सहायता |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. नोराड | प्रस्वोत्तर कार्यक्रम | 638.78 |
| 2. यू० के० | उड़ीसा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आधारभूत ढांचे (क्षेत्रीय परियोजना) को सुदृढ बनाना | 393.05 |
| 3. अमरीकी अन्तरराष्ट्रीय विकास एजेंसी | गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र तथा पंजाब राज्यों में क्षेत्रीय परियोजना | 446.20 |

(जारी......)

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4. डेनिडा | मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राष्ट्रीय संस्थान तथा क्षेत्रीय परियोजना के लिए भवनों को पूरा करना | 172.19 |
| 5. वर्ल्ड | आन्ध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय परियोजना | 295.83 |
| 6. यूनिसेफ | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के डाक्टरों का प्रशिक्षण और बालचिकित्सा एवं शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों में साज-सामान की सप्लाई, प्रतिरक्षण तथा दाई प्रशिक्षण सेटों के लिए वैक्सीन | 125.7I |
| 7. यू० एन० एफ० पी० ए० | विहार तथा राजस्थान में क्षेत्रीय परियोजना तथा अन्य परिवार नियोजन क्रिया-कलापों और खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों के लिए घटकों की सप्लाई | 230.76 |
| 8. ड० ट्र० एच० ओ० | गोष्ठियां आयोजित करने के लिए | 0.81 |
| | | योग 2303.33 |

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में परिवहन विकास

2225. **श्री चिंगवांग कोनयक** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास हेतु परिवहन समस्याओं को हल करने तथा आवश्यक प्रोत्साहन देने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है;

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी)** : (क) और (ख) उत्तर-पूर्वी परिषद की छठी पंचवर्षीय योजना के लिए स्वीकृत कुल योजना परिव्यय का 45.6 प्रतिशत ट्रांसपोर्ट सैक्टर के लिए रखा गया है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सड़कों और पुलों के अनुरक्षण और सुधार की विभिन्न स्कीमों के लिए केंद्रीय सैक्टर में छठी योजना में 200 करोड़ रुपये से भी अधिक धनराशि की व्यवस्था की गई है ।

कर्नाटक में एक और मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना

2226. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य में एक और मेडिकल विश्वविद्यालय की मांग की है ;

(ख) इस समय कर्नाटक राज्य में कितने मेडिकल कालेज कार्य कर रहे हैं ;

(ग) क्या इनमें दाखिले हेतु भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने राज्य में एक और विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग की है ;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए केन्द्र सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सम्पर्क किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) :** (क) से (ङ) जहां तक स्वास्थ्य और पारवार कल्याण मंत्रालय का संबंध है, कर्नाटक राज्य सरकार ने एक स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव चला रखा है। राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि वे फिलहाल इस प्रस्ताव को स्थगित रखें।

(ख) नौ। इसके अलावा राज्य में हाल ही में खोले गये 3 अन्य मेडिकल कालेजों के चलने की भी सूचना मिली है, जिन्हें भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अभी मान्यता प्रदान की जानी है।

### शिल्पी संवर्ग कामगारों की पदोन्नति के लिए योग्यता

2227. **श्री अजित बाग :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेल और आर० डी० एस० के शिल्पी संवर्ग के कामगारों की उनके अगले उच्च पद पर पदोन्नति के लिए अलग-अलग योग्यता क्या है;

(ख) भारतीय रेल, रेल कार्यशालाओं और आर० डी० एस० ओ० के लिए, उनके अगले उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए उनकी उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए ट्रेन टेस्ट के रिक्त स्थानों की तुलना में उम्मीदवारों का अनुपात क्या है; और

(ग) केवल आर० डी० एस० ओ० के शिल्पी कर्मचारीवृन्द को एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नत किये जाने के लिए ट्रेड टेस्ट के सामान्य नियमों की सीमा से बाहर निकाल देने के क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) से (ग) भारतीय रेलों के शिल्पकार संवर्ग के लिए पात्रता की शर्त यह है कि निकटतम निचले ग्रेड वाले उम्मीदवारों की पदोन्नति पर विचार किया जाता है। उम्मीदवारों को पदोन्नति का पात्र बनाने के लिए निर्धारित व्यवसाय परीक्षा पास करनी पड़ती है। कारखानों और क्षेत्रीय रेलों में वर्तमान और अगले तीन महीनों के लिए प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या के बराबर जमा उनके 20% के बराबर उम्मीदवार व्यवसाय परीक्षा के लिए बुलाये जाते हैं। अनुसंधान,

अभिकल्प और मानक संगठन के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

## बिना बिजली के रेलवे स्टेशन

2228. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय भारत में कोई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और बिना देरी किये बिजली की सुविधा देने के लिए सरकार के पास क्या कार्यक्रम हैं ?

**रेल मंत्रालय द्वारा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां।

(ख) 31-3-82 को भारतीय रेलों पर कुल 8131 स्टेशन में से, 5682 स्टेशनों को पहले ही बिजलीकृत कर दिया गया है । 363 अतिरिक्त स्टेशनों पर, विद्युतीकरण का कार्य अनुमोदित हो गया है और इनमें या तो कार्य हो रहा है या प्रारम्भ किया जा रहा है ।

वर्तमान नीति के अनुसार, उन स्टेशनों के विद्युतीकरण का कार्यक्रम बनाया गया है जहां स्टेशन सीमा के एक किलोमीटर के भीतर बिजली की सप्लाई उचित लागत पर उपलब्ध है और जहां कम से कम एक जोड़ी गाड़ी रात में रुकती है, बशर्ते इसके लिए धन उपलब्ध हो।

2086 स्टेशनों में से केवल 232 स्टेशनों को बिजलीकृत नहीं किया गया है या उनके विद्युतीकरण की योजना नहीं बनायी गयी है जो इस समय विद्युतीकरण के अन्तर्गत आते हैं। इनके विद्युतीकरण की योजना भावी निर्माण कार्यों में बनायी जायेगी बशर्ते धन उपलब्ध हो।

## अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में नौवहन सेवा का सुधार

2229. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पोर्टब्लेयर के पृथक परिवहन अधिकरण होने के नाते अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों में नौवहन सेवा के सुधार के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों में बन्दरगाह सेवाओं के सुधार के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) और (ख) अण्डमान और निकोबार के पत्तन संगठन के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव हुआ है। इसमें कुछ परिवर्तन करने का विचार है। इस बारे में निकट भविष्य में निर्णय लिए जाने की संभावना है।

परन्तु, अण्डमान और निकोबार प्रशासन ने 31.3.82 को मुगल लाइन लि० से एक अतिरिक्त जहाज एम० वी० अकबर खरीदा है, जिसे मौजूदा जहाज एम० वी० अण्डमान और एम० वी०

हर्षवर्द्धन के अलावा कलकत्ता-पोर्टब्लेयर के बीच यातायात के लिए लगाया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में अन्तर्द्वीपीय सेवा के अन्तर्गत तीन यात्री-व-माल जहाज हैं, चल रहे हैं। सरकार अन्तर द्वीपीय यातायात के लिए औज-टाईप के दो जहाजों के मजगांव डाक लि० द्वारा बनाए जाने की स्वीकृति दे चुकी है। मजगांव डाक लि० द्वारा क्रमश: जुलाई और दिसम्बर, 1982 के आस पास इन जहाजों की डिलिवरी किए जाने की संभावना है।

(ग) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के पत्तन सुविधाओं के सुधार के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सेक्टर में 11.83 करोड़ रुपये और स्टेट सेक्टर में 4.39 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय सेक्टर के अधीन कुछ प्रमुख स्कीमें इस प्रकार हैं— पनकट दीवार का निर्माण, अन्तर्द्वीपीय जहाजों के लिए एक शुष्क गोदी निर्माण, होप टाऊन में गहरे डुबाव वाले घाट का निर्माण जो जेटियां और ह्वार्फ पूरे हो चुके हैं, उनके लिए सहायक और फोरशोर सुविधाएं देना बिटिल अण्डमान में घाट का निर्माण, हाड्डो वार्फ पर सहायक सुविधाएं देनी, टेरेस्से इस्ट आय लैण्ड और राउट आयलैण्ड में नई जेट्टियों का निर्माण, लिटिल अंडमान में स्लिपवे का निर्माण, लिटिल अण्डमान में सहायक और तटीय सुविधाओं और आग बुझाने वाले उपकरणों की व्यवस्था करना।

**दिल्ली में प्रवेश के इच्छुक सभी छात्रों के लिए स्थान**

2230. **श्री भीकू राम जैन : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में कुल कितने कालेज हैं और उनमें प्रवेश के इच्छुक छात्रों की संख्या क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रवेश के इच्छुक सभी छात्रों को कालेजों में विज्ञान, वाणिज्य तथा अन्य विषयों में स्थान दिए जाएंगे;

(ग) दिल्ली के विभिन्न कालेजों में अनेक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों के कितने स्थान हैं; और

(घ) दिल्ली में छात्रों की बढ़ती हुई संख्या की समस्या को सरकार को किस तरह से हल करने का विचार है?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :** (क) दिल्ली में सांयकालीन कालेजों सहित 64 कालेज हैं। उन छात्रों की संख्या, जिन्होंने दिल्ली से सीनियर स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा 1982 में 40% अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हैं, 34753 है।

(ख) और (ग) 1981-82 के दौरान, सभी कालेजों में कुल प्रवेश की क्षमता 23,276 थी। उनमें से कुछेक में 10% स्थानों के बढ़ा दिए जाने से विश्वविद्यालय 1982-83 में सभी कालेजों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में 24000 से 25000 तक छात्रों के प्रवेश की अपेक्षा करता है।

(घ) शेष छात्र, जो विश्वविद्यालय के डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के इच्छुक हैं, पत्राचार पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर अथवा नाम/वाह्य उम्मीदवारों, जिनके लिए विश्वविद्यालय द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, के रूप में पंजीकृत कराकर ऐसा कर सकते हैं।

**लखनऊ और बरौनी के बीच परिवर्तित रेल लाइन में रेलगाड़ियों का चलना**

2231. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लखनऊ और बरौनी के बीच परिवर्तित रेल लाइन का सामान्य रूप से रेलगाड़ियां चलेंगी;

(ख) इस रेल लाइन पर रेलगाड़ियों के सामान्य रूप से चलने में विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस क्षेत्र को आम जनता द्वारा उठाई जाने वाली कठिनाइयों और मुश्किलों के बारे में जानकारी है; और

(घ) इस रेल लाइन पर हावड़ा से दिल्ली तक रेलगाड़ियों के सीधा चलने का क्या कार्यक्रम है?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (ग) नयी-नयी आमान-परिवर्तित गोरखपुर-बाराबंकी बड़ी बड़ी लाइन की स्थिति खुलने के बाद सुधर गयी है और अधिकतम अनुमेय गति 50 कि० मी० प्रति घंटा से धीरे धीरे 80 कि० मी० प्र० घं० बढ़ा दी गयी है। इस लाइन पर गाड़ियों का परिचालन 1982-83 के अंत तक मजबूत हो जाने की आशा है। तथापि, लाइन की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होने के साथ, सेवाओं की संख्या भी बढ़ा दी गयी है। आमान परिवर्तन के बाद, लखनऊ-बस्ती खंड पर 5 जोड़ी बड़ी लाइन गाड़ियां बस्ती-गोरखपुर खंड पर 6 जोड़ी, गोरखपुर भटनी खंड पर 7 जोड़ी, भटनी-छपरा खंड पर 5 जोड़ी, छपरा-गोरखपुर खंड पर 3 जोड़ी, सोनपुर-मुजफ्फरपुर खंड पर 9 जोड़ी और मुजफ्फरपुर बरौनी खंड पर 8 जोड़ी गाड़ियां चलायी गयी हैं। अगली समय-सारिणी से लखनऊ-गोरखपुर खंड पर एक जोड़ी अतिरिक्त गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है।

(घ) गोरखपुर होकर दिल्ली और हावड़ा के बीच सीधे गाड़ी चलाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि मार्ग में खंडों पर संतृप्त लाइन क्षमता, कोचिंग स्टाफ की कमी और हावड़ा और दिल्ली क्षेत्रों में अतिरिक्त टर्मिनल सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण यह परिचालन की दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है।

**विकलांगों को यात्रा शुल्क में रियायत**

2232. **श्री एन० डेनिस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्रशासन ने हाल ही में विकलांगों की यात्रा शुल्क में रियायतें देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह रियायत प्रथम श्रेणी और वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा के सम्बन्ध में भी लागू होती है; और

(ग) दी गयी रियायत का ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (ग) जहां कहीं अनुमेय होता है, भारतीय रेलें, अन्धे व्यक्तियों, कैंसर/क्षय रोग से पीड़ित व्यक्तियों

और असंक्रामक कुष्ठ रोगियों और उनके मार्गरक्षियों की पहले और दूसरे दर्जे के किरायों में 75 प्रतिशत की छूट की सुविधा देती है बशर्ते कि ये लोग कुछ निर्धारित शर्तें पूरी करें। यह रियायत विकलांग व्यक्तियों को भी दी जाती है बशर्ते कि वे मार्गरक्षी के साथ यात्रा करें। किरायों में अन्तर का भुगतान करके कैंसर/टी० बी०/असंक्रामक कुष्ठ रोगियों को वातानुकूल दर्जे में यात्रा करने की अनुमति है।

**करूणामूलक आधार पर नियुक्तियां**

2233. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन कर्मचारियों की, जो स्थायी हैं और अस्थायी रेल कर्मचारियों जैसे सभी लाभों को प्राप्त करने के हकदार हैं, असमय मृत्यु के मामले में उनके परिवारों को करुणामूलक आधारों पर नियुक्तियों और जीवन बीमा योजना के लाभों से वंचित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन मृत रेल कर्मियों के परिवारों को सामाजिक न्याय और सहायता से वंचित करने के क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) और (ख) केवल मृत अथवा शारीरिक रूप से विकलांग नियमित रेल कर्मचारियों के आश्रितों को ही अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां दी जाती हैं। चूंकि वे नियमित रेल कर्मचारी नहीं होते, इसलिए नैमित्तिक श्रमिकों/एवजियों को, जिन्हें अस्थायी ओहदा स्वीकार किया जाता है इस लाभ के पात्र नहीं होते हैं।

**दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत अतिरिक्त निजी बसें चलाने का प्रस्ताव**

2234. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम का विचार राजधानी तथा इससे जुड़े हुए क्षेत्रों में बसें चलाने के लिए कुछ अतिरिक्त निजी बसें किराए पर लेने का है;

(ख) यदि हां, तो कितनी तथा उन बसों के लिए कितने शैड बनाने का विचार किया गया है,

(ग) इन बसों को चलाने की शर्तें क्या होंगी; और

(घ) क्या इन बसों को चलाये जाने के मामले में अनुसूचित जाति के लोगों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) :** (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम की प्राइवेट आपरेटरों की 1000 बसें अपने अधीन लगानी हैं। इनकी बसों के लिए गैरेज के प्रबंध का उत्तरदायित्व निगम पर नहीं है और ये आपरेटर खुद इसकी व्यवस्था करते हैं।

(ग) मुख्य शर्तें यह है कि ये बसें निश्चित रूप से प्रति बस प्रतिदिन 225 किलो मीटर या प्रतिमास 6750 किलोमीटर चलायी जायेगी।

| स्टैंडर्ड साइज बसें | दर |
|---|---|
| बस की उम्र | |
| 0—2 वर्ष | 2.32 रुपये प्रति कि० मी० |
| 2—5 वर्ष | 2.05 रुपये प्रति कि० मी० |
| —6 वर्ष से ऊपर | 1.85 रुपये प्रति कि० मी० |

(घ) यथासंभव अनुसूचित जाति के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है।

## एशियाड—82 में स्टेडियमों के भीतर विज्ञापन

2235. श्री के० राममूर्ति : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुबई के एम० ई० ई० टी० सी० ओ० (मीटको) कम्पनी समूह, एशियाड में सभी स्टेडियमों के भीतर विज्ञापन करने वाला विश्व का एकमात्र रियायत ग्राही, विभिन्न स्टेडियमों के अन्दर 1600 स्थानों के लिए भारतीय प्राधिकारियों को 90 लाख डालर देने को सहमत हो गया है,

(ख) क्या श्री संजय खान, फिलम अभिनेता ए० के० एडवर्टाइजिंग (प्रा०) लि०, बम्बई का चेयरमैन है, जो भारत में मीटको कम्पनी की प्रतिनिधि है; और

(ग) क्या 'एशियाड' में विज्ञापन करने के लिए किसी अन्य कम्पनी ने भी प्रस्ताव किया था ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) :

(क) नवें एशियाई खेलों से सम्बन्धित विशेष आयोजन समिति ने मिडिल ईस्ट एक्सचेन्ज एण्ड ट्रेड कम्पनी (मीटको) को 60 लाख अमेरीकी डालरों के बदले उन सभी खेल स्थानों के भीतर तथा अन्दर जहां नवें एशियाई खेल खेले जाएंगे, विज्ञापन लगाने का अधिकार पत्र देते हुए एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। मीटको को इस समय विभिन्न स्टेडियमों के अन्दर विज्ञापन प्रदर्शित करने के स्थानों की संख्या निर्धारित कर रही है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

## लेबनान में इजराइलियों द्वारा बन्दी बनाए गए भारतीय

2236. श्री डॉ० ए० यू० आजमी }
श्री अमर राय प्रधान } : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिदान, लेबनान में इजराइलियों द्वारा बन्दी बनाए गए लोगों में भारतीय स्वयं सेवकों की काफी संख्या है और जिन्हें बुरी तरह पीटा जाता है और अमानवीय व्यवहार किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**विदेश मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव** : (क) इस सम्बन्ध में कनाडा के एक डॉक्टर द्वारा दी गई सूचना पर आधारित अखबार की खबरों पर भारत सरकार ने गौर किया है। लेकिन विद्यमान स्थिति के कारण इन खबरों की पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकी है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार जिन 40 भारतीय राष्ट्रिकों को गिरफ्तार किया गया था उनमें से 13 को गिरफ्तारी के तुरन्त बाद रिहा कर दिया गया था। भारत का राजदूतावास और भारत सरकार इस मामले में अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास सोसायटी के साथ निकट संपर्क बनाए हुए है क्योंकि रेड क्रॉस सोसायटी अपनी यूनिटों को भारतीय राष्ट्रिकों की सुरक्षा के बारे में पहले ही सतर्क कर चुकी है। भारत सरकार ने भारतीय राजदूतावास को सभी सम्भव सहायता देने के लिए अनुदेश दिए हैं।

**पाकिस्तान में नजरबंद भारतीयों की संख्या**

2237. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पाकिस्तान में कितने नजरबन्द हैं, इनमें रक्षाकार्मिकों और असैनिक भारतीयों की अलग-अलग संख्या कितनी है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव** : (क) और (ख) हमारी सूचना के अनुसार पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में 300 से अधिक भारतीय राष्ट्रिकों के नजरबन्द होने की संभावना है। उनमें 40 रक्षाकार्मिक भी हैं, जो 1971 के भारत-पाक संघर्ष के समय से लापता हैं।

**आल इंडिया रेलवे इम्प्लाइज कन्फेडरेशन के अध्यक्ष का अभ्यावेदन**

2238. **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको दक्षिण रेलवे में बैठकें आदि करने पर रोक लगाने के बारे में आल इंडिया रेलवे इम्प्लाइज कन्फेडरेशन के अध्यक्ष का दिनांक 24 अप्रैल, 1982 का एक अभ्यावेदन तथा कर्मचारियों से संयुक्त याचिका लेने से इन्कार करने के बारे में आल इंडिया रेलवे मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के महासचिव का 24 अप्रैल, 1982 का पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) सम्भवतः इसका आशय दक्षिण रेलवे में बैठकें आदि करने पर रोक लगाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष, आल इंडिया रेलवे इम्पलाइज कन्फेडरेशन से प्राप्त 23-4-82 के अभ्यावेदन और उत्तर रेलवे के एक अधिकारी द्वारा कर्मचारियों से एक संयुक्त याचिका लेने से इन्कार करने के सम्बन्ध में महासचिव, आल इंडिया रेलवेज मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन से प्राप्त 24-4-82 के पत्र से है। संयोगवश, ये दोनों संगठन गैर-मान्यता प्राप्त हैं।

जहां तक अध्यक्ष, आल इंडिया रेलवे इम्पलाइज कन्फेडरेशन से प्राप्त अभ्यावेदन का सम्बन्ध है, किसी भी यूनियन को, चाहे मान्यता प्राप्त या गैर मान्यता प्राप्त हो, रेल परिसरों के भीतर

और कार्य घंटों के दौरान प्रदर्शन, क्रमिक उपवास, भूख-हड़ताल आदि कराने का चिरकालिक अधिकार नहीं है। दक्षिण रेल प्रशासन ने केवल स्थायी अनुदेशों को दुहराया है ताकि निर्विघ्न रूप से रेल संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

जहां तक आल इंडिया रेलवेज मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन से प्राप्त पत्र का सम्बन्ध है, इस एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बातें सम्बन्धित अधिकारी ने ध्यानपूर्वक सुनी हैं लेकिन कोई भी गैर-मान्यता प्राप्त यूनियन या व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी कागजात को प्रस्तुत करने पर बाध्य नहीं किया जा सकता है लेकिन कभी-कभार प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रशासन के किसी अधिकारी द्वारा इसे स्वीकार किया जा सकता है।

**भारतीय कला केन्द्र, त्रिवेणी कला संगम और संगीत भारती और गंधर्व महाविद्यालय को अनुदान**

2239. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव**: क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली अथवा नई दिल्ली में स्थित भारतीय कला केन्द्र, त्रिवेणी कला संगम, संगीत भारती और गंधर्व महाविद्यालय को संस्कृति विभाग अथवा दिल्ली प्रशासन ने कितनी राशि का अनुदान दिया ; और

(ख) ये अनुदान किस प्रयोजन के लिये दिये गये हैं ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) और (ख) : सूचना निम्नलिखित है :

| संस्था का नाम | दिए गए अनुदान | 1979-80 | 1980-81 | 1981-82 | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| **संस्कृति विभाग द्वारा दिए गए अनुदान** | | | | | |
| 1. श्रीराम भारतीय कला केन्द्र, नई दिल्ली | कलाकारों के वेतन रखरखाव तथा स्थापना | 1,44,000 | 1,44,000 | 1,44,000 | नृत्य, नाटक तथा संगीत की प्रोन्नति |
| | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| | पुस्तकालय तथा | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| | प्रलेखन निर्माण | 25,000 | 24,800 | 25,000 | |
| 2. त्रिवेणी कला संगठन, नई दिल्ली। | कलाकारों के वेतन | 72,000 | 72,000 | 72,000 | |
| | उत्पादन | 22,000 | 21,500 | 22,500 | |
| 3. संगीत भारती, नई दिल्ली | | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | |
| 4. गंधर्व महाविद्यालय, नई दिल्ली | | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | |
| | योग : | 2,85,000 | 2,84,300 | 2 85,500 | |

दिल्ली प्रशासन द्वारा दिए गए अनुदान

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. श्रीराम भारतीय कला केन्द्र, नई दिल्ली। | 18,000 | 18,000 | 18,000 | नृत्य, नाटक तथा संगीत की प्रोन्नति |
| 2. त्रिवेणी कला संगम, नई दिल्ली। | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | |
| 3. संगीत भारती, नई दिल्ली | 6,000 | 6,000 | 6,000 | -वही- |
| 4. गंधर्व महाविद्यालय, नई दिल्ली | 10,000 | 20,000 | 20,000 | -वही- |
| | 34,000 | 44,000 | 44,000 | |
| कुल योग: | 3,19,000 | 3,28,300 | 3,29,500 | |

## स्थानापन्न कोच एटेंडेंटों को नियमित किया जाना

2240. श्री नारायण चौबे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पूर्वी रेलवे में कितने स्थानापन्न कोच एटेंडेंट काम कर रहे हैं,

(ख) उनमें से कितने एटेंडेंट समय-समय पर होने वाले व्यवधानों सहित पांच वर्ष से अधिक अवधि से काम कर रहे हैं,

(ग) इस समय पूर्वी रेलवे में कितनी रेलगाड़ियों में कोच एटेंडेंट दिये गये हैं और 10 वर्ष पूर्व ऐसी कितनी रेलगाड़ियों में थे,

(घ) 10 वर्ष पूर्व औसतन कितने कोचों की कोच एटेंडेंट द्वारा देखभाल की जाती थी और इस समय कितने कोच एटेंडेंट द्वारा देखभाल करते हैं, और

(ङ) क्या सरकार की स्थानापन्न कोच एटेंडेंटों को नियमित करने हेतु कोई योजना है और यदि हाँ, तो वह योजना क्या है तथा उसे पूर्वी रेलवे में कहां तक क्रियान्वित किया गया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

## साऊदी अरब में भारतीय दूतावास के कर्मचारियों की संख्या

2241. श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम् : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सऊदी अरब में भारतीय दूतावास के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; कि :

(ख) क्या सऊदी अरब में भारतीय दूतावास के कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है ; और

(ग) क्या इस कर्मचारी संख्या से दूतावास उस देश में भारतीयों के साथ सम्पर्क स्थापित करने में समर्थ है ;

**विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव)** : (क) जेद्दा स्थित हमारे मिशन में इस समय स्टाफ की कुल संख्या शक्ति 79 है।

(ख) जी हां। पिछले तीन वर्षों में स्टाफ की संख्या शक्ति में वृद्धि हुई है और 25 नए पद बनाए गए हैं।

(ग) सरकार का विचार है कि अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए, जिनमें सऊदी अरब में निवास कर रहे भारतीय समुदाय की आवश्यकताएं भी शामिल हैं, मिशन के अमलों की संख्या पर्याप्त है।

**दिल्ली खाद्य अपमिश्रण विभाग के इंस्पेक्टरों को स्थायी/नियमित किया जाना**

2242 **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या अगस्त, 1977 में दिल्ली प्रशासन ने खाद्य अपमिश्रण निवारक विभाग में सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् नियमित आधार पर 425-700 रुपए के वेतनमान में निरीक्षक (इंसपैक्टर) नियुक्त किए गए थे और वे अपनी नियुक्ति के बाद से वार्षिक वेतन-वृद्धि, चिकित्सा सुविधाओं और अर्जित अवकाशों के नियमित लाभ प्राप्त कर रहे थे ;

(ख) क्या उन्हें स्थायी करने के स्थान पर मई 1978 से उनकी सेवाओं को नियमित कर दिया गया है, यदि हां, तो उस विभाग का क्या नाम है जिसमें इन इंस्पैक्टरों को अगस्त 1977 से अप्रैल 1978 तक दर्शाया गया था ;

(ग) किन कारणों से इन इंस्पैक्टरों के नाम दिल्ली प्रशासन की सम्मिलित वरिष्ठता सूची से निकाले जा रहे हैं और संवर्ग बाह्य पदों में शामिल किये जा रहे हैं यद्यपि संवर्ग बाह्य पदों के वेतनमान अधिक हैं ;

(घ) क्या अब इंस्पैक्टर, सम्मिलित वरिष्ठता-सूची में से इंस्पैक्टरों से कनिष्ठ हो जाएंगे ; और

(ङ) इन इंस्पैक्टरों के साथ न्याय सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)** : (क) से (ग) : दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि भर्ती नियमों को अन्तिम रूप दिए जाने तक खाद्य निरीक्षकों को 27.6.77 से 2.9.77 के बीच भिन्न-भिन्न तारीखों को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था, न कि नियमित आधार पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए निरीक्षकों को भी वार्षिक वेतन वृद्धि, चिकित्सा सुविधाएं, अर्जित छुट्टी आदि के लाभ दिए जाते हैं। खाद्य निरीक्षकों के पद के भर्ती नियम 4.5.78 को अधिसूचित किए गए थे। जो-जो निरीक्षक तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे थे, उन सबको कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 4.5.78 से नियमित बना दिया गया है। इन पद्धारियों को स्थायी तभी घोषित किया जा सकता है जब उनके पदों को स्थायी पदों में बदल दिया जाएगा। निरीक्षक 27.6.77 से 3.5.78 तक अर्थात् अपनी तदर्थ नियुक्ति की अवधि में खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग की स्ट्रेंथ पर थे। निरीक्षकों के ये पद खाद्य अपमिश्रण निवारण

विभाग में तीसरी श्रेणी के संवर्ग-बाह्य पद हैं जो दिल्ली प्रशासन के निरीक्षकों के संयुक्त संवर्ग का भाग नहीं हैं क्योंकि इन पदों के पदधारियों को विशेष अर्हतायें रखना अपेक्षित है। खाद्य निरीक्षकों का वेतनमान और संयुक्त संवर्ग के निरीक्षकों का वेतनमान एक समान है अर्थात् 425-700 रुपये है ।

(घ) चूंकि खाद्य निरीक्षकों के पद संयुक्त संवर्ग का भाग नहीं हैं, इसलिए उनके संयुक्त वरिष्ठता सूची में निरीक्षकों से कनिष्ठ होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

**सैंट्रल कौंसिल आफ इंडियन मेडिसिन्स की वार्षिक आम बैठक**

2243. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1982 में हुई सैंट्रल कौंसिल आफ इंडियन मेडिसन्स की वार्षिक आम बैठक में सिद्ध समिति का कोई भी सदस्य, यूनानी समिति के 42 सदस्य और आयुर्वेद समिति के 42 प्रतिशत सदस्य हवाई यात्रा की अनुमति न मिलने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे, जबकि अनुमति के लिए बहुत पहले कहा गया था, और

(ख) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री : (कुमारी कुमुद बे० एन० जोशी) :**
(क) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि सिद्ध समिति के एक भी सदस्य, यूनानी के 42 प्रतिशत चिकित्सक और आयुर्वेद के 42 प्रतिशत चिकित्सक परिषद की वार्षिक बैठक में भाग नहीं ले पाये थे क्योंकि भारत सरकार ने उन्हें हवाई जहाज से यात्रा करने की अनुमति नहीं दी थी ।

(ख) सरकारी व्यय में अत्यधिक बचत करने की हिदायतों को ध्यान में रखते हुए परिषद के सभी सदस्यों को हवाई जहाज से यात्रा करने की अनुमति देना सम्भव नहीं था । वैसे, छह सदस्यों को जिन्होंने वास्तव में हवाई जहाज से यात्रा की थी, बाद में इस यात्रा की अनुमति दे दी गई थी । स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों/परिषदों के गैर-सरकार सदस्यों को परिषदों, आदि की बैठकों में भाग लेने के लिये हवाई जहाज से यात्रा करने की अनुमति देने के बारे में यथोचित दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए वित्त मंत्रालय को लिखा है । इन निर्देशों को अन्तिम रूप दिए जाने तक हर मामले की उसके गुणावगुण के आधार पर जांच की जाएगी ।

**झांसी में डीजल इंजन-शेड की स्थापना**

2244. **श्री रामनाथ दुबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के झांसी जिले में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के सहयोग से एक डीजल इंजन-शेड की स्थापना करने का है,

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है तथा फैक्ट्री की स्थापना कब तक हो जाने की आशा है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलें बाहरी पार्टियों के सहयोग से डीजल इंजन शैड स्थापित नहीं करती हैं।

## नरेला स्थित बालगृह की हालत

2245. **श्री जगपाल सिंह**
**श्री बी० डी० सिंह** } : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 मई, 1982 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित उस प्रेस-रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें नरेला बालगृह की वर्तमान दयनीय हालत तथा प्रशासन की निर्दयता के कारण एक बच्चे की मृत्यु हो जाने का उल्लेख था, और

(ख) यदि हां, तो बाल-गृह के कार्यकरण की जांच करने तथा स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** :

(क) और (ख) जी, हां। दिल्ली प्रशासन जो बालगृह का संचालन करता है, ने कथित घटना की जांच करवाई है और जिससे यह पता चला है कि गृह के किसी कर्मचारी की लापरवाही से बच्चों की मृत्यु हुई, यह आरोपित नहीं किया जा सका। बच्चे का इलाज स्थानीय डाक्टर के साथ-साथ गृह के अंशकालिक डाक्टर द्वारा किया गया था।

## "सीरियस चार्जिज अगेन्स्ट आयुर्वेद रिसर्च बाडी" शीर्षक समाचार

2246. **श्री डी० एम पुत्ते गौडा :**

[**श्री गुफरान आजम :**

**श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

**श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

**श्री दिगम्बर सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 18 जून, 1982 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में" सीरियल चार्जिज अगेन्स्ट आयुर्वेद रिसर्च बाडी" शीर्षक से प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें केन्द्रीय आयुर्वेद एवम् सिद्ध अनुसंधान परिषद के विरुद्ध अनेक आरोप लगाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस समाचार में उल्लिखित भ्रष्टाचार, पक्षपात, अकुशलता, हिसाब-किताब में गड़बड़ी, अदक्ष व्यक्तियों की नियुक्ति तथा अन्य कदाचारों से सम्बन्धित गम्भीर आरोपों में कुछ सच्चाई का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने केन्द्रीय आयुर्वेद एवम् सिद्ध अनुसंधान परिषद की सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन० एम० जोशी) :**

(क) हां।

(ख) और (ग) सरकार को इस परिषद तथा इसके विभिन्न यूनिटों के कामकाज के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों की संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श से जांच करवाई गई है और आवश्यकतानुसार उपचारी उपाय कर दिये गये हैं।

(घ) इस परिषद का शासी निकाय और इसकी विभिन्न समितियां इस परिषद के कार्यों पर लगातार निगरानी रखती है। इस परिषद के लेखों की लेखा-परीक्षा भारत के महा-लेखा परीक्षक द्वारा की जाती है।

## सोवियत मिसाइलों का तैनात न किया जाना

2247. **श्री माधव सिंधिया :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोवियत रूस के राष्ट्रपति द्वारा सोवियत मिसाइलों के तैनात करने के काम को वर्तमान स्तर पर रोक देने तथा मिसाइलों को तैनात करने की तैयारी को रोक देने के बारे में दिनांक 18 मई, 1982 को की गई घोषणा की ओर ध्यान दिया है; और उस पर अमरीका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इसके विरोध में उनका क्या प्रस्ताव है; और

(ख) सरकार ने उक्त बात को दृष्टि में रखते हुए परमाणु शस्त्रों की दौड़ समाप्त करने तथा विश्व शान्ति को बढ़ावा देने के लिए अब तक क्या उपाय किए हैं;

**विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) :** (क) जी हां ?

(ख) सोवियत संघ ने यह संकेत दिया है कि वह इस विचार से सहमत है कि नाभिकीय हथियारों को पहले कम करने और अंततः उन्हें पूरी तरह समाप्त कर देने की दिशा में परस्पर मिलकर सबसे पहले इन हथियारों के उत्पादन पर रोक लगायी जाये। सोवियत संघ ने अपनी ओर से यह भी दायित्व लिया है कि वह नाशिकीय हथियारों के इस्तेमाल में पहल नहीं करेगा।

यूरोप में मझोली के नाभिकीय शक्तियों के संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति यह है कि ये शक्तियां पर्शिग 11 बैलिस्तिक मिसाइलों और ग्राउंड लांच क्रूज मिसाइलों को वहां रखने का कार्यक्रम रद्द करने के लिए तैयार है बशर्ते कि इसके बदले में सोवियत संघ की एस० एस० 20 एस० एस० 4 और एस० एस० 5 मिसाइलों को खत्म कर दिया जाये। संयुक्त राज्य अमेरीका ने सामरिक महत्व के हथियारों को कम करने के लिए एक क्रमिक कार्यक्रम का भी सुझाव दिया है और उसने सामरिक संतुलन के सभी तत्वों पर विचार-विमर्श करने पर अपनी रजामंदी जाहिर की है।

भारत ने सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच सामरिक हथियारों को परिसीमित रखने और कम करने के संबंध में बातचीत पुनः शुरू होने का स्वागत किया है। हमने यह भी कहा है कि इस बातचीत की परिधि का विस्तार किया जाये ताकि उसमें सभी प्रकार की नाभिकीय अस्त्र पद्धतियां शामिल हो सकें। भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ पहले ही से आपस में की गई संधियों का पालन करेंगे, ताकि नाभिकीय निरस्त्रीकरण और अंतराष्ट्रीय तनाव शैथिल्य के लिए अधिक व्यापार प्रयत्न किए जा सकें। निरस्त्रीकरण संबंधी द्वितीय विशेष अधिवेशन में भारत ने सक्रिय रूप से भाग लिया। हमने नाभिकीय हथियारों के इस्तेमाल न करने पर एक मसौदा अभिसमय प्रस्तुत किया, नाभिकीय हथियारों पर रोक लगाने संबंधी एक मसौदा संकल्प रखा और नाभिकीय युद्ध रोकने के लिए एक मसौदा संकल्प भी सहप्रायोजित किया। हमारी चेष्टा है कि परस्पर सहमति के आधार पर निश्चित समय के अन्दर सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण पर संधि की जाए। हम समझते हैं कि आम लोगों को नाभिकीय युद्ध के खतरों और शीत-युद्ध के खतरों और शीत-युद्ध के हानिकारक पहलुओं के बारे में अच्छी तरह समझाने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र और उसके विशेष अभिकरणों की पहल करनी चाहिए।

**वीरभूम जिला रेल यात्री एसोसिएशन की ओर से भेजा गया तार**

2248. **श्री प्रो० सत्यगोपाल मिश्र** : क्या रेलमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या उन्हें बीरभूम जिला रेल यात्री एसोसिएशन की ओर से जिले में उनको गाड़ियों का, जिनके पहले आरम्भ किया गया था बाद में बन्द कर दिया गया, समाप्त किये जाने के बारे में कोई तार प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया/ निर्णय क्या है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) बीरभूम रेल यात्री समिति से 22-6-82 को एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ हावड़ा से और हावड़ा के लिए 381/382 और 325/326 पैसेंजर गाड़ियों को दुबारा चलाने का सुझाव दिया गया था।

(ग) चूंकि बढ़ाये गये भाग पर गाड़ियों में कम मात्रा में यातायात होता था अत: 28-5-82 से इन्हें आगे तक चलाना बन्द कर दिया गया था।

**परिवार नियोजन आपरेशन के बोगस मामलों का दर्ज किया जाना**

2249. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि कई केन्द्रों पर परिवार नियोजन आपरेशन के अनेक मामले बोगस दर्ज किए जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो झूठे रिकार्ड तथा सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान देश में, राज्य-वार ऐसे केन्द्रों में जहां 25 परसेंट से भी अधिक झूठे मामले दर्ज पाए गए हैं; केन्द्रों में कितने आपरेशन दर्ज किए गए थे तथा कितने आपरेशन वास्तव में वहां किए गए थे ;

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) सरकार को परिवार नियोजन आपरेशन के किसी भी बोगस मामले की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

**ठेका श्रमिक पद्धति के जरिए भराई (बैलास्टिंग) कार्य का निष्पादन**

2250. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तिरूनेलवेली-केप-त्रिवेन्द्रम रेल लाइन में ठेका श्रमिक पद्धति के जरिए भराई कार्य निष्पादित किये जाने के क्या कारण हैं जबकि कन्याकुमारी-त्रिवेन्द्रम लाइन में यह कार्य केवल रेल कर्मचारियों द्वारा ही किया गया था ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : इस खण्ड पर मिट्टी की सप्लाई की दर धीमी है और पटरियों में मिट्टी बिछाने के कार्य की तुलना में पीछे है। इसलिए मिट्टी बिछाने का कार्य स्टाक रहने तक छोटी अवधियों के लिए किया जाता है। अतः रेलों द्वारा विशाल श्रमिक दल के रखने का औचित्य नहीं है क्योंकि अन्तराल की अवधियों के दौरान इन श्रमिकों को उपयोग में लाने के लिए इस क्षेत्र में कोई अन्य कार्य उपलब्ध नहीं है। अतः एक प्रयोगात्मक उपाय के रूप में मिट्टी बिछाने का कार्य अब ठेका एजेंसी के माध्यम से कराया जा रहा है।

**अप्रचलित औषधियों का आयात**

2251. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार-पत्रों में प्रकाशित इन रिपोर्टों को देखा है कि भारी मात्रा में ऐसी औषधियों का आयात किया गया है जो अप्रचलित हो चुकी हैं तथा प्रयोग के काबिल नहीं हैं ;

(ख) इस प्रकार आयात की गई औषधियों की मात्रा तथा अन्य ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)** : (क) जी, नहीं। सरकार को पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित इन रिपोर्टों की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

**चीन द्वारा नागा-विद्रोहियों को प्रशिक्षण**

2252. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन अब भी नागा-विद्रोहियों को प्रशिक्षण दे रहा है ;

(ख) क्या नागालैंड के उत्तरी जिले से लगा हुआ बर्मा का सीमा-क्षेत्र इन विद्रोहियों का अड्डा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी नहीं। सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि हाल में चीन में नागा-विद्रोहियों को कोई प्रशिक्षण दिया गया है।

(ख) और (ग) सरकार को यह ज्ञात है कि बर्मा में कुछ भारतीय नागा विद्रोही मौजूद हैं। हमने समय-समय पर बर्मा की सरकार को उपयुक्त सूचना भेजी है जिसमें उनसे अपने पड़ोसी मित्र देश के विरुद्ध अपनी भूमि के इस्तेमाल की अनुमति न देने की उनकी नीति के अनुरूप इस प्रकार के शत्रुतापूर्ण तत्वों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

पश्चिम रेलवे की गाड़ियों का देर से चलना और रद्द किया जाना

2253. श्री उत्तम भाई एच० पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 जनवरी, 1982 से 30 जून, 1982 की अवधि के दौरान गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र तथा कच्छ में पश्चिम रेलवे की गाड़ियां अनेक बार रद्द की गयी हैं,

(ख) क्या यह सच है कि गाड़ियां 1 जनवरी, 1982 से 30 जून, 1982 तक ठीक समय पर नहीं चल रही थीं,

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान रद्द की गयी गाड़ियों और देर से चली गाड़ियों का ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं,

(घ) उक्त विलम्ब तथा रद्द किये जाने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, और

(ङ) रेलवे को कोयले की तत्काल और नियमित पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम रेलवे के अधीन गुजरात में विभिन्न कोयला डीपुओं में कोयले का भंडार रखने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं

(ख) जी नहीं।

(ग) इस अवधि के दौरान कोयले की कमी के कारण जो 9 जोड़ी गाड़ियां रद्द रहीं, उन सभी गाड़ियों को, एक गाड़ी को छोड़कर, क्रमशः पुनः चला दिया गया। इस अवधि के दौरान भावनगर और राजकोट मंडलों पर गाड़ियों के समय-पालन पर एक बार निगरानी रखी गयी जो 77 और 100 प्रतिशत के बीच था।

(घ) परिहार्य रुकौनियों के सभी मामलों में कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(ङ) भाप कोयले की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कोयला विभाग तथा कोयला उत्पादन करने वाले प्राधिकरणों के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है ताकि रेलें अपनी जरूरत के अनुसार कोयला प्राप्त कर सकें और कोयले की कमी के कारण रद्द न करें।

**कल्ला, आसनसोल स्थित सेंट्रल हास्पीटल**

2254. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रानीगंज कोयला क्षेत्र के कामगारों के लिए कल्ला (आसनसोल) स्थित सैंट्रल हास्पीटल में स्थायी वरिष्ठ चिकित्सक का पद पिछले 10-12 वर्षों से खाली पड़ा हुआ है। और इस पूरे समय में एक कनिष्ठ चिकित्सक तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि इस अस्पताल में 90 प्रतिशत लाभ प्राप्तकर्ता कर्मचारी हिन्दी भाषी हैं और वर्तमान चिकित्सक उनकी भाषा नहीं समझता है और क्या इन्टक नेताओं ने उन्हें प्रधान मंत्री और संबंधित अधिकारियों को एक शिकायत भेजी थी कि उचित उपचार नहीं किया जाता और इस चिकित्सक को तत्काल हटाये जाने की मांग की गई है, और

(ग) यदि उपरोक्त मांगों का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या कामगारों के हित में सरकार इस अस्पताल में एक स्थायी वरिष्ठ चिकित्सक को नियुक्त करेगी।

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री : (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)** : (क) वरिष्ठ फिजीशियन का पद इस पद के नियमित पदाधिकारी डा० जी० पी० सेठ के प्रतिनियुक्ति पर विदेश चले जाने के कारण 27.8.75 को रिक्त हुआ था। यह एक नियमित रिक्ति न होने के कारण यह पद समय-समय पर विशेषज्ञ ग्रेड-II के पात्र और योग्य अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति से भरा जाता रहा है। वैसे डा० सेठ ने 8.9.80 से स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति ले ली थी और इसके तुरन्त बाद संघ लोक सेवा आयोग से इस पद को नियमित आधार पर भरने के लिए अनुरोध किया गया था। इस समय इस पद पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ ग्रेड-II का अधिकारी किसी नियमित अधिकारी की नियुक्ति होने तक 8.9.80 से तदर्थ आधार पर कार्य कर रहा है।

(ख) यह सच है कि बड़ी संख्या में लाभार्थी हिन्दी भाषी हैं। यह सही नहीं है कि वर्तमान वरिष्ठ फिजीशियन हिन्दी नहीं समझते। भारतीय मजदूर संघ के एक नेता द्वारा की गई शिकायत की जांच की गई है लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो सकी।

(ग) इस पद को नियमित आधार पर भरने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

**अन्य देशों के साथ संयुक्त आयोगों का गठन**

2255. **श्री दौलत राम सारण** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से देश हैं जिनके साथ मिल कर भारत ने संयुक्त आयोगों का गठन किया है तथा ये आयोग कब-कब गठित किए गए;

(ख) किन-किन परस्पर हितों अथवा मुद्दों के लिए इन आयोगों की स्थापना की गई है;

(ग) इन आयोगों की उपलब्धियां क्या हैं तथा संयुक्त आयोगों की स्थापना से पहले तथा बाद की स्थिति का तुलनात्मक विवरण क्या है; और

(घ) संयुक्त आयोगों की स्थापना से भारत सरकार पर कितना वित्तीय-भार और बढ़ गया है।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें ब्यौरा दिया गया है।

(ख) सभी मामलों में संयुक्त आयोगों/समितियों का गठन सहयोग को, विशेषकर वाणिज्यिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग को विस्तृत करने की पारस्परिक इच्छा पर आधारित होता है।

(ग) संयुक्त आयोग/समितियां आम तौर पर व्यापक विचार-विमर्श, परियोजनाओं के चयन, प्रस्ताव तैयार करने और उनके क्रियान्वयन के लिए काफी लाभदायक मंच सिद्ध हुए हैं। विशेष रूप से विकासशील देशों के मामले में ये आयोग/समितियां हमारी अपनी-अपनी अर्थ-व्यवस्थाओं के बीच की अनुपूरकताओं का पता लगाने और विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग के बारे में काराकस कार्यक्रम का द्विपक्षीय आधार पर क्रियान्वयन करके आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग को बढ़ाने में भी सहायक रही है। समाजवादी देशों के मामले में संयुक्त आयोग/समितियां आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम रही है क्योंकि इन देशों में उपर्युक्त ढंग के क्रियाकलाप सरकारी अभिकरणों के माध्यम से पूरे किये जाते हैं। जहां तक विकसित देशों का सवाल है संयुक्त आयोग/समितियां निर्यात में वृद्धि, टैरिफ तथा गैर-टैरिफ बैरियर, विकास संबंधी सहायता, निवेश, तीसरे देश के साथ सहयोग आदि से सम्बन्धित मामलों पर दोनों सरकारों के बीच परामर्शों के लिए लाभदायक सिद्ध हुई हैं।

(घ) वित्तीय भार प्रमुख रूप से विदेशी प्रतिनिधि मंडलों को भारत बुलाने और भारत से विदेशों में प्रतिनिधि मंडल भेजने पर किए गए खर्च से सम्बन्धित है। पारस्परिक सहयोग में वृद्धि और विविध क्षेत्रों में पारस्परिक आदान-प्रदान से होने वाले कुल आपसी लाभ की तुलना में ये खर्च नगण्य हैं।

## विवरण

**भारत और अन्य देशों के बीच संयुक्त संगठन आयोगों/समितियों की सूची (12-7-81 तक)**

(i) विकसित देश

| क्र० सं० | देश का नाम | स्थापना की तारीख |
|---|---|---|
| 1. | स्वीडन | 1972 |
| 2. | संयुक्त राज्य अमरीका | 1974 |
| 3. | ई० ई० सी० | 1973 |

(जारी......)

| | | |
|---|---|---|
| 4. | इंगलैंड | 1976 |
| 5. | इटली | 1976 |
| 6. | फ्रांस | 1981 |
| 7. | बेल्जियम | 1970 |
| 8. | नीदरलैंड | 1973 |
| 9. | स्विटजरलैंड | 1972 |
| 10. | फिनलैंड | 1974 |
| 11. | पुर्तगाल | 1977 |
| 12. | स्पेन | 1972 |
| 13. | आस्ट्रेलिया | 1976 |
| 14. | जर्मन संघीय गणराज्य | 1981 |

(ii) विकासशील देश

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री लंका | 1968 |
| 2. | इरान | 1969 |
| 3. | अफगानिस्तान | 1969 |
| 4. | यू० एस० ई० | 1975 |
| 5. | इराक | 1974 |
| 6. | तंजानिया | 1975 |
| 7. | मारीशस | 1976 |
| 8. | लीबिया | 1978 |
| 9. | टर्की | 1978 |
| 10. | नाइजीरिया | 1979 |
| 11. | गुयाना | 1979 |
| 12. | अल्जीरिया | 1980 |
| 13. | सऊदी अरब | 1981 |
| 14. | जाम्बिया | 1981 |
| 15. | कोरिया गणराज्य | 1975 |
| 16. | मलयेशिया | 1979 |

(iii) पूर्व यूरोप के समाजवादी देश

| | | |
|---|---|---|
| 1. | यूगोस्लाविया | 1962 |
| 2. | चेकोस्लोवाकिया | 1966 |
| 3. | पोलैंड | 1972 |
| 4. | सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ | 1972 |
| 5. | हंगरी | 1973 |
| 6. | बल्गारिया | 1973 |
| 7. | रूमानिया | 1974 |
| 8. | जर्मन जनवादी गणराज्य | 1974 |

### खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के उपाय

2256. श्री पी० के० कोडियन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में खाद्य पदार्थों में मिलावट बढ़ती जा रही है;

(ख) क्या बाजार में बेचे जाने वाले विभिन्न किस्मों के खाद्य पदार्थों के नमूनों की उनमें मिलावट का पता लगाने के लिए नियमित रूप से जांच किया जाना जरूरी होता है;

(ग) इन पदार्थों में से कितने प्रतिशत पदार्थ मिलावटी पाये गए हैं;

(घ) मिलावट करने के लिए सामान्यत: कौन-कौन सी चीजों का प्रयोग किया जाता है; और

(ङ) खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) नहीं।

(ख) हां।

(ग) दिल्ली प्रशासन को पिछले चार वर्षों में जितने मिलावटी नमूने मिले हैं उनकी प्रतिशतता इस प्रकार है :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1978 | — | 16.0 | प्रतिशत |
| 1979 | — | 8.4 | प्रतिशत |
| 1980 | — | 10.4 | प्रतिशत |
| 1981 | — | 8.3 | प्रतिशत |

(घ) विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूनों में आमतौर पर जिन चीजों की मिलावट पायी गई थी, वे हैं—प्रतिबंधित रंग, स्टार्च, ऐलुमिनियम कण, सैकरिन तथा काफी मात्रा में जैव और अजैव बाह्य पदार्थ।

(ङ) थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, दुकानों, स्टालों और जिन स्थानों में खाद्य वस्तुएं बनती हैं वहां से नमूने नियमित रूप से भरे जाते हैं। जिन स्थानों से शिकायतें मिलती हैं, उनके निरीक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

### एशियाई खेल 1982 से सम्बन्धित निर्माण कार्य

2257. श्रीकृष्ण चन्द्र पांडे : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाई खेलों से सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्माण कार्य 30 जून, 1982 तक पूरे हो जाने चाहिए थे;

(ख) क्या उक्त निर्माण कार्य अभी पूरे नहीं हुए हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) ये निर्माण कार्य कब तक पूरे हो जाएंगे; और

(घ) विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) से (ग) नवें एशियाई खेलों की आवश्यकता यह है कि खेलों से संबंधित सभी निर्माण कार्य खेलों के लिए निर्धारित समय के अन्दर पूरा हो जाना चाहिए। ये निर्माण कार्य पूर्ण ही होने वाले हैं और खेलों के लिए समय रहते तैयार हो जाएंगे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**मारवाड़ जंक्शन और अहमदाबाद के बीच 95 अप 96 डाउन गाड़ी का चलाया जाना**

2258. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 9 अप्रैल, 1982 को बम्बई में हुए अरावली सम्मेलन में उन्होंने पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक से मारवाड़ जंक्शन और अहमदाबाद के बीच 95 अप और 96 डाउन (उत्तर रेलवे) गाड़ियों को शुरू करने का अनुरोध किया था, और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा गाड़ी कब तक चलनी शुरू हो जाएगी ताकि राज्य से बाहर रहने वाले राजस्थानी लोगों को अहमदाबाद से मारवाड़ आने में कुछ राहत अनुभव हो सके ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) राजस्थान प्रवासी संघ के प्रतिनिधियों और अन्य व्यक्तियों के साथ उनके द्वारा दिये गये सुझाव पर 9-4-82 को बम्बई में हुई बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ 95/96 मारवाड़ मेल को अहमदाबाद तक बढ़ाने की व्यावहारिकता की जांच करने के लिए पश्चिम रेलवे को कहा गया था।

(ख) प्रस्ताव की जांच की गयी है लेकिन मार्गवर्ती खंडों पर लाइन क्षमता की तंगी और नियमित आधार पर अतिरिक्त गाड़ियों की सम्हलाई के लिए अहमदाबाद में टर्मिनल सुविधाओं की कमी के कारण इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।

**पश्चिम बंगाल में रेलवे लाइनों के निर्माण की मांग तथा नई गाड़ियों का शुरू किया जाना**

2259. **श्री अजित कुमार साहा**
**श्री हनान मोल्लाह** } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस वर्ष मार्च और अप्रैल के महीनों में पश्चिम बंगाल में रेल-सेवा में सुधार और रेलवे-लाइनों के निर्माण तथा नई गाड़ियों की शुरू करने की मांग के समर्थन में एक विशाल पदयात्रा आयोजित की गई थी,

(ख) क्या सरकार को दिनांक 5 अप्रैल, 1982 का कोई ज्ञापन भी प्राप्त हुआ है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

## विवरण

**1. हावड़ा पुरुलिया खण्ड पर एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाना**

(क) पुरुलिया दक्षिण पूर्व रेलवे के अनारा-चांडिल खण्ड पर एक छोटा स्टेशन । इस समय 315/316 हवड़ा-चक्रधरपुर पैसेंजर गाड़ी हवड़ा और पुरुलिया के बीच रात भर की सुविधाजनक सेवा मुहैय्या करती है । 15-281 से 315/316 पैसेंजर गाड़ी की गति बढ़ा दी गयी है और इस गाड़ी जोड़ी से पुरुलिया पर चढ़ने और उतरने वाले यात्रियों के लिए डेढ़ सवारी डिब्बे की व्यवस्था भी कर दी गयी है ।

पुरुलिया में टर्मिनल सुविधाओं की कमी और कोचिंग स्टाक की भारी कमी के कारण हवड़ा-पुरुलिया चक्रधरपुर खण्ड में अतिरिक्त गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं है । इसके अतिरिक्त पुरुलिया में रेलों के अनुरक्षण के लिए टर्मिनल सुविधाएं सृजित करना वांछनीय नहीं है क्योंकि इससे इस्पात संयन्त्र के यातायात के बहाव पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा ।

**(ख) पुरुलिया कोटशिला मीटर आमान का बड़े आमान में बदलाव**

मौजूदा छोटी आमान की लाइन को बड़े आमान की लाइन में बदलने के लिए इंजीनियरी एवम् यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है । इस मामले पर सर्वेक्षण रिपोर्ट को ध्यान में रखकर विचार किया जायेगा तथा उसकी व्यावहारिकता अर्थक्षमता और धन की उपलब्धता के सम्बन्ध में स्थिति को ध्यान में रखा जायेगा ।

**2. मेझिया के रास्ते रानीगंज और बांकुड़ा के बीच रेलवे लाइन**

पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर पहले किये गये सर्वेक्षण का ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कोयले की मात्रा के सम्बन्ध में दी गयी सूचना के आधार पर पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है और अद्यतन किया जा रहा है । इस मामले में अन्तिम विचार पूर्नमूयांकन की रिपोर्ट प्राप्त होने और उसकी जांच करने के बाद किया जायेगा । बशर्ते कि अर्थक्षमता और धन उपलब्ध हो और योजना आयोग इसकी स्वीकृत दे दे ।

**3. घटल के रास्ते मचेदा से दिगहा तक, हल्दिया से बोकारो तक पासखुड़ा से चन्द्रकोना रोड तक रेलवे लाइन ।**

दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा खड़गपुर और दीगहा के बीच बड़े आमान की रेल लाइन पर एक सर्वेक्षण किया जा रहा है । यह सर्वेक्षण कश्यपुर, नन्दाकुमार, नरघाट, कोंटई और रामनगर के रास्ते तमलुक स्टेशन दिगहा तक (88 किलोमीटर) के लिए है । सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर इस प्रस्ताव की जांच की जायेगी जिसमें योजना की अर्थक्षमता और धन की उपलब्धता पर उचित ध्यान दिया जायेगा । पांसकुड़ा, खड़गपुर, टाटानगर, कन्द्रा, चांडिल, मूरी के रास्ते हल्दिया से बोकारो सिटी तक रेल लाइन पहले से ही है । फिर भी, पुरुलिया कोलशिला छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का सर्वेक्षण किया जा रहा है । इस मामले पर सर्वेक्षण रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायेगा जिसमें उसकी अर्थक्षमता और धन की उपलब्धता से सम्बन्धित स्थिति पर भी ध्यान दिया जायेगा ।

**4. शेवरापुली और तारकेश्वर के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण और बिशनुपुर तक रेल लाइन का विस्तार।**

प्रत्याशित यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तारकेश्वर शाखा सहित शेवरापुल और बंडेल खण्ड के बीच लाइन क्षमता में वृद्धि करने के लिए सर्वेक्षण प्रारम्भ करने का विचार किया गया है। सर्वेक्षण अनुमोदित कर दिया गया है। फिलहाल इस लाइन का दोहरीकरण करना आवश्यक नहीं समझा जाता है। इस समय विशनुपुर तक रेलवे लाइन का विस्तार करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। संसाधनों की वर्तमान तंगी के कारण प्रस्तावित विस्तार को प्रारम्भ नहीं किया जा सकता है।

**5. (क) बडेल-कटवा खण्ड का विद्युतीकरण**

बडेल-कटवा के विद्युतीकरण के प्रस्ताव की अनेकों बार जांच की गयी है लेकिन इसे औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया क्योंकि अपेक्षित निवेश के लिए यातायात का घनत्व और भविष्य में प्रत्याशित यातायात की बढ़ौतरी काफी कम थी। अतः इस समय इस खण्ड का बिजलीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**(ख) कटवा-बंडेल रेल लाइन का दोहरीकरण**

वर्तमान कटवा-बंडेल बड़ी लाइन के दोहरीकरण के लिए इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यातायात के मौजूदा मात्रा की सम्हलाई के लिए बंडेल और कटवा खण्ड पर वर्तमान क्षमता पर्याप्त समझी गयी है जब कभी यातायात की आवश्यकताओं के अनुसार अपेक्षित हो वैकल्पिक साधनों द्वारा इस खण्ड की लाइन क्षमता बढ़ायी जा सकती है।

**6. हवड़ा-आमता शेवखला बड़ी लाइन को पूरा करना**

1980 से 1983 तक हवड़ा आमता/चम्पाडांगा लाइन के लिए 1.5 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है। पहले चरण में सांतरागाछी से बड़गछिया के बीच के खण्ड में कार्य प्रारम्भ किया गया है। नयी लाइनों के निर्माण के लिए धन की भारी तंगी के कारण इस परियोजना के समापन का लक्ष्य बढ़ाना पड़ा है। फिर भी, इस परियोजना को यथासम्भव शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां तक, हवड़ा-शेवखला लाइन का सम्बन्ध है, धन की भारी कमी के कारण और निधियों को यथासम्भव शीघ्र अतिशीघ्र उत्पादक बनाने की आवश्यकता को देखते हुए, जिन योजनाओं पर पर्याप्त काम हो चुका है और जिन पर पहले ही पर्याप्त मात्रा में निवेश किया जा चुका है उन्हें अधिक से अधिक धन दिया जा रहा है और आवश्यकता पड़ने पर उन दूसरी योजनाओं से धन लगाया जाता है जिन पर कोई काम नहीं हो रहा है। इस परियोजना पर काम प्रारम्भ करना पर्याप्त धन की उपलब्धता पर आधारित होगा।

**7. बजबज से नामखाना तक रेल लाइन को शीघ्र पूरा करना**

लक्ष्मीकान्तपुर से कालपी तक रेल लाइन सहित बजबज से नामखाना तक एक नयी बड़ी लाइन का निर्माण कार्य 20.77 करोड़ की अनुमानित लागत से 1981-82 के पूरक बजट में शामिल किया गया था। योजना आयोग से इस परियोजना के लिए औपचारिक स्वीकृति देने के सम्बन्ध में पहले ही कहा जा चुका है और इसकी परीक्षा की जा रही है। योजना आयोग से

स्वीकृति मिलने पर सम्बन्ध में आगे कार्रवाई की जायेगी । योजना आयोग से स्वीकृति मिलने के बाद धन की उपलब्धता के आधार पर यह परियोजना पूरी की जा सकेगी ।

8. **नैहाटी-ककूरगाची-बजबज लाइन पर सवारी गाड़ी चलाना जिसे केवल माल यातायात के लिए प्रयुक्त किया जाता है ।**

नैहाटी-ककूरगाची-बजबज खण्ड में यात्री परिचालन लाइन खोलने के लिए सर्वेक्षण-कार्य पूरा हो चुका है । रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

9. **कलकत्ता में परिक्रमा रेलवे पर शीघ्र काम किया जाना**

इस समय दमदम से टालीगंज तक एम आर टी एस परियोजना का निर्माण काफी प्रगति पर है । जब तक यह पूरा होता है और चालू किया जाता है तब तक रेलवे के लिए धन की तंगी के कारण किसी परियोजना का निर्माण प्रारम्भ करना सम्भव नहीं होगा ।

10. **न्यू जलपाईगुड़ी (उत्तरी बंगाल) और दिल्ली के बीच दूसरी तेज गाड़ी चलाना ।**

न्यू जलपाईगुड़ी से दिल्ली तक अतिरिक्त गाड़ियां चलाना, मार्ग में लाइन क्षमता की तंगी, दिल्ली क्षेत्र में अपर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं और कोचिंग स्टाक की भारी कमी के कारण, इस समय सम्भव नहीं है ।

**"राष्ट्रीय और जोनल परमिटों" को पूरा-पूरा उपयोग कर लेने की समय-सीमा"**

**2260. श्री एच० एन० नन्जे गोडा
श्री डी० एम० पुत्ते गोडा** } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय और जोनल परमिटों का पूरा-पूरा उपयोग कर लेने की समय-सीमा निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या यह सच है कि अनेक राष्ट्रीय और जोनल परमिटधारी परमिटों का उपयुक्त प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं :

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख)**

राष्ट्रीय और क्षेत्रीय परमिटों के जारी किये जाने की कार्यविधि को देखते हुए इसके लिए औपचारिक रूप से समय की कोई सीमा निश्चित करना कठिन है । तथापि भारत सरकार राज्य सरकारों को परमिटों के शीघ्र आवंटन पर बार-बार जोर देती रही है ।

(ग) और (घ) इन परमिटों के बड़े पैमाने पर न इस्तेमाल किये जाने के बारे में सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

**बाल अनाथालयों के लिये अनुदान**

2261. **श्री धर्मवीर सिंह : क्या समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाल अनाथालयों के लिये अनुदान की जो राशि वर्ष 1982-83 के लिये प्रदान की गई थी, वह वर्ष 1981-82 के लिये प्रदत्त राशि के बराबर है,

(ख) वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान अनाथालयों के लिये प्रदान किये गए अनुदान का ब्योरा क्या है, और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये चालू वर्ष के दौरान अनुदान की राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, और यदि हां, तो तत्संबंधी व ब्योरा क्या है ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क) जी, हां।

(ख) 1981-82 में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 113.08 लाख रुपए के अनुदान उपलब्ध कराये गए 1982-83 के लिए 110.00 लाख रुपए का बजट प्रावधान है।

(ग) प्रस्ताव विचाराधीन है।

**माल यातायात के आंकड़ों का संकलन**

2262. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के प्रथम तिमाही में रेल विभाग द्वारा संचालित माल यातायात के आंकड़े संकलित कर लिये हैं,

(ख) गत वर्ष के आंकड़ों की तुलना में इन आंकड़ों की क्या स्थिति है,

(ग) क्या सरकार ने भविष्य की परियोजनाओं के लिये कोई स्कीम तैयार की है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) अप्रैल-जून 1982 की तिमाही के लिए भाड़ा यातायात के प्रारम्भिक राजस्व अर्जक मीटरिक टन के अनन्तिम आंकड़े संकलित किये गये हैं।

| | (10 लाख मी० टन) |
|---|---|
| (ख) अप्रैल-जून, 1981 | 51.06 |
| अप्रैल-जून, 1982 | 54.80 |

(ग) और (घ) जी हां। वर्ष 1982-83 के लिए 2300 लाख मीटरिक टन राजस्व अर्जक भाड़ा यातायात के लक्ष्य का बजट निर्धारित किया गया है।

"देश के व्यापार में भारतीय जहाजरानी का भाग"

2263. डा० कृपा सिंधु भोई
श्री धर्मवीर सिंह
श्री डी० पी० यादव
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव
} : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के आयात और निर्यात व्यापार में भारतीय जहाजरानी की भागीदारी में तेजी से गिरावट आई है :

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) व्यापार करारों पर बातचीत करते समय भारतीय जहाजों द्वारा माल ले जाने को सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है, और

(घ) यातायात संरचना को युक्तिसंगत बनाने तथा भारतीय जहाजरानी निगम को ए सक्षम इकाई बनाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) पिछले चार वर्षों में आयात निर्यात व्यापार में भारतीय नौवहन कंपनियों का निम्नलिखित हिस्सा था :—

| | |
|---|---|
| 1977-78 | 38.76 प्रतिशत |
| 1978-79 | 36.58 ,, |
| 1979-80 | 31.65 ,, |
| 1980-81 | 32.3 ,, |

उपरोक्त विवरण को देखते हुए यह पता चलता है कि 1977-78 और 1978-79 की तुलना में 1980-81 में भारतीय कम्पनियों के हिस्से में कमी आई है। तथापि 1977-78 में 22.82 मिलियन टन और 1978-79 में 23.31 मिलियन टन की तुलना 1980-81 में 24.20 मिलियन टन माल ढोया गया।

(ख) भारतीय जहाजों के हिस्से की कमी के मुख्य कारण ये हैं : —

(1) लगभग सभी मार्गों पर जनरल कारगों व्यापार मेंनन-कान्फरेस विदेशी कंपनियों की प्रतियोगिता। विदेशी कंपनियों के लिए भारतीय पत्तन मार्ग का पत्तन है कि जबकि भारतीय कम्पनियों के लिए आधार पत्तन है। अत: विदेशी कम्पनियां माल प्राप्त करने के लिए कम भाड़े की मांग करते हैं।

(2) भारतीय कम्पनियों की कंटेनर ढोये जाने की पर्याप्त कमी।

(3) माल आयात के लिए अधिकतर ठेके मूल्य और भाड़े (सी एंड एफ) आधार पर तय किये जाते हैं और निर्यात के लिए फ्री आन बोर्ड (एफ० ओ० बी०) के आधार पर जो विदेशी कंपनियां/ग्राहकों के नौवहन प्रबन्ध पर निर्भर करता है।

(4) किसी न किसी भारतीय पत्तनों पर श्रमिक समस्या रहती है जिसके कारण भारतीय

जहाजों पर माल लादने/उतारने में देरी होती है। यह अक्सर भारतीय पत्तनों पर रहता है जबकि विदेशी कंपनियों के लिए यह किसी किसी चुने हुए पत्तन पर ही रहता है।

(5) कुछ नौवहन चालक अपने को गलत कार्यों में जैसे भाड़ा किराया और सरचार्ज में कटौती, परम्परा से अधिक दलाली आदि में शामिल करते हैं।

(ग) सी एंड एफ आधार पर निर्यात और एफ० ओ० बी० आधार पर आयात के लिए स्थायी अनुदेश जारी किये जा चुके हैं। सरकारी उपक्रम/परियोजना/सरकारी विभागों को इसकी कड़ाई से अनुपालन के लिए समय समय पर इस आदेश को दुहराए जाते हैं। तथापि व्यापारियों के मेलजोल की शक्ति और बाजार की स्थितियों को देखते हुए इस अनुदेश का पालन सर्वदा संभव नहीं होता।

व्यापार समझौतों में द्विपक्षीय स्तर पर जबकि कोई विशेष शर्तों की व्यवस्था नहीं होती है जैसा कि सामान्य अनुदेश में व्यवस्था की गई है, फिर भी जहां संभव होता है एक सामान्य उपखंड की व्यवस्था उसमें की जाती है जिसमें मोस्ट फेवर्ड नेशन एक दूसरे पत्तनों पर व्यापारिक जलयानों के पहुंचने पर उनके प्रयोग के लिए लिखा जाता है।

(घ) भारतीय नौवहन निगम (एफ० सी० आई०) विभिन्न कान्फ्रेंसों और रेट समझौतों का सदस्य है। अतः इसके द्वारा दी गई दरें समय समय पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा स्थापित दरों से मिलती जुलती होती हैं। नन कान्फ्रेन्स चालकों के कान्फ्रेंस/रेट समझौतों आदि ने एक्शन कमेटी अथवा लायजन कमेटी गठित किया है जो भाड़े की दरों में अक्सर परिवर्तन करती है और बाजार दर के स्तर को बनाने के लिए वह अकसर शीपर्स/ब्रोकर्स से सम्पर्क स्थापित करती है। भारतीय नौवहन निगम ने जो भारत यू० के० महाद्वीप क्षेत्र में सिन्धिया और भारत स्टीमशीप के साथ मिलकर संगठन बनाया है विदेशी कम्पनियों से परामर्श कर मिलती जुलती दरें/सेवाओं के तय करने के लिए राजी हो गये हैं।

**"प्रमुख पत्तनों के विकास के लिये अतिरिक्त आवंटन"**

2264. **श्री पी० एम० सईद** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रमुख पत्तनों के विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के नियतन की फिर से पुरीक्षा की जायेगी क्योंकि और अधिक नियतन किये जाने की संभावना है,

(ख) यदि हां, तो क्या न्हावा शेबा परियोजना के तेजी से कार्यान्वियन के लिये यह निर्णय आवश्यक था।

(ग) यदि हां, तो अन्य कारण क्या हैं जिसके लिये पुर्ननियतन आवश्यक था।

(घ) पत्तन विकास के लिये मंत्रालय को कितनी अतिरिक्त राशि प्रदान की गई है, और

(ङ) कितने पत्तनों को नया रूप दिया जायेगा और कितने पत्तनों की क्षमता बढाई जायेगी ;

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) कुछ स्कीमों के लिए अधिक पूंजी की व्यवस्था करना आवश्यक समझा गया है।

(घ) अतिरिक्त पूंजी का अनुमोदन योजना आयोग से अभी भी मिलना है।

(ङ) छठी योजना में उच्च शक्ति प्राप्त कार्गो को खरीदकर पुराने कारगो इक्वीपमैंट के स्थान पर नये इक्विपमैंट लगा कर और कंटेनर हैंडलिंग सुविधाओं की व्यवस्था कर बड़े पत्तनों के आधुनिकीकरण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पत्तनों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए नये बर्थों के निर्माण की व्यवस्था की गई है। छठी योजना की बहुत सी स्कीमों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

1. कांडला मद्रास, न्यू मालोर, मुरगांव, परादीप, टूटीकोरिन और विशाखा पत्तनम पत्तनों में जनरल कार्गो बर्थों का निर्माण।

2. कांडला और कोचीन में आयल जेट्टियों का निर्माण।

3. कोचीन और परादीप मैं फर्टिलाइजर बर्थें और

4. मद्रास में पूर्ण विकसित कंटेनर टर्मिनल।

इन स्कीमों और छठी योजना से पहले के शुरू की गई स्कीमों के पूरे होने पर इन योजना अवधि के अन्त तक पत्तनों की क्षमता 101 मिलियन टन से बढ़कर 130 मिलियन टन से भी अधिक हो जाने की संभावना है।

**ई० एल० आर० और निर्माण कर्मचारियों के लिये रेलवे अस्पतालों की सुविधायें**

2265. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अस्पतालों में रेलवे के ई० एल० आर० श्रमिकों तथा निर्माण श्रमिकों को चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) : जी नहीं। वर्तमान नियमों के अनुसार रेलवे अस्पतालों/स्वास्थ्य यूनिटों के बाह्य रोगी विभागों में उन्हें केवल स्वयं को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही है। उन्हें नियमित रेल कर्मचारियों के बराबर दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रसंगवश, भारत के अन्य नागिरिकों के समान वे सिविल अस्पतालों में अपना इलाज करवाने के हकदार हैं।

**सुधरी शिक्षा प्रणाली**

2266. **श्री तारिक अनवर**
**प्रो० ए० के० मेहता**
**श्री बी० डी० सिंह**
**श्री एल० नीलालो हिथादसन नाडार** } : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह

बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार स्कूलों और कालेजों में राजनीतिक और असामाजिक तत्वों के हस्तक्षेप पर प्रतिबन्ध लगाकर वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए कदम उठाने का है जिससे कि युवकों को सही दिशा मिल सके ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :**

सरकार का यह विचार है कि प्रत्येक संस्था को, जहां आवश्यक हो वहां स्थानीय कानून व्यवस्था प्राधिकारियों के सहयोग से, अलग-अलग यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परिसर असमाजिक तत्वों से मुक्त है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में 30 मई, 1981 को हुए कुलपतियों के सम्मेलन में निम्नलिखित संकल्प पारित किया गया था :

"यह सुनिश्चित करना कि शैक्षिक संस्थाओं के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में कोई बाहरी अथवा राजनीतिक हस्तक्षेप न हो, न ही छात्रों और कर्मचारियों का राजनीतिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाए, इसकी आवश्यकता समान रूप से महत्वपूर्ण है। सम्मेलन ने शिक्षा मंत्रियों और सरकार से यह अनुरोध किया कि वे शैक्षिक समुदाय का राजनीतिकरण रोकें और विभिन्न राजनीतिक दलों में अपने कार्यकलापों का क्षेत्र परिसरों से बाहर रखने की सूझ-बूझ पैदा करें ।

यद्यपि आगे आवश्यक कार्रवाई करना सम्बन्धित राज्य सरकारों का काम है, फिर भी जहां तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन विश्वविद्यालयों की जांच करने के लिए हाल ही में एक समिति का गठन किया है। इस समिति के विचारार्थ विषयों में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करने और विश्वविद्यालय के कार्यों में उनके शामिल होने की सीमा निर्धारित करने की वांछनीयता पर विचार करना शामिल है। सरकार का आगे कोई कदम उठाने के सम्बन्ध में विचार करने से पहले समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा करने का प्रस्ताव है ।

**परिवार कल्याण कार्यक्रम और केन्द्रीय सहायता से उप-केन्द्र खोलने के लिए राज्यवार नियतन**

2267. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तान पुरी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत दो वर्षों के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिये राज्य-वार कितनी राशि का नियतन किया गया है और केन्द्रीय सहायता से देश में कितने उप-केन्द्र चलाये जा रहे हैं; और

(ख) कितने उप-केन्द्रों में मिड-वाइफ आदि नहीं हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) :** (क) वर्ष 1980-81 और 1982 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिये राज्यों को

आबंटित की गई राशि तथा 1. 4. 1982 को देश में कार्य कर रहे उप केन्द्रों की स्थिति का ब्यौरा क्रमशः विवरण I और II में दिया गया है।

(ख) उप-केन्द्रों में केवल सहायक नर्स मिडवाइफें ए० एन० एम० तैनात की जाती हैं। उप-केन्द्रों में, जो सब के सब राज्य सरकारों के निन्त्रण में हैं, रिक्तियों की सही स्थिति तत्काल उपलब्ध नहीं है। स्थानान्तरणों आदि के कारण भी यह स्थिति समय-समय पर बदलती रहती है।

## विवरण I

1980-81 और 1981-82 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए राज्यों को सूचित किये गये आबंटनों का ब्यौरा

[रुपये लाखों में]

| | 1980/81 | 1981/82 |
|---|---|---|
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 1154.72 | 1207.62 |
| 2. असम | 240.22 | 206.88 |
| 3. बिहार | 833.77 | 1010.76 |
| 4. गुजरात | 666.42 | 823.92 |
| 5. हरियाणा | 210.66 | 291.77 |
| 6. हिमाचल प्रदेश | 118.36 | 177.43 |
| 7. जम्मू व कश्मीर | 125.55 | 125.61 |
| 8. कर्नाटक | 535.04 | 595.69 |
| 9. केरल | 465.16 | 477.16 |
| 10 मध्य प्रदेश | 716.61 | 920.37 |
| 11. महाराष्ट्र | 844.33 | 1116.60 |
| 12. मणिपुर | 39.57 | 54.59 |
| 13. मेघालय | 26.32 | 28.02 |
| 14. नागालैण्ड | 10.94 | 19.41 |
| 15. उड़ीसा | 532.21 | 755.23 |
| 16. पंजाब | 389.20 | 379.35 |
| 17. राजस्थान | 545.15 | 680.90 |
| 18. सिक्किम | 15.07 | 16.14 |
| 19. तमिलनाडु | 778.75 | 858.51 |
| 20. त्रिपुरा | 27.66 | 36.97 |
| 21. उत्तर प्रदेश | 1965.65 | 1901.89 |
| 22. पश्चिम बंगाल | 602.52 | 741.97 |
| योग: | 10743.88 | 12426.79 |

विवरण 2

1.4.1982 को देश में चलाए जा रहे उप-केन्द्रों की स्थिति

| | | चलाए जा रहे कुल उप केन्द्र | परिवार कल्याण की केन्द्र प्रायोजित योजना की सहायता से चलाए जा रहे कुल उप-केन्द्र |
|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 4409 | 1909 |
| 2. | असम | 877 | 178 |
| 3. | बिहार | 6445 | 2398 |
| 4. | गुजरात | 2600 | 1100 |
| 5. | हरियाणा | 1140 | 576 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 701 | 126 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 409 | 115 |
| 8. | कर्नाटक | 3452 | 1408 |
| 9. | केरल | 1910 | 1422 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 5640 | 1819 |
| 11, | महाराष्ट्र | 4571 | 2297 |
| 12. | मणिपुर | 185 | 40 |
| 13. | मेघालय | 122 | 45 |
| 14. | नागालैंड | 76 | 8 |
| 15. | उड़ीसा | 2268 | 930 |
| 16. | पंजाब | 2255 | 631 |
| 17. | राजस्थान | 2150 | 4 |
| 18. | सिक्किम | 30 | — |
| 19. | तमिलनाडु | 3926 | 1926 |
| 20. | त्रिपुरा | 134 | 10 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 11952 | 6764 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 3788 | 1945 |
| 23. | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 2 | — |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | 78 | 4 |
| 25. | चण्डीगढ़ | 9 | 2 |
| 26. | दादर और नगर हवेली | 8 | 2 |
| 27. | दिल्ली | 52 | 12 |
| 28. | गोवा दमण और द्वीप | 130 | 38 |

जारी......

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29. | लक्षद्वीप | — | — |
| 30. | मिजोरम | 142 | 10 |
| 31. | पांडिचेरी | 50 | 6 |
| | योग: | 59511 | 26935× |

× इसमें 1981-82 के दौरान खोले गये 8319 तथा 1.4.74 से पहले परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन खोले गये 18616 उप-केन्द्र भी शामिल हैं।

**राज्यवार निराश्रित महिलाओं की संख्या और संस्थाओं को दिया गया अनुदान**

2268. **श्री के० ऐ० स्वामी** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनेक ऐसी परित्यक्त, छोड़ दी गई और निराश्रित महिलायें हैं जिनके पास जीवन-यापन का कोई साधन नहीं है,

(ख) इस समस्या से निपटने के लिये राज्य-वार विभिन्न संस्थानों को गत तीन वर्षों के लिये कितनी राशि आबंटित की गई, और

(ग) इस समस्या को हल करने में रुचि रखने वाले संस्थानों के नाम और उनका ब्यौरा क्या है।

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क) ऐसी महिलाओं की संख्या के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तथापि सरकार को इस स्थिति की जानकारी है।

(ख) और (ग) संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास हेतु महिला प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के नाम दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। इस योजना के अन्तर्गत व्यय को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और सम्बन्धित संगठनों में 45: 45: 10 के अनुपात में विभाजित किया जाता है।

**विवरण**

| क्रम संख्या | संगठन का नाम | केन्द्रीय अनुदान की राशि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1979-80 | | |
| | **पंजाब** | |
| 1. | अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, दक्षिणी पंजाब शाखा, चंडीगढ़ (राजपुरा केन्द्र) | 97,155 रु० (प्रथम पाठ्यक्रम)<br>15,791 रु० (द्वितीय पाठ्यक्रम) |
| | **कर्नाटक** | |
| 1. | अंजुमान-ए- ईखासुसालवत, चिक्काबलापुर | 36,585 रु० |

जारी......

| क्रम संख्या | संगठन का नाम | केन्द्रीय अनुदान की राशि |
|---|---|---|
| 1980-81 | | |
| | आन्ध्र प्रदेश | |
| 1. | देवी ऐजुकेशनल सिविंग एण्ड लायब्रेरी केन्द्र, हैदराबाद | 22,455 रु० |
| 2. | हैल्प दी वोमन, पिथापुरम | 35,775 रु० |
| | हरियाणा | |
| 1. | भारतीय बाल कल्याण परिषद हरियाणा राज्य, चंडीगढ़ | 39,000 रु० |
| 2. | समाज कल्याण सभा, गोहाना (सोनीपत) | 46,350 रु० |
| | कर्नाटक | |
| 1. | सक्सेज शिवाए कला केन्द्र बेलगांव | 38,160 रु० |
| 2. | श्री भारती महिला समाज, हुल्लादाहाल्ली | 29,655 रु० |
| 3. | महिला विकास मंडली, नीली गिन रोड, हुबली | 48,307 रु० |
| 4. | श्री संगामेश्वर विद्या वर्धक संघ अमीनगढ़ जिला-बीजापुर | 24,210 रु० |
| 5. | वीनस महिला समाज, रामचन्द्र पुरम बंगलौर | 27,810 रु० |
| 6. | गुडीबान्डे ग्रामोदयोग संघ, गुडीबान्डे | 27,765 रु० |
| 7. | होन्नाम्मा ऐजुकेशन सोसाइटी, धारवाड़ | 38,160 रु० |
| 8. | अंजुमान-ए-इखासुसालवत चिक्काबलापुर | 48,240 रु० (प्रथम पाठ्यक्रम)<br>20.610 रु० (द्वितीय पाठ्यक्रम) |
| 9. | लेडीज कन्जूमर्स को-आपरेटिव सोसाइटी, गुलबर्गा | 27,585 रु० |

जारी......

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | **मध्य प्रदेश** | |
| 1. | दी सतपुरा समेकित ग्रामीण विकास संस्थान, भोपाल | 45,945 रु० |
| | **मणीपुर** | |
| 1. | ग्रामीण विकास संगठन लामसंग बाजार | 43,830 रु० |
| | **मेघालय** | |
| 1. | आल इंडिया गारो हैडक्वार्टर्स, ईस्ट खासी हिल्स, शिलांग | 30,640 रु० |
| 2. | वैयाजेर वोमन आरगेनाइजेशन, | 21,195 रु० |
| 3. | रंगजैंग महिला समिति लिमिटेड ईस्ट गारो हिल्स | 19,620 रु० |
| | **उड़ीसा** | |
| 1. | कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट, सत्यभामापुर | 31,635 रु० |
| | **पंजाब** | |
| 1. | अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, दक्षिणी पंजाब शाखा; चंडीगढ़ | 21,497 रु० |
| | **उत्तर प्रदेश** | |
| 1. | बोधि सटवा साहेब डा अम्बेदकर स्मारक समिति, छितवापुर, लखनऊ | 36,585 रु० |
| 2. | चिल्ड्रन केअर एण्ड ऐजुकेशन डेवलपमैन्ट सोसाइटी, आजमगढ़ | 27,072 रु० |
| | **पश्चिम बंगाल** | |
| 1. | अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, ईस्ट कलकत्ता कान्सटीटूयन्सी, कलकत्ता | 35,104 रु० |
| | **दिल्ली** | |
| 1. | भारतीय महिला कल्याण संगठन, पीतमपुरा, दिल्ली | 75,420 रु० |

जारी......

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | **मध्य प्रदेश** | |
| 1. | दी सतपुरा समेकित ग्रामीण विकास संस्थान, भोपाल | 45,945 रु० |
| | **मणीपुर** | |
| 1. | ग्रामीण विकास संगठन लामसंग बाजार | 43,830 रु० |
| | **मेघालय** | |
| 1. | आल इंडिया गारो हैडक्वार्टर्स, ईस्ट खासी हिल्स, शिलांग | 30,640 रु० |
| 2. | वैयाजेर वोमन आरगेनाइजेशन, | 21,195 रु० |
| 3. | रंगजैंग महिला समिति लिमिटेड ईस्ट गारो हिल्स | 19,620 रु० |
| | **उड़ीसा** | |
| 1. | कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट, सत्यभामापुर | 31,635 रु० |
| | **पंजाब** | |
| 1. | अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, दक्षिणी पंजाब शाखा; चंडीगढ़ | 21,497 रु० |
| | **उत्तर प्रदेश** | |
| 1. | बोधि सटवा साहेब डा अम्बेदकर स्मारक समिति, छितवापुर, लखनऊ | 36,585 रु० |
| 2. | चिल्ड्रन केअर एण्ड ऐजुकेशन डेवलपमैन्ट सोसाइटी, आजमगढ़ | 27,072 रु० |
| | **पश्चिम बंगाल** | |
| 1. | अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, ईस्ट कलकत्ता कान्सटीटूयन्सी, कलकत्ता | 35,104 रु० |
| | **दिल्ली** | |
| 1. | भारतीय महिला कल्याण संगठन, पीतमपुरा, दिल्ली | 75,420 रु० |

जारी......

| क्र० सं० | संगठन का नाम | केन्द्रीय अनुदान राशि |
|---|---|---|
| | 1981-82 | |
| | **आन्ध्र प्रदेश** | |
| 1. | भारतीय ग्रामीण महिला संघ, हैदराबाद | 42,660 रुपए |
| 2. | श्री वेंकटेश्वर महिला मंडल, डान्डुलुरू | 31,635 रुपए |
| | **बिहार** | |
| 1. | एसोसिएशन फार सोशल हैल्थ इन इंडिया, पटना | 27,765 रुपए |
| 2. | प्राकृतिक आरोग्या श्रम, राजगीर | 29,070 रुपए |
| | **हरियाणा** | |
| 1. | समाज कल्याण सभा, गोहाना | 27,360 रुपए |
| 2. | अर्पणा रिसर्च एंड चेरीटीज ट्रस्ट मधुबन (करनाल) | 26,460 रुपए |
| | **कर्नाटक** | |
| 1. | श्री वेंकटेश्वर ग्रामोद्योग संघ, मडिकेर | 26,460 रुपए |
| 2. | हरिजन होस्टल चिक्कबल्लापुर | 24,525 रुपए |
| 3. | गजेन्द्रगढ़ विद्या वर्धक संघ धारवाड़ | 35,370 रुपए |
| 4. | श्रीमती चम्पावती डेस्टीट्यूट चिल्ड्रेन एसोसिएशन गुलबर्गा | 44,460 रुपए |
| 5. | समेकित ग्रामीण विकास समाज बंगलौर | 35,370 रुपए |
| 6. | शान्ती सेवा समाज, बंगलौर | 30,535 रुपए |
| 7. | भारती महिला मण्डली होसाहुद्य, चिकबल्लापुर | 26,460 रुपए |
| | **मध्यप्रदेश** | |
| 1. | गायत्री हायर सेकेण्डरी स्कूल एजूकेशनल सोसायटी, उज्जैन | 26,460 रुपए |
| 2. | श्रीमद दयानन्द वैदिक संस्थान, रायगढ़ | 29,160 रुपए |
| | **महाराष्ट्र** | |
| 1. | पद्मश्री सुमतीबाई विद्यापीठ सार्विक संस्थान, शोलापुर | 33,277 रुपए |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | 2. कार्वे इन्सूटीट्यूट आफ सोशल सर्विस, पुणे | 35,460 रुपए |
| | 3. वेस्ट खानदेश भगिनि सेवा मण्डल धूले | 31,860 रुपए |
| | 4. यूनिवर्सिटी वीमन्स एसोसिएशन पुणे | 33,210 रुपए |
| | **मणिपुर** | |
| | 1. वार्गजिंग वीमन एंड गर्ल्स सोसाइटी, वार्गजिंग | 35,450 रुपए |
| | 2. रूरल डेवलेपमेंट आर्गनाइजेशन, लमसांग बाजार | 29,970 रुपए |
| | **उड़ीसा** | |
| | 1. कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट सत्यभामापुर | 17,225 रुपए |
| | 2. कस्तूरबा गांधी मातृनिकेतन पैकामल, जिला-सम्बलपुर | 23,310 रुपए |
| | **पंजाब** | |
| | 1. आल इंडिया वीमन्स कान्फ्रेंस, अमृतसर | 26,460 रुपए |
| | 2. आल इंडिया वीमन्स कान्फ्रेंस, चण्डीगढ़ (राजपुरा केन्द्र) | 8,228 रु० (चतुर्थ पाठ्यक्रम)<br>14,217 रु० (पंचम पाठ्यक्रम) |
| | 3. इंडिया रेडक्रॉस सोसाइटी, पटियाला | 35,460 रुपए |
| | **उत्तर प्रदेश** | |
| | 1. शहीद मेमोरियल सोसाइटी, लखनऊ | 2 ,585 रुपए |
| | 2. इंडियन वीमन्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, लखनऊ | 27,585 रुपए |
| | 3. छारा शिक्षा सदन, अलीगढ़ | 35,460 रुपए |
| | **पश्चिम बंगाल** | |
| | 1. आल इंडिया वीमन्स कांफ्रेन्स, कलकत्ता | 21,950 रुपए |
| | 2. टेगोर सोसाइटी फार रूरल डेवलपमेंट, रंगबलिया | 40,860 रुपए |
| | **दिल्ली** | |
| | 1. इंडिया वीमन्स वेलफेयर आर्गनाइजेशन, एच पी/27, पीतमपुरा, नई दिल्ली | 43,920 रु० (पीतमपुरा केन्द्र)<br>70,920 रु० (राजोरी गार्डन केन्द्र) |

## विशेषज्ञों द्वारा एक बायोकैमिक मिक्चर "सीकाफेक" के प्रभावशाली होने के बारे में संदेह व्यक्त किया जाना

2269. **श्री रेणु पद दास** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंसर के अनेक विशेषज्ञों ने "सीकाफेक" बायोकैमिक मिक्चर के प्रभावशाली होने के बारे में संदेश व्यक्त किया है, जिसके बारे में इसके अनुसंधानकर्ताओं ने कैंसर के लिये अचूक औषधि होने तथा इसके लिये उपयुक्त दवा होने का दावा किया था;

(ख) क्या रूप लाल बन्दी स्मारक कैंसर अनुसंधान केन्द्र में किये गये प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया है कि कैंसर को बढ़ने से रोकने में यह दवाई असफल रही है;

(ग) क्या मद्रास कैंसर अनुसंधान ने भी उक्त इलाज के प्रभाव के बारे में 1976 में संदेह व्यक्त किया था; और

(घ) यदि हां, तो "सीकाफेक" के आविष्कारकर्ताओं के दावे के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) से (घ) सीकाफेक दवाई का इस समय परीक्षण किया जा रहा है जिसे औषधि नियंत्रक, भारत, द्वारा प्राधिकृत किया गया है। इन परीक्षणों के बाद ही इस औषधि की गुणकारिता के बारे में कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है ।

## ट्रेवल एजेन्टों द्वारा आरक्षित रेल टिकटों की पुनः बिक्री करने का धंधा

2270. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांशतया ट्रेवल एजेंट आरक्षित रेल टिकटों की पुनः बिक्री के धन्धे में लगे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान आरक्षित रेल टिकटों की पुनर्बिक्री के कथित आरोप में कितने ट्रेवल एजेन्ट पकड़े गये है; और

(ग) ट्रेवल एजेन्टों द्वारा की जाने वाली रेल टिकटों की बिक्री बन्द न किये जाने के क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) अनधिकृत संचालकों और गैर-मान्यता प्राप्त यात्रा एजेंटों द्वारा स्थान हथिया लेने और बाद में उन स्थानों को जरूरत मन्द यात्रियों को अधिक कीमत पर बेच देने के मामले प्रकाश में आये हैं।

(ख) 1.4.81 से 31.3.82 की अवधि के दौरान रेल आरक्षण हथियाने आदि में लिप्त

1166 अनधिकृत संचालकों को पकड़ा गया था । कोई भी मान्यता प्राप्त एजेंसी स्थानों की पुनः बिक्री के मामलों में अन्तर्ग्रस्त नहीं थी ।

(ग) रेलों ने टिकटों का स्टाक रखने और बिक्री के प्रयोजनार्थ बहुत कम संख्या में पर्यटक एजेंसियों को मान्यता दी है । ये ऐजेंसियां मुख्यतः विदेशी पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं ।

## उत्तरी सीमांत रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे में रेलों का देर से चलना और रद्द किया जाना

2271. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी सीमांत रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे में गाड़ियां प्रायः रद्द की जाती हैं, देर से चलती है, उनमें बिना टिकट यात्रा की जाती है, सरकारी रेलवे पुलिस और रेल कर्मचारियों के बीच समन्वय नहीं है; बार-बार इंजन खराब होते हैं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा और परेशानी हो रही है; और

(ख) यदि हां तो इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जून, 1982 के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे पर 23 जोड़ी सवारी गाड़ियां बिजली की कमी के कारण और 17 जोड़ी सवारी गाड़ियां कोयले की कमी के कारण रद्द करनी पड़ी । छः जोड़ी सवारी गाड़ियों को छोड़कर अन्य सभी गाड़ियां पुनः चलायी जा चुकी हैं । पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर दो जोड़ी सवारी गाड़ियां रद्द की गयी थीं । इनमें से एक जोड़ी सवारी गाड़ियां पुनः चलायी जा चुकी हैं ।

जून, 1982 के महीने में पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर सीमा रेलों पर समय-पाबन्दी इस प्रकार रही :

| | बड़ी लाइन | | मीटर लाइन | |
|---|---|---|---|---|
| | मेल/एक्सप्रेस | सवारी | मेल/एक्सप्रेस | सवारी |
| पूर्वोत्तर रेलवे | 70.3 | 59.2 | 74.0 | 55.5 |
| पूर्वोत्तर सीमा रेलवे | 61.5 | 55.5 | 73.5 | 70.4 |

रेल इंजनों के खराब हो जाने, खतरे की जंजीर खींचे जाने और शरारती लोगों की गतिविधियों के कारण इन रेलों पर गाड़ियों के चालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

(ख) गाड़ियों की समय-पाबन्दी पर सभी स्तरों पर नजर रखी जा रही है और परिहार्य विलम्ब के मामलों का विश्लेषण किया जाता है तथा विलम्ब के लिए जिम्मेदार पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है । अन्धाधुन्ध खतरे की जंजीर खींचने/होज पाइप को अलग कर देने के मामलों में कमी लाने के लिए राज्य सरकारों के साथ निकट सम्पर्क भी बनाये रखा जाता है । बिना-टिकट यात्रा की रोकथाम के लिए घात लगाकर तथा अन्य प्रकार से अक्सर जांच की जाती है ।

### वीरमगाम-ओर वा-पोर बन्दर लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाना

2272. श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या यह सच है कि वीरामगाम-ओरवा-पोरबन्दर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के दूसरे चरण की गति धीमी हो गई है और इसे पूरा करने के लिये अपेक्षित 56 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में केवल 8.55 करोड़ रुपये की मामूली राशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि सलाया के निकट बादीनार में एक तेल टर्मिनल में काम आरम्भ हो चुका है और जब तक द्वितीय चरण शीघ्रता से पूरा नहीं हो जाता तथा वादीनगर तक बड़ी लाइन का प्रबंध नहीं किया जाता तब तक वादीनगर तेल टर्मिनल का लाभ बहुत ही कम होगा;

(ग) यदि हां तो क्या सरकार का विचार इस योजना के द्वितीय चरण को पूरा करने तथा वादीनार तक लाइन बिछाने के लिये अधिक राशि का नियतन करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) 1982,83 के लिए 8.85 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गयी है जो कि भारत की विभिन्न रेलों पर सभी चालू परियोजनाओं के लिए योजना शीर्ष 'आमान परिवर्तन' के अन्तर्गत उपलब्ध 30 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की तुलना में एक पर्याप्त राशि है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए अपेक्षित शेष राशि 22 करोड़ रुपये है न कि 56 करोड़ रुपये।

(ख) सलाया के निकट एक टर्मिनल स्थापित किया गया है जहां से तेल पाइप लाइनों के माध्यम से मथुरा तेल शोधक कारखाने को जाता है। अतः बड़ी लाइन को बदिनार तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार इस योजना के लिए, अतिरिक्त धन उपलब्ध होने पर इस वर्ष परिव्यय में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। आगामी वर्षों में अतिरिक्त आबंटन करना संसाधनों की उपलब्धता पर ही निर्भर करेगा।

### चिकित्सा पाठ्यक्रम में कुष्ठ रोग विषय रखा जाना

2273. डा० सरदीश राय
श्री सुशील भट्टाचार्य } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुष्ठरोग के निवारण के लिए तरीके सुझाने हेतु सरकार द्वारा गठित उच्च शक्ति प्राप्त कार्यकारी दल ने मेडिकल के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में कुष्ठ रोग विषय को शामिल करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सिफारिश को मानेगी;

(ग) यदि हां, तो कोढ़ को चिकित्सा छात्रों के पाठ्यक्रम के भाग के रूप में कब तक शामिल किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार कार्यकारी दल की सिफारिशों की जांच कर रही है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

**मद्रास में मान्यता प्राप्त ट्रेवल एजेन्ट**

2274. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में ऐसे कितने ट्रेवल एजेन्ट हैं जिनको पासपोर्ट कार्य के संबंध में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के साथ कार्य करने की मान्यता प्राप्त है ;

(ख) क्या यह सच है कि उनमें से अनेक आई० ए० टी० ए० के सदस्य नहीं हैं;

(ग) क्या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मद्रास ने 11 जून 1982 को अथवा इसके आस-पास एयर-लाइन्स और आई० ए० टी० ए० के ट्रेवल एजन्टों की एक बैठक आयोजित की थी;

(घ) यदि हां, तो क्या इस बैठक में उन्हें शामिल नहीं किया गया था जो आई० ए० टी० ए० के सदस्य नहीं हैं और यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या गैर आई० ए० टी० ए० एजेन्टों की बाद में अलग से एक बैठक आमन्त्रित की गई थी ?

**विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव** : (क) 55 यात्रा अभिरण और 26 एयरलाइन्स।

(ख) जी हां।
(ग) जी हां। 11.6.1982 को बैठक बुलायी गई थी।

(घ) कारगर और रचनात्मक विचार-विमर्श का सुनिश्चय करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, मद्रास ने दो अलग-अलग बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया क्योंकि पिछली बैठकों के अनुभव के आधार पर यह सोचा गया कि केवल सुसम्बद्ध और छोटे-छोटे दलों में ही ऐसा विचार-विमर्श हो सकता है। इस कार्यवाही का अभिप्राय किसी प्रकार का कोई भेद-भाव बरतना नहीं था।

(ङ) जी हां। 28 जुलाई, 1982 को दूसरे दल के साथ बैठक होने वाली है।

**भलूका रोड और दलकोलडा स्टेशन पर ऊपरिपुल**

2275. **डा० गोलम याजदानी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे के भलूका रोड स्टेशन तथा दलकोला स्टेशन पर ऊपरी पुल का निर्माण किया जायेगा ;

(ख) क्या विभाग ने सिलीगढ़ नगर के दक्षिणी भाग पर रेल लाइन के नीचे यातायात के लिये भूमिगत मार्ग की आवश्यकता की जांच कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन):** (क) भालूका रोड पर ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था करने से सम्बन्धित कार्य एक अनुमोदित कार्य है और इसे रेलों के निर्माण कार्यक्रम 1982-83 में शामिल किया गया है । इस ऊपरी पैदल पुल पर चालू वित्त वर्ष के दौरान कार्य प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है। दलकोलडा पर ऊपरी पैदल पुल की पहले ही व्यवस्था कर दी गयी है । लेकिन, दलकोहला में राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के प्रस्ताव पर वर्तमान मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव करने से सम्बन्धित सर्वेक्षण पूरा हो जाने पर विचार किया जायेगा ।

(ख) इस मामले की जाँच की गयी थी लेकिन इस स्थान पर उपमार्ग का निर्माण करना व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**ऐमीनोसेटेस्ट्स और प्रसव पूर्व यौन निर्धारण परीक्षण का प्रयोग**

2276. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान अनचाही बच्चियों के जन्म से छुटकारा पाने के लिये एमीनोसेन-टेस्ट्स और प्रसव पूर्व यौन निर्धारण परीक्षण का जोर-शोर से प्रयोग किये जाने की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि इन परीक्षणों से माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे यौन दर (पुरुषों से महिलाओं) में कमी होगी जो घटकर 1000 पुरुष पर 935 महिलायें रह गई हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे परीक्षणों को, जो माता के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं; रोकने के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे; और

(घ) क्या यह भी सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने 1974-75 के दौरान

ऐसे परीक्षणों पर रोक लगा दी थी जब डाक्टरों ने इस बात का अहसास किया कि इन परीक्षणों से महिलाओं के गर्भपात को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिल रहा है जिन के गर्भ में बच्चियाँ हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) इस बारे में कतिपय समाचार-पत्रों में कुछ रिपोर्ट छपी हैं और इस पर काम काजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति ने भी अपनी चिन्ता व्यक्त की है।

(ख) यदि ये परीक्षण विशेषज्ञों द्वारा ठीक प्रकार से किये जायें तो माता के स्वास्थ्य पर आमतौर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। अकेले ऐसे परीक्षणों के कारण औरत-मर्द अनुपात कम नहीं होगा।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने जून, 1977 में सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को सूचित कर दिया था कि ऐसे परीक्षण केवल अनुसंधान प्रयोजनों और यौन से जुड़े प्रनजन अंगों के विकारों वाले रोगियों का निदान करने के लिए ही किये जायें। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को भी इसी प्रकार सूचित कर दिया गया था।

## दक्षिण की ओर जाने वाले यात्रियों के लिये अधिक स्थान

2277. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली से दक्षिण की ओर जाने वाले यात्रियों द्वारा अनुभव की जा रही गम्भीर समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो 1982-83 में दिल्ली मद्रास, दिल्ली-हैदराबाद और दिल्ली कोचीन के बीच स्थान में वृद्धि संबंधी योजनाओं के ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) उपरोक्त क्षेत्रों में यात्रियों को राहत देने के लिये तत्कालिक योजना का ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** (क) : वर्तमान सेवायें यातायात के वर्तमान स्तर की कुल मिलाकर संतोषजमक ढंग से पूर्ति कर रही हैं। ग्रीष्म महीनों में, नई दिल्ली और मद्रास के बीच तथा त्रिवेन्द्रम के लिए विशेष गाड़ियां भी चलाई जाती हैं।

(ख) और (ग) 1.5.82 से 15/16 नई दिल्ली मद्रास जी० टी० एक्सप्रेस का भार 16 से बढ़ाकर 21 बोगी कर दिया गया है। दक्षिण की ओर जाने वाली कुछ गाड़ियों की फेरे बढ़ाने का एक प्रस्ताव भी परीक्षाधीन हैं और जैसा व्यावहारिक पाया जायेगा वैसी कार्रवाई की जायेगी।

## खली, प्याज और मूंगफली के परिवहन के लिए गुजरात में रेल वैगनों की कमी

2278. **श्री रामजी भाई मावणि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह है कि पश्चिम रेलवे में गुजरात स्थित राजकोट, बलसाड़ और अन्य जिलों में उपभोक्ताओं और पार्टियों, जिन्होंने प्याज, खली, मूंगफली का तेल आदि के निर्यात और परिवहन के लिये कहा है, को प्रत्येक मौसम में रेल वेगन कम सप्लाई किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1981 और 1 जनवरी, 1982 से 31 मई, 1982 के दौरान ऐसे कितने वैगन दिये गये हैं;

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान विभिन्न स्थानों और क्षेत्रों से कितनी मांग की गई थी; और

(ङ) नियमित रूप से, समय पर और पर्याप्त संख्या में वैगन सप्लाई करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) रेलें राजकोट, वलसर और गुजरात के अन्य जिलों की खली, प्याज, मूंगफली के तेल तथा अन्य सामग्रियों के संचलन के लिए माल डिब्बों की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा कर रही हैं। गुजरात राज्य का अधिकांश भाग पश्चिम रेलवे की बड़ी लाइन पर बड़ोदरा, राजकोट मंडलों तथा बलसाड उपमंडल द्वारा तथा मीटर लाइन पर राजकोट, भावनगर मंडलों तथा गांधीधाम क्षेत्र द्वारा सेवित हैं। चूंकि लदान के आंकड़े मंडल-वार तथा रेलवे वार रखे जाते हैं राज्य-वार नहीं; अतः 1 जनवरी, 1980 से 31 मई, 1982 तक की अवधि के दौरान इन मंडलों से प्याज, खल और वनस्पति तेल यातायात की ढुलाई के आंकड़े तथा 31-5-1982 को बकाया मांगों के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

(चौपहियों के हिसाब से)

| | प्याज | | खल | | वनस्पति तेल | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ब० ला० | मी० ला० | ब० ला० | मी० ला० | ब० ला० | मी० ला० |
| लदान | 2396 | 11931 | 5841 | 6477 | 7119 | 28089 |
| 31.5.82 को बकाया | — | 8 | 41 | 24 | 11 | 197 |

गुजरात में प्याज और वनस्पति तेल के यातायात की अधिकांश मांग पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के गन्तव्यों के लिए होती है जिसके लिए लदान कभी-कभी उस क्षेत्र को खाद्यान्न तथा अन्य अनिवार्य वस्तुएं जल्दी पहुंचाने के लिए विनियमित किया जाता है। जब यातायात की निकासी के लिए माल डिब्बों की सप्लाई में वृद्धि की गयी तो मांग-पत्र जब्त तथा रद्द किये गये 1 जनवरी

से मई, 1982 की अवधि के दौरान प्याज के कुल 1716 मांग-पत्र जब्त किये गये और 809 मांग पत्र वापस ले लिये गये जिससे ये पता चलता है कि कुछ मांगें अनिश्चित किस्म की थीं।

**एजुकेशनल कन्सलटंट्स आफ इंडिया द्वारा प्रायोजित शैक्षिक तथा व्यवसायिक संस्थान**

2280. **श्री के० लकप्पा**
**श्री गुफरान आजम** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम एजुकेशनल कन्सलटेन्ट्स आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विदेशों में अवसरों का लाभ उठाने की दृष्टि से देश के भीतर आधुनिक शैक्षिक तथा व्यवसायिक संस्थानों की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उस बारे में ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या उसके लिये तकनीकी तथा वैज्ञानिक जनबल उपलब्ध हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके अन्तर्गत किन किन देशों तथा पाठ्यक्रमों को लिया जायेगा ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :** (क) से (घ) दि एज्युकेशन कन्सल्टेम्सट्स इंडिया लिमिटेड की भारत सरकार द्वारा स्थापना, अनेक एजेंसियों, जैसे कि सरकारी तथा विकासशील देशों की शैक्षिक संस्थाओं, विश्व बैंक/ऐशियाई विकास बैंक जैसे वित्त पोषित संगठन, युनेस्को तथा इसकेप जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों को शैक्षिक परामर्श देने के साथ-साथ भारत सरकार को अपनी तकनीकी सहायता/आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के संदर्भ में शैक्षिक परामर्श देने के लिए की गई है। कम्पनी भारत तथा विदेशों में शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करने के ठेके प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं तथा यह कम्पनी अन्य एजेंसियों में कार्यरत वैज्ञानिकों तथा तकनीकी व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग परामर्शी के आधार पर करेगी।

**"सड़क दुर्घटनाओं की दर"**

2281. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं की दर विश्व में सर्वाधिक है;

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी)** : उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में प्रति हजार वेहिकिल दुर्घटनाओं की दर दूसरे अन्य देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा है।

**ललितपुर-सिगरौली लाइन का सर्वेक्षण**

2282. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ललितपुर के सिंगरौली बरास्ता टीकमगढ़ छतपुर-खजुराहो-पन्ना-सतमा-रीबा तथा सीधी की प्रस्तावित रेल लाइन का सर्वेक्षण कर लिया गया है; और

(ख) रेल लाइन बिछाने के लिये सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाई की गई है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां।

(ख) इस योजना के अलाभप्रद प्रतिफल और संसाधनों की अत्यन्त कमी को देखते हुए, फिलहाल इस लाइन का निर्माण न करने का निश्चय किया है।

**"पत्तन एवं गोदी मजदूरों की वेतनवृद्धि तथा अन्य सेवा शर्तों के बारे में समझौता"**

2283. **श्री के० ए० राजन : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन तथा गोदी मजदूरों की वेतन वृद्धि तथा अन्य सेवा शर्तों के बारे में सरकार और चार फेडरेशर्स के प्रति निधियों के बीच 4 जनवरी, 1981 को कोई समझौता हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समझौते के एक पैरा के अनुसार परिणाम योजनाओं के द्वारा प्रोत्साहन/अदायगी का संशोधन 1 अप्रैल 1981 के भूतलक्षी प्रभाव से किया जाना था;

(ग) क्या उक्त समझौते में योजना के पुनरीक्षण की कोई शर्त थी;

(घ) यदि हां, तो क्या किसी पत्तन/गोदी श्रमिक बोर्ड में योजनाएं पुनरीक्षित की गई हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) जी हां।
(ख) और (ग) संबंधित पैरा नीचे उद्धृत है :

स्थानीय विचार विमर्श के बाद स्कीम के परिणाम स्वरूप मौजूदा प्रोत्साहन/भुगतान में उपयुक्त संशोधन किया जाएगा। संशोधित स्कीमें अगली तारीख से लागू होगी लेकिन पत्तन में 31.3.1981 से पहले मौजूद स्कीम में संशोधन नहीं हो पाने की स्थिति में संशोधित दरें 1.4.1981 से लागू होगी। इन स्कीमों को नई श्रेणियों पर लागू करने या नई स्कीमें चालू करने के बारे में पत्तन न्यास और गोदी श्रमिक बोर्ड संबंधित स्थानीय यूनियनों से बातचीत करेगा। इस प्रकार की स्कीम जब कभी लागू की जायेगी तब यह करार की तारीख से ही लागू की जायगी।

(घ) और (ङ) ये स्कीमें अभी तक संशोधित नहीं हो पाई हैं। लेकिन पत्तन प्राधिकारियों और यूनियनों के बीच बातचीत चल रही है।

**"साइकाफेक" की कैंसर के प्रसार के विरुद्ध प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन करने के लिए पुनरीक्षा समिति के निष्कर्ष**

2284. **श्री हन्नान मोल्लाह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० (श्रीमती) जे० राय चौधरी, तथा ए० एच० चौधरी द्वारा कैंसरयुक्त विकास में प्रतिगमन लाने के इलाज के रूप में जिस वायोकैमिक मिक्सचर "साइकाफेक" को बताने का दावा किया गया था उसकी प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन करने के लिए वर्ष 1974 में किसी समय एक पुनरीक्षा समिति गठित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त पुनरीक्षा समिति के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) चितरंजन नेशनल कैंसर रिसर्च सेन्टर कलकत्ता के अतिरिक्त अन्य किसी कैंसर इन्स्टीट्यूट द्वारा उक्त औषधि को उपयोग में लाया जा रहा है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) :** (क) और (ख) "सीकाफैक की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई समिति गठित नहीं की है। वैसे पश्चिम बंगाल सरकार ने इस औषधि के परीक्षण हेतु 1975 में एक समिति की थी। इस समिति ने इस औषधि के सीकाफैक परीक्षणों की जांच की थी और यद्यपि यह देखा गया था कि इस औषधि के प्रयोग से गर्भाशयग्रीवा के अर्बुद वाले रोगियों को लाभ हुआ है, तथापि जितने रोगियों का इलाज किया गया था उनकी संख्या इतनी कम थी कि उससे कोई वास्तविक निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन था और इसलिए, यह सिफारिश की गई कि अस्पतालों में इसका उपयोग करने से पहले बहुत से रोगियों पर इसका व्यापक उपयोग किया जाए निष्कर्षों का मूल्यांकन किया जाए। समिति की दूसरी सिफारिश यह थी कि इस औषधि का उपयोग एकल थिरेपी की बजाए शल्य चिकित्सा, विकिरण और अन्य रसायन चिकित्सा औषधियों के साथ किया जाए जिससे इसकी प्रभावकारिता में सुधार हो सके।

(ग) चूंकि "सीकाफैक" पर अभी परीक्षण चल रहा है, इसलिए अन्य अस्पतालों में इसके उपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता।

## मालदा-बालूरघाट-दिल्ली के बीच रेल सम्पर्क

2285. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालदा-बालूरघाट-दिल्ली के बीच रेल सम्पर्क का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बिना पानी के रूप में 22.4.1982 को, एक लाखी (क्योंकि मालदा और बालूरघाट के बीच रेल सम्पर्क पहले से ही मौजूद है) से बालूरघाट (90 कि०मी०) तक एक नयी बड़ी लाइन बिछाने के लिए एक प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं-यातायात सर्वेक्षण की, स्वीकृति दी गयी है। इस सर्वेक्षण की अनुमानित लागत 11.72 लाख रुपये है। सर्वेक्षण कार्य चल रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**रेल मंत्रालय में अवर श्रेणी लिपिकों, प्रवर श्रेणी लिपिकों तथा सहायकों को स्थायी किया जाना**

2286. **श्री राम प्यारे पनिका क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय में श्रेणी तीन कर्मचारियों (अवर श्रेणी लिपिकों, अवर श्रेणी लिपिकों, सहायकों आदि) को नियमों के अनुसार नियुक्ति के कितनी वर्षों के बाद स्थायी किया जाना चाहिए और उनकी कितनी अवधि के बाद वास्तव में स्थायी किया जाता है;

(ख) इस समय ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको नियमों के अनुसार स्थायी नहीं किया गया है ; और

(ग) क्या इस तथ्य के बावजूद कि इन कर्मचारियों तथा अन्य मंत्रालयों में कर्मचारियों की भर्ती एजेन्सी एक है फिर भी अन्य मंत्रालय में श्रेणी तीन के कर्मचारियों की तीन वर्ष के बाद स्थायी कर दिया जाता है परन्तु इस मंत्रालय में इन कर्मचारियों को स्थायी करने में अधिक समय लिया जाता है और उसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभागों में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)**:(क) से (ग) मूलतः अस्थायी आधार पर नियुक्त निम्न श्रेणी लिपिकों, ऊपर श्रेणी लिपिकों सहायकों, आदि (तृतीय श्रेणी कर्मचारी का स्थायीकरण विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे स्थायी रिक्तियों,उपलब्धता और स्थायीकरण के लिए ऐसे कर्मचारियों की उपयुक्तता और पात्रता। तदनुसार, वह अवधि, जिसके बाद वस्तुतः स्थायीकरण का आदेश दिया जाता है, अलग-अलग मामलों में भिन्न-भिन्न होती है।

परिवीक्षा या परीक्षण के अवधि संतोषप्रद रूप से पूरी करने और सम्बद्ध नियमों में निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने पर सम्बन्धित कर्मचारी इसके पात्र हो जाते हैं लेकिन स्थायी किये जाने के लिए वे अनिवार्यतः हकदार नहीं हैं। लेकिन ऐसे कर्मचारियों के स्थायीकरण आदेश, जो सीधी भर्ती के लिए निर्धारित स्थायी रिक्तियों में सीधी भर्ती द्वारा मूलतः नियुक्त किये जाते हैं, उनकी परिवीक्षात्मक अवधि संतोषप्रद रूप से पूरी होने पर जारी किये जाते हैं।

**स्कूलों तथा कालेजों में संस्कृति का अध्यापन**

2287. **श्री टी० आर० शमन्ना** : **क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ समय से स्कूलों तथा कालेजों में संस्कृत अध्यापन को गौण महत्व दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो संस्कृत को शिक्षा में उचित स्थान देने के लिए क्या कदम उठाये जाने हैं ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क) और (ख) त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत संस्कृत की पढ़ाई अनिवार्य नहीं है क्योंकि यह एक

श्रेण्य भाषा है। तथापि, यह स्वीकार्य है कि संस्कृत का ज्ञान, जिसका क्षेत्र व्यापक है, संस्कृत की कृतियों में निहित ज्ञान भंडार की प्राप्ति में छात्रों के लिए सहायक होगा। तदनुसार, ज्ञान अर्जन के विस्तृत संदर्भ में यह सिफारिश की गई है कि राज्यों को स्कूल स्तर से ही संस्कृत भाषा की पढ़ाई की व्यवस्था करनी चाहिए, और यह भाषा पढ़ने वाले इच्छुक छात्रों की इच्छा पर छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि वे अवसर का लाभ उठा सकें।

यह मंत्रालय संस्कृत अध्ययन को एक भाषा के रूप में प्रोत्साहन देता रहा है तथा पूर्व मैट्रिक स्तर पर भी छात्रवृत्तियां प्रारम्भ करके राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है। उत्तर-मैट्रिक स्तर के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के माध्यम से संस्कृत छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। राज्य सरकारों को माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत अध्यापकों की व्यवस्था करने में भी सहायता प्रदान की गई है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् संस्कृत में पाठ्य पस्तुकें प्रकाशित करती रही है ताकि संस्कृत के अध्ययन को और अधिक रूचिकर व प्रभावी बनाया जा सके। विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और कालेजों को सहायता प्रदान करता है। आयोग ने श्रेण्य भाषाओं के सम्बन्ध में एक पैनल भी गठित किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ संस्कृत सहित सम्बन्धित भाषाओं में अध्यापन और अनुसंधान सम्बन्धी समस्या का समाधान करता है। संस्कृत में पाठ्यक्रमों की पुनर्रचना सम्बन्धी प्रारूप तैयार करने के लिए पैनल ने एक उप समिति का गठन किया है।

**भोपाल में पृथक रेल मंडल की स्थापना**

2288. **श्री सुभाष यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल में पृथक से एक रेल मंडल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी स्थापना कब तक हो जाएगी ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभागों में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां।

(ख) अतिक्रमण से खाली कराई गयी और इसके वर्तमान भोगियों द्वारा निर्मुक्त की गयी भूमि को राज्य सरकार द्वारा अभी भी रेलों को सौंपा जाना है। मंडल मुख्यालय स्थापित करना और उसमें कार्य शुरू करना भी संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है जिनकी फिलहाल कमी है।

**टनकपुर घाट-बागेश्वर रेल लाइन का सर्वेक्षण**

2289. **श्री हरीश रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में टनकपुर घाट-बागेश्वर रेल लाइन का सर्वेक्षण आरम्भ करने के आदेश जारी किए हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी नहीं।

(ख) संसाधनों की अत्याधिक तंगी के कारण फिलहाल इस परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करना संभव नहीं होगा। भावी तिथि में इस परियोजना के निर्माण पर विचार किये जाने तक इस समय किया गया कोई भी सर्वेक्षण पुराना पड़ जायेगा।

**अखिल भारतीय शिक्षा सेवा**

2290. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अखिल भारतीय शिक्षा सेवा का गठन करने के बारे में शिक्षा आयोगों की सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के इस बारे में विचारों का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो उनका मत क्या है और प्रस्ताव के संबंध में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) शिक्षा आयोग (1964-66) ने अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय शिक्षा सेवा,के गठन की सिफारिश की है।

(ख) और (ग) वर्ष 1965-68 के दौरान भारतीय शिक्षा सेवा के गठन के प्रस्ताव अलग से पहले ही भारत सरकार के विचाराधीन थे। जबकि कुछ राज्य सरकारें भारतीय शिक्षा सेवा के गठन के प्रस्ताव के पक्ष में थी, किन्तु कई अन्य राज्यों ने इस बारे में कोई विचार व्यक्त नहीं किया।

**सहायक स्टेशन मास्टरों और स्टेशन मास्टरों के सेवा काल को बढ़ाये जाने पर विरोध**

2291. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलों को अनुमति दी थी कि जहां कहीं आवश्यक हो, सहायक स्टेशन मास्टरों और स्टेशन मास्टरों के सेवा काल को 58 वर्ष की सेवा निवृत्ति की आयु से बढ़ा कर 60 वर्ष अथवा रिक्त स्थानों के भरने के लिए समुचित रूप से चुने गए उम्मीदवारों के उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, बढ़ा दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो क्या रेल कर्मचारियों ने इस पर कोई विरोध किया है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां।

(ख) रेलों पर मान्यता प्राप्त श्रमिक फेडरेशनों में से एक फेडरेशन ने इसका विरोध किया है। इसकी जांच की गयी है और उत्तर भेज दिया गया है।

**टिम्बर मर्चेंट्स एसोशिएशन सिलीगुड़ी की मांगे**

2292. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमेन द्वारा उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार टिम्बर मर्चेंट्स एसोंसिएशन सिलीगुड़ी के प्रतिनिधियों के साथ उनकी विभिन्न समस्याओं जो उनकी 27 मई, 1982 की रिट याचिका की विषय वस्तु है, को हल करने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि टिम्बर मर्चेंट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने 27 मई, 1982 को निदेशक फ्रेंट मूवमेंट एण्ड चीफ कार्मशियल सुपरिन्टेन्डेन्ट नार्थ फ्रंटियर रेलवे के साथ विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया लेकिन उन्हें 29 मई, 1982 को शाम 7 बजे तक चेयरमेन से मिलने की अनुमति नहीं दी गई ; और

(ग) क्या 22 फरवरी, 1982 और 27 तथा 29 मई, 1982 को बैठकों में लिए गए निर्णयों को अब तक कारगर रूप से कार्यान्वित कर दिया गया है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां।

(ख) 27 और 28 मई, 1982 को टिम्बर मर्चेंट्स एसोसिएशन, सिलीगुड़ी के प्रतिनिधियों और निदेशक, माल संचलन, रेलवे बोर्ड के बीच हुए प्रारम्भिक विचार विमर्श के पश्चात्, 29.5.82 को अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के साथ एक बैठक आयोजित की गयी थी।

(ग) इसके बारे में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

**कर्नाटक में प्रति व्यक्ति शुल्क लेने की प्रथा**

2293. **प्रो० अजीत कुमार मेहता**
**श्री दौलत राम सारण**
**श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र के आदेश के अनुसार व्यावहारिक कालेजों में प्रति व्यक्ति शुल्क लेने की प्रथा समाप्त करने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या किसी अन्य राज्य सरकार ने भी केन्द्र के इस निर्देश को मानने से इन्कार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों से व्यावसायिक कालेजों में प्रति छात्र शुल्क लेने की पद्धति को समाप्त करने के लिए अनुरोध किया था। सभी राज्य सरकारों ने इस सुझाव का स्वागत किया है। तथापि कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और बिहार राज्य सरकार; जहां बताया जाता है कि ऐसी संस्थाएं विद्यमान हैं, कुछ कानूनी और अन्य कठिनाइयों के कारण इस पद्धति को समाप्त नहीं कर सकी है।

### दिल्ली के अस्पतालों में आपातकालीन विभागों में डाक्टरों तथा आवश्यक औषधियों की कमी

2294. **श्री राम अवध** : क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अधिकतर अस्पतालों के आपातकालीन विभागों में डाक्टरों, आवश्यक औषधियों तथा अन्य वस्तुओं की भारी कमी है जिसके परिणामस्वरूप रोगियों को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में कोई कार्यवाही करने का है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

### विकलांग बच्चों की शिक्षा पर कार्यकारी दल की सिफारिशें

2295. **श्री कुम्भाराम आर्य** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिकलांक बच्चों की शिक्षा विषयक कार्यकारी दल की सिफारिशें सरकार को कब प्राप्त हुई थीं,

(ख) दल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

## विवरण

(क) 13 जनवरी, 1981

(ख) और (ग)

| सिफारिशें | की गई कार्रवाई |
|---|---|
| (1) विकलांग व्यक्तियों की संख्या का पता लगाने के लिए नमूना सर्वेक्षण किया जाए। | (1) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा विकलांग व्यक्तियों की संख्या का पता लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण पहले ही शुरू किया जा चुका है जिसका परिणाम मार्च, 1983 तक प्राप्त हो जाएगा। |

(2) विकलांगों की शिक्षा और प्रशिक्षण की सूचना एकत्र करने और वितरित करने के लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय में एक सैल स्थापित किया जाए।

(2) शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी के अधीन एक सैल स्थापित किया जा चुका है।

(3) विकलांगों की शिक्षा के लिए कार्य पद्धति यह होनी चाहिए कि विकलांग बच्चे को सामान्य शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत शिक्षित किया जाए

(3) विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूल पद्धति में समेकित करना भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। समेकित शिक्षा की योजना को उदार प्रोत्साहनों के साथ संशोधित और पुनर्निर्धारित किया गया था तथा यह 1-4-1981 से लागू हो गयी है। यह योजना केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 50-50 के आधार पर कार्यान्वित की जा रही थी परन्तु यह अब 100 प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है।

(4) जिन बच्चों को समेकित नहीं किया जा सकता, उनके लिए विशेष स्कूल खोले जाएं। इसके अतिरिक्त विकलांग बच्चों के माता-पिता के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों के साथ-साथ विकलांगों के लिए स्कूल पूर्व कार्यक्रम भी आवश्यक है।

(4) जिन विकलांग बच्चों को समेकित नहीं किया जा सकता उनके लिए विशेष स्कूलों को बढ़ावा दिया जाता रहेगा। इसके लिए समाज कल्याण मंत्रालय की विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वयं सेवी संगठनों को सहायता देने की एक योजना है, जिसके अन्तर्गत विकलांगों के लिए स्कूल स्थापित करने के लिए 90 प्रतिशत सहायता दी जाती है। इस योजना में स्कूल-पूर्व शिक्षा और माता-पिता को सलाह देने को समेकित शिक्षा कार्यक्रम के एक अंश के रूप में व्यवस्था की गयी है।

(5) 8-10 बच्चों के लिए यह अध्यापक अथवा चिकित्सक होना चाहिए। स्कूल-पूर्व आयु वर्ग के लिए 1:20 का अनुपात होना चाहिए।

(5) समेकित शिक्षा की योजना के अंतर्गत 8-10 विकलांग बच्चों के लिए एक विशेष अध्यापक के लिए व्यवस्था की गयी है।

(6) कार्मिकों के प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा अध्यापकों और चिकित्सकों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। अध्यापक/शिक्षक को प्रशिक्षण मुख्यतया भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा तथा शिक्षा के क्षेत्रीय कालेजों या भारतीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तथा समुचित विश्वविद्यालय विभागों जैसी अन्य एजेन्सियों द्वारा दिया जाना चाहिए।

(6) राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास किया जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सातवीं योजना से शिक्षक प्रशिक्षण के कार्यक्रम को चलाना स्वीकार कर लिया है।

(7) विशेष शिक्षा अध्यापकों को कुछ वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने चाहिएं दल ने सिफारिश की है कि एक अण्डर ग्रेजुएट को 50 रुपये प्रति मास का विशेष वेतन तथा एक ग्रेजुएट को 100 रुपये प्रतिमास का विशेष वेतन दिया जाए यदि उसने विशेषज्ञ प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा हो।

(7) शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले विकलांगों के विशेष अध्यापकों को मूल वेतन के 15 प्रतिशत की दर से तथा ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले विकलांगों के विशेष अध्यापकों को मूल वेतन के 20 प्रतिशत की दर से वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है।

(8) माता-पिता और बच्चे के लिए विशेष शिक्षा को उपयोगी बनाने के लिए नवीन तकनीकों और टेक्नोलोजियों के विकास हेतु अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इन कार्यक्रमों के व्यय को देखते हुए कारगर बनाया जाए।

(8) नवीन तकनीकों और टेक्नोलोजियों के विकास हेतु अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समाज कल्याण मंत्रालय की एक योजना है जिसके अन्तर्गत प्रमुख तकनीकी संस्थाओं को ऐसा अनुसंधान करने तथा उसे बढ़ावा देने के लिए सहायक अनुदान दिए जाते हैं।

### राजस्थान में रेल लाइनों के विस्तार के लिए आबंटित की गई धनराशि

2296. **श्री अशोक गहलोत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में रेल लाइनों के विस्तार और छोटी लाइनों को ब्रांड गेज लाइनों में बदलने हेतु राजस्थान के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) इस पर अब तक कितना व्यय हुआ है; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय का विचार निकट भविष्य में किसी राज्य में नई रेलगाड़ी चलाने का है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (ग) रेलवे निर्माण कार्यों के लिए धन का आबंटन राज्यवार नहीं किया जाता है बल्कि रेलों की समग्र प्राथमिकता और जरूरतों के आधार पर किया जाता है और न ही राज्यवार उपगत खर्च के सम्बन्ध में कोई सूचना रखी जाती है; अतः यह सूचना प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है। कोचिंग स्टाक की कमी के कारण, भारतीय रेलें नयी गाड़ियां चलाने में धीमी नीति अपना रही है। फिर भी, 1.10.82 से लखनऊ और गोरखपुर के बीच केवल एक नयी गाड़ी चलायी जा रही है। नयी दिल्ली-सिकन्दराबाद ए॰ पी॰ एक्सप्रेस और नयी दिल्ली-त्रिवेन्द्रम/बेंगलूरू के॰ के॰ एक्सप्रेस के फेरों में 1.10.1982 से वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

### अतिसार (डाएरिया) के इलाज के लिए ग्लुकोज-साल्ट मिश्रण का प्रयोग

2297. **क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अतिसार, बच्चों की मृत्यु के लिए प्रमुख उत्तरदायी बीमारी के इलाज के लिए ग्लुकोज-साल्ट मिश्रण का प्रयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मिश्रण का विकास किया था ; और

(घ) मिश्रण का चिकित्सकीय तौर पर किस एजेन्सी ने प्रयोग किया ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एन० जोशी)** : (क) हां;

(ख) से (घ) अतिसार से होने वाली मोतों का मुख्य कारण निर्जलीकरण (डिहाइड्रेशन) होता है। राष्ट्रीय हैजा और आन्त्र रोग संस्थान, कलकत्ता ने, जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् का एक स्थायी संस्थान है अतिसार के साधारण और मध्यम दर्जे के रोगियों के लिए ओरल-रिहाइड्रेशन-थेरापी के रूप में ग्लूकोज-लवण के मिश्रण की प्रभावकारिता सिद्ध कर दी है। यह थेरापी सामुदायिक स्तर पर विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं; अतिसार के सभी प्रकार के रोगों के लिए घरेलू इलाज के रूप में बड़ी लाभदायक समझी जाती है। राष्ट्रीय हैजा और आन्त्र रोग संस्थान, कलकत्ता ने "कोरोसॉल" नामक एक ऐसा सस्ता और साधारण योग निकाला है जो भारतीय तथा अमेरिकी वैज्ञानिकों के सहयोग से भारत में पहले किये गये अनुसंधान कार्य के आधार पर बनाए गए विश्व स्वास्थ्य संगठन के नुस्खे से मिलता-जुलता है जिसे साधारणतया स्वीकार कर लिया गया है।

**मई-जून 1982 के दौरान यात्री रेल गाड़ियों द्वारा समय की पाबन्दी का पालन**

2298. **श्री चतुर्भुज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारे देश में मई और जून में समय पर सेवाएं चलाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन दो महीनों में समय पर चलने वाली रेलगाड़ियों का प्रतिशत कितना था; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) मई और जून 1982 के दौरान सभी भारतीय रेलों पर समय न खोने वाली सवारी गाड़ियों का समग्र समय पालन इस प्रकार था—

| महीना | | समय पालन का | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| | | बड़ी लाइन | मीटर लाइन |
| मई, | 1982 | 83.0 | 75.5 |
| जून, | 1982 | 83.0 | 78.4 |

महत्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय-पालन पर रेलवे बोर्ड कार्यालय में दिन-प्रतिदिन के आधार पर निगरानी-रखी जाती है। गाड़ियों को समय पर चलाने से सम्बन्धित मामलों पर महाप्रबन्धक व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे रहे हैं। सयय-पालन न बनाये रखने के लिए उत्तरदायी

कर्मचारियों का पता लगाया जाता है और उनके विरुद्ध उपयुक्त कारंवाई की जाती है। खतरे की जंजीर खींचने, होस पाइप अलग करने की घटना तथा बदमाशों की गतिविधियों, जो गाड़ियों के समय पर चलाने में गम्भीर रूप से बाधा डालती हैं। पर काबू पाने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय रेलों द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकार के साथ सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है।

**गौतम नगर, नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा डिस्पेंसरी खोलने हेतु अभ्यावेदन**

2299. **श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा : क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि गौतम नगर की रेजीडेन्ट्स एसोसिशन ने निदेशक, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा को गौतम नगर, गुलमोहर पार्क नीति बाग, नई दिल्ली और इनसे लगी अन्य कालोनियों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा देने हेतु गौतम नगर में एक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा डिस्पेंसरी खोलने हेतु अभ्यावेदन दिया है क्योंकि इस समय इन कालोनियों में कोई केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा डिस्पेंसरी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार गौतम नगर अथवा गुलमोहर पार्क में डिसपेंसरी खोलने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) हां।

(ख) से (घ) ये इलाके पहले ही हौज खाज एंड्रूजगंज और किदवई नगर स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के अंतर्गत आते हैं। गौतम नगर में कोई नया औषधालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

**दिल्ली के सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा के माध्यम का अंग्रेजी में परिवर्तन**

2300. **श्री बाबूराव परांजपे : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के उन सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों के नाम क्या हैं जिन्होंने शिक्षा के अंग्रेजी माध्यम को अपनाया है और उन्हें शिक्षा के माध्यम में परिवर्तन करने की अनुमति कैसे मिली और किन अधिकारियों ने उन्हें इसकी अनुमति दी; और

(ख) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और क्या नीति है ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** :

(क) जैसा कि दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है जिन स्कूलों ने अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाया है; उनके नाम **विवरण** में दिये गये हैं।

दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियमावली, 1973 के अधिनियम से पहले अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई मना नहीं थी। तथापि, अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली के लागू होने से यह स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई थी कि "जहां किसी विशेष कारण से प्रशासक इस बात से संतुष्ट हों कि किसी स्कूल के उच्चतर माध्यमिक कक्षा में एक अथवा एक से अधिक अथवा सभी विषयों में शिक्षा हिन्दी के माध्यम से प्रदान नहीं की जाती तो वह उस स्कूल को उक्त विषय अथवा विषयों में उस अवधि तक जो वह उपयुक्त समझे, हिन्दी के अलावा किसी अन्य भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की अनुमति दे सकते हैं"। प्रशासक के ये अधिकार और आगे शिक्षा निदेशक को दिये गये हैं, जो "उपयुक्त प्राधिकारी" भी हैं। मान्यता के लिए आवेदन पत्रों पर विचार करते समय शिक्षा निदेशक उक्त प्रत्यायोजित अधिकारों का भी प्रयोग कर सकते हैं तथा जब वह इस से संतुष्ट हो जाएं कि उस स्कूल में हिन्दी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती, तो उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की अनुमति दे सकते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## विवरण

### दिल्ली के उन स्कूलों के नाम जिन्होंने अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाया है

I. सहायता प्राप्त सीनियर माध्यमिक स्कूल

1. बंगाली बाल वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल
2. दिल्ली यूनाईटेड क्रिश्चियन
3. धनपतमल विरमानी
4. आर० बी० रामरूप मन्दिर
5. लक्ष्मीनारायण गुजराती
6. मुखर्जी स्मारक
7. ए० एस० वी० जे० दरियागंज
8. महावीर जैन
9. रामजस नं० 2
10. आन्ध्र शिक्षा समिति
11. डी० ए० वी० पहाड़गंज
12. डी० टी० ई० ए० रीडिंग रोड
13. हरकोर्ट बटलर
14. हीरालाल जैन
15. रायसीना बंगाली

16. रामजस नं० 4
17. नूतन मराठी
18. केरल शिक्षा समिति
19. क्वेरा डी० ए० वी०
20. एस० ई० एस० बावा देवराज
21. डी० सी० आर्य, लोधी रोड
22. दिल्ली कन्नड
23. डी० टी० ई० ए० लोधी स्टेट
24. श्यामा प्रसाद विद्यालय
25. एम० बी० डी० ए० वी०, वैस्ट पटेल नगर
26. एस० एस० खालसा, लाजपत नगर
27. बलवन्तराय मेहता
28. बी० बी० बंगाली
29. डी० टी० ई० ए० लक्ष्मीबाई नगर
30. डी० टी० ई० ए० मोती बाग
31. डी० टी० ई० ए०, रामाकृष्ण पुरम
32. भाई बीबा सिंह
33. डी० टी० ई० ए० पूसा
34. पी० जी० डी० ए० वी० वैस्ट पटेल नगर
35. रामजस नं० 2, आनन्द पर्वत
36. रामजस नं० 5, करौल बाग
37. सलवान बाल
38. एस० जी० टी० बी० पटेल नगर
39. डी० सी० एम० बाल
40. बिरला बाल
41. एंग्लो अरबी
42. एस० जी० एच० के बंगला साहब
43. लेडी इरविन एस० एस० एस० हेली रोड
44. विधानचन्द्र विद्यालय एस० एस० एस०, मोती बाग
45. क्वीनमेरी स्कूल
46. यूनियन अकादमी

47. एन० पी० बंगाली
48. जैन समओपासक स्कूल
49. नवशक्ति स्कूल
50. एन० पी० एन० स्कूल गोल मार्किट
51. लोरेटो कान्वेंट स्कूल दिल्ली कैंट
52. एस० एस० मोटा सिंह एस० एस० एस०, ए० ब्लाक जनक पुरी
53. गुरु नानक पब्लिक स्कूल पंजाबी बाग
54. विद्या भवन, एस० एस० एस० शंकर रोड
55. डी० आई० खान स्कूल
56. आर० के एम० एम० पूसा रोड
57. सत ब्रह्‌वान एस० एस० एस० करौल बाग
58. एस० जी० टी० बी० खालसा स्कूल देव नगर
59. रामजस स्कूल बाल नं० 1
60. रामजस स्कूल कन्या नं० 1
61. व्यावसायिक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल

II. असहायता मान्यता प्राप्त सीनियर माध्यमिक स्कूल

1. माँट फोर्ट, अशोक विहार
2. सैन्ट एक्सवीयर
3. रूप नगर पब्लिक स्कूल
4. हैप्पी स्कूल, दरिया गंज
5. मार्डन स्कूल बाराखम्बा
6. सैन्ट कोलम्बस
7. दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड़
8. सरदार पटेल विद्यालय
9. फ्रैंक एन्थॉनी
10. ब्ल्यू बैल्स
11. बाल भारती एयर फोर्स
12. भारतीय विद्या भवन
13. गुरू हरकिशन
14. नवल स्कूल
15. अपीज स्कूल

16. कैम्ब्रिज स्कूल
17. समर फील्ड
18. दिल्ली पब्लिक स्कूल
19. गुरू हरकिश,वसंत विहार
20. रामजस, आर० के० पुरम
21. जनरल राज
22. मॉड्रन वसंत विहार
23. सैन्ट मैरी
24. आर्मी पब्लिक
25. मदर इंटरनेशनल
26. मीरा मॉडल
27. एयर फोर्स सैन्ट्रल
28. माउन्ट सैन्ट मैरी
29. हंस राज मॉडल
30. एन० सी० जिन्दल
31. न्यू इरा
32. कैम्ब्रिज फाउंडेशन
33. बाल भारती पब्लिक स्कूल
34. जे० डी० टाइटलर
35. मानव संथाली
36. रामजस, पूसा रोड
37. सालवान पब्लिक स्कूल
38. स्प्रिंग डालस
39. हैप्पी मॉडल, जनकपुरी
40. सैंट थ्रेसा प्रिजेंटेशन कॉनवैन्ट (गर्ल्स)
41. कॉन्वैन्ट ऑफ जेसेस एण्ड मैरी
42. माटर दई कॉनवैन्ट
43. होली चाइल्ड
44. कॉरमेल कॉन्वैन्ट
45. सैंट एन्थोनी
46. होली चाइल्ड, टैगोर गार्डन
47. सैंट मैकेल
48. सालवान पब्लिक स्कूल
49. सैंट थॉमस, मंदिर मार्ग

**भारतीय पोतों के लिए माल लदान में सहायता देने का प्रस्ताव**

2301. **श्री जगदीश टाइटलर : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार माल लदान में सहायता देने की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है यदि ये लदान पोतों में किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कब से प्रभावी होगा ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) :** (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होता।

**सुल्तानगंज में गंगा पर रेल पुल**

2302. **श्री राम विलास पासवान : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भागलपुर जिले (बिहार) के सुल्तानगंज में गंगा पर एक रेल पुल का निर्माण करने की योजना विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभागों में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**पटना जंक्शन के प्लेटफार्म में यात्रियों की भीड़ को कम करने की योजना**

2303. **श्री राम विलास पासवान : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांधी सेतु (गंगा पुल) के निर्माण के बाद पटना जंक्शन के प्लेटफार्म के यात्रियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए क्या योजना बना रही है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभागों में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) जी हां, उत्तर बिहार स्थित अन्य रेल-हैडों से कुछ यात्री यातायात पटना की ओर जाने लगा है।

(क) यात्री यातायात के रुख को सदा ध्यान में रखा जाता है और संसाधनों की तंगी को देखते हुए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

**पटना टाटा एक्सप्रेस और पटना मोकामठ पैसेंजर के यात्री डिब्बों को कम करना**

2304. **श्री राम विलास पासवान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना टाटा एक्सप्रेस और पटना मोकामठ पैसेंजर रेल गाड़ियों के यात्री डिब्बे कम किए गए हैं, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभागों में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) कोचिंग स्टाक की कमी के कारण 87/88 पटना टाटा साउथ बिहार एयसप्रेस, 429/430 और 389/390 पटना-मोकामा पैसेंजर गाड़ियों में क्रमशः 3 और 2 सवारी डिब्बे कम लगाये जा रहे हैं।

**अलबर-मथुरा लाइन**

2305. **श्री भीखा भाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित अलवर-मथुरा रेल लाइन की प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपरोक्त रेल लाइन कब तक पूरी हो जायेगी ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभागों में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) इंजीनियरी सर्वेक्षण सम्बन्धी 50 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है।

(ख) मथुरा-अलर बड़ी लाइन के निर्माण कार्य को शुरू करने के प्रश्न पर सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने और इसकी जांच हो जाने तथा इसे योजना आयोग की स्वीकृति मिल जाने पर ही निर्णय लिया जा सकता है। बशर्ते कि इसके लिए धन उपलब्ध हो।

**वे देश जिनके साथ अभी राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किए जाने हैं**

2306. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ अभी राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किए जाने हैं ;

(ख) इन देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध न होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इनके साथ कब तक राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

**विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव)** : (क), (ख) और (ग) सुविदित कारणों से दक्षिण अफ्रीका और इजरायल के साथ भारत के राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं और इन दोनों देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने का भारत सरकार का इरादा भी नहीं है।

निम्नलिखित देशों के साथ भी भारत के राजनयिक संबंध नहीं है :—

1. साओ-टोमे तथा प्रिंसिपी प्रजातांत्रिक गणराज्य।

2. बैलिज ।
3. डोमिनिकन गणराज्य ।
4. होन्डुरस और
5. हैती

इन देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने के मामले पर विचार किया जा रहा है और व्यावहारिक रूप में ऐसा होते ही इनके साथ सम्बन्ध स्थापित किए जायेंगे ।

## पटना में प्रौढ़ शिक्षा सम्मेलन

2307. **श्री चितामणि जेना** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना में हुए अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा सम्मेलन में देश में प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये केन्द्र सरकार को कुछ प्रस्ताव किये गये थे;

(ख) उसमें दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विशेषकर उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों में प्रौढ़ शिक्षा व्यवस्था को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**शिक्षा और संस्कृति समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) और (ख) पटना में आयोजित 34वें अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा सम्मेलन द्वारा स्वीकृत सिफारिशों की एक प्रति एक विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ग) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को छठी पंचवर्षीय योजना के न्यूनतम आवश्यकता का कार्यक्रम और 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है । 1981 की जनगणना में देश के 402 जिलों में से उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश के 77 जिलों सहित 243 ऐसे जिलों को निर्धारित किया गया है जिनमें साक्षरता पर राष्ट्रीय औसत से कम है । नई परियोजनाओं के आबंटन में, इन पर बल दिया गया है । कार्यक्रम में अधिक से अधिक छात्र सम्मिलित हो सकें इसके लिए समान पद्धितियां तैयार की जा रही हैं । जिन स्वैच्छिक एजेंसियों का साम्प्रायिक प्रवृत्ति की ओर कोई सुझाव नहीं है उन्हें प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रामों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता मिलती रहेगी ।

## विवरण

(1) विद्यमान ग्रामीण संस्थाओं को सुदृढ़ किया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जानी चाहिए ताकि निर्णय लेने के कार्य में निर्धन ग्रामीण भी भाग ले सकें ।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में सभी संस्थाओं, संगठनों और व्यक्तियों को सक्रिय रूप से शामिल करके प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में तीव्रता लाई जानी चाहिए ।

(3) विभिन्न ग्रामीण संस्थाओं और संगठनों के सभी कार्मिकों को प्रौढ़ शिक्षा से अवगत काराया जाना चाहिए तथा यदि संभव हो तो उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के सिद्धान्तों और पद्धतियों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ।

(4) सभी नव-साक्षरों और अर्द्धसाक्षरों को संगठित किया जाना चाहिए ताकि वे अपने शोषण के मूल कारणों का पता लगा सकें और उनके विरुद्ध संघर्ष कर सकें, अपने अधिकारों और दायित्वों का प्रयोग कर सकें, विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों की त्रुटिपूर्ण पुरातन परिस्थितियों को तोड़ सकें तथा भावी शिक्षा समाज में वे अपने आपको शिक्षण व उत्पादन वर्गों के रूप में व्यस्त कर सकें ।

(5) प्रौढ़ शिक्षा को पंचायतों और सहकारी समितियों के सदस्यों की शिक्षा की प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए ।

(6) ग्राम्य स्तर पर एक स्थायी प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए ताकि आवश्यकता पर आधारित विभिन्न प्रकार के सतत शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें ।

(7) शिक्षण कार्यकलापों में अधिक से अधिक महिलाओं को भाग लेना चाहिए ताकि वे पंचायत और सहकारी कार्यों में पूरी तरह से भाग ले सकें ।

(8) समाज के कमजोर वर्गों को शैक्षिक कार्यक्रम में शामिल करने हेतु विशेष प्रयास किए जाने चाहिए ताकि सामुदायिक कार्यों में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके ।

(9) सहकारी समितियों और पंचायतों का शिक्षण साधनों के रूप में पता लगाया जाना चाहिए तथा सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता लेकर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(10) स्वैच्छिक एजेंसियों के तत्वावधान में देश के विभिन्न भागों में लोक उच्च विद्यालयों को पुनः आरम्भ कर उनकी स्थापना की जानी चाहिए ।

(11) स्कूल-व-सामुदायिक केन्द्र की धारणा को पुनः लोक प्रिय बनाया जाना चाहिए और उन्हें तत्काल कार्यान्वित किया जाना चाहिए ताकि स्कूलों की विद्यमान अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं को प्रौढ़ और गैर औपचारिक शिक्षा के लिए उपयोग किया जा सके ।

(12) पुरुष और महिलाओं के लिए विभिन्न विषयों और कक्षाओं में सतत शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा के स्कूल आयोजित किए जाने चाहिए।

(13) निर्धन ग्रामीण को सरकार और अन्य एजेंसियों की उन विभिन्न विकास योजनाओं से, जो उन्हीं के लिए बनाई गई हों अवगत कराने हेतु एक उपयुक्त सूचना कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए और इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आगे आने हेतु उन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए ।

(14) प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण का एक उपयुक्त कार्यक्रम—तैयार किया जाना चाहिए ताकि फार्मों (खेतों) और घरों में कम लागत की उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनायी जा सके जिसके परिणामस्वरूप समय और श्रम की बचत होगी तथा शिक्षण कार्य-कलापों में महिलाओं के भाग लेने को प्रोत्साहन मिलेगा।

(15) प्रौढ़ शिक्षा, जो शिक्षा की एक उप-पद्धति है, विकास और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का एक अनिवार्य निवेश है; और हमारे देश के लिये यह सुदृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और वचनबद्धता पर आधारित एक उच्च प्राथमिकता वाला राष्ट्रीय अभियान होना चाहिए।

**निर्यात सामान की ढुलाई लिए वैगन**

2308. **श्री निहाल सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 में माह-वार निर्यात सामान की ढुलाई के लिये कितने रेलवे वैगन आबंटित किए गए थे; और

(ख) वर्ष 1981-82 में, उससे पिछले वर्ष में की गई ढुलाई की तुलना में रेलवे द्वारा कितने सामान की ढुलाई की गई है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) निर्यात किये गये सभी सामान के लिए रेल माल डिब्बों के आबंटन के सम्बन्ध में अलग से आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं। तथापि; कुछ महत्त्वपूर्ण वस्तुओं के लिये आंकड़े रखे जा रहे हैं जो संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) रेलों ने 1981-82 के दौरान कुल 221.19 लाख टन राजस्व अर्जक प्रारम्भिक यातायात की ढुलाई की जबकि वर्ष 1980-81 के दौरान कुल 195.94 लाख टन की ढुलाई हुई थी।

**विवरण**

**1981-82 के दौरान निर्यात के लिए विशिष्ट वस्तुओं से लादे गये माल डिब्बों (चौपहियों के हिसाब से) का महीने-वार ब्यौरा**

| महीना | लौह अयस्क माल डिब्बों की सं० | | भारतीय खाद्य निगम द्वारा उत्तर रेलवे से खाद्यान्न का निर्यात | कोयला माल डिब्बों की सं० बड़ी लाइन |
|---|---|---|---|---|
| | ब० ला० | मी० ला० | माल डिब्बों की संख्या ब० ला० | |
| अप्रैल 81 | 36436 | 901 | 2675 | 206 |
| मई 81 | 38249 | 2025 | 1780 | 339 |
| जून 81 | 38108 | 1858 | 1592 | 442 |
| जुलाई 81 | 49396 | 1700 | 1295 | 419 |
| अगस्त 81 | 41970 | 2189 | 492 | 803 |
| सितम्बर 81 | 37663 | 2418 | 925 | 587 |
| अक्तूबर 81 | 38836 | 1835 | 1024 | 526 |
| नवम्बर 81 | 38718 | 1474 | 1831 | 389 |
| दिसम्बर 81 | 33997 | 1516 | 1523 | 150 |
| जनवरी 82 | 42431 | 1274 | 1006 | — |
| फरवरी 82 | 37231 | 1934 | 1675 | 530 |
| मार्च 82 | 37564 | 2731 | 1943 | 420 |

### रेलवे के रिहायशी क्वार्टरों का रख-रखाव

2309. **श्री सुधीर कुमार गिरि : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर० डी० एस० ओ० में रेलवे के रिहायशी क्वार्टरों का सिविल रख-रखाव किराया-दाताओं द्वारा बार-बार शिकायत किये जाने के बावजूद नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभागों में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी नहीं। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन के आवासी रेलवे क्वार्टरों के सिविल अनुरक्षण से सम्बन्धित शिकायतों पर नियमित रूप से ध्यान दिया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

### आर० डी० एस० ओ० के कर्मचारियों द्वारा राजधानी हाल और सभा कक्ष का उपयोग करना

2310. **श्री सुधीर गिरि : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर० डी० एस० ओ० ने रेल विभाग के कर्मचारियों और विशेष तौर पर आर० डी० एस० ओ० के कर्मचारियों हेतु निर्धारित दरों पर उपयोग के लिए एक राजधानी हाल और एक सभा कक्ष का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारी संघ जैसे आर० डी० एस० ओ० कर्मचारी संगठनों को उपर्युक्त आवास का भुगतान करने के आश्वासनों के बावजूद उपयोग न करने देने के क्या कारण हैं; और

(ग) बाहरी पार्टियों/लोगों को हाल और सभा कक्ष का उपयोग करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभागों में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां

(ख) अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन के कर्मचारियों के लाभ और मान्यताप्राप्त एसोसिएशनों के कार्य कलापों के लिए ये उपलब्ध हैं लेकिन अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन के कर्मचारी संघ जैसे गैर मान्यता प्राप्त यूनियनों के यूनियन सम्बन्धी कार्य-कलापों के लिए ये उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) बाहरी पार्टियों/व्यक्तियों को राजधानी हाल और सभाकक्ष का आबंटन नहीं किया गया है।

### शोध निदेशालय के इन्स्ट्रूमेंट सेक्शन में वरिष्ठ शोध सहायक का ग्रेड

2311. **श्री सुधीर गिरि : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि शोधनिदेशालय इन्सट्रूमेंट सेक्शन में वरिष्ठ सहायकों को कनिष्ठ शोध सहायकों के बतौर रखा जा रहा है लेकिन अपने वर्ग में वरिष्ठता क्रम के अनुसार

जिस पद पर वह काम कर रहे हैं उस पद के वेतन के बिना उनसे वरिष्ठ शोध सहायक का काम लिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभागों में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख)** वरिष्ठ अनुसंधान सहायकों के रूप में तैनाती के लिए उम्मीदवारों का पेनल न होने के कारण अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन में 550-900 रु० (संशोधित वेतनमान) के वेतन मान में वरिष्ठ अनुसंधान सहायकों के कुछ पदों को 425-700 रु० (संशोधित वेतनमान) के वेतनमान के कनिष्ठ अनुसंधान सहायकों के निम्नतर ग्रेड में परिचालित किया जा रहा है। चूंकि इन पदों को कनिष्ठ अनुसंधान सहायकों के रूप में निम्नतर ग्रेड में परिचालित किया जा रहा है, इसलिए इनसे वरिष्ठ अनुसंधान सहायक का काम लिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

### अन्डमान और निकोबार द्वीपों में अन्तर्द्वीपीय नौका सेवा

2312. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र शासित अन्डमान और निकोबार द्वीपों में अन्तर्द्वीपीय नौका सेवा बहुत असन्तोषजनक है और इससे लोग काफी परेशान हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) समुद्री और नौवहन विभाग, अन्डमान निकोबार द्वीप के पास नौका सेवा के लिए कितनी नौकाएं हैं, उनमें से कितनी ठीक हालत में है और कितनी खराब हैं;

(घ) वे कब से चालू हैं और जो खराब हैं वे कब से खराब हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि मायाबन्दर काली घाट नौका अभी तक नहीं पहुंची है; और

(च) यदि हां, तो मायाबन्दर काली घाट के बीच सामान्य नौका सेवा कब से चालू होगी ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) और (ख) अंडमान और निकोबार प्रशासन के समुद्री विभाग के पास अन्तर्द्वीपीय सेवाओं के लिए इस प्रकार जो जहाज उपलब्ध हैं वे इन द्वीपों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए नहीं पर्याप्त समझे जाते हैं इस दृष्टि से अन्डमान निकोबार प्रशासन द्वारा वहां के लोगों की मांग को पूरा करने के लिए सभी प्रयास करने के बावजूद लोगों को कुछ कठिनाई हो रही है। कभी-कभी जहाजों के खराब हो जाने या खराब मौसम के कारण फेरी सेवा भी ठप्प हो जाती है

अंडमान और निकोबार प्रशासन ने छठी पंचवर्षीय योजना में भार ढोने के 23 जहाज खरीदने का प्रस्ताव किया है। 10 जहाजों की खरीद के आर्डर पहले ही दिए जा चुके हैं। इनमें एम वी ओज टाइप के दो जहाज भी हैं। इन दो में से एक जहाज एम वी सैन्टीनल जुलाई, 1982 के अन्त तक पोर्ट ब्लेयर पहुंचने की संभावना है और दूसरा नवम्बर 1982 तक डिलिवर किया जाना है।

प्रशासन ने कुछ अन्तर्द्वीपीय फेरी जहाजों की बड़ी-बड़ी मरम्मतों के लिए केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के साथ आवश्यक व्यवस्था की है। एक जहाज की मरम्मत की जा रही है।

(ग) इस समय प्रशासन के समुद्री और नौवहन विभाग में 33 जहाज/मोटर लांचेज हैं। इन 33 जहाजों में से 22 जहाज/मोटर लांच चल रहे हैं और 11 जहाज खराब पड़े हैं।

(घ) अपेक्षित सूचना विवरण में दी गई है।

(ङ) और (च) मायाबन्दर कालीघाट परिचालन सेवा में प्रयुक्त मोटर लांच 10 जुलाई 1982 से खराब पड़ा है। यह सेवा पुन: शुरू कर दी गई है और संतोषजनक रूप से चल रही है।

**विवरण**

| क्र० सं० | जहाज का नाम | जिस वर्ष द्वीपों में सेवा शुरू की | क्या इस समय सेवाएं चलाई जा रही है | यदि नहीं, तो कब से |
|---|---|---|---|---|
| 1. | एम वी ओज | 1969 | हां | प्रश्न नहीं होता |
| 2. | टी एस एस यरेवा | 1965 | हां | प्रश्न नहीं होता |
| 3. | एस एस चोलुंगा | 1957 | नहीं | अगस्त, 1981 से |
| 4. | एम वी त्रिवेणी | 1980 | हां | प्रश्न नहीं होता |
| 5. | एम वी तरमुगलीं | 1969 | हां | प्रश्न नहीं होता |
| 6. | एम वी लिटल अंडमान | 1965 | हां | प्रश्न नहीं होता |
| 7. | एम वी यमुना | 1965 | नहीं | जुलाई 1980 |
| 8. | एम वी गोमती | 1978 | हां | प्रश्न नहीं होता |
| 9. | एम वी नर्मदा | 1977 | हां | प्रश्न नहीं होता |
| 10. | एम वी साम्बर | 1976 | हां | प्रश्न नहीं होता |
| 11. | एम वी चिंकारा | 1976 | नहीं | मई 1982 |
| 12. | एम वी चीतल | 1976 | नहीं | अप्रैल 1980 |
| 13. | एम वी गंगा | 1965 | नहीं | दिसम्बर 1980 |
| 14. | एम वी कदमतला | 1979 | हां | प्रश्न नहीं होता |
| 15. | एम वी टेरेसा | 1968 | हां | प्रश्न नहीं होता |
| 16. | एम वी कोंडल | 1968 | हां | प्रश्न नहीं होता |
| 17. | एम एल—5 | 1965 | नहीं | जुलाई 1982 |
| 18. | एस० एम० एफ०—672 | 1965 | नहीं | मार्च 1980 |
| 19. | एम० टी० मोती | 1945 | हां | प्रश्न नहीं होता |
| 20. | एम० एल० मेगापोडे | 1980 | हां | प्रश्न नहीं होता |

जारी…

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21. | एम० एल० सीगुल | 1980 | हां | प्रश्न नहीं होता |
| 22. | एम० एल० चकोर | 1978 | हां | प्रश्न नहीं होता |
| 23. | एम० एल मयूर | 1976 | हां | प्रश्न नहीं होता |
| 24. | एम० एल० कृष्ण | 1963 | हां | प्रश्न नहीं होता |
| 25. | एम० एल० राधा | 1963 | नहीं | जुलाई 1982 |
| 26. | एम० एल० नीला | 1958 | नहीं | जनवरी 1982 |
| 27. | एम० एल० हंस | 1965 | नहीं | जुलाई 1982 |
| 28. | एल० एल० हिल्लरी | 1970 | हां | प्रश्न नहीं होता |
| 29. | एम० एल० ग्रोवा | 1964 | हां | प्रश्न नहीं होता |
| 30. | एम० एल० कोयल | 1967 | हां | प्रश्न नहीं होता |
| 31. | एम० एल० स्मृति | 1953 | नहीं | फरवरी, 1980 |
| 32. | एम० डी—1 | 1962 | नहीं | नवम्बर, 1981 |
| 33. | म्यू० फिशिंग वोट | 1962 | हां | प्रश्न नहीं होता |

## दिल्ली विश्वविद्यालय का पूर्वी दिल्ली कैम्पस

2313. श्री भीकूराम जैन : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वी दिल्ली कैम्पस की स्थापना की मांग के बारे में जानकारी है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मामले की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

**शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :** (क) दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ऐसी मांग कर रहा है।

(ख) विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदाम आयोग से यमुना पार वाले क्षेत्र में एक कैम्पस की स्थापना किए जाने के प्रश्न की जांच करने के लिए अनुरोध किया है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त समिति मामले के सभी पहलुओं पर विचार रही है। इस स्थिति में यह बताना संभव नहीं है कि इस मामले में निर्णय कब तक किया जाएगा।

## बिहार में बलिराजगढ़ में खुदाई

2314. श्री भोगेन्द्र झा : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल एक दीवार के अवशेषों की खुदाई से ही बलिराजगढ़ के स्थान को 200 ई० पू० पुराना सिद्ध कर दिया है और वर्ष 1975-76 के दौरान पानी आ जाने के कारण खुदाई का काम छोड़ देना पड़ा तथा क्या पानी को पम्पों से बाहर निकाल कर टैंक सहित गढ़ के भीतरी भागों, जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि यह और भी प्राचीन हैं, की खुदाई का काम जारी रखने पर विचार किया गया है; और

(ख) क्या कलना और अन्य स्थानों पर भी जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि यह जनक और सीता के समय से भी पहले के हैं; की खुदाई पर भी विचार किया गया है ?

**शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) :** (क) उत्खनन के कार्यक्षेत्र के तीन मौसमों में परकोटे के आर-पार और किलेबन्दी के भीतरी क्षेत्र में दीवारों और अन्य पुरावशेषों-यथा मनकों, सिक्कों, शुंगकालीन पकी मिट्टी के फलकों, अस्थि निर्मित वस्तुओं आदि के साथ-साथ उत्तरी काले पालिशदार मृद्भांडों की उपलब्धि से बलिराजगढ़ के प्राचीन स्थल के पुरावशेष, लगभग ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के सिद्ध किए जा चुके हैं।

क्योंकि इस स्थल का सांस्कृतिक अनुक्रम पहले ही प्रमाणित किया जा चुका है; इसलिए इनका पुनः उत्खनन कराना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

(ख) जी नहीं।

## इज्जतनगर डिवीजन में कर्मचारियों के सेवा से हटाये जाने का कथित समाचार

2315. **श्री दया राम शाक्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर पूर्व रेलवे के इज्जतनगर डिवीजन में टेलीफोन आपरेटरों सहित विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को सेवा से हटाये जाने के लिये अनुशासन तथा अपील नियम, 1968 का पालन नहीं किया जाता है;

(ख) क्या मंत्री महोदय सेवा से हटाये गये कर्मचारियों के नामों की सूची तथा उनके विरुद्ध आरोपों की सूची तथा अनुशासन एवं अपील नियमों के अधीन आवश्यक औपचारिकताओं की सूची देखने के लिये सभा पटल रखेंगे; और

(ग) उत्तर पूर्व रेलवे के इज्जतपुर डिवीजन में अपीलीय प्राधिकार द्वारा सेवा से हटाये जाने संबंधी आदेश पर अपील रोके रखने तथा सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को पिछले 22 महीनों से भविष्य निधि, आदि की अदायगी न करने के क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभागों में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) यह तथ्य नहीं है कि पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल पर अनुशासन और अपील नियम, 1968 का पालन नहीं किया जाता।

(ख) अनुशासन और अपील नियमों के अन्तर्गत, विभिन्न गलतियों के लिए इज्जतनगर मंडल के सेवा से हटाये गये रेलवे कर्मचारियों की सूची देते हुए एक विवरण संलग्न है।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

## विवरण

**पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मण्डल में रेल सेवा से हटाये गये/बरखास्त किये गये रेल कर्मचारियों का विवरण—लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 2315**

| क्रम सं० | सेवा से हटाये गये/बरखास्त किये गये कर्मचारियों के नाम | पद नाम | अपराध की तिथि | सेवा से हटाये गए/बरखास्त किये जाने के संक्षिप्त कारण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | सर्व श्री | | | | |
| 1. | नाथूराम | भुत पूर्व टेलिफोन आपरेटर (सि० एवं० दू० सं०) | मई, 1978 | उच्च अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता विभाग के पास विद्वेष पूर्ण आरोप लगाये, जो सिद्ध नहीं हो सके। | अनुशासन एवं अपील-नियमों के नियम 9 और 13 के अधीन कार्यवाही की गयी। |
| 2. | सीतला प्रसाद त्रिपाठी | भूत पूर्व बिजली सिगनल मेंटेनर (सि० एवं०दू० सं०) | 8.12.80 | आन्दोलन में अवैध रूप से भाग लिया तथा सरकार और उसकी नीतियों की की आलोचना की। | अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के नियम (14 2) के अधीन सेवा से हटा दिया गया |
| 3. | सत्य नारायण दुबे | भूतपूर्व खलासी (जि० एवं० दू० सं०) | 15.8.81 | | |
| 4. | के० एन० सिन्हा | भूतपूर्व डीजल सहायक | 12.1.81 | जानबूझ कर गाड़ियों को रोक लिया जिसके परिणाम-स्वरूप अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई और जन जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ा | —वही— |

जारी...

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | सर्व श्री | | | | |
| 5. | ए० ए० खान | भूतपूर्व फायर मैन | 1.2.81 | जानबूझ कर गाड़ियों को रोक लिया जिसके परिणाम स्वरूप अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई और जन जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ा। | अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के नियम 14 (2) के अधीन सेवा से हटा दिया गया |
| 6. | एस० आर० खान | —वही— | 31.1.81 | —वही— | —वही— |
| 7. | जे० के० सक्सेना | —वही— | —वही— | —वही— | —वही— |
| 8. | वी० एन० सेन गुप्ता | —वही— | —वही— | —वही— | —वही— |
| 9. | पतराम | भूतपूर्व ड्राईवर 'ए' | —वही— | —वही— | —वही— |
| 10. | सुखलाल | —वही— | —वही— | —वही— | —वही— |
| 11. | डी० एन० पाल | भूतपूर्व डीजल ड्राइवर | 1.2.81 | —वही— | —वही— |
| 12. | एस० पी० मिश्रा | —वही— | —वही— | —वही— | —वही— |
| 13. | जे० एस० टाक | भूतपूर्व डीजल ड्राईवर | —वही— | —वही— | —वही— |
| 14. | डी० एन० टण्डन | भूतपूर्व फायर मैन | 2.2.81 | —वही— | —वही— |
| 15. | बांकेलाल | भूतपूर्व ड्राईवर 'सी' | —वही— | —वही— | —वही— |
| 16. | आर० टी० कटियार | भूतपूत फायर मैन | —वही— | —वही— | —वही— |
| 17. | तेजा लाल | भूतपूर्व फायर मैन 'बी, | 1.2.81 | —वही— | —वही— |
| 18. | भानुप्रताप | भूतपूर्व फिटर | 17.6.81 | —वही— | —वही— |
| 19. | जमील अहमद | भूतपूर्व गाड़ी लाइटिंग फिटर (बिजली) | 11.12.80 | नशे की हालत में जबरदस्ती निरीक्षण यान में घुस गया और मंडल यांत्रिक इंजीनियर के साथ मार पीट की और एक शंटिंग मैन पर हमला करने का प्रयास किया | —वही— |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | सर्व श्री | | | | |
| 20. | शैलेन्द्र कुमार | भूतपूर्व खलासी (बिजली) | 15.8.81 | 15.8.81 को पीलीभीत में ध्वजारोहण के पश्चात एक आन्दोलन में भाग लिया, सरकार और उसकी नीतियों की आलोचना की अपने से उच्च कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध गन्दी भाषा का प्रयोग किया। | अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के नियम 14 (2) के अधीन सेवा से हटा दिया गया। |
| 21. | काशी नाथ यादव | भूतपूर्व गेट मैन (यातायात) | 1979 | नैमित्तिक श्रमिक के रूप में काम करने का झूठा प्रमाण पत्र पेश करके नौकरी प्राप्त की थी। | अनुशासन एवं अपील नियमों के नियम 9 से 13 तक में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद सेवा से हटा दिया गया। |
| 22. | राम प्रसाद | —वही— | 8.8.78 | अनधिकृत रूप से रेलवे क्वार्टर पर कब्जा कर लिया। | —वही— |
| 23. | आशा राम | भूतपूर्व खलासी (सवारी एवं० मा० डी०) | 22.5.81 | वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। | —वही— |

## जापान का लोह अयस्क का निर्यात

2316. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौवहन उद्योग के साथ जापान के इस्पात व्यापारियों द्वारा उस देश को लोह अयस्क के निर्यात के मामले में अच्छा बर्ताव नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि लोह अयस्क के परिवहन में अधिक भारतीय भागीदारी हासिल करने हेतु जिस भारतीय नौवहन शिष्टमण्डल ने जापान की यात्रा की वह जापानियों द्वारा दिखाए गए रवैये पर अप्रसन्न होकर वापस आ गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसके पमिणामस्वरूप भारतीय नौवहन वहां 1982-83 के दौरान गत वर्ष की तुलना में कम लोह अयस्क भेजेगा;

(घ) यदि हां, तो जापानियों के रवैये मे परिवर्तन के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) क्या इसके लिए भारतीय नौवहन जिम्मेदार है और क्या कोई समझौता सूत्र तय हो गया है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) :** (क) से (ङ) जापानी स्टील मिलों के साथ आयरन ओर के निर्यात बेलाडिला आयरन और बेसिक ग्रेड आयरन ओर की ढुलाई के लिए भाड़ा दरों के बारे में तथा 1982-83 में भारतीय जहाजों के लिए अधिक माल उपलब्ध कराने के बारे में बातचीत करने के लिए खनिज और धातु व्यापार निगम के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल 24 मई से 4 जून 1982 तक जापान गया था। यद्यपि जापान को आयरन ओर की बिक्री सदा फ्री आन बोर्ड आधार पर की जाती रही है। तो भी भारतीय जहाजों के लिए 1980-81 और 1981-82 में लगभग 28.5 प्रतिशत माल मिला।

भाड़ा मार्किट में मन्दी विश्व भर में नौवहन उद्योग और स्टील मिलों में मन्दी को देखते हुए। 1982-83 में आयरन ओर की ढुलाई के लिए भारतीय जहाजों के माल के लिए माल का प्रतिशत यथावत बने रहना उपलब्धि है। इस बैठक में भारतीय कम्पनियों के, हिस्से के माल की ढुलाई के लिए भाड़ा दरों के बारे में सहमति नहीं हो सकी, परन्तु खनिज और धातु व्यापार निगम का यह शिष्टमंडल आयरन ओर की एफ०ओ०बी० कीमत पर 17 प्रतिशत की वृद्धि कर सकने में सफल हो गया। जहां तक बेसिक ग्रेड आयरन ओर की ढुलाई का प्रश्न है यह आशा है कि यह मात्रा 1981-82 में ढोये गये माल की मात्रा की अपेक्षा 1,65,000 टन कम पड़ेगी, क्योंकि भाड़ा दरों के बारे में कोई समझौता नहीं हो सका है।

जापानी अधिकारियों और जापानी स्टील मिलों का व्यवहार मैत्रीपूर्ण रहा परन्तु उन्होंने वर्तमान मार्किट स्थिति और अन्य पहलुओं को जैसे क्रेता विक्रेता सम्बन्धों को ध्यान में रखा है। आशा है कि बेलाडिला आयरन ओर के निर्यात के लिए भाड़ा दरें मार्किट स्तर से काफी ऊंची होंगी।

## बलूच हिन्दुओं को भारत की तीर्थ यात्रा करने की मंजूरी देना

• 2317. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा एक भारतीय साप्ताहिक पत्र को भारत की तीर्थयात्रा के इच्छुक बलूचिस्तान के हिन्दुओं के बारे में दिए गए साक्षात्कार की तरफ आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त साक्षात्कार के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने हमारी सरकार से उन हिन्दुओं को इस देश में आने की अनुमति का अनुरोध किया था परन्तु अभी तक पाकिस्तान सरकार को कोई उत्तर नहीं मिला है;

(ग) यदि हां, तो हिचकिचाहट और विलम्ब का क्या कारण है तथा इस मामले में कौन उत्तरदायी है;

(घ) यदि यह सच नहीं है, तो क्या सरकार उपर्युक्त साक्षात्कार के विषय को लेकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति से मामले को स्पष्ट करने के लिए कहेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव)** : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) कुछ समय पूर्व पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने सरसरी तौर पर इस मामले को मौखिक रूप से भारत के राजदूत के साथ उठाया था। राजदूत ने राष्ट्रपति को सूचित किया कि बलूचिस्तान के हिन्दुओं को भारत की यात्रा करने के लिए पासपोर्ट जारी करना और उन पर पृष्ठांकन करना पाकिस्तान सरकार का काम है। इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार ने हमें कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं भेजा है। सरकार ने पाकिस्तान सरकार से अनुरोध किया है कि वह अपने देश के हिन्दुओं से परामर्श करें और जिन धार्मिक स्थानों की वे यात्रा करना चाहते हों, उनकी जानकारी प्राप्त करें। ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

## यमुना विहार डी०डी०ए०कालोनी में सी०जी०एच०एस०डिसपेंसरी

2318. **श्री जैनुल बशर** : क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यमुना विहार डी० डी० ए० कालोनी में काफी सरकारी कर्मचारी रहते हैं;

(ख) क्या सरकार ने सर्वेक्षण के बाद उस कालोनी में एक सी०जी० एच० एस० डिसपेंसरी खोलने की घोषणा की थी; और

(ग) यदि हां, तो वहां पर अब तक डिस्पेंसरी न खोलने के क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क), (ख) और (ग) यमुना विहार में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या

केवल 500 के लगभग है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरी ऐसी कालोनी अथवा क्षेत्र में खोली जाती हैं जहां 3 किलोमीटर के घेरे में कम-से-कम 2000-2500 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी रहते हों। इस प्रकार यमुना विहार में डिस्पेंसरी नहीं खोली जा सकती।

**राज्यों में अदा की गई वृद्धावस्था पेंशन की दर और उसमें की गई वृद्धि**

2319. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सरकारें वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और विभिन्न राज्यों में वृद्धों को दी गई पेंशन की मासिक राशि क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि करने के लिये ऐसे राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धांत भेजे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में विभिन्न राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों और समाज कल्याण मंत्रियों के सम्मेलन (1981) की 60 रुपये प्रति मास की समान दर के लिए की गई सिफारिश राज्य सरकारों को भेजी गई थी। विभिन्न राज्यों में प्रतिमास दी जाने वाली पेंशन की धनराशि को दर्शाने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है और इसमें पेंशन की मात्रा की वृद्धि के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के विचार भी दिए गए हैं।

**विवरण**

**वर्तमान दरें और 60 रुपये तक पेंशन की दर बढ़ाने के सुझाव पर प्रतिक्रिया दर्शाने वाला विवरण**

| क्र० सं० | राज्य | पेंशन की वर्तमान दर | पेंशन बढ़ाने के बारे में राज्य सरकारों के विचार |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 30 रुपए | |
| 2. | असम | — | |
| 3. | बिहार | 30 रुपए | |
| 4. | गुजरात | 30 रुपए | |
| 5. | हरियाणा | 60 रुपए | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 60 रुपए | |
| 7. | जम्मू व कश्मीर | 60 रुपए | |
| 8. | कर्नाटक | 40 रुपए | |
| 9. | केरल | 45 रुपए | |
| 10. | मध्य प्रदेश | 60 रुपए | वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार अधिकांश राज्यों ने पेंशन की दर 60 रुपए प्रतिमास तक बढ़ा दी है। अन्य राज्य वित्त आयोग द्वारा किए गए वित्तीय आवंटन को इस प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त समझते हैं किन्तु मामले पर पुनर्विचार कर रहे हैं। |
| 11. | महाराष्ट्र | 60 रुपए | |
| 12. | मणिपुर | — | |
| 13. | मेघालय | 60 रुपए | |
| 14. | नागालैंड | 60 रुपए | |
| 15. | उड़ीसा | 40 रुपए | |
| 16. | पंजाब | 50 रुपए | |
| 17. | राजस्थान | 40 रुपए | |
| 18. | सिक्किम | 50 रुपए | |
| 19. | तमिलनाडू | 25 रुपए | |
| 20. | त्रिपुरा | 30 रुपए | |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 60 रुपए | |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 30 रुपए | |

### आप्रवासी बाजार की निगरानी के लिए विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में पृथक सैलों की स्थापना

2320. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों में आप्रवासी श्रमिक बाजार की निगरानी के लिए विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में पृथक सैलों की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में एक कार्यकारी दल द्वारा किए गए अध्ययन के संदर्भ में इस मामले में कोई निर्णय किया गया है ?

**विदेशमंत्री (श्री० पी० वी० नरसिंह राव)** : (क) और (ख) जी नहीं। श्रम सचिव की अध्यक्षता में समुद्र पार रोजगार से संबद्ध एक कार्यकारी दल स्थापित किया गया है जो विदेशों में रोजगार के लिये भारतीय कामगारों के उत्प्रवासन के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेगा। लेकिन श्रमिक बाजार की निगरानी के लिये विदेश स्थित भारतीय मिशनों में पृथक सैलों की स्थापना का कोई प्रस्ताव अब तक नहीं आया है। ऐसे आंकड़ों को एकत्र करने का काम विदेश स्थित हमारे मिशनों द्वारा पहले से ही किया जा रहा है।

### सैनिक कर्मचारियों के बच्चों के लिए केन्द्रीय विद्यालयों में आरक्षण

2321. **श्री जैनुल बशर** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक कर्मचारियों के बच्चों के लिए केन्द्रीय विद्यालयों में प्रथम कक्षा में प्रवेश के लिए आरक्षण किया गया है, और यदि हां, तो किए गए आरक्षण की प्रतिशतता क्या है;

(ख) जम्मू और काश्मीर राज्य में केन्द्रीय विद्यालय संख्या 1 गांधी नगर, जम्मू में प्रथम कक्षा में कुल कितनी सीटें सैनिक कर्मचारियों के बच्चों के लिये आरक्षित है;

(ग) क्या उपरोक्त स्कूल में सभी आरक्षित सीटें भरी गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क) और (ख) रक्षा कार्मिक के बच्चों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। गांधीनगर, जम्मू स्थित केन्द्रीय विद्यालय न० 1 में प्रथम कक्षा में स्थानों की संख्या 80 के लगभग है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

## पश्चिम रेलवे में चल रही रेलगाड़ियों के लिए अतिरिक्त सवारी डिब्बों की व्यवस्था

2322. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान पश्चिम रेलवे में चल रही रेलगाड़ियों में अतिरिक्त सवारी डिब्बों की व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक उपलब्ध कराये गए सवारी डिब्बों की ट्रेनवार संख्या कितनी है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां।

(ख) गाड़ीवार ब्यौरा इस प्रकार है—

| | गाड़ी नम्बर | सवारी डिब्बों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | 151 डाउन/152 अप राजधानी एक्सप्रेस | 7 |
| 2. | 23 डाउन/24 अप जनता एक्सप्रेस | 3 |
| 3. | 5 डाउन/6 अप सौराष्ट्र मेल | 1 |
| 4. | 145 अप/146 डाउन नवजीवन एक्सप्रेस | 2 |
| 5. | 181/182 सर्वोदय एक्सप्रेस | 2 |
| 6. | 133 अप/4 डाउन/134 डाउन/3 अप एक्सप्रेस (हावड़ा-अहमदाबाद) | 1 साप्ताहिक |
| 7. | 88 डाउन/85 डाउन/138 डाउन/133 डाउन/134 अप/137 अप/86 अप/87 अप एक्सप्रेस (इन्दौर-हावड़ा) | 1 साप्ताहिक |
| 8. | 19 डाउन/87 डाउन/20 अप/88 अप एक्सप्रेस (बम्बई-अहमदाबाद) | 1 |
| 9. | 88 अप/19 डाउन/20 अप/87 डाउन (इन्दौर-देहरादून) | 1 |
| 10. | 233 अप/234 डाउन जयपुर-जुरु सवारी गाड़ी | 1 |
| 11. | 295/296 अहमदाबाद-धंधुका सवारी गाड़ी | 2 |
| 12. | 191 अप/192 डाउन अहमदाबाद-बोटाद सवारी गाड़ी | 2 |

## दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय जिनमें आम जनता को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं

2323. **श्री निहाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन 14 केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के नाम क्या हैं जिनमें आम जनता को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ख) इन में से प्रत्येक औषधालय में कितने गैर-सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा दी जा रही है और कब से ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) :** (क) और (ख) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के जिन औषधालयों में आम जनता के सदस्यों को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं, उनके नाम और 1981-82 में प्रत्येक ऐसे औषधालयों से सम्बद्ध लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है --

| क्र० सं० | के० स० स्वा० योजना के औषधालय का नाम | आम जनता के सदस्यों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | एंड्रूज गंज | 100 |
| 2. | चाणक्यपुरी | 305 |
| 3. | कंस्टिट्यूशन हाऊस | 20 |
| 4. | होजखास | 296 |
| 5. | किदवई नगर | 176 |
| 6. | लक्ष्मीबाई नगर | 130 |
| 7. | मोतीबाग | 94 |
| 8. | नारोजी नगर | 200 |
| 9. | नपर्थ एवेन्यू | 202 |
| 10. | पंडारा रोड | 46 |
| 11. | रामकृष्णपुरम-II | 179 |
| 12. | साउथ एवेन्यू | 58 |
| 13. | टेलिग्राफ लेन | 44 |
| 14. | वेलेजली रोड | 125 |

## नैहाती-काकुर गाछी बडगे-बडगे लाइन पर सवारी गाड़ियों का पता चलाया जाना

2325. **श्री सुनील मैत्रा**, **प्रो० रूपचन्द पाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कलकत्ते में बढ़ते हुए यातायात को देखते हुए नैहाती-काकुर गाछी बडगे-बडगे लाइन पर जिसका इस्तेमाल केवल माल के लिए किया जा रहा है सवारी गाड़ियां चलाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**बिहार, उड़ीसा आदि स्थानों से आए छात्रों के दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने पर प्रतिबन्ध लगाया जाना**

2326. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के संबंध में एक नया सिद्धांत निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बिहार, उड़ीसा और अन्य राज्यों से आये छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय में इसलिये प्रवेश नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने 10+2+3 प्रणाली के अन्तर्गत शिक्षा नहीं पाई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)**: (क) और (ख) 10+2+3 शिक्षा की पद्धति के अन्तर्गत बी० ए०/बी०एस० सी०/बी०काम० की डिग्रियां लेने वाले छात्रों के पहले बैच के साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया है कि 1982-83 से एम०ए०/एम०एस०सी०/एम० काम० पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा के बाद तीन वर्षीय डिग्री होगी।

(ग) और (घ) जिन छात्रों ने 11+3 अथवा 10+2+2 पद्धति के अन्तर्गत स्नातक डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण की है उनके मामले में विश्वविद्यालय ने एक वर्षीय संक्षिप्त पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है जो उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय के एम०ए०एम०काम० और एम०एस०सी० पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र बनाएगा। बिहार, उड़ीसा तथा किन्हीं अन्य राज्यों से आने वाले छात्रों, जिन्होंने पुरानी पद्धति के अंतर्गत स्नातक डिग्री की परीक्षा उत्तीर्ण की है, के प्रवेश तदानुसार विनियमित किए जाएंगे।

**विधवाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक सैल**

2327. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विधवाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिये एक सैल गठित किया है; और

(ख) पूरे देश में विधवाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये तैयार की जाने वाली संभावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी०के०थुंगन) : (क)** जी, नहीं।

(ख) केन्द्र सरकार ने विधवाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिये विशेष रूप से कोई योजना नहीं बनायी है।

**रांची में क्षेत्रीय स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन**

2328. **क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची में क्षेत्रीय स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन 17 जून 1982 को हुआ था;

(ख) क्या इस सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्रियों ने सरकार के समक्ष अपने राज्यों की समस्याएं रखी थीं;

(ग) क्या उन्होंने अपने राज्यों की समस्याओं को सुलझाने के लिये अधिक सहायता मांगी थी; और

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों की समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार क्या प्रयास करने का विचार रखती है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) :** (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) राज्यों/संघ राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठकों में राज्य-सरकारों के आम तौर पर विभिन्न कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने का सुझाव दिया। उन्हें यह स्पष्ट किया गया कि 1-12-1981 से ग्राम स्वास्थ्य गाईड योजना के शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना में परिवर्तित किए जाने तथा राष्ट्रीय कुष्ठ और दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अब शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना हो जाने तथा राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण को भी शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना में बदल दिए जाने की सम्भावना को देखते हुए इन यागहवाओं के लिये राज्य सरकारों द्वारा जो धन नियत किया गया था, वह उपलब्ध होना चाहिए जिसे अन्य योजनाओं के लिये खर्च किया जाए और इस प्रकार अधिक केन्द्रीय सहायता का प्रश्न ही नहीं उठता।

**काला-अजार और मलेरिया की महामारी के बारे में विशेषज्ञों की अध्ययन रिपोर्ट**

2329. **श्री आर०एन० राकेश:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काला अजार और मलेरिया से हुई मौतों पर इस महामारी के बारे में विशेषज्ञों के अध्ययन रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) सरकार ने इस संबन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं अथवा भविष्य में करने का विचार है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) :** (क) कालाअजार और मलेरिया के बारे में स्थिति इस प्रकार है :—

**काला-अजार** : देश के कुछेक भागों में समय-समय पर काला अजार फैलने की सूचना मिलती रही है। विशेषज्ञों ने इन सूचनाओं का अध्ययन किया है और उनका विचार है कि इन घटनाओं में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

**मलेरिया** :—पिछले तीन वर्षों में मलेरिया ऐसी महामारी के रूप में नहीं फैला है जिससे बहुत अधिक मौतें हो जाया करती हैं। मलेरिया विशेषज्ञ सभी मौतों की महामारी-विज्ञान के पहलुओं से जांच करते हैं। उनकी रिपोर्टों के आधार पर स्थिति पर काबू पाने के लिए निवारक उपाय किए जाते हैं।

(ख) जो निवारक उपाय अपनाए जाते हैं वे इस प्रकार हैं :—

(i) **काला-अजार**

(क) सभी रोगियों के रोग का शुरू में ही पता लगाकर इलाज करना।

(ख) जो इलाके पहले ही इस रोग की चपेट में आ चुके हों वहां पर डी०डी०टी० का प्रभावकारी छिड़काव करना।

(ग) समय-समय पर सक्रियता से रोगियों का पता लगाकर उनका इलाज करना और इस रोग की चपेट में आए हुए गांवों और आस-पास के गांवों में घरों तथा पशुशालाओं के बचे-खुचे भागों में कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव करना।

(घ) सरकार तकनीकी मार्ग निर्देशन, प्रशिक्षण महामारी-विज्ञान संबंधी निगरानी और विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से प्राप्त वैकल्पिक दवाइयों के रूप में सहायता प्रदान करती है।

(ii) **मलेरिया**

(क) ज्वर वाले रोगियों का पता लगाने, रक्त लेप इकट्ठा करने और संभावित इलाज करने के लिए दूरदराज या असुविधा वाले क्षेत्रों का ध्यान किए बिना निगरानी कार्यकर्ता को प्रत्येक गांव का 15 दिन में एक बार दौरा करना होता है।

(ख) प्रयोगशालाओं का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है और ये प्रयोगशालाएं रक्त लेपों की तुरन्त जांच करने और मलेरिया के पाजिटिव रोगियों का मूलभूत उपचार करने के लिए प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्य करती हैं।

(ग) गांवों में औषधि वितरण केन्द्र और ज्वर उपचार डिपो कार्य कर रहे हैं ताकि ज्वर वाले रोगियों को औषधियां तत्काल उपलब्ध कराई जा सकें।

(घ) जिन ग्रामीण इलाकों में प्रति वर्ष प्रति हजार जनसंख्या के पीछे दो या इससे अधिक रोगी होते हैं उन सभी इलाकों में कीटनाशक औषधियों का छिड़काव किया जाता है।

**सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्डों के निदेशक अंशकालिक निदेशक के रूप में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति**

2330. **श्री भीखाभाई :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के प्रशासकीय नियन्त्रण के अधीन उन सरकारी उपक्रमों तथा उनकी सहायक कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके निदेशक मंडल में गैर सरकारी निदेशकों/अंशकालिक निदेशकों का नामांकन किया जाना है ;

(ख) इन मंडलों का गठन किस तारीख से किया गया है और उनका वर्तमान कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि इन उपक्रमों के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी निदेशकों/अंशकालिक निदेशकों के रूप में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इन सभी उपक्रमों के निदेशक मंडलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कम से कम एक व्यक्ति को गैर-सरकारी निदेशक/अंशकालिक निदेशक के रूप में नामनिर्देशित करने का कोई प्रस्ताव है जिससे वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के हितों का संरक्षण कर सके ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :** (क) एज्यूकेशनल कान्सलटेन्ट्स इन्डिया लिमिटेड ही केवल ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जो मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में है। इसका कोई सहायक संगठन नहीं है।

(ख) से (घ) यह कम्पनी 17 जून, 1981 को पंजीकृत और निगमित की गई थी। गैर-सरकारी अंशकालिक अध्यक्ष (डा० वाई० नायूदम्मा, कुलपति, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जिनका कार्यकाल 29 जून, 1982 से तीन वर्ष की अवधि के लिए है और प्रो०पी०एन० अग्रवाल, प्रबन्ध निदेशक, जिनकी नियुक्ति 28 फरवरी, 1984 तक है, के अलावा इस समय बोर्ड के अन्य निदेशक विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभागों/एजेन्सियों के पदेन नामजद व्यक्ति हैं अतः उनके कार्यकाल की निश्चित अवधि का प्रश्न नहीं उठता।

सरकार की यह नीति है कि सार्वजनिक उद्यमों के बोर्डों में जाति, पन्थ, समुदाय अथवा धर्म पर कोई ध्यान दिये बिना, उद्योग, वाणिज्य, प्रशासन, व्यवसाय संघों इत्यादि में से सही योग्यता वाले सदस्य नियुक्त किये जाएं।

### सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों के बोर्डों में निदेशक/अंशकालिक निदेशक के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की नियुक्ति

2331. **श्री भीखा भाई :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के ऐसे कौन-कौन से उपक्रम और इनकी सहायक कम्पनियां हैं जहां इन उपक्रमों के बोर्डों में गैर-सरकारी निदेशक/अंशकालिक निदेशक मनोनीत किये जाते हैं;

(ख) इन बोर्डों का गठन किस तारीख से किया गया है और इनकी वर्तमान अवधि कब खत्म हो रही है;

(ग) क्या इन उपक्रमों के बोर्डों में गैर-सरकारी निदेशक/ अंशकालिक निदेशक के रूप में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) गैर-सरकारी निदेशक/अंशकालिक निदेशक के रूप में इन उपक्रमों के सभी बोर्डों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कम से कम एक व्यक्ति मनोनीत करने के लिए सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों और इसकी सहायक कम्पनियों को आवश्यक अनुदेश कब जारी किये जायेंगे ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :** (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में केवल एक ही सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम है और वह है हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड (एच० एल० एल०), त्रिवेन्द्रम (केरल) । इसके निदेशक मण्डल में अध्यक्ष के अलावा, जो गैर-सरकारी सदस्य ही है, तीन और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक हैं। इसकी अन्य कोई शाखा नहीं है ।

(ख) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के वर्तमान निदेशक मण्डल का गठन 12.10.81 को हुआ था । इसका वर्तमान कार्यकाल कम्पनी की साधारण सभा की आगामी वार्षिक बैठक तक चलेगा जो 30 सितम्बर, 1982 से पहले होगी ।

(ग) और (घ) सामान्यतया, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के निदेशक मण्डल में गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं ।

### दिल्ली विश्वविद्यालय के एल० एल० बी० पाठ्यक्रम में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को प्रवेश

2332. **श्री भीखा भाई :** क्या शिक्षा तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय में दिवा श्रेणियों तथा सायंकालीन श्रेणियों में एल० एल० बी० पाठ्यक्रम के लिए कितने स्थान हैं ;

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 1980-81 में एल०एल०बी० पाठ्यक्रम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने छात्रों को दाखिला दिया गया;

(ग) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भारी संख्या के छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय से बी० ए० में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता कम होने के कारण एल०एल०बी० पाठ्यक्रम में दाखिला दिया जाने से इंकार किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या नीति है ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :** (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एल०एल०बी० पाठ्यक्रम में 1500 स्थान हैं।

(ख) कुल स्थानों का 15% अनुसूचित जातियों तथा 5% अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है।

(ग) और (घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को एल० एल० बी० पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्हक अंकों में 10% की छूट दी जाती है। यह भी संभव है कि प्रवेश सम्बन्धी आवश्यकताओं में छूट देने के बाद भी कुछ उम्मीदवार प्रवेश के लिए पात्र न बन सकें।

**"एशियाड"—82 के दौरान बस सेवा**

2333. **श्री सज्जन कुमार :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "एशियाड-82" के लिए अतिरिक्त बस सेवा के लिए प्रबन्धों को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, यो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या योजना तैयार की गई है कि एशियाड-82 के दौरान में भारी भीड़-भाड़ के कारण लोगों को असुविधा न हो ;

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) :** (क) और (ख) जी हां। एशियाई खेलों के दौरान होने वाले अतिरिक्त यातायात को ध्यान में रखते हुए और लोगों को पर्याप्त परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पड़ौसी राज्य परिवहन उपक्रमों से अतिरिक्त बसें लेने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा एशियाई खेलों के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की अधिकाधिक बसें चलाए जाने की व्यवस्था भी की जा रही है।

**विदेशों में भारतीयों की संख्या**

2334. **श्री सूरज भान**
**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों में भारतीयों की संख्या कितनी हैं और वहां भारतीय मूल के लोगों द्वारा प्रकाशित पत्रों, पत्रिकाओं के नाम क्या हैं ;

(ख) भारतीय दूतावास/उच्चायोग वहां भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा अपने कल्याण और हितों के संवर्धन के लिए संचालित शैक्षिक या सांस्कृतिक अथवा वाणिज्यिक एसोसिएशनों, संस्थानों को कितनी सहायता प्रदान कर रहे हैं ; और

(ग) वहां भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारतीय दूतावासों/उच्चायुक्तों के माध्यम से अधिक प्रभावी सहायता प्रदान करने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

**विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) :** (क) विभिन्न देशों में बसे भारतीयों का विवरण (इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्होंने विदेशी नागरिकता स्वीकार कर ली है) संलग्न विवरण में दिया गया है। भारत मूल के लोगों द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं आदि की संख्या के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ख) भारतीय मिशन भारतीयों/भारत मूल के लोगों द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं और संस्थानों की फिल्में, पुस्तकें और भारत के बारे में अन्य साहित्य भेजते हैं। वे विदेश में बसे भारतीयों को अन्य संभव सहायता भी प्रदान करते हैं, जो परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं।

(ग) विदेशों में बसे भारत मूल के लोगों को सहायता देने के बारे में भारतीय मिशनों को पहले से ही अनुदेश दिए गए हैं इस पहलू के महत्व पर बल देते हुए भारतीय मिशनों को हाल ही में पुनः परिपत्र भेजे गए हैं।

## विवरण

### विभिन्न देशों में बसे भारतीयों का विवरण

(जैसाकि 15-7-80 तक उपलब्ध है)

| क्र०सं० | देश के नाम | विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों की संख्या | उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने विदेशी नागरिकता स्वीकार कर ली है | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | अफगानिस्तान | 30,000 | 25,000 | |
| 2. | अल्जीरिया | 1,500 | 40 | |
| 3. | एन्टीगुआ | 20* | — | *परिवार |
| 4. | अर्जन्तीना | 89 | 10 | |
| 5. | आस्ट्रेलिया | 18,599 | 15,985 | |
| 6. | आस्ट्रिया | 80 | 23 | |
| 7. | बहामास | 100 | — | |
| 8. | बहरीन | 40,000 | 200 | |
| 9. | बंगला देश | 450 | — | |
| 10. | बारबडोस | 75* | — | *परिवार |
| 11. | बेल्जियम | 490 | 5 | (जारी…) |

| 1 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| 12. बेनिन | 250 | — | |
| 13. भूटान | 40,000 | 20 | |
| 14. बोलीविया | 4 | — | |
| 15. बोत्स्वाना | 820 | 500 | |
| 16. ब्राजील | 2,000 | 18 | |
| 17. बलगारिया | 30 | — | |
| 18. बर्मा | 3-4 लाख | 7,200 | |
| 19. बुरुंडी | 120 | — | |
| 20. कैमरून | 150 | — | |
| 21. कनाडा | 1,75,000 | 95,000 | |
| 22. केप वर्डी द्वीप | — | — | |
| 23. मध्य अफ्रीकी साम्राज्य | 40 | — | |
| 24. छाड | 5 | — | |
| 25. चिली | 45 | — | |
| 26. चीन | 8 | — | |
| 27. कोलम्बिया | 25 | 1 | |
| 28. कोमोरोस | 200 | — | |
| 29. कांगो | 25 | — | |
| 30. कोस्टारिका | 7 | 3 | |
| 31. क्यूबा | 20 | 16 | |
| 32. साइप्रस | 6 | — | |
| 33. चेकोस्लोवाकिया | 11 | 11 | |
| 34. डेन्मार्क | 637 | 651 | |
| 35. डोमिनिका | 20* | — | *परिवार |
| 36. इक्वाडोर | 13 | — | |
| 37. मिस्र | 600 | 1 | |
| 38. इक्वाटोरियल गिनी | 10 | — | |
| 39. इथोपिया | 2,350 | 450 | |
| 40. फिजी | 3,00,897 | 3,00,650 | |
| 41. फ़िनलैंड | 100 | 20 | |
| 42. फ्रांस | 500 | 6 | |
| 43. गैबोन | 20 | 15 | (जारी....) |

| 1 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| 44. गैम्बिया | 78 | 10 | |
| 45. ग्वातेमाला | 13 | — | |
| 46. जर्मन संघीय गणराज्य | 13,082 | 1,521 | |
| 47. जर्मन जनवादी गणराज्य | 100 | — | |
| 48. घना | 1,250 | 44 | |
| 49. यूनान | 300 | — | |
| 50. ग्रेनेडा | 3,900 | 3,700 | |
| 51. गिनी | 7 | — | |
| 52. गिनी बिसाऊ | — | — | |
| 53. गुयाना | 4,24,400 | 4,24,100 | |
| 54. हांगकांग | 12,600 | 4,000 | |
| 55. हंगरी | 2 | — | |
| 56. आइसलैंड | 6 | 6 | |
| 57. इन्डोनेशिया | 20,000 | 5,000 | |
| 58. ईरान | 20,800 | 920 | |
| 59. इराक | 20,250 | 10,000 | |
| 60. आयरलैंड | 6 | 6 | |
| 61. इटली | 900 | — | |
| 62. आइवरी कोस्ट | 15 | — | |
| 63. जमैका | 50,318 | 50,000 | |
| 64. जापान | 1,858 | 110 | |
| 65. जोर्डन | 3,515 | — | |
| 66. कोनिया | 79,000 | 72,500 | |
| 67. कोरिया प्रजातांत्रिक लोक गणराज्य | — | — | |
| 68. कोरिया गणराज्य | 104 | 18 | |
| 69. कुवैत | 65,000 | 100 | |
| 70. लाओस | 60 | — | |
| 71. लेबनान | 600 | — | |
| 72. लेसोथो | 1,020 | 800 | |
| 73. लाइबेरिया | 1,000 | — | |
| 74. लीबिया | 10,000 | — | |

(जारी....)

| 1 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| 75. लक्समबर्ग | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | |
| 76. मलागासी | 20,000 | 15,500 | |
| 77. मलावी | 4,900 | 3,640 | |
| 78. मलयेशिया | 12,08,500 | 10,09,500 | |
| 79. माल्दीव | 112 | 10 | |
| 80. माल्टा | 150 | 150 | |
| 81. माली | 10 | — | |
| 82. मारिशस | 6,23,500 | 6,12,527 | |
| 83. मारितानिया | — | — | |
| 84. मैक्सिको | 92 | 26 | |
| 85. मंगोलिया | — | — | |
| 86. मोन्तसेरात | 15* | — | *परिवार |
| 87. मोरक्को | 500 | 125 | |
| 88. मोजाम्बिक | 22,043 | 21,792 | |
| 89. नेपाल | 38,00,000 | 23,87,978 | |
| 90. नीदरलैंड | 1,01,500 | 1,00,000 | |
| 91. न्यूजीलैंड | 10,000 | 9,200 | |
| 92. रिकारगुआ | 2 | — | |
| 93. नाइजीरिया | 15,000 | 3 | |
| 94. नाइजर | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | |
| 95. नार्वे | 1,450 | 75 | |
| 96. ओमान | 60,000 | 5 | |
| 97. पाकिस्तान | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | |
| 98. पनामा | 1,500 | 250 | |
| 99. पेराग्वे | 7 | — | |
| 100. पेरू | 65 | 19 | |
| 101. फिलिपीन्स | 3,000 | 500 | |
| 102. पोलैंड | 49 | — | |
| 103. पुर्तगाल | 6,000 | 5,939 | |
| 104. कातार | 30,000 | 125 | |
| 105. रूमानिया | — | — | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 106. | रुआंडा | 58 | — | |
| 107. | सउदी अरब | 1,200,000 | 2,000 | |
| 108. | सेनेगल | 80 | 50 | |
| 109. | सेशेल्स | 500 | 350 | |
| 110. | सिअरा लिओन | 612 | 12 | |
| 111. | सिंगापुर | 15,500* | 1,22,000 | *भारत के परिधीय देशों के राष्ट्रिक भी शामिल हैं। |
| 112. | सोमालिया | 1,072 | 172 | |
| 113. | स्पेन | 4,000 | 37 | |
| 114. | श्रीलंका | 13, 50,000 | 4,32,986 | |
| 115. | सेन्ट विन्सेन्ट | 10* | — | *परिवार |
| 116. | सेन्ट लुसिया | 15* | — | *परिवार |
| 117. | सूडान | 1,800 | 98 | |
| 118. | सूरीनाम | 1,24,900 | 1,24,750 | |
| 119. | स्वाजीलैंड | 41 | 12 | |
| 120. | स्वीडन | 1,899 | 1,172 | |
| 121. | स्विटजरलैंड | 2,434 | 449 | |
| 122. | सीरिया अरब गणराज्य | 286 | — | |
| 123. | तंजानिया | 59,000 | 55,000 | |
| 124. | थाईलैंड | 20,000 | 10,000 | |
| 125. | टोगो | 75 | — | |
| 126. | ट्रिनिडाड एवं टोबागो | 4,21,000 | 4,20,000 | |
| 127. | ट्यूनिसिया | 25 | — | |
| 128. | टर्की | 10 | — | |
| 129. | उगांडा | 430 | 300 | |
| 130. | संयुक्त अरब अमीरात | 1,52,000 | 2,000 | |
| 131. | यूनाइटेड किंगडम | 5,00,000 | 2,50,000 | |
| 132. | संयुक्त राज्य अमरीका | 3,00,000 | 35,000 | |
| 133. | सोवियत समाजवादी गणतंत्र | 700 | 2 | |
| 134. | अपर वोल्टा | 15 | — | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 135. | उरुग्वे | 2 | — | |
| 136. | वेनेजुएला | 231 | 16 | |
| 137. | वियतनाम | 200 | उपलब्ध नहीं | |
| 138. | यमन अरब गणराज्य | 3,500 | 300 | |
| 139. | यमन लोकतांत्रिक जन गणराज्य | 1,00,000 | 99, 500 | |
| 140. | यूगोस्लाविया | 50 | — | |
| 141. | जाईर | 700 | 700 | |
| 142. | जाम्बिया | 22,600 | 9,000 | |

**भाप के इंजन लगाये गये घंटों की संख्या**

2335. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69, 1978-79 तथा 1980-81 की स्थिति के अनुसार ब्राड गेज पर (1) माल गाड़ी इंजन घंटों तथा किलोमीटरों में (2) पैसेन्जर गाड़ी इंजन घंटों तथा किलोमीटरों में (3) साईडिंग तथा शंटिंग इंजन घंटों तथा किलोमीटरों में (4) विभागीय इंजन घंटों में (5) अपेक्षित सहायता देने वाले इंजनों में तथा (6) अपेक्षित सहायता नहीं चाहिये वाले इंजनों में से भाप के इंजन घंटों की संख्या कितनी थी; और

(ख) 1980-81 के कुल इंजन घंटों में से भाप के इंजन घंटों की संख्या कितनी थी ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

## विवरण

वर्ष 1968-69, 1978-79 और 1980-81 के दौरान बड़ी लाइन पर विभिन्न सेवाओं के लिए इंजन घण्टे और इंजन किलो मीटर के अनुसार लगाये गये भाप इंजनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(आंकड़े हजार में)

| | 1968-69 | | 1978-79 | | 1980-81 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | इंजन घंटे | इंजन कि.मी. | इंजनघंटे | इंजन कि.मी. | इंजन घंटे | इंजन किमी |
| (i) माल गाड़ियां | 4,291.9 | 54,458 | 1,870.7 | 22,678 | 1,310.3 | 14,864 |
| (ii) सवारी गा० | 3,643.6 | 112.393 | 2,797.4 | 82,451 | 2,792.3 | 79,240 |
| (iii) साइडिंग और शंटिंग इंजन | 7,623.8 | 59,441 | 7,710.4 | 61,532 | 7,296.0 | 58,730 |
| (iv) विभागीय इंजन | 1,778.5 | — | 1,121.6 | — | 1,108.4 | — |
| (v) सहायता अपेक्षित इंजन | 192.7 | — | 99.2 | — | 53.8 | — |
| (vi) सहायता अपेक्षित नहीं इंजन घंटे (हल्के तथा अन्य इंजन घंटे) | 4,176.1 | — | 2,785.1 | — | 2,470.1 | — |

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान बड़ी लाइन पर लगाये गये सभी कर्षणों के कुल 30,257, 800 इंजन घण्टों में से 15,030,000 इंजन घन्टे भाप इंजनों के थे ।

**लाइन के डिब्बों में सीटों की संख्या**

2336. **डा० वसन्त कुमार पण्डित :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय बड़ी लाइन के वातानुकूलित, प्रथम श्रेणी, वातानुकूलित 2-टियर, प्रथम चेयर कार, वातानुकूलित चेयर कार, दूसरे दर्जे के 3 टियर स्लीपर, दूसरे दर्जे के 2 टियर, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट डिब्बों में सीटों की संख्या कितनी है ?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) विभिन्न किस्म के बड़े आयात के सवारी डिब्बों में सीटों की क्षमता नीचे दी गयी है :–

| क्रम सं० बड़े आमान के सवारी डिब्बों की किस्म | सीटों की क्षमता |
|---|---|
| 1. वातानुकूल पहला दर्जा | 18 |
| 2. वातानुकूल 2 टियर | 48/46 |
| 3. पहले दर्जे की कुर्सीयान | *48/60 |
| 4. वातानुकूल कुर्सीयान | 73/71 |
| 5. दूसरे दर्जे के 3-टियर शायिका | 75/72 |
| 6. दूसरा दर्जा 2-टियर | 81 |
| 7. (क) दूसरा दर्जा वातानुकूल कुर्सीयान | 78 |
| (ख) दूसरा दर्जा कुर्सीयान/दिन का डिब्बा | 90 |
| 8. दूसरे दर्जे का बिजली गाड़ी डिब्बा | |
| (क) मोटर यान | 81/100 |
| (ख) ट्रेलर यान | 104/110/112/122 |

**टिप्पणी :**—राजधानी एक्सप्रेस, वातानुकूल एक्सप्रेस आदि जैसे विशेष रेकों के डिब्बों में सीटों की क्षमता में मामूली कमी-बेशी होती है जो इन रेकों के लिए अपेक्षित अतिरिक्त सुविधाओं पर निर्भर करती है । कभी-कभी सीटों की क्षमता में मामूली परिवर्तन भी किया जाता है जो रेलों का विशेष आवश्यकताओं पर निर्भर करती है जैसे दक्षिण रेलवे में बृन्दावन एक्सप्रेस के लिए डिब्बों को सीटों की क्षमता 108 सीटों की है जबकि दिन में चलने वाले परम्परागत डिब्बों की क्षमता 90 सीटों की है।

**योजना-वार रेल मार्गों का विद्युतीकरण**

2337. **डा० वसन्त कुमार पण्डित :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(*) सामान के डिब्बे सहित पहले दर्जे के 48 कुर्सीयान और सामान के डिब्बे के बिना 60 कुर्सीयान ।

(क) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में कितने किलोमीटर रेल मार्गों का विद्युतीकारण करने का (1)प्रारम्भिक प्रस्ताव था, (2) संशोधित प्रस्ताव था, (3) कितना काम आरम्भ किया गया, और (4) कितना काम पूरा किया गया;

(ख) रेलवे द्वारा प्रत्येक पंचवर्षीय योजना की अवधि में कितनी मात्रा तथा मूल्य के कोयले, डीजल तथा बिजली की खपत की; और

(ग) प्रत्येक पंचवर्षीय योजनावधि में तथा इस समय चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कस में बिजली के इंजनों की कितने प्रतिशत निर्माण क्षमता का उपयोग हुआ ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) से (ग) एक विवकरण संलग्न है।

## विवरण

भाग (क) रेल बिजलीकरण के लिए शुरू की गयी/बिजली लगाया गया मार्ग किलोमीटर दूरी

| योजना | स्वीकृत मार्ग किलोमीटर | बिजलीकृत मार्ग किलोमीटर |
|---|---|---|
| i | — | — |
| ii | 1221 | 216 |
| iii | 2334 | 1746 |
| वार्षिक योजनाएं | 442 | 917 |
| iv | 1268 | 953 |
| v | कुछ नहीं | 528 |
| अन्तर्योजना (78-79 और 79,-80) | 814 | 195 |
| vi योजना | 3952 (82-83 तक स्वीकृत) | 551 (1981-82 तक) |

भाग (ग) विगत वर्षों में चितरंजन रेल इंजन कारखाने में बिजली इंजनों के उत्पादन की क्षमता में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है और यह 1977-78 से 60 इंजन प्रति वर्ष है। विभिन्न योजना अवधियों के दौरान बिजली इंजनों का वास्तविक उत्पादन और 1978-79 से क्षमता उपयोग निम्नलिखित है :—

| अवधि | योजना | उत्पादित बिजली इंजनों की संख्या | क्षमता उपयोग |
|---|---|---|---|
| 1961-66 | तीसरी योजना | 82 | आंकड़े उपलब्ध नहीं । |
| 1966-69 | अन्त: योजना अवधि | 135 | |
| 1969-74 | चौथी योजना | 232 | |
| 1974-78 | पांचवीं योजना के 4 वर्ष | 203 | |
| 1978-79 | चल योजना | 56 | 93 प्रतिशत |
| 1979-80 | चल योजना | 51 | 100 प्रतिशत |
| 1980-81 | छठी योजना | 69 | |
| 1981-82 | छठी योजना | 50 | 83 प्रतिशत |

**प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय रेलों पर उपभोग किये गये इंधन की मात्रा लागत**

| योजना | कोयला दस लाख टन में | उपयोग डीजल, दस लाख कि० लीटर में | बिजली, दस लाख कि० वाट घंटों में | | लागत (लाख रुपयों में) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | इंजन | बिजली गाड़ी | कोयला | डीजल | बिजली |
| प्रथम (1951-52 से (1900-06) | 57.9 | * | — | 736.4 | * | * | * |
| द्वितीय (1906-07 से 60-61) | 73.9 | 0.18 | — | 893.6 | * | * | * |
| तृतीय (1961-62 से 60-66) | 86.1 | 0.93 | 1136.4 | 1194.6 | 2,07,20 | 0,191 | 0,08 |
| अन्तः (1966-67 से 68-69) | 00.1 | 1.30 | 2389.4 | 933.9 | 1,40,03 | 8,608 | 2,302 |
| चतुर्थ (1969-70 से 73-74) | 73.6 | 3.11 | 0023.9 | 1896.1 | 2,70,30 | 1,97,00 | 6,396 |
| पंचम (1974-70 से 77-78) | 02.9 | 3.34 | 0328.6 | 1807.8 | 3,43,31 | 3,08,27 | 1,10,07 |
| अन्तः (1978-79 से 79-80) | 24.2 | 1.90 | 3088.1 | 1142.0 | 2,16 49 | 2,11,09 | 9,122 |
| छठी योजना का प्रथम वर्ष (1980-81) | 11.7 | 1.11 | 1640.3 | 080.9 | 1,47,76 | 1.82,40 | 6,060 |

टिप्पणी : कोयले/डीजल की लागत—शर्त मुख पर या सप्लाई स्टेशन पर की लागत से संबंधित है।

* आंकड़ों में उपलब्ध नहीं है।

* * बिजली उपभोग की लागत केवल बिजली इंजन के सम्बन्ध में है और इसमें बिजली गाड़ी शामिल नहीं है, जिसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

## आयुर्वेदिक और अन्य देशीय पद्धतियों को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यवाही करना

2338. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान देश में आयुर्वेदिक और अन्य देशीय पद्धतियों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा क्या विशेष कार्यवाही की गई है; और

(ख) चालू वर्ष में आयुर्वेदिक पद्धति का विस्तार करने के लिये सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) सरकार ने देश में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को जिनमें आयुर्वेद भी शामिल है, प्रोत्साहन देने के लिए जो जो कदम उठाए हैं, वे इस प्रकार हैं :—

(1) देश के विभिन्न भागों विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में और अधिक यूनिटें खोलकर संबंधित अनुसंधान परिषदों के कार्यकलापों को बढ़ावा दिया गया है ताकि संबंधित पद्धति के विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान कार्य किया जा सके और मलेरिया, मिरगी, श्वेत कुष्ठ, संधिशोथ सम्बन्धी विकारों आदि जैसे विशेष रोगों का कारगर उपचार निकाला जा सके ।

(2) स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के कालेजों को प्रयोगशाला उपकरण खरीदने और पुस्तक-बैंक स्थापित करने के लिए प्रत्येक संस्था को 1.60 लाख रुपये के हिसाब से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है ।

(3) स्नातकपूर्व कालेजों के शिक्षकों के स्तर में सुधार लाने के लिए छः सप्ताहों और दो सप्ताहों की अवधियों के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आरम्भ कर दिए गये हैं ।

(4) दर्जा बढ़ाए गए अन्य 23 स्नातकोत्तर विभागों के संचालन के अलावा शत प्रतिशत सहायता देकर आयुर्वेद के दो विभागों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें स्नातकोत्तर स्तर का बना दिया गया था ।

(5) भारतीय चिकित्सा पद्धति की मानक गुण वाली औषधियों का निर्माण करने के लिए स्थापित किये गये इण्डियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड की प्राधिकृत पूंजी और ईक्विटी को 7.50 लाख के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर क्रमशः 50.00 लाख रुपये और 32.75 लाख रुपये कर दिया गया है ।

(6) इन पद्धतियों की औषधियों के मानक निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ जिस भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद की स्थापना की गई थी, इसे लगभग 24 अतिरिक्त पद बनाकर मजबूत बना दिया गया है ।

(7) इन चिकित्सा पद्धतियों की सरकारी फार्मुलरी/औषध कोश के प्रकाशन सम्बन्धी कार्य को तेज करने के लिए आयुर्वेद और यूनानी भेषज संहिता समितियों को पुनर्गठित कर दिया गया है।

(ख) ऊपर (क) में वर्णित उपायों के अलावा आयुर्वेद के प्रचार के लिए चालू वर्ष के दौराम निम्नलिखित कदम उठाने का विचार है :-

(1) आयुर्वेदिक और सिद्ध की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद के कार्यकलापों में और वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इसमें एक केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, एक क्लिनिकल अनुसंधान यूनिट और एक राहत एवं अनुसन्धानोन्मुख मलेरिया परियोजना जोड़ दी जायेगी।

(2) आयुर्वेद के छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकों की कमी को दूर करने के वास्ते दुर्लभ—पुस्तकों, पाण्डुलिपियों तथा शैक्षिक और वैज्ञानिक रुचि के साहित्य आदि के प्रकाशन की एक योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(3) आयुर्वेद और अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की लगभग 100 मिली-जुली एकल औषधियों के औषधि कोश को अन्तिम रूप देने का विचार है।

### राज्यों में समाज कल्याण बोर्डों का कार्य करना

2339. श्री के० कुन्हम्बु : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों में समाज कल्याण बोर्ड कार्य कर रहे हैं; और

(ख) गत वित्तीय वर्ष में उनमें से प्रत्येक बोर्ड को राज्यवार कितना अनुदान दिया गया ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क) और (ख) राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड दादरा और नागर हवेली को छोड़कर सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में काम कर रहे हैं।

राज्य सरकारों को अनुदान नहीं दिए जाते हैं किन्तु विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में स्वयं सेवी संगठनों को दिए जाते हैं। तथापि, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा राज्य के स्वयं सेवी संगठनों को दिए गए इस प्रकार के अनुदानों के राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

## विवरण

(रु० लाखों में)

| क्रम संख्या | राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश | 1981-82 के दौरान अनुदान की राशि |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 45.89 |
| 2. | असम | 17.96 |
| 3. | बिहार | 27.00 |
| 4. | गुजरात | 110.48 |
| 5. | हरियाणा | 24.06 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 25.38 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 20.13 |
| 8. | कर्नाटक | 44.71 |
| 9. | केरल | 46.93 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 32.17 |
| 11. | महाराष्ट्र | 61.56 |
| 12. | मणिपुर | 19.04 |
| 13. | मेघालय | 7.64 |
| 14. | नागालैंड | 9.22 |
| 15. | उड़ीसा | 29.77 |
| 16. | पंजाब | 46.73 |
| 17. | राजस्थान | 23.99 |
| 18. | तमिलनाडु | 68.09 |
| 19. | त्रिपुरा | 15.77 |
| 20. | उत्तर प्रदेश | 82.90 |
| 21. | पश्चिम बंगाल | 64.16 |
| 22. | अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | 9.64 |
| 23. | अरुणाचल प्रदेश | 7.76 |
| 24. | चण्डीगढ़ | 5.81 |
| 25. | दिल्ली | 31.19 |
| 26. | गोवा, दमन और दीव | 4.71 |
| 27. | सिक्किम | 2.81 |
| 28. | मिजोरम | 11.31 |
| 29. | लक्षद्वीप | 2.02 |
| 30. | पांडिचेरी | 7.51 |
| 31. | विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्यरत अखिल भारतीय स्तर के संगठन | 128.44 |
| | कुल योग | 1034.78 |

**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शय्याओं का कम उपयोग किया जाना**

2340. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध कराई गई शय्याओं का बहुत कम उपयोग किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) और (ख) कुछ इलाकों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पलंगों का कम उपयोग हुआ है क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त नैदानिक सुविधायें अर्थात प्रयोगशालायें, एक्स-रे उपकरण आदि उपलब्ध नहीं हैं और ये केन्द्र गम्भीर रूप से पीड़ित और जटिल रोगियों का इलाज करने के लिये भी सुसज्जित नहीं हैं ।

**ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति**

2341. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इमारत, परिसर, फर्नीचर की आवश्यकता, पेय जल, सफाई प्रबंध आदि की उपयुक्तता के सन्दर्भ में गांवों में प्राथमिक विद्यालय की स्थितियों के बारे में स्वयं अथवा राज्य सरकारों की एजेंसियों के माध्यम से कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस सर्वेक्षण में नोटिस की गई कठिनाइयों के दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) जी, हां । चतुर्थ अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण शत-प्रतिशत केन्द्रीय वित्त पोषण से राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के स्तरीय सर्वेक्षण मशीनरी द्वारा किया गया था ।

(ख) विवरण संलग्न है ।

(ग) सर्वेक्षण इस विशेष उद्देश्य से किया गया था कि प्राथमिक शिक्षा सहित स्कूल शिक्षा की योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करने के लिए अद्यतन आंकड़े उपलब्ध हो सकें । राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों ने छठी योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा को सर्व-सुलभ बनाने हेतु विभिन्न योजनाओं को तैयार करने के लिए इन आंकड़ों का उपयोग किया है । ये आंकड़े समस्या के आयाम को निर्धारित करने के लिए आगे भी उपयोगी सिद्ध होंगे ।

## विवरण

### भवन का प्रकार

| 1 | खुली जगह 2 | टेन्ट 3 | छप्पर झोपड़ी 4 | कच्चे भवन 5 | अंशतः पक्का भवन 6 | पक्का भवन 7 | कुल संख्या 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्रामीण | 39606 (9.18) | 360 (0.08) | 46457 (10.76) | 97744 (22.65) | 55291 (12.81) | 192144 (44.52) | 431602 (100.00) |

| क्षेत्र 1 | प्राइमरी स्कूलों की कुल संख्या 2 | प्राइमरी स्कूलों की संख्या जिनमें: पीने के पानी की सुविधायें 3 | पेशाबघर संडास (सफाई) 4 | पर्याप्त ब्लेकबोर्डों की संख्या 5 | चाक की सतत सप्लाई 6 | छात्रों के लिए चटाई/फर्नीचर 7 | खेल मैदान की सुविधाएं 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्रामीण | 431602 | 163112 (37.79) | 46806 (10.84) | 252507 (58.50) | 387676 (89.82) | 74668 (17.30) | 201074 (46.59) |

टिप्पणी : कोष्ठक में दर्शित अंक प्रतिशत दर्शाते हैं ।

### दिल्ली के अस्पतालों में शय्याओं की क्षमता

2342. **श्री भीखू राम जैन :** क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस-पास के क्षेत्रों में सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण दिल्ली के अधिकांश अस्पतालों में बहुत भीड़-भाड़ रहती है और लोगों को असुविधा होती है ।

(ख) दिल्ली में कितने अस्पताल हैं और इन अस्पतालों में कितनी शय्याओं की सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ग) दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने, इन अस्पतलों में भीड़-भाड़ को कम करने और लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) :** (क) दिल्ली तथा आस-पास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में रोगियों के आने के कारण दिल्ली के अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं पर असर पड़ रहा है । उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए भरसक प्रयत्न किया जाता है।

(ख) दिल्ली में अस्पतालों तथा उनमें पलंगों की संख्या क्रमशः 63 और 12893 है ।

(ग) मौजूदा अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं को आवश्यकतानुसार मजबूत बनाया जाता है । इसके अतिरिक्त शाहदरा तथा हरिनगर में 500-500 पलंगों वाले दो अस्पतालों का निर्माण पहले ही शुरू किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त, छठी योजना के दौरान मंगोलपुरी, खिचड़ीपुर तथा जफ्फरपुर में 100, 100 पलंगों वाले तीन अस्पताल खोले जाने हैं ।

2343. श्री मनोरंजन भक्त : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान श्रमिक बल के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता और बोनस देने और विन्चमैन तथा सिगनलमैन के पदों के वेतनमानों में संशोधन करने का प्रस्ताव कई वर्षों से मंत्रालय के पास अनिर्णीत पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो कब से और कितने-कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) यदि नहीं तो सरकार का विचार कब कार्यवाही करने का है;

(ङ) क्या पत्तन में जहाज पर माल लादने या उतारने वाले एजेंसी अंडमान श्रमिक बल के कर्मचारी आन्दोलन कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो कब से?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): (क) से (च) अंडमान श्रमिक बल के सुपरवाइजरी स्टाफ अर्थात सब डिविजनल ओफिसर्स, ओवरसियर्स और हेड वर्क्स को समयोपरि भत्ते की मंजूरी का प्रस्ताव जुलाई 1981 में प्राप्त हुआ था । जांच करने पर पता चला कि अंडमान और निकोबार प्रशासन उक्त सुपरवाइजरी स्टाफ को समयोपरि भत्ते देने के लिए सक्षम है बशर्ते वे सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों में निर्धारित शर्तें पूरी होती हों ।

प्रशासन को मंत्रालय के दिनांक 27-5-1982 के पत्र द्वारा इसकी सूचना दे दी गई है ।

2. जनवरी 1982 में अंडमान और निकोबार प्रशासन ने गृह मंत्रालय को अंडमान श्रमिक बल के मौजूदा समयोपरि भत्ते के भुगतान के ढांचा में संशोधन का एक दूसरा प्रस्ताव भेजा था । इस प्रस्ताव की एक प्रति नौवहन और परिवहन मंत्रालय को अप्रैल 1982 में प्राप्त हुई । इस प्रस्ताव पर गुण दोष के आधार पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ।

3. जहां विंचमैन और सिग्नलमैन के वेतनमानों में संशोधन के प्रस्ताव का सम्बन्ध है, यह 23 अक्टूबर, 1980 को प्राप्त हुआ था । चूंकि इस प्रस्ताव का पूर्ण और पर्याप्त औचित्य नहीं दिया गया था अतः उनसे इसकी समीक्षा करने के लिए और उस पर अपनी सिफारिशें भेजने का अनुरोध किया गया था । उनका उत्तर 12.7.1982 तक नहीं मिला था । इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय गुण-दोष के आधार पर लिया जायेगा । माननीय सदस्य ने विंचमैन और सिग्नलमैन के वेतनमानों में संशोधन के प्रस्ताव की स्वीकृत देने के लिए मंत्रालय को पत्र लिखा है । उन्हें अन्तरिम उत्तर भेज दिया गया है ।

4. अंडमान और निकोबार प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्होंने श्रम मंत्रालय से यह पूछा है कि क्या अंडमान श्रमिक बल के कर्मचारियों को बोनस दिया जा सकता है। उस मंत्रालय ने उन्हें नौवहन और परिवहन मंत्रालय से परामर्श करने की सलाह दी है। इस विषय पर उस प्रशासन से कोई भी पत्र नहीं प्राप्त हुआ है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि अंडमान श्रमिक बल के कर्मचारी, बोनस समयोपरिभत्ते आदि के भुगतान सम्बन्धी मांग को शीघ्र सुलझाने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं।

**लंदन, काठमांडू, रंगून और वाशिंगटन में भारतीय दूतावासों/हाई कमीशनों पर किया गया व्यय**

2344. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 में लंदन, काठमांडू, रंगून और वाशिंगटन में स्थित भारतीय दूतावासों/हाई कमीशनों द्वारा किया गया वार्षिक व्यय क्या है और अब उनका वार्षिक व्यय क्या है;

(ख) वर्तमान कर्मचारियों की तुलना में वर्ष 1971 में इन दूतावासों/हाई कमीशनों की स्टाफ संख्या क्या थी; और

(ग) क्या यह स्टाफ संख्या वहां पर अनिवार्य है और क्या गत दो वर्षों के दौरान इस संख्या में कमी की गई थी और यदि हां, तो प्रत्येक मिशन में कितनी कमी की गई थी ?

**विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव)** : (क) प्रश्न में उल्लिखित मिशनों के लिए वर्ष 1971-72 और 1981-82 में किए गए प्रावधान नीचे लिखे अनुसार हैं :—

| | भारत का हाई कमीशन, लंदन | भारत का राजदूतावास, काठमांडू | भारत का राजदूतावास, रंगून | भारत का राजदूतावास वाशिंगटन |
|---|---|---|---|---|
| | | (रुपये लाखों में) | | |
| 1971-72 | 128.04 | 24.81 | 15.47 | 84.90 |
| 1981-82 | 267.18 | 50.36 | 23.72 | 163.32 |

(ख) जहां तक विदेश मंत्रालय के नियंत्रणाधीन पदों का संबंध है; 1971 और 1982 के लिए इन मिशनों की संस्वीकृत संख्या-शक्ति नीचे दी गयी है।—

| | भारत का हाई कमीशन लंदन | भारत का राज-दूतावास काठमांडू | भारत का राज-दूतावास रंगून | भारत का राज-दूतावास, वाशिंगटन |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | 350 | 260 | 96 | 201 |
| 1982 | 216 | 182 | 78 | 155 |

(ग) सरकार की यह नीति है कि भारत के मिशनों/केन्द्रों में स्टाफ की आवश्यकताओं के बारे में निरन्तर समीक्षा की जाय और इसकी समीक्षा के दौरान विभिन्न देशों में हमारे हितों के आधार पर अपनी सतत बदलती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाय। विदेश सेवा निरीक्षकों के दल में विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के आधिकारी होते हैं और वे समय-समय पर अन्य बातों के साथ-साथ मिशनों में कार्य की मात्रा का मौके पर मूल्यांकन करने और सरकार को सिफारिशें देने के लिए मिशनों का दौरा करते हैं। इन सिफारिशों और अन्य संगत तथ्यों के आधार पर इन मिशनों में समय-समय पर अमले की संख्या—शक्ति बढ़ाई और घटाई गई है। इन निरीक्षण दलों ने काठमांडू और रंगून स्थित मिशनों में स्टाफ की वर्तमान संख्या शक्ति में क्रमशः 20 और 30पद घटाये हैं। लंदन और वाशिंगटन स्थित मिशनों की स्थिति अभी विचाराधीन है। विगत तीन वर्षों के दौरान इन मिशनों के स्टाफ की संख्या शक्ति नीचे दी गई है:-

| | भारत का हाई कमीशन, लंदन | भारत का राजदूतावास, काठमांडू | भारत का राजदूतावास, रंगून | भारत का राजदूतावास, वाशिंगटन |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 246 | 185 | 80 | 165 |
| 1981 | 221 | 179 | 81 | 168 |
| 1982 | 216 | 182 | 73 | 155 |

### राजस्थान में आदिवासी शिक्षा

2345. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छह से ग्यारह वर्ष के आयु वर्ग में आजकल भी स्कूल न जा रहे बच्चों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के बच्चों की प्रतिशतता क्या है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) का प्रारूप तैयार करते हुए आदिवासी विकास कार्यक्रम में शिक्षा को प्राथमिकता देने का निर्णय किया गया था;

(ग) यदि हां, तो राजस्थान में आदिवासी शिक्षा के लिए छठी योजना में कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(घ) राजस्थान में इस समय छह से ग्यारह वर्ष के आयु वर्ग में असूनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने प्रतिशत बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और इस आयु वर्ग में सभी बच्चों को कब तक प्राथमिक शिक्षा दिये जाने की संभावना है ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 6-11 आयु-वर्ग के स्कूल न जाने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों की प्रतिशतता 1980-81 में 12 और 30 तक थी।

स्कूलों में ये बच्चे मुख्य रूप से गरीबी और अन्य सामाजिक-आर्थिक कारणों से नहीं जाते हैं।

(ख) जी, हां ।

(ग) राजस्थान सरकार ने जनजातीय उप-योजना (1980-85) के शिक्षा सम्बन्धी उपक्षेत्र के अन्तर्गत 10.72 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की है।

(घ) 1980-81 की उद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार राजस्थान में प्राथमिक कक्षाओं (1-5) में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में कुछ नामांकन अनुपात क्रमश: 51.0 और 47.4 प्रतिशत है ।

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 1990 तक प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की व्यवस्था करने की परिकल्पना की गई है।

**"लेप्रोस्कोपिक" की बजाए "मिनीलेप्रोटोमी" के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की सिफारिशें**

2346. **श्री एच०एन० नन्हे गौडा**
**श्री डी० एम० पुत्ते गौडा** } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने नये लोकप्रिय "लेप्रोस्कोपिक" की बजाय महिलाओं की नसबंदी के तरीके के रूप में "मिनी लेप्रोटोमी" शुरू करने के लिए सरकार को सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं;

(ग) क्या इस तरीके पर वैज्ञानिकों द्वारा कोई अनुसंधान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस तरीके के उचित और शीघ्र कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम०जोशी)**: (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई०सी०एम०आर०) ने 25 मई, 1981 को विशेषज्ञ समूह की एक एक-दिवसीय बैठक बुलाई थी जिसमें महिला नसबंदी आपरेशन की मिनी लेप्रोटामी और लेप्रोस्कोपिक दोनों विधियों पर विचार विमर्श किया गया और उन्हें उपयुक्त स्तरों पर इस्तेमाल में लाने की सिफारिश की गई। संशोधित "पोमेराय" तकनीक का उपयोग कर "मिनी लेपरोटामी" विधि को समुचित रूप से प्रशिक्षित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर के डाक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि लेप्रोस्कोपिक नसबंदी आपरेशन काफी अनुभवी और प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा किए जाते हैं। ये दोनों तरीके देश में प्रचलित हैं। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दोनों तरीकों की प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है।

### कलकत्ता पत्तन में कंटेनर बर्थ का विकास और वहां पर एक कंटेनर माल भाड़ा स्टेशन की स्थापना

2347. डा० कृपा सिंधु भोई : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और हल्दिया के बीच कलकत्ता कंटेनर टर्मिनल की आवश्यकता पूरी करने और वहां पर भरे हुए कंटेनरों की ढुलाई में सहायता करने की दृष्टि से कलकत्ता पत्तन न्यास ने एक अन्य कंटेनर बर्थ का विकास करने और एक कंटेनर माल भाड़ा स्टेशन की स्थापना करने के लिए योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और यह मामला इस समय किस स्थिति में है; और

(ग) कंटेनर यातायात को प्रोत्साहन देने और सुविधाजनक बनाने के लिए अन्य क्या उपाय करने का विचार है;

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) कलकत्ता और हल्दिया में कंटेनर हैंडलिंग सुविधाओं में सुधार करने की दृष्टि से कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों पर अपेक्षित अध्ययन करने के लिए कलकत्ता पत्तन न्यास में परामर्शकों की एक फार्म को नियुक्त किया है। परामर्शकों की एक फार्म ने अध्ययन का काम शुरू कर दिया है। उनकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) कलकत्ता और हल्दिया से कंटेनर यातायात की सुविधा के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं—

(I) घाट उपलब्ध कराने और भेजने में कंटेनर जहाजों को प्राथमिकता दी जाती है।

(II) जहाज मालिकों और कंटेनर आपरेटरों को कन्टेनरों को स्टोर में रखने के लिए लायसेन्स के आधार पर जमीन दी गई है।

(III) कलकत्ता में प्राइवेट उपकरणों के इस्तेमाल किए जाने की अनुमति दी गई है।

(IV) कलकत्ता में पत्तन प्रभारों का युक्तिकरण किया गया है और हल्दिया में संवर्द्धनात्मक उपाय के रूप में ये प्रभार कम कर दिए गए हैं।

(V) कलकत्ता और हल्दिया के बीच केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम की सहायता से कन्टेनरों के आवागमन के लिए बार्ज लिंक स्थापित किया गया है और इस तरह के आवागमन को प्रोत्साहन देने के लिए रियायती दरें रखी गई हैं।

### परिवार नियोजन के लिए अलग मंत्रालय

2348. डा० कृपा सिंधु भोई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवार नियोजन को दिए गए महत्व को देखते हुए इसके लिए एक अलग मंत्रालय की आवश्यकता पर विचार किया है;

(ख) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य और परिवार नियोजन दो विशाल क्षेत्र हैं और दोनों पर अलग-अलग विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इसमें अधिक दक्षता लाने और इसे लागू करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) से (ग) स्वास्थ्य और परिवार नियोजन एक दूसरे से अत्यधिक जुड़े हुए हैं और विशेषतया माताओं और बच्चों की समुचित देख-रेख, पात्र दम्पत्तियों को छोटे परिवार के सिद्धान्त को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करने और परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों के लिये अपेक्षित क्लीनिक सलाह/सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए इन दोनों को पूरी तरह एक कर दिया गया है। इसलिये परिवार नियोजन के लिये अलग मंत्रालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वियन का विश्लेषण करने और सरकार को उपयुक्त सलाह देने के उद्देश्य से एक जनसंख्या सलाहकार परिषद का गठन कर दिया गया है ।

## सियालदाह जम्मू तवी एक्सप्रेस और गंगा यमुना एक्सप्रेस में यात्रियों को लूटे जाने के बारे में जांच प्रतिवेदन

2349. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में सियालदाह-जम्मू तवी एक्सप्रेस और गंगा यमुना एक्सप्रेस में यात्रियों को लूटे जाने के बारे में जांच प्रतिवेदन मिल गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) रेलवे सम्पत्ति के अतिरिक्त यात्रियों और उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां ।

(ख) 24-4-82 को जौनपुर के निकट 51 अप सियालदाह-जम्मू तवी एक्सप्रेस में घटित डकैती के मामले में राजकीय रेलवे पुलिस/वाराणसी ने दो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए 1-7-82 को भारतीय दंड संहिता की धारा 395/397/412 के अधीन न्यायालय में आरोप-पत्र सं० 98 प्रस्तुत किया है । इस मामले में शामिल एक और व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पहले से ही हिरासत में है ।

83 अप गंगा-जमुना एक्सप्रेस के मामले में, जो 23-4-82 को उन्नाव में घटित हुआ था, राजकीय रेलवे पुलिस/उन्नाव ने पांच दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध 3-7-82 को दंड संहिता की धारा 395 के अधीन न्यायालय में आरोप-पत्र नं० 41 प्रस्तुत कर दिया है ।

(ग) रेलों पर यात्रियों और उनके सामान की संरक्षा और सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं—

1. लगभग 1400 सशस्त्र पुलिस कर्मचारी यात्री गाड़ियों का मार्ग रक्षण कर रहे हैं;

2. राजकीय रेलवे पुलिस, जो यात्रियों तथा उनके सामान की संरक्षा और सुरक्षा तथा रेलों पर कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये उत्तरदायी है, की संख्या में 6740 की वृद्धि कर दी गयी है;

3. रेल मंत्री महोदय ने रेलों पर सुरक्षा उपायों में सुधार करने की आवश्यकता की ओर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया है ताकि यात्रियों की बेहतर सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित की जा सके;

4. महानिरीक्षक, रे० सु० बल ने पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के पुलिस महानिरीक्षकों के साथ इस समस्या पर विचार-विमर्श किया है तथा रेलों पर अपराधों पर बेहतर ढंग से नियंत्रण पाने के लिये उपाय किये जा रहे हैं;

5. हाल ही में मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में एक समिति ने इस मामले की जांच की है, समिति द्वारा की गयी सिफारिशें कार्यान्वित की जा रही हैं;

6. रेलों पर संरक्षा और सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था बनाये रखने की समस्या की रेल सुधार समिति द्वारा जांच की जा रही है।

## ठेका श्रमिक पद्धति के जरिए भराई (बैलास्टिंग) कार्य का निष्पादन

2350. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तिरुनेलवेली-वेप-त्रिवेन्द्रम रेल लाइन में ठेका श्रमिक पद्धति के जरिए भराई कार्य निष्पादित किये जाने के क्या कारण हैं जबकि कन्याकुमारी-त्रिवेन्द्रम लाइन में यह कार्य केवल रेल कर्मचारियों द्वारा ही किया गया था ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : इस खण्ड पर गिट्टी की सप्लाई की दर धीमी है और पटरियों में गिट्टी बिछाने के कार्य की तुलना में पीछे हैं। इसलिये गिट्टी बिछाने का कार्य स्टाक रहने तक छोटी अवधियों के लिए किया जाता है। अतः रेलों द्वारा विशाल श्रमिक दल के रखने का औचित्य नहीं है क्योंकि अन्तराल की अवधियों के दौरान इन श्रमिकों को उपयोग में लाने के लिये इस क्षेत्र में कोई अन्य कार्य उपलब्ध नहीं है। अतः एक प्रयोगात्मक उपाय के रूप में गिट्टी बिछाने का कार्य अब ठेका एजेंसी के माध्यम से कराया जा रहा है।

## 29-6-1982 को लखनऊ में अमरोही स्टेशन पर टक्कर

2351. **श्री पी० एल० सईद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब फिर रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या 26 जून, 1982 को लखनऊ में अमरोही रेलवे स्टेशन पर एक डीजल इंजन के पैसेंजर रेलगाड़ी से टकरा जाने पर कम से कम पांच व्यक्ति मारे गए और 20 घायल हुए;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह दुर्घटना रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुई है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क)** जी नहीं।

(ख) और (ग) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय 29-6-82 को उत्तर रेलवे पर अगोरी खास रेलवे स्टेशन के निकट 2-सी० सी० एम० पैसेंजर गाड़ी और एक अकेला डीजल इंजन के बीच हुई टक्कर से है। उस दिन 2-सी० सी० एम० पैसेंजर गाड़ी, जो चुर्क स्टेशन से 01.05 बजे चली थी, अगोरी खास रेलवे स्टेशन के डाउन होम सिगनल के निकट रुक गयी थी क्योंकि उसका इंजन खराब हो गया था। राहत इंजन जो चुर्क स्टेशन से 02.45 चला था, लगभग 03.10 बजे 2-सी० सी० एम० पैसेंजर गाड़ी के पिछले हिस्से से टकरा गया।

इस दुर्घटना में 4 व्यक्ति मारे गये तथा 14 घायल हुए थे।

(घ) रेल संरक्षा के आयुक्त, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ ने इस दुर्घटना की जांच की है और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

**डी० टी० सी० बसों में अत्यधिक भीड़भाड़**

2352. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के बस रूटों में बसों में अत्यधिक भीड़भाड़ पर कोई निगरानी रखी गई है;

(ख) यदि हां, तो वे बस रूट कौन-कौन से जहां बसों में लगातार अत्यधिक भीड़भाड़ रहती है और वे बस रूट कौन-कौन से जहां व्यस्त समय के दौरान बसों में अत्यधिक भीड़भाड़ होती है;

(ग) वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान इन मार्गों में से प्रत्येक मार्ग में कितनी नई और अतिरिक्त बसें चलाई गई हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक मार्ग पर कितनी और बसें चलाने का विचार है;

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क)** विभिन्न रूटों पर लगाई जाने वाली बसों की संख्या और उनकी फ्रीक्वेन्सी निश्चित करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम आवधिक सर्वेक्षण करता है;

(ख) किसी भी विशेष रूट की बसों में पूरे दिन अत्यधिक भीड़ होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। परन्तु यह देखा गया है कि व्यस्त समय में अधिकांश बसें भरी हुई होती है और उनमें अत्यधिक भीड़ भी होती है; परन्तु यह स्थिति इकतरफा यातायात की बसों की होती है;

(ग) 1981-82 से 118 रूटों पर 194 बसें और लगाई गई है; 36 और बसें 1982-83 की प्रथम तिमाही में लगाई गई थी। 1981-82 में 31 नये रूट चालू किए गये और 6 रूट 1982-83 की प्रथम तिमाही में चालू किए गये;

(घ) 298 नई बसें, जो दिल्ली परिवहन निगम चालू वित्तीय वर्ष में वे चालू किये जाने वाले नये रूटों पर, और जहां आवश्यकता होगी वहां फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए लगाई जायगी;

**बोंगाई गांव-गोहाटी रेल लाइन का बदला जाना**

2353. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोंगाईगाँव से गोहाटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए अब तक किए गए कार्य की क्या प्रगति है;

(ख) इस रेल लाइन का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ग) इस योजना की लागत क्या है; कितना व्यय पहले ही किया जा चुका है; इसके लिए चालू वर्ष के बजट में कितनी धनराशि रखी गई है और इस कार्य को पूरा करने के लिए और कितनी धनराशि प्राप्त की जानी है ?

**रेल मंत्रालय संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) इस योजना में मई, 82 के अंत तक प्राप्त की गयी समग्र प्रगति लगभग 69 प्रतिशत है।

(ख) 1983 के अंत तक, बशर्ते कि इसके लिए धन उपलब्ध हुआ।

(ग) इस योजना पर वर्तमान लागत 65 करोड़ रुपये तक होने की संभावना है। मार्च, 1982 के अन्त तक लगभग 40 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। 1982-83 के बजट में 6 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। इस कार्य को पूरा करने के लिए लगभग 19 करोड़ रुपये की और आवश्यकता पड़ेगी।

**राज्यों की राजधानियों और संघ को रेल मार्गों से जोड़ना**

2354. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों को राजधानियों और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यालयों को अभी तक रेल-मार्गों से जोड़ा गया है;

(ख) उन्हें रेलमार्गों से जोड़ने लिए यदि कोई योजना बनाई गई है तो इस ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सब राजधानियों और मुख्यालयों को कब तक रेल मार्गों से जाड़े जाने की संभावना है ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) जिन राज्यों की राजधानियों और संघ शासित राज्यों के मुख्यालयों को अभी भी रेल सम्पर्कों द्वारा जोड़ा जाना है उनके नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) फिलहाल सभी राज्यों की राजधानियों तथा संघ शासित राज्य क्षेत्रों के मुख्यालयों को रेलों से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि, जहां सर्वेक्षण किये जा रहे हैं उनके संबंध में

सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर राजधानियों को रेल लाइनों से जोड़ने के प्रश्न पर यथोचित विचार किया जायेगा ऐसा करना वित्तीय तथा तकनीकी व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता तथा योजना की स्वीकृति पर निर्भर करेगा।

**विवरण**

| क्र० सं० | राज्य | राजधानी | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1. | जम्मू और कश्मीर | श्री नगर | जम्मू और ऊधमपुर के बीच मौजूदा बड़ी लाइन के विस्तार का काम पहले ही एक अनुमोदित कार्य है। इस परियोजना को पूरा हो जाने पर ऊधमपुर से आगे श्रीनगर तक लाइन का विस्तार करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा। |
| 2. | त्रिपुरा | अगरतला | लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत से धर्मनगर और कुमारघाट के बीच 34 कि० मी० लम्बी लाइन निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर सीमा रेलवे द्वारा निक्षेप कार्य के रूप में कुमारघाट और अगरतला के बीच बड़ी रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण भी किया जा रहा है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने पर अगरतला को रेल लाइन से जोड़ने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों तथा योजन आयोग की स्वीकृति प्राप्त हो जाये। |
| 3. | मिजोरम | एजवाल | मिजोरम में मीटर लाइन लाने के लिए लगभग 49 कि० मी० लाला बाजार मैराबी मीटर लाइन के निर्माण को लगभग 15 करोड़ रुपये की लागत से अनुमोदित कर दिया गया है। फिलहाल रेल लाइन को एजवाल तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। |
| 4. | मणिपुर | इम्फाल | ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और न अभी तक कोई सर्वेक्षण किया गया है। |
| 5. | नागालैंड | कोहिमा | ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही अभी तक कोई सर्वेक्षण किया गया है। |
| 6. | अरुणाचल प्रदेश | इटानगर | पूर्वोत्तर सीमा रेल पर 36 कि० मी० टिपलिंग इंटानगर मीटर लाइन के लिए सर्वेक्षण पहले ही प्रगति पर है। रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर इस लाइन का निर्माण हो जाने पर इस लाइन का निर्माण शुरू करने के प्रश्न पर यथोचित विचार किया जायेगा बशर्ते कि धन उपलब्ध हो तथा योजना आयोग की स्वीकृति मिल जाये। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 7. | मेघालय | शिलांग | 26.7 कि० मी० लम्बी गोवाहाटी वर्नीहाट बड़ी रेल लाइन को निर्माण के लिए अनुमोदित कर दिया गया है लेकिन मेघालय राज्य सरकार मेघालय में लाइन के निर्माण के लिए सहमत नहीं हुई है और यह सूचित किया है कि इस लाइन को असम मेघालय सीमा पर बरदुआ में समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अभी तक उत्तर पूर्वी परिषद् के इस सुझाव से सहमत नहीं हुई है तथा अभी शिलांग को रेल लाइन से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है। |
| 8. | सिक्किम | गंगटोक | ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही अभी तक कोई सर्वेक्षण किया गया है। |
| 9. | अंडमान नीकोबार द्वीप | पोर्ट ब्लेयर | इसे रेलवे लाइन से जोड़ना व्यवहारिक नहीं है। |
| 10. | लक्षद्विप | कवरत्ती | व्यावहारिक नहीं है। |
| 11. | दादरा-नगर हवेली | सिलवासा | ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, और न ही अभी तक कोई सर्वेक्षण किया गया है। |

## निरस्त्रीकरण-आयोग में भारत के प्रस्ताव

2355. **श्री माधव राव सिंधिया**
**श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
**श्री अमर राय प्रधान** } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरस्त्रीकरण आयोग के दो सप्ताह के अधिवेशन के दौरान भारत ने निरस्त्रीकरण के संबंध में कोई प्रस्ताव रखे हैं; यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) भारत के प्रस्तावों पर अन्य बड़े देशों ने क्या प्रतिक्रिया की ?

**विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव)** : (क) जी नहीं लेकिन हाल ही में 17 मई से 4 जून, 1982 तक सम्पन्न निरस्त्रीकरण आयोग के अधिवेशन में भारत ने सैनिक में कटौती करने के बारे में एक कार्य-पत्र पेश किया जिसमें इस मसले पर सरकार के विचारों और दृष्टिकोण को बताया गया है।

(ख) इस अधिवेशन का मुख्य कार्य निरस्त्रीकरण पर महासभा के दूसरे विशेष अधिवेशन के लिए एक रिपोर्ट तैयार करना था। अतः समय की कमी के कारण विभिन्न प्रस्तावों पर जिसमें भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य-पत्र भी शामिल हैं, विस्तृत विचार-विमर्श करना संभव नहीं था।

### पहाड़ी भोजाला, दिल्ली में ग्रन्थालय

2356. **श्री तारिक अनवर :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान "नवभारत टाइम्स" दिनांक 2 जून, 1982 में इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पहाड़ी भोजाला, दिल्ली में एक पुराने मकान में मूल्यवान पुस्तकों तथा दुर्लभ पाण्डुलिपियों का एक ग्रन्थालय है और इस ग्रन्थालय की संस्थापक एक वृद्ध महिला उसके संरक्षण के लिये सभी सम्भव प्रयास कर रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ निहित स्वार्थ ग्रन्थालय पर बलपूर्वक कब्जा करना चाहते हैं और क्या पुलिस के पास भी इस प्रकार की रिपोर्ट दायर की गई है ;

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट कब दायर की गई और पुलिस द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार राष्ट्रीय हित में उक्त ग्रन्थालय को अपने अधिकार में लेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :** (क) जी, हां। "नजारिया पब्लिक लाईब्रेरी एण्ड रीडिंग रूम" नाम से एक पुस्तकालय जामा मस्जिद, दिल्ली के निकट पहाड़ी भोजला में चल रहा है। वर्ष 1926 में श्री मोलवी अब्दुल राउफ द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है।

(ख) और (ग) पुस्तकालय के मुंताजिम ने 1.3. 1982 को पुलिस थाना, चांदी महल दिल्ली में यह अरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि कुछ व्यक्ति 28 फरवरी और 1 मार्च, 1982 की रात को पुस्तकालय की पुस्तकें और फर्नीचर जबर्दस्ती ले जा रहे थे। उसने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उसे गलत तरीके से बन्द कर दिया गया और उस पर हमला किया गया। धारा 448/ 342/341 आइ० पी० सी० के अन्तर्गत पुलिस में एक मामला एफ० आई० आर० संख्या 78 दिनांक 1.3.82 को दर्ज किया गया है और उसकी जांच की जा रही है।

(घ) और (ङ) इस सम्बन्ध में सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

### गुटनिपेक्ष देशों के नाम

2357. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत दो वर्षों के दौरान गुट-निरपेक्ष की नीति अपनाई है ?

**विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव)** : 1980 और 1981 के दौरान गुट-निरपेक्ष आन्दोलन ने बेलाइज, इक्वाडोर, सैंट लूसिया और जिम्बाबवे को सदस्यता प्रदान की। 1982 में अब तक पापुआ न्यू गिनी को आन्दोलन में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है।

**हिमाचल प्रदेश के लिए छठी पंच वर्षीय योजना का आबंटन**

2358. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश के लिए शिक्षा हेतु कितनी धनराशि रखी गई; और

(ख) प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए केन्द्र द्वारा दी जा रही धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) योजना आयोग ने छठी योजना में, राज्य क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के लिए 17.75 करोड़ रु० का परिव्यय का अनुमोदन किया है ;

(ख) ऐसी कोई केन्द्रीय योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को प्राइमरी शिक्षा के लिए सहायता दी जा सके। केन्द्र से उच्च शिक्षा के लिए निधि, विभिन्न कार्यक्रमों के लिए सहायता की अनुमोदित प्रणाली के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जरिए दी जाती है। अतः अलग से कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सामान्य विकास के लिए छठी योजना में 100 लाख रु० का आबंटन है।

**राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 और 43 के रख-रखाव के लिए**

2359. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979, 1980, 1981 तथा 1982 में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 और 43 के रखरखाव और सुधार के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई और उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी)**: राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और सुधार के लिए धनराशि का आबंटन कैलेंडर वर्ष के आधार पर नहीं बल्कि वित्तीय वर्ष आधार पर किया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 और 43 के सुधार के लिए संबंधित राज्यों को धनराशि के आबंटन का ब्यौरा **विवरण** 1 में दिखाया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए धनराशि का आबंटन प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के आधार पर न किया जाकर समूचे राज्य के आधार पर किया जाता है।

आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्यों को राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुरक्षण के लिए आबंटित ब्यौरा धनराशि का ब्यौरा **विवरण** 2 में दिया गया है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 और 43 के लिए आबंटित धनराशि भी शामिल है।

## विवरण 1

(करोड़ रुपये)

| | वर्ष | | | |
|---|---|---|---|---|
| **राज्य का नाम** | 1978-79 | 1979-80 | 1980-81 | 81-82 |
| **(क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5** | | | | |
| आंध्र प्रदेश | 2·14 | 2.57 | 1.85 | 5.00 |
| उड़ीसा | 1·39 | 1,34 | 1·07 | 0·38 |
| तमिलनाडु | 0,02 | 0.01 | 0·07 | 0.14 |
| **(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34** | | | | |
| आंध्र प्रदेश | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.10 |
| मध्य प्रदेश | 0·26 | 0,43 | 0.67 | 0.85 |
| उड़ीसा | 0·16 | 0·14 | 0.18 | 0·17 |

## विवरण 2

(करोड़ रुपये)

| राज्य का नाम | 1978-89 | 1979-80 | 1980-81 | 1981-82 |
|---|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 2·86 | 2·77 | 2·53 | 3.26 |
| मध्य प्रदेश | 1.62 | 1·81 | 2·01 | 2·66 |
| उड़ीसा | 1·04 | 1·33 | 1·53 | 1·99 |
| तमिलनाडु | 1.61 | 1·38 | 1·43 | 1·87 |

**निजामुद्दीन-नर्मदा कुतुब एक्सप्रेस**

2360. **श्री रामनाथ दुबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजामुद्दीन-नर्मदा कुतुब एक्सप्रेस को सुपर फास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस रेलगाड़ी में सुपर फास्ट रेलगाड़ी को दी जाने वाली सुविधाओं में से कोई भी सुविधा अब तक इसमें दी गई है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) हाल ही में की गयी समीक्षा के अनुसार पूरक प्रभार लगाये जाने के प्रयोजन के लिए 149/150 कुतुब-नर्मदा एक्सप्रेस को सुपरफास्ट गाड़ियों की सूची से हटा दिया गया है ।

**बांदा रेलवे स्टेशन पर रेल व सड़क उपरिपुल का निर्माण**

2361. **श्री रामनाथ दुबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य रेलवे में बांदा रेलवे स्टेशन पर रेल व सड़क उपरिपुल के निर्माण के लिये स्वीकृति दे दी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक व्यय के रूप में पचास हजार रुपये की धनराशि अग्रिम दी है; और

(ख) यदि हां, तो पुल के निर्माण में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) बांदा में ऊपरी रेल एवं सड़क पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है । उत्तर प्रदेश सरकार से बांदा में वर्तमान समपार के बदले में एक ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और राज्य सरकार द्वारा इस निर्माण कार्य के नक्शे और अनुमान तैयार करने के लिए 50,000/- रु० की राशि जमा करायी गयी थी । समपार पर झरने वाले यातायात की मात्रा को कूता गया था जिससे पता चला कि इस समपार पर रेल/सड़क यातायात की मात्रा इतनी पर्याप्त नहीं है कि इस समय इसे ऊपरी सड़क पुल में बदलने का औचित्य हो । जब इस समपार पर रेल/सड़क यातयात में वृद्धि होगी तो इस प्रस्ताव के बारे में विचार किया जायेगा । 50,000/- रु० की राशि उत्तर प्रदेश सरकार को लौटायी जा रही है ।

**टैगोर इन्स्टीट्यूट, पश्चिम जर्मनी के लिए वित्तीय अनुदान**

2362. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोन (पश्चिम जर्मनी) में टैगोर इन्स्टीट्यूट वित्तीय कठिनाइयों के कारण बन्द होने की स्थिति में है;

(ख) इस इन्स्टीट्यूट के बनने से अब तक भारत सरकार द्वारा इसे कितना वित्तीय अनुदान दिया गया है ।

(ग) क्या पश्चिम जर्मनी की राजधानी में हमारे राजदूत ने इस इन्स्टीट्यूट जो कि भारतीय संस्कृति में संवर्धन हेतु कार्यरत है, के लिये वित्तीय अनुदानों हेतु कहा है;

(घ) क्या इस इन्स्टीट्यूट को वित्तीय सहायता देने हेतु पश्चिम जर्मनी सरकार को राजी करने के लिये भी प्रयास किये गये थे; और

(ङ) इस इन्स्टीट्यूट को चलाये रखने के लिये जो कि बोन में सराहनीय कार्य कर रहा है सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :** (क) टैगोर संस्थान, बोन, एक स्वैच्छिक संगठन है। बोन स्थित हमारे दूतावास से प्राप्त सूचना के अनुसार संस्थान कुछ वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है।

(ख) संस्थान को इसकी स्थापना से 1981-82 तक भारत सरकार द्वारा कुल 12,955/- रु० के अनुदान संस्वीकृत किए गए थे।

(ग) जी, हां।

(घ) क्योंकि संस्थान एक स्वैच्छिक संगठन है और जर्मन संघीय गणराज्य में स्थित है, अतः उन्हें जर्मन प्राधिकारियों से सहायता लेनी चाहिए।

(ङ) भारत सरकार, संस्थान की वित्तीय सहायता को बढ़ाने पर विचार कर रही है।

## अहमदाबाद शहर में सक्युलर रेलगाड़ी

2363. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1981 की अंतिम तिमाही में पश्चिम रेलवे द्वारा अहमदाबाद शहर में सक्युलर रेलगाड़ी के बारे में कोई तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था।

(ख) क्या यह भी सच है कि अहमदाबाद नगर पालिका और अहमदाबाद नगरीय विकास प्राधिकरण इस सर्वेक्षण पर आई लागत में हिस्सा बंटाने हेतु राजी हुए;

(ग) क्या इलिसब्रिज स्टेशन और अहमदाबाद मेन स्टेशन को बिजली की रेलगाड़ी से जोड़ने के लिये कोई प्रारम्भिक योजनायें तैयार की गई थीं, जिसे बाद में धीरे धीरे प्रथम चरण में नरोदा तक और द्वितीय चरण में शीला थालतेल और वातवा तक बढ़ाया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार सार्वजनिक बस सेवा में भीड़भाड़ को दूर करने और बढ़ते हुए यातायात पर काबू पाने के लिये योजना को कार्यान्वित करेगी ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) जी नहीं। सर्वेक्षण कार्य मार्च, 1982 में शुरू किया गया था, जो अभी भी जारी है।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। सर्वेक्षण कार्य अभी भी चल रहा है।

(घ) आशा है कि 1983 के शुरू में सर्वेक्षण का मसौदा रिपोर्ट तैयार हो जायेगी। जब सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होगी तो इसे योजना आयोग को विचारार्थ भेजा जाएगा।

**बन्देल सब-वे में जलरोध**

2364. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बन्देल सब-वे (हावड़ा डिवीजन में) के अन्तर्गत पानी के रुक जाने के कारण हजारों दैनिक यात्रियों को परेशानी हो रही है।

(ख) यदि हां, तो बन्देल सब-वे में पानी रुकने की समस्या को अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों तरहसे हल करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार के पास बन्देल रेलवे क्षेत्र के गन्दे पानी को हटाने के लिये किसी उचित निकास व्यवस्था का निर्माण करने की कोई योजना है।

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) बण्डेल में बजरापाड़ा उपमार्ग में नालियों की कुछ समस्या है।

(ख) और (ग) अल्पकालिक उपाय के रूप में रेलवे ने पानी निकालने के लिये पम्प लगाये हैं। सिविल प्राधिकारियों के परामर्श से, लम्बी अवधि वाले उपायों के बारे में विचार किया जा रहा है जो कि इस क्षेत्र की नालियों की व्यवस्था करने के लिये उत्तरदायी है। वर्तमान यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये निक्षेप शर्तों पर इस उपमार्ग के बदले में एक सड़क उपरि-पुल का निर्माण करने के प्रस्ताव की राज्य सरकार और रेलवे द्वारा जांच भी की जा रही है।

**बन्देल-काटव रेल लाइन का दोहरा व विद्युतीकरण किया जाना**

2365. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बन्देल काटवा रेल लाइन को सुरक्षात्मक दृष्टि से दोहरा बनाया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस खंड पर उपलब्ध मौजूदा क्षमता यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त है।

**लीबिया के पंजीकृत जहाजों के भारतीय चालकों के साथ मजूरी के मामलों में भेदभाव रखा जाना**

2366. **श्री अजीत बाग** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लिबीया में पंजीकृत जहाजों के भारतीय चालकों के साथ मजूरी और अन्य सुविधाओं के मामले में अन्य देशों के अन्य चालकों की तुलना में भेदभाव रखा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अपने देश के नागरिकों के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) से (ग) ग्रीक टैंकर "यपापंति" जिस पर लिबीया का झंडा लहराता है, अन्य के साथ साथ उसके चालकों में सात भारतीय चालक हैं। वे लोग पंजीकृत नाविक नहीं हैं। यह टैंकर डोवर डेलोवारे के समीप अन्तर्राष्ट्रीय जल में लंगर डाली थी। डाक को यह अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि इस जहाज में पूरी तरह से सुरक्षा उपकरण नहीं लगे थे जो यू एस विधि में अपेक्षित हैं। इसलिये जहाज के मालिक ने यह निश्चय किया कि चालकों के करार को रद्द कर दिया जाय और करार के तहत उनकी सभी बकाया रकमों की अदायगी कर दी जाय। चालकों ने इस प्रस्ताव को मानने से इन्कार कर दिया और आई टी ई दरों के अनुसार मजदूरी की मांग की। अन्त में उन लोगों को मालिक के खर्च पर दिल्ली लाया गया।

मर्चेन्ट शिपिंग एक्ट 1958 के तहत सभी नाविकों के लिये यह जरूरी है कि वे नाविक रोजगार कार्यालय बंबई और कलकत्ता में अपना नाम पंजीकृत करवायें और जहाजों के लिये उनकी नियुक्ति हो। दो नाविक रोजगार कार्यालयों के माध्यम से ही की जा सकती है। इस मामले में चूंकि भारतीय नाविक पंजीकृत नाविक नहीं है और वे लोग कानूनी रूप से नाविक रोजगार कार्यालयों बंबई/कलकत्ता के द्वारा नियुक्त नहीं किये गए हैं, फिर भी यह विचाराधीन है कि क्या इस मामले में कोई कार्रवाई की जाये।

## मेचेदा रेलवे स्टेशन का विस्तार

2367. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय में दक्षिण पूर्व रेलवे के हावड़ा खड़गपुर अनुभाग के अन्तर्गत मेचेदा रेलवे स्टेशन के विस्तार के मामले पर विचार हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) काम कब शुरू किया जायेगा, यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) मौजूदा स्टेशन की इमारत का विस्तार नहीं किया जा रहा है। तथापि, कोलाघाट ताप बिजली घर को जोड़ने के लिए एक्सचेंज यार्ड के निर्माण के भाग के रूप में मेचेदा यार्ड के दक्षिण की ओर पर्याप्त सुविधाओं सहित एक नये स्टेशन की इमारत का निर्माण शुरू किया गया है।

(ख) एक स्टेशन इमारत बनाने की योजना बनाई गई है जिसमें बुकिंग कार्यालय, ऊंचे दर्जे का प्रतीक्षालय, शौचालय के साथ पुरुषों के लिये प्रतीक्षालय, महिलाओं के लिये प्रतीक्षालय और विश्रामालय होंगे। इस कार्य के लिए शीघ्र टेंडर आमंत्रित किये जायेंगे।

उपरि पैदल पुल के विस्तार के लिये सिनी में इंजीनियरी कारखाने में संरचना के निर्माण का काम पहले ही शुरू कर दिया गया है। स्तम्भों की नींव के लिये 29.4.82 को टेंडर खोले गये थे।

(ग) टेंडरों को अन्तिम रूप दे दिये जाने के बाद स्टेशन की इमारत तथा ऊपरी पैदल-पुल का निर्माण कार्य तत्काल शुरू कर दिया जायेगा।

## पटना-गया क्षेत्र में गार्ड द्वारा कथित कदाचार

2368. **श्री राम विलास पासवान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जून, 1982 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पूर्व रेलवे के पटना-गया क्षेत्र में यात्री मात्र 2 रुपये प्रति व्यक्ति राशि देकर अपनी बाईं हथेली पर गार्ड के हस्ताक्षर प्राप्त कर लेते हैं जो उनके निकट का काम करते हैं और यह भारतीय रेलों के कार्यकरण को उजागर करता है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और स्थिति को सुधारने के लिये क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां।

(ख) नियमित और विशेष जांचों की एक पद्धति पहले से ही मौजूद है परन्तु रिपोर्ट की सत्यता का पता लगाने के लिये पूर्व रेलवे के पटना-गया खण्ड पर घात लगाकर जांचें की गयी हैं। तथापि, बिना टिकट यात्रा एक सामाजिक समस्या है और पूर्वी क्षेत्र में व्याप्त कानून और व्यवस्था की कठिन स्थिति के कारण यह समस्या और भी गंभीर हो गई है।

## 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार की गई योजनायें तथा उनमें प्रगति

2369. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार की गई योजनाओं की प्रगति के विश्लेषण के लिये कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) विभिन्न राज्यों में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हाल ही में कौन-कौन से कार्यक्रम शुरू किये गये हैं;

(ग) प्रत्येक कार्यक्रम के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है;

(घ) कौन से राज्यों ने पिछले पांच वर्षों के दौरान अच्छी तरक्की की है और कौन से राज्यों में कठिनाइयां आ रही हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) 1983 के लिये निर्धारित लक्ष्य क्या हैं ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी०के० थुंगन)** : (क) जी, हां।

(ख) 20 सूत्रीय कार्यक्रम के 15वें सूत्र के अन्तर्गत समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम।

(ग) पूरक पोषाहार पर व्यय राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। अन्य पर व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

(घ) नये 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा के बाद स्वीकृत 320 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं प्रारम्भ की जा रही हैं और इसलिये अभी तक कोई अन्तर-राज्यीय ग्रेडिंग नहीं की गई है।

(ङ) 1982-83 के दौरान 320 परियोजनाएं।

**पूर्वोत्तर क्षेत्र में नए ज्वर से बड़ी संख्या में मौतें**

2370. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक नए ज्वर, जोकि डाक्टरों के अनुसार काला-अजार और मलेरिया का मिश्रण है, से बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपलब्ध औषधियों से इस नई बीमारी पर काबू नहीं हो पा रहा है;

(ग) क्या मेडिकल/स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस बीमारी के अध्ययन तथा इनके कारणों का पता लगाने के लिए प्रभावित क्षेत्र में भेजे गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार वर्तमान स्थिति पर काबू पाने के लिए कोई औषधि आयात करने का है; और

(ङ) अब तक कितनी मौतें की दर्ज की गई हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) :** (क) ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

**बन्दरगाहों पर "कंटेनर" के रख-रखाव सम्बन्धी सुविधाओं का विकास**

2371. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल**
**श्री जगदीश टाइटलर** } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बन्दरगाहों में मालवाहक जहाजों के रख-रखाव कार्य में कोई सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष के दौरान बन्दरगाह-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) किस बन्दगाह पर केवल नाममात्र की वृद्धि की गई है;

(घ) क्या प्रमुख बन्दरगाहों पर कन्टेनर के रख-रखाव संबंधी सुविधाओं के विकास के बन्दरगाहों के राजस्व और क्षमता के उपयोग में काफी वृद्धि हो जाएगी;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार के पास ऐसा कोई कार्यक्रम है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में (श्री वीरेन्द्र पाटिल) :** (क) से (ग) वर्ष 1981-82 के दौरान सभी बड़े पत्तनों में 87.41 मिलियन टन माल का यातायात हुआ जबकि 1981-82 में 81.32 मिलियन टन का यातायात हुआ था। इस प्रकार 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1980-81 और 1981-82 में बड़े पत्तनों पर प्रत्येक माल के रखने उठाने के बारे में एक विवरण संलग्न है।

**[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 4308/82]**

(घ) से (च) भारत में जहाजों की कंटेनर युक्त करने की पद्धति अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। जब कंटेनर सुविधाओं को पूरा पूरा विकास हो जायगा तब पत्तनों की क्षमता के उपयोग और उनकी आय पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

शुरू में चार बड़े पत्तनों पर कंटेनर जलयानों की हैंडलिंग के लिये कंटेनर टर्मिनल का का विकास किया जा रहा है। इनमें से दो पत्तन, बम्बई और कोचीन पश्चिमी तट पर और बाकी दो मद्रास और हल्दिया पूर्वी तट पर स्थित हैं। हल्दिया में कंटेनर हैंडलिंग की सुविधा पहले से ही मौजूद है।

न्हावा शेवा पत्तन के लिए 592 रुपये मंजूर किये गये हैं जिससे चार वर्षों बर्थों की स्थापना का प्रस्ताव है। ये वर्थें समुद्र में अन्दर की ओर स्थापित की जायेगी।

**1981 के पश्चात् विभिन्न बन्दरगाहों में आग**

**2372. श्री ए० टी० पाटिल** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1981 के पश्चात् विभिन्न बन्दरगाहों में लगी आग का ब्योरा क्या है तथा प्रत्येक मामले में आग लगने के कारण क्या हैं तथा प्रत्येक मामले में कितना नुक्सान हुआ है; और

(ख) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी आग रोकने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) विशाखापत्तनम, मुरगाव, तूतीकोरिन, न्यू मंगलोर और परादीप के पत्तनों पर जनवरी, 1981 से आग लगने की कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। अन्य पत्तनों पर आग लगने की बड़ी दुर्घटनाओं का ब्योरा निम्नलिखित है :—

| पत्तन का नाम | आग लगने की दुर्घटना की तारीख | आग लगने का संभावित कारण | अनुमानित हानि (लाख रुपये) |
|---|---|---|---|
| बंबई | 14.6.1982 | आग लगने के कारण की जांच की जा रही है। | 128 |
| मद्रास | 7.6.1982 | आग लगने के कारण की जांच की जा रही है। | हानि का अनुमान लगाया जा रहा है। |
| कांडला | (i) 29.1.1981 | धूम्रपान | 500 |
| | (ii) 25.11.1981 | शोर्ट सर्किटिंग | 5 |
| कोचीन | (i) 5.2.1981 | आग लगने का वास्तविक कारण मालूम नहीं हो पाया। | 37.47 |
| | (ii) 20.11.1981 | आग लगने का वास्तविक कारण मालूम नहीं हो पाया | 84 |

(जारी······)

| | | | |
|---|---|---|---|
| कलकत्ता | (i) 1.2.1981 | आग लगने का वास्तविक कारण मालूम नहीं हो पाया | 6.25 |
| | (ii) 15.12.1981 | आग लगने का वास्तविक कारण सुनिश्चित नहीं हो पाया है | 700 |
| | (iii) 17.12.1981 | आग लगने का कारण सुनिश्चित नहीं हो पाया। | 2.81 |
| | (i) 9.6.1982 | आग लगने का कारण सुनिश्चित नहीं हो पाया। | 10 |

(ख) सभी पत्तन अपने अग्निशमन संगठनों को मजबूत करने के लिए आवश्यक उपाय कर रहे हैं। हाल ही में सरकार ने भी वेयरहाउस, ट्रांजिटशेड, व्हार्वस, आयल जेट्टी, कोलजेट्टी आदि के संबंध में सभी बड़े पत्तनों को आग की रोकथाम के उपाय के बारे में निर्देश जारी किये हैं। इन निर्देशों में पत्तनों पर संचार पद्धति, परिवहन व्यवस्था और प्रशिक्षण सुविधाओं को मजबूत करने के लिये अपेक्षित उपाय शामिल हैं।

**टूंडला और इलाहाबाद में कार्यरत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के गार्डों को रेलवे आवास**

2373. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के टूंडला और इलाहाबाद मुख्यालयों में कार्यरत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कितने गार्डों को अब तक सरकारी आवास नहीं दिया गया है;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड के नियमों के अनुसार रेलवे आवास के आवंटन में 10 प्रतिशत कोटा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित है;

(ग) यदि हां, तो रेलवे आवास के आवंटन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के गार्डों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती है;

(घ) टूंडला और इलाहाबाद में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कितने गार्डों ने रेलवे आवास के लिये आवंटन किया है और उन्होंने किस तारीख को आवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ङ) क्या सरकार उनको रेलवे आवास देगी ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) टूंडला : 40

इलाहाबाद : 35

(ख) जी हां, उन शहरों में, जहां क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन यूनिटों के मुख्यालय स्थित हैं, टाइप I और टाइप II के 10 प्रतिशत क्वार्टर "गैर अनिवार्य" कोटि से संबंधित अनु० जा०/अनु० ज० जा० के कर्मचारियों को आवंटन करने हेतु आरक्षित रहते हैं।

(ग) गार्ड, "अनिवार्य" कोटि के अन्तर्गत आते हैं और इनके लिए "अनिवार्य" कोटि में आरक्षण नहीं रखा जाता।

| (घ) | | आवेदन किया गया | आवंटित किया गया |
|---|---|---|---|
| टूंडला | : | 55 | 15 |
| इलाहाबाद | : | 48 | 13 |

आवेदन-पत्रों की तारीखें तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) जी हां, आवंटन के लिए उनकी बारी आने पर उन्हें क्वार्टर आवंटित कर दिये जायेंगे।

**हावड़ा-कटक लाइन पर रेलगाड़ियों का देर से आना-जाना**

2374. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हावड़ा-कटक लाइन पर चलने वाली स्थानीय पैसेंजर तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ियां अक्सर देर से आती-जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप लगभग 2500 दैनिक यात्रियों को अपने काम के स्थान पर समय पर पहुंचने में कठिनाई होती है;

(ख) क्या रेलगाड़ियों के समय पर आने-जाने और दैनिक यात्रियों के समय पर अपने काम के स्थान पर पहुंचने के लिए दैनिक यात्री एसोसिएशन समय-समय पर मांग करती रही है कि बंदेल जंक्शन और कटक के बीच दोहरी रेल लाइन बिछाई जाये;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दैनिक यात्रियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर बंदेल और कटक के बीच दोहरी लाइन बिछाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री श्री मल्लिकार्जुन** : (क) जी नहीं। जनवरी से जून, 82 के दौरान हावड़ा-कटक स्थानीय गाड़ियों का समय पालन निष्पादन 62 से 87 प्रतिशत की सीमा में था।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस खंड पर उपलब्ध वर्तमान क्षमता पर्याप्त है।

**अनुशासन प्राधिकारी द्वारा भारी दण्ड**

2375. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही करने वाले प्राधिकारी किसी रेलवे कर्मचारी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच के लिए अपने द्वारा गठित जांच समिति के निष्कर्षों से असहमत होकर दूसरी जांच समिति गठित करने के बजाय भारी दण्ड दे सकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) जी हां। अनुशासनिक प्राधिकारी जांच अधिकारी के निष्कर्षों से अपनी असहमति के लिए कारणों का उल्लेख करने के बाद, दोषी कर्मचारी को कोई भी दण्ड, जिसमें बड़ा दण्ड भी शामिल है, दे सकता है। अनुशासनिक अधिकारी जहां-कहीं जरूरी समझे, लिखित रूप में कारणों का उल्लेख करते हुए मामले की आगे जांच करने तथा रिपोर्ट देने के लिए, मामला जांच अधिकारी को भी भेज सकता है।

**भारतीय फिल्म कलाकारों द्वारा दक्षिण अफ्रीका का दौरा**

2376. **श्रीमती गीता मुखर्जी**
**श्री पी० नामग्याल**
**श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के 32 उच्च कोटि के अभिनेताओं, गायकों और नृतकों का दक्षिण अफ्रीका का दौरा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति तथा श्वेत अल्पसंख्यक शासन के विरोधी भारतीयों ने इस प्रस्तावित दौरे का विरोध किया है;

**विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रैस ट्रस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका द्वारा जारी इस आशय की खबर 29 जून, 1982 के हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी थी और यह स्पष्ट है कि उक्त समाचार एजेंसी ने भारत के साथ अपने शासन के सांस्कृतिक संबंधों को प्रकाश में लाने के लिए इस रिपोर्ट को प्रचारित किया था। अनेक प्रसिद्ध फिल्म कलाकारों ने, जिनके नाम उक्त समाचार में प्रकाशित किए गए थे, इस बात का खंडन किया है कि दक्षिण अफ्रीका में कला-प्रदर्शन के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था अथवा उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया था।

दक्षिण-अफ्रीका के साथ सांस्कृतिक संबंधों के बारे में सरकार की नीति सुविदित है। भारत ने ही सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के साथ सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनयिक संबंध तोड़े थे। कोई भी भारतीय अपने पासपोर्ट पर दक्षिण अफ्रीका के लिए पृष्ठांकित करवाये बिना उस देश की यात्रा नहीं कर सकता है। जहां तक फिल्म कलाकारों/गायकों की कथित यात्रा का संबंध है, सरकार को किसी भी कलाकार से पासपोर्ट पर इस प्रकार के पृष्ठांकन के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। यदि इसके लिए आवेदन-पत्र प्राप्त भी हो, तो वर्तमान मामले में उस पर सरकार द्वारा पृष्ठांकन की अनुमति प्रदान करने की कोई संभावना नहीं है।

(ग) अखबार की खबरों के अनुसार दक्षिण अफ्रीका की नेटाल इंडियन कांग्रेस ने फिल्म कलाकार की प्रस्तावित यात्रा की आलोचना की है। इस संबंध में भारत सरकार को उनसे कोई विरोध-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

## पुराने खिलाड़ियों को सरकारी सहायता

2377. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली में हुए प्रथम एशियाई खेलों में भाग लेने वाले तथा बाद में ओलम्पिक आदि खेलों में निर्णायक नियुक्त किये गये कुछ पुराने प्रसिद्ध खिलाड़ियों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी सहायता का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) क्या व्यक्तिगत मामलों, जिनमें तुरन्त सहायता की आवश्यकता है, पर विचार किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) बाद के जीवन में विपन्नावस्था में पड़ जाने वाले उत्कृष्ट एथलीटों और खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सांस्थानिक प्रबन्ध किए जाने की आवश्यकता की सरकार को कुछ समय से जानकारी है। अतः इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हाल ही में खिलाड़ियों के लिए एक राष्ट्रीय कल्याण निधि की स्थापना की है। निधि के उपबन्धों के अन्तर्गत निधि के निम्नलिखित उद्देश्यों के अनुरूप मामले के गुणावगुणों के आधार पर अलग-अलग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी जा सकती है :—

(i) खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए उनके प्रशिक्षण की अवधि के दौरान तथा प्रतियोगिताओं के दौरान भी जख्मी हो जाने पर उपयुक्त सहायता प्रदान करना, जो इस बात पर निर्भर करेगी कि चोट किस प्रकार की है।

(ii) उन उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उपयुक्त सहायता प्रदान करना जो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश का गौरव बढ़ाते हैं तथा जो अपने कठिन प्रशिक्षण के अलावा अन्य प्रकार के किसी प्रभाव से अपंग हो जाते हैं तथा चिकित्सा के रूप में अथवा मासिक पेंशन के माध्यम से अथवा दोनों ही प्रकार से उन्हें सहायता प्रदान करना जो इस बात पर निर्भर करेगी कि मामला किस प्रकार का है।

(iii) विपन्नावस्था में खिलाड़ियों और उनके आश्रितों की कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से सामान्य रूप से खिलाड़ियों के कल्याण को प्रोत्साहित करने के वास्ते निधि की राशि का उपयोग तथा उसका प्रबन्ध करना; और

(iv) अन्य उन सभी कार्यों को करना जो उपरोक्त उद्देश्यों से सम्बन्धित हों।

### एशिया-82 के लिए वातित (एरेटेड) जल के एकमात्र सप्लायर

2378. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 9वें एशियाई खेलों के लिए वातित जल के एक मात्र अधिकृत सप्लायर कौन हैं;

(ख) क्या "कैम्पाकोला" के कारण ऐसा हुआ है, कि सरकारी क्षेत्र के "77" की बजाय इसे एकमात्र अधिकार देने के क्या कारण हैं;

(ग) एशियाई खेलों के लिए अन्य सामान के एकमात्र सप्लायरों के नाम क्या हैं; और

(घ) एशिया-82 के लिए एकमात्र बिक्री के अधिकार देने का निर्धारित मान दण्ड क्या हैं।

**शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीलाकौल)** : (क) नौवें एशियाई खेलों की विशेष आयोजन समिति ने मे०प्योर ड्रिंक्स लिमिटेड, नई दिल्ली को खेलों के लिए सोडावाटर के एकमात्र शासकीय आपूर्तिकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।

(ख) मे०प्योर ड्रिंक्स लिमिटेड, नई दिल्ली की कैम्पाकोला के लिए एकमात्र अधिकार इसलिए दिए गए थे, क्योंकि इस कंपनी द्वारा एशियाई खेल, 1982 की विशेष आयोजन समिति की प्रस्तावित शर्तें सार्वजनिक क्षेत्र की "77" सहित अन्य सभी प्रतियोगी पार्टियों द्वारा प्रस्तावित शर्तों से बेहतर थीं।

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) नौवें एशियाई खेलों की विशेष आयोजन समिति की रायल्टी/निःशुल्क उपहारों और एशियाई-82 के लिए इसे दिये गये ऋणों के रूप में प्रस्तुत किए गये सर्वोत्तम प्रस्ताव के आधार पर एकमात्र विशिष्ट अधिकार दिये गये हैं।

## विवरण

**नौवें एशियाई खेलों के लिए अन्य मदों के एकमात्र शासकीय आपूर्तिकर्ता**

| क्रम संख्या | कंपनी का नाम | आपूर्ति किया जाने वाला मद |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | मे० मियोजी रबर इन्डस्ट्री कं० लिमि० जापान (मिकासा) | वालीबाल्स, फुटबाल्स, हैंडबाल्स, वाटर पोलो बाल्स और बास्केट बाल्स |
| 2. | मे० कैनन इन्को, जापान (कैनन) | कैमरा |
| 3. | मे० निप्पो टक्कियू कं० लिमि० जापान (नित्तकू) | टैबल टेनिस बाल्स |

जारी......

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4. | मे० एसिक्स कारपोरेशन, जापान, (ए० एस० आई० सी० एस०) | प्रशिक्षण शूट्स एवं जूते |
| 5. | मे० के० हलोरी एण्ड कं० लिमि०, जापान (सीको) | टाइमिंग उपस्कर |
| 6. | मे० योनेक्स ट्रेडिंग लिमि०, जापान (योनेक्स) | बैडमिंटन कोर्ट |
| 7. | मे० पी० टी० दि फर्स्ट गरूदा शटलकाक इन्डस्ट्री, इन्डोनेशिया (गरूदा शटलकाक) | शटल काक्स |
| 8. | मे० तमासू कम्पनी लिमि०, जापान | टेबल टेनिस प्रतियोगिताओं के लिए टेबल |
| 9. | मे० स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्राइवेट लिमि० इण्डिया (उनलस स्पोर्ट्स बाल्स) | लानटेनिस बाल्स |
| 10. | मे० बजाज एंड कं० नई दिल्ली (भारत) | मुक्केबाजी रिंग |
| 11. | मे० जगतजीत इन्डस्ट्री, लिमि०, इण्डिया | माल्टोवा हेल्थ ड्रिंक्स |
| 12. | मे० फ्रेंड्स पेन स्टोर्स, इण्डिया | बाल पेन्स |
| 13. | मे० एटलस साइकल्स इन्डस्ट्रीज लिमि० | साइकलें |
| 14. | मे० डी० एम० सेल्स प्रमोटर्स, इण्डिया | स्टीकर्स |
| 15. | मे० एवरी इण्डिया लिमि० | वेइंग मशीनें |
| 16. | मे० हिन्दुस्तान लीवर लिमि० | कासमेटिक्स |
| 17. | मे० रोलेक्स होजरी | स्पोटर्स वियर |
| 18. | मे० नियो नावल्टीज | की चेन्स एवं डेस्क सेट्स |

## भारत उत्सव (यू० के०) 1982

2379. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत उत्सव (यू० के०) 1982 पर मई, 1982 तक कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ख) इस उत्सव का उद्देश्य क्या है और किस सीमा तक उद्देश्य पूरा हुआ है;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहाँ इससे पहले ऐसे उत्सवों का आयोजन किया गया है और उन उत्सवों का ब्यौरा क्या था तथा उन पर कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(घ) क्या विश्व की अन्य राजधानियों में भी ऐसे उत्सवों के आयोजन का विचार है ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :** (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) भारत उत्सव, यू० के० के लोगों विशेषकर, भारतीय मूल के लोगों की दूसरी और तीसरी पीढ़ी के बीच एक प्राचीनतम सजीव सभ्यता के रूप में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता पैदा करेगा। यह, विशेष रूप से, सांस्कृतिक पर्यटन और व्यापार के क्षेत्र में भी रुचि पैदा करेगा। उत्सव अभी भी चल रहा है और यह नवम्बर, 1982 में समाप्त होगा ।

(ग) इस किस्म का भारतीय संस्कृति और कला उत्सव इससे पहले किसी अन्य देश में आयोजित नहीं किया गया है ।

(घ) श्रीमान, इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

### खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में संशोधन

2380. **श्री के० लकप्पा**
**श्री गुफाराज आजम** } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो संभावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे खाद्य अपमिश्रण रोकने में कहां तक सहायता मिलेगी ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) :** (क) जी हां। केन्द्रीय खाद्य मानक समिति की खाद्य विधि कार्यान्वियन उप-समिति ने व्यापार, उद्योग और अन्य स्रोतों आदि से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में कतिपय संशोधन करने का सुझाव दिया है।

(ख) केन्द्रीय खाद्य मानक समिति द्वारा उप-समिति के प्रस्तावों पर विचार किए जाने के बाद ही संशोधनों को अन्तिम रूप दिया जा सकेगा ।

(ग) इस सम्बन्ध में इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता।

### रेल गाड़ियों की छतों पर यात्रा करते मारे गए व्यक्ति

2381. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या रेलमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान रेल गाड़ियों की छतों पर यात्रा करते हुए अब तक मारे गये व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** 30-6-82 को समाप्त होने वाली 3 वर्ष की अवधि के दौरान 90 व्यक्तियों की मृत्यु होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

## भारत की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बारे में पाकिस्तानी समाचार-पत्रों द्वारा प्रचार

2382. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पाकिस्तान के कुछ समाचार-पत्रों में प्रकाशित आधारहीन समाचारों की ओर दिलाया गया है जिसमें भारत से आने वाले यात्रियों के उद्देश्य और भारत का सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में लिखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इन समाचारों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस बीच पाकिस्तान सरकार को विरोध पत्र भेज दिया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

**विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) भारत ने इस अनुसूचित वक्तव्य पर पाकिस्तान सरकार से दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों स्थानों पर कड़ा विरोध प्रकट किया । पाकिस्तानी राजदूत ने पाकिस्तान टाइम्स (23 अगस्त, 1981) के सम्पादक को लिखे एक पत्र में खेद व्यक्त किया, जिसमें कहा गया था, "भारत में मुसलमानों की हालत के बारे में पत्र में की गई टिप्पणी से भारत का अनजाने में अपमान किया गया है ।" फिर भी इस्लामाबाद स्थित हमारे राजदूतावास द्वारा सही स्थिति बताने के लिए जारी की गई अनेक प्रेस विज्ञप्तियों के बावजूद पाकिस्तानी समाचार-पत्र हमेशा अपने पुराने ढर्रे पर ही समाचार छाप रहे हैं ।

## साक्षरता का राज्य-वार अनुपात

2383. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री देश भर में निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा लागू करने के बारे में 25 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5215 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय साक्षरता की तुलना में इस समय साक्षरता का राज्य-वार अनुपात कितना है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश को परामर्श दिया जा रहा है कि छठी कक्षा से आठवीं कक्षा तक के लड़कों की शिक्षा भी निःशुल्क कर दी जाए;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या संविधान के अनुच्छेद 45 के निदेश के अनुसणरण में आठवीं कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य करने और प्राथमिक शिक्षा तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा करने का विचार है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) 1947 के सारक्षता के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । दो विवरण, एक 1981 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार अनुपात दर्शाने वाला विवरण तथा दूसरा 1951 की जनगणना के अनुसार साक्षरता को दर्शाने वाला विवरण, संलग्न है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) उत्तर प्रदेश में VI-VIII कक्षाओं में लड़कों की शिक्षा को छोड़कर सब जगह VIII कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क है ।

अनेक मामलों में दाखिला न लेने के कारण सामाजिक आर्थिक हैं । ऐसी स्थिति में वैधानिक बाध्यता अधिक प्रभावी सिद्ध नहीं होगी । अतः अन्य तरीकों से सर्वसुलभता प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है ।

अधिकांश राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पहले ही प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा है ।

## विवरण-I

1951 की *जनगणना के अनुसार साक्षरता का राजय-वार अनुपात
(0 से 4 की आयु की जनसंख्या सहित)

| भारत/राज्य/संघ शासित क्षेत्र | | 1951 की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता में साक्षर |
|---|---|---|
| भारत | | 16.6** |
| | राज्य | |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 13.2 |
| 2. | असम | 18.3 |
| 3. | बिहार | 12.2 |
| 4. | गुजरात | 23.0 |
| 5. | जम्मू और कश्मीर | उपलब्ध नहीं |
| 6. | केरल | 40.7 |
| 7. | मध्य प्रदेश | 9.8 |
| 8. | मद्रास | 20.8 |
| 9. | महाराष्ट्र | 20.9 |
| 10. | मैसूर | 19.3 |
| 11. | उड़ीसा | 15.8 |
| 12. | पंजाब | 15.2 |
| 13. | राजस्थान | 8.9 |
| 14. | उत्तर प्रदेश | 10.8 |
| 15. | पश्चिमी बंगाल | 24.0 |

* 1951 की जनगणना के आंकड़े 1951 की जनगणना में विद्यमान राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं ।

** जम्मू और काश्मीर, पाण्डिचेरी तथा उत्तर-पूर्वी फ्रन्टिर एजेन्सी की जनसंख्या को छोड़कर ।

| | | |
|---|---|---|
| | संघ शासित क्षेत्र | |
| 1. | अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह | 25.8 |
| 2. | दिल्ली | 38.4 |
| 3. | लक्षद्वीप, मिनीकाय तथा अमीनदवी द्वीपसमूह | 15.2 |
| 4. | हिमाचल प्रदेश | 7.7 |
| 5. | मणिपुर | 11.4 |
| 6. | त्रिपुरा | 15.5 |
| 7. | दादर और नागर हवेली | 4.0 |
| 8. | गोवा, दमण और दीव | 22.9 |
| 9. | पाण्डिचेरी | उपलब्ध नहीं |
| 10. | उत्तरी-पूर्वी फ्रन्टियर एजेन्सी | उपलब्ध नहीं |
| 11. | नागालैण्ड | 10.4 |

## विवरण—II

1981 की* जनगणना की अनन्तिम कुल जनसंख्या के अनुसार साक्षरता का राज्य-वार अनुपात

(0 से 4 की आयु की जनसंख्या सहित)

| भारत/राज्य/संघ शासित क्षत्र | | 1981 की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुसार साक्षर |
|---|---|---|
| भारत | | 36.03 |
| | राज्य | |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 29.72 |
| 2. | असम | उपलब्ध नहीं |
| 3. | बिहार | 26.01 |
| 4. | गुजरात | 43.75 |
| 5. | हरियाणा | 36.48 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 41.94 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 26.17 |
| 8. | कर्नाटक | 38.41 |
| 9. | केरल | 69.17 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 27.82 |
| 11. | महाराष्ट्र | 47.02 |
| 12. | मणिपुर | 41.52 |

| | | |
|---|---|---|
| 13. | मेघालय | 33.35 |
| 14 | नागालैंड | 41.99 |
| 15. | उड़ीसा | 34.12 |
| 16. | पंजाब | 40.74 |
| 17. | राजस्थान | 24.05 |
| 18. | सिक्किम | 33.92 |
| 19. | तमिलनाडु | 45.78 |
| 20. | त्रिपुरा | 41.78 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 27.40 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 40.88 |
| | **संघ शासित क्षेत्र** | |
| 1. | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 51.27 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 20.09 |
| 3. | चण्डीगढ़ | 64.68 |
| 4. | दादर और नागर हवेली | 26.60 |
| 5. | दिल्ली | 61.06 |
| 6. | गोआ दमन और दीव | 55.86 |
| 7. | लक्षद्वीप | 54.72 |
| 8. | मिजोरम | 59.50 |
| 9. | पांडीचेरी | 54.07 |

* असम को छोड़कर जहां 1981 में जनगणना नहीं की गई थी ।

## सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारियों की भर्ती

2384. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बड़ी संख्या में सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारियों को नमित्तिक कर्मचारी के रूप में भर्ती कर रही है, विशेषकर लेखा विभाग में;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी जोन-वार भर्ती किए गए हैं;

(ग) इन कर्मचारियों को कितना वेतन दिया जाता है; और

(घ) क्या सरकार इन नैमित्तिक कर्मचारियों के स्थान पर सेवा आयोग के माध्यम से नियमित कर्मचारियों की भर्ती करेगी, और यदि हां, तो कब तक ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)**: (क) से (ग) दक्षिण पूर्व रेलवे पर 151 व्यक्तियों को 15/-रु० प्रतिदिन की दैनिक मजदूरी पर नियुक्त किया गया है । पूर्व रेलवे और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे को छोड़कर शेष रेलों पर कोई ऐसी नियुक्ति नहीं की गई है । पूर्व रेलवे और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) जी हां । जहां तक दक्षिण पूर्व रेलवे का संबंध है, नियमित कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक मांग-पत्र रेल सेवा आयोग, कलकत्ता के पास पहले ही भेजा जा चुका है और आयोग भर्ती के लिए व्यवस्था कर रहा है ।

**हल्दिया में ठेकेदारों द्वारा काम पर लगाए गए मजदूरों की हड़ताल**

**श्री नारायण चौबे** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में माल उतारने चढ़ाने वाले क्षेत्र में ठेकेदारों द्वारा काम पर रखे गए मजदूरों के एक वर्ग ने मई-जून 1982 में हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो हड़तालकारियों की मांगें क्या थीं;

(ग) क्या इस बीच कोई समझौता हो गया है;

(घ) समझौते की शर्त क्या हैं;

(ङ) क्या समझौता करने के लिए केन्द्र सरकार के श्रम विभाग से परामर्श किया गया था; और

(च) यह समझौता किन-किन पक्षों में हुआ ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) से (च) कुछ खास किस्म के माल को रखने उठाने के लिए विभिन्न क्लियरिंग और शिपिंग एजेंटों द्वारा हल्दिया में जनरल कारगो बर्थ पर तैनात कर्मचारियों ने 15.5.82 से काम बन्द कर दिया और इसे 5.6.82 से फिर शुरू किया था। काम बन्द करने का कारण कलकत्ता पोर्ट अथॉरटीज द्वारा रोजगार कार्यालय से 96 मजदूरों की भर्ती करना था। हड़ताली मजदूरों की यह मांग थी कि माल को रखने उठाने के लिए मजदूरों की भर्ती कलकत्ता पोर्ट अथॉरटीज को रोजगार कार्यालय के जरिये न कर उन्हीं लोगों से करनी चाहिए थी। कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट, पश्चिमी बंगाल के मुख्य सचिव और श्रम आयुक्त तथा कलकत्ता पोर्ट और तटीय मजदूर यूनियन के बीच विचार विमर्श के बाद 4.6.82 को एक समझौता हुआ। इस समझौते की मुख्य बात यह है कि पोर्ट ट्रस्ट के माल रखने उठाने वाले मजदूर जिनमें नई भर्ती के 96 लोग शामिल हैं जहाजों पर फिलहाल काम करेंगे और तट पर का काम जो विभिन्न क्लियरिंग और शिपिंग एजेंटों द्वारा हल्दिया डॉक कम्पलेक्स पर माल रखने उठाने वाले मजदूरों द्वारा किया जाता है, उसके बारे में मौजूदा व्यवस्था तीन महीने के लिए जारी रहेगी। इस बीच राज्य सरकार और संबंधित पक्षों द्वारा नौवहन और परिवहन मंत्रालय के परामर्श से एक उचित योजना तैयार की जाएगी जिससे विभिन्न क्लियरिंग और शिपिंग एजेंटों द्वारा नियुक्त मजदूरों को रोजगार दिया जा सके।

इस हड़ताल के बारे में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कलकत्ता को सूचित रखा गया जिन्होंने भी समझौता करने के लिए बैठकें कीं।

**हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में आंशिक तालाबन्दी**

2386. **श्री के०ए० राजन**
**श्री पी० राजगोपाल नायडू** } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने अपने इरेक्शन डिपार्टमेंट में 19 जून से आंशिक अनिश्चित कालीन तालाबन्दी की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)**; (क) जी हां।

(ख) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के इरेक्शन विभाग के कर्मचारी 16 जून 1982 से गैर-कानूनी हड़ताल पर चले गए। वे लोग कुछ कर्मचारियों के इरेकशन विभाग से प्री-फैबरिकेशन विभाग में तबादले के बारे में प्रशासन के निर्णय के विरुद्ध विरोध कर रहे थे। प्रशासन की कार्रवाई लेबर यूनियन और प्रशासन के बीच 24 दिसम्बर 1981 को उक्त समझौते के अनुरूप था जिसके अन्तर्गत यह स्वीकार किया गया था कि अनुभाग/प्रभाग/विभाग से दूसरे अनुभाग/प्रभाव/विभाग में कर्मचारियों के अंतरण करने का अधिकार प्रशासन को है। विरोध कर रहे कर्मचरियों को लेबर यूनियन का समर्थन नहीं प्राप्त था क्योंकि उनकी कार्रवाई करार के विरुद्ध थी। समझौता करने के सभी प्रयास विफल हो जाने के बाद प्रशासन के पास आंशिक रूप से तालाबंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया था। शिपयार्ड के प्रशासन राज्य श्रमिक विभाग और अन्य अधिकारियों के निरंतर प्रयास के बाद विरोध कर रहे कर्मचारियों के साथ 26 जून 1982 को एक समझौता हुआ। इन कर्मचारियों ने यह स्वीकार किया कि ये अपनी शिकायतें विहित पद्धति के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। उक्त करार को पालन करेंगे। इसके बाद प्रशासन ने परिस्थिति पर विचार किया और 28 जून, 1982 को तालाबंदी समाप्त कर दी।

**राजपत्रित और गैर राजपत्रित कर्मचारियों के लिए जारी किए गए सुविधा पास**

2387. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल मंत्रालय और जोनल रेलवे के राजपत्रित अधिकारियों को एक वर्ष में 'सुविधा पास' के छः सेट जारी किए जाते हैं जबकि गैर राजपत्रित कर्मचारियों को साल में सुविधा पासों' के तीन सेट जारी किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है;

(ग) क्या भेदभाव दूर करने की दृष्टि से गैर राजपत्रित कर्मचारियों को राजपत्रित कर्मचारियों की तरह सुविधा पास के छः सेट जारी किये जाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)**: (क) से (घ) रेलों पर कार्य करने वाले राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए "सुविधा पासों" का मौजूदा मानदण्ड निम्नलिखित है :—

| कर्मचारियों की कोटि | प्रति वर्ष स्वीकार्य सेटों की संख्या |
|---|---|
| 1. राजपत्रित अधिकारी (नियुक्ति की तारीख से) | 6 सेट |
| 2. अराजपत्रित | |
| (i) 5 वर्ष की सेवा तक | 1 सेट |
| (ii) 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात | 3 सेट |

राजपत्रित कर्मचारियों की तुलना में अराजपत्रित कर्मचारियों को सुविधा पास देने में एकरूपता लाने के प्रश्न की समीक्षा की गयी थी परन्तु रेलों में स्थान की कमी को ध्यान में रखते हुए सुविधा पासों को और उदार करने का औचित्य नहीं समझा गया ।

**पूछताछ आरक्षण लिपि के पद पर विभागीय पदोन्नति**

2388. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के इलाहाबाद मंडलीय कार्यालय में पूछताछ व आरक्षण लिपिक के पदों पर नियुक्ति के लिए विभागीय कर्मचारियों का दिसम्बर, 1981 में साक्षात्कार लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो जिन कर्मचारियों का साक्षात्कार लिया गया और जिनका चयन किया गया उनकी वरिष्ठता और शैक्षणिक योग्यताओं का ब्यौरा क्या है और उनमें अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस चयन में वरिष्ठ कर्मचारियों की उपेक्षा कर दी गई जबकि कनिष्ठ तथा अनुभवहीन कर्मचारियों को पेनल में शामिल किया गया;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है;

(ङ) क्या इसको ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इस पेनल को रद्द करने अथवा पेनल में वरिष्ठ तथा अनुभवी कर्मचारियों को शामिल करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) जी हां, किन्तु साक्षात्कार जनवरी, 1982 में हुए थे ।

(ख) संलग्न विवरण में ब्यौरा दिया गया है । साक्षात्कार में शामिल होने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों की संख्या 6 है जिनमें से 5 चुन लिए गए हैं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 4309/82]

(ग) जी नहीं ।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता ।

**हिन्दी टाइपिस्टों की वरिष्ठता**

2389. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा में 1975-76 में खपाये गये हिन्दी टाइपिस्टों को उन कनिष्ठ तदर्थ लिपिकों द्वारा अधिग्रहण कराये जाने का विचार है जो बाद में जोनल रेलवेज से आये और उन्हें इन हिन्दी टाइपिस्टों की तुलना में वरिष्ठ बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ तो उस को क्यका रणहैं

(ग) क्या बोर्ड में 1975-76 के हिन्दी टाइपिस्टों की वरिष्ठता की तारीख उनकी नियुक्ति की तारीख से और 7 फरवरी, 1981 से बोर्ड में खपाये गये जोनल रेलवेज के लिपिकों की तुलना में पहले निश्चित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी वरीयता किस तारीख से निश्चित की जा रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री** (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) क्षेत्रीय रेलों इत्यादि पर कार्यरत कुछ कनिष्ठ श्रेणी लिपिक जिन्हें कार्य की आवश्यकता को देखते हुए रेलवे बोर्ड के कार्यालय में तदर्थ आधार पर भर्ती किया गया था और जिन्होंने तीन साल की लगातार सेवा पूरी कर ली थी, उन्हें 7 फरवरी, 1981 से रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा में इस शर्त पर समाहित कर लिया गया था कि उन्हें कतिपय शर्तें स्वीकार/पूरी करनी पड़ेंगी। रेलवे बोर्ड में 1975-76 में तदर्थ आधार पर नियुक्त हिन्दी टाइपिस्टों को भी पहले उत्तर रेलवे पर 1 नवम्बर, 1980 से समाहित किया गया था और तदनन्तर उन्हें एक विशेष मामले के तौर पर, 18 नवम्बर, 1981 से रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा में समाहित किया गया था। रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा में हिन्दी टाइपिस्टों की वरिष्ठता निर्धारित करने के संबंध में अभी निर्णय लिया जाना है।

**मैसूर में आल इंडिया इन्स्टीच्यूट आफ स्पीच एण्ड हियरिंग की स्थापना हेतु स्थान**

2390. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसूर (कर्नाटक) में आल इंडिया इंस्टीच्यूट आफ स्पीच एण्ड हियरिंग के स्थान के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) क्या मैसूर में गूंगे और बहरों के इस समय विद्यमान संस्थान को शुरू किए जाने वाले नए संस्थान द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया जाएगा।

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री** (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) इस संस्थान की स्थापना 1965 में मैसूर में की गई थी तथा तब से यह कार्य कर रहा है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

**हिन्दी का संवर्द्धन**

2391. **श्री सुभाष यादव** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1982-83 के दौरान हिन्दी के संवर्द्धन हेतु कोई विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में इस प्रयोजन हेतु वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अन्य भाषाओं के विकास के लिये प्रत्येक राज्य में भाषावार और वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गई ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी०के० थुंगन)**: (क) और (ख) संसाधनों की कमी के कारण वर्ष 1982-83 के दौरान हिन्दी की प्रोन्नति के लिए कोई नया कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है। हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की प्रोन्नति के लिए चल रहे कार्यक्रमों पर गत तीन वर्षों में योजनावार खर्च की गई धनराशि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 4310/82]

**बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में लवाना समिति**

2392. **श्री सुभाष यादव** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के गैर अध्यापन कर्मचारियों की सेवा स्थितियों पर विचार करने के लिये नियुक्त लवाना समिति ने इस बीच सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या इस बीच सरकार ने उन सिफारिशों पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)**: (क) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त लवाना समिति ने अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रस्तुत कर दी है।

(ख) समिति की मुख्य सिफारिशों में सामूहिक बीमा योजना लागू करना; अनिवार्य सेवाओं के कर्मचारियों के लिए समान अवकाश; 450/-रुपये प्रतिमास तक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा; चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति अवसरों की व्यवस्था तथा वेतनमानों का संशोधन; ऐसे कर्मचारियों को बहाल करना जिनकी सेवायें समाप्त कर दी गई थीं और जो निलम्बित कर दिये गये थे; वरिष्ठता संबंधी नियमों का संशोधन; कार्यरत प्रयोगशाला स्टाफ के लिए उच्च वेतनमानों हेतु न्यूनतम अर्हताओं को समाप्त करना; ऐसे सभी कर्मचारी जो 19 जुलाई, 1971 से पहले नियुक्त हुए उन्हें वेतनमानों के संशोधन का लाभ प्रदान करना; प्रयोगशाला/कार्यशाला कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति संबंधी नियमों में संशोधन करना; कनिष्ठ प्रयोगशाला परिचरों की वरिष्ठ प्रयोगशाला परिचरों के रूप में पदोन्नति करना आदि शामिल हैं।

(ग) समिति क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त की गई थी; इसकी सिफारिशों पर विचार तथा इनका कार्यान्वियन, जहां भी आवश्यक हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से विश्वविद्यालय द्वारा ही किया जाना अपेक्षित है।

**काठगोदाम स्टेशन पर अतिरिक्त कर्मचारी**

2393. **श्री हरीश रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काठगोदाम स्टेशन से कितनी रेलगाड़ियां प्रतिदिन जाती हैं और कितनी आती हैं;

(ख) वहां कुल कितने लिपिकीय कर्मचारी नियुक्त हैं;

(ग) क्या प्रथम श्रेणी बुकिंग, द्वितीय श्रेणी बुकिंग और एनांउसर तथा पूछताछ काउन्टरों के लिए पृथक कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या कर्मचारियों की कमी से यात्रियों को असुविधा हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इन काउंटरों पर अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) इस समय काठगोदाम स्टेशन से प्रतिदिन चार जोड़ी गाड़ियां अर्थात् 7/8 नैनीताल एक्सप्रैस, 11/12 कुमायूं एक्सप्रैस, 101/102 मिश्रित पैसेंजर और 103/104 पैसेंजर गाड़ियां बनकर चलती हैं और यहीं आकर समाप्त होती हैं ।

(ख) और (ग) काठगोदाम स्टेशन पर वाणिज्य विभाग के तैनात कर्मचारियों की कुल संख्या 12 है। पहले दर्जे तथा दूसरे दर्जे के टिकटों की बुकिंग के लिए अलग से कर्मचारियों की व्यवस्था की गयी है। पूछताछ तथा लाउड स्पीकर द्वारा घोषणा आदि करने के लिए मिश्रित कर्मचारी हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

### लखनऊ रेलवे स्टेशन पर चोरियां

2394. **श्री हरीश रावत :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1981 और जनवरी, 1982 के दौरान लखनऊ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के सामान की कितनी चोरियाँ हुईं, जिनकी शिकायतें लखनऊ रेलवे पुलिस अथवा काठगोदाम रेलवे पुलिस के पास दर्ज कराई गईं; और

(ख) कितनी चोरियों के मामलों में अपराधियों को पकड़ा गया ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) दिसम्बर, 1981 और जनवरी, 82 के दौरान यात्रियों के सामान की चोरियों के क्रमश: 52 और 47 मामलों की रिपोर्ट की गयी और राजकीय रेलवे पुलिस थाना लखनऊ द्वारा इन मामलों को दर्ज किया गया था। जनवरी, 1982 में हुए मामलों में से एक मामले में यद्यपि अपराध चारबाग रेलवे स्टेशन पर किया गया था, किन्तु इसकी रिपोट राजकीय रेलवे पुलिस थाना, काठगोदाम में दर्ज कराई गयी थी।

(ख) इन में से 11 मामलों में दोषियों को पकड़ लिया गया था ।

### पोर्ट ब्लेयर बन्दरगाह का विस्तार

2395. **श्री हरीश रावत :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्ट ब्लेयर बन्दरगाह को सुदृढ़ करने और इसका विस्तार करने के प्रस्ताव को सरकार ने इस बीच स्वीकृत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कुल कितना परिव्यय मंजूर किया गया है और यह खर्चा किए जाने के बाद बन्दरगाह की क्षमता किस सीमा तक बढ़ने की सम्भावना है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) जी, हां।

(ख) 678.31 लाख रुपये की अनुमानित लागत से निम्नलिखित कार्यों को अनुमोदित किया गया है। इन कार्यों के पूरे होने के बाद पत्तन की क्षमता में निम्नलिखित वृद्धि होगी:—

(i) होप टाउन में डीप वाटर वाह्‌र्फ पर 1.34 लाख टन अतिरिक्त जनरल कारगो उतारा चढ़ाया जा सकेगा जिसमें होप-टाउन के प्रस्तावित थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए लकड़ी और कोयला भी शामिल है।

(ii) अन्तर-द्वीपीय जलयानों के लिए फोमनिकुस खाड़ी में 130 मीटर लम्बे अतिरिक्त बर्थिंग स्थान का उपलब्ध होना।

(iii) मौजूदा प्रथम वाह्‌र्फ में 35 मीटर की वृद्धि।

(iv) जंगलीघाट के जेट्टी पर 18 अतिरिक्त फेरी नावों के लिए व्यवस्था। जैसी सहायक सुविधाओं का उपलब्ध होना।

(v) हड्डू वाह्‌र्फ पर वाह्‌र्फ क्रेन ट्रांजीट शेड और विकसित विद्युत व्यवस्था।

(vi) 3.5 मीटर डुबाव के सभी अन्तर द्वीपीय जलयानों के मरम्मत और वार्षिक अनुरक्षण कार्य के लिए ड्राई डाक।

## पिथौरागढ़ में रेल एवं सड़क बुकिंग कार्यालय

2396. **श्री हरीश रावत :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिथौरागढ़ में रेल एवं सड़क बुकिंग कार्यालय खोलने और पिथौरागढ़ जिले (उत्तर प्रदेश) के यात्रियों की सुविधा के लिए वहां टनकपुर-लखनऊ ट्रेन में दस थ्री-टियर और प्रथम श्रेणी में चार वर्गों के आरक्षण की सुविधा देने के प्रस्ताव को स्वीकार करने में देरी के क्या कारण हैं;

(ख) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि टनकपुर से लखनऊ आने वाले अधिकांश यात्री पिथौरागढ़ से आते हैं और टनकपुर, जहां आरक्षण सुविधा उपलब्ध है, की दूरी पिथौरागढ़ से लगभग 150 कि०मी० है जिसके परिणामस्वरूप पिथौरागढ़ के लोगों को आवश्यक लाभ नहीं मिल पाता है; और

(ग) यदि हां, तो पिथौरागढ़ में रेल एवं सड़क बुकिंग कार्यालय कब तक खोला जायेगा ?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (ग) पिथौरागढ़ आउट एजेन्सी में यात्री बुकिंग सुविधाओं की व्यवस्था करना रेलों के लिए सम्भव नहीं पाया गया है, क्योंकि मौजूदा ठेकेदार, अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, ने इस काम को करने के लिए अपनी रजामन्दी व्यक्त नहीं की है।

## मंदी की स्थितियों पर काबू पाने में सहायता हेतु नौवहन उद्योग की मांगें

2397. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने चालू मदों की स्थितियों पर काबू पाने के लिए व्यापक सहायता हेतु नौवहन उद्योग की मांगों का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिए जाने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि नौवहन उद्योग का एक शिष्ट मण्डल अपनी मांगों पर जोर देने के लिए जून मास में प्रधान मंत्री से मिला था;

(घ) यदि हां, तो विचार-विमर्श के क्या परिणाम रहे और क्या मन्त्रालय के साथ इस प्रश्न को फिर उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो उससे मुख्य परिणाम क्या निकला है ?

**नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) जी नहीं ? अभी हाल ही की मंदी को देखते हुए इंडियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन द्वारा वित्तीय सहायता के लिये दिये गये अभ्यावेदन की नौवहन और परिवहन मंत्रालय, वित्त मन्त्रालय के परामर्श से जांच कर रहा हैं।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) इंडियन नेशनल शिपओनर्स एसोसियेशन के शिष्ट मण्डल ने अपना मामला प्रधानमन्त्री के सामने रखा था। चूंकि सरकार इस मामले पर पहले ही विचार कर रही है, इसलिए पुन: विचार करने का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

**देशीय वैगन निर्माण उद्योग के ढांचे की पुनरीक्षा**

3298. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में वैगन निर्माण करने वाले उद्योग के मूल्य ढांचे की पुनरीक्षा करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस बारे में अन्तर-मंत्रालयी समिति पेनल गठित कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इससे मूल्यों में वर्तमान विषमता के दूर करने में किस सीमा तक सहायता मिलेगी ?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां ।

(ख) चूंकि पिछला लागत अध्ययन किये हुए पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है इसलिये माल डिब्बा उद्योग की मांग के अनुसार नवीन लागत परीक्षण आवश्यक समझा गया था ।

(ग) रेल माल-डिब्बों के लिए एक मूल्यांकन समिति नियुक्त कर दी गयी है ।

(घ) मूल्य संरचना प्रत्येक माल-डिब्बा निर्माता द्वारा उपगत वास्तविक अनुमति लागत तथा समिति द्वारा प्रस्तुत लाभ के मान-दण्डों तथा ऊपरी खर्चों पर निर्भर करेगी ।

### भारतीय नौवहन कम्पनियों के लिए पर्याप्त माल

2399. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन मंत्रालय भारतीय जहाजरानी कम्पनियों को पर्याप्त माल देने के लिए पूरे प्रयास कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी विभागों को केवल भारतीय नौवहन कम्पनियों से अपना माल बुक कराने हेतु राजी करने के लिए अनेक अन्तर मंत्रालयीन बैठकें आयोजित की गई थीं;

(ग) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का य०के० महाद्वीप से आयात किए जाने वाले सभी सामान की भारतीय जहाजरानी से बुक करने की सलाह दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो उनका मंत्रालय भारतीय जाहाजरानी कम्पनियों की सहायता करने के लिए किन उपायों पर विचार कर रहा है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार की अपनी/नियंत्रित कार्गो के संबंध में सरकार की प्रायः यह नीति है कि सरकार कार्गो को फ्री आन बोर्ड (एफ०ओ०बी०) आधार पर खरीदेगा और कोस्ट एण्ड फ्राइट (सी० एण्ड एफ० आधार पर बेचेगा। इस संबंध में पहले से ही अनुदेश हैं और उन्हें समय-समय पर याद दिलाया जाता है। भारतीय जहाजों की उपयोगिता के बारे में स्थिति की पुनरीक्षा समय-समय पर एक स्थायी समिति द्वारा की जाती है। इस समिति में जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो सरकारी उपक्रमों के प्रतिनिधि आदि होते हैं।

भारतीय नौवहन कम्पनियों के लिए कार्गो मांगने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) कार्गो मांगने के लिए भारतीय लाइनों द्वारा प्रोत्साहन प्रयास किए जा रहे हैं और शिपर्स फ्राइट ब्रोकर और अन्य मध्यस्थ एजेंटों से संपर्क स्थापित करना।

(2) भारतीय नौवहन निगम, सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कं० और इण्डिया स्टीमशिप ने मौजूदा ब्रेक बल्क सेवाओं के अलावा इण्डिया-यू०के० सेक्टर में परिचालन के लिए कंटेनर संकाय बनाया है।

(3) सरकारी उपक्रमों को कहा गया है कि वे जहां तक संभव हो सके यह सुनिश्चित करें कि अधिक से अधिक कार्गो को ढुलाई भारतीय लाइनों द्वारा ही की जाती है।

(4) मुख्य रूप से यह निर्णय किया गया है कि मध्यस्थ नौवहन एजेंट अर्थात् नौवहन/स्टीमर एजेंट, फ्राइट फारवार्ड्स, फ्राइट ब्रोकर्स आदि को लाइसेंस दिया जाय।

### नेहरू युवक केन्द्रों के लिए निगम

2400. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने नेहरू युवक केन्द्रों को सुदृढ़ बनाने तथा जिला और खण्ड स्तरों पर उन्हें प्रभावी बनाने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है;

(ग) क्या सरकार इन युवक केन्द्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए किसी स्वतन्त्र निगम अथवा बोर्ड का गठन करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**शिक्षा और संस्कृति समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** (क) से (घ) नेहरू युवक केन्द्रों के कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने और इसे एक समुचित संगठनात्मक स्वरूप प्रदान करने से संबंधित प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

**विकलांग व्यक्तियों की स्थिति पर विचार करने के लिए बोर्ड स्थापित करना**

2401. **श्री एन० डेनिस :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग व्यक्तियों की स्थिति पर विचार करने के लिए कोई बोर्ड कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में एक बोर्ड स्थापित करने के लिए आगे आएगी ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) :** (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय विकलांगों वर्ष के सम्बन्ध में अप्रैल, 1980 में एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई थी। इसके स्थान पर विकलांगों के लिए एक स्थायी परिषद् के गठन पर सरकार विचार कर रही है ।

**कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति**

2402. **श्री एन० डेनिस :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुष्ठ रोग से पीड़ित (1) वृद्ध व्यक्तियों, (2) पुरुषों (3) महिलाओं और (4) बच्चों की राज्यवार संख्या का पता लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) :** (क) देश में कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों, विशेष रूप से वृद्ध व्यक्तियों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की राज्यवार संख्या पता लगाने के लिए कोई जांच नहीं की गई है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

## 'विशेष संघटक योजना' के अधीन अनुसूचित जाति के लोगों का कल्याण और विकास

2403. **श्री सूरज भान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में वर्ष 1980-81 और 1981-82 के लिए अलग-अलग अनुसूचित जाति के लोगों को कल्याण और विकास हेतु 'विशेष संघटक योजना' के अधीन कुल कितनी धन-राशि का प्रावधान किया गया है;

(ख) उक्त योजना के अधीन उक्त दो वर्षों में प्रत्येक अलग-अलग वास्तव में कितनी धन-राशि खर्च की गई; और

(ग) प्रत्येक वर्ष में खर्च न किये जाने अथवा कम खर्च के लिए जाने के क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) भारतीय रेलों पर ऐसी कोई योजना नहीं तैयार की गयी है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

## एकल प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने का निर्णय

2404. **श्री पी० राजगोपाल नायडु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड वित्तीय प्रतियोगी परीक्षा को समाप्त कर रहा है और अखिल भारतीय आधार पर केवल एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली को कब अपनाया जायेगा ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मलिकार्जुन):** (क) और (ख) यह विनिश्चय किया गया है कि सभी रेल सेवा आयोग कर्मचारियों की गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियों में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा एक ही तारीख को लेंगे। चालू वर्ष के लिए लिखित परीक्षा 28-11-1982 को लेने का प्रस्ताव है।

## लाइसेंस प्राप्त कुलियों के लिए आरामगाहें

2405. **श्रीमती ऊषा वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा छावनी, ग्वालियर, भोपाल, झांसी, नागपुर, दादर, बम्बई सेंट्रल, शाहजहानपुर, टूंडला, इटावा, फिरोजाबाद और भरतपुर के लाइसेंस प्राप्त कुली तत्काल आवश्यक नागरिक सुविधाओं वाली आरामगाहों का तत्काल निर्माण करने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन स्टेशनों पर कब तक आरामगाहों की व्यवस्था कर दी जायेगी;

(ग) क्या पिछले वर्षों के दौरान कार्यक्रम के अधीन अनेक स्टेशनों पर आरामगाहों का निर्माण कार्य शुरू किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उन स्टेशनों के नाम क्या हैं और निर्माण कार्यक्रम में इस कार्य को शामिल किये जाने के बावजूद आरामगाहों का निर्माण न किये जाने के क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

## रेलवे फाटक पर दुर्घटना

2406. **डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1982 की स्थिति के अनुसार विभिन्न भारतीय रेलों में रेलवे फाटकों की कुल संख्या क्या है जो बिना चौकीदार के हैं और जिन पर चौकीदार नियुक्त है;

(ख) जनवरी, 1981 से दिसम्बर, 1981 और जनवरी 1982 से जून 1982 तक उपरोक्त दोनों श्रेणियों के कितने रेल फाटकों पर चौकीदार नियुक्त किये गये या उन्हें स्वचालित बनाया गया;

(ग) रेल फाटकों पर 1981 और 1982 (जून के अन्त तक) में हुई दुर्घटनाओं की कुल संख्या क्या है;

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान कितने लोगों की जानें गईं और दुर्घटनाओं और नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी राशि दी गई; और

(ङ) छठी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान लोगों की जान बचाने और नुकसान को रोकने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं ?

**रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) से (ङ) रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

## दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर आरक्षण सूची लगाना

2407. **श्री राम अवध : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश स्टेशनों पर यात्री आरक्षण सूची, गाड़ी पहुंच जाने के काफी समय बाद लगाई जाती है, जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को अत्यधिक असुविधा होती है;

(ख) क्या दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों पर भी उसी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है तथा यात्रियों को सही जानकारी देने के लिए प्लेटफार्म पर कोई भी अधिकारी उपलब्ध नहीं होता; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कार्यवाही करेगी ?

**रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) से (ग) गाड़ियों के निर्धारित प्रस्थान समय से एक घंटा पूर्व आरक्षण चार्टों का प्रदर्शन अपेक्षित होता है। गाड़ी कंडक्टर और अन्य कर्मचारी जिन्हें महत्वपूर्ण स्टेशन पर गाड़ी रवाना होने के ठीक समय से 30 मिनट पहले अपने बूथों पर उपस्थित रहना जरूरी होता है, यात्रियों की सहायता करने के लिए प्लेट फार्म पर मौजूद होते हैं।

## पिछले वर्ष के दौरान खोले गए आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधालय

2408. **श्री राम अवध : क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों तथा स्थानों के नाम क्या हैं जहां पिछले एक वर्ष के दौरान आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक औषधालय खोले गए हैं और तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्योरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) :** 1981-82 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन निम्नलिखित स्थानों पर होम्योपैथिक यूनिटें खोली हैं :—

| | |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 1. कानपुर—एक<br>2. लखनऊ—एक |
| महाराष्ट्र | पुणे—एक |

पिछले वर्ष के दौरान कोई आयुर्वेदिक यूनिट खोली नहीं गई।

### हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ स्टेशनों में सुविधायें

2409. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या रेल मंत्री हनुमानगढ़ जंक्शन में यात्री यातायात के बारे में 8-4-1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7218 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या के अनुरूप यात्री सुविऍं प्रदान की गई हैं।

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) और (ख) इन स्टेशनों पर यातायात की मात्रा को देखते हुए वर्तमान सुविधाओं की व्यवस्था पर्याप्त समझी गयी है।

### बम्बई में उपनगरीय रेल गाड़ियों में खराबी और तोड़फोड़ तथा उनका रद्द किया जाना

2410. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई और जून, 1982 के दौरान मध्य रेलवे को बम्बई उपनगरीय रेल गाड़ियां कितनी बार खराब हुईं तोड़फोड़ हुईं और रद्द की गईं;

(ख) ऐसी प्रत्येक घटना का ब्यौरा क्या है और वह किन कारणों से हुईं;

(ग) क्या बिल्कुल सामान्य सेवा बरकरार है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कमियां कहां क्या हैं; और

(ङ) पर्याप्त सामान्य और कुछ सेवा बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) मई और जून 1982 के दौरान मध्य रेलवे पर उपनगरीय गाड़ी सेवाओं के ब्रेक डाउन/अस्त-व्यस्त हो जाने के कुल मिलाकर 8 मामले हुए थे।

(ख) संलग्न विवरण में ब्यौरा दिया गया है।

(ग) से (ङ) 21-6-82 को हुए आन्दोलन के कारण सेवाओं के लिए रेकों की उपलब्धता में कमी आयी जिसके परिणामस्वरूप 37 गाड़ियां अस्थायी रूप से रद्द की गयीं। क्षतिग्रस्त रेकों की पूरी तरह मरम्मत और बदलाव के बाद गाड़ी सेवाओं में सुधार हो जायेगा।

## विवरण

| तारीख | कारण | प्रभावित गाड़ियां |
|---|---|---|
| 9-5-82 | सड़क यातायात अवरुद्ध हो जाने के कारण विखरोली फाटक के खोलने में विलम्ब के कारण दैनिक यात्रियों द्वारा आन्दोलन । | 21 गाड़ियां विलम्ब से चलीं तथा 9 गाड़ियां रद्द की गयीं । |
| 12-5-82 | डाउन हार्बर लाइन पर आई एम पी बांड सामग्रियों की चोरी के कारण अस्त-व्यस्तता । | 27 गाड़ियां विलम्ब से चलीं तथा 27 रद्द की गयीं । |
| 31-5-82 | डाउन हार्बर लाइन पर शिरोपरि तारों का काटा जाना । | 41 गाड़ियां विलम्ब से चलीं तथा 44 गाड़ियां रद्द की गयीं । |
| 5-6-82 | माटुंगा के निकट विद्युतग्राही तारों का शिरोपरि तारों से उलझने के कारण अस्त-व्यस्तता । | 62 गाड़ियां विलम्ब से चलीं तथा 82 गाड़ियां रद्द की गयीं । |
| 12-6-82 | सायन और माटुंगा के बीच टी-50 अप स्थानीय गाड़ी खराब हो जाने के कारण आन्दोलन । | 102 गाड़ियां विलम्ब से चलीं तथा 65 गाड़ियां रद्द की गयीं । |
| 19-6-82 | स्थानीय गाड़ी के विद्युतग्राही तार क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण इसके दैनिक यात्रियों द्वारा करजत में आन्दोलन । | 42 गाड़ियां विलम्ब से चलीं तथा 27 गाड़ियां रद्द की गयीं । |
| 19-6-82 | कुर्ला के निकट शिरोपरि तार खराब हो जाने के कारण आन्दोलन । | 99 गाड़ियां विलम्ब से चलीं तथा 37 गाड़ियां रद्द की गयीं । |
| 21-6-82 | घाटकोपर के निकट स्थानीय गाड़ी की रुकौनी के कारण आन्दोलन । | 43 गाड़ियां विलम्ब से चलीं तथा 135 गाड़ियां रद्द की गयीं । |

### 19 जून, 1982 को हुई बैठक में लिया गया निर्णय

2411. श्री उत्तमभाई एच० पटेल
श्री के० एम० मूर्ति
श्री एम०बी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री भीकू राम जैन
श्रीमती संयोगिता राणे
श्री नवीन खाणी

: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 जून, 1982 को दिल्ली में शीर्ष उद्योगपतियों और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच आयोजित बैठक में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए और निर्णय लिए गए;

(ख) यदि हां, तो इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और उन्होंने क्या निर्णय लिए;

(ग) इन पर प्रेस, जनता और सरकार तथा कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) उन कर्मचारियों को (पुरुष और महिला) कैसे और कब उक्त लाभ दिए जाएंगे जो दो बच्चों के जन्म के बाद अपनी नसबंदी कराते हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)**: (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा विवरण I और II में दिया गया है।

(ग) इस समाचार को समाचार-पत्रों ने विस्तार से छापा है।

(घ) अधिकांश सुझावों पर प्रत्येक औद्योगिक गृहों/यूनिटों द्वारा कार्रवाई की जानी है।

## विवरण-I

**19 जून 1982 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में उद्योगपतियों के साथ हुई बैठक में भाग लेने वालों की सूची**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

1. डा० एस० एस० सिद्धू
2. श्री जे० एस० बैजल
3. श्री आर० नटराजन
4. श्री आर० आर० गुप्ता
5. श्री कृपा सागर

**उद्योग-गृहों/उद्योग संघों के प्रतिनिधि**

1. श्री के० एन० मोदी
2. श्री एस० पी० गोदरेज
3. श्री एम० एल० खन्डेलिया
4. श्री सुरजीत गुप्ता
5. श्री जी० एस० मेहता
6. श्री आर० एम० नायर
7. श्री डी० सी० डगोरिया
8. श्री पी० एम० सिन्हा
9. श्री ए० चौधरी

10. श्री के० वी० राधाकृष्णन
11. श्री वी० एच० डालमिया
12. श्री एम० आर० नागराजा
13. डा० सी० एल० जावेरी
14. श्री बी० के० भल्ला
15. श्री जोसेफ टासिल

## विवरण-II

**19 जून, 1982 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में हुई देश के बड़े-बड़े उद्योगपतियों की बैठक**

इस बैठक में जिन बातों पर एकमत रहा वे इस प्रकार हैं :—

1. प्रत्येक उद्योग ग्रुप का अध्यक्ष सभी स्तरों के प्रबन्धकों से निवेदन करेगा कि वे सभी कर्मचारियों में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिये वचनबद्ध हो जाएं।
2. प्रबन्ध के वरिष्ठतम स्तर पर एक "केन्द्र" बिन्दु स्थापित किया जाये जहां से सभी स्तरों पर छोटे परिवार के सिद्धान्त को क्रियान्वित करने के लिए कार्यवाही की जा सके और इसमें हुई प्रगति की मानिटरिंग की जा सके।
3. वर्तमान क्लिनिकों में तथा/अथवा शिविर लगाकर क्लिनिकी सेवाएं उपलब्ध की जाएं।
4. प्रत्येक स्तर पर कार्यकर्ताओं में से एक को प्रेरक निश्चित किया जाए तथा उसे कर्मचारियों को समझाने-बुझाने में प्रशिक्षित किया जाए तथा उसे इस प्रयोजन के लिए विशेष वेतन के रूप में अथवा अन्यथा उपयुक्त पुरस्कार दिए जाएं।
5. स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य संदेशों तथा उपयुक्त कक्षाओं के माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की सतत और निरन्तर शिक्षा दी जाए।
6. प्रत्येक उपयोग ग्रहों की कालोनियों में विशेष क्लिनिक खोले जाएं तथा इन कालोनियों में प्रेरणा सम्बन्धी कार्य किए जाएं।
7. जहां कोई कालोनी नहीं है, वहां पर सम्बन्धित उद्योग, इस राष्ट्रीय कार्य को करने के लिए या तो किसी गंदी बस्ती अथवा किसी गांव को अपना लें।
8. दो बच्चों के बाद परिवार नियोजन का स्थायी तरीका अपनाने वाले प्रत्येक कर्मचारी को अतिरिक्त बोनस, विशेष होलिडे प्लानज, नकद भत्ता, वेतन वृद्धि आदि दिए जाएं।
9. उद्योग यूनिटों में प्रतियोगिता की भावना को बढ़ावा देने के लिए हर उद्योग गृह अथवा ग्रुप के यूनिटों को अच्छा कार्य करने के लिए आन्तरिक रूप से पुरस्कार दिए जाएं।

10. किसी भी खास-खास स्तर के कर्मचारियों समूहों को, जहां पात्र दम्पत्तियों के बीच सुरक्षित दम्पत्तियों का अनुपात काफी अधिक हो, सामूहिक प्रोत्साहन देने के बारे में सोचा जा सकता है।

11. राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक/वाणिज्यिक गृहों को परिवार नियोजन को बढ़ावा देने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने के निमित्त प्रमाणपत्र देने के बारे में विचार किया जाए।

**बाड़मेर सीमा से पाकिस्तान के लिए गाड़ी चलाना**

2412. **श्री अशोक गहलोत :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बाड़मेर सीमा से पाकिस्तान के लिए गाड़ी चलाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में विदेश मंत्रालय के साथ परामर्श किस स्थिति में है; और

(ग) क्या इस मामले में पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत हुई है ;

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (ग) खोकारोपड़— मुनाबाव रेल मार्ग को फिर से खोलने के लिए भारत सरकार ने विगत में विभिन्न अवसरों पर पाकिस्तान सरकार से पत्र-व्यवहार किया है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान सरकार से कोई संतोषप्रद उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

**केशोली में फ्लैग स्टेशन की स्थापना**

2413. **श्री चतुर्भुज :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा बीना लाइन पर सालपुरा और छबड़ा रेलवे स्टेशनों के बीच के क्षेत्र के लोगों ने रेल विभाग से मांग की है कि केशोली नाम के एक नये फ्लैग स्टेशन की स्थापना की जाए और इस बारे में रेल विभाग की शर्तें पूरी करने का आश्वासन दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त स्टेशन की स्थापना करने के लिए इस बीच कोई सर्वेक्षण किया गया है और उपरोक्त स्टेशन कब से चालू हो जायेगा तथा इसमें विम्लब के क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)**: (क) जी हां।

(ख) सालपुरा और चाबरा स्टेशनों के बीच केशोली ग्राम में एक हाल्ट स्टेशन खोलने के प्रस्ताव की जांच करायी गयी है लेकिन परिचालनिक दृष्टि से इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।

**कोटा-बीना लाइन पर मई-जून, 1982 के दौरान यात्री गाड़ियों का समय पर आना-जाना**

2414. **श्री चतुर्भुज :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा-बीना रेल लाइन पर मई और जून 1982 के दौरान चलने वाली यात्री गाड़ियां औसतन कितनी बार समय पर आईं और गईं; और

(ख) इन दो महीनों के दौरान गाड़ियां कोटा और बीना स्टेशन कितने दिन समय पर पहुंचीं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क)** कोटा-बीना यात्री गाड़ियों की समय पाबन्दी मई, 1982 में 58.9% थी और जून, 1982 में 60.8%।

(ख) मई और जून, 1982 के दौरान ये गाड़ियां कोटा में क्रमशः 47 और 40 अवसरों पर और बीना में 26 और 27 अवसरों पर ठीक समय पर पहुंचीं।

**सड़क परिवहन संस्थान की स्थापना**

2415. **श्री निहाल सिंह :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय आधार पर सड़क परिवहन संबंधी जानकारी एकत्र करने के लिए पृथक रूप से सड़क परिवहन संस्थान स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह संस्थान कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा और उसमें कुल कितने कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) :** सरकार एक राष्ट्रीय सड़क परिवहन सांख्यिकी और अनुसंधान की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

**मद्रास पत्तन भाण्डागार में आग**

2416. **श्री सुभाष चन्द्रबोस अल्लूरी :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास पत्तन पर 7 जून 1982 को लगी आग के कारण भाण्डागार जलकर राख हो गया;

(ख) क्या आग के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क)** मद्रास पत्तन पर 7.6.82 को जो आग लगी थी उससे एंकर गेट-बांडेड वेयर हाउस को भारी क्षति हुई जिसकी मरम्मत नहीं हो सकती।

(ख) और (ग) मद्रास पत्तन न्यास ने इस घटना की विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

**कीर्ति नगर से केन्द्रीय सचिवालय के लिए अतिरिक्त बसें**

2417. **श्री सज्जन कुमार :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीर्ति नगर से केन्द्रीय सचिवालय के लिए बस सेवाओं की अपर्याप्तता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) कीर्ति नगर से अलग अलग समय पर तीन अतिरिक्त बसें चलाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) :** (क) से (ग) जी, हां। कीर्तिनगर बस स्टेंड और कीर्तिनगर तथा केन्द्रीय सचिवालय के बीच चलने वाले 408, 810,820,832,860 और 910 रूटों पर मौजूदा बस सर्विस का सर्वेक्षण किया गया जिससे पता चला कि ये सर्विस पर्याप्त हैं। इसके अलावा आफिस जाने वालों की सुविधा के लिए कीर्तिनगर स्टैंड से सवेरे 8.40 बजे एक विशेष ट्रिप चलती है।

(घ) उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए तीन अतिरिक्त ट्रिपों की व्यवस्था करना जरूरी नहीं समझा गया है ।

### डी०टी०सी० के डिपुओं में बेकार पड़ी बसों की संख्या

2418. **श्री सज्जन कुमार :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी०टी०सी० डिपुओं में बहुत बड़ी संख्या में डी०टी०सी० की बसें किसी न किसी कारण से बेकार पड़ी हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो बेकार पड़ी बसों की संख्या कितनी है और उनको पुनः चलाने के लिए डी०टी०सी० क्या कार्यवाही कर रही है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी):** (क) और (ख) जी, नहीं। दिल्ली परिवहन निगम की कुल 3237 बसों में इस समय केवल 44 बसें डिपुओं में खड़ी हैं। इनमें 14 बसों की तकनीकी जांच करने के बाद पता चला है कि इनकी मरम्मत करना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है। इसलिए इन गाड़ियों को स्क्रैप करने के बारे में विचार किया जा रहा है। बाकी तीन बसों की मरम्मत की जा रही है जिनकी काफी मरम्मत की जानी अपेक्षित थी। ये बसें जल्दी ही सड़क पर आ जायेंगी।

### भारतीय जहाजरानी निगम को नया रूप देना और उसका पुनर्गठन करना

2419. **श्री जगदीश टाइटलर :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जहाजरानी निगम में मुगल लाइन के विलय के बाद इस निगम को नया रूप दिया जा रहा है और इसका पुनर्गठन किया जा रहा है;

(ख) नया रूप देने और पुनर्गठन करने का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे नया रूप देने का सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) :** (क) फजल समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौवहन निगम और मुगल लाईन लि० को नया रूप देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। परन्तु इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होता।

### रेलवे की लाइन क्षमता में वृद्धि

2420. **श्री जगदीश टाईटलर : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक ऐसा संकट उत्पन्न हो रहा है जिसके लिए यात्री और माल यातायात के सम्बन्ध में पड़ने वाले अतिरिक्त भार को वहन करने हेतु रेलवे की लाइन क्षमता में वृद्धि करने के लिए तत्काल कदम उठाने पड़ेंगे; और

(ख) यदि हां, तो संकट की इस स्थिति को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा करने का विचार है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) ट्रंक मार्ग पर लाइन क्षमता का विकास हो रहा है लेकिन इसके लिए धन उपलब्ध होना चाहिए। यह प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी। यदि योजना शीर्ष 'यातायात सुविधाएं' के अन्तर्गत अधिक धन उपलब्ध किया जाए।

### तमिलनाडु में पुरातत्व विभाग की खोज

2421. **श्री एन० डेनिस : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि गत तीन कैलेण्डर वर्षों के दौरान तमिलनाडु में केन्द्रीय पुरातत्व विभाग प्रशासन द्वारा पुरातत्व की खोजों का ब्यौरा क्या है ?

**शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन)** : गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गयी पुरातात्विक उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न है।

## विवरण

1979-81 **के दौरान तमिलनाडु में पुरातात्विक उपलब्धियां**

**वर्ष 1979**

जिला : चिंगलपट्टु

| | **स्थल का नाम** | **संक्षेप में उपलब्धियों की प्रकृति** |
|---|---|---|
| 1. | आयंगरकुलम | विजयनगर कालावधि के मंदिर। |
| 2. | अंगम्बाक्कम | अभिलेखों सहित चोल कालावधि के निर्धारित मंदिर। |
| 3. | अरापक्कम | महापाषाणी स्थल (स्तूपी घेरे) और तीर्थंकर (11वीं, 12वीं ईसा शती) तथा गणेश (17वीं, 18वीं ईसा शती) की दो अलग-थलग पड़ी मूर्तियां। |
| 4. | अवलुर | 16-17वीं ईसा शती का निर्धारित अभिलेख युक्त वीर प्रस्तर। |
| 5. | गोविन्द वाड़ी | उत्तरवर्ती चोल मंदिर। |

जारी……

| | | |
|---|---|---|
| 6. | कमगम्पल्लभ | शिव (पल्लव कालावधि) की अलग-थलग मूर्ति। |
| 7. | कम्बाराजपुरम | अभिलेख (13-14वीं शती की तमिल लिपि)। |
| 8. | कम्बाराजपुरम | प्रारंभिक माध्यकाल के मृण्पात्रों वाला मध्यकालीन स्थल। |
| 9. | कामावरिपालाइरूयम | तथैव |
| 10. | किलकट्टूर | अगस्तीश्वर नाम से अभिज्ञात शिव का उत्तरवर्ती चोल मंदिर। |
| 11. | किलकडीरपुर | प्रारंभिक मध्य काल के मृण्पात्रों वाला मध्य-कालीन स्थल। |
| 12. | किलकडीरपुर | सपत्नीक शिव की मूर्ति; 16 फलक वाले लिंग (पल्लव कालावधि)। |
| 13. | किलपेरमनल्लुर | सपत्नीक विष्णु की मूर्ति (उत्तरवर्ती चोल कालावधि)। |
| 14. | मडुर | मडुर मलाई के सिरे पर 16-17वीं ईसा शती का अभिलेख (तेलुगु भाषा)। |
| 15. | मडुर | महापाषाणी स्थल (महापाषणी तुम्ब)। |
| 16. | मगरल | अभिलेखों सहित चोल कालावधि के निर्धा-रित मंदिर। |
| 17. | मेलोथीवक्कम | जैन तीर्थंकर (14-15वीं ईसा शती) की मूर्ति। |
| 18. | मुलपट्टु | प्रारंभिक मध्य युग के मृद्भांडों वाला मध्यकालीन स्थल। |
| 19. | नरपक्कम | सपत्नीक विष्णु (विजयनगर कालावधि) और असम्बद्ध मूर्तियां। |
| 20. | नैकुप्पम | महापाषाणी स्थल (घट और मृदभांड)। |
| 21. | पेरामनल्लुर | मध्य प्रस्तरयुगीन स्थल (औजारों से अभि-ज्ञात) और अलग-थलग पड़ा अत्यधिक काई लगा नवप्रस्तर युग का कुठार) और मध्ययुगीन स्थल। |
| 22 | पेरामनल्लुर | प्रारंभिक मध्यकालीन मृदभांडों वाला मध्य-युगीन स्थल। |

जारी......

| | | |
|---|---|---|
| 23. | पेरुम्बक्कम | सपत्नीक विष्णु (उत्तरवर्ती चोल) की मूर्ति। |
| 24. | पुडुपक्कम | मध्ययुगीन स्थल जिसमें पूर्व मध्ययुगीन मृण्पात्र पाये गये हैं। |
| 25. | पुडुपक्कम | लज्जा गौरी की मूर्ति (चोल काल)। |
| 26. | वाडावुर | मनकों के कर्मशाला स्थल (विभिन्न चरणों में निर्मित गोमेद, कैलसिडोनी और शीशे के मनके और मनकों के निर्माण से संबंधित अन्य उपकरण)। |
| 27. | वेंगुडी | विजयनगर काल के मन्दिर। |
| 28 | विप्पेडु | सपत्नीक गणपति और सुब्रह्मण्य की मूर्तियां। विष्णु की 14वीं-15वीं शताब्दी (ई. सन) की मूर्ति। |
| 29. | विशार | चोल काल के मन्दिर और शिलालेख। |
| 30. | विशार | सपत्नीक विष्णु और सुब्रह्मण्य की बिखरी हुई मूर्तियां (उत्तर चोल काल)। |

**जिला : कन्याकुमारी**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अरुमाना ग्राम | जैन तीर्थंकर की मूर्ति। |
| 2. | एरनाइल | राज प्रासाद में काष्ठ मूर्तियां। |
| 3. | नट्टालम | भित्तिचित्र (नेल्लुवेलि महादेव मन्दिर)। |
| 4. | थुकाले ग्राम | चिरामन पेरुमन और उदय करालवरमन की मूर्तियां और काष्ठ उत्कीर्णन (रामा स्वामी कोविल में) |
| 5. | थिरुवट्टार | भित्तिचित्र (आदिकेश्वर पेरुमल मंदिर)। |
| 6. | तिरुपारप्पु | काष्ठ उत्कीर्णन और कोष्ठक मूर्तियां। |
| 7. | विलावन्कोडे I ग्राम | काष्ठ उत्कीर्णन, कोष्ठक मूर्तियां और काष्ठ मूर्तियां। |

**जिला : मदुराई**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | टी. कल्लुपट्टी | इस महापाषाणी अधिवासीय स्थल पर किए गए परीक्षण उत्खनन से अधिभोग के दो चरणों का पता चला है, जहां लघु पाषाण और महापाषाण चरणों की पहचान होती है। चरण I की पहचान अनगढ़ ढांचे के कुछ चर्ट फलकों और कुछ हस्तनिर्मित ठीकरों से होती है और चरण II की पहचान सामान्य महापाषाणी मृत्तिका शिल्प के साक्ष्य से होती है। आसपास के क्षेत्र में प्राप्त शैलाश्रयों के संग्रहों से प्रतीत होता है कि इन दोनों चरणों में अधिवास रहा था। |

**जिला : उत्तर अर्काट**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अल्लियामंगलम | सपत्नीक विष्णु की मूर्ति (विजयनगर कालावधि) |
| 2. | अंबालुर | देवी की मूर्ति (विजयनगर कालावधि। |
| 3. | देविकापुरम | अम्मन मन्दिर (विजयनगर कालावधि)। |
| 4. | एडप्पाराई | वीर प्रस्तर (निर्धार्य उत्तरवर्ती पल्लव और चोल कालावधि)। |
| 5. | गंगाला महादेवी | मध्ययुगीन स्थल (अपरिष्कृत लाल मृद्भांड और कृष्ण मृद्भांड)। |
| 6. | गुडालुर | तथैव |
| 7. | कलसापक्कम | शिव मन्दिर (विजयनगर कालावधि)। |
| 8. | कलपट्टु | पूर्वैतिहासिक स्थल (अमिरिधि के तट पर गेरुआ रंग के लेप वाले मृद्भांड)। |
| 9. | काष्ठमवड़ी | एक शिव मन्दिर जिसमें चोल कालीन शिलालेख है। |
| 10. | कोविलुर | पूर्वैतिहासिक स्थल (जिसमें गेरुआ रंग के लेप वाले मृण्पात्र मिले हैं)। |
| 11. | कोविलुर | शिव, पार्वती, विनायक; दक्षिणीमूर्ति और अम्मन की मूर्तियां (विजयनगर कालावधि)। |
| 12. | कोविलुर | शिव मन्दिर (विजयनगर कालावधि)। |
| 13. | कुप्पालुर | विनायक, सूर्य, चन्द्र, विष्णु और उनकी पत्नी और सुब्रह्मण्य (विजयनगर कालावधि)। |
| 14. | महानद्रावडि | लक्ष्मीनरसिंह की मूर्ति। |
| 15. | मन्समाबाद | मध्ययुगीन पहाड़ी किला। |
| 16. | मेट्टुपालायम | महापाषाण स्थल (संगोरा वृत्त)। |
| 17. | मोमाराट्टुर | वीर प्रस्तर (निर्धारित उत्तरवर्ती पल्लव और चोल कालावधि)। |

जारी……

| | | |
|---|---|---|
| 18. | मोट्टूर | इस महापाषाण स्थल पर किये गये परीक्षण उत्खनन से पता चला है कि ये महापाषाण पूर्व दिशा में छेदवाले प्रस्तरों से लेकर आर्थोस्टैटस तक महापाषाण शवाधनी के शवाधान हैं। इस महापाषाणी शव पेटिका के अन्दर रखे अपूर्ण मानव देहावशेषों से पता चलता है कि परवर्तीकालीन शवाधान है। महापाषाणों में से एक में तीन संगोर वृत्त रखे गये हैं जिनमें से मध्यस्थ वाले में विशाल अद्वितीय एकाश्मक पुरुष-विधि आकृति है जिसका मुंह दक्षिण की ओर है। |
| 19. | मुरुगाप्पडी | महापाषाण स्थल (संगोरा वृत्त)। |
| 20. | पकिरपालम | तमिल लिपि के शिलालेख। |
| 21. | पालनकाट्टन | वीर प्रस्तर मूर्ति (उत्तरवर्ती पल्लव और चोल काल की निर्धारित)। |
| 22. | पालन कोट्टाई | मध्य युगीन स्थल (स्थूल लाल मृद्भांड और कृष्ण मृद्भांड)। |
| 23. | पालन कोविल | शिव मन्दिर (विजयनगर कालावधि)। |
| 24. | पल्लीपट्टू | शिव मन्दिर (तथैव)। |
| 25. | पार्वतीमलाई पहाड़ी | शैल कब्र स्थल (ऐरुमर्डी नदी के दक्षिणी तट पर उपगिरि के नजदीक)। |
| 26. | पेरानम पक्कम | मध्य युगीन स्थल (स्थूल लाल मृद्भांड और कृष्ण मृद्भांड)। |
| 27. | पेरियापेट्टाई | अभिलेख (उत्तरवर्ती विजयनगर कालीन तमिल लिपि और ग्रंथ)। |
| 28. | पेरियापेट्टाई | तीन मन्दिरों का समूह जिसमें अलंगकृत उत्कीर्णन और विजयनगर कालीन शिलालेख है। |
| 29. | पुडुप्पालयम | शिव और पार्वती की मूर्ति (विजयनगर कालावधि)। |
| 30. | पुंडी | महिषमर्दिनी की मूर्ति (विजयनगर कालावधि)। |
| 31. | साडुप्पेरी | मध्ययुगीन स्थल (स्थूललाल मृद्भांड और कृष्ण मृद्भांड)। जारी…… |

| | | |
|---|---|---|
| 32. | साडुप्पेरी | चोल कालीन शिव मन्दिर । |
| 33. | सानरप्पालाइरूयम | मध्य युगीन स्थल (स्थूल लाल मृद्भांड और कृष्ण मृद्भांड) । |
| 34. | सेनांडल | शिव मन्दिर (विजयनगर कालावधि) । |
| 35. | सेवाराई पुंडी | देवी की मूर्ति (विजयनगर कालावधि) । |
| 36. | सियामंगलम | मन्दिर के नजदीक पथी मिट्टियों की षष्ठु मृण्मूर्तियां । |
| 37. | सियामंगलम | चोल कालीन तमिल लिपि में लिखे शिलालेख । (शैलकृत गुफा के स्तंभों पर) । |
| 38. | तनिपडी | तमिल लिपि में लिखे शिलालेख (पहाड़ी की ढलान की चट्टानों पर) । |
| 39. | तिरुमलाई | महापाषाण स्थल (संगोरा वृत्त) । |
| 40. | तिरुमलाई | प्रागैतिहासिक शैलाश्रय (उत्तरवर्ती प्रस्तर-युगीन औजार और चट्टानों पर रंगचित्रों-के निशान) । |
| 41. | वेडका पट्टु | वीर प्रस्तर मूर्ति (चोल काल) । |

**जिला : सलेम**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | नामाक्कल | नायककालीन शिलालेख (श्री रंगनाथ स्वामी के मन्दिर में उत्तरवर्ती तमिल लिपि में) । |

**वर्ष 1980**

**जिला : चिंगलपट्टू**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अरियम्बक्कम | शिलालेख और छिट-पुट मूर्तियां-विजयनगर कालीन |
| 2. | अरियम्बक्कम | प्रारंभिक मध्ययुगीन स्थल । |
| 3. | एल्टचुर | प्रारंभिक पाषाणयुगीन स्थल (पूर्वार्घ पूर्व-पाषाण कालीन औजार) । |
| 4. | कालाट्टुर | शिलालेख 9वीं-10वीं ई० शताब्दी । |
| 5. | कनईथंगा | प्रारंभिक पाषाणकालीन स्थल (पूर्वार्घ पूर्वपाषाण कालीन औजार) । |
| 6. | कुरिविड्ड | महापाषाण स्थल । |
| 7. | महाबलिपुरम | उत्तर पाषाणकालीन स्थल । |
| 8. | मलाईपट्टु | प्रारंभिकपाषाणयुगीन स्थल (पूर्वार्घ पूर्व-पाषाणकालीन औजार) । जारी...... |

| | | |
|---|---|---|
| 9. | ओराट्टि | महत्वपूर्ण द्विभाषी शिलालेख । |
| 10. | पल्लालुर | शिलालेख (चोल काल) |
| 11. | पल्लालुर | चोल मंदिर। |
| 12. | पल्लांबकम | उत्तरवर्ती मध्य कालीन स्थल । |
| 13. | पेरांडुर | प्रारंभिक चोल मन्दिर और राज राजा के शिलालेख । |
| 14. | पालवेरि | महापाषाण स्थल (संगोरा वृत्त) । |
| 15. | पिनाप्पुर | तथैव (डोलमेनोइडाइड सिस्ट कब्रें) । |
| 16. | पुडुपक्कम | प्रारंभिक मध्य युगीन स्थल । |
| 17. | सेंगुंरम | मध्य पाषाण युगीन स्थल। |
| 18. | सिरिथामुर | शिलालेख (उत्तरवर्ती चोल काल) । |
| 19. | सीतापुरम | विजयनगर काल की छिट-पुट मूर्तियां। |
| 20. | तंडालम | तथैव |
| 21. | तिरुवानाकरनाई | तथैव |
| 22. | टोल्लालि | प्रारंभिक मध्य युगीन स्थल । |
| 23. | वडाकापट्टु | प्रारंभिक पाषाण युगीन स्थल (पूर्वार्ध पूर्व पाषाण कालीन औजार) । |
| 24. | वडाकापट्टु | प्रारंभिक मध्य युगीन स्थल । |
| 25. | वल्लालम | उत्तरवर्ती पल्लव मन्दिर और छिट-पुट मूर्तियां । |

**जिला : उत्तर अर्काट**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अबदुल्लापुरम | मध्य युगीन महल संरचना । |
| 2. | अम्बुर | नव पाषण युगीन शिलालेख और छिट-पुट मूर्तियां । |
| 3. | अम्बुर | विजयनगर और नायक कालीमन्दिर, शिलालेख और छिट-पुट मूर्तियां । |
| 4. | चिन्ना सोमेश्वरम | तथैव |
| 5. | कण्डानेरी | नायक कालीन शिलालेख । |
| 6. | किलारसमपट्टु | महापाषाण स्थल और शिलालेख। |
| 7. | किलामानावुर | विजयनगर और नायक कालीन मन्दिर छिट-पुट मूर्तियां शिलालेख । |

जारी......

| | | |
|---|---|---|
| 8. | मण्डावली | तथैव और दो नायक प्रस्तर। |
| 9. | मेलमानावुर | तथैव |
| 10. | पल्लिकोंडा | तथैव |
| 11. | पुरूमुगई | नायक कालीन शिलालेख। |
| 12. | पोनंगरम | विजयनगर और नायक कालीन मंदिर छिट-पुट मूर्तियां और शिलालेख। |
| 13. | पोनंगरम | नवपाषाण स्थल। |
| 14. | संपानगिनालुर | नायक काल का शिलालेख। |
| 15. | साराक्कमपाराई पहाड़ी-नजदीक वालामयक्कम ग्राम | शैलकृत गुफाएं और महापाषाण कालीन खाई। |
| 16. | साथुवाचारी | विजयनगर और नायक कालीन मन्दिर, छिट-पुट मूर्तियां और शिलालेख। |
| 17. | सेदुवालाई | महापाषाणी स्थल। |
| 18. | सेंबेडु | प्रारंभिक ऐतिहासिक स्थल और छिटपुट मूर्तियां। |
| 19. | सेंबेडु | विजयनगर और नायक कालीन मंदिर, छिट-पुट मूर्तियां और शिलालेख। |
| 20. | सिमाकमपट्टु | तथैव और नायक प्रस्तर |
| 21. | शोलावरम | महापाषाण स्थल। |
| 22. | शोलावरम | विजयनगर और नायक कालीन मन्दिर, छिट-पुट मूर्तियां और शिलालेख। |
| 23. | तेलुर | तथैव |
| 24. | थिम्मापेट्टाई | तथैव |
| 25. | टोराप्पडी | प्रारंभिक ऐतिहासिक स्थल और छिट-पुट मूर्तियां। |
| 26. | टुट्टीपट्टु | विजयनगर और नायक कालीन मन्दिर छिट-पुट मूर्तियां और शिलालेख। |
| 27. | उसुर | महापाषाण स्थल। |
| 28. | वेप्पामपट्टु | नायक कालीन शिलालेख। |
| 29. | चिन्नामंगलम | नवपाषाण और महापाषाण। |
| 30. | विरिंजिपुरम | विजयनगर और नायक कालीन मन्दिर, छिटपुट मूर्तियां और शिलालेख। |

जारी……

वर्ष 1981

(1) जिला : चिंगलपट्टू

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अरसर कोइल | महापाषाण स्थल । |
| 2. | अरैयापक्कम | ,, |
| 3. | अट्टिमानम | ,, |
| 4. | बुदुर | ,, |
| 5. | कल्याणाकुप्पम | प्रारंभिक-प्रस्तर युग का कर्मशाला स्थल । |
| 6. | किलवालम | महापाषाण स्थल । |
| 7. | माय्युर | ,, |
| 8. | पडालम | ,, |
| 9. | पट्टूर | ,, |
| 10. | संबाडिनुल्लुर | ,, |
| 11. | सिरोपनाय्युर | ,, |
| 12. | तंडालम | ,, |

(2) जिला : धर्मपुरी

| | | |
|---|---|---|
| 1. | रायाकोट्टइ | नव-पाषाण स्थल । |

**जल परिष्करण संयंत्र में कर्मचारियों को रखने की पद्धति**

2422. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल परिष्करण संयंत्र में कर्मचारियों को रखने की पद्धति और सिविल इंजीनियरिंग में पदों की मंजूरी के बारे में बोर्ड के पत्र संख्या (पी० एण्ड ए०)/1-69/पी० एच० 60 सी० ई०। (पी० टी०-II) दिनांक 15 जनवरी, 1980 को पूर्व रेलवे के आसनसोल, सियालदह और धनबाद डिवीजन में कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त डिवीजनों में जल परिष्करण संयंत्र में कितने पदों का दर्जा बताया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं हालांकि मंत्रालय के विशेष निदेश हैं कि इसे तीन महीने के अन्दर कार्यान्वित कियाने जायें ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क)** से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**दिल्ली परिवहन निगम के कंडक्टरों और ड्राइवरों द्वारा नवम्बर और नाम के बिल्ले लगाया जाना**

2423. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन दिनों दिल्ली परिवहन निगम के न तो ड्राइवर अपने नम्बर का बिल्ला और न ही अपने नाम की पट्टिका पहनते हैं;

(ख) क्या कंडक्टर, विशेषकर निजी बसों में, दुखी यात्रियों तक को शिकायत पुस्तिका देने से साफ साफ इंकार कर देते हैं;

(ग) क्या उनके नम्बर का बिल्ला और नाम पट्टिका के न होने के कारण, उनके दुर्व्यवहार, जो प्राय: होता है, के विरुद्ध स्पष्ट रूप से शिकायत करना किसी यात्री के लिये कठिन है;

(घ) क्या वह उन्हें अपनी वर्दी पर अपने नम्बर का बिल्ला और नाम पट्टिका अनिवार्य रूप से लगाने के आदेश जारी करेंगे; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (सीताराम केसरी)** : जी, हां।

(ख) किसी खास कंडक्टरों के विरुद्ध समय-समय पर इस प्रकार की शिकायतें मिलती रहती हैं।

(ग) संबंधित कर्मचारियों का पता लगाया जा सकता है यदि शिकायत में टिकट नंबर, बस या रूट नंबर और घटना का समय दिया गया हो।

(घ) वर्दी और बैजों के बारे में स्थायी आदेश का पालन करने के लिये फिर से अनुदेश जारी किये जा रहे हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं होता।

## दिल्ली के अस्पतालों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के डाक्टरों के लिए कोटे का भरा जाना

2424. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अस्पतालों में डाक्टरों की विभिन्न श्रेणियों की नियुक्तियां करने में आरक्षण के लिये प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो इस समय लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, मौलाना आजाद मेडिकल कालेज और सफदरजंग अस्पताल में इस समय कुल कितने डाक्टर कार्य कर रहे हैं और उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कितने व्यक्ति हैं;

(ग) यदि इन अस्पतालों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित कोटा पूरी तरह नहीं भरा गया है। तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस कोटे को शीघ्र ही पूरी तरह भरने के लिये कोई कार्यवाही करने का है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)** : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्तियां करने के लिए समग्र रूप से आरक्षण की व्यवस्था है, न कि प्रत्येक अस्पताल में अलग अलग।

(ख) लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, मौलाना आजाद मेडिकल कालेज और सफदरजंग अस्पताल में कार्यरत केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न वर्गों के अधिकारियों की कुल संख्या और उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अधिकारियों की संख्या नीचे दी गई है :—

| संस्था | कुल सं० | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जन जाति |
|---|---|---|---|
| 1. लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज | 111 | 1 | — |
| 2. मौलाना आजाद मेडिकल कालेज | 157 | 1 | — |
| 3. सफदरजंग अस्पताल | 129 | 2 | 1 |

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित सारे पदों को न भर सकने का मुख्य कारण यह है कि इन समुदायों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को इन्हीं समुदायों के उम्मीदवारों से भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई भरती करते समय निरंतर की जाती रही है।

## दिल्ली की सड़कें

2425. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की अधिकांश सड़कें उबड़-खाबड़, ऊंची-नीची और कष्ट दायक हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह सुनिश्चित करने के लिये कि वे समतल और टिकाऊ हों, क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या ये सड़कें वाहन-मालिकों को उनके वाहनों के बार-बार खराब हो जाने के कारण बहुत मंहगी पड़ती हैं; और

(घ) यदि हां, तो समतल सड़कें बनाने तथा इस समय इस्तेमाल की जा रही घटिया सामग्री के स्थान पर अच्छी किस्म की सामग्री का प्रयोग सुनिश्चित करने और इंजीनियरों को जिम्मेदार ठहराने के लिये क्या उपाय करने का विचार है?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) :** (क) से (घ) जी, नहीं। दिल्ली में अधिकांश सड़कें यातायात के लिये उपयुक्त हैं और संतोषजनक हालत में हैं। फिर भी सड़कों का कुछ सुधार कार्य हो रहा है जैसा कि—सड़कों को चौड़ा करना, चौराहे का सुधार आदि जिसमें बिजली तथा टेलीफोन के तार, जलपूर्ति और सीवेज लाइन्स आदि लगाने के लिये सड़कों को खोदा जाना शामिल है। इसके फलस्वरूप सड़कें कुछ स्थानों पर ऊँची नीची हैं। इन खंडों की मरम्मत व फर्श को मजबूत आदि कर सड़कों को सुधारने के लिए उपाय किये जा रहे हैं।

## स्टज कैरिजों के परमिटों का नवीकरण

2426. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री दिल्ली में गैर-सरकारी स्वामित्व के कैरिजों के बारे में 30-4-1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9471 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आश्वासन दिया गया था कि दिल्ली में चल रहे स्टेज कैरिजों के परमिटों का उनकी वर्तमान अवधि की समाप्ति पर, नवीकरण नहीं किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो दिये गए आश्वासन का पूर्णतः उल्लंघन करके स्टेज कैरिज परमिटों के नवीकरण के संबंध में जनता से कैसे आपत्तियां मांगी गई हैं;

(ग) सभा में दिये गए आश्वासन का कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी)** : (क) लोक सभा के दि० 30-4-1982 के लिखित प्रश्न सं० 9471 के भाग (ख) में जांच समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर दिल्ली परिवहन निगम के बोर्ड के निर्णय के बारे में सूचना मांगी गई थी। दिल्ली परिवहन निगम का वह निर्णय उत्तर में बता दिया गया था। उत्तर किसी तरह का आश्वासन नहीं है।

(ख) नये परमिट देने या उनके नवीकरण का काम मोटर गाड़ी अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होता है। इन उपबंधों में जनता से उस समय आक्षेप मांगने की व्यवस्था है, जब और जैसे इस तरह का कोई आवेदन सक्षम अधिकारी के पास दिया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं होता।

**लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेलेक्शन ग्रेड**

2427. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी सेलेक्शन ग्रेड दिया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इस अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रति भेदभाव के क्या कारण हैं और चतुर्थ श्रेणी के पात्र कर्मचारियों को पिछली तारीख से सेलेक्शन ग्रेड कब तक दिया जायेगा ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री : (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)** : (क) हां।

(ख) नहीं।

(ग) चयन ग्रेड कतिपय मानदण्डों के अनुसार दिया जाता है और दिल्ली प्रशासन इस विषय पर पहले से ही विचार कर रहा है।

**लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि के खातों पर बोनस**

2428. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को, जो सामान्य भविष्य निधि के खातों से कोई राशि नहीं निकालते हैं, बोनस देती है ;

(ख) यदि हां, तो इस बोनस की दर क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त सुविधा लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारियों पर भी लागू की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)** : (क) 1-4-1979 से उन कर्मचारियों को प्रोत्साहन बोनस देय हो गया है जिन्होंने पिछले तीन सालों में कोई धन नहीं निकलवाया हो।

(ख) अंशदाता के खाते में जमा कुल राशि पर एक प्रतिशत प्रोत्साहन बोनस दिया जाता है।

(ग) हां।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

**केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में निदेशक और उप-निदेशक के पदों के लिए आयु में छूट**

2429. **श्री केशव राव पारधी** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में निदेशक, और उप-निदेशक (प्रकाशन) के पदों के वर्तमान पदधारी उस समय पचास वर्ष की आयु पार कर चुके थे, जब उन्होंने अपने-अपने वर्तमान पदों का कार्यभार संभाला था;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रारम्भ से वर्ष 1981 तक मुख्य सम्पादकों की सभी नियुक्तियां पचास वर्ष की आयु पार कर लेने के बाद ही हुई थीं;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1981 में मुख्य सम्पादक के पद के लिए सरकारी कर्मचारियों को अनुमत आयु में छूट समाप्त करने के तथा अधिकतम आयु सीमा पचास वर्ष निर्धारित करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हर प्रकार से अर्हता प्राप्त अनेक उम्मीदवारों को साक्षात्कार से वंचित रखा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस त्रुटि को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का विचार है ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में महासम्पादक का पद है और न कि मुख्य सम्पादक का। अब तक जितने भी पदधारी इस पद पर रहे हैं, महासम्पादक के पद पर नियुक्ति के समय उनकी आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं थी।

(ग) महासम्पादक के पद के लिए अब तक अनुमोदित सभी चयन 10 मार्च, 1961 को अधिसूचित भर्ती नियमों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग ने किए हैं और वर्ष 1981-82 में महासम्पादक के पद पर किए गए चयन के सम्बन्ध में भर्ती नियमों के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) इस प्रकार के पदों के लिए उम्मीदवारों की पात्रता/उपयुक्तता का निर्धारण करने का प्राधिकरण संघ लोक सेवा आयोग का है और केवल आयोग ही प्रत्येक मामले में योग्यता के आधार पर अपने विवेकानुसार पात्र उम्मीदवारों को आयु/अनुभव में छूट दे सकता है।

## न्हावा शैवा पत्तन परियोजना के ट्रस्टियों का पृथक बोर्ड

2430. **श्री मगन भाई बरोट** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने बम्बई की न्हावा शैवा पत्तन परियोजना के ट्रस्टियों के एक पृथक बोर्ड का गठन किया है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : न्हावा शेवा पत्तन के लिए 31.5.1982 से न्यासियों का एक अलग बोर्ड बना दिया है।

## रक्षा शब्दावली का 70 पृष्ठ का शुद्धिपत्र

2431. **श्री केशवराव पारधी** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को रक्षा शब्दावली के लिए 70 पृष्ठ का शुद्धिपत्र जारी करना पड़ा था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके परिणामस्वरूप निदेशालय को उन पुस्तकों को दुबारा छापने पर 85,000 रुपए का अतिरिक्त व्यय उठाना पड़ा था;

(ग) क्या इस सरकारी धन की हानि के लिए उत्तरदायी अधिकारी को उसकी सेवा-निवृत्ति के बाद पुनः उसी पद पर नियुक्त किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क), (ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा मच्छरों के मारने के लिए एक बैक्टीरिया की खोज

2432. **श्री के० ए० राजन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ऐसे बैक्टीरिया का पता लगाने और उसका प्रचार करने में सफल हुआ है जो मच्छरों के लार्वा को 24 घंटों में संदूषित करता है और मारता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् का विचार पर्यावरण विभाग की अनुमति के साथ मच्छरों की संख्या को नियंत्रित करने के लिये इसको कुछ स्थानों पर सीमित क्षेत्रीय परीक्षणों के लिये उपयोग में लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का उस पर निर्णय क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)** : (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की एक संस्था ने जिसका नाम वेक्टर नियंत्रण अनुसंधान केन्द्र, पांडिचेरी है, पांडिचेरी की मिट्टी के नमूनों से थुरिन्जेंसिस दण्डाणु के एक उप-भेद का पता लगाया है जो मच्छरों के लार्वा को संदूषित कर उसे 24 घंटे के अन्दर नष्ट कर देता है। यह दण्डाणु बैक्टीरिया की जानी-मानी जाति है जो मच्छरों के लार्वों को संदूषित करके मारने की क्षमता रखती है। इस पर कई देशों में अध्ययन किया जा रहा है। इसके अन्य प्रभावों और क्षेत्रीय परीक्षणों के बारे में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। ऐसी अवस्था में इस मामले में सरकार के विचारों का प्रश्न नहीं उठता।

**उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन**

2433. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए; और

(ख) कितने मामलों में अंक बढ़ाए गए ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) और (ख) सूचना दिल्ली विश्वविद्यालय से एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**महिलाओं के प्रति दहेज अपराध तथा कानूनी सहायता पर गोष्ठी**

2434. **श्री रामजी भाई मवाणी**
**श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
**श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के तत्वावधान में दिल्ली में 24 जून, 1982 को महिलाओं के प्रति दहेज अपराध तथा कानूनी सहायता पर एक गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है, उसमें सम्मिलित होने वाले विभिन्न लोगों द्वारा क्या चर्चा की गई, उसमें क्या संकल्प पारित किये गये तथा क्या निर्णय किये गए; और

(ग) उसमें क्या सिफारिशें की गईं तथा सरकार द्वारा उनको किस प्रकार से स्वीकार तथा कार्यान्वित किया जायेगा ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा "समाज सेवाओं में स्वयंसेवी क्षेत्रों की भूमिका" विषय पर दो दिन का एक सेमिनार आयोजित किया गया था। सेमिनार के प्रथम सत्र में दहेज, महिलाओं के विरुद्ध अपराध और कानूनी सहायता पर चर्चा की गई। सेमिनार में निम्नलिखित अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की गई :

1. स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, कार्यान्वियन, कुष्ठ रोग।

2. युवा आवेष्टन।

3. विश्वव्यापी बुनियादी शिक्षा और वयस्क निरक्षरता की समाप्ति।

4. बाल-देखभाल और भिक्षा-वृति।

5. वृद्धों की देखभाल।

बोर्ड द्वारा अभी तक सेमिनार की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। बोर्ड से जैसे ही रिपोर्ट और सिफारिशें प्राप्त होंगी, सरकार उन पर विचार करेगी।

### निकोबार द्वीप समूह में आंख की बीमारी

2435. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निकोबार द्वीपसमूह में रोहे और चक्षुपटल पर फोड़े जैसी आंख की गंभीर बीमारियां और जन्म से पूर्व तथा बाल अन्धता के बहुत अधिक मामले पाए गए हैं और विशेषज्ञों की राय यह है कि यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो सूची निकोबारी जनजाति एक नेत्रहीन समुदाय बन कर रह जाएगी ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है और कब की जाएगी; और

(ग) क्या सरकार वहां कुछ नेत्र विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध कराएगी और यदि हां तो कब ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) :** (क) से (घ) इन द्वीपों में नेत्र रोगों की व्याप्ति के बारे में अभ्यावेदन मिले हैं। इसलिए, चिकित्सकों का एक दल जिसमें नेत्र-विज्ञान के विशेषज्ञ होंगे अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में भेजने का विचार है। ये लोग वहां आकर दृष्टिहीनता की समस्या का जायजा लेंगे और इन द्वीपों

में दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए तत्काल और दीर्घ-कालिक उपाय सुझाएंगे तथा जहां तक सम्भव होगा तत्काल राहत सेवा की व्यवस्था भी करेंगे।

**बिहार में कुछ मेडिकल कालेजों की समाप्त मान्यता को पुनः बहाल करना**

2436. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद् से राज्य में कुछ मेडिकल कालेजों की समाप्त मान्यता को पुनः बहाल करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार के अनुरोध का ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) :** (क) से (ग) बिहार के पांच मेडिकल कालेजों की अस्थाई मान्यता 30 अप्रैल, 1982 को समाप्त कर दी गई है। राज्य सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से अनुरोध किया है कि वे अपने निर्णय पर पुनः विचार करें और पांचों मेडिकल कालेजों की अस्थाई मान्यता की अवधि को कम से कम एक वर्ष तक और बढ़ा दें। राज्य सरकार ने परिषद को सूचित किया है कि उन्होंने परिषद् द्वारा बतलाई गई कमियों को दूर करने के लिए अनेक कदम उठाने के बारे में कार्रवाई शुरू कर दी है।

**1981-82 के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालयों को विकास तथा अन्य अनुदान**

2437. **श्री अशफाक हुसैन :** क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालयों को 1981-82 के दौरान विश्वविद्यालय-वार कुल कितने विकास तथा अन्य अनुदानों का भुगतान किया गया; और

(ख) इस अवधि के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया को कुल कितना अनुदान दिया जाएगा ?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) :** (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

**भारतीय चिकित्सा पद्धति की सभी परिषदों के लिए भवन का निर्माण**

2438. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री :** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चिकित्सा पद्धति की सभी परिषदों और संस्थाओं के लिए किराये से बचने हेतु भवन का निर्माण करने के लिये वर्ष 1973 में स्वीकृत, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में आवटित भूमि की वर्तमान स्थितियां क्या हैं; और

(ख) भवन निर्माण लागत में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए किराये के रूप में सरकारी धनराशि के व्यय को बचाने के लिये कितना समय मिलेगा ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) :** (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जो भूमि आवंटित की गई थी, उसका वह कब्जा नहीं ले सकी क्योंकि 1979 में इस परिषद को चार अलग-अलग अनुसंधान परिषदों में बांट दिया गया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अब वह भूमि आयुर्वेद और सिद्ध की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद को आवंटित कर दी है। जो भूतपूर्व भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद की उत्तराधिकारी संस्थाओं में से एक है। इस भूमि का कब्जा ले लेने के बाद सभी अनुसंधान परिषदों के लिए भवन का निर्माण करने की आगामी आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

---

**प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) :** कल आपने मुझसे कहा था कि आप मेरे कल के प्रश्न पर आज निर्णय देंगे।

**अध्यक्ष महोदय :** यह अभी-भी मेरे विचाराधीन है मैंने अभी उस पर विचार करना है।

**प्रो० मधु दण्डवते :** मुझे प्रसन्नता है कि मामला अभी भी आपके विचाराधीन है। अतः, मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा जिससे कि आपको मामले में निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। मैं प्रक्रिया का हवाला दे रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं भी प्रक्रिया और पूर्वोदाहरण तथा हर बात की जांच कर रहा हूं। मैं सदन को तथा आपको अपना निर्णय बताने से पूर्व पूरी बात को जान लेना चाहता हूं।......

**प्रो० मधु दण्डवते :** वह तो सत्य है......

**अध्यक्ष महोदय :** मैं अपने मित्र के हर सुझाव का हमेशा स्वागत करूंगा। आप मेरे पास आ सकते हैं।

**प्रो० मधु दण्डवते :** महोदय, मैं कहना चाहता हूं, कि यह कुछ . ...

**प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) :** क्या यह प्रत्येक दिन आधे घंटे का समय दिए जाने के अधिकारी हैं ?

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली)** : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था, कि इसका फैसला कर दीजिए वर्ना यह मामला चलता रहेगा। लोकसभा की स्थिति बहुत हास्यास्पद हो गई है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने अभी बोलना आरम्भ ही किया है। मैं बोल रहा हूं। आपको बैठ जाना चाहिए। कृपया बैठ जाइये। स्थिति यह है कि मैं अध्ययन करना चाहता हूं। मैं दिल से इस संस्था का हित चाहता हूं। मुझे सही रास्ते पर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं तह तक पहुंचना चाहता हूं।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : सही समय पर।

**अध्यक्ष महोदय** : सही समय पर भी मैं सदन में सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुला रहा हूं जिससे यह तय किया जा सके कि भविष्य में क्या कार्यवाही की जानी है।

**प्रो० मधु दण्डवते** : हम चाहते हैं कि ऐसा शीघ्र किया जाये।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं सोमवार दोपहर बाद यह बैठक बुला रहा हूं। इसे बाद में बुलाने का कोई प्रश्न नहीं है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : इस बीच आप तेल के सौदे पर चर्चा की अनुमति क्यों नहीं दे देते ?

**अध्यक्ष महोदय** : उस पर भी हम कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। आप मेरे पास आइए......

**अटल बिहारी वाजपेयी** : चर्चा कीजिए और निर्णय लीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : हम निर्णय लेंगे लेकिन मैं कल्पना के अनुसार काम नहीं करूंगा। मेरा कहना है कि मेरी मंशा सादा और स्पष्ट है। मैं सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना नहीं चाहता। मैं आधार भूत सत्य मालूम करना चाहता हूं और वह इस संस्था के भविष्य के हित में होगा। इसी से मुझे प्रेरणा मिलती है। इस संस्था के हित के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। मैं इसका आपको आश्वासन देता हूं। मैं किसी चर्चा पर रोक नहीं लगाऊंगा। मैंने पहले भी आपको यह आश्वासन दिया था और यही मैं अब भी दे रहा हूं कि मैं आपके द्वारा बनाए गए नियमों और प्रक्रिया से बाध्य हूं और मैं सभी दलों से सलाह करूंगा।

**प्रो० मधु दण्डवते** : जो कुछ आपने कहा है उसी आधार पर मेरा एक निवेदन है। मैं उस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपका विचार ठीक है कि आप सभी प्रक्रियाओं को पूरा करना चाहते हैं। मैं कुछ सैकेंडों के लिए आपका ध्यान अध्यक्ष के निदेशों की ओर दिलाना चाहता हूं जिनमें यह कहा गया है कि समिति के समक्ष दिया गया प्रत्येक साक्ष्य सरकारी साक्ष्य है।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं प्रोफेसर, हमेशा से दृष्टिकोण रहते हैं और मैं उन दोनों पर ध्यान दे रहा हूं। मैं जानता हूं आपका मतलब क्या है और मैं यह भी जानता हूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं।

**प्रो० मधु दंडवते** : मैं इस तथ्य की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि समिति के समक्ष दिया गया प्रत्येक साक्ष्य सरकारी साक्ष्य होता है।

**अध्यक्ष महोदय** : आपके सुझाव पर भी विचार किया जाएगा।

---

## सभापटल पर रखे गए पत्र

### नौ सेना अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना

**रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव)** : मैं नौ सेना अधिनियम, 1957 धारा 185 के अन्तर्गत नौ सेना (पेंशन) संशोधन विनियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) 12 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० नि० आ 139 में प्रकाशित हुए थे सभा पटल पर रखता हूँ।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4295/82)

**श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लाची)** : इस सदन के एक माननीय सदस्य, श्री कंडास्वामी एक पुलिस अधिकारी से मिलने गये थे लेकिन उनका अपमान किया गया......(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : हम देखेंगे। इसे मेरे ध्यान में लाया गया है। आपने यह मुझे दिया था। मैं मालूम करूंगा। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप सारे क्यों बोल रहे हैं ? आप मेरे से अनुमति लेकर क्यों नहीं बोलते जब मैं आपको सुन रहा हूँ ?

**श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर)** : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में पानी और बिजली का भयंकर संकट उत्पन्न हो गया है। जब मन होता है, तो पानी गायब और जब मन होता है, तो बिजली गायब।

**अध्यक्ष महोदय** : कालिंग एटेन्शन नोटिस करवाया था। मैंने मिनिस्टर साहब को भी बोला है।

**श्री रामविलास पासवान** : मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, उनसे बुलवाइए।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : अध्यक्ष महोदय, अगर तीन दिन में बिजली और पानी ठीक नहीं हुए, तो सोमवार को पार्लियामेन्ट चलना मुश्किल है। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं...(व्यवधान ......जब ये लोग विरोधी दल में थे तो इन्होंने बिजली पानी के सवाल पर क्या किया था मुझे मालूम है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने आपको कहा था कि आप डिस्कशन चाहते हैं और मैं डिस्कशन करवा दूंगा। और क्या कर सकता हूं मैं ?

**श्री रामविलास पासवान** : हम डिस्कशन नहीं चाहते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : और क्या चाहते हैं ? मेरे बस में और क्या है ?

**श्री राम विलास पासवान** : आप मंत्री जी को कहिए।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : हम अन्धेरा नहीं, रोशनी चाहते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : बिलकुल ठीक है, मैं भी आप से सहमत हूं।

**श्री राम विलास पासवान** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बैठे हुए हैं, वह कुछ बोलते ही नहीं हैं। सोमवार से हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे अगर पानी और बिजली का संकट बढ़ा। मैं आप से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप मंत्री जी को डाइरेक्ट, कीजिए, नहीं तो पार्लियामेंट में हंगामा होगा। यह कोई मजाक नहीं है।

**प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण)** : माननीय मंत्री जी यहां मौजूद हैं। महोदय मंत्री जी बैठे हैं। (व्यवधान) एक मिनट,

**अध्यक्ष महोदय** : यह कोई तरीका नहीं है।

**प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती** : ऊर्जा के इस प्रश्न पर सरकार बिल्कुल असफल रही है। हम सरकार को भंग करने की मांग करने वाले हैं क्योंकि न बिजली है और न पानी। सरकार बुरी तरह असफल रही है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने श्री हरिकेश बहादुर को अनुमति दी है।

**श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर)** : यह पानी और बिजली का नया संकट पैदा कर दिया है। (व्यवधान)

**प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती** : यदि आप इसे ठीक ढंग से नहीं चला सकते तो बाहर चले जाइए।

**एक माननीय सदस्य** : फिर कौन सम्भालेगा ?

**प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती** : हम सम्भाल लेंगे।

**श्री हरिकेश बहादुर** : दूसरे सदन में कागजात पहले ही प्रस्तुत कर दिए गए हैं। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : इसकी अनुमति नहीं है।

**श्री हरिकेश बहादुर** : इसे इस सदन के पटल पर रखने में क्या कठिनाई है ? (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, तत्काल नहीं ? कौन कहता है ? मैं इस सदन, अपने सदन के बारे में बात कर रहा हूं।

**प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती** : इसकी अनुमति दूसरे सदन में दी गई थी, यहां भी अनुमति दी जा सकती है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं नहीं जानता। यह आपका दृष्टिकोण हो सकता है। (व्यवधान)

**श्री हरिकेश बहादुर** : यह गोपनीय भी नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उन माननीय सदस्य को अनुमति दी है—श्री शैलानी।

**श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस)** : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते से सम्बन्धित विधेयक पर जो भाषण किया था, संसद समीक्षा में मुझे कांग्रेस (यू) का सदस्य बताया गया है।

दूसरा यह है कि जो नियम 377 के अन्तर्गत मैंने मामला उठाया था......

**अध्यक्ष महोदय** : आप कोई नोटिस दे दें।

**श्री चन्द्रपाल शैलानी** : उस में मैंने कहा था कि एक स्पेशल ट्रेन के व्यवस्थापक ने 526 यात्रियों के साथ धोखा धड़ी की है और उन का 8 लाख रुपया लेकर वह भाग गया। वे लोग मथुरा जंक्शन पर हफ्तों तक पड़े रहे। संसद समीक्षा में यह कहा गया है कि श्री शैलानी ने बस चालक की शिकायत की। मेरा आप से निवेदन है कि ऐसे अयोग्य, अक्षम और नासमझ आदमी को संसद समीक्षा नहीं लिखने देना चाहिए।

**श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला)** : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल आप को पत्र लिखा है। अपने संसदीय कार्य क्षेत्र में घूमने से जो तथ्य मुझे मिले हैं उन के आधार पर मैंने वहां की परेशानी लिखी है......

**अध्यक्ष महोदय** : मैं देख लूंगा।......(व्यवधान)

**श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार)** : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रिविलेज मोशन आप को दिया था, दारोगा के ऊपर......

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने कहा है मैंने उस पर पहले ही कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

**श्री जगपाल सिंह** : मुझ को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उसी दरोगा के नाम से यह लेटर है।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या होता है उस से ?

**श्री जगपाल सिंह** : मेरे प्रिविलेज मोशन पर आप कुछ कर नहीं रहे हैं ?

**अध्यक्ष महोदय** : कैसे नहीं कर रहे हैं ?

......(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : क्या कर रहे हैं आप ?

**श्री राम विशाल पासवान** : इसकी जांच कराइए।

**श्री जगपाल सिंह** : देख लीजिए यह लेटर सहारनपुर से आया है और आप सुनवाई नहीं दे रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे जो काम करना है वह करने नहीं दे रहे हैं।

**श्री जगपाल सिंह** : जो इंसपेक्टर इस प्रकार से दुर्व्यवहार करता है उस को वहां से हटाया नहीं गया। उसी दारोगा से मेरा झगड़ा हुआ, वही दारोगा उसी थाने में मौजूद है......

(व्यवधान)

**श्री मनीराम बागड़ी (हिसार)** : मेम्बर अगर प्रोटेक्शन चाहता है, पत्र लिखे या न लिखे,

मैं आप से एक बात करता हूं, मुझे यह बताइए कि अगर मेम्बर आप से प्रोटेक्शन मांगे तो आप उसे प्रोटेक्शन देंगें या नहीं देंगे ?

**अध्यक्ष महोदय** : दे रहे हैं हम प्रोटेक्शन।

**श्री मनीराम बागड़ी** : जब यह लिखा हुआ है......

**अध्यक्ष महोदय** : लिखा हुआ है तो लिखने से क्या होता है ? क्या लिखने से आदमी मर जाता है ?

**श्री मनीराम बागड़ी** : और अगर कुछ हो गया तो ?

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : लिखने को तो सौ लिखते हैं। गुम नाम कोई भी लिख सकता है।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप सुन नहीं रहे हैं तो मैं क्या करूं ?

**एक माननीय सदस्य** : आप को प्रोटेक्शन देना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : दे रहा हूं प्रोटेक्शन। मैंने पहले ही कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

**श्री जगपाल सिंह** : दारोगा अभी तक वहां पड़ा हुआ है।

**अध्यक्ष महोदय** : दारोगा कहां चला जायेगा ? हिन्दुस्तान से बाहर तो नहीं चला जायगा।

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर)** : अध्यक्ष महोदय, हम अभी आज आए हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से से। उत्तर प्रदेश के 24-25 पूर्वी जिलों में भयंकर सूखे की स्थिति है......

**अध्यक्ष महोदय** : वह तो स्टेटमेंट यहां हो गया। यहां डिस्कशन होगा।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : तो क्या इलाज है ? डिस्कशन हो रहा है, और क्या हो सकता है ? यह कोई बात थोड़े ही है।

**डा० कृपासिन्धु भोई (सम्भालपुर)** : महोदय देश के अनेक भागों में सूखा पड़ा हुआ है।

**अध्यक्ष महोदय** : डिस्कशन आने वाला है, मैंने एलाऊ कर दिया है और क्या कर सकता हूं ?

**केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1980 के लेखा परीक्षित लेखा तथा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (भारत) नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 को वार्षिक प्रतिवेदन।**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उपर्युक्त (1) (एक) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए एल० टी० संख्या 4296/82]

(2) (एक) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान एकादमी (भारत), नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त (2) (एक) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए एल० टी० संख्या 4297/82]

(3) (एक) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (योग) और (दो) विश्वायतन योगाश्रम के 24 मई, 1977 से 18 फरवरी, 1980 तक की अवधि के कार्यकरण के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त (3) (एक) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिए एल० टी० संख्या 4298/82]

## राज्य सभा से संदेश

**सचिव :** महोदय, मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देता हूं :

राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसार, मुझे मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 1982, जो कि राज्य सभा द्वारा अपनी दिनांक 19 जुलाई 1982 की बैठक में पारित कर दिया गया है, की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

## मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक

**सचिव :** महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा पारित रूप में मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 1982 सभा पटल पर रखता हूं।

**श्री एम० कंडास्वामी (तिरूयेंगोडे) :** महोदय, कल मैंने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी थी।

**अध्यक्ष महोदय :** दंडपाणि जी ने अभी बताया है, आपका ही बताया है। उन्होंने मुझे आपके बारे में बता दिया है।

**श्री एम० कंडास्वामी :** महोदय, यह उस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का प्रश्न है। और झगड़े से बचने के लिए है।

**अध्यक्ष महोदय :** मुझे देखने दीजिए।

## अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल), 1982-83

रेल मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मैं वर्ष 1982-83 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

## सभा का कार्य

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 26 जुलाई, 1982 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

1. आज की कार्य सूची के बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार

2. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :

(क) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1982

(ख) राज्यपाल (परिलब्धियां, भत्ते तथा विशेषाधिकार) विधेयक, 1981

(ग) राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विशेष न्यायालय (निरसन) विधेयक, 1981

(घ) लोह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक, 1982

(ङ) लोह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक 1982

(च) सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक, 1982

(छ) राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में मजदूरी निकाय (संशोधन) विधेयक, 1982

(ज) राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय (संशोधन) विधेयक, 1982

(झ) पूर्त्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 1982

(ञ) औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 1982

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्य-सूची की मद संख्या 5 के अन्तर्गत अगले सप्ताह में निम्नलिखित अत्यावश्यक विषयों पर बहस चाहता हूं :

बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं देश के विभिन्न भागों में भयंकर सूखे के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सूखे के कारण फसल सूख रही है, नहरों तथा राजकीय नलकूपों से सिंचाई कार्य ठप्प है। धान तथा मकई की फसल प्रायः समाप्त हो चुकी है। कुओं और तालाबों में भी पानी सूख गया है। किसान सूखे के कारण चिन्तित हैं। खेतीहर मजदूरों को सूखे के कारण काम नहीं मिल रहा है। फलस्वरूप वे भूखे मर रहे हैं। कुछ मिलाकर पूरा देश अकाल की चपेट में है।

अतः सरकार से मांग है कि सरकार अगले सप्ताह सूखे से उत्पन्न अकाल की स्थिति एवं जनता को राहत कार्य देने हेतु सदन में अविलम्ब चर्चा कर ली जाए जिससे लोगों को राहत मिल सके ।

(2) सरकार ने हाल में एक अधिसूचना जारी करके 28 संगठनों को विदेशी धन प्राप्त करने से रोक दिया है। हम कतई नहीं चाहते कि हमारे देश के राजनीतिक दल अथवा कोई अन्य संगठन अपना काम चलाने के लिए विदेशी धन स्वीकार करे लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि सरकार अधिसूचना जारी कर कतिपय संगठनों पर विदेशी धन प्राप्त करने तक रोक लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

इससे कई गम्भीर प्रश्न उत्पन्न हो गए हैं। क्या सरकार के पास ऐसा कोई साक्ष्य है जिससे यह पता चले कि ये संगठन विदेशी धन प्राप्त कर रहे थे या प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे ? यदि ऐसी बात है तो सरकार को सदन को बताना चाहिए । जिस प्रकार इन संगठनों के नाम गिनाए गए इससे ऐसा लगता है सरकार कुछ संगठनों को बदनाम करना चाहती है। मैं पूरी जवाबदेही के साथ कह सकता हूं कि युवा लोकदल को इन संगठनों में शामिल करना युवा लोकदल को बदनाम करना है। युवा लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गृह मन्त्री को पत्र लिख कर युवा लोकदल को इन संगठनों में शामिल करने का घोर प्रतिवाद किया है तथा राजनीतिक दलों को धन प्राप्ति के सम्बन्ध में निष्पक्ष जांच की मांग की है। यह गम्भीर मामला है। अतः सदन में इस पर बहस कर ली जाए ।

**श्री चित्त बसु (बारसाट)** : महोदय, मैं अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित दो मामले शामिल करवाना चाहता हूं

एक गंगा द्वारा भूमि के कटाव से संबंधित है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा द्वारा भूमि के कटाव से अब स्थिति काफी गम्भीर हो गई है। इस मामले से बंगाल के लोगों तथा सरकार में भारी चिन्ता व्याप्त है।

पश्चिम बंगाल सरकार के सिंचाई राज्य मंत्री के अनुसार फरक्का से नीचे की ओर गंगा के दाहिने किनारे पर 94 किलोमीटर तक भारी कटाव के परिणामस्वरूप भारत का क्षेत्र कम हुआ है और उससे बंगला देश को लाभ हुआ है।

यह अनुमान है कि 1931 और 1978 के बीच कटाव के कारण भारत की 25000 हैक्टेयर भूमि उसके पडोसी देश को चली गई तथा 1978 की बाढ़ के पश्चात् और 2400 हेक्टेयर भूमि चली गई।

कटाव इतनी गम्भीर स्थिति में पहुंच चुका है कि गंगा के बहुत जल्द ही भागीरथी नदी की पोषक नहर में मिलने की संभावना है यदि इसे अभी से ही नहीं रोका गया तो यह रेल मार्ग और राष्ट्रीय राजपथ को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस प्रकार फरक्का का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा ।

यह महसूस किया गया है कि फरक्का बराज से अनियमित रूप से पानी छोड़े जाने के कारण ही यह कटाव हुआ है। गंगा नदी, फरक्का से दो चैनलों में नीचे की ओर बहती है। बराज

के अनियमित रूप में पानी छोड़े जाने से बांची चैनल में मिट्टी जमा हो जाने के कारण, पानी दायीं चैनल से अधिक मात्रा में जाने लगा जिसके परिणाम स्वरूप भारी कटाव हुआ।

इसलिए, इस लगातार कटाव का तुरंत बचाव अतिआवश्यक हो गया है।

आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने प्रीतम सिंह समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर कटाव को रोकने के लिए विभिन्न परियोजनाएं, आरम्भ करने की 98 करोड़ रुपए की लागत योजना 1980 में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग को प्रस्तुत की थी।

प्रसंगवश, आपको यह भी याद होगा कि 1959 में तमाम नदी बेसिन में बाढ़ और कटाव की रोकथाम के उपाय सुझाने के लिए श्री मानसिंह की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। यद्यपि समिति ने अपनी रिपोर्ट 1960 में प्रस्तुत कर दी थी किन्तु, राज्य सरकार द्वारा पिछले 15 वर्षों में कुछ नहीं किया गया। यदि उस रिपोर्ट के आधार पर उपाय किए होते तो 1978 की बाढ़ से बचा जा सकता था।

ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार इस समस्या की गम्भीरता को समझने में असमर्थ है। अब वे राज्य सरकार को कटाव रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह देते हैं। वह इस तथ्य को नजरंदाज करते हैं कि राज्य सरकार के लिए, मुख्य रूप से वित्तीय कठिनाइयों के कारण, इतनी बढ़ी और मंहगी कटाव रोकने की परियोजना को पूरा कर पाना बिल्कुल असम्भव है। कटाव की चपेट में आने वाले स्थानों की रक्षा के लिए 19 करोड़ रुपए की व्यवस्था करना भी राज्य सरकार के बूते की बात नहीं।

जैसी की अब स्थिति है, केन्द्र सरकार को अल्पावधि उपाय के रूप में परियोजना को पुनः चालू करने का खर्च स्वयं वहन करना चाहिए तथा जिले के लोगों को बचाने के लिए बिना किसी देरी के कटाव अवरोधी दीर्घाविधि उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा 1980 में प्रस्तुत की गई 198 करोड़ रुपए की परियोजना को भी मंजूरी देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय अब तक आश्वस्त हो गये होंगे। मुझे आशा है आप दोनों विषयों का उल्लेख कर चुके है।

श्री चित्त बसु : केवल एक ही किया है। दूसरे देश में अनाज और सूखे की स्थिति के संबंध में है।

पश्चिम बंगाल सहित देश के कई राज्य लम्बे सूखे की चपेट में हैं। कई लोगों ने इसे सूखे की अभूतपूर्व स्थिति बताया है।

सूखा पीड़ित क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों की अनियमित पूर्ति के कारण लोगों की तकलीफें और अधिक बढ़ी हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अस्तव्यस्त हो गई है अथवा बहुत जल्द होने की सम्भावना है। राज्यों को केन्द्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता अनिश्चित हो गई है, विशेषकर भारत सरकार के, राज्यों द्वारा लिए जाने वाले ओवर ड्राफ्ट, संबंधी निर्णय के पश्चात।

खाद्य पदार्थों के लिए उपद्रव की रिपोर्टें विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हो रही हैं, यह सभी गम्भीर वेदना और चिन्ता के विषय हैं।

अगले सप्ताह उपरोक्त दोनों विषयों पर चर्चा की जानी चाहिए।

**श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक-26-1982 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित कराना चाहता हूँ—

1. आज देश में नागरिकों को न्याय मिलने में अप्रत्याशित रूप से विलम्ब हो रहा है। गत एक दशक से अधिक समय से उच्च-न्यायालयों में 14000 से अधिक तथा सर्वोच्च न्यायालय में दो हजार से अधिक मामले निर्णय की प्रतीक्षा में हैं। न्याय में यह विलम्ब नागरिकों को न्याय से वंचित रखना है। न्याय में विलम्ब के अनेक कारणों में से एक प्रमुख कारण यह भी है कि उच्च न्यायालयों में बड़ी संख्या में एक लम्बी अवधि से न्यायाधिपतियों के स्थान रिक्त हैं। वर्तमान समय में भी सम्भवत: उच्च न्यायालयों में 90 तथा सर्वोच्च न्यायालय में 4 न्यायाधिपतियों के स्थान रिक्त हैं।

अतएव, मान्यवर, इस सदन में इस विषय पर विचार होना चाहिये तथा न्याय प्रक्रिया में आमूल परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर न्याय को शीघ्र सर्व-सुलभ बनाया जाना चाहिये।

2. आज देश में बड़े पैमाने पर अनधिकृत विदेशी धन राष्ट्रीय जीवन के अनेक क्षेत्रों में अपने प्रभाव को विस्तृत एवं गहरा कर रहा है। समय-समय पर ऐसे तथ्य प्रकाश में आते रहे हैं कि विदेशी धन किस प्रकार हमारे राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप कर के हमारी मान्यताओं को अनुचित रूप से प्रभावित कर रहा है। अनधिकृत विदेशी धन विभिन्न माध्यमों से देश में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न करने में सक्रिय रहा है। चाहे देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विध्वंसात्मक हरकतें हों, धर्म-परिवर्तन के मामले हों, कुछ राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता की बात हो, देश को कमजोर बनाने में संलग्न ताकतों की धनपूर्ति का मामला हो, दिन-प्रति-दिन विदेशी धन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है।

सरकार ने अभी कुछ संगठनों द्वारा विदेशी स्रोतों से आर्थिक सहायता लेने पर प्रतिबन्ध लगाया है। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये कि कौन संगठन किस देश से आर्थिक सहायता प्राप्त करता है।

मान्यवर, यह एक गम्भीर विषय है। इस पर सदन में विचार होना चाहिये तथा ऐसे उपाय निर्धारित किये जाने चाहिये, जिससे अनधिकृत विदेशी धन की राष्ट्र-विरोधी हरकतों को नियंत्रित किया जा सके।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व)** : महोदय, रेलगाड़ियों की कमी तथा अप्रचलित उपस्करों के कारण बम्बई उपनगरीय सेवा पूर्ण रूप से अस्तव्यस्त हो गई है। मैं सरकार को इस समस्या का समाधान सुझाने के प्रयोजन से इस विषय पर पूर्ण बहस चाहता हूं।

दूसरे, गरीब पेंशन भोगियों को राहत ने के उद्देश्य से पेंशन अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। छठी लोक सभा याचिका समिति की सिफारिश को पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए था। गैर-सरकारी सदस्य (श्री विट्ठल गाडगिल) विधेयक पर बहस के दौरान, संसदीय कार्य राज्य मंत्री द्वारा लोक सभा को दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए सरकार को आवश्यक संशोधन करना चाहिए।

अगले सप्ताह इन दोनों विषयों पर बहस होनी चाहिए।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आगामी सप्ताह की कार्यवाही में निम्न दो-मुद्दे सम्मिलित कराने के लिये वक्तव्य देना चाहता हूं।

1. देश में भयंकर सूखा पड़ जाने से खेती पर बहुत विनाशकारी प्रभाव पड़ा है और अकाल की स्थिति बहुत से क्षेत्रों में आ गई है। सरकारी आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर मिलने वाले गेहूं व चावल की मात्रा में राशन कार्डों पर दुगुनी वृद्धि होनी चाहिये। अनाज के बदले काम योजना को तुरन्त ही चालू कर दिया जाय। इस के अलावा देहाती क्षेत्रों में 20 घन्टे बिजली प्रति दिन देने की व्यवस्था की जाय ताकि सिंचाई हो सके और राहत कार्य अतिशीघ्र शुरू किये जायं। समस्त लगान, कर्जे व अनुदानों की वसूली आदि किसान व मजदूरों से व कमजोर वर्गों से तुरन्त रोक दी जाय ताकि सूखे व अकाल से पीड़ित किसान, मजदूर व कमजोर वर्ग के लोगों को राहत मिल सके।

2. देश में अनुसूचित जाति व जन-जाति को जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उस को भलीभांति लागू नहीं किया जा रहा है। यह सारा आदेश केवल कुछ सरकारी आदेशों के आधार पर ही चल रहा है। अधिकारीगण इन आदेशों की बराबर अवहेलना कर रहे हैं जिससे कमजोर वर्ग के लोगों को हानि उठानी पड़ रही है और जो अवसर संविधान के व आरक्षण के अनुसार मिलना चाहिये वह नहीं मिल पा रहा है। सरकार को चाहिये कि वह आरक्षण सम्बन्धी एक बिल तैयार कर एक कानून बनाये और आरक्षण की अवहेलना करने वाले अधिकारियों को दण्डित करने की व्यवस्था की जाये।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित करने के लिए दो सुझाव संसदीय कार्य मंत्री जी को देना चाहता हूं।

मध्यपूर्व के देशों में तेल के कुंओं की खोज से प्राप्त अकूत धन सम्पत्ति से बने कुछ नव धनाढ्यों के लिये भारत ऐयाशी का मुख्य आकर्षण बन गया है। बम्बई और हैदराबाद उन की ऐयाशी के मुख्य अड्डे हैं। इन नगरों में ऐसे संगठित रैकेट बन गये हैं जो निर्धन अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के नकद रुपये और उन की पुत्री के वैभवमय भविष्य का लालच दे कर कमसिन लड़कियों का निकाह ऐसे ऐयाश विदेशियों से कराकर कमीशन की अच्छी-खासी रकम डकारते हैं। मध्यपूर्व के ये विदेशी कुछ समय तक यहीं रह कर अपनी भारतीय पत्नी के साथ कुछ समय मौज-मस्ती में बिता कर अपनी पत्नियों को मझधार में छोड़ कर अपने देश लौट जाते हैं। कुछ दिनों पहले तक वे अपनी पत्नियों को अपने देश ले जाते थे, जहां के प्रतिकूल वातावरण में न तो वे अपना सामंजस्य बिठा पाती थीं, न उन्हें सामाजिक मान्यता मिलती थी। इसके अतिरिक्त उन देशों में भारतीय लड़कियों से जिस्म फरोशी कराने की कुछ घटनाएं भी प्रकाश में आई, जिस से शादी कर भारतीय लड़कियों को मध्यपूर्व के देशों में ले जाने में कानूनी पाबन्दी बढ़ा दी गई, किन्तु इस धन्धे में लग रैकेट इतना चालाक है कि कानून को चकमा देने की नई नई तरकीबें ढूंढ लेता है तथा प्रशासन हाथ मलता रह जाता है। अब इन सब झंझटों से मुक्ति पाने के लिये उन्होंने कन्ट्रेक्ट मैरेज का तरीका ढूंढ निकाला है, जिस में विवाह के समय ही तलाकनामा तैयार कर लिया जाता है और एक निश्चित अवधि के बाद पत्नी के हाथ में पकड़ा दिया जाता है। इस कुप्रथा को रोकने के

लिये एक सुझाव यह है कि शादी करने वाले मध्यपूर्व से आये विदेशियों से निकाह से पूर्व 25 हजार रुपये की नकद जमानत ली जाये और तलाक देने पर उसे जब्त कर तलाकशुदा लड़कियों को दे दिया जाये। हालांकि यह तरीका भी उन्हें सही न्याय नहीं दिला सकेगा पर कुछ राहत तो दिलाई ही जा सकती है। सरकार को समाज के नेताओं से मिल कर राह निकालनी चाहिए

2. गर्भस्थ शिशु की योनि ज्ञात करने की विधि एमींनोसिन्थेसिस के दुरुपयोग की कुछ घटनाएं हुई हैं। यद्यपि सरकारी चिकित्सालयों में इसके उपयोग पर प्रतिबंध है किन्तु कुछ निजी प्रेक्टिस करने वाले चिकित्सक इस पद्धति का उपयोग कर पति-पत्नी को शिशु की योनि का ज्ञान करा देते हैं, जिसके भयंकर दुष्परिणाम हो रहे हैं। भारतीय समाज में लड़कों के प्रति अतिरिक्त मोह तथा दहेज की कुप्रथा के कारण यह जान लेने पर कि गर्भस्थ शिशु लड़की है, कुछ पति-पत्नियों ने गर्भपात करवा लिया। इसके अतिरिक्त चिकित्सकों द्वारा यह पद्धति जिस प्रकार अपनाई जा रही है, उस से खुद-ब-खुद गर्भपात की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है तथा गर्भस्थ शिशु की माता को गहरा मानसिक आघात पहुंच सकता है। भारतीय चिकित्सक परिषद् को इस तकनीक का दुरुपयोग धूर्त्त किस्म के चिकित्सकों द्वारा व्यवसायिक लाभ के लिये करने के खिलाफ अभियान प्रारम्भ करना चाहिये तथा सरकार को इस परीक्षण पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए।

**श्री नारायण चौबे (मिदनापुर)** : महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय मंत्री से सदन के, सम्मुख प्रस्तुत की गई आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित दो विषयों को सम्मिलित किए जाने जाने की प्रार्थना करता हूं।

1. आई० आई० टी० खड़गपुर के अध्यापकों द्वारा आन्दोलन : वह आन्दोलन कर रहे हैं धरना दे रहे हैं, एक साथ आकस्मिक अवकाश ले रहे हैं तथा इस्तहार जारी कर रहे हैं आदि आदि। आई आई टी० उसकी लैब्रेरेटरी, लाइब्रेरी और कम्पयूटर विभाग आदि के हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। वि म्ब शुल्क और सीमा शुल्क के रूप में पिछले दो वर्षों में 27 लाख रुपए व्यय किए जा चुके हैं। चेयरमैन और अध्यापकों के बीच किये गये समझौते को भी लागू नहीं किया गया। इन सबकी वजह से अध्यापक आन्दोलन कह रहे हैं। सरकार को तुरन्त हस्तक्षेप करके अध्यापकों की वास्तविक समस्याओं को दूर करना चाहिए।

(दो) देश में सूखे की गम्भीर स्थिति;विशेष कर पश्चिम बंगाल में जहां पिछले वर्ष फसल न लेने के कारण और इस वर्ष गंभीर सूखे के कारण मिदनापुर, बांकुरा, बीरभूम, पुरूलिया, नाडिया, 24-परगना, हसन, मुर्शिदाबाद आदि जिलों में अकाल जैसी स्थिति पैदा गई है। गांव में कोई रोजगार नहीं है, पटसन की फसल पहले ही समाप्त हो चुकी है। धान के बीज या तो नष्ट हो चुके हैं या नष्ट हो रहे हैं। देश को बचाने के लिए युद्धस्तर पर शीघ्र ही कुछ उपाय किए जाने चाहिए और पश्चिम बंगाल में 1943 में पड़े अकाल जैसा अकाल पड़ सकता है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने कुछ आरोप लागाए हैं। मैं इन्हें देखूंगा। जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती उसे इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। मैं कार्यवाही वृतांत देखूंगा।

अब श्री रावत

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया जा सकता ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्होंने अनुरोध किया है । माननीय सदस्य के मामले में भी कई बार ऐसा पहले किया जा चुका है ।

**श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा सदन के सम्मुख प्रस्तुत की गई आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को भी सम्मिलित किये जाने की प्रार्थना करता हूं ।

1. विगत एक वर्ष के अन्तराल में हिमाचल व उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में कई भयंकर बस दुर्घटनाएं हुई हैं, जिस कारणवश सैकड़ों लोग अकाल काल कवलित हुए हैं । क्षेत्रों में चलने वाली यात्री बसें सर्वथा अनुपयुक्त हैं तथा सड़कों की स्थिति सर्वथा असंतोषजनक है । अतः इस चिन्ताजनक स्थिति के समाधान के लिए कोई रास्ता निकालना आवश्यक है ।

अतः इस विषय पर सदन में चर्चा करनी चाहिए ।

2. मानसून के समय पर न आने के कारण देश के कई भागों में भयंकर सूखे की स्थिति व्याप्त है । कई राज्य सरकारों द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक उपाय नहीं किए गये हैं । इस विषय पर भी शीघ्र सदन में चर्चा होनी चाहिए ।

अतः मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त दो विषयों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में जोड़ दिया जाए ।

**श्री भीष्म नारायण सिंह** : जिन माननीय सदस्यों ने महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए हैं उनका मैं अत्यन्त आभारी हूं । मैं रिकार्ड देखूंगा और यदि मुझे यह सुझाव उचित लगे तो इन्हें मैं कार्य मंत्रालय समिति के समक्ष रखूंगा । इतना आश्वासन मैं आपको दे सकता हूं ।

---

## लेबनान की स्थिति के बारे में प्रधानमन्त्री के वक्तव्य पर चर्चा

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा आरंभ करेंगे । आज मध्याह्न भोजन के लिये अवकाश नहीं होगा । श्री इंद्रजीत गुप्त ।

**श्री इंद्रजीत गुप्त (बसीरहाट)** : मेरे विचार से इस बात पर लगभग सहमति हो गई थी कि मंत्री छः बजे के बाद जवाब देंगे । यह चर्चा शाम 3.30 बजे तक जारी रहेगी । वह छः बजे जवाब देंगे । क्या ऐसा ही है ?

**संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह)** : जी हां ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : जैसा ही गैर सरकारी सदस्यों की चर्चा समाप्त होगी । यह चर्चा शाम 3.30 बजे तक समाप्त हो जानी चाहिए ।

**श्री इंद्रजीत गुप्त** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से यह चर्चा यद्यपि यह काफी संक्षिप्त होगी विभिन्न कारणों से काफी महत्त्वपूर्ण है । मेरे विचार से इसका पहला कारण तो यही है कि यह पहला मौका है जब इस सदन को इजराइल द्वारा लेबनान पर किए गए आक्रमण के विषय में

चर्चा करने का मौका मिला है। यह ऐसी घटना है जिसकी न केवल इस क्षेत्र में ही वरन एशिया और शायद पूरे संसार की शांति और स्थिरता पर बड़ी दूरगामी प्रतिक्रिया होगी। मेरे विचार से यह उचित ही है कि भारतीय संसद में, इस सभा के सदस्यों को इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने का मौका मिले। साथ ही इस चर्चा के लिये ऐसी तिथि निर्धारित की गई जबकि माननीय विदेश मंत्री निकोसिया में हुई गुट निरपेक्ष देशों के ब्यूरों की एक महत्त्वपूर्ण बैठक से वापस आए हैं। हमें अभी उसकी पूरी जानकारी नहीं मिली है केवल समाचार पत्रों में छपी खबरें ही मालूम हैं। मुझे विश्वास है कि वह इस बहस का लाभ उठाकर सदन को और आगे जानकारी देंगे।

और कुछ ही दिनों बाद प्रधानमंत्री अपनी संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर जा रही हैं। इसलिए मेरे ख्याल में यह वाद-विवाद बहुत ही उपयुक्त समय पर हो रहा है गुट निपेक्ष ब्यूरो की बैठक और प्रधान मंत्री की वाशिंगटन यात्रा के बीच।

महोदय, जो कुछ हो रहा है मुझे उसका वर्णन—अथवा वर्णन करने की कोशिश नहीं करना इस हमले को हुए शायद अब सात सप्ताह हो चुके हैं। प्रारंभ में इजराइली सरकार ने यह दावा किया था कि लेबनान की सीमा पार करने का इसका एकमात्र उद्देश्य लगभग 25 मील की सीमा तक बढ़ना था, इससे वह एक प्रतिरोधक क्षेत्र बनाना चाहते थे ताकि उनके दुश्मन इजराइल के दुश्मन, इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा साबित न हो सके अथवा इजराइल की भूमि पर आक्रमण न कर सकें। इसलिए उन्हें 25 मील के प्रतिरोधक क्षेत्र की आवश्यकता थी, वे इसी क्षेत्र को हासिल करने के लिए सीमा के पार बढ़ रहे थे। यह बात उचित है, अथवा नहीं, मुझे नहीं मालूम लेकिन यह एक विचित्र बात है। लेकिन दो-तीन दिन के बाद यह एक दम स्पष्ट हो गया कि उन की यह मंशा बिल्कुल नहीं थी। इसकी आड़ लेकर उन्होंने बाद में स्वतंत्र राज्य लेबनान पर पूरा हमला किया। उस पर बड़े पैमाने पर सैनिक हमला किया गया, लेबनान के राष्ट्रपति के महल को घेर लिया गया, सैनिक तरीकों से अधिकतम विध्वंश और विनाश करने के लिए जल, थल, नभ मार्ग से जबरदस्त और लगातार बंबारी की गई जो अब भी हो रही है। असैनिक लोगों की बहुत अधिक संख्या में हत्या की गई घायलों की सही संख्या के बारे में तो विश्वस्त सूत्रों से ही पता चल सकता है। पश्चिमी बेरुत को पूरी तरह घेर लिया गया यहां फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के शिविर हैं, और श्री यासर अराफात जिनका कुछ ही सप्ताह पहले इस देश में सरकार के माननीय अतिथि के रूप में स्वागत किया गया था, क्या मुख्यालय भी यही है। शायद किसी बंकर में, बंकर में है उनका मुख्यालय और वहीं से वह फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन द्वारा जो कुछ प्रतिरोध किया जा सकता है और उसके बाद क्या होना है इस बारे में निर्देश देते हैं। बेरुत का केवल सैनिक घेराव ही नहीं किया गया है अपितु रिपोर्टों से अब यह पता चलता है कि इजराइली सेनाओं ने पश्चिमी बेरुत में भोजन, पानी, दवाइयों की सप्लाई ही पहुंचनी बन्द कर दी है।

मेरे ख्याल में समाचार पत्रों द्वारा दी गई रिपोर्टें काफी भयभीत करने वाली हैं तथा प्रधान मन्त्री ने यहां 9 जुलाई को दिये गये भाषण में कहा था हजारों लेबनानी और फिलिस्तीनी नागरिकों की गई क्रूर हत्या के प्रति समस्त संसार भर में क्षोभ प्रकट किया गया और इसकी गहरी प्रतिक्रिया हुई। मेरे ख्याल में ऐसा होना स्वाभाविक है, उन्होंने वही कहा है जो इस देश की जनता

महसूस कर रही है और मेरे विचार में सभी भारतीय ऐसा महसूस कर रहे हैं। देशभक्त भारतीय कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी यह राय न हो, लेकिन शायद बहुत कम। मुझे इस महीने की 9 तारीख की कार्यवाही के रिकार्ड देखकर खेद हुआ। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख सदस्य द्वारा यहां जो कुछ कहा गया उसे सभी ने सुना, प्रेस में भी उसकी रिपोर्ट आई, लेकिन कार्यवाही में वह नहीं था। क्या इसे निकाल दिया गया मुझे नहीं मालूम यह रिपोर्ट किया गया अथवा नहीं, यह भी मुझे नहीं मालूम लेकिन इसे निकाल दिया गया, और मैं इस प्रकार कार्यवाही से उसे निकाले जाने का विरोध करता हूं और यह चाहता हूं कि श्री राम जेठमलानी द्वारा उस दिन जो कुछ कहा गया, उसे लोक सभा के रिकार्ड में अंकित किया जाए ताकि यह पता चल सके कि कौन क्या है। लेकिन यह उसमें नहीं है। मुझे खुशी है कि मेरे मित्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि इस देश के एक प्रसिद्ध विदेश मन्त्री रह चुके हैं। यहां उपस्थित हैं। मुझे आशा है कि उनकी पार्टी के व्यक्ति द्वारा अभी हाल ही में जो कुछ कहा गया है, वे उसका विरोध करेंगे और यह स्पष्ट कर देंगे कि उनकी पार्टी की यह राय नहीं है।

यह केवल हमला नहीं है, केवल क्षेत्र बढ़ाए जाने की बात नहीं है यह एक ऐसी बात है जो इजराइल के रिकार्ड में नई नहीं है। गोला पहाड़ियां जो सीरिया के क्षेत्र में थीं, को इसी प्रकार हथिया लिया गया था। जोर्डन के पश्चिमी तट पर गाजा पट्टी पर उसके अधिकार में लिए गए क्षेत्रों को सुव्यवस्थित ढंग से अपने में मिलाने के लिए चोरी-चोरी, वहां पर काफी मात्रा में इजराइली बस्तियां बसाई गई। वहां पर सशस्त्र लोगों को तैनात किया गया ताकि वहां से कोई भी नहीं लौट सके। यह विवादग्रस्त क्षेत्र का एक भाग है, जिस पर फिलिस्तीनी यह दावा करते हैं और मेरी राय में उनका दावा ठीक ही है, कि यह उनके स्वदेश की भूमि है अथवा उनकी मातृभूमि है। इस लिए यह केवल इजराइल द्वारा हमला किए जाने अथवा क्षेत्र बढ़ाए जाने की बात ही नहीं है, जो कि हम बार-बार देखते आए हैं। दुर्भाग्य से, इस समय, सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त संकल्पों और निर्णयों की जानबूझ कर और स्पष्टतया अवहेलना करना उनका काम हो गया है। यह कोई नई बात नहीं है।

मेरे विचार में यह बहुत ही दुख की बात है कि यहूदी राज्य के लोग मैं यहां सभी यहूदी लोगों के बारे में नहीं कहूंगा क्योंकि सभी यहूदी इजराइली नहीं है, लेकिन जो लोग भी इजराइल में रह रहे हैं वे लगभग यहूदी ही हैं, ऐसे थोड़े ही होंगे जो यहूदी न हों, लेकिन यह एक यहूदी राज्य है जिन्हें थोड़े ही समय पहले संसार से सहानुभूति प्राप्त थी कि हिटलर के दिनों में नाजियों द्वारा इनकी जाति का क्रूरता पूर्वक संहार किया गया हजारों को 'कंसट्रशन कैंप्स' और गैस चैंबरों में डाला गया कितने दुख की बात है कि, इन लोगों ने अपना राज्य तो प्राप्त कर लिया और अब दूसरे लोगों का इसी प्रकार से नरसंहार कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि जो कुछ इजराइल सरकार कर रही है, उससे सभी यहूदी सहमत होंगे। स्वयं इजराइल में ही बढ़ती संख्या में इसका विरोध होने की रिपोर्टें दिन प्रति दिन प्राप्त हो रही हैं। तेल अवीव में ही हजारों लोगों द्वारा लेबनान पर लगातार किए जा रहे आक्रमण के विरोध में और शान्तिपूर्ण समाधान तथा इजराइली सेना की वापसी को लेकर प्रदर्शन किए गए। लेकिन, इजराइली शासन को चलाने वाले शायद उन यात-

नाओं और पीड़ाओं को भूल गए हैं, जिनका सामना उनके लोगों ने इस शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में किया था। आप उन लोगों की उसी प्रकार की बरबादी, लूटपाट और हत्याएं कर रहे हैं, जिन्हें वे अपना दुश्मन मानते हैं अर्थात् लेबनानी और फिलिस्तीनी लोगों की।

यह केवल आक्रमण नहीं है, यह तो कत्ले आम है। उनका पूरी तरह संहार करने की कोशिश की गई है। समस्त फिलिस्तीनियों को समाप्त करने की कोशिश की गई है। प्रधान मन्त्री द्वारा 9 जुलाई को दिए गए भाषण से जहां तक हो सके इसका स्वागत समस्या के इस पहलू पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता।

हम सभी क्लास्टर बंब के बारे में पढ़ रहे हैं। ये क्लस्टर बम उन के अच्छे मित्र, राष्ट्रपति रीगन द्वारा इजराइलियों को सप्लाई किए गए हैं। उनका उपयोग नागरिकों के लिए नहीं किया जाना था। यह भयंकर राज है, विनाशक अस्त्र है। इस बम में छोटे-छोटे छर्रे, स्टील (लोहे) के छोटे-छोटे टुकड़े हैं जो काफी बड़े इलाके में फैल जाते हैं तथा इससे बहुत ही भयंकर चोट लगती है। राष्ट्रपति रीगन ने यह कहा है कि इजराइलियों को ये बम इस आधार पर दिए गए थे कि इनका इस्तेमाल केवल मात्र सैनिक अड्डों पर किया जाएगा न कि आम जनता पर। लेकिन, अब यह पता चला है कि ये क्लस्टर बम नागरिकों की हत्या के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, यह टिप्पणी संयुक्त राज्य अमरीका सरकार ने की है। आज के समाचार पत्रों में, श्री वारेन उला की वाशिंगटन से रिपोर्ट है, जिसे स्टेटस्मैन में उद्धृत किया गया है। इसमें बताया गया है :

"वाइट हाऊस ने काफी टालमटोल के बाद अब यह निर्णय किया है कि वह 4,000 कलस्टर (किस्मी की आर्टिलिरी शैलस) का लदानरोक दिया जाए इसके बाद यह रिपोर्ट आई है जिसे इजराइल सरकार नकार नहीं सकी है। कि इजराइल ने अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन किया है उन्होंने पिछली बार के क्लस्टर बमों का प्रयोग सैनिक अड्डों के खिलाफ करने के स्थान पर लेबनान और फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ किया है।"

इसलिए अमरीकी सरकार ने दया करके यह निर्णय किया है कि वह इन क्लस्टर बमों की सप्लाई न तो रद्द करेगी न ही बंद करेगी वरना सप्लाई देर से करेगी क्योंकि अब इस बात से उन्हें बहुत शर्मिन्दगी उठानी पड़ रही है।

यह तो केवल एक ही उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण हैं। मैं उन स्रोतों का छोटा सा हवाला देना चाहता हूं जिन्हें कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता।

अमरीकी समाचार पत्रों में एन बी सी टेलिविजन के उस दल का जिक्र हो रहा है जो अश्चिमी बेरुत में इजराइली गोलाबारी की शिकार जनता की फिल्म लेने गया था।

लंदन टाइम्स के राबर्ट फिस्क की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि :

"जो भी उन्होंने देखा सचमुच असहनीय था। बहुत से घायल व्यक्ति छापामार नहीं थे वरना छोटे-छोटे एक साल से भी कम उम्र के बच्चे थे। शार्पनल से उनके शरीर में गहरे घाव थे और शरीर के चिथड़े उड़े हुए थे, बड़े बच्चों के शरीर से इतना रक्त स्राव हो रहा था कि वह कभी नहीं बच सकते थे। दल के एक सदस्य से तो यह सब सहन नहीं हुआ और वह रो पड़े।"

हम सब समझ सकते हैं और जानते हैं कि जब तीव्र गति से गोलाबारी की जाती है तो जिस्म में कैसे गहरे घाव होते हैं तथा कैसे चिथड़े उड़ जाते हैं ।

ऐसी बहुत सी रिपोर्टें हैं, कनाड़ा के एक डाक्टर श्री क्रिस्टोफर किऐनो ने जो कि सिडोन के अस्पताल में सर्जन थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ।

"उन्होंने कहा है कि उन्होंने यह देखा कि पूरे के पूरे ब्लाक ही नष्ट हो गए और शरणार्थी शिविरों पर पैलेट बम गिराए गए । जिस अस्पताल में वह काम कर रहे थे उस पर चार बार बमबारी की गई यद्यपि जेनेवा कन्वेंशन के अनुसार उसकी छत पर रेड क्रास का चिन्ह स्पष्ट बना हुआ था ।

उन्होंने बताया कि इजराइल की मिलिट्री ने शरणार्थियों को शरणार्थी शिवरों में भेजने की आज्ञा दे दी और फिर उन पर बमबारी की । उन्होंने कहा है कि इजराइली आक्रमण के परिणाम-स्वरूप जो 10,000 फिलिस्तीनी और लेबनानी नागरिक मारे गए उसमें से 50 प्रतिशत बच्चे थे जिनकी उम्र 12-13 वर्ष से भी कम थी ।

मैं विदेशी समाचारपत्रों, अमरीकी, ब्रिटेन के और विदेशी स्रोतों की रिपोर्टों का उदाहरण दे सकता हूं जिससे यह साबित हो जाता है कि अत्यन्त घिनौना नरसंहार किया गया है । इनका अभिप्राय केवल यह नहीं था कि वह लेबनान पर कब्जा करके तब हटे वरन वह चाहते हैं कि वह चाहते हैं कि बेरूत में ऐसी सरकार बने जो उनकी आज्ञा माने ।

यह कोशिश भी अमेरिका द्वारा ही की गयी है । क्योंकि अगले महीने, अगस्त में, बेरूत में राष्ट्रपति का चुनाव है । यह बात सबको मालूम नहीं है । और उस देश में यह चुनाव प्रत्यक्ष बरन परोक्ष रूप में हो रहा है । बेरूत में नए राष्ट्रपति को लाने करने का आधार तैयार किया जा रहा है जो कि इजराइल और अमरीका के अधीन रहे ।

जहां तक फिलिस्तीनियों का सम्बन्ध है, इस विषय में तो माननीय मंत्री ही अधिक सूचना दे सकते हैं, विभिन्न प्रस्ताव, प्रस्ताव-दर-प्रस्ताव और बातचीत किस अवस्था में है । क्योंकि विभिन्न प्रस्ताव अभी भी रखे जा रहे हैं । अभी हाल ही में वाशिंगटन में रीगन से अरब देशों के दो प्रति-निधि मिले हैं एक तो सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस सऊद-अल-फैजल थे और दूसरे थे सीरिया के विदेश मंत्री श्री अब्दुल हलीम खद्दाम । समाचारपत्रों के अनुसार सबसे पहली आवश्यकता तो इस बात की है कि लेबनान से इजराइली सेनाएं हटाई जाएं । मेरे विचार से यही इच्छा भारत सरकार की भी है यदि मेरा विचार गलत है तो आप इसमें संशोधन कर सकते हैं । मेरे विचार से यही विचार गुट निरपेक्ष देशों के ब्यूरों का भी है कि इसे टाला नहीं जा सकता । सारे विवाद का सही तरीके से निपटान और बातचीत द्वारा समझौता बाद में भी किया सकता है परन्तु सबसे पहल शर्त तो यही है कि इजराइली सेनाओं को लेबनान से वापिस बुला लिया जाए इतने अपार शस्त्र बल के साथ वह वहां नहीं रह सकते और बन्दूकों की आड़ में वह किसी प्रकार का समझौता थोपना चाहते हैं । अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसकी स्वीकृति नहीं दे सकता ।

सीरिया के विदेश मंत्री और सऊदी अरब के विदेश मंत्री दोनों ने यही कहा है और यहां मैं श्री वारन उन्ना को फिर उद्धृत कर रहा हूं :

"वह इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अमेरिका जो इजराइल का प्रमुख सैनिक और आर्थिक संरक्षक है, उसे इस देश पर प्रतिबंध लगाकर उसकी आक्रमणकारी गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए।"

मेरे विचार से भारत सरकार को इस मामले पर कड़ा रवैया अपनाना चाहिए। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री अगले सप्ताह वाशिंगटन में होंगी। मुझे नहीं मालूम कि वहां के राष्ट्रपति के साथ क्या मुद्दे उठाए जाएंगे और क्या विचार विमर्श किया जाएगा। मेरे विचार से तो अनेक विषयों पर विचार विमर्श होगा। परन्तु इस मुद्दे को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता परन्तु मुझे आशा है कि इस सदन को इतना आश्वासन दिया जा सकता है कि प्रधानमंत्री केवल अपनी सरकार की ओर से ही नहीं वरन पूरे देश की ओर से इस मुद्दे को उठाएंगी और राष्ट्रपति रीगन को स्पष्टतः यह बता देंगी कि इस मुद्दे का कोई स्थायी और उचित हल तब तक नहीं हो सकता जब तक लेबनान से इजराइली फौजों को नहीं हटा लिया जाता।

इस पूरे मामले में अमरीकी सरकार की भूमिका की आलोचना तो मेरे विचार से बहुत मामूली तो थी ही परन्तु प्रधान मंत्री के लिखित वक्तव्य में तो बिल्कुल भी नहीं थी। अपने लिखित वक्तव्य के अलावा भी उन्होंने कुछ वाक्य कहे थे जिसका जिक्र मेरे विचार से उन्होंने दूसरे सदन में किया था क्योंकि किसी सदस्य ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे थे। उन्होंने अमेरिका का जिक्र किया था और ऐसा कुछ कहा था कि इसमें अमेरिका का काफी बड़ा हाथ है। परन्तु उनका लिखित वक्तव्य जो वहां उपलब्ध है उसमें इस विषय में एक भी शब्द नहीं कहा गया है, और मेरे विचार से महोदय, अब वक्त आ गया है कि सही को सही और गलत को गलत कहा जाए। इस बात में किसी को भी, कोई संदेह नहीं है कि इजराइलियों ने कुछ भी किया है वह अमरीकी सरकार के पूर्ण समर्थन के बिना यह सब नहीं कर सकते थे। (व्यवधान) मैं देख रहा हूं कि डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी इस सम्बन्ध में लगातार कुछ न कुछ टिप्पणियां कर रहे है। (व्यवधान)

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : (बम्बई उत्तर-पूर्व) यह वक्तव्य मेरे अफगानिस्तान वाले वक्तव्य जैसा ही है। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह सब रिकार्ड नहीं किया जा रहा है।

**श्री इंद्रजीत गुप्ता** : इस समय सरकारी तौर पर नाममात्र जो युद्धविराम वहां पर है, इजराइलियों द्वारा उसका प्रतिदिन उल्लंघन किया जा रहा है तथा युद्ध शुरू होने के चार या पांच दिन पश्चात राष्ट्रपति रीगन ने युद्ध विराम करने के लिए कहा था उसका कारण यही था कि राष्ट्रपति ब्रेझनेव द्वारा उन्हें कुछ पत्र मिले थे। पर सबको मालूम है। दुर्भाग्यवश यह पत्र प्रकाशित नहीं किए गए हैं मेरे विचार से प्रकाशित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ब्रेझनेव से दो पत्र प्राप्त होने के बाद ही ऐसा हुआ। उनमें यह चेतावनी दी गई थी कि यदि यह युद्ध बढ़ाया गया और शांति स्थापना के नाम पर यदि अमरीकी सेनाएं लेबनान भेजी गई तो सोवियत रूस शांत नहीं होगा। उसके बाद ही युद्ध विराम की हल्की सी आवाज सुनाई दी थी। इसलिए डा० स्वामी, मेरे मित्र, आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए।

महोदय लंदन के 'न्यूस्टेट्समैन' में छपा एक लेख मैंने पढ़ा। आपकी आज्ञा से मैं इस लेख में छपी दो तीन, बहुत मजेदार बातों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। मेरे विचार से यह तथ्य सही और प्रमाणित है जिन्हें संवाददाता ने प्रकाशित किया है। मैं उन्हें उद्धृत कर रहा हूं :—

"जनरल शेरोन के 22 मई से 27 मई के वाशिंगटन के महत्त्वपूर्ण दौरे के बाद ही अमेरिका और इजराइल दोनों बेरुत की ओर बढ़े।"

यह बहुत महत्त्वपूर्ण बात है। युद्ध प्रारंभ करने से कुछ दिन पहले ही रक्षा मंत्री जनरल शेरोन ने वाशिंगटन का दौरा किया था। इस लेख में क्या कहा गया है ? मैं फिर से उद्धृत करता हूं :—

"उन्हें अमेरिका से यह स्पष्ट संकेत मिला था कि लेबनान में कारवाई करने का यही सही समय है, यही बात राष्ट्रपति के राजनैतिक और सैनिक परामर्शदाताओं को परेशान कर रही थी।"

"राष्ट्रपति रीगन के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही 'ह्वाइट हाउस' ने लेबनान सीमा पर इजराइल के आक्रमण को न्यायसंगत लक्ष्य और आत्मरक्षक बताया है।"

भावी आक्रमण की उन्हें कोई चिन्ता नहीं थी। 24 मई को जब जनरल शेरोन वाशिंगटन में उपस्थित थे तब तो उसके समय पर ही थोड़ा बहुत विचार हुआ था।

"24 मई को प्रशासन ने कांग्रेस को एक अनौपचारिक नोटिस भेजा जिसमें इजराइल को 75 एफ० 16 जैट लड़ाकू विमान, जिनकी कीमत लगभग तीन बिलियन डालर थी, बेचने के निर्णय की सूचना दी।"

यह वही एफ० 16 जैट् लड़ाकू विमान है जिनके कारण हम परेशान हैं क्योंकि अब यह पाकिस्तान को भी दिए गए हैं।

"दो दिन के बाद प्रशासन द्वारा भेजी एक दूसरी पेशकश जिसमें 5100 लाख डालर की लागत के ग्यारह एफ० 15 जैट भेजने का निर्णय था वह भी कांग्रेस ने पास कर दिया। उसी दिन 26 मई को 'सीनेट फारेन रिलेशनस कमेटी' ने यह वोट पास किया कि वह इजराइल को 1983 में दिए जाने वाले आर्थिक सहायता निधि में 1250 लाख डालर से 7850 लाख डालर और देगा।"

"सीनेट कमेटी के अनुसार इसका कारण था कि इजराइल की शस्त्रों की संख्या, जो बराबर घटती जा रही है······उसके कारण अधिक शस्त्र खरीदने की आवश्यकता है।" उसमें कहा गया है :—

"पेंटेगौन ने यह बात बिल्कुल ही स्पष्ट कर दी कि पी०एल० ओ० सेनाओं को नष्ट करने और सीरिया को बेरुत से बाहर निकालने के इजराइली आक्रमण को अमरीका का संरक्षण मिलेगा। जनरल शेरोन के जाने से पूर्व ही कई अमरीकी जन सैनिक 'डिप्लायमेंट्स' को आदेश जारी कर दिए गए थे।"

कम से कम तीन 'एयरक्राफ्ट कैरियर'—यू एस एस रेजर, यू एस एस कैनेडी, यू एस एस आइजनहावर —जनरल शेरोन के वाशिंगटन दौर के कुछ ही दिन के भीतर विभिन्न जगहों से इस जगह लेबनान के समुद्रतट पर ले आए गए।

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका की क्या भूमिका रही है इस संबंध में अनुदान दिए जाने पर कोई स्पष्ट निर्णय न लिए जाने के लिए अमेरिका टालमटोल कर रहा है।

मुझे अफसोस है कि श्रीमती गांधी ने अपने वक्तव्य में सही को सही, गलत को गलत नहीं कहा है और इसे स्पष्ट नहीं किया है। उदाहरण के तौर पर दक्षिण अफ्रीका के मामले में हमने यह स्पष्ट कहा था कि दक्षिण अफ्रीका के जातिभेद शासन में अभी भी जो कुछ किया जा रहा है वह अमेरिका और ब्रिटेन के समर्थन के कारण ही हो रहा है। हम तथा सरकार कई बार यह कह चुके हैं। परंतु इस मामले मे कोई भी यह नहीं कह रहा है कि इजराइल को जिसका संरक्षण प्राप्त है वह कौन है। हम सभी यह जानते हैं कि अमेरिका में व्यापार, सरकार और सभी जगह बहुत शक्तिशाली और धनी यहूदी समुदाय है। एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेगिन वाशिंगटन गए थे तो वाल्डरोफ आस्टोरिया होटल में एक लंच दिया गया था जिसमें जो भी व्यक्ति वहां लंच लेना चाहे उन्हें प्रति व्यक्ति 100,000 डालर फीस देनी पड़ी थी। इस लंच से यहूदियों ने एक घंटे में इजराइल के लिए 270 लाख डालर इकट्ठे कर लिए।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** :—ऐसे दोस्त होने चाहिए।

**श्री इंद्रजीत गुप्त** :—जी हां ऐसे दोस्त होने चाहिए। अब मुझे मालूम हुआ कि श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी को न्यूयार्क में डिनर लेना इतना पसंद क्यों है।

**उपाध्यक्ष महोदय** :—श्री इंद्रजीत गुप्त भारतीय मुद्रा के अनुसार यह लगभग 10 लाख रुपए आता है।

**श्री इंद्रजीत गुप्त** :—मुझे नहीं मालूम था आप इतनी जल्दी हिसाब लगा लेंगे। —

संयोग से, अभी जब मैंने दक्षिण अफ्रीका के जातिभेद शासन और पश्चिमी शक्तियों के सहयोग की बात की थी तभी एक रिपोर्ट आई है। मुझे उम्मीद है आप सब ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवीय अधिकार आयोग की रिपोर्ट जरूर देखी होगी जो कि दक्षिण अफ्रीका में जाति भेद की छानबीन कर रहे थे। अभी हाल ही में वह दिल्ली में थे। उस आयोग के चेयरमैन घाना के श्री ए० ए० कैटो ने दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इजराइल और द० अफ्रीका का जातिभेद शासन आणविक युद्ध सामग्री और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे सहयोग, जिसमें इजराइल द्वारा प्रीटोरिया को विद्रोहियों का प्रतिरोध करने की विशेषज्ञता देने जिसमें स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल हैं, तथा दक्षिण अफ्रीका की काले लोगों के खिलाफ की जाने वाली गतिविधियों में तथा इजराइल द्वारा लेबनान में किए जाने वाले आक्रमण में सामंजस्य है। वह भी जातिभेद शासकों के समर्थक हैं। एक समय यहूदी शासन को जो सहना पड़ा था वही आज वह पलट कर इन लोगों पर कर रहा है।

पूरी स्थिति बड़ी दयनीय और निन्दनीय है। मैं तो यह कहूंगा कि अरब देशों में न तो

एकता ही है और न कोई सहयोग। बहुत से अरब देश वरन अधिकतर वह देश जो पी०एल०ओ० को समर्थन देते थे आज चुप हैं वह कुछ कहने में हिचकिचाते हैं या टालमटोल करते हैं। यदि वह एक होकर यह धमकी देते कि वह अमेरिका के बैंकों से अपनी अपार धनराशि निकाल लेंगे तो राष्ट्रपति रीगन को अपने ग्राहक देश की कार्यवाहियों के बारे में समय से पहले ही सोचना पड़ता। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया।

दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद बिल्कुल शक्ति हीन हो चुकी है। वर्तमान व्यवस्था ऐसी ही है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि ऐसी अवस्था में गुट निरपेक्ष देशों के संगठन का एक विशेष महत्व हो जाता है। इसके अलावा न तो और कोई ऐसा मंच ही है न ही कोई संगठन जो ऐसी दयनीय स्थिति का हल ढूंढ सकता है। इसीलिए महोदय साइप्रस में हुई यह बैठक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण थी, वे हमें सही-सही यह बताएंगे कि उन्होने क्या करने का निर्णय किया है। उन्होंने बेरुत को एक दल—9 सदस्यों का दल भेजने का निर्णय किया है, जो स्वयं स्थिति को परखेगा और इजराइल द्वारा किए गए अत्याचार और नरसंहार सम्बन्धी लक्ष्य एकत्र करेगा किंतु उन्हें बेरुत में प्रवेश करने की अनुमति ही नहीं दी गई थी, तो यह निर्णय तो पहले ही लागू नहीं किया जा सका। अब और क्या करने के लिए प्रस्ताव किया है?

मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि श्री नरसिंह राव ने कहा था—यदि मैंने उन्हें ठीक-ठीक उद्धृत किया है तो—कि उसे बिल्कुल अलग-थलग करने के लिए हमें सभी उपाय करने चाहिए। पूरी तरह से बहिष्कार से अभिप्राय है सम्भवतः आर्थिक, नैतिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और अन्य सभी प्रकार का बहिष्कार और दबाव डालने के लिए इसको लागू किया जाना चाहिए। उनका अभिप्राय यही था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं।

मुझे मालूम है कि मेरे बोलने से पहले ही श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने मुझे कहा था कि मुझे यह नहीं कहना चाहिए। इसीलिए सिर्फ इसी वजह से मैं यह कहूंगा कि जहां तक नैतिक और कूटनीतिक दबाव का सम्प्रन्ध है, भारत एक बड़ा देश है और गुट-निरपेक्ष देशों के समूह में एक प्रधान देश है, और मेरे विचार से कमसे कम जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक बम्बई स्थित इजराइली वाणिज्य दूतावास को बंद कर दिया जाए।

**डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : नहीं, नहीं।

**श्री इंद्रजीत गुप्त** : यह किसी किसी प्रकार के आदान-प्रदान पर आधारित नहीं है। क्या तेल अबीब में हमारा कोई वाणिज्य दूतावास है? मेरा ख्याल है कि वाणिज्य दूतावास और दूतावास उसी देश में खोले जाते हैं जहां कि अपना वाणिज्य दूतावास या दूतावास पहले से ही हो, तो अबीब में भारत का वाणिज्य दूतावास नहीं है किंतु उनका वाणिज्य दूतावास यहां है, किंतु किसी वाणिज्य दूतावास का होना अपने आप में कोई गलत बात नहीं है, किंतु हमने अभी हाल ही में लक्षित किया था कि उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और पहले भी किया गया था। हालांकि वाणिज्य दूतावास काम कर रहा है फिर भी इससे पहले के कांउसल को देश छोड़ देने के लिए कह दिया गया था, क्योंकि उसके कार्यकलाप और वक्तव्य आदि प्रतिकूल थे। किंतु आखिरकार हमारी भूमि पर इजराइल का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मुझे यह बताया गया है कि कुछ समाचार पत्रों में अत्यत बुद्धिमान, विद्वान और अनुभवी सम्वाददाताओं ने जो कुछ नये समाचार पत्रों से संबंधित हैं—मैं उनसे अत्यंत भयभीत हूं—उन्होने भी लिखा है कि वाणिज्य दूतावास को बंद किए जाने

की मांग करना बचपना, मूर्खता और अपरिपक्वता की निशानी है । क्यों ? क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो यहूदी हैं—सम्भवत: वे कुछ हजार ही हैं—और वह वाणिज्यदूतावास इन लोगों की सहायता के लिए खोला गया, ताकि यदि ये इजराइल में बसना चाह रहे हों, तो उन्हें उत्प्रवास करने में सहायता दी जा सके । मुझे यह तो मालूम नहीं है कि कितने वहां जाकर बसे और कितनों ने यहां बसने के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है । निश्चित रूप से यदि वे वहां बसना चाहते हैं तो उन्हें जबरदस्ती रोकने की कम से कम मेरी कोई इच्छा नहीं है । यदि वे भारत छोड़ना चाहते हैं और इजराइल में रहना चाहते हैं, तो वे निश्चयत: ऐसा कर सकते हैं, उनका स्वागत है ।

फिर भी यदि कुछ दिनों के लिए यह सुविधा यदि समाप्त कर दी जाए तो आकाश तो नहीं गिर पड़ेगा कुछ भी नहीं होगा । भारत को संसार के सामने ऐसे ठोस प्रमाण देने में सक्षम होना चाहिए कि वह फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के खिलाफ लेबनान में इजराइल द्वारा की गयी कार्यवाही के प्रति घोर विरोध दर्शाने और उसका तिरस्कार करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार जो भी सीमित कार्यवाही कर सकता है वह करने के लिए तैयार है ।

फिलिस्तीनी-मुक्ति-संगठन के हितों की रक्षा के लिये प्रधान मन्त्री ने जो कहा है उसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं । उसे बंदूकों और बारूदों से दबाया नहीं जा सकता है । चाहे वे अपना बचाव ही क्यों न कर रहे हों या कठिनाइयों का सामना कर रहे हों या उन्हें तितर-बितर होना पड़ रहा हो फिलिस्तीन की आजादी की मांग और अपनी मातृभूमि पर उनके वापस लौटने की आकांक्षा का दमन नहीं जा सकता है और समय-समय पर वह उभरेगी ही पूरा संसार उनका समर्थन कर रहा है । इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि गुट-निरपेक्ष देश क्या करने वाले हैं ।

मुझे मालूम है कि यह कोई आसान काम नहीं है मुझे मालूम है कि एक निर्णय उन्होंने यह भी लिया था कि वे सुरक्षा परिषद के सामने फिर से प्रस्ताव करने की कोशिश करेंगे । मेरा ख्याल है कि यह बहुत मुश्किल काम है क्योंकि श्रीमती किर्क पैट्रिक निषेध मत का प्रयोग करेंगी । वे क्या करना चाहते हैं ? क्या श्रीमती प्रधान मन्त्री इसे वाशिंगटन में राष्ट्रपति रीगन से द्विपक्षीय वार्ता के दौरान बताएंगी । क्या वह वाणिज्य दूतावास थोड़े दिन के लिए केवल यही स्पष्ट करने के बंद कर दिया जाएगा हम इसके कार्यकलापों का घोर विरोध करते हैं और इसकी निन्दा करते हैं ।

प्रधान मन्त्री ने मौखिक रूप में हमें बताया था कि यह उनके तैयार किये गये लिखित वक्तव्य का भाग नहीं है जो उन्होंने राष्ट्रपति रीगन, राष्ट्रपति ब्रेझनेव और राष्ट्रपति रित्तरैंद और गुट-निरपेक्ष ब्यूरो के चेयरमैन होने के नाते भी वैल कारगो को भी लिखे अपने पत्र में प्रस्तुत किया गया । किन्तु मैं तो वाकई यह नहीं समझ पाया कि ऐसे नाजुक समय में प्रधान मन्त्री का वह पत्र प्रकाशित क्यों नहीं किया गया था । यह हमारे हाथ में काफी प्रभावशाली नैतिक अस्त्र है ।

**प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर)** : उन्हें सभा पटल पर रखा जा सकता था ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : उन्हें सभा पटल तक पर नहीं रखा गया था ।

**विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव)** : आपके ख्याल से राष्ट्रपति ब्रेझनेव को लिखा पत्र गोपनीय तो था ही नहीं ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : राष्ट्रपति ब्रेझनेव ने हमारी प्रधान मन्त्री को कोई पत्र नहीं लिखा है।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : जो भी पत्र उन्होंने लिखा है वह भी तो गोपनीय है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : आपके प्रचार साधनों और रेडियो ने इसी विषय पर जूलियस न्यरेरे द्वारा लिखे पत्र का प्रचार किया था। यह बहुत अच्छी बात है। हमारे प्रचार साधन जूलियस न्यरेरे द्वारा लिखे पत्रों और इस विषय पर अन्य संदेशों का प्रचार कर रहे हैं। अत: ऐसी कौन सी अड़चन है जिसके कारण हम विपक्ष को नहीं बता सकते कि हमारे प्रधान मन्त्री ने इसके लिये चिंता व्यक्त की है, शेष व्यक्त किया है और इसके महत्व को वे समझती हैं। आप मूल पत्र का यथा-तथ्य रूप में प्रकाशित न करना चाहें तो कम से कम उसे संक्षेप में या उसका सार तो प्रकाशित करें ही, मुझे नहीं मालूम कि आपका मन्त्रालय इसके लिये जिम्मेदार है या नहीं।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : यदि आप सभा पटल पर पत्र रख देंगे तो वे वाणिज्य दूतावास को बन्द कर देने की अपनी मांग छोड़ देंगे।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : मैं ऐसे किसी आदान-प्रदान में भाग नहीं लूंगा।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : वह भी मान नहीं लेना चाहते। अतः महोदय, मुझे आशा है कि सभा के सभी पक्ष बिना किसी समझौते और बिना किसी शर्त के अमरीकी समर्थन प्राप्त इजरायली आक्रमण की निंदा करेंगे, वे फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के पक्ष में अपना दृढ़ समर्थन प्रदर्शित करेंगे। वे यह इच्छा व्यक्त करेंगे कि जल्दी शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत शुरू की जाए और उससे भी पहले लेबनान से इजराइली सेना को हटाया जाए और इस देश की प्रभुसत्ता सम्पन्न संसद की सर्वमान्य सम्मति से हम प्रधान मन्त्री का पक्ष मजबूत करें ताकि जब वे वाशिंगटन जाएं तो मुझे आशा है कि हमारी इच्छा पूरी करेंगी।

मुझे आशा है कि वे राष्ट्रपति रीगन को बताएंगी क्या-क्या है तथा क्या गलत है और क्या सही है। भारत अन्य देशों के समान नहीं है। गुट-निरपेक्ष देशों के समूह में से वह सबसे बड़ा देश है और इसीलिए वह केवल संकल्प पारित कर और वक्तव्य जारी कर ही संतुष्ट नहीं है। उन्हें और अधिक सक्रिय होना होगा। उन्हें जनमत तैयार करना होगा। लोगों को अनुकूल बनाने की कोशिश करनी होगी। यदि वे तुरंत सफल न हो, तो कोई बात नहीं किन्तु इससे यह तो पता चलेगा कि भारत इस विषय के बारे में विश्व मंच पर काफी सक्रियता से काम कर कहा है।

इसीलिए मुझे आशा है कि जब माननीय मन्त्री उत्तर देंगे तो हमें आश्वस्त करने में समर्थ हो सकेंगे।

**श्री एडूआर्डो फलीरो (मारमागाओ)** : मैंने मानवीय मित्र का भाषण बहुत ध्यान से सुना और उनके साथ ही मेरी भी हार्दिक कामना यही है कि यह सभी इजराइलियों द्वारा लेबनान के लोगों और फिलिस्तीनियों पर किये गये आक्रमण की एकमत से निंदा करेगी।

हम नरसंहार का समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली सेनाओं ने जो आक्रमण किया है, वह नरसंहार ही है।

मुझे मालूम है कि मोटे तौर पर लगभग सभी सहमत हैं, मैं इस बात से सहमत हूं कि किसी एक सदस्य ने जो प्रतिक्रिया व्यवक्त की थी उसे पागलपन का प्रलाप ही कहा जा सकता है। हालांकि मुझसे यह कहे बिना नहीं रहा जा रहा है कि अन्यथा मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त हमेशा

इसी पागलपन के प्रलाप के पक्ष में रहे हैं यह वही प्रलाप है, जो संयुक्त-विरोधी-पक्ष के कार्यकलापों का एक मार्ग जिसके साथ मेरे मित्र श्री इंद्रजीत गुप्त हैं और अन्य भी हैं तथा वे परस्पर भाईचारा भी जताते हैं, जब कभी सरकार को शर्मिन्दा करना होता है, या उसका विरोध करना होता है।

यहाँ यह कहा गया है, एक दिन प्रधान मन्त्री ने कहा था कि इस आक्रमण की निंदा केवल उनके द्वारा ही नहीं की गयी, जो फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायल के हर आक्रमण का विरोध करते रहे हैं, वरन् उनके द्वारा भी की गयी है, जो इजरायल के मित्र हैं और यहाँ तक कि इजरायल में रहने वाले स्वयं इजरायलवासी भी इसकी निन्दा कर रहे हैं। ब्रिटेन के मुख्य मन्त्री ने हाल ही में लंदन में कहा था और बाकायदा रिकार्ड में दर्ज है कि :

> "इजरायल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जबकि यहूदी समुदाय ने और इजरायल के लोगों ने लेबनान और उसके लोगों के खिलाफ इजरायल की सैनिक कार्यवाही की सदाशयता उसके औचित्य और आवश्यकता के प्रति इतनी आशंकाएं अवगत नहीं होंगी।"

मैं इस बात से सहमत हूं कि हत्याकांड और आक्रमण की भीषणता को पुष्ट करने के लिये देश आर आधारभूत रूप से इजरायल समर्थकों के विचारों को उद्धृत करना ही बेहतर ढंग है।

अब 'न्यूयार्क टाइम्स' को ही लीजिये उसे किसी भी तरह से फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन का समर्थक ही कहा जा सकता है अभी हाल ही में उसने बताया है कि :

> * "अमरीकी विदेश विभाग का अनुमान है कि बेरूत में 10,000 असैनिक मारे गये और घायल हुए हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि युद्धपोत और विमान घनी आबादी वाले आधुनिक शहर पर बमबारी कर रहे हैं। दक्षिणी लेबनान के सिडान और अन्य छोटे-छोटे कस्बे तबाह हो गए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास के एक अधिकारी ने बताया कि इस आक्रमण के कारण 600,000 लोग बेघर बार हो गये हैं।"

'लंदन टाइम्स' के बारे में लेश मात्र भी यह सोचा नहीं जा सकता है कि वह फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन का समर्थक नहीं है और जो सामान्यतः इजरायल के हित का समर्थन करता है, उसने गत 10 जून के अपने अंक में "एन अनबैलेंसड पालिसी" शीर्षक के अन्तर्गत यह प्रकाशित किया है।'

> "तथ्य यह है कि इस संघर्ष में इजरायल आक्रमक है। उसका यह दावा' कि वह गेलीली आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा है, मैं और अपनी जनता की सुरक्षा के लिये अपरिहार्य कार्यवाही कर रहा है, ठीक नहीं है..."
>
> "गत शुक्रवार तक भी, गेलीली की जनता द्वारा गत जुलाई में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन द्वारा स्वीकार किये गये युद्ध विराम द्वारा लेबनान के क्षेत्र से आक्रमणों से रक्षा की गई थी। इजरायल के हवाई हमलों के उत्तर में, जिनमें कम से कम 12 फिलिस्तीनी मारे गये थे और 30 से अधिक जख्मी हुये थे, 9 मई चार घंटों के लिये लेबनान से इजरायली

---

* मूल अंग्रेजी का हिन्दी रूपान्तरण

क्षेत्र की केवल गोलाबारी हुई थी। इजरायली सेना के अनुसार कोई हताहत नहीं हुआ। ऐसा फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन द्वारा बिलकुल स्पष्ट रूप से याद कराने के लिए किया गया था कि इसके तोपखाने इस्राइली लक्ष्यों तक मार करने हेतु पहुंचने में समर्थ हैं और कि कोई युद्ध विराम तक पक्षीय नहीं हो सकता है।"

यह कहा गया कि लेबनान में इस्राइली सेनाओं द्वारा किये गये विनाश और हत्याकाण्ड को देखते हुये यह इतिहास की एक दुखद विडम्बना है कि नाजी शासन के दौरान आचटविज और बनतवाल्ड के शिकार हुये लोगों ने जिनके लिए सारा संसार चिल्लाया था, भारत के लोग चिल्लाये थे, अब वास्तव में स्वयं हिटलर को भी मात दे दी है। जो कुछ गत वर्षों के दौरान लेबनान में घटित होता रहा है, वह इस्राइल के रक्षामंत्री श्री रटियल शरों के व्यक्तित्व की प्रतिमूर्ति है जिन्हें सिबिया के हत्यारे के रूप में जाना जाता है, वह व्यक्ति जो 1953 में एक कमांडों के अधिकारी के रूप में एक फिलिस्तीनी गांव में गया और जिसने 69 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्या की जो कि निहत्थे फिलिस्तनी नागरिक थे। यही व्यक्ति उन सैनिक कार्रवाई का मुखिया है जो इस्राइल लेबनान के विरुद्ध कर रहा है।

इस परिस्थिति में विश्व समुदाय क्या कर रहा है? जैसाकि यहां कहा गया है और जैसा कि हमारी प्रधानमंत्री एवं हमारे विदेश मंत्री द्वारा कहा गया है, संयुक्त राज्य अमरीका स्पष्ट रूप से इस्राइल की मदद कर रहा है और मुझे यहां यह अवश्य ही कहना चाहिये कि कितने सराहनीय रूप से और हमेशा की तरह कितनी वीरता से कितने नैतिक विश्वास के साथ हमारी प्रधान मंत्री ने अपने विचार व्यक्त किये हैं मुझे पूर्ण विश्वास है कि समूची सभा में मेरे साथ सहमत होगी कि जिनमें स्पष्ट शब्दों में इस्राइल द्वारा किये गये आक्रमण की निन्दा की गई है। जैसाकि यहां बताया गया है अमरीका में एक शक्तिशाली इस्राइली लानी नहीं हुयी है। किन्तु वह हमारे नेता को वह बात कहने से जो कही जानी चाहिये थी, और यह बताने से भी नहीं रोक पायी है कि वहां आक्रमण हुआ है और वास्तव में वह आक्रामक कौन है।

किन्तु शेष अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय क्या कर रहा है, यहां बताया गया है और यह बिलकुल स्पष्ट है कि अमरीका इस्राइल को धन देता है और वह इस्राइली आक्रमण का मुख्य समर्थक है। जहां तक सोवियत रूस का संबंध है श्री इन्द्रजीत गुप्त कुछ लिखित पत्रों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बता सके, वह चुप रहे हैं और हमें भी इससे अधिक कुछ भी मालूम नहीं कि सोवियत संघ फिलिस्तीनियों की सहायता करने अथवा स्थिति को सुधारने के लिये क्या कर रहा है। **(व्यवधान)**। धारणा यह बनी हुई है कि दोनों बड़ी शक्तियाँ केवल अपने विश्वव्यापी हितों में रुचि रखती हैं, वे अपने 'सामरिक मतैक्य' में रुचि रखते हैं। और यह बात कहते हुये दुख होता है यद्यपि वह सच है कि स्पष्टतया सभी प्रयोजनों से विशेष रूप से वे हम बात में रुचि रखते हैं कि विनाश लीला के अपने हथियारों के लिए इस युद्ध का उपयोग परीक्षण आधार के रूप में किया जाये, चाहे ये हथियार पूर्व के हों अथवा पश्चिम के, उनसे फिलिस्तीनियों के विरुद्ध लेबनान में आजमाया जा रहा है ताकि उनकी क्षमता का उसी ढंग से पता लगाया जा सके जैसाकि कुछ सप्ताह पूर्व उनका परीक्षण फाकलैंड संघर्ष में किया गया था। जहां तक अरबों का सम्बन्ध है, उनकी फूट लोक प्रसिद्ध है और क्या मैं यह कह सकता हूं कि कार्य करने की अपेक्षा वक्तृता के प्रति उनकी वचनबद्धता भी जनश्रुति बनती जा रही है। उन्होंने मुश्किल से कोई सहायता दी होगी। फिलिस्तीनियों और उनके एक मात्र वैध प्रतिनिधि, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन ने व्यवहारिक

रूप से इस युद्ध को अकेले ही लड़ा है जैसा कि वे इन सभी वर्षों के दौरान अपने निकटतम पड़ोसियों की सहायता तथा उनकी सहायता के बिना जो अपने आप को उनका मित्र होने का दावा करते हैं अपने वजह के लिए व्यावहारिक रूप से अकेले ही लड़ते रहे हैं। मैं यह कहूंगा कि ऐसी नाजुक घड़ी में भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट करके आशा की किरण दिखायी है जो कि मानव की नैतिक अन्तरात्मा की निर्भीक अभिव्यक्ति है। हमने केवल एक वक्तव्य दिया है। हमने कई वक्तव्य दिये हैं। हमने सभी प्रकार की सहायता दी, हमने सभी प्रकार की सामग्री के रूप में अर्थात दवाइयों, डाक्टरों और सभी सुविधायें, सहायता दी और बम्बई से इजरायली वाणिज्य दूत को निकाल देना बहुत आसान काम नहीं था। इसमें स्पष्ट रूप से काफी अधिक विचार किये जाने की आवश्यकता थी, परन्तु यह अधिक न्यायोचित भी था क्योंकि इस देश में इस्राइली वाणिज्य दूत का आचरण ऐसा रहा है जिसे संसदीय भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभा में हम में अनेक अपने प्रारम्भिक हितों में इस महान साहित्य तथा इजरायलियों के बिखराव के बारे में बताये जा रहे महान सिद्धान्त से प्रभावित हुये होंगे क्योंकि हजारों वर्षों से इस्राइल के बच्चों को विश्वभर में बिखरा जा रहा है। यह एक दुखद घटना थी जिसने हमें शैशव से ही प्रभावित किया था और जिसका हममें से अनेक अब भी जोरदार विरोध करते हैं किन्तु, वह बड़ी दुखद घटना जो आज हम तथा विश्व अपनी आंखों के सामने घटित होती देख रहे हैं, वह यह है कि इस्राइलियों के बिखराव के स्थान पर फिलिस्तीनियों का बिखराव किया जा रहा है। फिलिस्तीन के लोगों को उनकी अपनी भूमि से निकाल बाहर फेंका जा रहा है। उन्हें जोर्डन से बाहर निकाला जा रहा है। उन्हें अपने लेबनान से बाहर निकाला जा रहा है और यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि उन्हें कहां जाना चाहिये। क्या उन्हें यूनान जाना चाहिये ? क्या उन्हें ईराक जाना चाहिये ? उन्हें कहाँ जाना चाहिए। इस प्रश्न का एक ही उत्तर है कि फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन जाना चाहिए। उनको फिलिस्तीन में अपना घर बनाने का अहरणीय अधिकार प्राप्त है। भारत का यह दृष्टिकोण रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह देश और यह सरकार एक बार फिर वैसा नेतृत्व करेंगे जैसाकि इस संघर्ष ने और इस स्थिति में किया जाता रहा है और सभी मंचों पर अपनी पूरी शक्ति के साथ इसके किए जोर देंगे।

दूसरी बात जिसकी तुरन्त आवश्यकता है और जिसके बारे में सरकार पहले ही अपना दृष्टिकोण व्यक्त कर चुकी है वह सभी तरह से इस्राइली आक्रमण को समाप्त कराके उसे लेबनान की अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सीमाओं से बाहर भिजवाने का प्रयास करना है।

मैं एक बार पुन: सरकार एवं प्रधान मंत्री को उनके बहुत ही साफ साफ सुस्पष्ट और साहसपूर्ण दृष्टिकोण के लिये सराहना करता हूं तथा उन्हें जोरदार शब्दों में बधायी देता हूं और मैं भारत सरकार द्वारा तथा विदेश मंत्री द्वारा किये गये नेतृत्व की इसलिये सराहना करता हूं कि उन्होंने पुन: अपनी आवाज उठायी है जो कि इस्राइली आक्रमण के विरुद्ध मानवता की नैतिक पुकार है।

मैं यह कहके अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। इस सभा में हम चाहे जिस भी दल से सम्बन्धित हों, फिर भी इस राष्ट्र के प्रति हमारा एक कर्त्तव्य है और वह कर्त्तव्य यह है कि इस्राइल के आक्रमण की निन्दा की जाये क्योंकि यह राष्ट्र भी साम्राज्यवादी दर्प तथा उप-निवेशवादी दमन का सदियों तक शिकार रहा है और यह राष्ट्र हर समय और अभी हाल तक

अपने नेताओं के माध्यम से सदैव उत्पीड़ितों एवं सही बात और कमजोर देशों की सैनिक शक्ति से रक्षा करने का समर्थन करता रहा है।

एक बार फिर मैं प्रधान मन्त्री के वक्तव्य की सराहना करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उसी रास्ते को अपनाती रहे जो उसने विदेश नीति के सभी मामलों में इस संकट में अब तक अपनाया है।

**श्री सत्यसाधन्न चक्रवर्ती** (कलकत्ता दक्षिण) : वास्तव में यह सोचकर दुख होता है कि आज एक राष्ट्र साम्राज्यवादी षडयंत्र का शिकार बन रहा है और अपनी कोई गलती न होते हुये भी कष्ट उठा रहा है। मुझे यह प्रतीत होता है कि सारा संसार उनकी ओर देख रहा है किन्तु··· किन्तु, ऐसा लगता है कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जो उसे राहत दिला सके और उन्हें बचा सके।

महोदय, यह बात मुझे द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व के दिनों की याद दिलाती है जबकि इटली द्वारा एबीसीनिया पर आक्रमण किया गया था। हैली सिलासी ने लीग आफ नेशन्स को एक पत्र भेजा था। किन्तु, कोई भी एबीसीनिया की मदद करने के लिए नहीं आया जो 'फासिस्टों के श्रेष्ठ शस्त्रों के विरुद्ध तीर कमानों से लड़ा था। हम जानते हैं कि विश्व के साम्राज्यवादी शक्तियों के नेतृत्व में समूची लीग आफ नेशन्स की निष्क्रियता तथा चुप्पी के कारण क्या मूल्य चुकाना पड़ा था। फ्रांस और ब्रिटेन मौन रहे, जब एक एक राष्ट्र की हत्या की गई थी तो उनकी सहायता करने के लिए कोई भी नहीं आया। आज भी हम वही बात देख रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस्राइल खुले आम सभी अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करके और समस्त अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी संकल्पों का उल्लंघन कर रहा है ? ऐसे कुछ लोग हैं जो स्वतंत्रता और लोकतंत्रता की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं; उपनिवेशवाद कहां है ? फिर आज लेबनान में 40,000 लोगों की हत्या कैसे कर दी गयी है ? वे लोग कौन हैं जो मरे हैं ? आप बेरुत जाइये और आप वहां सुलगते हुए खण्डहर; जलते हुए घर तथा लाशें देखेंगे। ये लोग कौन हैं ? उन्हें क्यों मरना चाहिये ? वे उसी देश के सपूत हैं। वे फिलिस्तीनी हैं। वह देश उनका था। किन्तु साम्राज्यवादी षड़यन्त्र के कारण ही ऐसा हुआ कि उन्हें लाखों की संख्या में वहां से हटा दिया गया और उखाड़ फैंका गया। उन्हें अपनी भूमि तथा अपने देश से निकाल फैंका गया। यह इस कारण हुआ था कि 1917 में बलफोर घोषणा की थी। वहां भी ब्रिटिश साम्राज्यवादी ही थे जिन्होंने भारत का विभाजन किया था। 1917 में बलफोर घोषणा में यह बताया गया था कि यहूदियों का फिलिस्तीन में एक अपना देश होना चाहिए। वे यह घोषणा करने वाले कौन होते हैं कि यहूदियों को वहां रहना चाहिए। फिलिस्तीनियों का क्या होगा ? यहूदीवाद आंदोलन के नेता से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यदि आप फिलिस्तीनी में यहूदियों के लिये जगह ढूंढ लेते हैं तो अरबों का क्या होगा ? यहूदीवाद आंदोलन के नेता ने कहा "क्या आप अरबों की आप बात करते हैं उनका कोई महत्व नहीं है।" एक यहूदी राज्य की स्थापना करने के लिए 1300 वर्षों से रह रहे अरबों को वहां से उखाड़ फैंका जाये। उनका दावा क्या है ? 3000 वर्ष पूर्व वे वहां थे जब डेविड और सोलोमत वहां शासन करते थे और यही कारण है कि उन्हें फिलिस्तीन में रहने का अधिकार है। 1300 वर्षों से जो लोग वहां रह रहे थे, उन्हें मारा जा रहा है तथा वहां से उखाड़ा जा रहा है। मैं इतिहास के बारे में नहीं कहना चाहता हूं कि किस प्रकार अमरीका से धन प्राप्त हुआ और किस प्रकार ब्रिटेन के षड़यन्त्र से लाखों लोगों को उखाड़ फैंकने में सहायता मिली और किस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात

इस्राइल राज्य की स्थापना की गई थी किन्तु, इस्राइल की सीमा क्या हो सकती थी ? इस्राइल के यहूदीवाद नेता ने अपनी सीमा के बारे में कहा कि उनका दावा है कि इस सीमा को नील से फरात तक नहीं रखा जाना चाहिये।

वे यही दावा करते हैं। आप देखेंगे कि इस्राइल का पूरा इतिहास राजनीतिक लूटमार विस्तारवाद, जातिवाद का इतिहास है जहां अन्तरराष्ट्रीय नैतिकता एवं अन्तरराष्ट्रीय कानून का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया जाता। क्या इस्राइल जैसे छोटे से देश के लिए बिना किसी बाहरी सहायता के युद्ध एवं विस्तारवादी प्रयास जारी रखना सम्भव है। मुझे विश्वास है कि पूरे सदन में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो यह विश्वास करता है कि इस्राइल बिना किसी बाहरी सहायता के युद्ध जारी रख सकता है। यह सहायता उसे कहाँ से मिल रही है। निश्चित रूप से उसे संयुक्त राज्य अमरीका से ही यह सहायता प्राप्त हो रही है। इस्राइल की पूरी सेना अमरीकी हथियारों से लैस है। आप इस बात का अध्ययन करें कि अरब राष्ट्रों को मिलने वाली सहायता के मुकाबले इस्राइल को अमरीका से कितनी सहायता मिल रही है। फालतू पुर्जों के लिये भी वे अमरीका पर निर्भर करते हैं।

महोदय, आप जानते हैं जब नासरू ने स्वेज नहर से जहाज गुजरने की अनुमती नहीं दी थी, तब इंग्लैंड और फ्रांस ने आक्रमण कर दिया था और कौन से एक देश ने साम्राज्यवादी देशों के इस आक्रमण में भाग लिया था। यह देश इस्राइल था। इस्राइल देश एक निश्चित प्रयोजन हेतु बनाया गया था। वह प्रयोजन क्या था ? स्पष्टत: इसका उद्देश्य यहूदियों को रहने के लिए एक निश्चित स्थान देना था परन्तु वास्तव में इसका उद्देश्य अमरीका, फ्रांस, इंगलैंड अथवा साम्राज्य-वादियों के हितों की रक्षा करने के लिए मध्य पूर्व के बीच में एक मातहत राष्ट्र का निर्माण करना था क्योंकि गैर समाजवादी विश्व में 70% तेल का उत्पादन मध्य पूर्व में ही किया जाता है। और आप जानते ही हैं कि आधुनिक युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें किस सीमा तक तेल पर निर्भर करती हैं और तेल मध्य पूर्व से आता है। इस प्रकार साम्राज्यवादियों के हितों की रक्षा के लिए इस्राइल जैसे राष्ट्रका निर्माण आवश्यक था और इसीलिए इस राष्ट्र का निर्माण किया गया। मैं यू० एस० न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, जून, 1967 के पृष्ठ 42 से उद्धरण देता हूं।

> "दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद से शायद अमरीका के लिए इस्राइल ने हमारे संसार के तथाकथित सहयोगियों एवं मित्रों की तुलना में मध्य पूर्व में उन पर व्यय की गई राशि एवं उनके लिए किए गए प्रयासों से अधिक कार्य किया है। सुदूर पूर्व में हमें कोई ऐसा नहीं मिला जो वियतनाम में हमारी सहायता कर सकता। इस्राइलियों ने अकेले युद्ध जीता, और हमें कठिनाई से निकाला और इस प्रकार हमारा और अपना दोनों का कार्य सिद्ध किया।"

यह सब कैसे हुआ। 1917 से पूर्व फिलिस्तीन में 95 प्रतिशत अरब लोग रहते थे और वहां की 97 प्रतिशत भूमि पर अरब लोगों का कब्जा था। इन लोगों को अब उखाड़ फैंका गया है, शरणार्थी बना दिया गया है और उन्हें कत्ल किया जा रहा है। उनका क्या अपराध है। वे अपने देश में जाकर रहना चाहते हैं। वे अपनी खोई हुई जमीन वापस लेना चाहते हैं। इस्राइली पिछले दौरान क्या करते रहे हैं। वे शक्ति, धन तथा अमरीका द्वारा दिये गये बेहतर हथियारों एवं संग-ठित होकर आतंकवादी उपायों का प्रयोग करके एक के बाद दूसरी जमीन पर कब्जा करते जा रहे हैं। उनके 'हगनाह' और "स्टर्न और इर्गन गैंग" जैसे आतंकवादी संगठन है तथा उनके अधिकांश

नेता बेगिन और अन्य समेत, उन आतंकवादी दलों से सम्बद्ध है जो अब फिलिस्तीनियों पर आतंकवादी होने का आरोप लगाते हैं। यह हमला कैसे हुआ ? श्री इन्द्रजीत गुप्त इस संबंध में कह चुके हैं। शेरों अमरीका गये और वहां से भारी हमला करने की अनुमति ले आये। क्यों ? फिलिस्तिनियों को सबक सिखाने के लिए। क्या सबक ?" आप हमारी सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हो। हमने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और आपको शरणार्थी बना दिया है। हमारे 'भगवान' ने हमें यह भूमि दी है और आपके "अल्लाह" ने आपके भाग्य में कुचला जाना और नष्ट हो जाना लिखा है। हमारे अधिकारों के बारे में मत पूछिये। भगवान ने हमें एक यहूदी राष्ट्र का निर्माण करने और हजारों लोगों का अस्तित्व मिटाने का अधिकार दिया है। यदि आप अपनी भूमि वापस लेना चाहते हैं तो आप अन्तरराष्ट्रीय आतंकवादी हैं और हम आपको सबक सिखायेंगे।" ऐसा उनका कहना है। उनकी सुरक्षा की धारणा क्या है ? फिलिस्तीनियों और पी० एल० ओ० की उपस्थिति ही उनकी सुरक्षा के विरुद्ध है। उनकी मांग है कि उनके अड्डों को नष्ट करने का उन्हें कानूनी और नैतिक अधिकार है। महोदय, निश्चित रूप से ही, सुरक्षा की यह एक विशेष संकल्पना है। क्या मैं यह पूछ सकता हूं : क्या अफगान लोग इसी प्रकार यह कह सकते हैं हमें पाकिस्तान पर आक्रमण करने का अधिकार है क्योंकि पाकिस्तान गुरिल्लों को हथियार देकर अफगानिस्तान भेज रहा है ? यदि वे ऐसा कहें तो आपकी इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया होगी ? अन्तरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार स्वीकार्य सुरक्षा की संकल्पना के संदर्भ में नहीं। कोई भी देश इस प्रकार का आक्रमण नहीं कर सकता। परन्तु इस्राइल जैसा एक छोटा सा देश ऐसा कर रहा है और अमरीकी उनकी पीठ थपथपा रहे हैं ; वे इसका समर्थन कर रहे हैं; वे कहते हैं कि शान्ति होनी चाहिए। किस प्रकार की शान्ति ? इतिहास के हमारे विद्यार्थी "रोमन पीस"-पेक्स रोमाना के बारे में जानते है। सभी देश रोम के अधीन थे। इसलिए आज अमरीकी इसी प्रकार की शान्ति का दावा करते हैं ? अमरीकी कहते हैं कि ये आतंकवादी हैं और इन्हें नष्ट किया जाना चाहिये। क्या मैं अब पूछ सकता हूं। क्या हम इस प्रकार के तर्क स्वीकार कर सकते हैं ? इसका उत्तर है, नहीं। हम ऐसा नहीं कर सकते। दुर्भाग्यवश आज संयुक्त राष्ट्र संघ की भी वही स्थिति हो गई है जो किसी समय राष्ट्र संघ की हुई थी। आप जानते हैं राष्ट्र संघ के साथ क्या हुआ था। हम जानते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध क्यों हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ हालांकि एक बहुत बड़ा संगठन है परन्तु हम देखते हैं कि एक छोटे से देश ने जिसकी पुश्त पर एक बड़ा राष्ट्र है, राजनीतिक लूटमार एवं निर्मम आक्रमण किया है। संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रस्ताव पारित कर रहा है। कुछ लोग कहते है सोवियत संघ क्या कर रहा है ? हाँ, सोवियत संघ क्या कर सकता है ? क्या आप यह आशा करते हैं कि सोवियत संघ फलिस्तीनियों के लिए लड़ने के लिए अपने शस्त्र सैनिक भेज दे ? बताइये। केवल अमरीका ही इस्राइल को इस कार्य से रोक सकता है, जो इस्राइल को हथियारों की सप्लाई बन्द कर सकता है और अपराधियों को दण्ड दे सकता हैं। परन्तु वे ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके साथ उनके अपने हित जुड़े हैं। इसीलिए वह इस्राइल की सहायता कर रहा है। दुर्भाग्यवश, अरब देश फूट का शिकार हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि यदि कोई देश किन्हीं पूंजीपतियों के हाथ में हो तो वह निरन्तर साम्राज्यवाद के विरुद्ध नहीं लड़ सकता। आज अपनी दुविधा के कारण मध्यवर्गीय राष्ट्र निरन्तर साम्राज्यवाद के विरुद्ध नहीं लड़ सकते; आप एक साथ साम्यवाद और साम्राज्यवाद से नहीं लड़ सकते। (व्यवधान) इस्लामी एकता और इस्लामी बम कहां है ? उनके अपने लोगों को कत्ल किया जा रहा है। उनके अपने शासक पेट्रो-डालर से प्रसन्न हैं। उन्होंने जनता से बिल्कुल ही संबंध तोड़ लिए हैं। लेकिन मेरा विश्वास

है कि अरब लोग फिलिस्तीनी मुस्लिम संगठन के साथ हैं। वस्तुतः समूचे विश्व के लोग पी० एल० ओ० के साथ हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक अच्छी बात है कि तेल अबीव में एक लाख इस्राइलियों ने अपनी सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया। अन्ततः जीत जनता की ही होती है। जनता ही आखिरकार इतिहास बनाती है और मुझे विश्वास है और मैं अपनी प्रधानमंत्री से सहमत हूं कि किसी भी जन-आंदोलन को सेना द्वारा नहीं कुचला जा सकता। ऐसा सम्भव नहीं है। आज चाहे उन्हें धक्का लगे परन्तु कल यह सैनिक शासन, यह जातिवादी शासन, मध्य पूर्व में साम्राज्यवाद की इस कठपुतली को सबक मिल जायेगा। आखिरकार फिलिस्तीनियों की जीत होगी। परन्तु मैं भारत सरकार में यह कहूंगा और उन्हें यह चेतावनी दूंगा कि वे इस कार्य में पहल करें क्योंकि गुटनिरपेक्षता अन्तरराष्ट्रीय कानून, अन्तरराष्ट्रीय नैतिकता से भिन्न नहीं है। भारत को इस कार्य में सक्रिय एवं प्रभावी भूमिका निभानी है। सरकार को इस पर अधिक जोर देना चाहिये। मैं जानता हूं कि उन्हें एक सीमित दायरे में रह कर कार्य करना होता है। परन्तु फिर भी हमारी सरकार को एक मुख्य भूमिका निभानी चाहिये। क्योंकि गुटनिरपेक्ष देशों के नेता के रूप में यह हमारा नैतिक कर्तव्य है और मैं यह कहूंगा कि बम्बई स्थित इस्राइल के वाणिज्य दूत के कार्यालय को स्थाई रूप से बन्द कर दिया जाना चाहिये। ऐसा जातिवादी राष्ट्र बम्बई में अपना कार्यालय नहीं रख सकता। इतना ही नहीं मैं प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा को रद्द किये जाने की मांग करता हूं। जब अमरीका विश्व जनमत की परवाह न करते हुए एक ऐसे जातिवादी देश की सहायता कर रहा है जो बेरुत में हजारों लोगों का वध कर रहा है और इस प्रकार विस्तारवाद को बढ़ावा दे रहा है तो प्रधान मंत्री को अमरीका क्यों जाना चाहिये? क्या संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा पर जाने का यह हमारी प्रधान मंत्री के लिए कोई सुअवर है? क्या सरकार को इस विषय में नहीं सोचना चाहिये कि विश्व भर में उनकी इस यात्रा पर क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या आपमें न्यूयार्क में चोर को चोर कहने का साहस है? अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रति अपनी देनदारियों एवं आर्थिक निर्भरता के कारण आप ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए आपने इस वक्तव्य में चतुराई से संयुक्त राज्य अमरीका का नाम टाल दिया है। आप पवित्र इच्छा व्यक्त कर चुकी हैं। बहुत अच्छा। परन्तु आप उस मुख्य शक्ति का नाम क्यों नहीं ले सकते जो इस युद्ध हत्याओं भारी तबाही और अन्तरराष्ट्रीय कानून का खुले आम उल्लंघन किये जाने के पीछे है।

महोदय, मैं, अन्त में यह कहूंगा कि फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन कृत संकल्प है। उनका कहना है कि वे मृत्यु का आलिंगन कर रहे हैं परन्तु वे लड़ रहे हैं वे समर्पण नहीं करेंगे मैं प्रतिरोध स्वर सुनाना चाहता हूं:

"आप चाहे हमारी इंच-इंच भूमि ले लें
मेरे युवकों को जेल की कोठरियों में भर दें,
चाहे मेरी विरासत को लूट लें
चाहे मेरी पुस्तकों और कविताओं को जला दें,
या मेरा माँस कुत्तों को खिला दें,
चाहे आप आतंक फैला दें
मेरे गांव की छतों पर

और सूर्य के शत्रु
लेकिन
मैं समझौता नहीं करूंगा
और जब तक मेरी धमनियों में दम है
मैं प्रतिरोध करूंगा ।"

यह है प्रतिरोध का स्वर । यह है फिलिस्तीनियों का दृढ़ संकल्प । मैं विश्वास करता हूं कि फिलिस्तीनी जीतेंगे और इस्राइली सेनाएं इस बेतुके आक्रमण को समाप्त करने पर बाध्य हो जायेंगी । और फिलिस्तीनियों को अपनी प्यारी भूमि वापस मिल जायेगी । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

**श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर)** : उपाध्यक्ष महोदय, 6 जून, 1982 को इस्राइलियों ने एक लाख सेना के साथ लेबनान पर आक्रमण किया । यह हमला लेबनान पर अचानक ही किया गया । महोदय, इस युद्ध की नीति वाशिंगटन में काफी समय पूर्व तैयार की गई थी जबकि इस्राइल के रक्षा मन्त्री परामर्श के लिये वहां गये थे । और तत्पश्चात् यह हमला लेबनान पर किया गया । अमरीका इस्राइल को भारी मात्रा में शस्त्रों को सप्लाई कर रहा है । इस्राइल को कहीं से भी कोई खतरा नहीं है । हम जानते हैं कि उसके इर्द-गिर्द के अरब देश इतने कमजोर हैं कि वे इस्राइल पर हमला करने की हिम्मत ही नहीं कर सकते । इस्राइल को कोई खतरा नहीं है किन्तु अमरीका उसे भारी मात्रा में हथियार दे रहा है ।

अमरीकी कानून के अनुसार, अन्य देशों को दिये जाने वाले हथियार आत्मरक्षा हेतु होते हैं । किन्तु यहां वे जानते भी हैं कि इस्राइल लेबनान पर हमला करने जा रहा है और वे इस्राइल को हथियार दिये जा रहे हैं । इसका क्या अर्थ है ? इसका अर्थ तो यह हुआ कि अमरीका यह सब कुछ चाहता है । केवल यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जब बहस हुई और जब सम्पूर्ण विश्व इस्राइल द्वारा लेबनान पर किये गये हमले की निंदा करना चाहता था तो वहां मतदान में 129 देशों ने भाग लिया । 129 में से 127 देशों ने इस्राइल के विरुद्ध वोट डाला । केवल दो ही देशों ने इस्राइल के पक्ष में मत दिया है । जिनमें से एक इस्राइल का स्वयं का मत था और दूसरा मत अमरीका का था । इसका क्या अर्थ हुआ ? क्या इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि इस्राइल और अमरीका एक हैं ? वे दोनों मिलकर लेबनान पर हमला करना चाहते हैं । ऐसा क्यों है ? कारण यह है कि यह अमरीकी मतैक्य का एक हिस्सा है, यह मध्य-पूर्व में उनकी योजना का एक अंग है । और इसलिए उन्होंने अपनी फौजें तैनात की हैं । इसका लाभ उठाने का यह उचित अवसर था ।

यह युद्ध अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के विरुद्ध है । यह युद्ध घोषित नहीं किया गया था और बाद में लेबनान के लोगों को उनकी सम्पत्ति को सिविल जनसंख्या को मनमाने ढंग से समाप्त किया गया । यह अन्धाधुंध अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के विरुद्ध है, चाहे कुछ भी वहां फिलिस्तीन में था । उन्होंने वहां बच्चों और महिलाओं, अस्पतालों और अन्य ऐसे भवनों को भी नहीं बख्शा । प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 15,000 लोग मारे गये हैं और 50,000 लोग घायल अथवा जख्मी हुए हैं । हमें डब्ल्यू० ए० एफ० ए० द्वारा दी गई रिपोर्टों के अनुसार स्नायु गैस का प्रयोग भी किया गया जो कि फिलिस्तीन में आंखों के रोगों, सिरदर्द और लकवा के लिये उत्तरदायी है ।

जब इस्राइल ने लेबनान पर हमला किया, उन्होंने कहा कि वे 40 किलोमीटर का गलियारा क्षेत्र चाहते हैं जो कि गुरिल्ला मुक्त होगा और कि इस सन्दर्भ में ही उन्होंने लेबनान पर हमला किया। किन्तु अब जबकि उन्होंने गाजा पट्टी, पश्चिमी किनारे और गोलान हाईट और आधे लेबनान पर कब्जा कर लिया तो वे कहते हैं कि वे फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन पूर्णतः समाप्त करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को लेबनान छोड़ देना चाहिये और वे उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं।

हमें अरब देशों के प्रति काफी दुःख होता है। सभी अरब देश इस्राइल के इर्द-गिर्द हैं किंतु कोई भी अरब देश उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने लेबनान की मदद नहीं की और वे मौन दर्शक बने रहे। उन्होंने लेबनान के साथ तथा फिलिस्तीन मुक्ति-संगठन के साथ भी यह करार किया था कि जब कभी भी उन पर हमला होगा तो वे उनकी सहायता के लिये आयेंगे किन्तु कोई भी आगे नहीं आया। यह काफी गम्भीर स्थिति है। केवल यही नहीं, अरब लोग की ट्यूनिस में बैठक हुई और वे इन सब समस्याओं पर विचार कर रहे हैं। हमें काफी आशा थी कि ये लोग इस हमले का मुकाबला करने के लिये किसी ठोस कार्यक्रम के साथ आगे आयेंगे किन्तु अपनी आंतरिक कलह के कारण वे एक संयुक्त विज्ञप्ति भी जारी नहीं कर सके। यह काफी दुःख की बात है कि वे इस्राइल के इस हमले के विरुद्ध एक नहीं हो सके।

अब स्थिति यह है कि इस्राइल में भी लोग इस्राइली सरकार के विरुद्ध हैं। संसद में श्रमिक दल ने श्री बेगिन की इन सब कार्यवाहियों का विरोध किया। उन्होंने लेबनान से इस्राइली फौजों को वापस बुलाने का आह्वान किया। जैसाकि श्री गुप्ता ने कहा है इस हमले की निन्दा करने के लिये एक लाख लोग सड़कों पर निकल आये। अमरीका में भी काफी जनमत इस सबके विरुद्ध है। संयुक्त राष्ट्र में भी केवल अमरीका ही एक ऐसा देश था जिसने इस्राइल के पक्ष में मत दिया जबकि 127 देशों ने इसके विरुद्ध मत दिया। संयुक्त राष्ट्र में अमरीका के अकेले रह जाने के कारण, अमरीका में भारी जनमत बनता जा रहा है कि जो कुछ लेबनान में हो रहा है उसे रोका जाना चाहिये। जहां तक इस हमले का सम्बन्ध है, यूरोप के देशों ने भी इस्राइल के प्रति अमरीका के नरम रुख की आलोचना की है, विशेषकर जबकि वह इस्राइल को भारी मात्रा में हथियार दे रहा है। यूरोपीय समुदाय के सदस्यों ने अमरीका से यह भी कहा है कि इस विवाद में पी० एल० ओ० को भी एक पार्टी माना जाये ताकि बातचीत हो सके। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण विश्व में इस्राइल द्वारा किये गये इस हमले की कड़ी आलोचना की गई है। समाजवादी देशों में, अरब देशों में, गुटनिरपेक्ष देशों में, हर जगह इस हमले का विरोध किया गया। हाल ही में गुटनिरपेक्ष देशों की निकोसिया में बैठक हुई थी। हमारे विदेश विदेश मन्त्री भी उसमें उपस्थित हुए थे। वे इस दिशा में अग्रणी रहे थे यहां तक कि वे स्वयं बेरुत जाकर देखना चाहते थे कि वहां क्या हो रहा है। किन्तु उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई।

अब, जबकि विश्व मत ज्यादा से ज्यादा इस्राइल के विरुद्ध हो रहा है, हमें यह देखना है कि भारत को क्या भूमिका अदा करनी है। शुरू से ही हम देख रहे हैं कि भारत की भूमिका ठीक ही है। यह फिलिस्तीनियों के अधिकारों के पक्ष में है। महात्मा गांधी ने भी फिलिस्तीनियों के अधिकारों का समर्थन करते हुए कहा था "फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों के लिये हैं जैसे कि इंग्लैंड अंग्रेजों के लिये और फ्रांस फ्रांसीसियों के लिये हैं।" बाद में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी वर्ष 1938 में लिखा था कि, "फिलिस्तीन निश्चय ही अरब है और ऐसा ही रहना चाहिये।" महोदय

जब से भारत स्वतन्त्र हुआ है, फिलिस्तीनियों के अधिकारों का समर्थन करना हमारी नीति रही है। पेट्रो-डालर का कोई प्रश्न ही नहीं उठता तो तेल का भी प्रश्न ही नहीं और ऐसा भी नहीं है कि हमारी विदेशी नीति अरब लोगों को खुश रखने की है। हम उनके अधिकारों के लिये लड़ रहे हैं। क्योंकि हम इसे उचित समझते हैं। भारत की विदेश नीति किसी के उचित अधिकारों का समर्थन करने की रही है। अब भारत ने दवाइयां, कम्बल और डाक्टर तक भेजे हैं यद्यपि उन्हें अन्दर जाने की अनुमति नहीं दी गई। अभी कल ही हमारी प्रधानमन्त्री ने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के राजदूत को काफी मात्रा में कम्बल और दवाइयां वहां भेजने के लिये दी हैं। इसके अतिरिक्त भारत में पी० एल० ओ० की सहायता के लिये डा० शंकर दयाल शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया है। महोदय, फिलिस्तीनियों के अधिकारों के समर्थन में हमारी प्रधान मन्त्री बहुत ही सुनिश्चित और स्पष्ट रही हैं। मुझे खेद है कि कुछ लोग इसे पर्याप्त नहीं समझते।

गुट-निरपेक्ष देशों के नेता के रूप में भारत गुट-निरपेक्ष आंदोलन में पहले ही भाग ले रहा है। अब जबकि हमारी प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी अमरीका जायेंगी और श्री रीगन से वहां बात करेंगी तो निश्चित रूप से यह मुद्दा उनकी बातचीत के दौरान उठेगा और वे भारत के विचारों से उन्हें अवगत करायेंगी। भारत में हम सभी की एक राय है—चाहे वे उस पक्ष के हों या इसके—हम सभी इस्राइली आक्रमण के विरोधी हैं। हम सभी चाहते हैं कि लेबनान विदेशी सैनिकों से मुक्त होना चाहिए, हम सभी सहमत हैं कि फिलिस्तीनियों का अपना घर अवश्य हो और लेबनानी लोगों की प्रभुसत्ता और अखण्डता बनाये रखनी चाहिये और उनको सम्पूर्ण संरक्षण दिया जाना चाहिये। इस मुद्दे पर इस सदन की राय में कोई मतभेद नहीं है।

मुझे दृढ़ विश्वास है कि जब हमारी एक राय है तो प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी जब श्री रीगन से बातचीत करेंगी तो वे निश्चय ही अपनी भूमिका निभायेंगी। वह राष्ट्रीय मतैक्य और राष्ट्रीय विचारों से अवगत करायेंगी और अन्य ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो श्री रीगन को इतना स्पष्ट करके भारत की विचारधारा बता सके।

अन्त में, मैं अपने विदेश मन्त्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे गुट-निरपेक्ष आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायें। जैसाकि हम देख रहे हैं कि अरब लोग विभिन्न कारणों में फिलिस्तीनियों की सहायता कर सकने में असमर्थ रहे। लेबनानी लोगों के विरुद्ध भी आक्रमण हुआ है। वे पीड़ित हैं। उनकी सड़कें बंद हैं। अनाज आ-जा नहीं रहा है। वहां पानी और बिजली नहीं है। लोग पीड़ित हैं। इस सन्दर्भ में, भारत को, गुटनिरपेक्ष देशों के साथ मिलकर, अपनी भूमिका निभानी है। उन्हें, अपनी आवाज उठानी है और विश्व में इस ढंग से जनमत बनाना है कि आक्रमणकारी अवश्य वापस जायें। अमरीका को इस्राइल का समर्थन नहीं करना चाहिए क्योंकि इस्राइल एक आक्रमणकारी है। और सम्पूर्ण विश्व इस आक्रमण के विरुद्ध है।

धन्यवाद।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली)** : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मन्त्री जी ने 9 जुलाई के अपने वक्तव्य के अन्त में जो कुछ कहा, मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूं। लेबनान की समस्या को हल करने के लिये क्या किया जाना चाहिये, इसकी ओर संकेत देते हुए प्रधान मन्त्री ने कहा:—

"ऐसा हल हो जिसमें लेबनाम की प्रभुसत्ता, स्वतन्त्रता और क्षेत्रीय एकता, फिलिस्तीनी लोगों के अहरणीय अधिकारों सहित एक स्वतन्त्र राष्ट्र का उनका अधिकार अवश्य सुनिश्चित हो।"

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

इन दोनों बातों पर देश मतैक्य है। आक्रमण आक्रमण है, चाहे वह किसी देश पर हो, दुनिया के किसी भी खंड में हो। इस्राइल के आक्रमण का समर्थन नहीं किया जा सकता। पश्चिम एशिया की समस्या तब तक समुचित रूप से हल नहीं होगी, जब तक फिलिस्तीनियों का मामला तय नहीं होगा। कब तक वे बेघर-बार मारे-मारे फिरते रहेंगे ? आज भले ही शस्त्रों के बल पर उनको दबा दिया जाए, लेकिन स्वतन्त्र राज्य कायम करने की उनकी मांग एक उचित मांग है और आज नहीं तो कल उस मांग को स्वीकार करना होगा।

लेकिन मुझे सरकार से शिकायत है—इसलिये नहीं कि मैं विरोधी दल में हूं, लेकिन इसलिए कि क्या वह जरूरी था कि प्रधान मन्त्री लेबनान के बारे में बयान देने के लिये पार्लियामेंट की बैठक होने तक रुकतीं। इस्राइल ने लेबनान पर हमला शुरू किया 6 जून को। 33 दिन बीत गये। 15,000 लोग मार डाले गये, 50,000 घायल कर दिये गये, लाखों बेघर-बार हो गये, ऐसे अत्याचार किये गये, जिन्हें अमरीका के टेलीविजन पर दिखाने में इस्राइल को शर्म आती है। मगर भारत के प्रधान मन्त्री नहीं बोलें। विदेश मन्त्री का भी बयान नहीं आया। यह ठीक है कि पार्लियामेंट की बैठक शुरू होने के दूसरे ही दिन बयान दिया गया। मगर तब तक लेबनान का विनाश हो चुका था।

जो बयान दिया गया है वह भी जल्दबाजी में तैयार किया गया है। शब्दों का चयन ठीक ढंग से नहीं हुआ। मैं नहीं जानता बयान का प्रारूप विदेश मन्त्रालय में तैयार हुआ या प्रधानमन्त्री के सचिवालय में। आजकल विदेशी मामलों में कभी-कभी समानान्तर सड़कों पर पांव चलते दिखाई देते हैं।

प्रधान मन्त्री के बयान में कहा गया :

"इस्राइल द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय राय की निन्दक और तिरस्कारपूर्ण अवहेलना, इसका लगातार आक्रमण सेना और राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सेना का प्रयोग भविष्य के लिये काफी बुरी मिसाल कायम होगी।"

क्या केवल सैनिक उपायों के अवलम्बन से हमारा विरोध है ? क्या इस्राइल के राजनैतिक उद्देश्यों से हमारा मतभेद नहीं है ? यह शब्दावली इस बयान में क्यों रखी गई ? यह हमारी स्थिति के बारे में गलतफहमी पैदा कर सकती है।

**आचार्य भगवान देव (अजमेर)** : मिस्टर वाजपेयी, जो आप बोल रहे हैं, आप जब विदेश मन्त्री थे उस समय आपका क्या रवैया था ?

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : आप बैठ जाइये।

सभापति महोदय, यह विदेश नीति की चर्चा हो रही है।

**आचार्य भगवान देव** : उस समय आपने क्या किया और यहां क्या बोल रहे हैं ?

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : सभापति महोदय, एक बार मैंने कहा था इसी सदन में कि बोलने के लिये वाणी चाहिये मगर चुप रहने के लिये वाणी और विवेक दोनों चाहिये।

**आचार्य भगवान देव** : विवेक तो आप स्वयं खो रहे हैं। आप स्वयं आइने में अपना चेहरा देखें।

**सभापति महोदय** : वाजपेयी जी, आप आगे बढ़ें।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसे ही महान वक्ताओं को बुलाइये।

**आचार्य भगवान देव** : नहीं, महान् वक्ता तो आप ही रह गये हैं इस सदन के अन्दर। राम-जेठमलानी क्या बोले और आप क्या बोल रहे हैं यह भी देख लीजिए।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : जेठमलानी जी ने जो विचार प्रकट किये वह उनके व्यक्तिगत विचार थे।

......(व्यवधान)......

सभापति महोदय, यह समय मेरे हिस्से में न जोड़ा जाय।

मेरे विचारों की शृंखला टूट गई। शायद वही इनका इरादा और उद्देश्य था।

**आचार्य भगवान देव** : इरादा तो साफ है कि आप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष खुलकर बोलें।

**सभापति महोदय** : आप उनकी ओर ध्यान ही मत दीजिए।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : नहीं, सभापति महोदय, इनको काबू में करना आपका काम है। इस तरह टोका-टाकी करना हम भी जानते हैं।...(व्यवधान)...

**आचार्य भगवान देव** : आप क्यों खड़े हो गए बीच में ?

**सभापति महोदय** : क्यों इस तरह की बात करते हैं ? उनको बोलने दीजिए।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : इस सदन में व्यवहार करने की मर्यादा है।

**आचार्य भगवान देव** : व्यवहार आपसे सीखना पड़ेगा ?

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : हां, सीखना पड़ेगा।

**आचार्य भगवान देव** : आपको सीखना पड़ेगा, आप कुछ बोलते हैं, आपके जेठमलानी जी कुछ और बोलते हैं।

**सभापति महोदय** : क्यों इस तरह करते हैं। बैठ जाइये।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : सभापति महोदय, केवल सैनिक उपायों के प्रयोग से हमारा विरोध नहीं है। आखिर, इस्राइल का उद्देश्य क्या है लेबनान पर हमला करने का लेबनान की एकता को खंडित करना, स्वतन्त्रता को समाप्त करना, लेबनान में एक कठपुतली सरकार कायम करना। दूसरा उद्देश्य है फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चे को समाप्त करना। हम दोनों में से किसी उद्देश्य के साथ सहमत नहीं हो सकते। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं निर्दोष निरीह व्यक्तियों के विरुद्ध हिंसा अपनायी जाय, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन इस्राइल के नेता आतंकवादियों पर उंगली उठाएं, यह बात समझ में नहीं आती। वे स्वयं अहिंसावादी नहीं रहे हैं। इस्राइल की स्थापना के लिये उन्होंने स्वयं आतंकवाद का सहारा लिया था। मैं यह भी मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि लंदन में इस्राइली राजदूत की हत्या कर दी गई, इसलिये बदले की कार्यवाही के लिये यह हमला किया गया। इस हमले के लिये पहले से तैयारी की गई थी, इस बात का माननीय सदस्यों

ने उल्लेख किया है। इतना बड़ा हमला बिना पूर्व तैयारी के नहीं हो सकता। इस्राइल के रक्षा मन्त्री ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा और यह बयान बेरूत में बैठकर 30 जून को दिया गया। और आज मैंने अखबार में पढ़ा कि यह प्रेसकांफ्रेंस उस होटल में बैठकर की गई है जिसमें आज हमारे लेबनान के राजदूत टिके हुए हैं। मैं चाहूंगा विदेश मन्त्री इस स्थिति को स्पष्ट करें। क्या हमारे राजदूत के लिए जान बचाने के लिए इस्राइल अधिकृत क्षेत्र में जाना जरूरी हो गया था? इस्राइली डिफेन्स मिनिस्टर ने जो कहा, मैं उद्धृत कर रहा हूं, मैंने समाचार-पत्रों से लिया है :

"इस्राइली रक्षा मन्त्री श्री एरियल शेरोन ने कल कहा कि हमने आक्रमण से केवल 10 दिन पहले वाशिंगटन को इस्राइल की मंशा लेबनान पर आक्रमण की अपनी मंशा जाहिर कर दी थी।"

यह तो सबूत है प्रमाण है। लेकिन रीगन साहब का भी एक बयान मेरी नजर से गुजरा है जिसमें उन्होंने कहा :

"अमरीका को भी लेबनान पर आक्रमण से उसी प्रकार आश्चर्य हुआ जैसा कि और सभी को।"

हम किसकी बात मानें? लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इस्रायल जो चाहता है और अमरीका ने लेबनान की समस्या को हल करने के लिये जो बहुसूत्रीय सुझाव रखे हैं, उन दोनों का लक्ष्य एक ही है।

सभापति महोदय, इजरायल अपनी सीमाओं में, एक राष्ट्र के नाते अपना अस्तित्व रखे, इससे किसी को मतभेद नहीं हो सकता है, कम से कम मेरा मतभेद नहीं है। लेकिन यूनाइटेड नेशन्स के रेजोल्यूशन (242) में जो सेक्योर बार्डर्स सुरक्षित सीमाओं की बात कही गई है उसकी अभी तक परिभाषा नहीं हुई है। यह सेक्योर्ड की बात बड़ी खतरनाक है। गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया क्योंकि इस्रायल की कथित सुरक्षा के लिए गोलान हाइट्स जरूरी है। ईस्ट जेरुसलम का क्या होगा? वेस्ट बैंक गया, गाजा पट्टी गई। इस्रायल वाले जूडिया समारिया का आज उल्लेख कर रहे हैं। जब पी० एल० ओ० पर इस बात का दबाव डाला जा रहा है कि वे इस्रायल के अस्तित्व को स्वीकार करें, वहां इस्रायल पर भी इस बात के लिये दबाव डाला जाना चाहिए कि फिलिस्तीनी समस्या का हल खोजें। इजरायल से यह भी पूछा जाना चाहिए कि उसकी सीमायें कहां हैं? इजरायल की स्थिर सीमायें नहीं हैं, उसकी सीमायें चलायमान हैं, चंचल हैं। इजराइल पार्लियामेन्ट में जो कुछ लिखा हुआ है, उसके भवन के ऊपर वह मैंने भी देखा है। नाइल से लेकर यूफ्रेटस तक इजरायल है। इजरायल के सत्ताधारी नेता कहते हैं कि इजरायल किसी देश का नाम नहीं हैं, इजरायल एक राष्ट्र नहीं है बल्कि एक परिकल्पना है, एक विचार है, एक सपना है। लेकिन ऐसा लगता है यह सपना विश्व शांति के लिए खतरा बनने जा रहा है। इजरायल ने जो कुछ किया है उसकी संज्ञा पागलपन के अलावा और कोई नहीं है। मेरे मित्र इन्द्रजीत गुप्त जी ने इस बात का उल्लेख किया है कि पहले 40 किलोमीटर कारीडोर कायम करने की बात कही गई थी, अब उसे छोड़ दिया गया है और आज समूचे लेबनान को इजरायल निगल लेना चाहता है।

सभापति महोदय, क्या किया जाए, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। यूनाइटेड नेशन्स का सर्वसम्मत प्रस्ताव इजरायल को सीधी राह पर नहीं ला सका और न ला पायेगा। इजरायल को

यूनाइटेड नेशन्स से निकालने का भी निर्णय कर सकते हैं। उस दिन जब प्राइम मिनिस्टर बेगिन यूनाइटेड नेशन्स जनरल असेम्बली में भाषण करने के लिए गए तो करीब-करीब सारा सदन खाली पड़ा था-इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है ? लेकिन इजरायल के सत्ताधीशों को इसकी चिन्ता नहीं है। वे एक ही भाषा समझते हैं—बल की भाषा। पिछले कुछ महीनों से दुनिया में "जिसकी लाठी उसकी भैंस" तेजी से चल रहा है। एक लड़ाई फाकलैण्ड आईलैण्डस में हुई थी, अंग्रेजों ने सेना का प्रयोग करके उसे दबा दिया लेकिन एशिया में इस समय बड़ी तनावपूर्ण स्थिति है। इराक और ईरान आपस में लड़ रहे हैं। पहले इराक की सेना ईरान के भीतर थी और अब ईरान की सेना इराक के भीतर है। क्या होगा—मेरी समझ में नहीं आता। अगर अरब आपमें लड़ेंगे तो इजरायल का इकट्ठे होकर कैसे मुकाबला कर सकते हैं। गुट-निरपेक्ष देश ईरान-इराक इस लड़ाई को खत्म नहीं करा सकते हैं। हिन्द-महासागर में तनाव बढ़ रहा है। महाशक्तियों की स्पर्धा में तेजी आ रही है। अफगानिस्तान अपनी आजादी खो चुका है। प्रधान मंत्री जब सऊदी-अरब गई थीं, तो उन्होंने कहा था खाड़ी देशों की सुरक्षा और भारत की सुरक्षा, इस भू-खण्ड की सुरक्षा जुड़ी हुई है। खतरा साफ दिखाई दे रहा है। अरब और इजराइल युद्ध या लेबनान पर इजराइल के हमले से लड़ाई के तरीकों में भी परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। मिलिट्री इलैक्ट्रानिक्स का जमाना आ गया है। हम एफ-16 पर बहस कर रहे हैं। सीरिया ने काफी मोर्चेबन्दी की थी, मगर सीरिया की सारी मिसाइल की मोर्चेबन्दी को इसराइल ने विफल कर दिया। यह ठीक है कि ऐसा अमरीका की बिना मदद के नहीं हो सकता है।

**श्री भीकूराम जैन (चांदनी चौक)** : संगणनीकरण

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : कम्प्यूटर काम में आ रहा है। इलैक्ट्रोनिक द्वारा परिचालित शास्त्र उपयोग में लाए जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन्स कुछ नहीं कर सकता है। विश्व जनमत इजराइल को प्रभावित करने में अब तक विफल रहा है। मैं नहीं जानता कि गुट निरपेक्ष राष्ट्र क्या कर सकेंगे। जो सामान हम बेरुत के रहने वालों को भेजना चाहते हैं, वह सामान भी नहीं जा सकता है। आज के समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री ने बहुत सा सामान दिया है, बहुत अच्छा किया है। अच्छा होता यदि हमें भी उस समारोह में बुलाया जाता, मगर शायद वह सरकारी पार्टी के संसद सदस्यों के लिए था।

**श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर)** : यह एक संगठन से प्राप्त हुआ था।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : आज के अखबार में अराफात का बयान छपा है। प्लैस्टाइन को प्रार्थनायें नहीं चाहिए, उनको हथियार चाहिए। अरब देश हथियार देने को तैयार नहीं हैं। कैरोशिखर के बाद एक ज्वाइंट डिफेंस फोर्स बनाने की बात हुई थी, मगर लैबनान पर हमला हुआ तो सीरिया के अलावा कोई नहीं था। सीरिया ने भी लड़ाई नहीं लड़ी। हवाई-युद्ध में कुछ हाथ दिखाए और बाद में सीरिया ने युद्ध-विराम कर लिया। यह स्थिति दुनिया को कहां ले जाएगी ? इस स्थिति में हमारी और इस भू-खण्ड की सुरक्षा का क्या होगा ? यह प्रश्न इस लड़ाई से बार-बार मन में उठता है।

सभापति महोदय, फिलहाल पी० एल० ओ० की सैनिक दृष्टि से पराजय हुई है, फिल-हाल में कह रहा हूं, क्या हम उनकी सैनिक पराजय को कूट-नीतिक विजय में बदल सकते हैं ? चाहे अप्रत्यक्ष रूप क्यों न हो आज पी० एल० ओ० से बातचीत करने की चर्चा चल पड़ी है। अगर पी० एल० ओ० से कोई बात मनमानी है, तब भी उसे बात करनी पड़ेगी। क्या अमरीका

को तैयार किया जा सकता हैं, पी॰ एल॰ ओ॰ को मान्यता देने के लिए। प्रधान मंत्री अमरीका जा रही है, मैं यह मांग नहीं करूंगा कि वे अमरीका की यात्रा रद्द कर दें। अपनी सारी कुशलता उन्हें इस बात में लगानी होगी कि अमरीका को रास्ते पर लाया जाए। मैं नहीं जानता कि अमरीका रास्ते पर आ सकता है या नहीं आ सकता है। लेकिन जो नए विदेश मंत्री बने हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि जब तक पलैस्टाइन का सवाल नहीं होगा, तब तक पश्चिम एशिया का कोई स्थाई समाधान नहीं हो सकता है। मैं विदेश मंत्री से जानना चाहूंगा कि गुट निरपेक्ष देश इसमें क्या कर सकते हैं ? बैरुत के रास्ते बन्द हैं और सामान पहुंच नहीं सकता है। लेकिन सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के यहां जाने का कदम ठीक कदम है। वाशिंगटन के साथ मास्को का भी दरवाजा खटखटाना चाहिए। मैं मास्को की आलोचना एक आलोचना करने की दृष्टि से नहीं कर रहा हूं, लेकिन मास्को के जो अरब दोस्त हैं, उनको भी थोड़ी सी शिकायत हुई है। नई दिल्ली में पी॰ एल॰ ओ॰ के एम्बेसडर, मि॰ अबैध, का इन्टरव्यू मैंने पैट्रिओट में देखा है, उनसे पूछा गया :

> "आक्रमण के सम्बन्ध में सोवियत रूस की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने सोवियत रूस की तरफ से प्रारम्भ में दिए गए वक्तव्यों तथा चेतावनियों की ओर संकेत किया, लेकिन रूस की ओर से हाल ही में चुप्पी साधने पर आश्चर्य व्यक्त किया। यह चुप्पी अनिश्चित थी।"

लेकिन अब यह कहा जा सकता है कि मास्को चुप नहीं है। आज ही मास्को ने कहा है, अगर अमरीकी सेनायें बेरुत भेजी गई तो वह विरोध करेगा। सवाल अमरीकी सेनायें भेजने का नहीं है, सवाल लेबनान से इजराइली सेनायें निकालने का है। जब पिछली लड़ाई हुई थी, उस वक्त रूस ने धमकी दी थी, उसका असर हुआ था। मैं नहीं जानता आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा है या ऐसा न होने के कारण क्या हैं। लेकिन मास्को और वाशिंगटन तथा जो सुरक्षा परिषद के अन्य स्थायीसदस्य हैं,उनको इस बात कोमानते के लिये तैयार किया जाना चाहिये कि इजराइल जो कररहा है, वह तीसरे महायुद्ध की शुरुआत हो सकता है। हर आक्रमण के साथ उस की भूख बढ़ती जा रही है।

मैं जानता हूं—हमारे कांग्रेस के सदस्य कहेंगे कि जनता सरकार ने क्या किया ? जनता सरकार ने इजराइल के बारे में देश की अपनी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया। मोशिये दायान ने जो अपनी आटोबायग्राफी लिखी है उससे इस बात की पुष्टि होती है—"जब तक अरब इलाके पर कब्जा कायम है और जब तक शान्ति-सन्धि नहीं होती है,तब तक डिप्लोमेटिक रिलेशन्स कायम करने का सवाल पैदा नहीं होता है।"

यह नई नीति नहीं है। मैं उस समय भारतीय जन संघ में था। उस समय अरब-इजराइल वार पर हम ने एक रेजोल्यूशन पास किया था—30 जून, 1967 को—और उस में हम ने कहा था—

"इस्राइल को हाल ही में हुए संघर्ष में इसके द्वारा अधिगृहीत क्षेत्रों से अपनी सेनाएं हटानी चाहिए।" और यह भी कहा था—ईसराइल को अरबों के साथ सहअस्तित्व के आधार पर जीवित रहना पड़ेगा। उसे भूल जाना चाहिये कि वह कोई गोरों का देश है। उसे अपनी एफ्रो-एशियन-पर्सनेलिटी विकसित करने की जरूरत है।

इसलिये जहां तक सिद्धान्त का सवाल है, उस पर मैं नहीं समझता कि देश में कोई मत-भेद है, लेकिन इस परिस्थिति में हम क्या करें, इस पर गहराई से विचार करना चहिये। मेरे पास कोई सुझाव नहीं है जिसे मैं विदेश मंत्री के सामने रख दूं। लेकिन मैं चाहूंगा कि पी० एल० ओ० की सैनिक पराजय को कूटनीतिक विजय में बदलने की कोशिश की जाय। लेकिन इजराइल पर दबाव कैसे डाला जाय ? परिस्थिति और भी बिगड़ सकती है। अगर जिस की लाठी उसकी भैंस की तरफ दुनिया आगे बढ़ती गई तो इस को हमें रोकना होगा और इस को रोकने का एक ही तरीका है कि हम विश्व के लोकमत को बनाने का प्रयत्न करें और अपने देश को जल्दी मजबूत बनाने की कोशिश करें, क्योंकि मुसीबत आई तो कोई साथ नहीं देगा, हमें अपने आप संकटों पर विजय प्राप्त करनी होगी।

**श्री चन्द्रशेखर सिंह (बांका) :** सभापति महोदय, यह चर्चा हम सबके लिये फिलिस्तीनियों तक, उनके कष्टों में उनके दु:खों में जबकि वे व्यापक जनसंहार तथा हानि का सामना कर रहे हैं, हमारी एकता की भावना को पहुंचाने का एक स्वागत योग्य अवसर है। उनकी परीक्षा और संकट की इस घड़ी में उन्हें यह पता लग जाना चाहिये और वे यह भली प्रकार जानते हैं कि भारत एक फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन मदद के लिये दृढ़ता से खड़ा है।

अरब देशों के साथ हमारे सम्बन्ध और अरबों के अधिकारों के लिये भी हमारा खुला समर्थन ऐतिहासिक कहे जा सकते हैं। इसका आधार कोई आवश्यकता अथवा अवसरवादिता न होकर सिद्धांत और मूल्य हैं। सचाई बिल्कुल सामने आ गई है क्योंकि आज गुट-निरपेक्ष आंदोलन ही एक ऐसा मंच है जिसने फिलिस्तीनी मुक्ति-संगठन की हिमायत इतने जोरदार ढंग से की है। और सौभाग्यवश इस सिद्धांतवादी पक्ष को भारत द्वारा ही सबसे अधिक बल दिया गया है।

हमारी गणमान्य प्रधान मन्त्री ने अपनी जन-घोषणाओं तथा विभिन्न माध्यमों से इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भारत फिलिस्तीनियों को अपना समर्थन देता रहा है और निरंतर तथा निश्चित रूप से अपना समर्थन देता रहेगा और सभापति महोदय, मैं आज न केवल हमारे प्रधान मन्त्री, न केवल पण्डित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने हमारी विदेश नीति की नींव रखी थी, बल्कि स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, का उल्लेख करते हुए उत्तेजना महसूस कर रहा हूं जिन्होंने 1920 के प्रारंभ में 'बालफोर डिक्लेरेशन (घोषणा) की भर्त्सना करते हुए कहा था और स्पष्ट रूप से बताया था कि :

> "फिलिस्तीनियों का सम्बन्ध अरबों से हैं उसी प्रकार जैसे इंग्लैंड का सम्बन्ध अंग्रेजों से तथा फ्रांस का सम्बन्ध फ्रांसीसियों से है अरबों पर यहूदियों को थोपना गलत तथा अमानवीय होगा। फिलिस्तीन में अब जो कुछ हो रहा है उसे किसी भी नैतिक आचार-संहिता से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। जन-समर्थन एक हारी हुई लड़ाई के अलावा कुछ नहीं है। गर्वीले अरबों को कम करना निश्चित रूप से यह मानवता के खिलाफ एक जुर्म होगा ताकि फिलिस्तीन के थोड़े से भाग पर अथवा समस्त भाग पर यहूदियों का अधिकार हो सके।"

एक प्रबल घोषणा, दार्शनिक शब्द जो आज भी उतने ही सार्थक तथा वैध है जितने कि वे काफी समय पहले थे।

सभापति महोदय, आज वहां एक प्रकार की युद्धबंदी लागू तो है, परंतु इससे फिलिस्ती-

नियों की समस्याओं और दु:खों का कोई अन्त नहीं हुआ है जो बेरूत में घिरे हुए हैं और जिनका गर्म हवा में बिजली और पानी तथा भोजन के बिना पसीना निकल रहा है तथा जिन्हें पहाड़ियों से इस्राइली सेनाओं के आक्रमण का सामना करना पड़ रहा है। इस्राइल ने अपने व्यापक आक्रमण द्वारा पूर्व विचारित कार्रवाई को खुली छूट दे दी है क्योंकि वे यह दावा करते हैं ऐसा समझौते पर पहुंचने के लिये तथा क्षेत्रों में शांति बनाये रखने के लिये अवसरों को खोए बिना हुआ है। इस आक्रमण तथा व्यवहार के सभी अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के गलत उल्लंघन से इसकी प्रतिमा पूर्णतया टुकड़े-टुकड़े हो गई है जिसे इसने शक्तिमान अरब देशों की धमकी के अन्दर घिरे हुए छोटे देश के रूप में परियोजना बनाने का प्रयास किया था इजराइल का व्यवहार गुण्डों जैसा है और वह संयुक्त राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय राय की खुली अवहेलना कर रहा है। महोदय, दुर्भाग्यवश यह सब केवल अमरीका की सांठ-गांठ से ही सम्भव है जिसके फलस्वरूप इजरायली आक्रमण के फिलिस्तीनी मुक्ति-संगठन को साफ करने के तथा उसे तथा राजनीतिक सैनिक दृष्टि से समाप्त करने के उद्देश्य खुले रूप से सामने आए हैं। हमें खुशी है श्री वाजपेयी ने भी इस मामले पर अपनी पार्टी का रूख स्पष्ट कर दिया है। हम जानते हैं कि वे एक विकट परिस्थिति में हैं, उन्हें कभी-कभी उनके दल के किसी बेलगाम सदस्य द्वारा परेशान किया जाता है और किसी समय उनकी सरकार के अति उत्साही प्रधानमन्त्री द्वारा परेशान किया गया था। लेकिन इन परिस्थितियों में भी उन्होंने आज जो कुछ भी कहा है। वह उस मामले पर एक समान राष्ट्रीय राय के रूप में पुनः लागू हो गया है।

हमारी यह राय है कि उनके द्वारा किया गया आक्रमण तथा समस्त खेल अरबों पर एक समाधान थोपना है जो अमरीका की कूटनीतियुक्त मर्तव्य, उनके हितों के लिये संतोषजनक हैं तथा जिसमें इजराइली भी उनके उद्देश्य पूर्ति में सहायक बन गया है। वे पिछले काफी समय से जाति-विनाश तथा सुनियोजित समाधानों के माध्यम से अधिकृत क्षेत्रों में जनता की प्रकृति में परिवर्तन करने का प्रयास करते आ रहे हैं। और यहां भी यही खेल खेला जा रहा है जिससे ऐसी स्थिति पैदा की जाए जिसमें अरबों को अमरीका तथा इस्राइल की पसन्द का कोई भी समाधान स्वीकार करने के लिये मजबूर किया जा सके।

प्रोफेसर सत्यसाधन चक्रवर्ती ने यह मांग की है कि प्रधान मन्त्री को अपनी अमरीका यात्रा रद्द कर देनी चाहिये। मैं नहीं समझता कि हमारे देश की जनता का प्रबुद्ध वर्ग उनके विचारों से सहमत होगा। हम पूर्णतया यह जानते हैं कि प्रधान मन्त्री जी वहां अमरीका तथा राष्ट्रपति रीगन के समक्ष अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने जा रही हैं और विश्व जानता है कि प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी का साहस अडिग और विश्वास दृढ़ होता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि वे राष्ट्रपति रीगन के समक्ष भारत के दृष्टिकोण को रखेंगी और हमें पक्का विश्वास है कि जहां भी जाएंगी वहीं भारत के झंडे को ऊंचा रखेंगी।

प्रधान मन्त्री ने अपने वक्तव्य में न्यायोचित और स्थायी हल के मूल सिद्धांतों को दोहराया है और प्रमुख अंश चतुर्गुण हैं जैसे कि यहां प्रस्तुत किये गये हैं:—

1. फिलिस्ती नी जनता के अहरणीय अधिकारों को एक स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्र के रूप में मान्यता देना तथा पुनः बहाल करना।
2. इजराइल द्वारा ताकत के बल पर अधिकृत किये गये सभी प्रदेशों को खाली करना।

3. फिलिस्तीनी जनता की प्रमाणित आवाज के रूप में फिलिस्तीनी मुक्ति-संगठन के साथ समझौता वार्ता, तथा

4. शांतिपूर्ण सहास्तित्व के लिये इजराइल का अधिकार।

केवल यही नीति ही इस क्षेत्र में शांति और स्थायित्व स्थापित कर सकती है जो इतने लंबे समय से लगभग ज्वालामुखी के मुख में बैठा हुआ है।

इस समय वाशिंगटन तथा बेरुत और निकोसिया एवं अन्य राज्यों के राजनैतिक गतिविधियों की हलचल है और हमें खुशी है कि अमरीका आज निर्विवाद रूप से इस सत्य को समझने की शुरूआत कर रहा है कि इस समस्या का हल फिलिस्तीनी-मुक्ति-संगठन के साथ सीधी बातचीत करके ही सम्भव है।

दुर्भाग्यवश गुरिल्ला शत्रुओं तथा अपने कुछ मित्रों से उत्तेजना महसूस कर रहे हैं। इस समय मुख्य मुद्दा यह है कि ऐसा हल निकाला जाए जिसमें फिलिस्तीनियों का सम्मान कायम रहे। मुझे आशा है कि हमारे विदेश मन्त्री जो आज तक गुट-निरपेक्ष आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में मान्य हो चुके हैं, अपनी कूटनीतिक क्षमता का प्रयोग करके यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि उस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना जा सके ताकि वह वहां पर स्थातित्व और शांति स्थापित करने के लिये अपनी पूरी भूमिका निभा सके।

इस समय अरब की सामूहिक प्रतिक्रिया इस स्थिति में एक सकारात्मक कारण रही होती। दुर्भाग्वश, इसके न होने से यह सुप्रकट हो गई है। न केवल मुस्लिम, अरब, गुट-निरपेक्ष देशों में बल्कि यहां तक कि पश्चिमी देशों में भी, तथा यहां तक कि इजराइल में भी असाधारण विश्व जनमत तैयार हो गया है। वर्तमान लड़ाई ने अमरीका के यहूदियों को भो विभाजित कर दिया है तथा अनेक यहूदी सैनिकों तथा इजराइली सैनिकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। आज फिलिस्तीनी-मुक्ति-संगठन घिरा हुआ है लेकिन यह टूटा नहीं है, उसका मनोबल ऊंचा है और उसने हार नहीं मानी है। हमें विश्वास है कि वे न केवल इस कठिन परिस्थिति में खरे उतरेंगे बल्कि इस कठिन परीक्षा से शक्ति प्राप्त करेंगे।

हमारी प्रधान मन्त्री ने कहा है और यह ठीक ही कहा है कि एक लोकप्रिय आंदोलन जनता के आंदोलन को हथियारों अथवा ताकत का इस्तेमाल करके नहीं दबाया जा सकता। लेकिन मैं भाषण को प्रधान मन्त्री के उद्धरण से नहीं बल्कि अमरीका के भूतपूर्व एस्सिटेन्ट सेक्रेटरी आफ स्टेट, हैराल्ड साऊन्डर्स का एक उद्धरण देकर समाप्त करना चाहूंगा:—

> "फिलिस्तीनी-मुक्ति-संगठन समग्र मध्यपूर्व में फैली जनता की पहचान का प्रतीक है। आप एक अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन का दमन नहीं कर सकते। आप एक प्रतीक को नष्ट नहीं कर सकते।"

मुझे विश्वास है कि सारे क्षेत्र में फिलिस्तीनियों की आवाज तब तक गूंजती रहेगी जब तक कि कोई न्यायोचित हल नहीं निकलता है, वह केवल तभी सम्भव है जब अविश्वास और आशंका को समाप्त किया जाए और इस क्षेत्र में अरबों तथा इजराइलियों के सहास्तित्व के आधार को सुदृढ़ बनाया जाए।

हम प्रधान मन्त्री के वक्तव्य का पूरा समर्थन करते हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे विदेश मन्त्री फिलिस्तीनियों तथा घिरे हुए फिलिस्तीनी-मुक्ति संगठन की सहायता करके भारतीय जनता की आकांक्षाओं को पूरा करें।

**श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर)** : सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया हैं और वहां जिस तरीके से बेरुत जल रहा है, जिस तरह से लेबनान पर जुल्म ढाया जा रहा है—मैं समझता हूं कि इस तरह की जघन्य हत्याओं की मिसाल दूसरी शायद नहीं होगी।

अभी हमारे साथी श्री वाजपेयी, श्री इन्द्रजीत गुप्ता आदि सदस्यों ने बतलाया कि जहां तक यू०एन०ओ०का सवाल है, गुट निरपेक्षता का सवाल है, 90 देशों ने मान्यता प्रदान कर दी है। कई देशों ने अराफात को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में घोषित कर दिया है, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद नतीजा क्या निकल रहा है। नतीजा यह है कि चारों तरफ से वह घिरा हुआ है, उसका खाना बन्द है, पानी बन्द है, लोग भूखों मर रहे हैं। प्यासे मर रहे हैं इस तरह कि स्थिति बरकरार है।

अमरीका का जहां तक संबंध है, अमरीका एक तरफ तो अपने दूत पश्चिम एशिया में भेज रहा है और ढिंढोरा पिटवा रहा है और दूसरी तरफ नवीनतम हथियार सप्लाई कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसमें क्या कर रहे है ?

इस के संबंध में हमारे साथियों ने कहा—!

मैं एक हिन्दी अखबार के एडीटोरियल को कोट करना चाहता हूं। युद्ध विराम को उसने लिखा है कि नाटक है उसने लिखा है :

> लेबनान हमले से सोवियत रूस की इज्जत पर भी गहरा धक्का लगा है। फिलस्तीनी मुक्तिमोर्चे के सब से बड़े संरक्षक होने का दावा रूस अब तक करता रहा है सीरिया के साथ तो रूस की बीस वर्षीय मैत्री संधि भी थी। फिर भी सीरिया के पिटते हुए जवानों को बचाने के लिए रूस आगे नहीं बढ़ा। अफगानिस्तान या पोलैण्ड में फंसे रहने के कारण उसकी चाहे जैसी मजबूरी रही हो लेकिन इसरायल लेबनान युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया है कि रूस और अमरीका दोनों महा शक्तियों की रुचि अपने स्वार्थ की रक्षा में है, न कि विश्व शान्ति में।

अरब मुल्क आपस में बिखरे हुए हैं। उन में से कोई भी जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। इस स्थिति में पी० एल० ओ० मारा जा रहा है।

अभी कहा गया है कि इजरायल का टारगेट तीस किलोमीटर इलाके का था। फिर वह चालीस हो गया। मैं तो समझता हूं कि वह पी०एल०ओ० की समाप्ति पर डटा हुआ है। इजरायल को सभी यहूदी भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इजरायल के हजारों लाखों यहूदियों ने भी बेगिन सरकार को युद्धबन्धी के लिए लिखा है, उससे आग्रह किया है, अपील की हैं लेकिन उसका भी कुछ असर नहीं हुआ है। जब कोई प्रस्ताव यू०एन०ओ० में आता है वह वीटो का प्रयोग कर देता है। पन्द्रह हजार से अधिक नागरिकों की इजरायल ने हत्या कर दी है। इजराइल के विरुद्ध निन्दा

तक का प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सका है। कारण यह है कि अमरीका वहां वीटो का प्रयोग करने के लिए तैयार बैठा है। बातें बहुत होती है। लेकिन सीधी सी बात यह है कि वहां एकतरफा हमला चल रहा है। जिस तरह से कोई आदिवासी बैल्ट होती है और उसको उठाकर कोई फेंक दे और कब्जा कर ले उसी तरीके से वहां भी सारा मामला चल रहा है। यहूदियों ने वहां पर कब्जा कर लिया है और पी एल ओ को भगा दिया है। वे भाग रहे हैं, मर कट रहे हैं। अमरीका का सीधा सा प्लान इजराइल के माध्यम से यह है कि पी एल ओ को इतना ध्वस्त कर दो कि उसमें दुबारा हिम्मत ही न रहे कि मुक्ति संग्राम को वह छेड़ सके। उसका इसराइल को उंगली दिखाने का भी इरादा नहीं है।

सब से अहम सवाल यह है कि पी एल ओ की कैसे रक्षा की जाए। मैंने पहले कहा है कि नब्बे देशों ने पी एल ओ को मान्यता दे दी है। दर्जनों लोगों ने अराफात को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मान लिया है। इसके बावजूद के अराफत ब्यान निकले हैं उससे लग रहा है कि कहीं न कहीं फिलस्तीनी मुक्ति मोर्चे का मनोबल टूटता जा रहा है और दूसरी तरफ इसराइल की बर्बरता बढ़ती जा रही है। इसकी परिणति कहां होगी ? मैं तो समझता हूं कि इसकी परिणति यही हो सकती है कि तीसरा विश्व युद्ध न हो जाए, तीसरे विश्व युद्ध का रूप यह समस्या धारण न कर ले।

जहां तक गुट निरपेक्षता की बात है, यह मामला मेरी समझ में तो आया नहीं है आज तक। यू०एन०ओ० का मामला भी आज तक समझ में नहीं आया है। जिस की लाठी उसकी भैंस वाली बात चल रही है! हम लोगों की गुट निरपेक्षता कहींकमजोरी का दूसरा अर्थ तो नहीं है ? हमारी यह गुट निरपेक्षता भी कोई असर नहीं डाल पा रही है!

मैंने विदेश मंत्रालय की बहस में भाग लेते वक्त पिछली बार यह कहा था कि हमारी नीति वैकल्पिक दलाल. आल्टरनेटिव ब्रोकर के समान नहीं होनी चाहिये। डा० लोहिया ने कहा था कि हम को वैकल्पिक दलाल नहीं बनना चाहिये। अफगानिस्तान के मामले में हमारी नीति रूस के सामने घुटने टेकने की रही है। इजरायल के मामले में रीगन के सामने हम घुटने टेक रहे हैं। प्रधान मंत्री अमरीका जा रही है। मैं समझता हूं कि भारत की जनता की जो भावनाएं हैं उनको साफ तौर से उनको अमरीकी अधिकारियों के सामने वहां जा कर रखना चाहिये, ऐसा नहीं होना चाहिये की रीगन की भावनाओं से वह प्रभावित हो जाएं। वहां जा कर उनको रास्ता निकालना चाहिये। रोना पीटना बहुत हो चुका है। वहां पी एल ओ बेचारा मर रहा है, रो पीट रहा है। भारत सरकार पहल करके कोई रास्ता निकाले। अपने अधिकारों के लिए पी. एल. ओ. संघर्ष कर रहा है। इजराइल का जो ध्येय बन गया है कि पी० एल० ओ० को समाप्त कर दिया जाय उसको बचाने में भारत सरकार कारगर हो सके और अपने स्टैन्ड की अमरीका में जा कर के प्रेसीडेंसट रीगन को समझा सके और प्रभावित कर सकें यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं।

**श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू)** : जनाबे वाला, मैं तमाम हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता कि यह हमला कैसे हुआ क्योंकि वह बातें यहां कही गयी हैं और हाऊस के काफी मेम्बरान ने, श्री इन्द्रजीत गुप्त से लेकर, सबने उन आसपेक्ट्स का जिक्र किया है और बताया कि इजराइल का हमला अमरीका की हिमायत के साथ हो रहा है। अगर अमरीका हिमायत न करे तो यह हमला न हो सकता था और न चल सकता था।

आज सूरत यह है कि जहां तक फिलिस्तीन उनसे छीना गया जिसकी वजह से वह अपना रेजिस्टेंस कायम किये हुए हैं। आज फिलिस्तीन के बाद वह जार्डन में गये, वहां से निकाले गये। उसके बाद लेबनान में आये तो उस पर भी कब्जा किया जा रहा है। न सिर्फ उनके देश को छीना गया बल्कि उनके वजूद को ही खत्म करने को कोशिश की जा रही है और उनके मेजबान को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। छोटे बच्चों, औरतों और बूढ़ों को इस तरह से कत्ल किया जा रहा है, इस किस्म के बम उन पर गिराये जा रहे हैं, इतनी बेरहमी से कत्ल किया जा रहा है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। नाजियों ने भी जो मैसाकर किया उसको भी यह सरपास कर गये हैं। जब हम कौटिल्य में पढ़ते थे और फासिस्ट फोर्सेज जब दुनिया में पैदा हुए तो दुनिया में हल चल मच गई थी। हमारे देश में एक मूवमेंट पैदा हुआ स्वर्गीय जवाहरलाल की सदारत में वह लहर चली और नौजवानों में इस कदर जोश था और हलचल मच गई थी और दुनिया में जबरदस्ती और जब पब्लिक ओपीनियन फोर्म हुई तो आखिर में उनको शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। आज पब्लिक ओपीनियन को जागृत करने की कोशिश की जा रही है, इस जाहिराना हमले के खिलाफ ज्यूज भी होने लगे हैं, अमरीका के अन्दर भी पब्लिक ओपीनियन असर्ट कर रही है और इजराइल के अन्दर भी इसके खिलाफ आवाज उठी है।

लेकिन यह भी ठीक है, जैसा माननीय पासवान ने कहा 90 देशों ने पी एल० ओ० को रिकग्नाइज किया है तो केवल रिकग्नाइज करने से ही काम नहीं चलेगा बल्कि पब्लिक ओपीनियन पैदा करनी चाहिये। नान-ऐलाइन्ड देशों में हमारा ही एक देश है जिसके प्रधान मंत्री ने, फौरेन मिनिस्टर ने और लोगों ने एक बड़ा अच्छा स्टैंड लिया है जिस पर मैं समझता हूं कि हमें कायम रहना चाहिये।

मगर एक सवाल पैदा होता है कि वह ताकत जिसने इजरायल को रागन किया है लेबनान पर हमला करने के लिये वह प्लान क्या यहीं तक खत्म हो जायगी ? मैं समझता हूं हर देश, जिसमें हमारा देश भी शामिल है जो उनके इशारे पर नहीं चलता है, आज इसी किस्म के खतरे में है। ऐसे देशों के अन्दर और बाहर गड़बड़ पैदा की जा रही है। एक एक करके उन देशों में वह गड़बड़ कर रहे हैं और इर्दगिर्द एक कारीडोर क्रीएट करते हैं और सबवर्सिव ऐलीमेंटस को अपने साथ बुलाते हैं और ऐसे हालात पैदा करते हैं। दुनिया के तमाम आजादी पसन्द लोग, और जो चाहते हैं कि आम लोग तरक्की करे, उस किस्म की ताकतों के लिये आज जो माहौल पैदा हुआ है वह बहुत चिंताजनक है। जिसको हमारे फाजिल दोस्त अटल बिहारी बाजपेयी जी ने कहा है कि बड़ी परेशानकुन हालत है, और इसका क्या हल हो सकता है ? इसके लिये हम सबको, हमारी गवर्नमेंट को सोचकर कोशिश करनी है।

अमेरीका के सम्बन्ध में यह कहना कि वहां न जायें, मैं समझता हूं कि हमारी प्राइम मिनिस्टर ने वहां जाने का फैसला करके बड़ी अक्लमन्दी की बात की है। मैं इसे सपोर्ट करता हूं। मुझे खुशी है कि हमारे फार्मर फारेन मिनिस्टर श्री वाजपेयी जी ने कहा कि वहां जाकर हमको एक बात साफ-साफ कहनी चाहिये और कोशिश करनी चाहिये, वहां हम कामयाब हों या न हों, हमको वहां एसर्ट करना चाहिये कि फिलीस्तीनियों के राइट्स को कबूल किया जाये, उनको मान्यता दी जाये। उनके साथ बात कीजिये, उनके साथ फैसला तभी हो सकता है जब वह मानेंगे, नहीं मानेंगे तो कैसे फैसला होगा ? इसके लिये एक बात साफ तौर पर तय करके हमें कोशिश करनी है, उस

बात को इस वक्त कहें पब्लिक के सामने, या वहां से आने के बाद कहें; मगर इस अमन के रास्ते पर हमको चलना होगा और उसके लिये हमें कोशिश करनी होगी। अगर यह नहीं होगा तो पूरी दुनिया के अमन को खतरा है। जिस अमन शांति के लिये हम कोशिश करते हैं, जिसके लिये नान-एलाइनमैंट की आर्गेनाइजेशन बनी, हम चाहते हैं कि दुनिया में जंग न हो, जिस जंग को यूरोप वालों ने धकेला, जोर लगाया अमेरिका की कोशिशों के बावजूद यूरोप के लोगों ने जंग का वातावरण नहीं बनने दिया। अब और वह यूरोप वाले सैंट्रल एशिया में आकर उसका अखाडा बना रहे हैं। सीरिया ने पहले कोशिश की रैजिस्ट करने की मगर आखिर में वह भी चुप हो गया। अरब देश पी० एल० ओ० के साथ हमदर्दी तो रखते हैं, वहां का आवाम और वहां की गवर्नमेंट भी चाहती है, कि पी० एल० ओ० कामयाब हो, जितना कुछ वह कर सकते हैं, वह उन्होंने किया नहीं, जितना प्रेशर यू० एस० ए० पर वह ला सकते हैं, वह लाये नहीं हैं।

यह बात हमारे सामने है, दुनिया के अमन के लिये खतरा है, अगर तीसरा जंग आज होगा तो बड़ा खतरनाक होगा, तमाम दुनिया के लिये खराब होगा। इससे दुनिया का ग्लोब मेल्ट हो सकता है। अगर यह न्यूक्लीयर वार हो गई तो बहुत खतरनाक होगी।

मैं एक बात यह दोहराना चाहता हूं कि श्री मुलक राज आनन्द बड़े भारी राइटर हैं, किसी पार्टी के साथ उनका ताल्लुक नहीं है, उनका कस्बा है कि जितने हमारे पास हाइड्रोजन बम हैं, अगर उसका दसवां हिस्सा भी एक्सप्लोर हो जाये तो जो दुनिया की क्रेस्ट है, दुनिया का ग्लोब क्रेस्ट मैल्ट हो जायेगा और कई हजार मिनियन ईयर उसको दोबरा ठीक करने में लगेंगे.

मैं समझता हूं कि आज इंसानियत को खतरा है, दुनिया के लोग खतरे में हैं, दुनिया की एग्जीस्टैंस को खतरा है, ग्लोब की एग्जिस्टैंस को खतरा है।

यह बड़ी खुशी की बात है हमारी गवर्नमैंट, प्राइम मिनिस्टर और फारेन मिनिस्टर जितनी कोशिश कर सकते हैं, वह कर रहे हैं, हमको और ज्यादा कोशिश करनी चाहिये। दुनिया के लोगों, दुनिया की गवर्नमैंटों, आर्गेनाइजेशन्स और आवाम, जो भी अमन-पसन्द है, उनके जरिये हमें कोशिश करनी चाहिये। पी० एल० ओ० का काज सिर्फ पी० एल० ओ० का काज ही नहीं है, बल्कि दुनिया के आवाम का काज है। दुनिया के उन लोगों का काज है जिनको इम्पीरियलिस्ट्स हड़प करना चाहते हैं और नीचा दिखाना चाहते हैं। जिनका अपने डिजाइन के लिये, फाइनेन्शियल एक्टिविटीज के तौर पर सिम्बल पी० एल० ओ० है। मैं समझता हूं कि हमको अपनी प्राइम मिनिस्टर को, और गवर्नमैंट आफ इंडिया के स्टैंड को उसको सपोर्ट ही नहीं करना चाहिये, बल्कि दुनिया की तमाम लिबरेशन फोर्सेज से अपील करनी चाहिये, जितनी लिबर्टी के लिये स्टैंड करने वाली फोर्सेज हैं, सबको एक होकर आवाज उठानी चाहिये। आज यू० एस० ए० के प्रेशर लाने से ही जंग बन्द हो सकती है दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। यू० एस० ए० का प्रेशर नहीं लाया गया है, यह बात साफ होनी चाहिये। प्राइम मिनिस्टर, या इस हाउस के जितने हमारे सभी पार्टियों के लोग हैं, सबको यकजमा होकर कहना चाहिये। हम जब तक इस बात का जोर नहीं देंगे, काम नहीं बनेगा इस बात को साफ किया जाना चाहिये। यह एंटी यू० एस० ए० मूव नहीं है, वहां के लोग जब तक जंग नहीं चाहेंगे, लड़ाई नहीं हो सकती। अगर जंग हो गई तो न वह बचेंगे, न यह एशिया बचेगा, न हम लोग बचेंगे, न यूरोप व सोवियत यूनियन बचेंगे। इसलिये यह जरूरी है कि तमाम जितनी कोशिशें हो सकती हैं, वह सब इस जंग को खत्म करने के लिये की जायें, हमारी

मौरल फोर्सेज हैं, या पोलिटीकल फोर्सेज हैं सबको उसके लिये यूटिलाइज किया जाये ताकि यह बन्द हो सके।

**श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण)** :—6 जून का दिन विश्व के इतिहास में सबसे काले दिन के रूप में लिखा गया है। तब से इस अन्धकार को हल्का करने वाले बादल पश्चिमी एशिया के क्षितिजों, पश्चिमी एशिया के आकाश पर मंडरा रहे हैं।

इस्राइल का आक्रमण, व्यापक हमला इजराइली बख्तरबन्द फौजों द्वारा तीव्र आक्रमण, टैंकों तथा वायु सेना द्वारा किए गए हमले से लेबनान में मौत विध्वंश की दुर्गन्ध शेष रह गई है और लेबनान की भूमि पर मौत मंडरा रही है तथा वहां विध्वंश करने की पूर्णतया छूट दे दी गई है।

आम जनता का संहार किया गया है। फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन की फौजों को यंजणा दी गई है। इसराइल को इतना अधिक अहंकार हो गया है कि उसने फिलिस्तीनी बन्दियों को युद्ध-बन्दियों का दर्जा देने से इन्कार कर दिया है। यह जेनेवा सन्धि का पूर्णतया उल्लंघन है।

मरने वालों की संख्या में आम जनता के संहार की संख्या से बहुत ही अधिक अंतर है। हजारों लोग मारे गए हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि 15000 से भी अधिक लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। बमों द्वारा इससे कितने अधिक गुना व्यक्ति अपाहिज बना दिये गये हैं। समस्त शहर के ब्लाकों को तबाह कर दिया गया है। और करोड़ों लोग बेघर बार हो गये हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि इजराइल लेबनान में विद्यमान प्रतिविरोधात्मक राजनीति का शोषण कर रहा है। दुर्भाग्यवश लेबनान राजनीति तथा सामाजिक दृष्टिकोण से टुकड़ों में बटा हुआ समाज है। मारोनीट्स तथा मुस्लिम जनता दो भागों में बाटी हुई है और इसके फलस्वरूप इजराइली फौजों को लेबनान की भूमि पर तबाही मचाने का काफी मौका मिला हुआ है।

जिस प्रकार से यह सब हुआ है वह वास्तव में भयानक और चौंकाने वाला है। ऐसा लगता है कि इस्राइल इस दिन के लिए बहुत लम्बे समय से तैयारी कर रहा था। गत कुछ वर्षों से वे लेबनान को अपने इलाके में मिलाने और किसी बहाने से लेबनान की इस भूमि पर आक्रमण करने का विचार बनाते रहे हैं। 1954 में मोशेदयान ने कहा था।

> "बात जरूरी सिर्फ यह है कि किसी अधिकारी, मेजर ही सही, को ढूंढा जाए। हमें या तो उसका दिल जीतना चाहिए या उसे पैसे से खरीदना चाहिए ताकि उसे इस बात के लिए सहमत किया जा सके कि वह अपने आपको मैरोनाइट लोगों का उद्धारक घोषित कर दें। तब इस्राइल की सेनाएं लेबनान में घुस जाएंगी, उस अनिवार्य क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगी एक ईसाई साम्राज्य की स्थापना कर लेंगी जो अपने आप को इस्राइल के साथ मिला लेगा। लिटानी के दक्षिण का इलाका पूरी तरह से इस्राइल द्वारा मिला लिया जाएगा और सब ठीक हो जाएगा।"

1954 में मोशे दयान की इस टिप्पणी से हमें उस भूमिका का पता चलता है कि इस्राइल के शासक 1954 से यही भयानक विचार बना रहे हैं और यह वर्तमान आक्रमण उसी विचार का विस्तार मात्र है। उन्होंने उस भयानक विचार को व्यावहारिक रूप में परिणत कर दिया है और

अन्ततः लेबनान में तबाही मचा दी है। उन्होंने पश्चिम एशिया के उस भाग में संहार और विनाश-लीला मचा दी है। परन्तु यह सब केवल उसी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। कल यह ज्वाला संसार भर में फैल सकती है। उस दृष्टि से, इस स्थिति से होने वाले खतरे का मुकाबला किया जाना चाहिए। हम इस खतरे से आंखें नहीं मूंद सकते। लेबनान एक ऐसा देश है जो 10000 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है और उसकी तीस लाख की आबादी है जिसमें ईसाई और मुसलमान हैं। महोदय, अब मैं लेबनान के उन सांवैधानिक उपबंधों की बात नहीं करता जिनके कारण हो सकता है यह स्थिति पैदा हुई हो।

परन्तु, महोदय, इस्राइल के उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट हैं—

(1) फिलिस्तीनियों को उनके अपने गढ़ो में नेस्तनाबूद कर देना चाहते है;

(2) लेबनान से सीरियाई सेना को निकालना;

(3) दक्षिण लेबनान में इस्राइली क्रिश्चियन फलेंजिस्ट क्षेत्र स्थापित करना; और

(4) लेबनान की भावी सरकार को अपने आधिपत्य में रखना।

इस्राइयल के ये ही उद्देश्य हैं जो बहुत ही स्पष्ट है। वे संसार से छुपे न रहें।

महोदय, आज हम जो अन्य बातें देखते हैं वे वास्तव में ही बहुत अशांति कारक हैं। अरब विश्व को क्या हो गया है? महोदय हमने हमेशा अरब देशों का समर्थन किया है और हम अडिग रूप से उनके साथ रहे हैं। स्वतन्त्रता आंदोलन के समय से हमने अरबों का समर्थन किया है और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, पण्डित नेहरू ने जोरदार शब्दों में अरब देशों को हर सम्भव समर्थन दिया था जैसा कि मेरे मित्र, श्री भाटिया ने बताया है। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी ने भी फिलिस्तीनियों का समर्थन किया था।

महोदय, अब भी हमारा वही दृष्टिकोण है। हम अरब देशों का लगातार समर्थन करते आ रहे हैं। महोदय, दुर्भाग्यवश, हम ऐसा तमाशा, दृश्य देख रहे हैं जो बहुत ही निराशाजनक है और वह ऐसा है कि अरब विश्व हाथ बांधे बैठा है और जो कुछ लेबनान में हो रहा है वे उसे चुपचाप देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस्राइलियों को यह बहुत ही बेहतर अवसर मिला है क्योंकि वे अरब विश्व की स्थिति को जानते हैं। ईरान और इराक की अपनी समस्याएं हैं। सीरिया की अपनी समस्याएँ है। और फिर, महोदय, सऊदी अरब के देश शायद इस बात से भयभीत हैं कि खुमैनी जैसी क्रांति वहां न आए। मिश्र भी अपने मजे में है।

एक और बात यह है कि पैट्रो-डालर उस क्षेत्र में तबाही मचा रहे है। कोई भी देश अमेरिका का विरोध करना नहीं चाहता। ये सभी बातें अपनी भूमिका निभा रहे हैं और इस प्रकार से प्रत्येक लाभ हमलावर देश को मिल रहा है और जो लोग इसका शिकार हो रहे हैं वह आज अकेला राष्ट्र है। फिलिस्तीन के बहादुर लोग, पी० एल० ओ० की सेनाएं इन सेनाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए, ये सेनाएं क्रांतिकारी हमलावार के समक्ष अकेले पड़ गई हैं। ये क्रांतिकारी अपनी स्वतंत्रता के लिए बहादुरी से लड़ रहे हैं। आखिरकार, वे क्या चाहते हैं? फिलिस्तीनी लोग अपनी स्वतन्त्रता और देश में हस्तक्षेप नहीं चाहते। यह उनका जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे कोई भी उन्हें देने से मना नहीं कर सकता। इस दृष्टिकोण से, यह विवाद का विषय है कि

दूसरे देश चुप्पी साधे हैं। अरब देश भी उनकी सहायता नहीं कर रहे, न ही अन्य शक्तियां उनकी मदद कर रही हैं। हमारे गुट-निरपेक्ष देश अपने स्तर पर फिलिस्तीनियों के समर्थन में अपनी आवाज उठा रहे हैं हमारे विदेशमंत्री उनका हमेशा समर्थन करते रहे हैं और उन्हे इस बातमें अग्रणी भूमिका निभाने के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि फिलिस्तीनियों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने में तृतीय विश्व के प्रयासी को बल मिले।

**सभापति महोदय** : अब आप समाप्त कीजिये।

**श्री रतन सिंह राजदा** : महोदय, मैंने अभी तो शुरू किया है।

**सभापति महोदय** : इस कार्यसूची को पूरा करना असम्भव है।

**श्री रतन सिंह राजदा** : ठीक है, महोदय, ऐसा लगता है कि इस बार हमारी आवाज कमजोर है। निस्संदेह हम फिलिस्तीनियों का समर्थन लगातार कर रहे हैं। हमने अपनी आवाज जैसे ही बुलंद क्यों नहीं की जैसाकि पंडित नेहरू ने उस समय की थी जब डच लोगों ने 1942-48 में इंडोनेशिया पर हमला किया था उस समय, समस्त विश्व को हमारी आवाज सुननी पड़ी थी। मुझे मालूम है इसके बाद जब स्वेज नहर पर हमला हुआ था, उस समय भी, भारत ने जोरदार आवाज उठाई थी। राष्ट्रों में उस आवाज का आदर था। अब मैं उन प्रयासों को कम नहीं करना चाहता जो अब विदेश मंत्री और हमारी प्रधान मंत्री द्वारा किये जा रहे हैं। प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती जो कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, ने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री को अपनी अमेरिका यात्रा रद्द कर देनी चाहिए। अब, महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में, केवल ऐसी यात्राओं को रद्द करने से काम नहीं चलेगा। इसके विपरीत में सोचता हूं कि यदि प्रधान मंत्री अमेरिका जाती हैं वे अमेरिका के राष्ट्रपति से आमने सामने बात कर सकती हैं और उन्हें कुछ सच्चाईयों से अवगत करा सकती हैं। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री एक ऐसी व्यक्ति हैं जो ऐसा कर सकती हैं और यदि वे ऐसा करती हैं तो सम्पूर्ण विश्व अमेरिकी प्रशासन में समझदारी लाने के लिए उनका धन्यवाद करेगा। **(व्यवधान)**

मेरे मित्र, श्री रवीन्द्र वर्मा मेरी, उदारता चाहे पसंद न करें। परन्तु, महोदय, सच्चाई यही है। हमारे राष्ट्र में आज, ये संकट पूर्ण काल है। और मैं ऐसा मानता हूं कि श्रीमती गांधी फिलिस्तीनियों के अधिकारों का जोरदार ढ़ंग से समर्थन करके महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, मुझे विश्वास है कि व अमेरिकी प्रशासन में संयम लाने में सक्षम होंगी। इस समस्या को हल करने के लिए इस्राइल को नियंत्रित करने की चाबीअमेरिका के हाथ में है।

रूस द्वारा अपनाए गए रुख पर मुझे बहुत अफसोस है। रूस ने फिलिस्तीनियों को गारंटी दी थी कि वह अमेरिका कवच प्रदान करेंगे यदि इस्राइल द्वारा पी० एल० ओ० की सेनाओं पर हमला किया गया। दुर्भाग्यवश आज जो कुछ हो रहा है रूस आज उसका मूकदर्शक बना हुआ है। हो सकता है कि अफगानिस्तान और पौलैंड और विश्व के अन्य भागों में अधिक शक्ति लगा देने के कारण ऐसा हो। वे फिलिस्तीनी सेनाओं के बचाव के लिए नहीं आ रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदेशमंत्री जी से अनुरोध करूंगा वे यह देखें कि हम फिलिस्तीनी अधिकारों की पूरी पूरी सहायता करें। आज इस बात की जरूरत है कि सर्वप्रथम हमें वैमनस्य कम करना चाहिए क्योंकि समय की यही मांग है। दूसरा हमें इस्राइल पर इस बात के लिए दबाव डालना चाहिये कि वह

अपनी सेनाएं लेबननान की अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सीमाओं के उस पार हटा ले। तीसरा हमें यह भी देखना पड़ेगा कि सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव सं० 508 और 509 का तत्काल क्रियान्वयन किया जाये। अन्त में, व्यापक, उचित और अंतिम समाधान के लिए उचित बातचीत तत्काल शुरू की जानी चाहिए।

यदि हम ऐसी स्थिति बना देते हैं जिसमें ये चारों शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो मैं समझता हू कि कोई सौहार्द्रपूर्ण हल निकाला जा सकता है और वह समस्त संसार सुख की सांस लेगा।

महोदय, मैंने समाप्त कर दिया है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

**उपाध्यक्ष महोदय** : हमें यह चर्चा लगभग 3.30 बजे तक पूरी करनी पड़ेंगी। प्रतिपक्ष के तीन सदस्य हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे संक्षेप में बोलें। जो कुछ कहा जाना चाहिये वह पहले ही कहा जा चुका है। मैं सभी माननीय सदस्यों को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने अपने नाम दिये हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना समय कम करके 5 मिनट कर लें। 6 बजे मंत्री उत्तर देंगे।

(समाप्त)

**श्री जयपाल सिंह कश्यप** (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, ब्रिटेन की राजनीतिक संतान, जिसका अमरीका ने पालन-पोषण किया, वह इस्राइल आज विश्व शांति के लिये सबसे बड़ा खतरा बन गया है। लेबनान फिलिस्तीनी लोगों के ऊपर जो आक्रमण करने का और उनको बर्बाद व नष्ट करने का बीड़ा ईस्राइल ने उठाया है वह निन्दनीय है और हम सब की हमदर्दी फिलिस्तीनियों के प्रति है। इस समय यह युद्ध और जो इजराइल का कदम है, वह विश्व के लिये सबसे बड़ा खतरा बन गया है और यू० एन० ओ० व संयुक्त राष्ट्र संघ के लिये दांव पर लगा दिया है। अगर यू० एन० ओ० ने वह प्रस्ताव पास न किया होता, जिसका कि समर्थन 127 देशों ने किया, केवल अमरीका और इजराइल जिसके विरोध में रहे हैं। यदि वह प्रस्ताव न हुआ होता तो शायद संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व नहीं रहता। लेकिन उसकी सारी प्रक्रिया को अमरीका ने अपने वीटो का इस्तेमाल करके सुरक्षा परिषद में सारे काम को जिस तरह से पंगु बना दिया है, उससे आज अमरीका इजराइल एक तरह से दुनिया में अपनी भावनाओं में अकेला पड़ गया है। आज दुनिया का जनमत एक ओर है और अमरीका व इजराइल एक ओर है। अमरीका का यह कदम संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है, विश्व को खतरे में डाल रहा है और तीसरे विश्व युद्ध की संभावना भी पैदा कर रहा है। हमको बड़े कड़े शब्दों में इसकी निन्दा करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिस तरह का प्रयास किया है, उसके आधार पर हमें राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक नाकेबन्दी हमको इजराइल से टक्कर लेने के लिए, उसके मनसूबों का दमन करने के लिये करनी चाहिए और भारत को उसमें पहल करनी चाहिए। हमको उसमें सक्रिय हिस्सा लेना चाहिए, ताकि हम विश्व युद्ध को बचा सकें। हमारा दुर्भाग्य है कि इजराइल इतना बड़ा शक्तिशाली देश नहीं है, लेकिन जिस तरह से वह फिलिस्तीनियों के पी० एल० ओ० को नष्ट करना चाहता है। यू० एन० ओ० के अन्दर अमरीका के डैलीगेट, प्रतिनिधि ने, यह कहा कि हमारा उद्देश्य तो फिलिस्तीनी मुक्ति-मोर्चे का उन्मूलन करना है, उसको समाप्त करना है। इससे साफ है कि हमें विश्व जनमत को तैयार करके इस तरह का प्रभाव डालना चाहिये

कि इजराइल के बढ़ते हुए कदमों को हम किसी तरह से रोक सकें और मैं प्रधान मन्त्री जी के इस कथन से पूर्णतया सहमत हूं कि किसी की शक्ति से कुछ दिनों के लिए, किसी की फौजों से थोड़े दिनों के लिए, दबाव डाला जा सकता है, लेकिन वहां के लोगों में आजादी की, स्वतन्त्रता की, भावना है, उनमें आजाद रहने की मनोवृत्ति है। जिसका कि दमन नहीं किया जा सकता है। इजराइल भी अपनी शक्ति सैना के सहारे, चाहे अमरीका कितनी बड़ी शक्ति लगा दे, लेकिन लेबनान और फिलिस्तीनी की स्वतन्त्रता पर बहुत लंबे अर्से से आक्रमण करके उसको नष्ट करना चाहता है, वह नहीं कर सकता है। अन्त में जीत फिलिस्तीनियों की होगी। दुनिया का जनमत उनके साथ है।

इतना कहते हुए मैं इजराइल की निन्दा करता हूं। अन्त में एक ही शब्द कहते हुए कि हमको एक राय होकर एक प्रस्ताव पास करना चाहिए और हम लोगों को एक राय होकर इसकी निन्दा करनी चाहिये। फिलिस्तीनियों के लिये हम लोग जितनी भी सहायता कर सकते हैं, वह हमें करनी चाहिये। हमारे देश की जनता को और सरकार को एक होकर उनकी सहायता करनी चाहिये।

**श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर)** : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश की प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो वक्तव्य दिया है, उसका समर्थन करते हुए मैं अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

आज पेलेस्टीनियन्स के साथ अन्याय और जुलम हो रहा है और उसके लिये अधिकांश देशों की सहानुभूति होते हुए भी, जो मदद वे करना चाहते हैं वे नहीं कर पा रहे हैं। पेलेस्टीनियन्स की आज यह स्थिति हो गई है कि बेरूत में उनको इजरायली फौजों ने घेरे में डाल दिया है और सभी की नजरें आज अमेरिकी की तरफ लगी हुई हैं कि वह इस मामले में कुछ करे। अराफत भी अमेरिका से अपील करते हैं और अभी जितने भी वक्ता यहां पर बोले हैं, वे भी यही अपील कर रहे हैं कि हमारे देश की प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी जो यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका जा रही हैं, वे वहां पर जाकर अमेरिका पर अपना प्रेसर डालें और अपना प्रभाव डाल कर इस समस्या को हल करें। पी० एल० ओ० के लीडर, मि० अराफात के इस सम्बन्ध में कुछ विचार आये हैं। उन्होंने यह कहा है :

> "मुझे आपकी प्रार्थनाओं की नहीं, आपकी तलवारों की जरूरत है।" ईद के संदेश में, श्री अराफात ने अरबों को धार्मिक कर्तव्य राष्ट्रीयता, पड़ौसियों और इस्लाम की याद दिलाई। श्री अराफात ने फिलिस्तीनियों की मदद न करने के लिये अरब राष्ट्रों को यह कहते हुए निन्दा की कि अरबों के सैनिक इसके हथियार, उसकी दौलत और उसका प्रभाव कहां है। आपका गर्व और दृढ़निश्चय कहां है।"

ये शब्द उन्होंने कहे हैं और अरब देशों को जो इसमें मदद करनी चाहिये, वे नहीं कर पा रहे हैं और इसका मुख्य कारण यह है कि उनमें खुद में एकता नहीं है। उधर सैक्यूरिटी कौंसिल और जनरल एसेम्बली में हमने प्रस्ताव पास किये। सैक्यूरिटी कौंसिल में जब प्रस्ताव पर वीटो हो गया, तो जनरल एसेम्बली में वह प्रस्ताव पास किया गया परंतु उस प्रस्ताव की भी कोई कद्र नहीं हो रही है। स्थिति यह हो रही है कि उस प्रकार जो देश जुलम करते हैं जैसे साऊथ अफ्रीका

नामिबिया के मामले में जुल्म कर रहा है, अन्याय कर रहा है और वह जनरल एसेम्बली और सेक्यूरिटी कौंसिल और यू० एन० ओ०, किसी का भी सम्मान नहीं कर रहा है, उसी प्रकार से इजरायल भी यू० एन० ओ० का सम्मान नहीं कर रहा है और अमेरिका, वह इजरायल की पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। इसलिये अवश्य ही यह जो स्टेटमैंट दिया गया है, इसमें कमी है क्योंकि अमेरिका के बारे में कुछ भी शब्द नहीं कहे गये परंतु मैं यह समझता हूं कि इस समय यह कहना उचित नहीं है। जबकि प्रधान मन्त्री जी वहां दौरे पर जा रही हैं, वे अपने स्ट्रांग विचार वहां पर रखेंगी। जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और बंगला देश बना था, उस समय भी हमारे देश की प्रधान मन्त्री वहां गई थीं और अमेरिका में स्ट्रांग वर्डस में उन्होंने कहा था। इसी प्रकार से अब की बार भी हमारी प्रधान मन्त्री स्ट्रांग वर्ड्स में इसके बारे में कहेंगी और प्रेसर डालेंगी और प्रेसर डाल कर जो लेबनान पर अनधिकृत आक्रमण है, जो नग्न आक्रमण है, उस आक्रमण के लिये इजराइल के लिये ऐसी स्थिति पैदा कर देंगीं जिससे इजराइल लेबनान से चला जाए और पेलेस्टीनियन्स जो हैं, वे लेबनान में रहें। यह स्थिति जो है, इस पर सही तौर पर निर्णय तभी होगा, जबकि पैलेस्टीनियन्स लेबनान में ही रहें। आज अगर कोई इस प्रकार का समझौता होता है, जिसमें पेलेस्टीनियन्स को लेबनान से जाना पड़े, तो वह एक उचित समझौता नहीं होगा। यह एक तरह की बुरी हार होगी और एक भयंकर हार होगी। इसलिये आज यह बहुत ही आवश्यक है कि जो पेलेस्टीनियन्स हैं, उनको वहीं पर रहने देना चाहिये। इजराइल ने अनधिकृत आक्रमण किया है, उसको वहां से हटना चाहिये। इसके लिये प्रयास करने की आवश्यकता है और इसमें नान-एलाइंड कंट्रीज महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है और वे महत्वपूर्ण रोल प्ले भी कर रही हैं।

हमारे देश के विदेश मन्त्री ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और वे अब भी अदा कर रहे हैं। हमें इस बात का गर्व है कि हम लगातार अरब कंट्रीज का साथ दे रहे हैं और हमारे साथ देने से उनकी शक्ति बढ़ी है। श्री अराफात को इसमें बहुत बल मिला है और शक्ति प्राप्त हुई है। हमें विश्वास है कि इसका परिणाम निकलेगा और फिलिस्तीनियों का अरब राज्य कायम होगा।

इसके साथ ही फिलिस्तीनियों को भी यह मानना पड़ेगा कि इजराइल एक अलग स्टेट है। ये दोनों ऐसे प्रश्न हैं जिनसे शांति कायम हो सकती है। अगर यह समस्या सुलझ जाती है तो एशिया में शांति कायम हो सकती है।

हमें यह भी देखना है और हम यह चाहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल और यू० एन० ओ० का वह हाल न हो जो कि लीग आफ नेशंस का हुआ था। अगर ऐसा होता है तो दुनिया में शांति के लिये कोई भी विकल्प नहीं रहेगा। यही एक ऐसी आरगेनाइजेशन संसार में है जो कि निर्णय करा सकती है और मामलों को सुलझा सकती है। यही हमारे लिये और विश्व के लिये एक सहारा है। इसलिये हम यह जरूर कोशिश करें कि यू० एन० ओ० मजबूत हो और यू० एन० ओ० के फैसलों का इम्पलीमेंटेशन हो। अगर उसके फैसलों का इम्पलीमेंटेशन होगा तो शांति कायम होगी और यह हमारे देश और दुनिया के लिए बहुत उचित होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस चर्चा का स्वागत करता हूं।

**श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़)** : हम लेबनान पर इस्राइली हमले पर चर्चा कर रहे हैं। इस बार, सम्पूर्ण लेबनान आग में झुलस रहा है, और संसार का सुन्दर शहर, अर्थात बेरुत आंशिक

रूप से तबाह हो गया है ।

बीसवीं सदी की यह बड़ी दुःखद घटना है कि इस्राइली हमलावरों ने समस्त संसार को निस्सहाय बना दिया है । आज संयुक्त राष्ट्र संघ मजबूर है, गुट निरपेक्ष आन्दोलन निस्सहाय है और वे सभी बड़ी शक्तियां जो सहानुभूति प्रकट करती हैं और जो पी० एल० ओ० के अधिकारों को समर्थन करती हैं, मजबूर हैं । यह सबसे बड़ी दुःखद घटना है, और यह संसार के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न रख रही है कि "ऐसी स्थिति में, विश्व के देश क्या करेंगे ?" विश्व को इसका हल जरूर निकालना चाहिए । अन्यथा, "जिसकी लाठी उसकी भैंस" वाला कानून संसार में लागू हो जायेगा ।

जैसाकि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि शायद इस समस्या का तत्काल हल प्रतीत नहीं हो रहा । आज की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर हैरानी होती है । मैं समझता हूं कि विश्व जनमत तैयार करने के सिवाए कोई और रास्ता नहीं है और इस प्रकार की ताकतों की निंदा की जानी चाहिए और उनका बहिष्कार किया जाना चाहिये । आखिरकार, जनमत की विजय होगी । संसार में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो विश्व जनमत का विरोध कर सके और मानवता के मशवरे के खिलाफ चलकर लम्बे समय तक जिंदा रहे । हो सकता है, आज इस्राइली हमलावरों को समझ की रोशनी दिखाई न दे, और मशवरों की सूझबूझ को वे समझ न पायें । परन्तु वे यह याद रखें कि कुछ वर्ष पहले ही वे विश्व भर में खानाबदोश लोग थे । आज, वे चाहते हैं कि पी० एल०ओ० का भी वही हश्र हश्र हो । मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ इस्राइली लोगों ने इस बात को महसूस करना शुरू कर दिया है; इस्राइल की भूमि पर पहली बार, शांति के लिए आवाज, हमले के विरुद्ध आवाज स्वयं उठ रही है । यह स्वागत योग्य बात है मुझे इस बात की जानकारी नहीं है । विदेश मंत्री जी शायद हमें बताएगे कि गुट निरपेक्ष ब्यूरो की अन्तिम बैठक जिसमें वे हाल ही में शामिल हुए थे, के क्या परिणाम निकले । इस विचार पर, मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने अपना नैतिक कर्तव्य, मानवीय कर्तव्य, अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्य पूरा कर दिया है, इस कठिनतम स्थिति में जो कुछ भी किया जाना सम्भव था वह किया जा चुका है, और भारत सरकार ने शांति का झंडा, साम्राज्यवादी नीति के खिलाफ झंडा, संसार में कहीं पर भी किये गए स्पष्ट हमले के खिलाफ झंडा लहरा दिया है । और इस बात को सराहा भी गया है और मुझे खुशी है कि कम से कम पी० एल० ओ० के लोग भारत सरकार के रवैये की प्रशंसा करेंगे और हमें इस बात का गर्व है और मुझे खुशी है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यह बात कही कि इस्राइली हमले की निंदा के प्रश्न पर हम एक हैं । विदेश मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने असली दोषी के खिलाफ वास्तव में कोई बात कही है । क्या सारा संसार इस बात को नहीं जानता कि यह अमेरिकी साम्राज्यवाद ही है जिसने मिलकर यह षडयंत्र रचा है, जिसने इस आक्रमण को प्रोत्साहन दिया है जो इस्राइली आक्रमणकारियों की बड़े-बड़े हथियारों से आधुनिकतम हथियारों से मदद कर रहा है; और यह षड्यंत्र, इस्राइल के आक्रमण करने से पहले न्यूयार्क और वाशिंगटन में रचा गया था । उस षडयंत्र का क्या हुआ ? क्या हम यह बात कहेंगे कि इस्राइल को निकालो, इस्राइल पर प्रतिबंध लगाओ इस्राइल का बहिष्कार करो ? अमेरिकी साम्राज्यवादी शक्ति जो आज संसार में वास्तविक साम्राज्यवादी ताकतों को अपने काबू में किए हुए है, के बारे में हम क्या कहेंगे ? क्या हम उस साम्राज्यवादी ताकत के बारे में कुछ कहेंगे या

नहीं ? मैं यह बात समझता हूं कि कभी-कभी राजनियक संबंधों के कारण आप किसी का नाम नहीं ले सकते। कभी-कभी हो सकता है कि कोई एक देश कुछ कारणों से उसका नाम न ले, परन्तु सामूहिक रूप से अब यह अवसर, मैं आशा करता हूं कि गुट निरपेक्ष आन्दोलन में हमारी सरकार इस बात के लिए पहल करे और हमें इसके बारे में अमेरिकी प्रशासन को बताना चाहिये।

मैं अमेरिकी लोगों पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। उन्होंने अमेरीका द्वारा वियतनाम पर आक्रमण करते समय अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया है। वस्तुतः, संयुक्त राज्य अमेरिका के युवा लोगों ने विद्रोह किया, उन्होंने इसके विरुद्ध अपनी आवाज उठाई। आठ लाख से भी अधिक लोगों ने अमरीकी शस्त्रीकरण-नीति के विरुद्ध अपने देश में प्रदर्शन किया। अब जबकि सारी दुनिया में लोग शान्तिप्रिय लोग इसके लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं, हमारी सरकार को इसके लिए पहल करनी चाहिए और संयुक्त राज्य अमेरिका को यह बता देना चाहिए कि उसका प्रशासन जिस नीति पर चल रहा है। वह हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा रही है। मैं स्पष्टतः यह आक्षेप लगाता हूं। दृढ़तापूर्वक यह कहता हूं कि इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ही जिम्मेदार है। दुर्भाग्यवश यदि तीसरा विश्व युद्ध हुआ, तो हो सकता है कि इस मानव सभ्यता का विनाश हो जाए; इस समय बनाए जा रहे और काम में लाए जा रहे शस्त्रों से पृथ्वी पर कोई मनुष्य जाति ही न बचे। परन्तु इस संहारक नीति, साम्राज्यवादी नीति के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ही पूरी तरह से जिम्मेदार होगा; और इस समय हमें उन्हें यह बता देना चाहिए कि इसके प्रमुख मुद्दे क्या-क्या हैं ?

मेरे विचार से विश्व जनमत को इस बात पर जोर देना चाहिए कि फिलिस्तीनी लोगों को अपनी भूमि मिलनी चाहिए। जब तक इन लोगों को इनका राज्य, अपनी भूमि नहीं दी जाती, तब तक कोई समाधान सार्थक नहीं होगा और इसके लिए किसी तरह के समझौते की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रधान मंत्री ने कल यही कहा कि भारत सरकार इस बात का समर्थन व यह महसूस करती है कि फिलिस्तीनी लोगों के पास उनका राज्य होना चाहिए; उनके पास रहने के लिए स्थान होना चाहिए क्योंकि उन्हें एक प्रभुसत्तासम्पन्न राज्य के रूप में रहना है; और इसलिए मैं समझता हूं कि गुट निरपेक्ष देशों को अपना स्पष्ट निर्णय करना चाहिए। मेरे विचार से रूस और अन्य समाजवादी देश इस पर बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे। मैं समझता हूं कि रूस संभवतः तीसरे विश्व युद्ध का जोखिम नहीं उठाना चाहता; यदि वह भी अपनी सेना भेजे तो विनाश हो जाएगा। मैं जानता हूं कि वहां शस्त्र भेजने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पिछले युद्ध अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि रूस द्वारा भेजे गए कई आधुनिक शस्त्र वहां के विभिन्न भागों में इजरायली आक्रमणकारियों के कब्जे में आ गए। वे इस बात को प्रकट नहीं करना चाहते। उनका ऐसा करने का कारण है और वे ऐसे समय अपनी सेना नहीं भेजना चाहते। पर इन सब बातों के बावजूद इसके लिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिए और मेरे विचार से इस समय, समाजवादी दुनिया, गुटनिरपेक्ष देश—मिलकर ऐसा रुख अपनाएं कि जब तक फिलिस्तीनियों को उनका राज्य न मिल जाए तब तक कोई समझौता स्वीकार्य न हो। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। इस सम्मेलन और इन बैठकों के बाद भारत सरकार को चुप नहीं बैठे रहना चाहिए। हमें आशा है कि प्रधान मंत्री अपनी संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा का लाभकारी ढंग से उपयोग करेंगी। मैं यह भी नहीं चाहता कि वह अपनी यात्रा रद्द करें क्योंकि यह किसी देश के प्रधानमंत्री के हक में उपयुक्त नहीं होगा, परन्तु उन्हें श्री रीगन से बहुत स्पष्ट रूप से यह बात करनी चाहिए कि शस्त्र देते वक्त वह हमेशा ही यह कहते हैं कि "हम उन्हें रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए दे रहे हैं। हम शस्त्र प्राप्त करने वाले देशों को शस्त्र उनकी रक्षा के लिए दे रहे हैं।" अमेरिकी शस्त्रों का हमेशा ही दुरुपयोग किया गया है; उनका प्रयोग आक्रमण के लिए किया गया है। पाकिस्तान को शस्त्र देने पर यही हुआ। इजरायलियों को अत्याधुनिक संगणित सेना शस्त्र देने पर भी यही हो रहा है, उनका इस समय प्रयोग हो रहा है और वे यह कह रहे हैं कि "हमने इस्रायल को ये शस्त्र लेबनानियों और अन्य लोगों के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए नहीं दिए थे, हमने उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए दिए थे।" आक्रमण के समय उनके शस्त्रों का जब भी प्रयोग किया जाता है वे यही बात कहते हैं और उन्हें मैत्रीपूर्ण ढंग से यह साफ-साफ बता देना चाहिए कि उन्हें अपनी नीति बदलनी होगी क्योंकि अत्याधुनिक अमेरिकी शस्त्र सप्लाई करने की उनकी नीति ही इसके लिए उत्तरदायी है।

मैं यहां एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मेरे मित्र श्री फैलीरो ने संभवत: उनका आशय यह नहीं था और शायद यह उनकी भारी भूल थी—जब यह कहा कि उनमें से कुछ—वह शब्दों का बड़ी सावधानी से प्रयोग करने वालों में से नहीं हैं—कुछ की महाशक्तियों को समकक्ष रखने की प्रवृति है और वे हमेशा रूस और अमेरिका के नाम लेते हैं। उन्होंने कहा कि लेबनान युद्ध और इस्रायली आक्रमण में दोनों महाशक्तियां—रूस और अमेरिका अपने शस्त्रों का परीक्षण कर रहे हैं; सम्भवत: वे उनके शस्त्रों का परीक्षण स्थान हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी है। मुझे उम्मीद है कि वे सरकार को यह सलाह देने नहीं जा रहे हैं कि हमारी सरकार को अपने मित्र और रूसी उपकरण और अन्य सभी चीजें रूस को वापस कर देनी चाहिए क्योंकि—यदि पाकिस्तान आक्रमण करे या दुर्भाग्यवश और कुछ घटित हो—मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान आक्रमण करेगा—यदि कोई युद्ध हो तो उस समय वे यह कहेंगे कि युद्ध में भारत में रूसी शस्त्रों और अन्य शस्त्रों का परीक्षण किया जा रहा है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी है। मुझे आशा है कि उनका ऐसा आशय नहीं होगा।

**श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) :** महोदय, मैं इसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूं—मेरे मित्र ने मेरी बात को ठीक से नहीं सुना है, मैंने यह नहीं कहा है कि महाशक्तियां उनका परीक्षण कर रही हैं। परन्तु मैंने यह कहा है कि इसमें वस्तुत: दोनों पक्षों से प्राप्त शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है और अन्तत: यह एक परीक्षण स्थल बन जाता है।

**श्री चन्द्रजीत यादव :** बिल्कुल यही बात है। मैंने भी यही कहा है आपके स्पष्टीकरण से भी मेरी बात की पुष्टि हुई है।

इन शब्दों के साथ मैं अन्त में यह कहना चाहता हूं कि मुझे प्रसन्नता है कि न्यूयार्क में जब हमारा स्थायी प्रतिनिधि बिल्कुल असमंजस में पड़ गया, स्वयं अरब देश कोई निश्चय करने की स्थिति में नहीं रहे, तो हमारे विदेश मंत्री ने हमारे प्रतिनिधि को तत्काल यह संदेश भेजा कि "चाहे कुछ भी हो, तथा फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन का ही पक्ष लो फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन जो

कुछ कहे उसका पक्ष लो।" उसे यह संदेश भेजा गया था, और मैं समझता हूं कि वस्तुतः यह संदेश भारतीय लोगों की अभिव्यक्ति, इच्छा और समर्थन का प्रतीक है।

मुझे विश्वास है कि अंततः विश्व जनमत जागृत होगा। और इजरायली आक्रमणकारियों को यह भूमि छोड़नी होगी। मेरा सुझाव है कि यदि विदेश मंत्री इसे उचित समझें और सदन इसे उचित समझे तो हम सर्वसम्मति से इस सदन में यह प्रस्ताव पारित करें कि इजरायल को वहां से हटाना चाहिए और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन, फिलिस्तीनी लोगों को उनका राज्य प्राप्त होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय :** बहस सायं 6 बजे के बाद जारी रहेगी। श्री चित्त बसु तथा श्री राम सिंह यादव वक्तव्य देंगे और तब मंत्री उत्तर देंगे। अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे।

## सभा पटल पर रखे गए पत्र—जारी

### सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :** मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अधीन अधिसूचना संख्या 184/82—सीमा शुल्क (सा० का० नि०506/अ) और 185/82—सीमा शुल्क (सा० का० नि०/507/अ) की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 22 जुलाई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो लोहे और इस्पात के ब्लैकों पर, जब उनका आयात विनिर्दिष्ट औद्योगिक गैस के सिलिंडरों के निर्माण के लिये किया जाता है, सीमा शुल्क को कम करके मूल्यानुसार 40 प्रतिशत करने के बारे में है, सभा पटल पर रखता हूं : (ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4335/82)

## केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की एक और किस्त देने तथा कुटुम्ब पेंशन भोगियों सहित पेंशन-भोगियों को राहत देने के बारे में वक्तव्य

**वित्त मंत्री (प्रणव मुकर्जी) :** अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते की विद्यमान योजना के अंतर्गत जब औद्योगिक कामगारों के लिए, 1960 को आधार वर्ष मानते हुए, अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने के औसत में 8 अंकों की वृद्धि हो जाती है तो मंहगाई भत्ते की एक किश्त की स्वीकृति पर विचार किया जाता है। इस आधार पर कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की पिछली किश्त 1.1.1982 से उस समय स्वीकृत की गई थी जब औसत सूचकांक 440 था। मार्च, 1982 के अंत में औसत सूचकांक 450.99 हो गया और इस प्रकार 8 अंकों की और आगे वृद्धि हो गई। परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1.4.1982 से मंहगाई भत्ते की एक और किश्त विचार किए जाने योग्य हो गई।

सरकार ने इस किश्त को कर्मचारियों को देने का निर्णय कर लिया है। इस किश्त की अदायगी किए जाने से सरकार को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 64.17 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे जबकि पूरे वर्ष में एक किश्त की अनुमानित लागत 70.0 करोड़ रुपये होगी। इस किश्त की अदायगी के लिए शीघ्र ही आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

2. विद्यमान व्यवस्था के अंतर्गत औसत सूचकांक में जब 8 अंकों की वृद्धि हो जाती है तो उसके बाद परिवार पेंशनभोगियों सहित सरकारी पेंशनभोगियों को राहत की एक किश्त भी विचार किए जाने योग्य हो जाती है। इस आधार पर पिछली किश्त 1.1.1982 से उस समय स्वीकृत की गई थी, जब औसत सूचकांक 440 था। मार्च, 1982 के अंत में सूचकांक औसत के 450 99 अंकों पर पहुंच जाने के परिणामस्वरूप 1.4 82 को राहत की एक और किश्त विचार किए जाने योग्य हो गई है। सरकार ने परिवार पेंशनभोगियों सहित पेंशनभोगियों को राहत की इस किश्त की अदायगी करने का भी फैसला कर लिया है। इस प्रकार को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 5.50 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे जबकि पूरे वर्ष में राहत की एक किश्त की अनुमानित, लागत 6 करोड़ रुपये होगी। इस किश्त की अदायगी के लिए आदेश शीघ्र ही जारी कर दिये जाएंगे।

---

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबन्धी समिति

### पैंतालीसवां प्रतिवेदन

**श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण)** : मैं प्रस्ताव रखता हूं।

"कि यह सभा 20 जुलाई, 1982 की सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 45 वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा 20 जुलाई, 1982 की सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति के 45वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

---

## विधेयक पुरःस्थापित

## (एक) राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक

### (धारा 5 का संशोधन)

**श्री के० राममूर्ति (कृष्ण गिरि)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय राज मार्ग अधिनियम 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय राज मार्ग अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**श्री के० राममूर्ति :** मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं।

## (दो) किसान और कृषि कर्मकार प्रसुविधा निधि विधेयक

**श्री के० राम मूर्ति :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि किसान और कृषि कर्मकारों हेतु प्रसुविधा के लिये एक निधि स्थापित करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि किसान और कृषि कर्मकारों हेतु प्रसुविधा के लिये एक निधि स्थापित करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**श्री के० राममूर्ति :** मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूं।

## (तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक

### अनुच्छेद (तथा 164 का संशोधन)

**प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) :** मुझे बड़ा दुख है कि मुझे इस विधेयक के विरोध में बोलने के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। आम तौर पर जब कोई सदस्य अपना विधेयक रखता है तो उसका विरोध नहीं किया जाता। यह विधेयक दंडवते जी की तरफ से आया है। उनको मैं एक बहुत अच्छा डैमोक्रेट समझता हूं। जनतंत्रवादी समझते हैं, और जो उनका विधेयक है जिसके द्वारा अनुच्छेद 75, 164 में संशोधन करना चाहते हैं, जनता की जो शक्ति है उसको एक प्रकार की चुनौती है क्योंकि इसके द्वारा वह संविधान में ऐसा प्रावधान करना चाहते हैं जिससे जनता जिनको यहां चुन कर के भेजती है तो जनता जब चुनाव करती है तो उसके सामने एक सिद्धान्त, लक्ष्य और एक व्यक्तित्व होता है। जनता समझती है कि इस सिद्धान्त, लक्ष्य और विचारधारा और पार्टी तथा उसके नेता को वोट देकर जिन्हें संसद में भेज रहे हैं तो अमुक व्यक्ति देश का प्रधान मंत्री होगा या अमुक व्यक्ति एक नेता के रूप में चुनकर के भेजा जा रहा है देश की बागडोर सम्हालने के लिये। इस प्रावधान को करके जो जनता की इच्छा शक्ति और भावना है उसको कुंठित करने का प्रयास माननीय दंडवते की तरफ से किया जा रहा है। और इसका हमारे पास उदाहरण भी है। 1980 में जो चुनाव हुआ उससे पहले पचुनाव हुआ उसमें देश की जनता

ने इन्दिरा जी को चुन करके संसद में भेजा। जनता पार्टी ने उनको संसद से निकाला और उनके राजनीतिक जीवन को समाप्त करने की हर सम्भव चेष्टा की। उसके बावजूद भी देश की जनता ने उनको फिर से चुनकर भेजा.........

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया अपनी बात संसद में कहिये भूमिका आप चर्चा के दौरान भी कह सकते हैं।

**श्री हरीश रावत** : फिर से उनको चुन कर भेजा, और जनता को मालूम था कि वह प्रधान मंत्री होंगी। और हमारे विपक्ष लोगों ने भी अपनी पार्टी के अध्यक्षों को पेश किया जनता के सामने कि अमुक व्यक्ति हमारा प्रधान मंत्री होगा। तो जनता एक विचारधारा और व्यक्तित्व को चुन कर भेजती है। इसलिये जनता जब जानती है कि हम क्या करने जा रहे हैं तब उसकी इच्छा शक्ति पर किसी प्रकार की रोक लगायी जाय यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस देश के अन्दर पहले से ही राजनीतिज्ञों का एक वर्ग रहा है जो निराशावाद की राजनीति से ग्रस्त रहा। जब नेहरू जी यहां थे तो उनके समय में भी इस प्रकार की बात की गई। आज इन्दिरा जी की और नेहरू परिवार की जनप्रियता से कुछ लोग भयभीत हैं। इस प्रकार का बिल उनकी निराशावादी प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति करता है। क्योंकि यह सदन जनता की इच्छा शक्ति से बना हुआ है और इस सदन को इस प्रकार की निराशावादी कुंठावादी मनोवृत्ति व्यक्त करने का प्लेटफार्म नहीं बनाया जाना चाहिये।

इस आधार पर, माननीय दंडवते जी के प्रति पूरी श्रद्धा प्रकट करते हुए, प्रजातंत्र में जो उनकी आस्था है उसको मानते हुए, उनसे निवेदन करूंगा कि जनता की ताकत को रेस्ट्रिक्ट करने वाला यह विधेक यहां पेश न करें।

**आचार्य भगवान देव अजमेर** : उपाध्यक्ष जी, माननीय दंडवते जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह प्रस्ताव उस पार्टी के उस नेता के द्वारा रखा गया है जिसकी अभी बाईइलेक्शन्स में सारे देश में दुकानदारी जनता ने बन्द कर दी और एक भी प्रतिनिधि चुनकर नहीं आया। असफल पार्टी के नेता के द्वारा यह जो बिल रखा गया है इसके द्वारा मुझे तो यह लगता है कि यह सस्ती प्रसिद्धि पेपर और रेडियों में चाहते हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं होगा।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली)** : आप विरोध करके और उनको प्रसिद्धि दे रहे हैं।

**आचार्य भगवान देव** : इसलिये श्रीमती इन्दिरा गांधी का, जिनका विश्वास लोकतंत्र में है उनके व्यक्तित्व से डर कर मुझे लगता है कि लोकतंत्र के विपरीत जाने का इन्होंने एक कदम उठाया है। जिस संविधान को कानून के माहिरों ने सोच समझ कर बनाया है उसके परिवर्तन करने की अक्ल इनको आज आ रही है, अब इनका तीसरा नेत्र खुला है। और जब सत्ता में थे तो क्यों नहीं सोचा। जब संविधान में 5 साल का विधान है, जनता की अदालत में जाकर फैसला लिया जा सकता है, तो यहां पर यह बात खड़ी करके, मैं समझता हूं कि सस्ती पब्लिसिटी लेने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इनका विश्वास जनतंत्र में है नहीं। जनता के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि हमारी प्रधानमंत्री यहां आई, और इनका मेढकी टोला जब इकट्ठा हो गया जय प्रकाश नारा-

यण जी के नेतृत्व में, 1980 में भी मैंने यह बात कही थी कि इनके सिद्धान्त आपस में नहीं मिलते हैं, मार्क्सवादी और जनसंघ के जातिवाद को हरिजन वाद को लेकर चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम एक तराजू में तोलने का जो प्रयास कर रहे थे, यह असफल सिद्धान्तहीन टोला कोई न कोई बहाना निकालकर सस्ती प्रसिद्धि लेने के लिये यह प्रयास कर रहा है। बाकी इस बिल में कोई दम नहीं है और यह जनतंत्र विरोधी है। इसको हम यहां पर न रखें, तो अच्छा है, वापस ये ले लें तो अच्छा है।

**प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) :** श्रीमन्, मुझे माननीय सदस्य के भाषण को सुनकर दुःख ही नहीं हुआ। बल्कि आश्चर्य भी हुआ है जिसमें संसद के उन कुछ सदस्यों को कुछ सस्ते उद्देश्य बताने की कोशिश की है जो अपने घर पर कुछ काम करके संसद में बहुत से विधेयकों को पुरः स्थापित करने की कोशिश करते हैं। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि यह विधेयक पहली बार नहीं लाया गया है। यह पुराना विधेयक है। मैंने इसमें केवल संशोधन करने का प्रयास किया है। इस विधेयक में सस्ता प्रचार करने के सम्बन्ध में कुछ नहीं है। मैं उनको भविष्य की जानकारी (मार्गदर्शन) के लिये यह भी बताना चाहता हूं कि शीर्षक केवल यह है "संविधान (संशोधन) विधेयक, 1982" और यदि वे इस विधेयक के पुरःस्थापित करने का विरोध नहीं करते हैं तो शायद देश को यह पता नहीं लगेगा कि इस संसद में एक ऐसा विधेयक रखा गया था जिसके माध्यम से हम वास्तव में जीवन को सीमित बनाने का प्रयास कर रहे हैं अथवा प्रधान मंत्री, केन्द्रीय मंत्री और अन्यों की अवधि को सीमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से उन्होंने इसका प्रचार करने का दृढ़ निश्चय किया है और हम इसे रोक नहीं सकते हैं। यदि वह स्वयं यह चाहते हैं कि हमारे विधेयक का अधिक प्रचार होना चाहिए, यद्यपि यह एक इतना साधारण, हानिरहित विधेयक सभा के सामने प्रस्तुत किया गया है, यदि वह स्वयं इसकी आलोचना करते हैं तो मैं उसको यह बताना चाहता हूं कि वह सही उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे वह नहीं करना चाहते हैं।

जहां तक उनके विवाद का संबंध है, उनका कहना है कि संविधान के निर्माताओं ने कतिपय संवैधानिक उपबंध किये थे और यहां एक माननीय सदस्य में नया संशोधन लाने की अक्ल है मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि प्रगतिशील नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह भलीभांति जानते हुए भी बहुत से संवैधानिक संशोधन पुरः स्थापित किये हैं कि उनके पिता ने जो संविधान के निर्माता थे उन संवैधानिक संशोधनों को पुरः स्थापित किये जाने की अनुमति नहीं दी थी।

इस पर भी बहुत सी बार उन्होंने बहुत से संवैधानिक संशोधन पुरः स्थापित किये; यहां तक कि उन्होंने आपातकाल से पहले भी चौबीसवां संविधान (संशोधन) विधेयक पुरः स्थापित किया था जिसका मैंने समर्थन किया था; हमने इसकी निंदा नहीं की। इसलिये जैसाकि हम जीवन में जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं हमारा अनुभव भी बढ़ता है, अन्त में लोकतांत्रिक जीवन में हमें पता लगता है कि कुछ संशोधन अनिवार्य हो जाते हैं और इसलिये सभा के दोनों पक्षों की ओर से विभिन्न संशोधन आ रहे हैं। इसलिये हमें यह नहीं कहना चाहिए कि संविधान निर्माताओं ने कुछ नियम तैयार किये थे, वे संविधान में अन्तिम शब्द थे, और कोई नया और संशोधन नहीं होगा।

जहां तक संशोधन विधेयक की महत्वपूर्ण बात का सम्बन्ध है मैंने किसी एक संशोधन विधेयक का हवाला नहीं दिया था। संशोधन विधेयक के बारे में कुछ लोग यह सोचते हैं कि ये विधेयक इस प्रकार से हैं जैसे कि कोई व्यक्ति नीचे फेंकी हुई टोपी को यह सोचकर कि यह उसके लिये ठीक है, उठाकर अपने सिर में पहन लेता है। मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू श्री मोरारजी देसाई में से किसी का हवाला नहीं दिया था और न भारत के भावी प्रधान मंत्री पर भी कोई हवाला दिया था। मैंने समस्या को संस्थागत बनाने का प्रयास किया था और मैं यह चाहता था कि लोकतांत्रिक राज्यतंत्र में यदि एक ही व्यक्ति अधिक समय तक सर्वोच्च सत्ता को अपनी मुट्ठी में लिये रहता है तो इस बात की संभावना है कि वह उदासीन हो जायेगा और प्रगति अवरुद्ध हो जायेगी। नये तथा प्रगतिशील व्यक्तियों को समुचित अवसर उपलब्ध किये जायें। यह बात देखना एक अच्छी परम्परा होगी, कि कोई व्यक्ति दस वर्ष से अधिक समय तक प्रधान मंत्री नहीं रहेगा। केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न देशों में शासकों को जन-मत ने प्रभावित किया है। यहां तक कि अमरीका जैसे देश में भी जहां बहुत सी प्रतिक्रियावादी नीतियों को अपनाया जाता है वहां भी शासकों को जनमत के प्रभाव से विशेष मजबूर होकर विशेष नीतियां अपनानी पड़ी है।

श्रीमन्, मैं विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के विवरण के अन्तिम पैरा को ही पढ़ूंगा। इसमें यह बताया गया है :—

"संयुक्त राज्य अमेरिका में भी जनमत से मजबूर होकर एक ऐसा संशोधन लाना पड़ा था जिसके अधीन कोई व्यक्ति वहां का राष्ट्रपति केवल दो बार बन सकता है। अमरीका के संवि-धान के अन्तर्गत राष्ट्रपति और हमारे संविधान के अन्तर्गत प्रधान मन्त्री तथा मुख्य मंत्री को इतनी अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। इनसे कार्यकारिणी इतनी शक्तिशाली बन जाती है कि वह किसी प्रकार की आलोचना के प्रति निश्चिन्त रह सकती है।"

केवल इस स्थिति से बचने तथा सर्वोत्तम उद्देश्य के साथ मैंने यह विधेयक रखा है और यह केवल कांग्रेस (आई) पर ही लागू नहीं होगा। मैंने यह कहीं नहीं कहा है कि यह केवल उसी दौरान ही लागू होगा जब कांग्रेस (आई) शासन में होगी। इस बात का बिना विचार किये कि किसका शासन है, विधेयक का यह विशेष उपबंध सभी पर लागू होगा। मैं आशा करता हूं कि पुरस्थापन के समय में ही विधेयक के लक्ष्यों की आलोचना करने की अपेक्षा वे ऐसा बाद में कर सकते हैं वे सामान्य परम्परा का खण्डन करने की अपेक्षा बाद में इसका विरोध कर सकते हैं। जहां तक सम्भव होता है गैर-सरकारी विधेयक का पुरः स्थापित करने की स्थिति में विरोध वे व्यक्ति भी नहीं करते हैं जो सामान्यतः इसका विरोध करते हैं। इसलिये मैं दोनों माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक के पुरः स्थापित होने के विरोध करने की जिद् न करें।

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**प्रो० मधु दंडवते :** मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

## (चार) फसल बीमा निगम विधेयक

**प्रो० मधु दंडवते :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि अपरिहार्य कारणों से होने वाली हानि से कृषकों के हित की रक्षा करने के उद्देश्य से फसल बीमा कारबार आरम्भ करने के प्रयोजनार्थ फसल बीमा-निगम की स्थापना का उपबंध करने हेतु विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि अपरिहार्य कारणों से होने वाली हानि से कृषकों के हित की रक्षा करने के उद्देश्य से फसल बीमा कारबार आरम्भ करने के प्रयोजनार्थ फसल बीमा निगम की स्थापना का उपबन्ध करने हेतु विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**प्रो० मधु दंडवते :** मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

## (पांच) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक

### (धारा 2 आदि का संशोधन)

**प्रो० मधु दंडवते :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**प्रो० मधु दंडवते :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

## (छः) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

### (नई धारा 10ख आदि का अन्तःस्थापन)

**प्रो० मधु दंडवते :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने की अनुमति दी जाये।

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**प्रो० मधु दंडवते** : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

## (सात) संविधान (संशोधन) विधेयक

### (अनुच्छेद 102 आदि का संशोधन)

**श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य)**: मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**श्रीमती प्रमिला दंडवते** : मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं ।

---

## (आठ) सामाजिक न्याय तथा सेवाओं में पदों और शिक्षा संस्थाओं में स्थानों का आरक्षण विधेयक

**प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान के ढांचे के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित नागरिकों के लिये सामाजिक न्याय विशेष शैक्षिक तथा रोजगार सम्बन्धी अवसरों का उपबन्ध करने हेतु विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि संविधान के ढांचे के अन्तर्गत पिछले वर्गों से सम्बन्धित नागरिकों के लिये सामाजिक न्याय, विशेष शैक्षिक तथा रोजगार सम्बन्धी अवसरों का उपबन्ध करने हेतु विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**प्रो० अजित कुमार मेहता** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

---

## (नौ) मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) विधेयक

**श्री चित्त बसु (बारसाट)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कतिपय

सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले विधेयक को पुनः पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कतिपय सेवा शर्तों को विनियमिय करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्री चित्त बसु :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

## (दस) भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक

### (धारा 26 का संशोधन)

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब हम श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 30 अप्रैल, 1982 को पेश किये गये प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे।

अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

**संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) :** उपाध्यक्ष महोदय पिछले सत्र के दौरान भी एक ऐसा ही विधेयक पेश किया गया था। अन्तर केवल इतना है कि यह विधेयक डाकघर अधिनियम से सम्बन्धित है जबकि दूसरा तार अधिनियम के बारे में था। दोनों का सार एक ही है। उस समय भी मैंने यह तर्क दिया था कि ऐसे संशोधन को कोई आवश्यकता नहीं।

डाक व्यवस्था के बारे में मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण पहलू की ओर दिलाना चाहता हूं। डाक विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है जहां दूर-दूर तक संदेश भेजने के लिये अपार सुविधाएं उपलब्ध हैं। डाक दरें बहुत सस्ती हैं। सारे विश्व में यह सिद्धान्त अपनाया जाता है कि डाकघरों के माध्यम से वस्तुएं तथा सन्देश भेजने की बेरोकटोक अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रत्येक प्रकार की वस्तु भेजने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

**(श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुए)**

डाक से वस्तुएं तथा संदेश भेजने की सुविधा हमारे डाकघर अधिनियम में दी गई है। इस अधिनियम की धारा 19, 19क 20 तथा 21 में क्रमशः यह कहा गया है कि अमुक अमुक प्रकार की वस्तुएं भेजने की अनुमति नहीं दी जाएगी। धारा 19 में कहा गया है कि कोई भी खतरनाक अथवा गन्दी चीज भेजने की अनुमति नहीं दी जाएगी। धारा 19क में कहा गया है कि किसी लाटरी, जो सरकारी लाटरी न हो, से सम्बन्धित विवरण भेजने की अनुमति नहीं दी जाएगी। धारा 20 में कहा गया है कि कोई भी अश्लील अथवा विप्लवकारी अथवा उत्तेजक वस्तु फोटोग्राफ तथा ऐसी ही अन्य चीजें भेजने की अनुमति नहीं दी जाएगी। धारा 21 में कहा गया है कि सरकार समय-समय पर ऐसी वस्तुओं के नाम निर्धारित कर सकती है जिन्हें डाक द्वारा भेजने की अनुमति नहीं दी जायेगी। ऐसा मैं इस बात पर बल देने के लिये कह रहा हूं कि किसी को भी यह धारणा नहीं बनानी चाहिये कि सभी प्रकार का साहित्य अथवा पत्र अथवा वस्तुएं डाक से

भेजने की सुविधा है। भारत में ही ऐसी रोक नहीं है अपितु बहुत से अन्य देशों में भी, ऐसी रोक की व्यवस्था है, जो लोकतान्त्रिक कहलाते हैं।

कहा गया है कि यह व्यवस्था हमें अपने आधिपत्य में रखने के लिये इंग्लैंड द्वारा लाई गई। परंतु महोदय स्थिति यह है कि इंग्लैंड में आज भी, उनके डाक अधिनियम के अन्तर्गत, पोस्ट मास्टर जनरल अथवा विदेश मन्त्री को यह शक्ति प्राप्त है कि वह ऐसे आदेश दे सकते हैं कि डाक से भेजी गई वस्तुओं को रोका जा सकता है। जैसी कि हमारे अधिनियम में व्यवस्था है, उनके यहां भी यह व्यवस्था है कि डाक से भेजी गई किसी वस्तु को खोला नहीं जाएगा परंतु साथ ही ऐसा परंतु कभी भी विद्यमान है कि इस अधिनियम के प्राधिकार के अन्तर्गत और विदेश मन्त्री द्वारा जारी किये गये लिखित आदेश के अनुपालन में किसी डाक पैकेट को खोलने उसे रोकने अथवा उसे भेजने में विलम्ब करने पर कोई रोक नहीं होगी। यह प्रश्न इंग्लैंड की संसद के समक्ष प्रस्तुत हुआ था और तब गृह मन्त्री ने, जब हम उनके आधिपत्य में थे, तब नहीं, अपितु जून, 1957 को एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने इन प्रश्नों का उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था कि यह एक ऐसी शक्ति है जिसे संसद ने सदैव समाज की रक्षा के लिये अनिवार्य माना है। इसका प्रयोग केवल राज्य की सुरक्षा के मामलों में अथवा गम्भीर अपराधों का पता लगाने के लिये किया जाता है। इस स्रोत से प्राप्त होने वाली जानकारी को गोपनीय रखा जाता है और यह एक निर्धारित सिद्धांत है कि सरकारी सेवा के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है।

तत्पश्चात उसी वर्ष इस बात की जाँच करने तथा अपनी रिपोर्ट देने के लिये एक समिति नियुक्त की गई कि इस अधिकार का प्रयोग करने की शक्ति होनी चाहिये अथवा नहीं। समिति के सदस्य सर नोरमन बिरकेट, लार्ड मोंकटन तथा श्री पैट्रिक कोरडन वाकर जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे। समिति ने बताया :

> "डाक को रोकने की कार्यपालिका की शक्ति के उद्गम पर केवल आशंका व्यक्त की जा सकती है। परंतु इस शक्ति का प्रयोग प्राचीन काल से किया गया है और गत 200 वर्षों में अथवा इससे अधिक समय में बने उत्तरोत्तर कानूनों द्वारा इस शक्ति की वैधता स्वीकार की गई है।"
>
> "इसे प्रयोग करने का ढंग समय-समय पर लोक चर्चा का विषय बना और वर्ष 1844 में यह दो गोपनीय समितियों की प्रत्येक सदन की एक सभा समिति जांच का विषय बना जिन्होंने बड़े डाकघर में पत्रों को रोकने तथा खोलने सम्बन्धी कानून की जांच की, परंतु दोनों ही समितियों ने इस कानूनी शक्ति स्वीकार किया.........।"

इंग्लैंड में ऐसी शक्ति विद्यमान है। इस सम्बंध में कोई शर्त नहीं हैं। किसी भी प्रकार की वस्तु संदेश कार्यकारी अधिकारियों ने स्वविवेकानुसार रोका जा सकता है, खोला जा सकता है। इस मामले पर चर्चा हुई और यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस शक्ति का प्रयोग होते रहना जरूरी है।

कई अनुदेशों के प्रावधान भी मेरे सामने हैं। उदाहरण के लिये कनाडा को लीजिये। वहां प्रावधान है :

> "जहाँ तर्क संगत आधारों पर पोस्ट मास्टर जनरल को यह विश्वास हो कि कोई व्यक्ति—

(क) डाक के माध्यम से

(एक) अपराध कर रहा है अथवा करने का प्रयास कर रहा है अथवा

(दो) अपराध करने के लिये किसी व्यक्ति को सहायता, परामर्श दे रहा है अथवा किसी व्यक्ति की प्राप्त कर रहा है अथवा

(ख) "अपरारध करने के इरादे से अपना उद्देश्य पूरा करने हेतु डाक का प्रयोग कर रहा है तो पोस्ट मास्टर जनरल एक अन्तरिम आदेश द्वारा उस व्यक्ति द्वारा भेजे जाने वाली अथवा उस व्यक्ति को प्राप्त होने वाली डाक को रोक सकता है।"

आस्ट्रेलिया के डाक घर अधिनियम में भी ऐसी ही व्यवस्था है। न्यूजीलैंड के डाक घर अधिनियम में ऐसी ही व्यवस्था है। उनकी व्यवस्था के अनुसार:

"गर्वनर जनरल अपने लिखित आदेश द्वारा आदेश में उल्लिखित प्रयोजनों के लिये डाक द्वारा भेजी जाने वाली किसी वस्तु अथवा संदेश को रोकने अथवा खोलने के लिये पोस्ट मास्टर जनरल का निर्देश दे सकता है।"

वहां की व्यवस्था में इसकी पूरी अनुमति दी गई है।

जहां तक अमरीका का सवाल है जो वस्तुएं रोकी जा सकती हैं उनकी सूची बहुत लम्बी है। उन्होंने वस्तुओं की सूची निर्धारित की हुई है। सील लगे पत्रों के अतिरिक्त किसी रोकी जाने वाली डाक की वस्तुओं में एक का उल्लेख नीचे किया गया है।

"सील लगे पत्रों के अतिरिक्त, विदेशों से आने वाली सभी डाक सेक्रेटरी ट्रेजरी द्वारा यदि यह निश्चित किया जाता है कि यह साम्यवादी, राजनीतिक प्रचार के लिये हैं तो पोस्ट मास्टर जनरल उसे रोक सकता है और पाने वाले को सूचित करता है। यदि पाने वाला न्यायोचित समय में (60 दिन से अनधिक) उसे प्राप्त नहीं करना चाहता तो उसका निपटान पोस्ट मास्टर जनरल के निदेशानुसार कर दिया जाता है।"

अन्य देशों में भी ऐसे बहुत से प्रावधान हैं।

मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार जिन पत्रों को उचित नहीं समझती उन्हें डाक से भेजने की स्वीकृति न देने का सिद्धांत लोकतान्त्रिक देशों में विद्यमान है। जहां तक उन देशों का संबंध है जो लोकतान्त्रिक नहीं है वहां इसके लिये विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। वहां इसकी बिल्कुल अनुमति नहीं हैं। अतः हमें इस मामले को इसी सन्दर्भ में देखना है। यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकार के प्रावधान से मूल अधिकारों का अथवा किसी के आधारभूत आधार का उल्लंघन होता है। प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति देश में विरोध पक्ष की गतिविधियों के प्रचार और प्रसार के लिये भी डाक व्यवस्था का प्रयोग कर सकता है। मतभेद होते हैं। विच्छेदनकारी आंदोलन चलते हैं। साम्प्रदायिक तनाव रहते हैं। बिनाशकारी आंदोलन चलते हैं। लोगों को जैसा चाहे वैसा करने की स्वतन्त्रता है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या संचार विभाग को ऐसे लोगों के संदेश देश और विदेश में उनके साथियों तक पहुंचने चाहिए।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जो चाहे करें। परंतु यदि डाक संगठन से आपका कोई कार्य होता है और यदि आप ऐसे संदेश भेजते हैं जिनके भेजने की अनुमति नहीं है तो ऐसे संदेश

नहीं भेजे जा सकते। यदि ऐसे संदेश प्राप्त होते हैं जिनके भेजने की अनुमति नहीं है तो इसका यह अर्थ हो जाता है कि मैं ऐसे पत्रों की जांच करूं और यह देखूं कि डाक में इस प्रकार के पत्र हैं अथवा नहीं। यदि यह पत्र इस प्रकार के नहीं होते तो कोई खतरा ही नहीं होता। उनको सील लगाकर भेज दिया जाता है। और यदि ये पत्र ऐसे होते हैं जिन्हें भेजने की स्वीकृति नहीं है तो निश्चित रूप से उन्हें रोक लिया जाता है और उपयुक्त कार्यवाही की जाती है। अधिनियम में यही व्यवस्था है, इससे अधिक कुछ नहीं।

श्री वाजपेयी के विधेयक में किसी व्यक्ति द्वारा पत्रों का बीच में रोकने अथवा खोलने के लिये बहुत कठोर दण्ड की व्यवस्था की गई है। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि डाकघर अधिनियम पहले ही यह प्रावधान मौजूद है। श्री वाजपेयी के विधेयक में यह कहा गया है कि छः महीने की जेल की व्यवस्था होनी चाहिये परन्तु हमारे अधिनियम में यह प्रावधान है कि :

"डाकघर का कोई भी अधिकारी अपने कार्य के विपरीत डाक द्वारा भेजी गयी डाक की किसी भी वस्तु को खोलता है खुलवाता है अथवा खोलने की अनुमति देता है अथवा जानबूझकर उसे रोकता है अथवा विलम्ब करता है अथवा इसकी अनुमति देता है, तो उसे दो वर्ष तक के कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।"

श्री अटल बिहारी वाजपेयी केवल छः माह का दण्ड चाहते हैं। डाक अधिनियम में दो वर्ष और यहां तक कि सात वर्ष के दण्ड का प्रावधान है।

"डाकघर का कोई भी अधिकारी डाक द्वारा भेजी गई किसी भी डाकपैकिट की चोरी करता है, अथवा बेइमानी से उसका दुरुपयोग करता है अथवा किसी भी प्रयोजन से उसे छुपाता है, नष्ट करता है अथवा फेंकता है।"

"डाकघर का कोई भी अधिकारी डाक द्वारा भेजी गयी किसी भी वस्तु की चोरी करता है, अथवा बेइमानी से उसका दुरुपयोग करता है अथवा किसी भी प्रयोजन से उसे छुपाता है, नष्ट करता है अथवा फेंकता है तो उसे कारावास का दण्ड दिया जाएगा जिसकी अवधि सात वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है।"

कठोर प्रावधान पहले ही से मौजूद हैं, और यह प्रावधान कि :

"यह धारा इस अधिनियम के प्राधिकार के अन्तर्गत अथवा किसी लिखित आदेश के अनुपालन में अथवा केन्द्रीय सरकार के आदेश अथवा सक्षम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में, किसी डाक-पैकिट को खोलने, उसे रोकने अथवा उसे भेजने में विलम्ब करने पर लागू नहीं होगी।"

क्या श्री वाजपेयी दण्ड की अवधि को कम करके छः माह करना चाहते हैं ? इस विधेयक में यह बात स्वीकार की गयी है कि ऐसी परिस्थितियां भी आ सकती हैं जिनमें डाक का बीच में रोका जाना या पढ़ा जाना आवश्यक हो जाते हैं। उन्होंने यह नहीं कहा है कि किसी भी परिस्थिति में डाक को बीच में नहीं रोका अथवा पढ़ा नहीं जाना चाहिये। उन्होंने कहा है कि आपात काल के दौरान

यदि देश की सुरक्षा हित में आवश्यक हो, डाक को रोका जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि डाक को बीच में पढ़ने या रोकने की अनुमति है।

यदि बीच में रोक कर पत्र पढ़ना अनुमत्य है तो आप इसे किस प्रकार से करेंगे ? आप उन लोगों के पत्रों को बीच से रोक कर पढ़ते हैं जिनके बारे में आपको शंका होती है इसलिए आपको बहुत से पत्र खोलने पड़ेंगे और उनमें से बहुत थोड़े पत्र इस श्रेणी में आयेंगे इसका मतलब यह है कि जो पत्र इस श्रेणी में नहीं आते उन्हें भी खोलना पड़ेगा। आप इस बात को मानते हैं कि बीच में रोक कर पत्र पढ़ना अनुमत्य है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि हाँ ऐसा करना अनुमत्य है, यदि एक बार यह स्वीकार कर लिया जाता है कि बीच में पत्र रोककर पढ़ना अनुमत्य है तो उन्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि डाक से जाने वाली वस्तुयें जो इस श्रेणी में नहीं आती लेकिन जिनके बारे में यह आशंका है कि वे इस श्रेणी में आ सकती हैं उनको बीच में रोकना और खोल कर देखना अनुमत्य है।

अब इस बात को देखिये जो उन्होंने कही है उनका कहना है कि ऐसा केवल आपातकाल की घोषणा की स्थिति में हो सकता है। हम आपातस्थिति के संशोधित उपबंधों से अवगत हैं केवल युद्ध अथवा सशस्त्र विद्रोह की अवस्था में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। क्या हमें इस प्रकार का खतरा है ? क्या उनका यही कहना है। क्या वो इस बात को स्वीकार नहीं करते कि देश के अन्दर सशस्त्र विद्रोह के बिना ही एक पृथकतावादी आंदोलन चल रहा है और क्या मेरे लिए सामने आने की कोई स्थिति नहीं हैं हालांकि आपात स्थिति की घोषणा नहीं हुई है। क्या उनका यह कहना है कि यदि सांप्रदायिक तनाव अथवा संघर्ष होता है और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और यह स्थिति सशस्त्र विद्रोह का रूप लिये बिना चारों और फैलती जाती है और उससे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाता है तो ऐसी राष्ट्रीय स्थिति में भी शंकास्पद डाक को बीच में खोल कर पढ़ा नहीं जाना चाहिए। क्या आप यह कहेंगे कि उदाहरण के लिए यदि किसी पृथकतावादी आंदोलनकर्ता द्वारा कोई पत्र भेजा जाता है तो उस पत्र को न खोल कर देखा जाये बल्कि उसे उन व्यक्तियों एजेंटों को बड़े निष्ठापूर्वक लेजा कर दे दिया जाये और इस प्रकार इस अभियान को आगे चलाने में उनकी सहायता की जाये क्या आप यही कहते है ? देश में और भी अलग प्रकार की स्थितियाँ हो सकती है। यह देश की सुरक्षा का प्रश्न नहीं है। यह ऐसी आंतरिक स्थिति का प्रश्न है जिसका हमें प्रतिरोध करना होता है।

मानलीजिए कोई षडयंत्रकारी दल को अपराधिक गतिविधियों में संलग्न है तो वे लोग एक दूसरे को पत्र भेजते हैं। वे तस्करी तथा इस प्रकार के अन्य दूसरे कार्यों के लिए एक दूसरे को पत्र भेजते हैं। मैं जानता हूं ये चीजें हो रही हैं क्या मेरा कर्त्तव्य यह है कि इन पत्रों को पूरी निष्ठापूर्वक एक अपराधी से दूसरे अपराधी तक जाने दिया जाये और यह काम होते रहने दिये जाये। क्या मुझे इन सब चीजों को दमन करने की स्वतंत्रता नहीं है क्या मुझे किसी व्यक्ति पर शंका करने और यह कहने की स्वतंत्रता नहीं है कि इन पत्रों को बीच में रोक कर देखा जाये और अपराधी व्यक्तियों का पता लगा जाये।

एक बार जब आप कह देते हैं कि उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि इस प्रकार की परिस्थितियों में पत्र को बीच में खोल कर पढ़ना अनुमत्य है तो एक मात्र प्रश्न यह रह जाता है कि स्थिति क्या हों ?

आप संविधान में निहित मूल अधिकारों से अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं कर सकते। आपको अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है तथापि यह मूल अधिकार कतिपय उपबंधों के अधीन है;

"खंड एक उपखंड (क) में दी गई कोई भी बात किसी भी विद्यमान कानून के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी और राज्य को ऐसा कोई भी कानून भारत से नहीं रोकेगी जहां तक कि इस प्रकार का कानून बनाने की प्रभुसत्ता तथा अखंडता के हित में उपयुक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग के संबन्ध में कोई उपयुक्त प्रतिबध लगाता है..."

"......विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था शिष्टाचार या सदाचार के हितों में या न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के सबंध में युक्तियुक्त निबर्धन जहाँ तक कोई वर्तमान विधि लगाती है। वहां तक उसके प्रवर्तन पर भाव अथवा वैसे निबंधन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिए कोई रुकावट नहीं डालेगी।"

आपसे निवेदन है कि अभी थोड़े समय पश्चात ही मैं सदन में एक संशोधन प्रस्तुत करूंगा जिसमें उस खंड विशेष में संशोधन किया जायेगा जो संशोधन करने के लिये है। वह संशोधन जो मैं प्रस्तुत करूंगा और जिसे मैं अभी पढ़कर सुना सकता हूं इसमें सही तौर पर वे ही उपबंध हैं जो अनुच्छेद 19 में दिये गये हैं जो कि इस प्रकार हैं :—

"केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या इस संबंध में केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत हुए अधिकारी यदि वे इस बात से संतुष्ट हों कि सार्वजनिक सुरक्षा अथवा शांति तथा भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था के हित में अथवा किसी अपराध उद्दीपन को रोकने के लिए लिखित रूप में निर्देश देना आवश्यक अथवा अविलंबनीय है तो वह लिखित रूप में यह आदेश दे सकता है कि डाक द्वारा भेजी जाने वाली कोई भी सामग्री......बीच में रोक कर देखी जा सकती है।"

इस संशोधन से यह एक न्यायोचित आदेश हो जायेगा। इसके लिए एक आदेश देना होगा जिसमें यह बताया गया होगा कि यह आदेश क्यों दिया गया है और किस आधार पर दिया गया है। यह संशोधन मैं शीघ्र ही प्रस्तुत करने वाला हूं। इससे इस कानून में इस समय जो भी कमी है वह दूर हो जायेगी और ऐसा विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसरण में किया जायेगा। उन्होंने हमसे कहा है कि आप किसी भी वस्तु को बीच में रोक सकते हैं लेकिन हमें उसी सीमा तक किसी सामग्री को बीच में रोकना चाहिए जहां तक कि अनुच्छेद 19 का परन्तुक अनुमति देता है। यह परन्तुक में सदन के सामने लाये जाने वाले संशोधन में समाविष्ट करने जा रहा हूं। कोई आदेश क्यों दिया गया है इसके कारण बताने के लिए एक लिखित आदेश होना चाहिये और उस आदेश से प्रभावित होने वाली पार्टियाँ यदि उचित समझें तो उन्हें इस मामले को न्यायालय में ले जाने और इस बात की चुनौती देने की स्वतन्त्रता होगी कि वह आदेश परन्तुक में उल्लिखित किसी बात के अनुरूप नहीं है। मनमाने और ईर्ष्यापूर्ण आदेशों को चुनौती दी जा सकती है।

न्यायालय मुझे दिये गये आदेश को प्रस्तुत करने के लिए पूछ सकता है और यह पूछ सकता है कि यह आदेश क्यों दिया गया तथा इस बात का औचित्य में न्यायालय के समक्ष सिद्ध करूंगा। न्यायालय मुझसे कह सकता है कि इस उपलब्ध को पूरा नहीं किया गया और उसी क्षण से मुझे किन्हीं वस्तुओं अथवा पत्रों को बीच में रोक कर देखने या पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। यदि यह मान लिया जाये कि कोई भी पत्र परन्तुक में उल्लिखित किसी वर्ग के अन्तर्गत आता है तो क्या मुझे उसे बीच में रोककर पढ़ने की अनुमति होनी चाहिए या नहीं। यह एक साधारण प्रश्न है यदि किसी पत्र से भारत की प्रभुसत्ता अथवा अखंडता कानून और व्यवस्था की स्थिति अथवा विदेशी राज्यों के साथ हमारे संबंधों में हस्तक्षेप होता है और यदि कोई पत्र उनमें से उल्लिखित किसी भी वर्ग के अंतर्गत आता है तब मैं उस पत्र को यह बताने के लिए श्री वाजपेयी के समक्ष रखूंगा कि क्या वह इस बात से सहमत हैं कि उन वस्तुओं को हस्तांरित करने के लिए सरकारी मशीनरी अथवा राष्ट्र की मशीनरी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह हमारे समक्ष एक साधारण प्रश्न है और यदि इस बात को इस ढंग से देखें तो मुझे निश्चित रूप से यकीन है कि वे इस बात से सहमत होंगे कि इस प्रकार की शक्ति को बनाये रखा जाना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि ऐसा किन परिस्थितियों के अंतर्गत किया जाये। इस बारे में हमारा मतभेद है। उनका कहना है कि केवल आपात स्थिति की घोषणा होने पर तथा राज्य की सुरक्षा को खतरा होने पर ही ऐसा किया जाये। जब कि मेरा कहना है कि मैं इस कार्य को संविधान के उपबंधों के अंतर्गत तथा अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत दी गई शर्तों तक सीमित कर रहा हूं। जैसा कि इस समय उपबंध है यह उपर्युक्त रूप से सीमितनहीं है। यह कहा गया है कि यदि आपात स्थिति है तो किसी भी प्रकार की वस्तु को बीच में रोका जा सकता है। मैं कह रहा हूं नहीं; ऐसा नहीं होना चाहिये। मुझे इस बारे में आश्वस्त होना चाहिए कि यह प्रयोजन पूरे हों और उस स्थिति में कोई आदेश दिया जा सकता है। मैं श्री वाजपेयी जी को यह आश्वासन दे सकता हूं कि यह संशोधन मैं शीघ्र ही सदन में प्रस्तुत करूंगा।

इस विधेयक के एक खंड का जो कि विद्यमान खंड का एक भाग है लोप किया जाना चाहिये। इस समय एक उपबंध है जिसमें यह कहा गया है :—

> "यदि सार्वजनिक आपात स्थिति की विद्यमानता अथवा संबंध में कोई संदेह पैदा होता है कि उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई कार्य सार्वजनिक सुरक्षा अथवा शांति के हित में है या नहीं तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार जो भी स्थिति हो का प्रमाणपत्र अंतिम प्रमाण होगा।"

वे चाहते हैं कि इस परन्तुक का लोप किया जाये। मैं उनसे कह सकता हूं कि जो संशोधन मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं उसमें इस उपबंध का लोप कर दिया गया है। उनके विधेयक का यह भाग स्वीकार कर लिया गया है। अन्तर केवल यह है कि मैं ऐसा सरकारी संशोधन द्वारा करने जा रहा हूं। यह उपबंध विशेष जो कि मुझे न्यायिक प्रक्रिया की पहुंच के बाहर बिना किसी शर्त के शक्ति प्रदान करता है उसका मैं लोप कर रहा हूं और अब यह शक्ति न्यायिक सवीक्षा के अधीन होगी।

इस आश्वासन के साथ मैं समझता हूं कि श्री वाजपेयी इस बात से सहमत होंगे कि जो कुछ भी संशोधन वे प्रस्तुत करना चहते थे मैंने उन्हें तत्वत: स्वीकार कर लिया है। और मैं आशा करता हूं कि वे अपने संशोधन विधेयक पर जार नहीं देंगे।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मुझे कोई भी बात यहां उद्घाटित करने का हक नहीं है लेकिन यदि श्री वाजपेयी तत्कालीन गृहमंत्री से परामर्श करें या पूछें तो वे गोपनीय रूप से बतायेंगे कि उस समय बहुत बड़ी संख्या में पत्रों को रोककर पढ़ा गया जिसके लिए आदेश जारी किये गये थे और फलतः पत्रों को बीच में रोककर देखा गया था।

पिछली बार जब मैं पश्चिम बंगाल के बारे में बोल रहा था तो मैंने कहा था कि पत्रों को बीच में रोककर देखा जा रहा है और इस बारे में मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि वे पत्र जिन पार्टियों के थे वही अब हम से पत्रों को रोक कर देखने के लिये कह रही हैं जो कि हम कर रहे हैं—पश्चिम बंगाल सरकार से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। क्या वस्तुतः वे इसी प्रकार की पार्टियाँ है जिनके पत्र बीच में रोक कर पढ़े जाने चाहिए। बात यह है कि पत्रों को बीच में रोक कर पढ़ा जा रहा है।

त्रिपुरा में स्थिति यह है कि वहां राज्य सरकार का प्रतिनिधि प्रतिदिन दो घंटे के लिए हमारे कार्यालय में आता है, वहाँ बैठता है और जिन भी पत्रों को वह चुनता है उन्हें बीच में खोल कर पढ़ता है और जिन पत्रों को चाहता है ले जा जाता है। उन्होंने इस संबन्ध में कोई आदेश भी जारी नहीं किये गये हैं जबकि उनसे आदेश जारी करने की अपेक्षा की जाती है। यह स्थिति है जिसका हमें पता चला है तथा यह कानून के अन्तर्गत अनुमत्य नहीं है। अतः मैं त्रिपुरा सरकार को इस आशय का एक पत्र लिख रहा हूं कि यदि वे किन्हीं पत्रों को बीच में रोक कर पढ़ना चाहते हैं तो वे मुझे बतायें और वे मुझे इसके लिए पत्र दें। यह त्रिपुरा में हो रहा है।

सत्ता में आने पर प्रत्येक दल इस बात को समझेगा कि इस तरह से पत्रों को बीच में रोक कर पढ़े जाने की आवश्यकता है आखिरकार किसी को भी किसी व्यक्ति के पत्रों को पढ़ कर देखने में कोई आनंद नहीं आता। शायद किन्हीं प्रेमपत्रों को पढ़ने में आनन्द आता हो जिसके संबंध में मैं आशा करता हूं कि कम से कम वाजपेयी जी के पत्रों से वह प्राप्त नहीं होगा। इसके अतिरिक्त हमारे लिए भी तथा हमारे अधिकारियों के लिए भी इसमें कोई आनंद की बात नहीं है। लाखों पत्र इधर से उधर जाते हैं। यह आनंद का प्रश्न नहीं है। इससे दो प्रयोजन सिद्ध होते हैं एक तो यह निश्चय किया जा सकता है कि डाक से न भेजी जा सकने वाली सामग्री भेजी जा रही है या नहीं और (2) सरकार के अनवेषी कार्यक्षेत्र की भी जांच की जा सकती है। यदि आप कोई पत्र ले जा रहे हैं तो कोई भी पुलिस अधिकारी आकर आपसे यह कह सकता है। "मुझे यह पत्र देखने दीजिए।" जांच पड़ताल के मामले में उसे यह शक्ति प्राप्त है। केवल इस वजह से क्योंकि यह पत्र डाक सेवा के जरिये जा रहा है हालांकि वो जानता है कि यह पत्र इस सेवा के माध्यम से जा रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह इसे रोक नहीं सकता। यदि मैं इस पत्र को ले जा रहा हूं तो इस पत्र को रोका जा सकता है लेकिन यदि डाक विभाग का कोई व्यक्ति इसको ले जा रहा है तो इसे नहीं रोका जा सकता है—इस प्रकार का विभेद पूर्णतः अनुचित है। और डाकघर गुरुद्वारे अथवा मंदिर की तरह अपराधियों को सामयिक संरक्षण प्रदान करने का स्थान नहीं हो सकता। मंदिर और गुरद्वारा पुलिसमैन के कार्यक्षेत्र से बाहर हो सकता है तथा वहां कोई भी व्यक्ति जा सकता है और जो चाहे कर सकता है लेकिन डाक विभाग के मामले में इस प्रकार की किसी स्थिति की अनुमति नहीं दी जा सकती। डाक विभाग को एक ऐसा पवित्र शरणस्थल नहीं बनने दिया जा सकता जहां ऐसे कार्य करने की अनुमति दी जा सके जिन्हें करने की अनुमति नहीं है अतः पत्र को

विभाग द्वारा बीच में रोक कर पढ़ा जाता है और पढ़ा जायेगा। सम्पूर्ण विश्व के प्रत्येक देश में यह व्यवस्था है। यदि कोई व्यक्ति दूसरी जगह पत्र भेजना चाहता है तो उसके लिये डाक-घर की ओर से यह चेतावनी है। उसे यह सोचकर पत्र नहीं भेजना चाहिये कि दूसरा कोई भी उसके पत्र कहीं नहीं पढ़ेगा। तो उसे यदि आप ऐसा पत्र भेजना चाहते हैं जो किसी व्यक्ति की जानकारी से दूर रहे तो डाक संगठन पर निर्भर रहने की बजाय किसी अन्य माध्यम से भेजना बेहतर होगा। आज की संचार प्रणाली में यह व्यवस्था है। आप उपग्रह के माध्यम से सचार भेजने के बारे में कहते हैं। जब संदेश रेडियो तरंग के माध्यम से जाता है तो उसे कोई भी बीच में ग्रहण कर सकता है। उस संदेश को बीच में पढ़ा जा सकता है। मैं संचार की आधुनिक प्रणाली के बारे में बात कर रहा हूं। इसलिये, गोपनीयता की गारंटी नहीं दी जा सकती। जहां तक हमारा संबंध है, हमारा संगठन राष्ट्र द्वारा अपने प्रयोजन के लिए चलाया जा रहा एक सार्वजनिक संगठन है और इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती कि यह विशाल संगठन अपराधियों, ठगों, तोड़फोड़ करने वालों, विद्रोहियों, तथा राष्ट्रविरोधी तत्वों और ऐसे तत्वों को, जो देश की अखंडता के विरुद्ध हैं और पृथकतावादी कार्य कर रहे हैं, शरण नहीं देगा। यह संगठन उनके लिये एक शरणस्थल नहीं हो सकता और घृणित कार्य करने के लिये यह एक बचाव का रास्ता नहीं बन सकता। मैं, उनके घृणित कार्यों का संदेशवाहक नहीं बन सकता।

इसीलिये अधिनियम में यह उपबन्ध है। लेकिन, उसे संविधान के उपबंधों के पूर्ण अनुरूप बनाया जा रहा है। श्री वाजपेयी के विधेयक को आधा स्वीकार करता हूं और चाहता हूं कि वे शेष आधे विधेयक को वापिस ले लें।

**सभापति महोदय** : एक अच्छा समझौता है।

**श्री सी० एम० स्टीफन** : वह उपखंड (2) का लोप करवाना चाहते हैं। मैं इसका लोप करने से सहमत हूं। वह चाहते हैं कि 6 महीने की सजा दी जाये मेरा कहना है कि 2 या 7 वर्ष के कारागार की पहले ही व्यवस्था की गई है। वह राष्ट्र की सुरक्षा के हित में हस्तक्षेप चाहते हैं। मैं अनुच्छेद 19 में, इसके अतिरिक्त, राष्ट्र की सुरक्षा का उपबन्ध भी शामिल करना चाहता हूं। ऐसा कर लिये जाने पर , यह संतोष की बात है कि उन्होंने इस मामले विशेष के बारे में बहस की है। मुझे आशा है कि वह विधेयक को वापिस लेने के लिये सहमत हो जायेंगे और उस संशोधन के बारे में प्रतीक्षा करेंगे, जिसे मैं प्रस्तुत करूंगा।

महोदय, हमें एक दूसरे की सदाशयता पर विश्वास करना चाहिये। मैं किसी समय विशेष पर बीच में पढ़े गये पत्रों को सभापटल पर नहीं रखूंगा या उनका रहस्य प्रकट नहीं करूंगा। यह एक गोपनीयता का प्रश्न है जोकि मुझे बनाये रखनी है। राजनीतिक प्रयोजनों के लिए मैं उस गोपनीयता का उल्लंघन नहीं करूंगा जिसे कि बनाये रखा जाना है। यह एक प्रकार की छूट है। सदाशयता स्वीकार कर ली है, इसलिए उन्हें हमारी बात को भी स्वीकार करना चाहिये। आपत्ति अधिनियम के उपबंध के बारे में नहीं है अपितु अधिनियम के दुरुपयोग करने तथा इस अधिनियम के दुरुपयोग के विरुद्ध व्यवस्था करने के बारे में है। मैं एक ऐसे उपबन्ध के साथ विधेयक पेश करूंगा जो मेरे द्वारा जारी किए गये इस आदेश को चुनौती देने के लिये आपको न्यायालय में जाने का अधिकार प्रदान करेगा। न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिये कि अमुक-अमुक पत्रों को

बीच में पढ़ा जाना अनुमत्य नहीं है, मुझे एक रिट जारी करने का अधिकार होगा। यदि एक-दो रिटें सफल हो जाती हैं तो तब मैं और अधिक सावधान रहूंगा और कोई भी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये सावधान रहेगी कि अधिनियम का दुरुपयोग न हो। इन टिप्पणियों के साथ मैं आधे विधेयक को स्वीकार करता हूं और सदस्य महोदय से अनुरोध करता हूं कि शेष आधे विधेयक को वे वापिस ले लें। मुझे आशा है कि वे विधेयक को वापिस ले लेंगे।

**सभापति महोदय** : श्री अराकल आप स्पष्टीकरण चाहते हैं।

**श्री जेवियर अराकल** : एक बहुत महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है। क्या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधिकारी से आदेश प्राप्त किये बिना डाक को बीच में पढ़ लेना सम्भव है ?

**एक माननीय सदस्य** : क्यों नहीं ?

**सभापति महोदय** : उन्हें सवाल पूछने दीजिये।

**श्री जेवियर अराकल** : इस मामले में केन्द्रीय सरकार की स्थिति क्या है ? मान लीजिये मेरी डाक केन्द्रीय सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी से पूर्व आदेश प्राप्त किये बिना सरकार द्वारा बीच में पढ़ ली जाती है तो सरकार क्या कार्यवाही करेगी इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं।

**श्री सी० एम० स्टीफन** : महोदय, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें दोनों ही आदेश जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। डाक सेवाएं आदेश का पालन करेंगी। यदि आदेश समुचित प्राधिकारियों से आता है तो हम मामले में और आगे कार्यवाही नहीं कर सकते।

जैसा कि मैंने कहा है कोई भी व्यक्ति डाक-घर आकर सभी प्रकार के पत्रों की जांच के लिये नहीं कह सकता। यह बात मुझे बताई गई है और मैं इस मामले को देखूंगा। ऐसा नहीं होने दिया जायेगा।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : सभापति जी, मुझे खुशी है कि मेरे विधेयक ने संचार मंत्री महोदय को कुछ स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है। उनका कहना है कि उन्होंने 50 फीसदी बात मान ली है, मुझे लगता है कि 50 फीसदी से थोड़ा कम उन्होंने माना है।

बहस के दौरान मैंने यह मुद्दा उठाया था कि पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक ट्रांक्वीलिटी, पब्लिक इमरजेंसी, ये शब्दावली पुरानी शब्दावली है उन्होंने जो संशोधन लाने का सुझाव रखा है, उसमें उन्होंने पुराने बिल की शब्दावली और संविधान में मूलभूत अधिकारों के अंतर्गत जो सीमा लगाने की बात है—उन दोनों को मिला दिया है। देश की सोवरेनिटी के लिए, टेरीटोरियल इंटीग्रिटी के लिए, पब्लिक सिक्योरिटी के लिए वे बंधन लगाने की बात करते हैं।

मेरा कहना यह है कि जो संविधान में है, उसको रखिए और किसी पुराने कानून के अंश को कायम रखने की चिंता मत करिए। पब्लिक आर्डर को डिफेंड किया जा सकता है, लेकिन पब्लिक ट्रान्क्वीलिटी को नहीं।

**श्री सी० एम० स्टीफन** : यह संविधान में दिया हुआ है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : आप पुराने अधिनियम में दी गई कुछ बातों और संविधान में दी गयी बातों को मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। सब कुछ संविधान के उपबंधों से क्यों नहीं लेते ?

**श्री सी० एम० स्टीफन** : मैं पूर्णतः सहमत हूं।

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : आप देखिए कि आपने क्या पढ़ा।

**श्री सी० एम० स्टीफन** : मैंने मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था पढ़ा ?

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक प्रशांति नहीं है।

**श्री सी० एम० स्टीफन** : इसमें कहा गया है : "सार्वजनिक व्यवस्था, मर्यादा या नैतिकता या न्यायालय की अवमानना के संबंध में, मान-हानि या किसी अपराध के लिए भड़काना" किसी भी प्रकार के पत्र को बीच में रोक कर पढ़ा जाएगा। ऐसा करने की यहां अनुमति है। जब विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा तब आप संशोधन पेश कर सकते हैं। मैं विधेयक को ला रहा हूं।

**सभापति महोदय** : वह यह प्रस्ताव रख रहे हैं—यदि आप संशोधन पेश किए जाने से पूर्व कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यदि आप इस विधेयक को वापिस लेने के लिए सहमत हो जाते हैं तो आपको इस संबंध में चर्चा करने का एक और अवसर मिलेगा।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : महोदय, वह अधिनियम के उपबन्धों का दुरुपयोग होने के बारे में अवगत हैं।

**श्री सी० एम० स्टीफन** : दुरुपयोग की सम्भावना के बारे में।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : अधिनियम का दुरुपयोग किया गया है।

**श्री सी० एम० स्टीफन** : यह आपकी आशंका है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : यह मेरी और आपकी भी आशंका है। आपके सामने सूची है। कुछ संसद सदस्यों को इसमें सम्मिलित क्यों किया गया है ? संसद सदस्यों को सम्मिलित किया गया है।

**सभापति महोदय** : वाजपेयी जी, मंत्री महोदय ने कहा कि जनता पार्टी की सरकार के दौरान इस अधिनियम का दुरुपयोग हुआ। (व्यवधान) इस पक्ष का भी यही अनुभव है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : यह एक भेद के साथ है। अब जब हम विरोधी पक्ष में हैं, हम स्थिति से अवगत हैं। लेकिन जब वे विरोधी पक्ष में थे तो उन्होंने चुप रहने का निश्चय किया। उन्होंने इस संशोधन के बारे में संघर्ष नहीं किया।

**श्री सी० एम० स्टीफन** : हमने इसलिए संघर्ष नहीं किया क्योंकि हम जानते थे कि यह आवश्यक है। महोदय, मात्र विपक्ष में होने से हमने अपना दृष्टिकोण नहीं बदला। जब हम यह जानते हैं कि यह आवश्यक है तो हम इसका समर्थन करते हैं।

**सभापति महोदय** : उस समय वह रचनात्मक विरोधी पक्ष की भूमिका निभाना चाहते थे।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : महोदय रचनात्मक नहीं, वे विरोधी पार्टी के रूप में कार्य नहीं कर रहे थे।

**श्री सी० एम० स्टीफन** : हमारा दृष्टिकोण तब और अब दोनों समय समान रहा है। उन का दृष्टिकोण बदलता रहता है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : नहीं, यह सच नहीं है। महोदय मुझे प्रसन्नता है कि वह संशोधन लाने के लिए सहमत हो गए हैं। चूंकि 50 प्रतिशत विधेयक स्वीकार नहीं हुआ है, इसलिए मेरा उसके विरुद्ध मतदान देने का अधिकार सुरक्षित है। इस बीच में वाद-विवाद को और लम्बा नहीं खींचना चाहता। मैं अपने विधेयक पर जोर नहीं देता।

**सभापति महोदय** : क्या आप विधेयक को वापिस लेना चाहते हैं ?

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : जी हां।

**श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपर)** : मेरी डाक हर रोज सैंसर की जा रही है। पत्र बीच में रोक कर पढ़े जा रहे हैं। मुझे केवल लिफाफे मिल रहे हैं। पत्र उनमें से हटा दिए जा रहे हैं। **(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय डाक घर अधिनियम 1898 का और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : मैं विधेयक वापिस लेता हूं।

**सभापति महोदय** : आप को उनकी समझदारी के लिए उनकी प्रशंसा करनी चाहिए।

**श्री चन्द्रशेखर सिंह (बांका)** : हम उनकी समझदारी और रचनात्मक रवैये के लिए उनको बधाई देते हैं।

---

## कृषि जन्य वस्तुएं समर्थन मूल्य विधेयक

**श्री के० लकप्पा (टुमकुर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गन्ने, दालों और अन्य कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी समर्थन मूल्य निर्धारित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

मैंने उद्देश्य और कारण बताए हैं कि इस समय यह विधेयक क्यों आवश्यक है। यह विधेयक बहुत सरल है और इसमें कोई जटिल उपबन्ध नहीं है। मैं यह विधेयक इसलिए लाया हूं कि कृषक समुदाय में हुए विभिन्न परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक आवश्यक है हम देखते हैं कि कृषि कार्यों विशेष रूप से लघु कृषकों तथा सीमान्त कृषकों के मामले में लागत बढ़ी है। किसानों को उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है।

कृषि सामग्री में गन्ने, दालें आदि भी शामिल हैं। इन सामग्रियों के बारे में बहुत व्यापक रूप से चर्चा की गई है। अब इस देश में अनेक किसान अन्य धन्धों को अपना रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने उत्पाद के लिये लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहा है। कृषि मूल्य आयोग बार-बार कृषि उत्पादों के लिये अलाभप्रद मूल्यों की घोषणा करता रहा है। पिछले अनेक साल से हम सदन में इस विषय के बारे में चर्चा करते रहे हैं और किसानों की समस्याओं के बारे में भी चर्चा करते रहे हैं और

लाभप्रद मूल्यों के बारे में सदन के अन्दर और सदन के बाहर समाज के सभी वर्गों द्वारा राय व्यक्त की की गई है। यह विषय किन्हीं भी राजनैतिक मान्यताओं पर आधारित नहीं है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि पर आधारित है। किसान समुदाय को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करने देना चाहिए। हमें उनकी समस्याओं पर विचार करना है और उनका जल्दी से जल्दी समाधान करने का प्रयास करना है।

इस समय इस देश में लगभग 5,80,000 गांव हैं जिनमें केवल लगभग 4000 कृषि सहकारी समितियाँ हैं। गांवों की संख्या और इस देश में कार्यरत सहकारी समितियों की संख्या के बीच अनुपात बहुत ही नगण्य है। सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों की जरूरतों को पूरा करने में समर्थन नहीं हैं। किसानों की मांग दिन-प्रति- दिन बढ़ती जा रही है। यदि आप देश को गांवों में किसान समुदाय की जनसंख्या और गाँवों में कार्यरत सहकारी समितियों की संख्या को देखें, तो आप यह पायेंगे कि ये सहकारी समितियां उससे कहीं बहुत ही कम हैं जिनकी किसानों की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुतः जरूरत हैं।

श्रीमान् जी, यदि मैं कृषि मूल्य आयोग के बारे में कुछ भी कहता हूं तो मुझे कठोर शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा। मुझे अच्छी तरह याद है और सदन भी इस बात को जानता है कि पिछले साल इसी सदन में मैंने इस मुद्दे को उठाया था। माननीय मन्त्री राव बीरेन्द्र सिंह ने यह कहा था और सदन में इस बात की घोषणा की थी कि किसानों की राय और उनके अनुभव को भी ध्यान में रखा जाएगा। उनकी कठिनाइयों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। मन्त्री महोदय ने तो यहां तक कहा था कि उन व्यक्तियों को, जिनको कृषि के क्षेत्र में काफी अनुभव होगा और उन उत्पादकों को जिनको खेतों का अनुभव होगा कृषि मूल्य आयोग में शामिल किया जाएगा और वह कुछ समय बाद उनके नामों की घोषणा करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि नौकरशाही व्यवस्था ने इन व्यक्तियों को कृषि मूल्य आयोग में शामिल होने पर मन्त्री महोदय के लिये बाधा उपस्थित की होगी। इसलिए कृषि मूल्य आयोग कठोर आलोचना का विषय बन गया है। यह आशा की गई थी कि किसानों के लाभ के लिये विभिन्न उत्पादों के लिये लाभप्रद मूल्यों की घोषणा की जाएगी। यह अपने कर्तव्य में असफल रहा है और अब उसे इस देश के किसानों की अप्रसन्ता का शिकार होना पड़ रहा है। यही वजह है कि मैं इस बात पर बल देता हूं कि कृषि मूल्य आयोग का केवल गठन कर देने से ही काम नहीं चलेगा, विभिन्न मंचों पर केवल विचार करने और चर्चा करने तथा कृषि उत्पादों के लिये मूल्य नीति सम्बन्धी घोषणा करने से किसान समुदाय की मदद नहीं होगी।

महोदय, कृषि मूल्य आयोग द्वारा घोषित मूल्य कई बार किसानों के लिये लाभप्रद सिद्ध नहीं होते हैं और नहीं वे नकदी फसलों का उत्पादन करने वाले अथवा उपभोक्ताओं के लिये ही सहायक सिद्ध होते हैं यही वजह है कि आयोग की सिफारिशें कभी-कभी सरकार द्वारा अस्वीकार कर दी जाती हैं। महोदय, यह संस्था उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों के लिये ही उपयुक्त मूल्य ढांचा उपलब्ध करने की राष्ट्रीय नीति बनाने में सफल नहीं रही है। यही वजह है कि मैंने अपने विधेयक में स्पष्ट रूप से इस बात का उपबन्ध किया है कि केन्द्रीय सरकार को कृषि मूल्य आयोग के परामर्श से प्रत्येक कृषि फसल से काफी पहले देश के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न कृषि उत्पादों के लिये समर्थन मूल्य की घोषणा करनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ऐसा नहीं किया जाता

है तो किसानों को यह पता नहीं चलता कि कृषि मूल्य आयोग किसी विशेष कृषि सामग्री जैसे चावल, दाल, गन्ना अथवा अन्य कृषि उत्पादों के मूल्यों की घोषणा कब करेगा। महोदय, मैं सदन के लाभ के लिए यह कहना चाहता हूं कि अनेक ऐसे कृषि उत्पाद हैं जिनके बारे में आयोग ने कोई विचार नहीं किया है और आयोग ने उनकी उपेक्षा कर दी है। दालों के मामले में आप चना अरहर, उड़द और सरसों तथा कभी-कभी मूंगफली को भी ले सकते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि मध्यम तथा छोटे किसानों द्वारा पैदा किए जाने वाले अधिकांश कृषि उत्पादों के बारे में मूल्य नीति की घोषणा करते समय विचार नहीं किया गया है। महोदय, यदि हम किसी विशेष कृषि उत्पाद के उत्पादन को बढ़ावा देना चाहते हैं तो उसकी बुआई होने से काफी समय पहले उसके लिए लाभप्रद मूल्य की घोषणा करनी होगी। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जब कभी देश में उदाहरण के लिए, दालों की कमी होती है, तो किसान गुजरात में दालों की बुआई करते हैं लेकिन इसके मूल्यों में गिरावट आ जाती है और इसका परिणाम यह होता है कि अगले मौसम में वे किसी अन्य उत्पाद की बुआई करते हैं। इसी प्रकार दक्षिण में किसान गन्ने को उगाता है, तो उसकी कीमतों में गिरावट आ जाती है और अगले मौसम में मूंगफली का उत्पादन करते हैं और जब वे मूंगफली का उत्पादन करते हैं तो इसकी कीमतों में गिरावट आ जाती है और वे किसी अन्य उत्पाद की बुआई करते हैं जिसकी कीमत बहुत अधिक होती है। इसलिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि मूल्य आयोग को सांविधिक निकाय का पूरा दर्जा दिया जाना चाहिए। यदि इसके निर्णयों को क्रियान्वित किया जाना है तो आयोग को मध्यम स्तर के तथा सीमान्त किसानों से सम्बन्धित सभी आवश्यक कारणों, कठिनाइयों और अनुभवों को ध्यान में रखना चाहिये। लेकिन यह देखा गया है कि यह केवल कृषि कार्यों के लिए औसत आवश्यकताओं और औसत बड़े किसानों की आदान सम्बन्धी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखता है और उसी आधार पर अपने निष्कर्षों पर पहुंचता है।

महोदय, यह देखा गया है कि देश के विभिन्न भागों के किसान कृषि मूल्य आयोग के कार्य से संतुष्ट नहीं हैं। इस बारे में कुछ समय पहले भुवनेश्वर में आयोजित तीसरी भारतीय कृषि कांग्रेस में चर्चा की गयी थी। कांग्रेस ने तो यहां तक कहा कि आयोग देश के कृषि समुदाय के साथ बहुत अधिक अन्याय कर रहा है। उस कांग्रेस में भी कृषि मूल्यों और विपणन के बारे में एक संकल्प पारित किया था और कृषि उत्पादों के मूल्यों का निर्धारण करने के लिए अधिक उपयुक्त और सर्वत्र स्वीकृत प्रक्रियाएं बनाने के लिए सरकार से अनुरोध किया था। किसान की यह जोर-दार मांग रही थी कि मूल्यों के निर्धारण के लिए एक पूर्णत: भिन्न प्रकार का तंत्र बनाया जाये जिसके अंतर्गत किसान समुदाय के विचारों का सम्मान करने के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय हों, जैसा कि अनेक विकसित देशों में किया जाता है।

हमारा देश एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकासशील लोकतांत्रिक देश है। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी के समान हैं। जब तक कृषि उत्पादों का मूल्य एक ऐसे स्तर पर निर्धारित नहीं किया जाता, जो उत्पादों के लिए लाभप्रद हो, तो इससे किसानों को किसी भी प्रकार की आर्थिक राहत प्रदान करना सम्भव नहीं होगा, जो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की मूलभूत आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि किसानों द्वारा उत्पादित की जाने वाली सामग्री की मात्रा मूल्यों का निर्धारण करने के लिए मानदण्ड होना चाहिए। हमें उन क्षेत्रों में, जिनमें किसान सामग्री का उत्पादन करते हैं, हो रही विकासशील गतिविधियों को ध्यान में रखना चाहिए और हमारा उद्देश्य कृषि समुदाय

को आर्थिक दृष्टि से अधिक सक्षम बनाना होना चाहिए। हमें कृषि समुदाय के लिए आवश्यक मूल भूत ढांचा उपलब्ध करना होगा और विपणन तथा बीमा सम्बन्धी सुविधाओं, उर्वरक के स्तर, उर्वरकों के वितरण और उपकरणों तथा कार्यकरण और यंत्रीकरण के तरीकों को आधुनिक बनाने से संबंधित उनकी जरूरतों का अध्ययन करना होगा।

हम भूमि सुधारों को लागू करना चाहते हैं। हमने भूमि सुधार किया है और हमारी सरकार ने यह कार्य किया है। लेकिन क्या इस भूमि सुधार से कृषि व्यवस्था और कृषि व्यवसाय में सार्थक परिवर्तन हुए हैं? क्या कृषि श्रमिकों, खेतिहर वर्ग, कमजोर वर्गों और थोड़ी जोत वाले लोगों के बारे में समाज का हृदय-परिवर्तन हुआ है? छोटी जोत वाले किसानों के लिए आज किस प्रकार के यंत्रीकरण की व्यवस्था है? क्या हमारे पास ऐसे ट्रैक्टर हैं, जो आधुनिक कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त हों? ऐसा नहीं है। आज तक उनका निर्माण नहीं किया गया है। हम बड़े-बड़े ट्रेक्टरों का उत्पादन कर रहे हैं, जो छोटे किसानों के लिए उपयोगी नहीं हैं और उनको खरीद करना उनके बस की बात नहीं है क्योंकि ये बड़े ट्रेक्टर उनके लिये उपयोगी साबित नहीं हो सकते। उनका उपयोग उनकी थोड़ी जोत पर नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार कृषि अर्थव्यवस्था और वैज्ञानिक तरीके से यंत्रीकरण प्रणाली को लागू न कर के इस कृषि समुदाय की उपेक्षा की गई है। मजदूरी-नीति और मजदूरी ढांचा समय-समय पर बदलता रहा है। कृषि-कार्यों की लागत में अभी हाल के कुछ वर्षों में काफी वृद्धि हुई है और मूल्य नीति का निर्धारण करते समय उपकरणों की लागत, मानव, श्रम, यांत्रिक कार्य और खाद, उर्वरक, बीज, कीटनाशी दवाओं, सिंचाई तथा पूंजी पर ब्याज और भूमि के किराये मूल्य जैसी सभी बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसका कारण यह है, क्योंकि हमारे भूमिहीन मजदूरों को किराये के आधार पर खेती करनी होती है। वसूली नीति का विपणन केन्द्रों के साथ कुछ सामंजस्य होना चाहिए। विपणन केन्द्रों के लिए उत्पादों की ढुलाई करने के लिए सड़कों का निर्माण एक अनिवार्य आवश्यकता है। कृषि मूल्य आयोग को परिवहन व्यवस्था के स्तर को भी ध्यान में रखना चाहिए।

कृषि मूल्य आयोग की स्थापना करने के पीछे क्या कारण और उद्देश्य हैं? क्या इस कृषि मूल्य आयोग के दृष्टिकोण में उन ढांचागत परिवर्तनों के आधार पर परिवर्तन हुआ है, जिनकी हमने कल्पना की है? सरकार ने इन मामलों में एक प्रगतिशील नीति अपनाई है। सांविधिक निकाय को यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे अधिकार दिये जाने चाहिये कि भूमि सुधार, सिंचाई नीति, जल नीति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में रखा जाए। उनसे किसानों और किसान समुदाय की जरूरत की पूर्ति होगी है। यह ढांचागत परिवर्तन कृषि समुदाय में सार्थक परिवर्तन करने के लिए संगठित क्षेत्र में होना आवश्यक है। भारतीय कृषि कांग्रेस ने कृषि मूल्य और विपणन के बारे में एक संकल्प पारित किया और कृषि-उत्पादों के मूल्यों का निर्धारण करने के लिए एक अधिक उपयुक्त और सर्वमान्य प्रक्रिया अपनाने के लिए सरकार से अनुरोध किया। उस संकल्प में उन्होंने यह भी कहा है कि जब तक कृषि-मूल्यों को एक ऐसे स्तर पर निर्धारित नहीं किया जाता जो उत्पादकों के लिए लाभप्रद हो, तब तक किसानों को कोई भी राहत पहुंचाना सम्भव नहीं होगा, जो कृषि विकास कार्यक्रम की मूलभूत आवश्यकता है। जहां तक शहरी लोगों का सम्बन्ध है जो जमीदार हैं, जो कृषि व्यवस्था में अपनी काली पूंजी को लगाने में समर्थ हैं, उनकी विचारधारा कृषि मूल्य आयोग में शामिल है। उन्होंने मूल्यों का निर्धारण करते समय इस पहलू को ध्यान में

नहीं रखा है। उन्होंने भुखमरी के शिकार हो रहे किसानों की स्थिति को ध्यान में नहीं रखा है। गांवों में संचार व्यवस्था नहीं है। किसानों को उर्वरक नहीं मिल रहे हैं। उन्हें सभी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और जहां तक कृषि विकास का संबंध है और बरानी खेती का संबंध है इन सभी सुविधाओं को उस क्षेत्र का विकास करने के लिए ध्यान में रखना होगा। ऐसी कोई बात रिकार्ड में शामिल नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि वे अपने निष्कर्षों पर किस प्रकार पहुंचे हैं और वे लाभप्रद मूल्यों की घोषणा कब करेंगे इत्यादि। कृषि मूल्य आयोग ने बाढ़, सूखा, दैवी विपत्तियों साइक्लोनों आदि जैसी अप्रत्याशित परिस्थियों और प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में नहीं रखा है। जहां तक कृषि जिन्सों का सम्बन्ध है हमें एक राष्ट्रीय नीति निर्धारित करनी चाहिए जो मौसम-विशेष में घोषित की जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की हानि न हो। गन्ना बोने के समय सरकार को यह अवश्य घोषित कर देना चाहिए कि किसानों को कितना मूल्य मिलेगा, यदि फसल अच्छी हुई तो कितना लाभ मिलेगा यदि फसल बुरी हुई तो कितनी हानि होगी, कितना समर्थन मूल्य होगा, आदि-आदि। कृषि मूल्य आयोग इन सब बातों पर विचार नहीं करता है।

मंत्री महोदय यहां बैठे हैं। मैं उन्हें उद्धृत करना चाहूंगा। पिछले कुछ वर्षों के दौरान कृषि सामग्री की लागत में काफी वृद्धि हुई है। मैंने अपने अन्य साथियों के साथ मंत्री जी से प्रश्न किया था कि "क्या यह सत्य है कि उर्वरक मूल्यों से छोटे किसानों, मंझोले किसानों, सीमान्त किसानों और बड़े किसानों पर प्रकूतिल प्रभाव पड़ेगा?" उन्होंने कहा, "नहीं। हम उन्हें राज सहायता दे रहे हैं।" हम उन्हें करदाताओं के धन सहायता दे रहे हैं।" अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे देश में इन सामग्रियों, उर्वरकों और अन्य वस्तुओं का भूमि के आकार, मौसम और देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रख कर समुचित निर्धारण किया गया है।

उदाहरण के लिए आप अधिक फसल देने वाले बीजों को लें। 98 प्रतिशत बीजों में 10 प्रतिशत भी अंकुरण नहीं होता है। अतः जब कोई बीज के बारे में कोई नीति नहीं बनी हुई है। अतः जब कोई बीज नीति नहीं है तो जब हम सिंचाई करते हैं तो हमें आशानुकूल फसल नहीं मिलती है, चाहे वह धान, रागी, गेहूं, ज्वार या गन्ने की खेती हो। गन्ने के बारे में हमने मूल्य घोषित किए हैं आजकल चीनी बहुतायत में है। गन्ना उत्पादक चिल्ला रहे हैं और मिल मालिक भी साथ-साथ चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनके पास अपनी चीनी रखने के लिए गोदाम नहीं हैं। अतः गन्ना उत्पादक चिल्ला रहे हैं कि चीनी मिल मालिक अधिक चीनी का उत्पादन कर रहे हैं और करोड़ों रुपए का सामान बन्द पड़ा है और किसानों को मुश्किल हो रही है। आज यह स्थिति है। अतः कृषि मंत्रालय को किसानों की सहायता करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें उनके मूल्य मिलें। उन्होंने सर्वोच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिए हैं। मिल-मालिक स्वयं को संगठित कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है और उन्हें बैंकों से पैसा मिल जाता है किन्तु गरीब किसानों को पैसा नहीं मिलता है।

छोटे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलते। उन्हें विपणन सुविधाएं नहीं मिलती। सरकार को मूल्य-नीति घोषित करते समय इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। अतः जबकि लघु उद्योग क्षेत्र जैसे अन्य क्षेत्रों में लोगों को लाभ मिलते हैं, छोटे किसानों को कोई लाभ नहीं मिलता। इसका परिणाम यह होगा कि वे अन्य व्यवसाय अपनाने लगेंगे। वे कृषि करने के तरीके बदल डालेंगे और वे अन्य काम करना शुरू कर देंगे।

**सभापति महोदय** : श्री लकप्पा, अनेक अन्य सदस्य भी इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। क्या आप कृपया भाषण समाप्त करेंगे।

**श्री के० लकप्पा** : कृपाया मुझे दस मिनट और दीजिए।

**सभापति महोदय** : दस मिनट नहीं दो या तीन मिनट में पूरा कर लीजिए। आपने सभी बातों पर बोल लिया है। मंत्री महोदय आपके भाषण को सुनने के लिए ही बैठे थे।

**श्री पी० वेंकटसुब्बय्या** : वह एक घंटा तक बोलते रहेंगे।

**सभापति महोदय** : उन्होंने बहुत जोरदार तर्क दिए हैं।

**श्री के० लकप्पा** : अब मैं अनुसंधान निष्कर्षों के बारे में बात करूंगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने काफी अनुसंधान किया है। कृषि वैज्ञानिकों ने काफी समस्याओं का मुकाबला किया है। कृषि वैज्ञानिक 24 कृषि संस्थान, 22 कृषि विश्वविद्यालय और 32 समेकित अनुसंधान परियोजनाएं कई वर्ष से अनुसंधान कार्य में रत हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है किन्तु उनका लाभ किसानों तक नहीं पहुंचा है। छोटे किसानों को उनके अनुसंधान का लाभ नहीं हुआ है। उनके लिए उचित वातावरण नहीं बनाया गया है। इसलिए आज भूमि सुधारों के बाद 50 प्रतिशत भूमि का भी समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। यदि आप सभी प्रकार की कृषि के लिए यथार्थ-परक मूल्य नीति और लाभकारी मूल्य नीति घोषित करें तो मेरा विचार है कि कृषक इसे काफी गम्भीरता से लेंगे कृषक समुदाय के जीवन-स्तर, सामाजिक जीवन और सामाजिक दर्जे में सुधार किया जाना चाहिए। समाज में उनका स्थान वही नहीं है जो बड़े बड़े एकाधिकारवादियों, उद्योग पतियों या अन्य व्यवसायिकों या वैज्ञानिकों का है। गांवों में रह रहे और कृषि कर रहे लोगों को ही लीजिए। हमारा देश कृषि पर आधारित देश है। ऐसा क्यों है कि उनके पारिवारिक जीवन, जीवन स्तर तथा रहन-सहन के ढंग में दूसरों की तुलना में विषमता है। उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा कि उद्योगपतियों, लघुउद्योगपतियों, मझोले उद्योगपतियों के साथ किया जाता है। उनका एक काफी बड़ा वर्ग है। आपको यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें भी सभी सुविधाएं उसी तरह से पहुंचे जिस तरह से अन्य लोगों को पहुंचती हैं ताकि उनके जीवन का स्तर ऊंचा उठ सके। यह एक अच्छी बात है कि भारत सरकार ने कृषक समुदाय के लाभ के लिए आर्थिक कार्यक्रम आरम्भ करने के संबंध में एक नीति-निर्णय लिया है। जब सरकार इसके लिए वचनबद्ध है तो मैं अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि इन कार्यक्रमों को ईमानदारी से क्रियान्वित किया जाए। एक किसान को अपने उत्पाद के लिए मिलने वाले मूल्य में और एक उद्योगपति को अपने तैयार उत्पाद के लिए मिलने वाले मूल्य मे काफी अन्तर और विषमता है। इसे कम किया जाना चाहिए।

वे लोग जो जघन्य, असामाजिक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं, चाहे वे महाराष्ट्र में हों या तमिलनाडु में, या देश के किसी अन्य भाग में हों किसानों को भड़का रहे हैं। हमें ऐसे लोगों के हाथ में खिलौना नहीं बनना चाहिए जो इस सारे मामले को राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। वह राजनीतिक लाभ उठाने की दृष्टि से गरीब किसानों को अपना शिकार बना रहे हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह कृषि मूल्य आयोग के बीच में परिवर्तन करे और उसे

अधिक प्रभावी और अपूर्ण बनाये तथा यह सुनिश्चित करे कि मौसम शुरू होने से पहले ही मूल्य घोषित कर दिए जाए तथा किसानों के हितों की रक्षा हो। जहां तक जीवन स्तर सामाजिक दर्जे और आर्थिक दर्जे का प्रश्न है इनमें किसानों और अन्य लोगों के बीच बहुत अन्तर नहीं होना चाहिए। सरकार को किसानों को अधिक धन उपलब्ध कराना चाहिए और उन्हें काफी अधिक रियायतें दी जानी चाहिए। किसानों के लाभ के लिए उदार नीतियों का अनुसरण किया जाना चाहिए।

मैं सदन की स्वीकृति के लिए इस विधेयक की सिफारिश करता हूं। मैं माननीय सदस्यों से इस विधेयक का समर्थन करने का अनुरोध करता हूं। मुझे आशा है कि हमारी प्रगतिशील सरकार तथा हमारे योग्य एवं उत्साही कृषि मंत्री महोदय मुझ से सहमत होंगे और मेरे विधेयक को स्वीकार करेंगे।

**श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस)** : माननीय सभापति जी, यह एक संयम की बात है कि किसानों की समस्याओं के ऊपर कि उनको उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिलना चाहिए—इस विषय पर हम इस हाऊस में चर्चा कर रहे हैं। इस सभा के सभापति के रूप में आप विराजमान हैं, आप भी एक कृषक परिवार में पैदा हुए हैं और माननीय मंत्री महोदय का भी किसानों से गहरा संबन्ध रहा है और मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं भी एक छोटे से किसान का बेटा हूं बेहतर यह हो कि माननीय सदस्य ने अपने इस बिल में किसानों की जिन समस्याओं का चित्रण किया है और भारत का किसान किस तरह से जीवित रहता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। वह जाड़े की कड़कती सर्दी में और जून तथा मई की तपती हुई दोपहरी में खेत में काम करता है, उसके बावजूद भी उसको उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता। वह परिश्रम करता रहता है और इस देश के लोगों को रोटी देता है और उनके पेट को पालता है। माननीय सदस्य ने इस संबंध में जो अपनी भावना व्यक्त की है, उस संदर्भ में मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, किसानों की समस्याओं को हल करना चाहिए।

हमारा देश किसानों का देश है। देश की आबादी का 75-80% के दर्मियान लोग गांवों में रहते हैं। उनका संबन्ध किसी न किसी रूप में या तो खेती से हैं या वे खेती करते हैं……लेकिन हमारे किसानों के सामने इतनी भयंकर समस्याएं हैं खासतौर पर आज के समय में कि उनके बारे में सरकार को बहुत सहानुभूतिपूर्वक सोचना चाहिए और उन पर विचार करना चाहिए।

मैं यह बताना चाहता हूं कि अभी-अभी आलू की फसल पैदा हुई थी और वह आलू इतना खराब हुआ कि आप को सुन कर ताज्जुब होगा कि 20 रुपये क्विंटल में भी आलू को किसी ने नहीं पूछा। अगर आलू की पैदावार में जो लागत आती है, उसका अन्दाजा लगाया जाए, तो मैं समझता हूं कि किसान को आलू के बीज का पैसा भी वापस नहीं हो पाया है। आज पानी की समस्या है, बिजली मिल नहीं रही है, खाद के दाम दिनोंदिन बढ़ते जा रहे हैं और लेबर की इतनी बड़ी प्राब्लम है कि आज गांव में लेबर भी 10-12 रुपये रोज से कम पर नहीं मिलती है। मैं स्वयं आलू पैदा करता हूं और हमारे यहां बीघा का हिसाब चलता है। तीन बीघे का एकड़ होता है और कच्चे 5 बीघे का एक एकड़ होता है। एक कच्चे बीघा में 200-250 रुपये की खाद ले कर डालें, तो मुश्किल से 30-40 मन आलू पैदा होता है, 15-16 क्विंटल आलू पैदा होता है। अब आप अन्दाजा लगाइए कि इस में कितनी लागत आती है और कितना किसान को मिलता है।

मेरे कहने का आशय यह है कि किसान के सामने यह सबसे बड़ी समस्या है कि उन को उन की वस्तु का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है और इस वजह से उस का दम टूटता है और इस का असर उस के पूरे परिवार पर पड़ता है और किसानों का समूहिक परिवार तो यह देश है, तो इस का असर पूरे देश पर पड़ता है। यह कहा जाता है बल्कि मैं कहूंगा कि यह सत्य है और जब मैं किसान की बात कहता हूं, तो उस किसान की बात हूं जो खेत में हल चलाता है, खेत में पानी लगाता है, जो गाय चराता है, जो अनाज निकालता है और मैं उस की बात नहीं कहता, जिस के पास एक-एक हजार, दो-दो हजार और पांच-पांच हजार बीघा जमीन है, जिस को यह पता नहीं कि खेती किस तरह से की जाती है, हल किस तरह से चलाया जाता है, पानी खेतों में किस तरह लगाया जाता है। मेरा मतलब उस किसान से है, जो छोटा किसान है, जो मध्यम वर्ग का है, जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है और जो पसीना बहाता है। मैं उस किसान की बात कह रहा हूं, जिस के बारे में यह कहा जाता है कि भारत का किसान कर्जे में ही पैदा होता है और कर्जे में ही मरता है। मेरा कहना यह है कि ऐसे किसानों की तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसा किसान, जिस चीज का उत्पादन करता है, उस को उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। आप का जो कृषि मूल्य आयोग है, उसमें किसानों का रेप्रेजेन्टेशन न के बराबर है। जो किसान किसानी करता है, ऐसे किसान का बेटा उसमें हो। ऐसे लोगों को उस में रखा जाना चाहिए और मेरा कहना यह है कि फसल से पहले कृषि मूल्य आयोग के परामर्श से भारत सरकार को किसान के उत्पाद का मूल्य घोषित कर देना चाहिए और सरकारी एजेंसियों के द्वारा उस की खरीद होनी चाहिए। बहुत से मुल्क ऐसे हैं, जहां पर किसानों को नुकसान नहीं होने दिया जाता है और उनको नुकसान न हो, इसके लिए वहां पर सरकार किसान की पूरी फसल खरीदती है चाहे उनके पास जो अनाज है, उसको आग लगानी पड़े या फिर उस को समुद्र में डालना पड़े। किसान को वहां पर उस की पैदावार का उचित मूल्य मिलता है।

हमारे यहाँ जो गन्ना है या आलू है, ये तो कुछ दिन टिक सकते हैं, गेहूं, बाजरा आदि जो अनाज हैं, वे भी कुछ दिन टिक सकते हैं लेकिन जो लोग सब्जी पैदा करते हैं, उनको उस के उचित दाम नहीं मिलते हैं क्योंकि सब्जी बहुत दिनों तक नहीं टिक सकती है। मेरी जो शहर में जमीन हैं, मैं उस पर सब्जी पैदा करता हूं और आप को यह सुनकर ताज्जुब होगा कि मेरे यहां टमाटर पैदा हुआ, उस को किसी ने एक रुपये में पांच किलो भी नहीं पूछा। वे लोग सब्जी पैदा करते हैं, उनको उसके उचित दाम नहीं मिलते हैं। यहां दिल्ली में 2 रुपये किलो टमाटर मिलता है लेकिन हमारे यहां उसके इतने पैसे नहीं मिलते हैं। सब्जी बहुत जल्दी खराब हो जाती है और सब्जी पैदा करने वालों को उन की सब्जी का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है और जब ऐसा होता है, तो उसका दिल टूट जाता है क्योंकि उनको उनकी लागत भी नहीं मिल पाती है। मेरे कहने का आशय यह है कि सरकार को इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको उनकी सब्जियों का उचित मूल्य मिले और वे ख़राब न हों।

एक चीज मैं और निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि एफ० सी० आई०किसानों का गल्ला नहीं खरीद रही है और उत्तर प्रदेश, जिस सूबे से मैं आता हूं, मैं ऐसा हो रहा है। बहुत से ऐसे सूबे है, जहां पर वहां की सरकारें राज्य सरकार की एजेंसियों, पी० सी० एफ० और दूसरी एजेन्सियों द्वारा गेहूं खरीदती है और सेन्ट्रल पूल के लिए गेहूं खरीदती हैं लेकिन हमारे यहां एफ० सी० आई० गेहूं नहीं खरीद रही है और लाखों टन गेहूं खुले में पड़ा हुआ है, खेतों में अनाज

पड़ा हुआ है। बरसात होने से यह सब अनाज खराब हो गया और एफ० सी० आई यह कहती है कि वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन के नियम के अनुसार अगर 15 परसेन्ट गेहूं भी खराब है, तो वह लोगों के खाने लायक नहीं है और यह जो गेहूं हैं यह 40-50 परसेन्ट खराब है, इसलिए वह इस को खरीद नहीं रही है। यह मैं मानता हूं कि ऐसे महीने में बरसात हुई है जबकि बरसात नहीं होती थी। अप्रैल और मई में बरसात हुई है। लेकिन हमारी सरकार किसानों के साथ है, किसानों की शुभचिन्तक है। सरकार ने आदेश दिया है कि किसान की उपज को खरीदा जाए और सरकार की एजेन्सियों ने उसकी उपज को खरीदा है जिससे किसान बहुत बड़े नुकसान से बच गया है। लेकिन फिर भी किसान को उचित मूल्य देने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि इस बिल में जो भावना व्यक्त की गयी है, सिद्धांत रूप में सरकार को उसको मानना चाहिए। अगर किसान खुशहाल होगा, तो देश खुशहाल होगा, अगर किसान तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। किसानों को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि हमारा देश किसानों का देश है। किसान के हित में सरकार को सोच समझ कर उचित कदम उठाने चाहिए जिससे उसको उसके माल की पूरी कीमत मिल जाए। इस उसे से और और अधिक उपज करने की प्रेरणा मिलेगी और उसके अधिक उत्पादन करने से भी आगे बढ़ेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत के किसान को बधाई देना चाहता हूं कि आज किसान कठिन श्रम करके और काफी पैसा लगा कर भी उत्पादन बढ़ा रहा है। अगर किसान को उसके उत्पादन का सही मूल्य मिल जाए तो वह और भी अधिक पैदावार करके देश को और अधिक आत्मनिर्भर बना सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं।

**श्री रणवीर सिंह (केसरगंज)** :सभापति महोदय, यह बिल तो बहुत लम्बा चौड़ा है और तीन-चार दिन तक सदन भी नहीं बैठेगा, इसलिए पता नहीं हमें इस पर बोलने को कब मौका मिले। यह बिल किसानों के सम्बन्ध में हैं और किसानों की समस्याओं को लेकर बहस हो रही है। इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं।

बहराइच और बाराबंकी के क्षेत्र में इतना जबर्दस्त सूखा पड़ा है कि हमें यह खास बात कहनी पड़ रही है। मंत्री जी ने अभी उस दिन जो वक्तव्य दिया था कि वाइड स्प्रेड रेन हुई है, इस सम्बन्ध में मैं मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि उनके मौसम कार्यालय की यह सूचना निराधार है। हमारे बहराइच और बाराबंकी जिले में एक बूंद पानी नहीं पड़ा है। वहां किसान की सारी फसल नष्ट हो गयी है। पहले उसकी फसल बाढ़ से नष्ट हुई थी, फिर ओलावृष्टि से हुई और अब इस सूखे से हो गयी है। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन जिलों में राहत कार्य पहुंचाने के लिए तुरन्त कदम उठाये जाने चाहिए। इन जिलों में बिजली की उपलब्धता भी सबसे पहले सुनिश्चित की जाए। खाली योजना बनाने से ही काम नहीं चलेगा। आपको यह भी देखना होगा कि वहां राहत कार्य हो रहे हैं या नहीं, वहां बिजली दी जा रही है या नहीं। इन सब बातों की तरफ ध्यान देना भी हमारा कर्त्तव्य है।

**सभापति महोदय :** आप बैठिये। आपने मंत्री महोदय का ध्यान खींच दिया है और यह बता दिया है कि मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है वह सही स्थिति को कवे नहीं करता है।

मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय सुन रहे हैं।

**श्री रण वीर सिंह** : नहीं, वह नहीं सुन रहे हैं।

**सभापति महोदय** : कृषि मन्त्री महोदय, माननीय सदस्य ने आपका ध्यान सदन में दिए गए उस कथन की ओर दिलाया है जिसमें यह जानकारी दी गई है कि काफी व्यापक वर्षा हुई है। उन्होंने कहा है कि यह सही स्थिति नहीं है। अभी भी व्यापक सूखे की स्थिति बनी हुई है और उन्होंने कहा है कि मन्त्रालय को तत्काल कदम उठाने चाहिए ताकि बिजली सप्लाई के लिए कृषकों की ओर अधिक ध्यान देने के लिए आवश्यक अनुदेश दिए जायें और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम बठाए जायें। आपका ध्यान आकर्षित किया गया है और मुझे आशा है कि आप इस ओर ध्यान देंगे। आवश्यक अनुदेश दिए जायें क्योंकि यह महत्वपूर्ण मामला है। सूखे की स्थिति वास्तव में गम्भीर है। अब मन्त्री महोदय आवश्यक कदम उठाएंगे।

अब श्री मधुकर बोलें।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

**श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी)** : सभापति महोदय, श्री लकप्पा जी ने जो बिल पेश किया है, उसका समर्थन करने से पहले मैं उनके इस बयान का खण्डन करता हूं कि हिन्दुस्तान में किसानों के समस्त आन्दोलन एन्टी सोशल और एन्टी नेशनल लोगों के हाथ में रहे हैं। भारत में किसानों के जो आन्दोलन चले, उनमें हमारे प्रो० रंगा जी जैसे लोग भी सम्बद्ध रहे हैं। प्रो० रंगा जी तो यहां बैठे हैं। शहजानंद स्वामी जैसे महान लोगों ने अंग्रेजों के राज्य में किसान आंदोलन उठाया था। आज भी हिन्दुस्तान के तमाम इलाकों में, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटिक, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों में किसान आंदोलन चल रहा है और इनकी सबसे मुख्य मांग यह है कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए।

लाभकारी मूल्य क्यों मिलना चाहिए, इसके कई कारण हैं। किसानों का कितना प्रतिशत देश में है ? राष्ट्रीय आमदनी का 48 प्रतिशत कृषि से आता है, किसानों की पैदावार से आता है। किसान गांवों में रहते हैं और कुल जनसंख्या का 70-80 प्रतिशत हैं। इनकी समस्याओं को हल किए बगैर देश कभी खुशहाल नहीं बन सकता और देश में सिर्फ बड़े-बड़े बिड़लाओं और टाटाओं की तरक्की होती रहेगी। हाल ही में एक प्रश्न के जवाब में मंत्री महोदय ने बताया था कि टाटा-बिड़ला की आमदनी बढ़कर 13 करोड़, 15 करोड़ हो गई है और दूसरी तरफ किसानों की हालत कितनी बदतर है।

किसानों की हालत के कई कारण हैं। खाद, रासायनिक दवाइयां, बिजली-पानी, मजदूरों की मजदूरी इत्यादि सब चीजों के चार्जेज बढ़ गए हैं, इससे हर साल किसानों का खर्च बढ़ता जा रहा है। फर्टीलाइजर की बात तो छोड़ दीजिए, केवल कीटनाशक दवाइयों के दाम ही 50 फीसदी से अधिक बढ़ गए हैं।

इसलिए लकप्पा जी की इस बात का कि किसानों को एंटी नेशनल लोग भड़का रहे हैं, मैं समर्थन नहीं करता। आज यह एक राष्ट्रीय मांग हो गई है कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए।

ब्रिटिश राज्य से लेकर कांग्रेस राज्य, जनता राज्य और फिर नई कांग्रेस (आई) के राज्य में किसानों की लूट ही हुई है। अगर इस लूट का हिसाब लगाया जाए तो ब्रिटिश राज्य के बाद से अब तक 40 अरब रुपया किसानों की जेब से निकाला जा चुका है। चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे जनता सरकार रही हो, कोई फर्क नहीं रहा, भले ही सब ने किसानों के फर्माबरदार बनने की कोशिश की। इसकी वजह यह है कि यह सरकार बड़े-बड़े पूंजीपतियों को प्रोत्साहन देती है।

आपकी सरकार किसानों के लिए सब कुछ कर रही है तो किसानों को लाभकारी मूल्य क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों गुजरात में लोग किसानों को उकसा देते हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश में किसानों का आंदोलन क्यों खड़ा हो जाता है? चाहे गन्ने का सवाल हो, गेहूं, कपास, रबर, आलू का सवाल हो, ये चीजें जो किसान पैदा करता है और बेचता है, पूंजीवादी बाजार मे इसकी भयंकर लूट हो रही है। किसान सस्ते दाम पर बेचने के लिए इसलिए मजबूर है कि उसने बैंकों से लोन ले रखा है। पूंजीपति उस माल को खरीद कर बाद में अधिक दाम में बेचते हैं। इस तरह से पूंजीपतियों और टैक्सों द्वारा किसान की चौतरफा लूट हो रही है।

ए० पी० सी० क्या है, यह सफेद हाथी है। यह पता नहीं कौन से विज्ञान का इस्तेमाल करता है, जिसके जरिए यह किसानों को लाभकारी मूल्य देने की सिफारिश नहीं करता। मैं उदाहरण देता हूं। बिहार हरियाणा पंजाब, तमिलनाडु में जहां गन्ना पैदा होता है गन्ने के दाम आपने साढ़े तेरह रुपये क्विंटल तय किए लेकिन राज्य सरकारों ने पिछले साल से भी कम दाम गन्ने के इस साल दिए। पूरे देश में गन्ना किसान को इस कारण से आन्दोलन करना पड़ा। कई किसान मारे भी गए। यह कौन सी नीति है किसान को लाभकारी मूल्य देने की? लाभकारी मूल्य मिलते हैं चीनी मिल मालिकों को, गन्ना किसान को नहीं, होलसेलर को, पूंजीपति जो लूटते हैं उनको मेरी मांग है कि ए० पी० सी० का फिर से पुनर्गठन किया जाना चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय मोनोपोलिस्टो के हाथ में आप बिके हुए हैं जिसका सबूत मैं देता हूं। केरल में रबड़ का दाम घटा दिया गया है और रबड़ बाहर से मंगाया गया है। इसी तरह से गुजरात में काटन के दाम घटा दिए गए हैं और काटन बाहर से मंगाया गया है। जब देश में काटन और रबड़ पर्याप्त मात्रा में है तो क्यों इसको बाहर से मंगाने की आपको जरूरत महसूस होती है? पिछले साल आपने गेहूं अमरीका से मंगाया 195 रुपये क्विटल पर और यहां आकर वह आपको 210 या 215 रुपये पड़ा। लेकिन यहां के किसान की जो 160 रुपये देने की मांग थी वह सरकार ने नहीं दिया। किसान को इस तरह से अरबों रुपये की क्षति उठानी पड़ी। इसका नतीजा यह भी हुआ कि जो गेहूं का बफर स्टाक आप कायम करना चाहते थे वह भी नहीं हो पाया। इस साल भी यही बात है।

जूट वेस्ट बंगाल में ज्यादा पैदा होती है। वहां की सरकार लाभकारी मूल्य देने के लिये तैयार है। उसने एलान भी किया है। लेकिन जे०सी०आई० खरीद नहीं करती है। बिहार में पूर्णिया का मुझे मालूम है। जे०सी०आई० वालों की व्यापारियों से मिली भगत होती है, बड़े व्यापारियों के साथ उनका मेल जोल होता है और वे खरीद नहीं करते हैं और बड़े-बड़े व्यापारियों को वे फ्री मार्किट में खरीदने देते हैं जोकि किसानों को लूटते हैं और उनको मनमाने दाम देते हैं। यही चीज एफ०सी०आई० वालों पर भी लागू होती है। बिहार में लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई है। वहां की सरकारी एजेंसियां बड़े व्यापारियों से मिली रहती हैं। इस मेल-जोल को आप दूर नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा।

आप पैंडी को लें। गन्ने को लें। तम्बाकू को लें। तम्बाकू आंध्र में होता है। इसके दामों को लेकर किसानों को वहां आन्दोलन करना पड़ा है। इसका लाभकारी मूल्य वहां किसान को नहीं मिला। तम्बाकू वहां के व्यापारियों ने बैंकों से रुपया उधार लेकर खरीदा और उस पैसे से किसान की लूट की। पूंजीपतियों के आगे आप नत मस्तक हैं। आपके पास कोई उपाय नहीं है। उनसे पैसा लेकर आप चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। उनके खिलाफ काम करने की आप में हिम्मत नहीं है।

मेरी मांग है कि कच्चे माल की जो होलसेल ट्रेड है उसको आप अपने हाथ में लें। प्रभावकारी ढंग से आप इस काम को कर। लाभकारी मूल्यों का एलान आप सीजन से पहले करें ताकि किसान को जो बोना हो वह वो सके। चूंकि पहले एलान नहीं किया जाता है—इस वास्ते किसान जानता नहीं है कि गन्ना, गेहूं, आलू या क्या चीज वह पैदा करे। इस साल पेराई के बावजूद किसान का बीस लाख क्विंटल गन्ना खेत में सड़ गया है। इस तरह की जो चीजें हैं इनकी तरफ आप ध्यान दें। मेरी मांग है कि किसान के कच्चे माल के दामों का, लाभकारी दामों का एलान आप पहले से करें।

किसान पैदा ही नहीं करता बल्कि वह बहुत सी चीजें हैं जो खरीदता भी है, जैसे कपड़ा, तेल, साबुन, दवाइयां आदि। उसके द्वारा पैदा की हुई चीजों और इन वस्तुओं की कीमतों में संतुलन होना चाहिये। किसान की जितनी आमदनी होती है आपको देखना चाहिये कि उसके अनुसार खर्च करने की उसमें ताकत भी है या नहीं। फर्टिलाइजर, कीट नाशक दवाइयां बिजली आदि आप सस्ते में उसको दें। बिड़ला की अल्यूमीनियम फैक्ट्री को 12 पैसे प्रति यूनिट पर बिजली दी जाती है लेकिन बिहार में किसानों को फिक्स्ड डिपाजिट देने के बाद भी 45 पैसे की दर पर बिजली मिलती है, और वह भी उनकी जरूरत के वक्त नहीं मिलती है। यहां एम०पीज० फ्लैट्स में बिजली नहीं मिलती, तो किसानों का तो भगवान ही मालिक है। किसानों के पटवन रेट में कोई कमी नहीं है, बल्कि बिहार में बढ़ाया गया है। मेरे इलाके में गंडक योजना है, सिंचाई नहीं होती है लेकिन रुपया उनसे वसूल कर लिया जाता है। उनका लगान माफ नहीं किया जाता है। मेरी मांग है कि किसानों को बिजली सस्ती और सब्सिडाइज्ड रेट्स पर मिलनी चाहिये। बिहार, यू०पी०, हरियाणा में गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया मिल मालिकों पर बकाया है जिसको उनको भुगतान कराया जाय। इसी तरह से कोआपरेटिव सोसाइटीज की हालत यह है कि जो धनी परिवार के किसान लोग हैं उनको तो लाभ मिलता है, लेकिन गरीब किसान को कोई लाभ नहीं मिलता। बड़े-बड़े लोग सरकार से कर्ज लेते हैं और उस पैसे को अधिक ब्याज दर पर किसानों को कर्ज पर दे देते हैं। इसलिए छोटे और गरीब किसानों को सीधे सोसाइटी से ऋण दिया जाय। बैंक जो बड़े-बड़े सट्टेबाजों को कर्जा देते हैं और उस पैसे से होलसेल ट्रेड करते हैं कच्चे माल का इस काम के लिए उनको बैंकों से कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। बैंक का रुपया सरकार अपनी एजेन्सी के जरिए, होल सेल ट्रेड अपने हाथ में लेकर, गरीब किसानों को दे। सरकार को अपनी नीति को बदलना पड़ेगा। अभी जो नीति बड़े उद्योगपतियों और सट्टेबाजों के पक्ष में है उसको बदल कर किसान आरियेंटेड कीजिए। नहीं तो किसानों का आन्दोलन देश में उमड़ रहा है जो आपकी व्यवस्था को खत्म कर देगा।

**श्री हरीश रावत** (अल्मोड़ा): उपाध्यक्ष जी, यह कहना उचित नहीं है कि सरकार किसानों के हितों को नहीं देखती है। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है पिछले दो, ढाई सालों में लगातार किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य देने की कोशिश की गई है। और अपने स्तर पर हम लोगों की यह मांग भी ठीक है कि किसानों को और अधिक मूल्य दिया जाय, क्योंकि जब हम मांग करते हैं उससे एक समन्वय पैदा होता है और सरकार को भी देखना पड़ता है कि एक तरफ प्रोड्यूसर्स हैं तो दूसरी तरफ कंज्यूमर्स भी हैं। दोनों के हितों को ध्यान में रख कर एक बैलेंस्ड नीति सरकार को तैयार करनी पड़ती है।

मैं कुछ प्वाइंट्स की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं। एक तो सूखे की स्थिति है। हमारे उत्तर प्रदेश में 6 जिले ऐसे हैं जिनमें पिछले ढाई, तीन साल से लगातार सूखे की स्थिति है। चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी, उत्तर काशी और पौड़ी। कहीं पर वर्षा न होने के कारण और कहीं पर विभिन्न प्रकार के कीड़ों की वजह से किसानों की 75 से 90 प्रतिशत तक फसल नष्ट हो रही है जिससे भुखमरी की हालत पैदा हो गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम के अन्तर्गत उन क्षेत्रों को भी शामिल किया जाना चाहिये। ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम के अन्तर्गत एरियाज के सलेक्शन के लिये जो प्लानिंग कमीशन में एक कमेटी बनाई गई थी, पासपोश बनाई गई थी, वह अपने आप में बड़ी डिफेक्टिव थी। उसमें कई प्रान्तों के तो दो, दो और तीन, तीन मेम्बर थे और कई प्रान्तों का रिप्रेजेन्टेशन नहीं था, जिसकी वजह से उस कमेटी ने जो रिकमैंडेशन्ज कीं कि इन विकास खंडों को ड्राउट प्रोन एरिया के अन्तर्गत लिया जाये, उसमें कुछ प्रान्तों को अधिक शेयर मिला है जहां ड्राउट की बहुत भीषण स्थिति नहीं थी, और जहां ड्राउट की बहुत भीषण स्थिति थी, उनको बहुत कम ड्राउट प्रोन एरिया के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

उत्तर प्रदेश में इस समय किसानों का गन्ना बहुत बड़ी मात्रा में खेतों में खड़ा है। हमने किसानों से वायदा किया कि वह गन्ना पैदा करें, उत्पादन बढ़ायें और उनके गन्ने को मिल क्रैश करें। इस समय जब कि 75 प्रतिशत मिलें उत्तर प्रदेश में पिराई बन्द कर चुकी हैं, तो ऐसे समय में जिन किसानों का गन्ना खेतों में खड़ा है, मैं समझता हूं कि उसका कोई और उपयोग नहीं हो सकता है। इससे किसानों को भारी नुक्सान होगा। इस तरफ सरकार को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

दीर्घकालीन उपाय के रूप में केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि जिन लोगों ने गन्ने की नई मिलें लगाने के लिये लाइसेंस के लिए एप्लाई किया है, उसको अपनी स्वीकृति दे। उसमें आपके मंत्रालय ने बड़ा संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया है, उसको आप त्याग दें।

ए० पी० सी० के विषय में यहां पर कई सदस्यों ने कहा है, मेरा भी सुझाव है कि जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है इसका कंपोजिशन ही अपने आप में डिफैक्टिव है। इसमें किसानों को प्रतिनिधित्व ठीक तरह से नहीं दिया गया है। इसमें मीडियम और स्माल फार्मर्स का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसी प्रकार से उसका प्रासेस बहुत ब्यूरोक्रैटिक है। जिस समय किसानों के लिये आप सपोर्ट प्राइस की घोषणा करते हैं, वह काफी विलम्ब से होती है। जब इस मांग को सदन में उठाया जाता है तो आप हर प्रकार से आश्वासन देते हैं कि ठीक समय पर इस मामले को देखेंगे, लेकिन उसमें इफैक्टिव निर्णय नहीं हो पा रहा है।

इसलिये मैं श्री लकप्पा के बिल को सपोर्ट करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि इन चीजों पर सरकार ध्यान दे और विशेषकर हमारे उन 6 जिलों के अन्दर ड्राउट प्रान एरिया उन्हें डिक्लेयर करे।

**श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर)** : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि श्री लकप्पा ने इस प्रकार का एक अच्छा विधेयक यहां प्रस्तुत किया है, उन्हें इस प्रकार विधेयक यहां लाने की सद्बुद्धि आयी इसके लिए में उनको धन्यवाद देता हूं।

जहां तक किसानों का प्रश्न है, उनको लाभकारी समर्थन मूल्य अवश्य प्राप्त होना चाहिये। इस सदन में जब भी चर्चा हुई है, सभी पक्ष के लोगों ने इस बात का समर्थन किया है। कोई भी व्यक्ति ऐसी राय नहीं रखता जिससे लगे कि किसानों को लाभकारी समर्थन मूल्य न मिले, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि किसानों को अभी तक यह ठीक से प्राप्त नहीं हो पाया है।

ए० पी० सी० की बात अलग है, सरकार का दृष्टिकोण भी इसमें बहुत काम करता है। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं कि विदेशों से जो गेहूं मंगाया जा रहा है वह 200 रुपये से अधिक एक क्विंटल का दाम देकर मंगाया जा रहा है और यहां के किसानों को 142, 145 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का दाम दिया जा रहा है। यह किसानों के प्रति किस प्रकार की सद्भावना है? यदि किसानों के प्रति सरकार सचमुच में सद्भावना रखती है और देश के हित के दृष्टिकोण से सोचती है तो उसे अपने देश के किसानों को अधिक मूल्य देना चाहिये। हमारे देश के किसानों को 175 रुपये क्विंटल भी नहीं मिलता और विदेशों को 200 से भी अधिक प्रति क्विंटल दिया जाता है। इससे साफ जाहिर है कि हम यहां चाहे जितनी भी मांग करें, आवाज उठायें, सरकार के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता है।

अभी श्री रावत ने कहा है कि सरकार को किसानों का बहुत ख्याल रहता है। अगर सरकार को किसानों का ख्याल रहता, तो इस प्रकार की स्थिति क्यों आती, क्यों भारतीय किसानों को गेहूं की कीमत 142, 145 रुपये प्रति क्विंटल दी जाती जब कि विदेशों के किसानों को उसी गेहूं की कीमत 200 रुपए या उससे अधिक दी जाती है? इसकी वजह यह है कि पूरी सरकारी पार्टी इम्पोर्ट करने के पक्ष में है। इस लिए देश के किसानों का कोई भला नहीं हो सकता। श्री लकप्पा ने जो विधेयक रखा है, हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। सपोर्ट तो उधर के लोग भी करते हैं, लेकिन उनका विश्वास इम्पोर्ट करने में है।

इस सरकार ने फर्टिलाइजर, इन्सेक्टिसाइड, पेस्टीसाइड और डीजल का मूल्य पिछले ढाई सालों में चार बार बढ़ाया है। बिजली और सिंचाई का रेट कई बार बढ़ चुका है। बीज और कृषि के औजारों की कीमत निरन्तर बढ़ती चली जा रही है। कृषि में इस्तेमाल होने वाली सब चीजों की कीमत कुछ तो सरकार बढ़ाती रहती है और कुछ उन चीजों का निर्माण करने वाले बड़े-बड़े औद्योगिक घराने बढ़ाते हैं। किसानों के दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली जो चीजें कल-कारखानों में बनती हैं, उनकी कीमतें भी लगातार बढ़ती जाती हैं। कृषि में इस्तेमाल होने वाली चीजों और किसान के दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमत बढ़ती चली जा रही है। नतीजा यह है कि किसान बढ़ती हुई मंहगाई के बोझ से दबता जा रहा है। जब तक उसको अपने

उत्पादन का लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं होता, जब तक वह बढ़ती हुई मंहगाई में अपना जीवन-यापन ठीक प्रकार से नहीं कर सकता।

इन सब बातों के बावजूद सरकार हमेशा किसान-विरोधी निर्णय लेती है और किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि किसानों के हर एक उत्पादन की कीमत में वृद्धि करनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, तब तक किसानों का भला नहीं हो सकता। किसानों ने देश के विभिन्न भागों में इस सवाल को लेकर आन्दोलन किया है। यहां तक कि श्री लकप्पा के राज्य कर्नाटक में भी आन्दोलन हुआ। मैं श्री लकप्पा को विशेष रूप से याद दिलाना चाहता हूं कि जब निपाणी में किसानों ने उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए आन्दोलन किया, तो सरकार ने किसानों के खिलाफ लाठी और गोली का इस्तेमाल किया।

**श्री के० लकप्पा :** वे किसान नहीं थे।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मेरा विचार है कि श्री लकप्पा ने आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था।

**श्री हरिकेश बहादुर :** उस आंदोलन में कुछ किसान मारे गये थे। उन्हें यह याद रहेगा।

**श्री के० लकप्पा :** वह राजनीतिक लाभ के लिए किया गया था।

**श्री हरिकेश बहादुर :** मैं राजनीतिक लाभ की बात नहीं कर रहा हूं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जब किसान सरकार को अपनी मांगें प्रस्तुत करते हैं सारकार उन्हें उचित ढंग से पूरा नहीं करती बल्कि उन पर गोली चलाती है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आन्ध्र और उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी किसानों ने अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर आन्दोलन किया, सरकार ने उन मांगों के प्रति सहानुभूति का दृष्टिकोण अपनाने के बजाय लाठी और गोली का इस्तेमाल किया।

**श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची) :** वह जान बूझकर तमिलनाडु का नाम नहीं ले रहे हैं।

**श्री हरिकेश बहादुर :** जैसा कि श्री दण्डपाणि कह रहे हैं, तमिलनाडु में भी आंदोलन हुआ और वहां की सरकार का दृष्टिकोण भी ठीक नहीं था। हर एक सरकार का यह फर्ज है कि चूंकि भारत एक कृषि-प्रधान देश है और सारे देश की अर्थ-व्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, इसलिए किसानों के प्रति न्याय किया जाए। लेकिन न तो मौजूदा केन्द्रीय सरकार ऐसा कर रही है और न ही उससे सम्बन्धित राज्यों की सरकारें कर रही हैं। जब भी देश में ओला पड़ता है, सूखा पड़ता है, बाढ़ या तूफान आता है, तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव किसानों पर पड़ता है।

अभी उड़ीसा में तूफान आया, कई गांवों के अंदर सारी फसल खराब हो गई और गांवों में रहने वाले तमाम किसान बरबाद हो गए। ओला पड़ता है तो भी यही होता है। अभी सूखा सारे देश के अंदर पड़ रहा है कम से कम देश के आधे हिस्से में तो भयंकर सूखे की स्थिति में किसानों की आज क्या दशा है ? यह मजाक की बात नहीं है, इसको आप गम्भीरता से लीजिए

**एक माननीय सदस्य :** उड़ीसा में जो तूफान आया उसमें केवल किसान नहीं, सभी प्रभावित हुए।

**श्री हरिकेश बहादुर :** सभी थे, यह बात सही है। मेरा कहना यह है कि तूफान भी आया तो उसमें भी ज्यादातर लोग जो गांवों में समुद्र के किनारे रहते हैं उनको ज्यादा नुकसान हुआ। कोई भी इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है तो उसका सबसे अधिक प्रभाव किसानों के ऊपर ही पड़ता है। वैसे तो आप जाकर समुद्र में कूद जाइए तो आप भी नहीं बचेंगे। इस समय देश में भयंकर सूखे की स्थिति है और यह सरकार आज इस स्थिति के प्रति उदासीन है। हम जानते हैं, हमारे गोरखपुर में कितना भयंकर सूखा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और जो राज्य रह गए हैं छूटे हुए, माननीय सदस्यगण उनको पूरा कर देंगे, इन सभी राज्यों में भयंकर सूखे की स्थिति में है। इस प्रकार कम से कम देश का आधा हिस्सा आज भयंकर सूखे की स्थिति में है। यहां तक कि दक्षिण भारत के भी कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर कि अब तक काफी तेजी से मानसून आ जाना चाहिए था, वहां भी वह नहीं आ पाया है। तमिलनाडु में भी अभी तक यह स्थिति नहीं बन पायी है जिसके कारण वहां भयंकर बिजली संकट व्याप्त है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने उसकी चर्चा यहां की है। तो सूखे के कारण भी देश के किसानों को भयंकर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इन सारे हालात में सरकार को चाहिए कि किसानों के प्रति एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाए जिससे कि किसानों को लाभ हो। आज सूखे की स्थिति में किसानों को सिंचाई करने के लिए बिजली नहीं ठीक से मिल पा रही है, नहरों के अंदर ठीक से पानी नहीं जाता क्योंकि जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर सरकार का कोई अंकुश नहीं रहा। सरकार का उधर ध्यान नहीं जाता। यह सरकार उनको नियंत्रित नहीं कर पाती है। इन सारी बातों का असर किसानों पर भी पड़ रहा है।

इसलिए मैं चाहूंगा की इन तमाम बातों को लेकर सरकार उन पर विचार करे और किसानों को राहत देने वाली सारी योजनाओं को तेजी से लागू करे। साथ ही किसानों को लाभकारी समर्थन मूल्य दे।

अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गन्ना के किसानों की आज क्या स्थिति है? अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जिन गन्ना किसानों को हम लाभकारी मूल्य देने की बात करते हैं उनका गन्ना आज भी खेतों के अंदर पड़ा सूख रहा है। यह स्थिति है हमारे उत्तर प्रदेश में। मिलों पर चाहे वह सरकारी कब्जे में ली गई मिलें हों या बड़े बड़े मिल मालिकों और पूंजीपतियों की मिलें हों, सारी ही मिलों पर किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है उत्तर प्रदेश और बिहार में। वह पैसा उनको वापस नहीं दिया जा रहा है। गन्ना किसानों को जो सरकार द्वारा घोषित मूल्य था वह भी नहीं दिया गया, इस बात से सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे। तो गन्ना किसानों के सामने जो आज कठिनाई है वह यह कि एक तो उनको घोषित मूल्य नहीं मिलता और दूसरे उनका रुपया मिलों पर बकाया पड़ा है। वह उन्हें दिलाया जाना चाहिए। साथ ही जो गन्ना खेतों में खड़ा रह कर सूख गया है, सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि अब की बार तो उसने किसानों के साथ भयंकर अन्याय किया ही, भविष्य में ऐसा अन्याय न होने पाये। उनका गन्ना मिलों में जा सके इस का प्रबन्ध होना चाहिए। जब गन्ना ही मिलों में नहीं जायेगा तो लाभकारी मूल्य क्या मिलेगा? इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं.........

**उपाध्यक्ष महोदय :** इस सरकार ने किस के साथ न्याय नहीं किया है?

**श्री हरिकेश बहादुर** : समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसके साथ सरकार की कार्य-वाही के कारण अन्याय न हुआ हो।

इसलिए मैं चाहता हूं कि गन्ना किसानों को उनके उत्पादन का लाभकारी समर्थन मूल्य दिया जाय। साथ ही दूसरे किसानों को भी दिया जाय। सरकार इस पर विचार करे और जो किसानों के विरूद्ध दृष्टिकोण उसका है उसमें बदलाव लाए।

**श्री मूल चन्द डागा (पाली)** : उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारा एक स्वभाव बन गया है कि हम किसी न किसी बात पर चर्चा करते रहते हैं। योजना भवन और कृषि भवन के बीच में छोटे छोटे किसानों का, मार्जिनल फार्मर्स और स्माल फार्मर्स जिनको कहा जाता है कि वह देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उनका क्या हाल बनता है ? सवाल यह है कि लोगों की हालत सुधर क्यों नहीं रही है ? केवल एक बात है कि चर्चा करना हमारा स्वभाव है और हम चर्चा करते हैं। स्वामीनाथन साहब ने एक जवाब दिया था, उसकी में चर्चा कर रहा हूं। स्वामीनाथन साहब ने जो जवाब दिया था वह इस प्रकार से है :

"कृषि मूल्य आयोग के निर्देश पद 5 मार्च, 1980 को संशोधित किये गये संशोधित निर्देश पदों की एक प्रति अनुबंध एक के रूप में संलग्न है।"

आपने जवाब दे दिया कि ए० पी० सी० में एक अमेन्डमेन्ट कर दिया है लेकिन उसका फल क्या हुआ ? जो इस सदन की पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज कमेटी है, उसने क्या दोषारोपण किया है उसको भी आप सुन लीजिए;

"समिति खरीद के मसले से प्रभावित नहीं हुई है। यद्यपि खरीदा गया सारा गेहूं और चावल का बड़ा भाग चालू समर्थित मूल्य के अनुसार था, पर खेद है कि उत्पादकों से सीधी खरीद नाम मात्र को हुई। पिछले 3 वर्षों में कृषक सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से खरीद गेहूं के मामले में 30 प्रतिशत से भी कम हुई जबकि धान के मामले में यह बहुत ही कम हुई। चालू वर्ष में इसमें कुछ सुधार हुआ है, जैसा कि इसमें कृषक सहयोगी संस्थाओं से 7.5 लाख टन धान की खरीद हुई। समिति यही कहना चाहती है कि बिचौलियों की बजाए उत्पादकों या उत्पादकों की सहयोगी संस्थाओं से ही सीधी खरीद करने के समुचित प्रयास किए जाएं जिससे उत्पादकों को इसका पूरा लाभ मिल सके।"

यह हालत हुई है। उन्होंने बताया है कि जो एक्चुअल प्रोड्यूसर्स हैं उनसे पर्चेज नहीं होती है बल्कि मिडिलमैन के द्वारा पर्चेज की जाती है।

कमेटी ने आगे कहा है :

"समिति यह जानने की इच्छुक है कि उत्पादक को उसके उत्पाद का न्यूनतम समर्थित मूल्य मिल रहा है या नहीं, इसे खेद है कि यह पता लगाने के लिए कोइ सर्वेक्षण नहीं किया गया है कि प्राथमिक उत्पादकों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा निश्चित लाभ कितना मिल पा रहा है। जब बिचौलियों से खरीद की जाती है तो यह सुनिश्चित नहीं किया जाता कि उत्पादक को निर्धारित मूल्य प्राप्त होगा। उदाहरणार्थ पंजाब या हरियाणा में भारतीय खाद्य निगम द्वारा कोई सीधी खरीद नहीं की गई है। यहां खरीद "कच्चे आढ़-

तियों" के माध्यम से की गई है। यह सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति का नवीनतम 22वां 1980-817 प्रतिवेदन है, आप भारतीय खाद्य निगम की शर्तों को देखें। हमने भारतीय खाद्य निगम को 1977-78 में 478-775 करोड़ रुपये 1978-1979 में 570.00 करोड़ रुपये, 1979-80 में 600.00 करोड़ रुपये 1980-81 में 650.00 करोड़ रुपये और 1981-82 में 650.00 करोड़ रुपये आर्थिक सहायता दी।"

इतनी सब्सीडी देने के बाद भी आज व्हीट क्यों इम्पोर्ट करना पड़ा ? ए०पी०सी० के साथ चीफ मिनिस्टर्स की जो बैठक हुई उसमें मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने मांग की कि 175 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीदी जाए, यू०पी० ने 164 रुपए क्विंटल की बात कही, पंजाब ने 161 रुपए और हरियाणा ने 160 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदारी करने की बात कही। लेकिन ए०पी०सी० में आप चीफ मिनिस्टर्स की बात नहीं मानते हैं। फिर छोटे और मार्जिनल फार्मर्स को किस प्रकार से रेम्युनरेटिव प्राइस मिल सकती है। मेरे विचार से यहां पर 25-30 बार छोटे और मार्जिनल फार्मर्स के बारे में विचार हो चुका है लेकिन आज तक उनको लैण्ड सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत जमीन भी नहीं मिल सकी है। इस देश में केवल कुछ काश्तकारों की एक लाबी हुई है जोकि खूब पैसा कमाते हैं। उनको पानी नहीं, उनको खाद नहीं, उनको बीज नहीं और उनको एक चीज हैं कि कच्चे आढ़तिए को अपना माल बेचना पड़ता है। उनके माल की डायरैक्ट परचेज नहीं की जाती है। हिन्दुस्तान में 38 प्रतिशत मार्जिनल और स्माल फार्मर्स होंगे, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता है और हमारे माननीय सदस्य, श्री लकप्पा जी ने यह बिल पेश किया है :

इस समय खेती संबंधी कार्यों की लागत बढ़ने के कारण किसान, विशेषकर छोटे तथा मार्जिनल किसान बहुत सी कृषि वस्तुओं की तुलना में लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इस बात को इस सदन में 20 बार उठाया जा चुका है। इस बात को कहते-कहते 25 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि इसका फल क्या निकलेगा। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन और फूड-कारपोरशन आफ इंडिया ने भट्टा बैठा दिया है, जिस परपज के लिए यह संस्था बनी थी।

मार्च, 1980 के अंत में बैंक ओवरड्राफ्ट 2033.58 करोड़ रुपये था।

यह फूड कारपोरेशन की हालत है, जो कि डायरेक्ट परेचज नहीं करता है, जिस पर इतना बड़ा ओवर-ड्राफ्ट है।

समिति पहले ही उपाय व साधनों की स्थिति सुधारने तथा नगद ऋण कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का संकेत कर चुकी है। यह चिन्ता का विषय है कि निगम पर बकाया राशि 452.57 करोड़ रुपये थी जिसमें से 183.73 करोड़ रुपये की राशि 8 महीने से भी पहले की थी। इस ऋण पर सरल नियंत्रण होना चाहिए।

महोदय, न तो भारतीय खाद्य निगम समुचित तरीके से कार्य कर रहा है और न कृषि मूल्य आयोग। कृषि भवन और योजना भवन में मीटिंग्स होती रहती हैं कि प्राइस तय कर दीजिए। जब मुख्य मंत्री यहां आकर कहते हैं, तब भी उनकी बात को मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन शायद अब लकप्पा साहब की आवज पहुंच जाए। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की सारी जमीन कुछ बड़े-बड़े लोग लेकर बैठे हुए हैं। लैंड सीलिंग एक्ट भी इम्पलीमेंट नहीं हुआ है। उसके आने के बाव-

जूद भी हमारे माननीय मंत्री स्वामीनाथन कहेंगे कि हमने यह कर दिया और वह कर दिया। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ने इतना बड़ा फार्मूला लिए रखा है, लेकिन आप बताइए फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ गई, बिजली के दाम बढ़ गए, कपड़े की कीमत बढ़ गई और लोहे के दाम बढ़ गए और पूंजीपति और पूंजीपति बन गए और किसान बेचारा गरीब का गरीब रह गया। उसके मकान ऐसे ही हैं, एक-दो प्रतिशत ही काश्तकार ठीक हुए हैं। शहरों में सारी पूंजी आ गई है, दिल्ली के अन्दर केन्द्रित हो गई है। जयपुर में केन्द्रित हो गई है और गांव बेचारे गरीब के गरीब रह गए। ए० पी० सी० की बातें, मेरे ख्याल में, सिर्फ बातें ही हैं। इस प्रकार कुछ बड़े-बड़े काश्तकारों की लॉबी बन गई है और हम लोग जो चर्चा करते हैं, वह सिर्फ चर्चा है। मैं कहना चाहता हूं कि तमाम इन बातों के बारे में सोचा जाए और ए०पी०सी० को खत्म किया जाए और मार्जिनल व स्माल फार्मर्स के ज्यादा से ज्यादा मेम्बर्स एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन में लिए जायें और उनका माल पहले खरीदा जाए और बड़े काश्तकारों को बाद में, तब जाकर कुछ काम हो सकता है।

**श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ):** उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य, श्री लकप्पा, को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सदन के सामने छोटे किसानों से संबंधित समस्याओं का हल निकालने के लिए बिल पेश किया है।

किसानों के लिए आज तक मार्केटिंग की व्यवस्था का इंतजाम नहीं किया गया है। किसान कड़कती सर्दी और तपती धूप में खेतों में काम करता है, लेकिन उसको उसके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं कृषि मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, जैसा कि आज हमारे वित्त मंत्री महोदय ने जब प्राइस इन्डेक्स बढ़ जाता, तो कर्मचारियों को एटोमेटिक मंहगाई भत्ता मिल जाता है, कि ऐसी व्यवस्था कम से कम किसानों के लिए भी करनी चाहिए। किसानों के बारे में भी हमें यह व्यवस्था करनी चाहिए कि जहां प्राइस इन्डेक्स बढ़े, ओटोमेटिक किसानों की सपोर्ट प्राइस बढ़ जानी चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था हुई तब हमारा किसान आगे बढ़ सकता है, नहीं तो किसानों की समस्याएं ऐसे ही चलती रहेंगी।

आज जो गरीब गरीबी-रेखा के नीचे हैं, हमारे किसान ही हैं। बैंकों से जो लोन दिया जाता है, अगर उसका सर्वे कराया जाए, तो पता चलेगा कि 75 परसेंट हमारे जो किसान हैं वे कर्जे से दबे हुए हैं। आज जब किसान कर्ज लेता है, तो वह आसमान से सौदा करता है, वह क्लाइ-मेट से सौदा करता है, वह धरती के साथ सौदा करता है क्योंकि अगर वह कुए के लिए लोन लेता है और धरती खोदता है, तो उससे पानी नहीं निकलता है। अब इसमें किसान की क्या गलती है। इसलिए मैं मन्त्री जी से यह कहूंगा कि आप यह कर दें कि अगर उसने कुए के लिए लोन लिया और कुंएसे पानी नहीं निकला, तो उस किसान का कर्जा माफ होना चाहिए। अगर पानी न मिले अगर सूखा पड़ जाए, अगर तूफान आ जाए और इनसे फसलें चोपट हो जाएं, तो किसान का सारा का सारा कर्जा माफ हो जाना चाहिए और जो किसान के कर्जे के कन्वर्शन की बात होती है, वह नहीं की जानी चाहिए क्योंकि दूसरे साल भी ऐसी स्थिति आ सकती है कि वह कर्जा अदा न कर पाए। इस तरह से किसान का कर्जा दिनों-दिन चढ़ता चला जाता है और किसान कर्जे से दबा जा रहा है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में जहां सूखा पड़ जाए, तूफान आ जाए या कुएं से पानी ही न निकले, किसानों का तमाम कर्जा माफ कर देना चाहिए। आज हम यह देखते हैं कि किसानों पर 10-10 और 20-20सालों से कर्जा है और उन पर दण्ड

ब्याज लगाया हुआ है। ऐसे किसानों का सर्वे कराया जाए और ऐसे किसान, जो लोन का रीपेमेंट नहीं कर सकते और कम से कम हमारे आदिवासी, हरिजन और जो छोटे किसान हैं, उन सबका कर्जा माफ कर देना चाहिए। तभी हमारे देश के किसानों की अर्थ-व्यवस्था ठीक हो सकती है और तभी हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था भी ठीक हो सकती है। अगर हमारे देश में खेती अच्छी हो जाए, तो हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था ठीक होती है और अगर खेती खराब हो जाती है, सूखा पड़ जाता है और खेतों को पानी नहीं मिलता है, तो हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था ठीक न होकर गड़बड़ा जाती है और फिर हमें दूसरे देशों से अनाज मंगाना पड़ता है।

अभी हमारे डागा साहब ने और बहुत सारे मित्रों ने एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन की बात कही। आज हमारे किसानों का भविष्य दूसरे आदमियों के हाथों में सौंप रखा है। हमारी हमेशा यही पालिसी रहती है कि एयरकंडीशन्ड कमरों में बैठ कर निर्णय करो और ऐसे लोगों द्वारा निर्णय किया जाता है, जिनको किसानों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, खेती के बारे में जिनको मालूम ही नहीं है। अब अगर इस तरह से निर्णय होंगे, तो किसानों का भविष्य ठीक नहीं हो सकता।

मैं आपको जापान का उदाहरण देना चाहता हूं। जापान में अगर किसी चीज की कीमत इस समय 100 रुपये है और महंगाई के कारण उसकी सपोर्ट प्राइस 150 रुपये डिक्लेयर करते हैं, तो कन्यूमर को, उपभोक्ता को वह चीज 100 रुपये में ही बेची जाती है। 50 रुपये का जो मार्जिन है, वह सब्सीडी, अनुदान के रूप में दिया जाता है और यही कारण है कि वहां पर आवश्यक वस्तुओं के दाम 10-15 साल से एक ही चले आ रहे हैं और चीजों के भाव नहीं बढ़े। इससे किसान भी खुश हैं और उपभोक्ता भी खुश हैं और सारी की सारी सब्सीडी का भार शासन वहन करता है। रूस में भी ऐसी कई चीजें हैं, जिनके दाम आज तक नहीं बढ़े। हमारे यहां आप देखिये कि दूध के क्या दाम हैं। दूध हर आदमी को चाहिए चाहे वह अमीर हो या गरीब मगर कहीं 2 रुपये लीटर और कहीं 5 रुपये लीटर दूध मिल रहा। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि कम से कम जो खाने की चीजें हैं, उन सबको वह अपने हाथ में लें और चाहे वह गांव हो, मध्यम शहर हो, सब जगह उनके दाम एक होने चाहिए और उसी पर उपभोक्ताओं को मिलनी चाहिए। तभी हमारे देश की एकोनामी ठीक तरह से चल सकती है। अगर नेशनेलिटी की भावना है, तो हमारे देश की प्रगति किसानों पर बहुत निर्भर है। किसान को आज भी चाहे पैसा मिले या न मिले, बिजली मिले या नहीं मिले, बैंक से ऋण मिलें या न मिलें, फिर भी वह दिन-रात मेहनत करके पैदावार को बढ़ा रहा है। हमारा देश जो आज प्रगति कर रहा है उसके लिये भारत के किसान धन्यवाद के मात्र हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर की जो इंडस्ट्रीज लगती हैं, चाहे वह काटन की हों, चाहे आयल सीड्स हों, चाहे दूसरी हों, जब तक उन इंडस्ट्रीज में आप किसान को भागीदारी नहीं देंगे, जब तक आप उन इंडस्ट्रीज में लाभांश नहीं देंगे तब तक इस देश के किसान की माली हालत अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि शासन और मन्त्री महोदय, ऐसी व्यवस्था करें कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में किसान को भी भागीदारी मिले, उसका लाभांश उसको भी मिले। चाहे वह कपड़े की इंडस्ट्री हो, चाहे रुई से धागा बनाने की इन्डस्ट्री हो। इन सब में उसको भागीदारी देने की व्यवस्था करें।

हमें इस देश में कृषि को भी उद्योग मानना पड़ेगा। इंडस्ट्री चलाने वाले के तो कर्ज माफ कर दिये जाते हैं लेकिन जो लोग खेती का धन्धा करते हैं उनके कर्ज माफ नहीं किये जाते हैं। अगर आप खेती को भी उद्योग मान लें तो इससे किसान भी तरक्की करेगा और देश भी मजबूत होगा इस देश में किसान की तरक्की से बहुत ज्यादा तरक्की हो सकती है। दुनिया में बड़े-बड़े देशों ने किसान की तरक्की करके ही तरक्की की है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

**श्री बालासाहिब विखे पाटिल (कोपरगवां) :** डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे साथी श्री लकप्पा साहब यह बिल लाए हैं इसके स्टेमेंट में कहा है कि :

> "केन्द्र सरकार कृषि मूल्य आयोग के परामर्श से प्रत्येक कृषि फसल से पहले देश के विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य समय रहते घोषित कर देगी।"

यह तो हमारी सरकार की नीति रही है लेकिन मेरे ख्याल में उस पर काम नहीं हो रहा है। कभी-कभी तो फसल आने के बाद ही दाम तय होते हैं। इसके बारे में लकप्पा हमारे साथी ने कहा है :

> "कभी-कभी तो वे फसल उगाना छोड़ने के लिए मजबूर कर दिए जाते हैं और व्यवसाय का सहारा ले लेते हैं।"

इस तरह से किसान को पूरा प्राफिट नहीं होता।"

मैं महाराष्ट्र के किसान की बात कह सकता हूं। और एम्पलाएमेंट गारंटी स्कीम में वहां मजदूर हो के काम करना पसन्द करते हैं। किसान की बात तो हमेशा चलती रहती है लेकिन मैं ऐसा भी नहीं मानता हूं कि उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। मैं यह मानता हूं कि उनकी स्थिति में कुछ न कुछ सुधार अवश्य हुआ है। हां उनके सुधार में काफी कमियां हैं।

मैं हमेशा कहता आया हूं कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन एक कन्सलटेटिव वाडी है। सरकार उसकी सिफारिशें कभी तो मानती है कभी नहीं मानती है। अभी उसने गन्ने के दाम साढ़े पन्द्रह रुपये तय किये थे लेकिन सरकार ने 13 रुपये के दाम तय किये किसी एक सैक्शन के दबाव में आकर सरकार की नीति कमीशन से बिल्कुल अलग हो जाती है और कमीशन की सिफारिश बिल्कुल अलग होती है।

जब पश्चिम बंगाल में जूट के बारे में सवाल उठा था तो हमारे कामर्स मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जो स्कीम काटन प्रोक्योरमेंट की महाराष्ट्र में चालू है उसी ढंग से वहां की सरकार भी जूट खरीद ले। मैं काटन के बारे में कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार ने जो काटन के दाम तय किये हैं। उसकी परमीशन भारत सरकार नहीं दे रही है। सरकार की बातों से लगता है कि अभी बात चल रही है, अभी सरकार सोच रही है।

मेरी समझ में नहीं आता है कि एक तरफ तो आप अलग ढंग से नीति तय करते हैं और कमीशन की सिफारिश अलग ढंग से होती है और गांवों में जो किसान पैदा करता है उसके दाम

उसकी इन्वेस्टमेंट केपेसिटी से मेल नहीं खाते। अभी मैंने 19 तारीख को एक सवाल किया था जिसके जवाब में आपने कहा और यह बताया कि आपकी परचेजिंग एजेंसीज ने किसान से किस भाव में माल खरीदा और उस समय मार्केट में उसके दाम क्या थे। आपके जवाब से पता लगता है कि मार्किट के आधे दाम में आपने किसान से उसका माल खरीदा, उसकी कपास खरीदी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह बायर्स मार्केट है, यह सेलर्स मार्केट नहीं है। इसमें ट्रेडर्स को सुविधा है और किसान को उसकी प्रोडक्शन के दाम नहीं मिलते है। आज इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि नहीं हमारे ऊपर बहुत असर हो रहा है, लेकिन जब एग्रीकलचर अच्छा होता है तो इंडस्ट्री को भी फायदा होता है। सभी जगह देखिए, चीनी का ज्यादा उत्पादन, गन्ने का उत्पादन, गुड़ का ज्यादा उत्पादन, गेहूं का ज्यादा उत्पादन, तब भी इंडस्ट्री में रिसेशन क्यों है? जब इंडस्ट्री में रिसेशन आता है तो सरकार के पास कई मेमोरेंडम आ जाते है और सरकार उनको सुविधाएं प्रदान करती है, लेकिन जब एग्रीकल्चर में रिसेशन आता हैं तो लोन का कन्वर्शन कर देते हैं। सूखा अकाल, तूफान आदि में जब लोन कन्वर्शन हो जाता है तो इस बात का ए० पी० सी० कभी खयाल नहीं रखता। ए० पी० सी० सही ढंग से किसान की उन्नति की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। पिछले साल साढ़े पन्द्रह रुपए क्विंटल गन्ने के दाम की सिफारिश की और इस साल भी उतनी ही सिफारिश की। ज्वार, गेहूं की भी वही स्थिति है। कहते हैं कि हमको कंज्यूमर का ध्यान करना है, सरकार भी यही बात कहता है। इसी प्रकार जब क्रेडिट का सवाल आता है तो किसान का सोसायटियों के पास कितना ही डिपाजिट हो, लेकिन डिफाल्टर होने के बाद उनको कोई सुविधा नहीं मिलती। एग्रीकलचर प्रोसेसिंग सोसायटी को छोड़कर एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसायटी का काम और अन्य सोसायटियों का काम कोई खास अच्छा नहीं चल रहा है।

ओनियन के बारे में क्या हुआ? केन्द्रीय सरकार ने तय किया था कि जो भी राज्य सरकार ओनियन का व्यापार करेगी, उसमें जो भी घाटा होगा, उसका आधा हिस्सा केन्द्रीय सरकार देगी। महाराष्ट्र सरकार ने ओनियन की खरीद की और उसमें 18 करोड़ का घाट हुआ, लेकिन अभी तक भारत-सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। इस प्रकार जो राज्य सरकारें किसान का भला चाहती हैं, वे भी किसान की मदद नहीं कर सकती। इन सब बातों की ओर हमको सोचना चाहिए और राज्य सरकार को उत्तेजित करना चाहिये।

मैंने तो यह माँग की थी कि एक नेशनल कमीशन आन एग्रीकल्चर प्राइसेस नाम से एक बाड़ा बना दो जाए, जिसकी सिफारिश को सरकार को कानून मानना पड़े। एग्रीकलचर प्राइस कमीशन के चेयरमैन को हटा दिया गया है, वहां चेयरमैन नहीं है। मुख्यमंत्रियों की बात को भी नहीं माना जाता। अलग-अलग आर्गनाइजेशंस को बुलाकर चर्चा की जाती है, लेकिन जब दाम तय करते हैं तो किसी बात को ध्यान में नहीं रखा जाता और किसान को फायदा नहीं होता।

किसान को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों में अन्तर करना बहुत आवश्यक है। आज जो हम फायदा देते हैं वह समान रूप से दिया जाता है, चाहे दो एकड़ का किसान हो या 20 अथवा 50 एकड़ का किसान हो।

**अटल बिहारी वाजपेयी**: 50 एकड़ का किसान कहाँ है?

**श्री बाला साहिब विखे पाटिल**: नान इर्रीगेटेड एरियाज में लैण्ड सीलिंग के बाद भी 54 एकड़ का किसान है।

इसलिए इनपुटस की कीमतें, बिजली, पानी का दाम, जो लोन देते हैं, इन सब चीजों के बारे में जब तक छोटे किसानों को अलग से सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, तब तक उसकी उन्नति नहीं हो सकती ।

इसलिए छोटे किसान के बारे में अलग से सोचने की आवश्यकता है । उसको संरक्षण देने की आवश्यकता है । अगर सब किसानों के बारे में एक तरह से सोचा जाएगा तो छोटा किसान ऊपर नहीं आ सकता । आज छोटे किसानों की संख्या कम हो रही है । वे अपनी खेती बेच रहे हैं और बड़े किसान खरीद रहे हैं । इसलिए छोटे किसान की ओर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है ।

आशा है कि मंत्री महोदय इन सब चीजों की ओर ध्यान देंगे । इन शब्दों के साथ में हमारे साथी लकप्पा को धन्यवाद देता हूं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री सुन्दर सिंह, आप केवल एक या दो मिनट लें अगली बार आप अपना बात कह सकते हैं ।

**श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर)** : माननीय लकप्पा जी यह जो बिल लाए हैं पता नहीं किस के खिलाफ लाए हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ लाए हैं या एग्रिकल्चर प्राइस कमिशन के खिलाफ लाए है या किस के खिलाफ लाए है । ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने सिर्फ फार्मर्स का ही इस में खयाल रखा है । क्या बाकी लोग भूखे मर जाएं ? उन्होंने दो सौ रुपया करने की बात कही है । क्या बात करते हैं ? लेंड रिफार्म अभी तक हुआ नहीं है । हमारे यहां एक एक एकड़ में किसान आठ आठ हजार कमाता है । वह मेहनत करता है और कमाल दिखाता है । किस किसान की वह बात करते हैं । क्या मार्जिनल किसान की बात करते है ? उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वे काम ही नहीं करते हैं ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

स्पीकर साहब को ही आप लें । ये एक लैंडलार्ड हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : गन्ने के बीज को जो बाकी है वह अगली बार के लिए रख लेते हैं । आप अगली बार अपना भाषण जारी रखें । बाकी जो कुछ आपका कहना है, अगली बार कहें ।

---

## सदस्य द्वारा त्यागपत्र

**अध्यक्ष महोदय** : मैं सदन को यह सूचना देता हूं कि मुझे श्री जैलसिंह, जो कि पंजाब के होशियारपुर क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य हैं, का अपनी लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने संबंधी दि० 22 जुलाई, 1982 का एक पत्र प्राप्त हुआ है । यद्यपि सदन को त्यागपत्र का कारण बताने की प्रथा नहीं हैं पर इस विशेष मामले में मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि उन्होंने इस देश के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपनी लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है । मैंने आज अपरान्ह दि० 22 जुलाई, 1982 को उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है ।

## लेबनान में स्थिति के बारे में प्रधान मन्त्री के वक्तव्य पर चर्चा-जारी

**अध्यक्ष महोदय :** अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा जारी रखेंगे। श्री राम सिंह यादव।

**श्री राम सिंह यादव (अलवर) :** अध्यक्ष महोदय लेबनान के सम्बन्ध में दोनों पक्षों की ओर से जो विचार व्यक्त किए गए हैं वे अपने-आप में गम्भीरता लिए हुए हैं। लेबनान की पृष्ठभूमि को जब हम देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में यह समस्या उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की देन है 1920 में सबसे पहले 16500 ज्यूज यहां पर आकर आबाद हुए थे। चर्चिल साहब सेक्रेटरी की हैसियत से लेबनान गए थे और उस समय यह मसला सबसे पहले सामने आया था। अरब लोगों ने उसका बड़ा विरोध किया था। यही चीज 1936 में नियमित रूप से अरब गुरिल्लाज के रूप में हमारे सामने आई जब अपने अधिकारों के लिए वहां लोग संघर्ष पर उतारू हुए। 1936 से लेकर आज तक यह संघर्ष वहाँ जारी है। यह संघर्ष अपने अधिकारों के लिए, न्याय के लिए किया जा रहा है। बड़े दुःख की बात है कि 6 मई 1982 को बर्बरतापूर्ण हमला लेबनान के ऊपर इजराइल ने किया जो आज भी जारी है। इसके फलस्वरूप करीब 15000 लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं, पचास हजार लोग घायल हुए हैं और छः लाख सिविलियन पापुलेशन बेघर-बार हो गई है। मान्यवर, इसमें सबसे बड़ी भावना इजराइल की यह है कि वह एक विस्तारवादी सिद्धांत को लेकर के प्रारंभ से चल रहा है और इस सिद्धांत के लिये उसने जो कुछ भी अत्याचार अरब लोगों के साथ किये, वहां पर पोपुलेशन पहले जिस तरह से हारमोनियस तरीके से रहती थी उसमें असन्तुलन पैदा करने का कार्य मैनडेट पावर्स ने किया और उसके बाद जो प्रोटेक्शन मिलता रहा साम्राज्यवादी शक्तियों का वह आज भी उनकी किसी न किसी रूप में मिल रहा है। इसलिये सारे विश्व को ऐसी साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध, जो इस तरह से अन्याय कर रहे हैं उनके विरुद्ध सारे विश्व का जनमत तैयार करने का दायित्व हमारे ऊपर हैं, और हमारे देश ने उसमें पहल की है। प्रधान मन्त्री और विदेश मन्त्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस सम्बन्ध में सबसे पहले ठोस कदम उठाया है और इजराइल के काउन्सल जनरल को परसोना नान-ग्राटा डिक्लेयर करके इजराइल वापस भेज दिया है। इसलिये जो वक्तव्य यहां पर प्रधान मन्त्री जी ने दिया मैं उसका स्वागत करता हूं। माननीय वाजपेयी जी ने कहा कि इसका कोई हल नहीं है। लेकिन वास्तव में इसका हल है और प्रधान मन्त्री के वक्तव्य में ही इस का इशारा किया गया है :

> "जो देश इजराइल पर पश्चिम बेरूत पर कब्जा छोड़ने और अपने क्षेत्र में सेना हटाने के लिये शीघ्र कदम उठाने के लिए प्रभाव डालने की स्थिति में हैं। इस तात्कालिक उद्देश्य की प्राप्ति के बाद सभी संबद्ध पक्षों को मान्य उचित व्यापक व स्थाई समाधान निकालने के लिए समझौता शुरू किया जाना चाहिए।"

इजराइल के क्या इरादे हैं ? यह लड़ाई जो इजराइल ने की है वह इस तरह की नहीं है कि किस कारण से हो, बल्कि दुराग्रह है। और उसकी किस तरह की विस्तारवादी नीति है 13 जुलाई के "पेट्रियट" में साफ तौर से लिखा गया है;

वाफा की फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट है कि इज़राइल ने अनुमानित दस लाख लोगों सहित लेबनान के तीसरे भाग में कब्जा कर रखा है और वह वहां कब्जा बनाये रखना चाहता है।"

एजेंसी ने इजराइल के सैच-तंत्र के डिप्टी चीफ-आफ स्टाफ एम० जन० ले का कथन उद्धृत किया है, जैसाकि न्यूयार्क टाइम्स से उन्होंने कहा है:

> "हम यह योजना बनाकर चल रहे हैं कि हम यहां जाड़ों या उससेअधिक समय तक रहेंगे" वाफा ने यह भी बताया कि हमला किए गये क्षेत्रों में 15 से 50 वर्ष तक की आयु में पुरुषों को अबेटिया के निकट अन्सार शिविर में भेजा गया है। फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविरों को तहस-नहस कर दिया है और फिलिस्तीनी जाति का विनाश करने का प्रयत्न किया जा रहा है।"

इन हालात को देखते हुए यह मानवता और विश्व शांति को एक चुनौती है और इस अन्याय और अत्याचार का मुकाबला हम सारे लोग मिलकर करें, यही इस सदन का मत है। मैं तो चाहूंगा कि मन्त्री जी एक संकल्प प्रस्तुत करें सारे सदन का कि हम जो अरब लोग हैं उनको जो होमलैंड का अधिकार है वह मानवता का अधिकार है और उसका हम सारे देश के लोग समर्थन करते हैं।

**श्री चित्त बसु (बारसात)** : सर्वप्रथम मैं उन मित्रों का समर्थन करता हूं जिन्होंने इजराइल के लेबनान पर आक्रमण की घोर निन्दा की है, हम इस देश की प्रधान मन्त्री द्वारा इस मुद्दे पर दिए गए वक्तव्य से अवगत हैं। मैं मानता हूं कि प्रधान मन्त्री के वक्तव्य में फिलिस्तीनी समस्या के मूलभूत पहलुओं पर यथासम्भव प्रकाश डाला गया है, यह उन सभी पहलुओं का संकेत करता है जो सकारात्मक है और बिल्कुल सही है। परन्तु इसमें कुछ नकारात्मक बातें भी हैं। प्रमुख नकारात्मक बात यह है कि यद्यपि उन्होंने इजरायली आक्रमण को अनौचित्यपूर्ण बताया है पर उन्होंने इजरायल ने लेबनान पर भारी आक्रमण पर संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाही है। उनकी बात सही है, उन्होंने आगे बताया है कि इजरायल का यह कृत्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून और व्यवहार के सिद्धांतों का खुले आम उल्लंघन है, अन्त में उन्होंने संक्षेप में यह कहा कि यह गुस्ताखी का सूचक है जिसमें अन्य राष्ट्रों और लोगों के अधिकारों की बेदर्दी से अवहेलना की गई है। इसका नकारात्मक पहलू यह है कि उन्होंने उन शक्तियों के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है जिन्होंने इजरायल के अहंकार को बढ़ाया है। वह इस बात पर चुप्पी साध गई हैं।

वास्तव में, संयुक्त राज्य अमेरिका और लेबनान पर व्यापक इजरायली आक्रमण के बीच सांठ-गांठ होने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत गुप्त ने पहले ही कुछ बातें कही हैं। मैं केवल यह कहूंगा कि इजराइल के रक्षा मन्त्री श्री शैरों की इस समय अमरीकी यात्रा के कारण ही इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। क्योंकि समय का अभाव है, मैं वे बातें फिर से उद्धृत नहीं करना चाहता हूं। मैं केवल श्री शैरों द्वारा वाशिंगटन जाने से पहले दिये गये वक्तव्य की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। उन्होंने कहा :

"इजराइल अमेरिका से राजनैतिक तथा सुरक्षा समन्वय और सहयोग सुदृढ़ करना चाहेगा।"

16 मई को उन्होंने यह बात उस शाम को कही जब वे अमेरिका जाने वाले थे। 26 मई को जनरल हेग कहते हैं :

"अन्तर्राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त सीमाओं के भीतर लेबनान की क्षेत्रीय अखण्डता और मुक्त, खुली, गणतांत्रिक और पारंपरिक बहुमुखी समाज को प्रोत्साहन देने वाले एक मजबूत केंद्रीय सरकार दोनों के समर्थन में ठोस कार्यवाही करने का समय आ गया है।"

अतएव श्री शैरों या इजराइली हमलावर के लिए यह स्वीकृति थी। वे समझ गए थे कि अमेरिका का ठोस कार्यवाही से क्या अभिप्राय था। और ठोस कार्यवही तत्काल की गई इसके तत्काल बाद, श्री शैरों की उपस्थिति के दौरान इजरायल को भारी मात्रा में सैनिक और वित्तीय सहायता दी गई, जिसका पूरा विवरण श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा पहले ही दिया जा चुका है। यद्यपि इस सम्बन्ध में मेरे पास अन्य जानकारी भी है, तथापि समय बचाने के लिए मैं उसका उल्लेख यहां नहीं करूंगा। इसलिए, लेबनान पर आक्रमण करने के सम्बन्ध में इजरायल को उकसाने के लिये उसे सैनिक और वित्तीय दोनों प्रकार की उदार सहायता दी गई।

एक अन्य बात जिस पर मैं बल देना चाहता हूं वह यह है कि प्रधानमंत्री के वक्तव्य का यही मत था कि जो लेबनान की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में होने वाली अन्य घटनाओं से अलग करता है, जैसे कि यह घटना केवल इजराइल और लेबनान या पी० एल०ओ० के बीच हो। उन्होंने न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइली हमले को ही नजरंदाज नहीं किया है बल्कि उन्होंने इस घटना को एकाकी घटना के रूप में बताया है। वास्तव में, मेरा यह दृढ़ मत है कि लेबनान पर यह इजराइली हमला संयुक्त राज्य अमेरिका की विश्व युद्ध नीति का अविभाज्य और अभिन्न अंग। जब तक हम इस प्रकार के व्यापक दृष्टिकोण से नहीं देखते, तब तक हम सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पायेंगे।

अमरीकी युद्ध नीति के कई घातक पहलू हैं। रीगन प्रशासन अब पश्चिम यूरोपीय देशों को अपने क्षेत्रों में परशिंग मिजाइज लगाने के लिए मजबूर कर रहा है। जिससे समाजवादी देशों और उसके अपने नाटो सहयागियों को भी खतरा पैदा हो गया है। एक केवल पहलू यह है।

अमेरिका अब अन्तरिक्ष को परमाणु संघर्ष का क्षेत्र बनाना चाहता है। वह अमेरिका सोवियत संघ और अन्य समाजवादी देशों को तबाह करने के लिए प्रथम परमाणु हमले की तैयारियां कर रहा है। वह जीतने योग्य सीमित परमाणु युद्ध की भी बातें कर रहा है। अमेरिका अपने मित्र देशों को हिंद महासागर और फारस की खाड़ी तक नाटो सैनिक कार्यवाहियों का प्रसार करने के लिए भी उकसाता है। पश्चिम एशिया में हस्तक्षेप करने के लिए अमेरिका ने बहुत अधिक सेनाएं लगा दी हैं। इससे दिआगो गार्सिया को नौ सैनिक अड्डे में परिवर्तित कर दिया है और इसका आधुनिकी करण भी कर दिया है तथा पाकिस्तान ओर श्री लंका में नए अड्डे बना लिए हैं। यह पाकिस्तान को परमाणु शक्ति के रूप में विकसित करने के लिए उसे बहुत अधिक सैनिक सहायता दे रहा है। यह इजराइली जियोनिस्टिक साम्राज्य का अपने भरासेमंद साथी के रूप में

बनाकर तेल के घनी पश्चिम एशियाई क्षेत्र को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहा है। यह पी०एल०ओ० को भी तबाह करना चाहता है। ये सब बातें अमेरिकी विश्व युद्ध नीति का ढांचा है। वास्तव में, लेबनान पर यह इजराइली हमला अमेरिका की विश्व युद्ध नीति का ही अंग है।

माननीय विदेश मंत्री जी से मैं जो प्रश्न पूछना चाहूंगा वह यही है। क्या आप यही दृष्टि-कोण रखेंगे या इसे अमेरिकी विश्व युद्ध नीति के व्यापक पहलू से अलग रखेंगे ? यदि आप एकांगी दृष्टिकोण अपनाते हैं तो मैं समझता हूं कि सरकार सही निर्णय नहीं ले सकती और विचलित हो जाएगी।

अंत में, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि, जो कदम हमने पहले बताए, उनमें से कुछ कदम उठाये जाने चाहिएं, यहां तक कि परामर्शदात्री समिति में सरकार को बम्बई में कांसुलेट बंद करने के संबंध में तत्काल कदम उठाने चाहिए। इससे हमारा क्रोध और रोष जाहिर हो जाएगा और इससे अरब देशों को नैतिक प्रोत्साहन मिलेगा और वे महसूस करेंगे कि अब उनके एकजुट होने का और इजराइली आक्रमण का विरोध करने का समय आ गया है।

अंत में, सरकार को फिलिस्तीनी समस्या के राजनीतिक हल के लिए बातचीत द्वारा प्रयास जारी रखने चाहिए। इस समस्या का समाधान इसी तथ्य की स्वीकृति के आधार पर किया जा सकता है कि फिलिस्तीनी लोगों को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का हक है। हमारी सरकार इसके पक्ष में थी। सरकार को इसी नीति का अनुसरण करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि अन्य गुट-निर-पेक्ष देश भी इसी नीति को स्वीकार करें ताकि इस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके।

**विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव)** : अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और अपना बहुमूल्य योगदान दिया। मैं इसका उत्तर संक्षेप में दूंगा। क्योंकि, जब चर्चा में उठाए गए बहुत से मुद्दों पर कोई स्वयं सहमत हो, तो उत्तर देने को कुछ नहीं रह जाता। इसलिए, मैं बहुत ही संक्षेप में उत्तर दूंगा और कुछ अज्ञात बातों, कुछ ऐसे प्रश्नों का, उत्तर देने की कोशिश करूंगा जो चर्चा के दौरान उठाए गए हैं और जिनका स्पष्टि-करण देना जरूरी है। मेरा उत्तर इन्हीं बातों तक ही सीमित होगा।

जैसाकि मैंने कहा कि जब अनिवार्य विषय पर ऐसा मतैक्य हो, तो मुझे उन दलीलों को दोहराने की जरूरत नहीं। यह स्पष्ट है कि समस्त देश फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन फिलिस्तीनी आन्दोलन के पक्ष में है, और इस बात को सदन में चर्चा के दौरान व्यापक रूप से बताया गया है।

मैं माननीय सदस्यों से केवल यह नोट करने का आग्रह करूँगा कि जैसाकि बहुत से सदस्यों ने उल्लेख किया है कि इस प्रश्न पर अब हम जो रुख अपना रहे हैं उसमें कुछ भी नई बात नहीं है। जैसाकि प्रधान मंत्री जी ने राज्य सभा में बताया, यदि मुझे अच्छी तरह से याद है, तो इज-राइल के बनाए जाने के समय ही हमें आशंका थी। हमने संयुक्तराष्ट्रसंघ में बहुमत के खिलाफ मत दिया था। संयुक्तराष्ट्र संघ में हमारे प्रतिनिधि, ने महासभा के समक्ष बताया कि ग्रेटब्रिटेन सिद्धांतों और स्वनिर्णय पर बिल्कुल भी ध्यान दिए बिना राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि में यहूदी राज्य बनाना चाहता है। भारतीय प्रतिनिधि ने अरबों की इस इच्छा का हवाला दिया कि वे स्व-तंत्र रहना चाहते हैं। उन्होंने और आगे इस बात पर भी बल दिया कि विभाजन से फिलिस्तीन

की शांति पर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। समस्या का यह अस्थायी समाधान होगा आने वाले अनेक वर्षों में इससे मध्य पूर्व की वर्तमान अस्थिरता और भी बढ़ेगी।

यह 1948 में कहा गया था। और ये कथन सच्ची भविष्यवाणी साबित हुए हैं और सब ओर अस्थिरता प्राप्त हो गयी है। बार-बार उभर आने वाली इस समस्या का फिलहाल कोई अंत दिखाई नहीं देता है। यदि आप अरब क्षेत्रों पर इजरायलियों द्वारा किए गए हमले की गिनती करें तो वह बहुत लम्बी होगी और यह तो उस सूची की पराकाष्ठा मात्र है। वर्ष 1967 में एक युद्ध के बाद हमने तुरंत संकल्प 242 प्रस्तुत किया था, फिर 1973, 1978 और अब 1982 में भी इसी को दोहराया था। अतः यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो जारी है जिसके बारे में इजराइल की उत्पत्ति के समय हमारे प्रतिनिधि ने जिन सम्भावना के बारे में आशंका व्यक्त की थी वह प्रमाणित हुई, और सच साबित हुई और आज यह मानना ही पड़ेगा कि हमने इसे कभी भी एक अलग-अलग घटना के रूप में नहीं मान्य है। जब हम 1948 से ही इसका विरोध कर रहे हैं तो कोई भी यह कैसे कह सकता है कि इस समय प्रधान मंत्री उसे एक अलग-थलग घटना के रूप में ही मान रही हैं। मैं इन दोनों में ताल मेल बैठा पाने में असमर्थ हूं। यह सच है कि प्रधानमंत्री ने इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और लम्बी भूमिका से अपनी बात शुरू नहीं की थी। उन्होंने केवल वहां की वर्तमान स्थिति के संबंध में ही बताया उन्होंने वहां की दुःखद स्थिति क्षोभ और घट रही त्रासदी पर अधिक जोर दिया। इसीलिए वे लोगों के, संसद को और संसार को यह बताने की कोशिश कर रही थीं कि जो कुछ भी वहां हो रहा है उस पर तुरंत ध्यान दिया जाना अत्यावश्यक है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले वहां से सेना हटायी जाए। जब तक वहां सेना है, तब तक उसे हटाने के सिवाय आप कुछ सोच हो नहीं सकते। उसे तो प्रभावी करना ही होगा। तब उन्होंने कहा कि केवल सेना हटाना ही काफी नहीं होगा क्योंकि यह समस्या कई सालों से सुलग रही है और अब समय आ गया है कि सेना हटाए जाने के बाद हम इन घटनाओं को न भूलें और केवल अगले आक्रमण की प्रतीक्षा न करें। बल्कि हम एक स्थायी समाधान के लिए विधिवत (सायास) काम शुरू करें। यह सही है कि समाधान पर विचार किया गया है संकल्पों में समाधान की रूपरेखा तैयार कर ली गई है किंतु अब इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि अब जोर-शोर से व्यावहारिक उपाय किया जाना अत्यावश्यक है। किंतु उससे पहले सेना हटाई जानी होगी क्योंकि बेरुत जब चारों ओर से सेना से घिरा होगा, तो कोई भी समाधान के बारे म नहीं सोचेगा केवल उन्हें हटाए जाने के बारे में ही सोचेगा। अतः इस स्थिति में उनका यह वक्तव्य तर्कसंगत सही और विषय पर केन्द्रित था।

महोदय, एक प्रश्न यह किया गया था कि 4 जून से जब आक्रमण शुरू हुआ है, तब से हमने क्या पहल की है। मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि 6 जून को जब इस आक्रमण से पहले पहली बार हवाई हमला हुआ था। हम लोग हवाना म थे गुट-निरपेक्ष ब्यूरो की बैठक जारी थी। कम से कम आठ या दस घंटे का अंतर था। जब आक्रमण हुआ था, तो बैठक के दौरान ही हमें पता चल गया था। हमने तुरंत ही चेयरमैन को गुट-निरपेक्ष देशों की ओर से सुरक्षा परिषद् में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत कर दिया था। कुछ घंटो मे ही यह सब तय हो गया था। अतः इस समस्या पर कार्यवाही की शुरूआत सबसे पहले गुट-निरपेक्ष ब्यूरो की ओर से ही हुई थी।

7 जून को दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सरकारी प्रवक्ता द्वारा वक्तव्य दिया गया। तब तक मैं देश से बाहर ही था। भारत सरकार ने इस वक्तव्य में स्पष्ट शब्दों में फिलिस्तीन के खिलाफ इजरायल द्वारा अकारण किए गए हमले की निंदा की है। तत्पश्चात् प्रधान मंत्री ने 8 जून को चैयरमैन यासर अराफात को संदेश भेजा था। वह पहिले व्यक्ति थे जिनके बारे में उन्होंने विचार किया क्योंकि वे चारों ओर से घिर गये थे वही वह व्यक्ति हैं जो अपने अनुयायियों, कामरेडों, और सहकर्मियों के साथ पूरे घटना क्रम के आघात को झेल रहा है। अत: प्रधान मन्त्री का उनके बारे में सोचना और किसी भी अन्य व्यक्ति को पत्र लिखने से पहले उनको अपने सहयोग का आश्वासन देना सहज स्वाभाविक ही था। तत्पश्चात् प्रधान मंत्री को शाह खालिद का संदेश 8 जून को प्राप्त हुआ था, उन्होंने 10 जून उत्तर भेजा था जिसमें उन्होंने अरबों को निरंतर पूरा समर्थन देने के भारत के रुख के बारे में बताया था। तत्पश्चात् प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति रीगन, राष्ट्रपति ब्रेझनेव, राष्ट्रपति मित्तरैन्ड को संदेश भेजे थे। इन सभी संदेशों में हमारे रुख के बारे में ही दोहराया गया था। उनसे यह आग्रहपूर्वक अनुरोध किया गया था कि वे लेबनान की वर्तमान स्थिति के बारे में तुरंत ही कुछ न कुछ करें। उनसे अनुरोध किया गया था कि वे सम्बंधित पक्षों पर अपने प्रभाव का उपयोग करें और आक्रामक पर भी दबाव डालें और यदि सम्भव हो, तो तुरंत सेना हटवाने की कोशिश करें। इसी प्रयोजन से ये पत्र लिखे गए थे।

इसमें ऐसी कोई गोपीनय बात नहीं थी। ये पत्र स्थिति पर थे, उसके बारे में थे, और स्थिति की महत्ता पर इन राज्याध्यक्षों का ध्यान दिलाने के लिए भेजे गए थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि सबसे पहला लक्ष्य तो यही होना चाहिए कि इजरायली सेनाएं अपने देश को लौट जाएं और साथ ही इसके लिए भी प्रयास किया जाए कि उचित और स्थायी समाधान के लिए प्रयास किए जाएं यही बात उन्होने संसद में भी कही थी।

प्रधान मंत्री का श्री कास्त्रों और मिस्र के राष्ट्रपति मुबारक से भी पत्र व्यवहार हुआ था। उनके संदेशों के उत्तर में उन्होंने समुचित उत्तर दिया था।

तत्पश्चात् 9 जुलाई को प्रधान मंत्री ने संसद की दोनों सभाओं में वक्तव्य दिया था। उससे पहले यदि मुझे ठीक-ठीक याद है तो मैंने राज्य सभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में स्थिति के बारे में कुछ ब्यारे दिए थे। प्रश्न का उत्तर देते हुए भी मैंने बताया था कि वहां क्या हो रहा है। अत: सभा को शीघ्रातिशीघ्र जानकारी दी जाती रही है और शुरू से ही पहल की जाती रही है। इस प्रकार भारत द्वारा अपनी ओर से तथा गुट निरपेक्ष देशों के सदस्य के रूप में भी, इस संबंध मे निरंतर पहल की जाती रही है।

भारत गुट-निरपेक्ष ब्यूरो द्वारा स्थापित कार्य दल का सदस्य था। भारत ने महासभा प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया और उसे सह-प्रायाजित किया जिसका 127 देशों ने समर्थन किया तथा केवल दो देशों इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने विरोध किया था जबकि काई देश तटस्थ नहीं रहा।

**प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर)** : संयुक्त राज्य अमेरिका तटस्थ रहा था।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : हां, संयुक्त राज्य अमेरिका तटस्थ रहा था।

हमारे स्थायी प्रतिनिधि ने भारत की ओर से महासभा में एक जोरदार वक्तव्य दिया।

15,17 जुलाई को निकोसिया में हुई गुट-निरपेक्ष ब्यूरो की बैठक में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जारी की गई विज्ञप्ति के संबंध में हमें भी कुछ करना था क्योंकि प्रारूप समिति की अध्यक्षता हमारे प्रतिनिधि द्वारा की गई थी। बैठक में स्वीकृत कार्यवाही कार्यक्रम, न्यूनाधिक रूप में—हमारे द्वारा बैठक में दिये गए सुझावों के साथ-साथ अन्य सूत्रों के सुझावों के अनुसार ही था।

भारत को लेबनान में मौके पर जांच करने के लिए नौ देशों के दल के एक सदस्य के रूप में भी चुना गया था।

महोदय, अब मैं समिति, जिसके विषय में प्रश्न किया गया है, पर आने से पहले विज्ञप्ति को एक या दो पैरा ग्राफ पढ़ना चाहता हूं।

"मंत्रियों ने इजराइल की स्थापना के बाद से इजराइल द्वारा अपनी सीमा के विस्तार और फिलिस्तीनी लोगों को निष्कासित करने की नीति अपनाकर लेबनान तथा फिलिस्तीनी लोगों और उनके प्रतिनिधियों पर आक्रमण करने की निंदा की।"

"इजराइल द्वारा ऐसी विस्तारवादी नीति का क्रियान्वयन उसको दी गई विस्तृत सैनिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, उनके स्थायी गठ बंधन, जिसका कि गुट-निरपेक्ष देशों ने घोर विरोध किया है, के कारण ही समर्थन संभव हुआ है। ऐसी नीति फिलिस्तीनी और लेबनानी लोगों के सर्वनाश का कारण बनी है।"

'अतः मंत्रियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार से अपनी नीति पर पुनर्विचार करने तथा लेबनान से इजराइली फौजों की तत्काल बिना शर्त वापिसी सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न करने के लिए कहा।"

फिर पैरा 19 में कहा गया है :

"मंत्रियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वीटो अधिकार का दुरूपयोग करने जिसके कारण सुरक्षा परिषद् को लेबनान में युद्ध विराम तथा लेबनान की प्रभुसत्ता के समर्थन में कार्य-वाही करने, फिलिस्तीनी लोगों की सुरक्षा तथा उनके अहस्णीय अधिकारों को वापिस दिलाने के लिए एक सर्वसम्मत संकल्प पारित करने में कठिनाई हुई, की निंदा की गई।"

और जैसा कि मैंने अभी कहा, विज्ञप्ति का वह भाग जिसमें नौ सदस्यीय समिति, जिसका कि भारत भी सदस्य है, के कार्य इस प्रकार बताए गए हैं :

"फिलिस्तीनी लोगों तथा उनके प्रतिनिधियों, विशेषकर लेबनान में, पर प्रभाव डालने वाली घटनाओं पर नजर रखना, लेबनान की सरकार तथा फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चे के नेताओं से सलाह मशविरा करने के लिए लेबनान का दौरा करने तथा इजराइलियों द्वारा किए जा रहे अत्याचार का पता लगाने तथा फिलिस्तीनी और लेबनानी लोगों को ठोस सहायता व समर्थन प्रदान करने के लिए उपाय सुझाना।"

अब माननीय सदस्य को मालूम हो गया होगा कि यह केवल दौरा ही नहीं है—उसका केवल एक यही कार्य नहीं है। यह उन कार्यों में से एक है, यह फिलिस्तीनी लोगों और उनके प्रतिनिधियों को प्रभावित करने वाली घटनाओं पर कड़ी नजर रखने के लिए उसको सौंपे गए कार्यों में से है। यह यहीं समाप्त नहीं होता। एक प्रश्न यह उठाया गया था कि समिति का क्या हुआ। समिति बनाकर हम सबने कहा था कि हम निकोसिया से सीधे बेरुत जाने को तैयार हैं। क्योंकि बेरुत का हवाई अड्डा बेकार हो चुका है, हम दमिश्क जाना चाहते थे और वहां से किसी भी उपलब्ध साधन से बेरुत जाना चाहते थे। तो हम वहां अपने सामान के साथ तैयार थे। साइप्रस की सरकार द्वारा हमारे लिए एक विशेष विमान उपलब्ध कराया गया। फिर बैठक में विज्ञप्ति को पारित किए जाने के तुरंत बाद, साइप्रस के विदेश मंत्री ने जो कि बैठक के सभापति थे, सीरिया सरकार, लेबनान सरकार को यासर अराफात को सूचना देने के लिए संदेश भेजा।

अतः वह हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं कर सके जो लेबनान सरकार द्वारा की जानी चाहिए थी। हमने दिन-भर प्रतीक्षा की। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। स्पष्टतः वहां की स्थिति संभवतः ऐसी नहीं थी कि लेबनान सरकार हमें जाने की अनुमति देने की जिम्मेदारी ले सकती। इसलिए, हमने इससे यह निष्कर्ष निकाला कि स्थिति हमारे वहां जाने के लायक नहीं है और एक दिन प्रतीक्षा करने के बाद हम वहां से चल दिये।

अब इस सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति यह है कि मुझे आज एक तार मिला है जो 20 जुलाई अर्थात् परसों भेजा गया था, इसमें लेबनान के विदेश मन्त्री की तरह से कहा गया है कि:

> "उन्होंने इस आंदोलन में लेबनान तथा वहां की जनता के साथ पूर्ण एकता दिखाने और रुचि लेने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है और मुझ से कहा है कि मैं सभी मंत्रियों के प्रति आभार तथा सम्मान प्रकट करूं।"

साइप्रस के विदेश मंत्री इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने कहा कि:

> "वे बेरूत का दौरा करने के लिए हमारे निर्णय का स्वागत करते हैं और उन्होंने यह भी कहा कि वहां की स्थिति बहुत अस्थिर है और दिन-प्रतिदिन बदल रही है। उन्होंने कहा कि इस समय बेरुत का दौरा किया जाना इतना आसान नहीं है हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा है कि यह असम्भव है। तथापि, इन परिस्थितियों में उनकी सरकार न तो मंत्रियों की सुरक्षा की गारंटी दे सकती है न ही यह वचन दे सकती है। बेरुत पहुंचने तथा वहां से वापस आने में कोई बाधा या कठिनाई से नहीं आयेगी। उन्होंने सुझाव दिया है कि मैं भृसवार को फिर उनसे बात करूं, तब तक वह इस स्थिति में हो जाये कि यह बता सके कि समिति के दौरे के लिए कोई उपाय ढूंढ़ा जा सकता है या नहीं।"

अतः ऐसा नहीं है कि समिति के दौरे का कार्यक्रम हमेशा के लिए आक्रमण कर दिया गया है। हम उनसे सम्पर्क बनाये हुए हैं और सम्भव है कि वे कुछ दिन में यह बता सकेंगे कि हम कब वहां जा सकते हैं और यदि वहाँ स्थिति अनुकूल होगी तो हम अब भी वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। इस स्थिति के साथ हम वहां से लौट आए। ऐसा नहीं है कि हमने वहां जाने का इरादा बिल्कुल छोड़ दिया है। इस समिति के दौरे के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति यही है।

जब भारत से इस समिति का सदस्य बनने के लिए कहा गया था तब मैंने वेझिझक यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया क्योंकि यह हमारे इन विचारों के अनुकूल था कि केवल विज्ञप्ति जारी कर देना पर्याप्त नहीं है इससे भी अधिक कुछ किया जाना चाहिए और हमें इस दल में व्यक्तिगत रूप से जाकर पी० एल० ओ० के साथ अपनी पूर्ण एकता दिखानी चाहिए ।

इस दल का दूसरा कार्य है :

"यू० एन० जी० ए० के प्रेजीडेंट, सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र महासचिव फिलिस्तीन की जनता के द्वारा अपने असंक्राम्य अधिकारों का उपयोग करने सम्बन्धी समिति के अध्यक्ष तथा सुरक्षा परिषद के स्वामी तथा अन्य सदस्यों से निरंतर सम्पर्क बनाये रखा जाए ताकि हाल के आक्रमण तथा फिलिस्तीन के मामले का उचित, सर्वांगीण तथा शीघ्र हल निकाला जा सके और फिलिस्तीनी लोगों को विश्व से समर्थन तथा अधिक सहायता मिल सके ।

यह कार्यक्रम भी निरंतर चलने वाला है । इसका तीसरा कार्य है :

"फिलिस्तीन के मामले पर एक विशेष घोषणा पत्र तैयार किया जाए जिस पर सितम्बर, 1982 में बगदाद में होने वाले गुटनिरपेक्ष देशों के राज्याध्यक्षों या सरकारों के सातवें सम्मेलन में विचार किया जाएगा और इस घोषणा में फिलिस्तीनी जनता तथा उनके प्रतिनिधियों, पी० एल० ओ०, के प्रति राजनीतिक तथा पूर्ण एकता व्यक्त की जाए और इसमें उनकी सहायता के उपायों के लिए व्यापक सिफारिशें अन्तर्विष्ट हों ।"

यह काम हमें तुरंत शुरू करना होगा । इसके लिए अधिक समय नहीं है । यदि शिखर-सम्मेलन सितम्बर, 1982 में होना है तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह काम तुरन्त शुरू किया जाना चाहिए । और हम ऐसा ही करने जा रहे हैं । अत: यह कार्यक्रम कोरी कल्पना नहीं है। यह एक ठोस कार्यक्रम है जिसे हमने हाथ में लिया है । हम कोई अनर्गल बात नहीं कर रहे हैं । यह एक ठोस कार्यक्रम है और हम इसे कार्यान्वित करेंगे । यह पहल भारत ने बहु-राष्ट्रीय मंचों पर तथा गुट-निरपेक्ष आदोलन के सदस्य के रूप में और भारत के रूप में की है ।

अब मैं गुट-निरपेक्ष आंदोलन के अलावा अन्य निकायों मंचों द्वारा की जाने वाली पहल का उल्लेख करना चाहता हूं । मैं यह बात किसी की निंदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं । इससे संबद्ध लोगों की असहाय स्थिति प्रकट होती है कि अरब लीग सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य देशों की राजधानियों के मंत्रियों का एक प्रतिनिधि-मंडल भेजने का निर्णय लेने के सिवाय अधि कुछ नहीं कर सकी ।

अन्य सभी मामलों पर गुट-निरपेक्ष आंदोलन ने स्पष्टत: पहल की है ।

इस्लामिक सम्मेलन का भी यही हाल हुआ है । सम्भवत: सम्मेलन की कोई बैठक ही नहीं हुई ।

अत: जिस मंच ने कोई पहल की है, जिसने स्पष्ट रवैया अपनाया है, जिसने एक कार्यशील कार्यक्रम स्वीकार किया है और जो इस कार्यक्रम को कार्यन्वित करने के लिए तत्पर है, वह मंच है गुट-निरपेक्ष आंदोलन ।

इस समय तो यही स्थिति है।

मेरा ख्याल है मैंने उन प्रश्नों का उत्तर दे दिया है जो यहां उठाये गये थे। मैं एक-दो बातें और कहना चाहूंगा।

बेरुत में हमारे राजदूत के बारे में कुछ टिप्पणियां की गई थीं। मैं माननीय सदस्यों से यह चाहता हूं कि ये एक बात पर अवश्य ध्यान दें। वह यह दे कि वहां पर युद्ध की स्थिति है। इसीलिये जहां तक भी सम्भव होता है हम मुख्यालय होने के नाते अपने राजदूत से दिन-प्रतिदिन और यहां तक कि प्रति घंटे सम्पर्क रखते हैं। हमने उसे कुछ अधिकार दिये है, कुछ निर्देश दिये है जिससे वह वहां की परिस्थितियों के अनुसार जैसी भी आवश्यकता पड़े वैसा कर ले। एक दिन हमें यह सूचना मिली है कि वहां सभी भारतीय सुरक्षित हैं। परंतु 24 घंटे के भीतर ही दूसरी सूचना यह मिलती है कि 4-5 भारतीय मारे गये हैं। बेरुत में रहने वाले भारतीयों की स्थिति देश में और वहां स्थिति हमारे राजदूत के लिये भी निरंतर चिंता का विषय बनी हुई है।

इसलिये इसे सराहनीय भाग जाना चाहिये कि हमने अपने राजदूत को कुछ और अधिकार दे दिये हैं। वह लिखता है कि वह एक ऐसे सिनेमा हाल के पास स्थित एक मकान में एक वाणिज्यिक दूतावास चला रहा है जहाँ भारतीय फिल्में दिखाई जाती हैं और विभिन्न कारणों से वहां काफी संख्या में भारती इकट्ठे होते रहते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां पर आमतौर से भारतीय लोग जाते रहते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जरा आप सोचिये तो सही कि किस स्थिति में वहां पर काम कर रहा है। वह वहां से आराम फरमाने के लिये कहीं भी नहीं गया है। हमला होने से पूर्व मैं बेरुत गया था। बेरूत हवाई-अड्डे पर भी आप भय और आतंक का वातावरण देख सकते हैं। आप-अपने मन में इस आतंक को मजबून कर सकते है। यह स्थिति है वहाँ की। मेरा ख्याल है कि यह कहना उचित नहीं है कि वहां पर हमारा राजदूत काम कर रहा है। आदमी पूर्वी बेरुत जाता है वापस पश्चिमी बेरूत लौटता है और पत्नी और बच्चों से कहता है कि वे लोग वहां से चले जायें। पत्नी इन्कार करती हैं कहती है हम पुरुषों से अलग नहीं होंगी। इस स्थिति पर गौर करिये यह हमारी संस्कृति है। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है कि पत्नी अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती। वह क्या करे? क्या वह उन्हें सुरक्षित स्थान पर न ले जाये? और यही उसने भी किया। बेरूत में रह रहे भारतीयों की स्थिति के बारे में वह हमसे निरंतर सम्पर्क बनाये हुए हैं। वह ऐसा किसी ऐसी जगह से नहीं कर सकता जहां से न तो उससे ही सम्पर्क किया जा सके और न ही वह किसी से सम्पर्क कर सके। अतः उसे अपने कर्तव्य का पालन भी करना है। यह स्थिति है जिसका उसे वहां सामना करना पड़ रहा है हम इस मामले की पुनः जांच करेंगे और यदि वाकई उसे कोई काम जो उसे करना चाहिये था नहीं किया होगा तो हम उससे उसका कारण पूछेंगे।

परंतु इस प्रकार यह आरोप लगाना कि यह दूतावास से भाग गया और उसने भागकर एक होटल में शरण ली और भी इसी तरह की बातें करना, मेरे ख्याल से उचित तो है ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी बात भी है और वास्तव में अपने उस प्रतिनिधि के प्रति जो वहां इन दुरुह-परिस्थितियों में कार्य रहा है, ऐसी आप—साफ बातें नहीं करनी चाहिये।

यदि मैं यहां पर हुए वाद-विवाद में उठाये गये प्रश्नों का सार निकालूं—और अपने उत्तर सारांश हैं तो वह इस प्रकार होगा:—

(1) इजरायल द्वारा लेबनान पर नरसंहार व आक्रमण से विश्व शांति को भीषण खतरा पैदा हो गया है और यह तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकता है।

(2) इजरायल को सुरक्षा परिषद के उस सर्वसम्मत प्रस्ताव का तत्काल पालन करना चाहिये जिसमें कहा गया है कि इजरायल को युद्ध-विराम करके अपनी फौजें अपने क्षेत्र में वापस ले आनी चाहिये। विशेष रूप से सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्यों को इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये परिषद में अपनी हैसियत के अनुसार अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिये। जब वे अपने वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं तो उन्हें सही दिशा में अपने प्रभाव का का भी इस्तेमाल कराना चाहिये।

(3) लेबनान की प्रभूंसत्ता, एकता एवं क्षेत्रीय अखण्डता का सम्मान किया जाना चाहिये और उसकी सुरक्षा की जानी चाहिये।

(4) अरब-इजरायल समस्या का समझौते द्वारा न्यायायिक, सम्मानजनक एवं स्थाई दल निकाले जाने की अविलम्ब आवश्यकता है।

(5) कोई भी ऐसा दल फिलिस्तीनियों के आत्म-निर्णय के तथा अपने देश में एक स्वतंत्र-राष्ट्र के अहस्तांतरणीय अधिकारों की मान्यता पर ही आधारित होना चाहिये।

(6) किसी क्षेत्र पर जबरदस्ती कब्जा करना और उसे अपने अधिकार में रखना अस्वीकार्य है और किसी भी ऐसे क्षेत्र को उसके वास्तविक (कानूनी) स्वामियों को वापस किया जाना चाहिये।

(7) सभी राष्ट्रों को यह अधिकार होना चाहिये कि वे बिना किसी मयार्दा आतंक के अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता-प्राप्त सीमाओं के भीतर रह सकें।

मेरे ख्याल से यही सर्वसम्मत राय है और जो कुछ भी वाद-विवाद के दौरान कहा गया है वो उसका निचोड़ है। हम इससे पूर्णतया सहमत हैं और सर्वसदस्य-गण कुछ और भी सुझाव देना चाहें तो उसका स्वागत है।

माननीय आधार पर सभी राष्ट्रों को यह संदेश प्रसारित किया गया है कि फिलिस्तीनी-संगठन को यथा सम्भव वास्तविक एवं नैतिक दोनों ही प्रकार की सहायता दी जाये। इस संदेश के अनुसरण में हमने इस प्रकार की यथासम्भव सहायता देना प्रारंभ भी कर दिया है और यह कहने की जरूरत नहीं कि हम और भी ज्यादा सहायता प्रदान करेंगे क्योंकि अधिकाधिक लोग इसमें योगदान देने के लिये आगे आ रहे हैं। इस कार्यक्रम को नियमित आधार पर चलाया जायेगा।

इसके साथ-साथ यदि कुछ और भी उपाय हैं जो उससे अलग हों जो मैंने बताया है......

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** उसका सुझाव दे दिया गया है परंतु आप इस बारे में कुछ भी नहीं कह रहे हैं।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव :** यह तो एक ही राग को बार-बार अलापने वाली बात है। उस पर विचार किया जा रहा है हालांकि वह कोई बहुत अच्छा निर्णय नहीं है फिर भी हम यह निर्णय करेंगे।

**श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) :** एक स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये। अपने-अपने वयक्तव्य का सार देते हुए प्वाइंट न० 6 में यह कहा है कि इजरायल द्वारा कब्जा किये गये और हथियाये गये क्षेत्र को खाली किया जाना चाहिये। क्या इसका यह अर्थ है कि इजरायल द्वारा वह सभी क्षेत्र खाली कर दिये जाये जिन पर उसने नवम्बर, 1947 में संयुक्त राष्ट्र-संघ का संकल्प पारित होने के बाद कब्जा किया था।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव :** 1967 में।

**श्री सुनील मैत्रा :** क्योंकि नवम्बर, 1947 में इजरायल की उत्पत्ति ही संयुक्त-राष्ट्र-संघ क एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव :** हमारा निर्णय 242 राष्ट्रों द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप है और इसमें उल्लिखित वे क्षेत्र है जिन पर 1967 में कब्जा किया गया था। यह एक दम स्पष्ट है इसका उल्लेख यहां क्रिया जा चुका है। यदि किसी और रूप में कुछ और उपाय हों जिन पर सरकार का अन्य किसी और कार्यकरण किसी भी पार्टी द्वारा कार्यवाही की जा सके तो हम उन पर विचार-विमर्श करेंगे क्योंकि इस मसले पर हम सभी एक हैं। विचार-विमर्श करने में कोई हर्ज नहीं। मैं इसके लिये तैयार हूं और मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इसके लिये तैयार रहेंगे। हम स्वयं भी, यह सोच रहे हैं कि कौन-कौनसे और उपाय किये जायें। इस विषय में एक स्थायी समिति मौजूद है और मुझे विश्वास है कि समिति नये रास्ते सुझायेगी, नये सुझाव देगी नये उपायों पर विचार किया जायेगा और नई दिशाओं में प्रयास किये जायेंगे। यही मैं सदन से कहना चाहता हूं। मैं सदस्यों को पुनः धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया।

**मध्यान्ह पश्चात 6.51 बजे**

**तत्पश्चात लोक सभा सोमवार 26 जुलाई, 1982/4 श्रावण 1904 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

पी० एल० एस० 48/अंक-29/8/82 (एन)
210

©1982 लोक-सभा सचिवालय में प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त
लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (छठा संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक,
आकाशदीप प्रिंटर्स, 20 दरियागंज, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।